

आवास विभाग

के

महत्वपूर्ण शासनादेशों

का संकलन

(नवम्बर 2000 से दिसम्बर 2001)

आवास बन्धु
आवास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
वर्ष 2001

आवास विभाग

के

महत्वपूर्ण शासनादेशों का संकलन

(नवम्बर-2000 में दिसम्बर 2001)

प्राक्कथन

नगरीय क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास हेतु जनसामान्य के लिए आवास की व्यवस्था एक मुख्य चुनौती है। शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु आवास का प्राविधान निर्णायक भूमिका अदा करता है क्योंकि आवासीय इकाइयों की कमी के साथ-साथ आवासीय क्षेत्रों में दूषित पर्यावरण व नागरिक सुविधाओं की अनुपलब्धता की भी समस्या है। दुर्बल वर्ग के लिए आवास यहां तक कि सिर ढकने के लिए छत आज भी एक ज्वलन्त विचारणीय विषय है। मलिन बस्तियों का उद्भव वास्तव में आवासीय इकाईयों की कमी का परिणाम है। वर्तमान सरकार का यह दृढ़ संकल्प है कि आवासीय कार्यक्रमों में समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखा जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु वर्तमान सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम संचालित किए गए हैं तथा नीतिगत निर्णय लिए गए हैं।

नगरीय क्षेत्रों में आश्रयहीनों तथा लघु एवं मध्यम आय वर्ग के परिवारों को उनकी आर्थिक क्षमतानुसार आवास उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा पूर्व में संचालित ''आश्रय योजना'' व ''भाऊराव देवरस योजना'' को वर्तमान वित्तीय वर्ष में जारी रखा गया। जनता के निजी प्रयासों से निर्मित आवासों के संरक्षण एवं सुधार हेतु अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में शासनादेश एवं सरल दिशा-निर्देश जारी किए गए तथा सरलीकृत प्रक्रिया लागू की गई। विकास प्राधिकरणों की आवासीय योजनाओं की प्रगति तथा 'पाइप लाइन' हेतु एक ''वार्षिक कार्य-योजना'' बनाई गई जिसके अनुसार वित्तीय एवं अन्य संसाधनों का प्रबन्धन तथा समस्त विकास एवं निर्माण कार्य सम्पादित किए जाने की अपेक्षा है। विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद द्वारा ऐसे आवंटियों/क्रेताओं तथा ऋण ग्रहीताओं जो भुगतान में डिफाल्टर हैं, के लिए ''एक बार समाधान'' (ओ.टी.एस.) योजना लागू की गई जिसके परिणामस्वरूप एक ओर विकास प्राधिकरणों की वसूली बढ़ने से उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ वहीं दूसरी ओर बकाएदारों को राहत मिली।

वित्तीय वर्ष 2001–02 में नगरीय क्षेत्रों में अवस्थापना विकास कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। इसके निमित्त आवास एवं नगर विकास सेक्टर से सम्बन्धित विभागों के आपसी समन्वय व वित्तीय संसाधनों की डवटेलिंग करते हुए प्रदेश के प्राधिकरण सेवित नगरों के लिए 'टास्क-फोर्स' के माध्यम से अवस्थापना सुविधाओं का ''ब्लू-प्रिन्ट'' बनाया गया जिसके अर्न्तगत चिन्हित परियोजनाओं का क्रियान्वयन पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है।

देश में समय-समय पर आए भूकम्प की त्रासदी को दृष्टिगत रखते हुए नगरीय क्षेत्रों में भवन निर्माण एवं महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं में ''भूकम्परोधी'' निर्माण के लिए आवश्यक संरचनात्मक प्राविधान सुनिश्चित किए जाने हेतु ''आई.एस.आई कोड/बी.आई.एस मानकों'' का अनुपालन अनिवार्य किया गया है। पेय जल का सदुपयोग एवं पेय जल के स्रोतों के संरक्षण, मित्व्ययता व रिचार्जिंग में समुचित जल प्रबन्धन एवं सन्तुलन स्थापित करने हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सरल, कुशल व कम लागत की स्पष्ट नीति बनाई गई है। नगरों के सुनियोजित विकास के उद्देश्य से महायोजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों/उपयोगों की अनुमन्यता को सरलीकरण, व्यवहारिक तथा समय की मांग के अनुसार अनुक्रियाशील बनाए जाने हेतु आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स बनाए गए। प्रदेश के नगरो को प्रदूषण मुक्त करने, पर्यावरण सुधार, नगरों को हरित एवं सुन्दर बनाने के उद्देश्य से ''आपरेशन ग्रीन अभियान'' के रूप में सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया।

शासन की पारदर्शिता नीति के अन्तर्गत विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद में ''नागरिक अधिकार पत्र'' लागू किया गया। जन-सामान्य को पत्रावली एवं अभिलेख निर्धारित शुल्क जमा करने पर देखने, प्रतिलिपि उपलब्ध कराने तथा जन-सामान्य से सम्बन्धित विभागीय शासनादेशों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की व्यवस्था लागू की गई। विकास प्राधिकरण तथा विनियमित क्षेत्रों के अन्तर्गत विकास एवं निर्माण विनियमन की जटिलताओं को समाप्त कर नियमों, कानूनों को सरल एवं व्यवहारिक बनाया गया ताकि जनता का उत्पीड़न न होने पाए।

विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद की वित्तीय एवं प्रशासनिक नियन्त्रण व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया, उनके कार्य-कलापों के अनुश्रवण प्रणाली विकसित की गई एवं नियमित अनुश्रवण, अधिष्ठान व्यय पर नियन्त्रण, अर्जित आय में वृद्धि हेतु प्रयास किए गए। प्रत्येक विकास प्राधिकरण का नियमित ''मैनेजमेन्ट आडिट'' करने हेतु व्यवस्था लागू की गई। आवास विभाग के अधीन कार्यरत विभागों के कार्मिकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था लागू की गई। आवास विभाग के अधीन कार्यरत विभागों के कार्मिकों के लए सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।

प्रस्तुत संकलन में उपरोक्त कार्यक्रमों तथा नीतिगत सुधारों के सम्बन्ध में आवास विभाग द्वारा जारी महत्वपूर्ण शासनादेश शामिल किए गए हैं। समस्त शासनादेशों को उनके विषयानुसार अलग-अलग अध्यायों में वर्गीकृत किया गया है ताकि उपयोगकर्ता को संदर्भ लेने में सुविधा रहे। मुझे विश्वास है कि यह संकलन आवास सेक्टर से सम्बन्धित नीतियों, कार्यक्रमों एवं महत्वपूर्ण सुधारों की जानकारी उपलब्ध कराने में सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक संस्थाओं/विभागों तथा आवास निर्माण में कार्यरत निजी निर्माताओं, सहकारी आवास समितियों, तथा वास्तुविदों के साथ-साथ सामान्य जनता के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

लालजी टण्डन
मन्त्री
आवास एवं नगर विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन

22 फरवरी 2002

विषय सूची

क्र.स.	विषय	शासनादेश संख्या	दिनांक	पृष्ठ सं.
1	**सम्पत्ति प्रबन्धन**			**1–48**
	■ छूट / रियायत / प्राथमिकता			
1.	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद एवं विकास प्राधिकरणों में मा0 विधायकों को प्राथमिकता के आधार पर भवन आवंटित करने के सम्बन्ध में।	5140 / 9–आ–1–99 / 699 डी.ए. / 1998	18.11.1999	1
2.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद एवं विकास प्राधिकरणों में मा0 विधायकों को प्राथमिकता के आधार पर भवन / भूखण्ड आवंटित करने एंव जनसामान्य को भवन / भूखण्ड आवंटित करने के सम्बन्ध में।	5402(1) / 9–आ–1–2000 / 699 डी ए 1998	29.12.2000	2
3.	शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के लिए अवरोधमुक्त परिसर के मानकों के अनुसार आवास उपलब्ध / निर्मित कराए जाने के सम्बन्ध में।	1372 / 9–आ–1–29–विविध / 98	19.03.2001 (आ.ब.)	4
4.	समाज के विकलांग व्यक्तियों को रियायती दर पर भवन एवं भूखण्ड उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।	1967 / 9–आ–1–2001–6 रिट / 20	27.04.2001	6
5.	आश्रय योजना एवं दुर्बल आय वर्ग आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित भवनों के निबन्धन हेतु निष्पादित किये जाने वाले विक्रय या पट्टे के लिखतों पर स्टैम्प शुल्क में छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	2579 / 9–आ–2–2001–3एच.बी. (122) / 2001	24.08.2001	8
	■ भ–ूअर्जन			
6.	भू–अर्जन के फलस्वरूप घोषित अभिनिर्णय के सम्बन्ध में।	4038 / 9–आ–3–2000–01 विविध / 2000	18.12.2000	12
7.	विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में अर्जित की गयी भूमि का उपयोग / निस्तारण जब तक न कर दिया जाये तब तक उनके द्वारा नई भूमि को अर्जन पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में।	1024 / 9–आ–3–2001	31.03.2001	14
8.	नियोजन की दृष्टि से 10 एकड़ से कम भूमि को अर्जित न किये जाने के सम्बन्ध में।	4215 / 9–आ–3–2001 –176 एच.ए. / 2001	19.10.2001	15
9.	शासन के समक्ष प्रेषित भू–अर्जन के प्रस्तावों के परीक्षण के सम्बन्ध में।	3759 / 9–आ–3–2001–58एल.यू. सी. / 2000	26.11.2001	16

■ओ.टी.एस.			
10. वितथ समाधान योजना–एक बार समाधान (ओ.टी.एस.)	1282/9–आ–1–1वि/2000	24.04.2000	17
11. वितथ समाधान योजना–एक बार समाधान (ओ.टी.एस.)	3228/9–आ–1–2001–01वि0/2001	26.06.2001	18
12. वितथ समाधान योजना–एक बार समाधान (ओ.टी.एस.) का लाभ आवासीय सह–व्यवसायिक सम्पत्तियों के आवंटियों को प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	4611/9–आ–1–01–01वि/2000	11.09.2001	23
■ सम्पत्ति निस्तारण			
13. सम्पत्तियों के किराये पर आवंटन पर रोक–विकास प्राधिकरण तथा तत्कालीन इन्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की किराये पर उठी अमितव्ययी सम्पत्तियों का निस्तारण।	882/9–आ–1–2001–72 बैठक/1998	16.02.2001	24
14. विकास प्राधिकरणों एवं आवास विकास परिषद की सम्पत्तियों की कास्टिंग के लिए आदर्श मार्गदर्शक सिद्धान्त (गाइड लाइन्स) के सम्बन्ध में।	4049/9–आ–1–99/16 समिति/1998	20.11.1999	25
15. उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा सम्पत्तियों की नीलामी हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्त।	378/9–आ–1–सम्पत्तियाँ/आ.ब./2001	20.06.2001	33
16. विकास प्राधिकरणों/आवास एवं विकास परिषद द्वारा विकसित की गई कालोनियों को स्थानीय निकायों तथा जल संस्थानों के हस्तान्तिरित करने हेतु दिशा निर्देश।	2337/9–आ–2–2001	27.07.2001	36
■ भूमि समायोजन			
17. विकास प्राधिकरण व आवास एवं विकास परिषद की योजनाओं में निबन्धित सहकारी आवास समितियों की भूमि को अविकसित क्षेत्र के रूप में समायोजन हेतु नीति निर्धारण।	1885/9–आ–3–1998/20 एल.ए./92	27.04.2001	41
18. निबन्धित सहकारी आवास समितियों की भूमि के समायोजन के सम्बन्ध में।	3718/9–आ–3–2000–20 एल.ए./92 टी.सी.	10.12.2001	43
■ रजिस्ट्री/फ्री–होल्ड विलेख			
19. कानपुर विकास प्राधिकरण के मूल पट्टाधारक द्वारा प्रदत्त मुख्तारनामे के आधार पर भूखण्ड/भवन का फ्री–होल्ड विलेख निष्पादन के सम्बन्ध में।	3431/9–आ–1–2001–213 डी.ए./94	30.06.2001	46
20. सम्पत्तियों के आवंटन में आवंटियों के पक्ष में रजिस्ट्री किए जाने के समय में पत्नी अथवा पति, जैसी स्थिति हो, का नाम सम्मिलित किए जाने के सम्बन्ध में।	645/9–आ–2–2001	08.03.2001	47
21. सम्पत्तियों के आवंटन में आवंटियों के पक्ष में रजिस्ट्री किए जाने के समय में पत्नी अथवा पति, जैसी स्थिति हो, का नाम सम्मिलित किए जाने के सम्बन्ध में।	1910/9–आ–2–2001	30.06.2001	48

2–नजूल भूमि का प्रबन्धन			49–58
1. आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को सामर्थ्य व क्षमता के आधार पर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निर्माण कार्य के निमित्त नजूल भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।	3865/9–आ–4–99–433 एन/97	10.01.2000	49
2. नजूल भूमि के फ्री–होल्ड किये जाने वाले मामलों की जनपदीय सूचनाओं के प्रेषण के सम्बन्ध में।	275/9–आ–4–2001–593एन/2000	31.01.2001	50
3. नजूल भूमि के फ्री–होल्ड हेतु लम्बित आवेदन पत्रों का अविलम्ब निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में।	एम.एस.01/9–आ–4–2001–16 एन/2000	13.02.2001	51
4. नजूल भूमि फ्री–होल्ड हेतु अपात्र होने, भूमि नजूल भूमि न होनें तथा निर्धारित समय में धनराशि जमा न करने पर आवेदन पत्र निरस्त किये जाने की दशा में स्वमूल्यांकन की धनराशि में से प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में 500/ कटौती किये जाने के सम्बन्ध में।	1032/9–आ–4–2000–535एन/2000	21.03.2001	52
5. आवेदन पत्र निरस्त होने पर नजूल फ्री–होल्ड हेतु जमा स्वमूल्याकंन की 25 प्रतिशत धनराशि वापस किया जाना।	1677/9–आ–4–2001–603एन/2000	11.06.2001	53
6. निर्धारित समयावधि के बाद फ्री–होल्ड के मामलों में रजिस्ट्री हेतु छूट स्टाम्प शुल्क में अनुमन्य ना किये जाने के सम्बन्ध में।	1955/9–आ–4–2001	13.07.2001	56
7. नजूल भूमि के फ्री होल्ड की मासिक प्रगति आख्या के प्रेषण हेतु प्रोफार्मा के सम्बन्ध में।	1955(2)/9–आ–4–2001	13.07.2001	57
8. नजूल भूमि फ्री–होल्ड नीति मार्गदर्शिका के पृष्ठ–7 प्रस्तर–6 एवं पृष्ठ–16 के क्रमांक–16 पर अंकित जिज्ञासा एवं समाधान का स्पष्टीकरण।	2066/9–आ–4–2001–388एन/2001	20.08.2001	58
3–नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम – 1976			**59–67**
1. नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियमन–1976 के अर्न्तगत सीमाधिक्य अतिरिक्त रिक्त शुद्ध रूप से निर्विवादित शासन के कब्जे में प्राप्त होने का निस्तारण।	1623/9–न. मू. 2000–1011 यू.सी./2000	24.08.2000	59
2. नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियमन–1976 के निरसन होने के उपरान्त अवशेष लम्बित कार्यवाही के सम्बन्ध में।	190/9–आ–6–2001–135 यू.सी./99	24.03.2001	60
3. नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियमन–1976 के अन्तर्गत अतिरिक्त रिक्त घोषित भूमि से सम्बन्धित अभिलेखों की छायाप्रतियां कराने के सम्बन्ध में।	424/9–आ–6–2001–1006 यू.सी./99	09.04.2001	61

4. संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (2) के अनुसारण में नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) निरसन अध्यादेश, 1999 (अध्यादेश सं0 5 सन् 1999) जो राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित केन्द्रीय अध्यादेश है के अंगीकरण के सम्बन्ध में।	688/9–आ–6–2001–216 यू.सी./90 टी.सी.	17.05.2001	62
5. नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियमन–1976 के प्रदेश से निरसन के उपरान्त नगर भूमि सीमारोपण निदेशालय एवं नगर–बस्तियों के छटनीशुदा कर्नियों का सरकारी सेवा में आलेख हेतु अर्हताएं एवं अनुमन्यता।	1540/9–आ–6–2000–1006 यू.सी./99 टी.सी.	31.05.2001	64
6. नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियमन–1976 के प्रदेश से निरसन हो जाने के उपरान्त शासन में धारा 10 (3) में निहित हो चुकी भूमि के बारे में ऐसी स्थिति में जब 10 (5) अथवा 10 (8) की कार्यवाही स्पष्ट न हो।	2059/9–आ–6–2001–135 यू.सी./99	23.10.2001	66
4–स्वैच्छिक शमन			**68–80**
1. विकास प्राधिकरण में लम्बित स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों एवं भू–उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रस्तावों का समयबद्ध निस्तारण करने विषयक।	5244/9–आ–1–2000–57 बैठक 2000	05.12.2000	68
2. शमन के केसों में प्राधिकरण के द्वारा किये गये निर्णय के विरूद्ध होने वाली अपीलों का निस्तारण।	5063/9–आ–1–शमन/2000 (आ.ब.)	29.12.2000	69
3. स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत पार्किंग क्षेत्र की कमी हेतु शमन की कार्यवाही के सम्बन्ध में।	964/9–आ–1–2001 (आ.ब.)	22.02.2001	71
4. कानपुर नगर के विभिन्न क्षेत्रों में गेस्ट हाउस/बारातघरों के निर्माण को आवासीय अथवा व्यवसायिक भू–उपयोग मानते हुए, शमन किये जाने के सम्बन्ध में।	1240/9–आ–1–2001 (आ.ब.)	8.02.2001	73
5. स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत भू–उपयोग परिवर्तन हेतु निर्धारित प्रक्रिया में संशोधन तथा अशमनीय उल्लंघनों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।	2583/9–आ––2001 22काम्प/2001 (आ.ब.)	13.06.2001	74
6. स्वैच्छिक शमन योजना के अन्तर्गत आंशिक भू–उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रकरणों में परिवर्तन शुल्क लिए जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।	466/9–आ–1–2001 (आ.ब.)	15.09.2001	80
5–विकास एवं निर्माण विनियमन			
■ भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/मानक			**81–177**
1. विकास एवं भवन निर्माण विनियमन की कार्यवाही भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 के अनुसार किए जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।	5496/9–आ–1–29 विविध/98	30.12.2000	81

2. विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में आवश्यक संशोधन।	4784/9–आ–1–29 विविध/98 (आ.ब.)	15.09.2001	82
3. विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में आवश्यक परिष्कार। (संशोधन)	3002/9–आ–1–29 विविध/98	08.06.2001	84
4. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में आवश्यक परिष्कार।	4930/9–आ–1–29 विविध/98	25.09.2001	90
5. झांसी विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में आवश्यक परिष्कार।	5631/9–आ–1–29 विविध/98/ (आ.ब.)	16.10.2001	92
6. बुलन्दरशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में आवश्यक परिष्कार।	5632/9–आ–1–29 विविध/98/ (आ ब.)	16.10.2001	93
7. मुरादाबाद विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में आवश्यक परिष्कार।	5633/9–आ–1–29 विविध/98 /(आ.ब.)	16.10.2001	94
8. मेरठ विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में आवश्यक परिष्कार।	5634/9–आ–1–29 विविध/98 /(आ.ब.)	16.10.2001	95
9. उन्नाव विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में आवश्यक परिष्कार।	5635/9–आ–1–29 विविध/98/ (आ.ब.)	16.10.2001	96
10. सहारनपुर विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में आवश्यक परिष्कार।	5636/9–आ–1–29 विविध/98/ (आ.ब.)	16.10.2001	97
11. गोरखपुर विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में आवश्यक परिष्कार।	5637/9–आ–1–29 विविध/98/ (आ.ब.)	16.10.2001	98
12. वाराणसी विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में आवश्यक परिष्कार।	5638/9–आ–29–विविध/98 (आ.ब.)	16.10.2001	99
13. बरेली विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में आवश्यक परिष्कार।	5760/9–आ–1–29 विविध/98 (आ.ब.)	24.10.2001	100
14. अलीगढ़ विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में आवश्यक परिष्कार।	6000/9–आ–1–29 विविध/98 (आ.ब.)	15.11.2001	101
15. हापुड़–पिलखुआ विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में आवश्यक परिष्कार।	6658/9–आ–29 विविध/98 (आ.ब.)	21.12.2001	102
16. बांदा विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में आवश्यक परिष्कार।	6659/9–आ–1–29 विविध/90 (आ.ब.)	21.12.2001	103
17. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में आवश्यक परिष्कार।	6782/9–आ–1–29 विविध/98 (आ.ब.)	31.12.2001	104
18. भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत ग्रुप हाउसिंग तथा अन्य बहुमंजिली इमारतों के निर्माण का विनियमन।	2897/9–आ–3–2001/19विविध /2001	09.07.2001	105
19. बहुमंजिले भवनों हेतु छोड़े जाने वाले सेट–बैक में पार्किंग की अनुमन्यता के सम्बन्ध में।	5875/9–आ–1–20 विविध/98 (आ.ब.)	05.11.2001	107

20. भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 के लागू होने से पूर्व अनुमोदित ले–आउट प्लान्स में निर्धारित सैट–बैक्स की वैधता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।	5683/9–आ–1–29 विविध/98 (आ.ब.)	20.10.2001	109
21. आवासीय क्षेत्रों में नर्सिंग होम की स्थापना हेतु नीति निर्धारण।	3174/9–आ–3–2001–26 एल.यू. सी./91	18.07.2001	111
■ मानचित्र स्वीकृति			
22. पर्यटन हित में विद्यमान होटलों में लिफ्ट लगाये जाने के हेतु मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया में सरलीकरण।	4137/9–आ–3–2000–03 वि/99	06.12.2000	113
23. सहकारी आवास समितियों द्वारा सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा के उपरान्त विकसित की जाने वाली कालोनियों /क्षेत्रों के आवासीय भवन मानचित्र स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।	780/आ.ब.–अ.नि./भवन उपविधि /2000	26.12.2000	115
24. भवन मानचित्र की स्वीकृति प्रकिया।	5495/9–आ–1(आ.ब)विविध/2000	30.12.2000	116
25. उत्तर प्रदेश राज्य उद्योग विकास निगम की योजनाओं के मानचित्रों की स्वीकृति की व्यवस्था।	2997/9–आ–3–2001–3/19 विविध/2001	06.08.2001	117
26. सरकारी/निजी भवनों के निर्माण में जल प्रवाहित शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के पश्चात् भवन निर्माण हेतु मानचित्र पास किया जाना।	549/आ.ब.–4/नियोजन–एल.सी. एस./2001	31.10.2001	118
■ सेल्यूलर/मोबाईल सर्विस			
27. सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सर्विस के प्रयोजनार्थ प्रदेश के विकास क्षेत्रों में टावर के निर्माण हेतु।	3369/9–आ–3–97–100 वी./97	24.01.1998	119
28. नगरों की महायोजना में सेलुलर मोबाईल टेलीफोन सर्विस के प्रयोजनार्थ आवश्यक निर्माण को अनुमन्य किया जाना।	218/9–आ–3–98–100 विविध/97	16.03.1998	120
■ मल्टीप्लेक्सेज़/छविगृह			
29. फिल्म नीति–1999 के अनुरूप मल्टीप्लेक्सेज़/ छविगृहों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाना एवं मल्टीप्लेक्स के निर्माण हेतु मानकों का निर्धारण।	4218/9–आ–3–99–42 विविध /99 (आ.ब.)	14.12.2000	121
30. फिल्म नीति–1999 के अनुरूप मल्टीप्लेक्स के निर्माण हेतु निर्धारित मानकों में आवश्यक परिष्कार।	1663/9–आ–3–07–42 विविध /99 (आ.ब.)	18.04.2001	124
31. फिल्म नीति–1999 के अनुरूप मल्टीप्लेक्सेज़/ छविगृहों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाना एवं मल्टीप्लेक्स के निर्माण हेतु मानकों का निर्धारण।	675/9–आ–3–2001–42 विविध/99 (आ.ब.)	16.04.2001	126
32. मल्टीप्लेक्स छविग्रहों के निर्माण के सम्बन्ध में मार्ग निर्देश।	970/11–क.नि.–6–2001–बीस. एम. (158)/99 टी0सी0	30.04.2001	128
33. मल्टीप्लेक्स छविगृहों के निर्माण के सम्बन्ध में मार्ग निर्देश।	1262/11–क.नि.–6–2001–बीस. एम.(158)/99टी0सी0	06.06.2001	129

■ भूकम्परोधी व्यवस्था			
34. नये भवन निर्माण एवं महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं में भूकम्परोधी व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।	570/9–आ–1–2001 भुकम्परोधी/2001 (आ.ब.)	03.02.2001	130
35. नये भवन निर्माण एवं महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण में भूकम्परोधी व्यवस्था करने के सम्बन्ध में अतिरिक्त शर्तें।	772/9–आ–1–2001–भुकम्परोधी/2001 (आ.ब.)	13.02.2001	139
36. नये भवन निर्माण एवं महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं में भूकम्परोधी व्यवस्था करने हेतु 'स्ट्रकचरल इंजीनियर्स', 'साईट सिविल इंजीनियर्स' तथा 'विशेषज्ञ निरीक्षकीय सिविल इंजीनियर्स' की अर्हता का निर्धारण।	3751/9–आ–1–2001–भुकम्परोधी 2001 (आ.ब.)	20.07.2001	143
■ रेन वाटर हार्वेस्टिंग			
37. ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिचार्जिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धतियों का अपनाए जाने के सम्बन्ध में।	1703ए/9–आ–1–29–विविध/98 (आ0ब0)	12.04.2001	148
38. रेन वाटर हार्वेस्टींग पद्धतियों को अपनाये जाने हेतु मार्गदर्शन के लिए 'एक्शन ग्रुप' के गठन के सम्बन्ध में।	4588/9–आ–1–2001–29विविध/98(आ.ब.)	06.08.2001	150
39. ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिचार्जिंग से सम्बन्धित स्टैण्डिंग ग्रुप गठित किये जाने के सम्बन्ध में।	4783/9–आ–1–2001–29 विविध/98 (आ.ब.)	15.09.2001	151
■ जोनिंग रेगुलेशन्स			
40. सूचना प्रौद्योगिकी के प्रोत्साहन हेतु समस्त विकास क्षेत्र एवं 32 विनियमित क्षेत्रों की महायोजनाओं के जोनिंग रेगुलेशन में संशोधन के सम्बन्ध में।	958/9–आ–3–2001	12.03.2001	152
41. नगरों की महायोजनाओं के अन्तर्गत संशोधित आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	379/9/आ–3–72 वि0/94	25.01.2001	156
■ शुल्क/फीस निर्धारण			
42. महायोजना में निम्न भू–उपयोग से उच्च भू–उपयोग में परिवर्तन के लिए शुल्क का निर्धारण।	1716/9–आ–3–99–53 एल.यू.सी./97	15.07.1999	158
43. महायोजना में निम्न भू–उपयोग से उच्च भू–उपयोग में परिवर्तन के लिए शुल्क का निर्धारण।	3864/9–आ–3–2001–2 एल.यू.सी./99	17.04.2001	160
44. महायोजना में निम्न भू–उपयोग से उच्च भू–उपयोग में परिवर्तन के लिए शुल्क का निर्धारण।	3712/9–आ–3–2000–26– एल.यू.सी./91	21.08.2001	161
45. वात्सल्य ग्राम मथुरा–वृन्दावन मार्ग, वृन्दावन–मथुरा का भू–उपयोग परिवर्तन निःशुल्क किये जाने के संबंध में।	1493/9–आ–3–2001–69 एल.यू.सी./2000	12.04.2001	164
46. क्रय योग्य एफ0ए0आर0 हेतु शुल्क की गणना करने के संबंध में।	981/9–आ–3–2001–2 अ.नि./89	27.03.2001	165
47. भवन मानचित्र तथा तलपट मानचित्र की स्वीकृति के पर्यवेक्षण/निरीक्षण शुल्क का निर्धारण।	6000/9–आ–3–2001	09.07.2001	166

48. भवन निर्माण मानचित्र पर देय अम्बार फीस	1279/9–आ–3–2001–33 काम्प/98 टी0सी0	02.08.2001	167
49. स्कूल/शिक्षण संस्थाओं से भूखण्ड के क्षेत्रफल के बजाय निर्मित क्षेत्र के आधार पर विकास शुल्क लिए जाने के सम्बन्ध में।	4108/9–आ–3–2001–26 एल.यू.सी./99	26.12.2001	168
■अन्य			
50. मथुरा महायोजना के भू–उपयोग एवं निर्माण व विकास नियंत्रण में संशोधन के सम्बन्ध में।	1569/9–आ–3–2000–02 एल.यू.सी./99	22.05.2000	169
51. वृन्दावन छटीकरा मार्ग से संलग्न क्षेत्रों का भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।	6226/9–आ–3–99–02– एल.यू.सी./99	21.01.2000	171
52. मथुरा वृन्दावन विकास क्षेत्र में संशोधन।	2426/9–आ–6–2001–2 (विविध)/2001	31.10.2001	172
53. लीज़ पर आवंटित भूखण्डों पर भवन निर्माण करने के सम्बन्ध में।	5068/9–आ–1–भूखण्ड (आ.ब.) /2001	14.02.2001	174
54. गंगा नदी के तट पर बसे नगरों में किनारे से 200 मीटर तक किसी भी प्रकार की गतिविधियों को अनुमन्य न किये जाने के प्रतिबन्ध का शिथिलीकरण।	840/9––आ.–3–2001–127 काम्प/99	11.04.2001	175
55. उ0प्र0 पर्यटन नीति, 1998 अन्तर्गत नगर योजना में पर्यटन प्रयोजन हेतु भूखण्ड चिन्हित किया जाना।	2179/9–आ–3–99–18 वि0/99	07.06.1999	177
6 अवैध निर्माण नियन्त्रण			**178–202**
1. अवैध निर्माणों पर अंकुश लगाये जाने हेतु उत्तरदायित्वों के निर्धारण के सम्बन्ध में।	172/9–आ–3–2001	22.01.2001	178
2. अवैध निर्माणों को चिन्हित करते हुए निर्माण अवधि में कार्यरत रहे अभियंताओं की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।	356/9–आ–3–2001–22 काम्प/2001	06.02.2001	181
3. बड़े व गम्भीर अवैध निर्माणों के ध्वस्तीरण हेतु प्राथमिकताएं एवं वरीयता कम के निर्धारण के सम्बन्ध में।	1664/9–आ–3–2001–289 काम्प/98	18.04.2001	182
4. नियोजित रूप से विकसित कालोनियों में भूमि/भवन के अवैध उपयोग के वि0 उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अधीन कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।	2444/9–आ–1–2001(आ.ब.)	15.05.2001	184
5. अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में।	5097/9–आ–3–2001 (आ.ब.)	26.05.2001	187
6. अनाधिकृति कालोनियों के नियमितीकरण एवं अनाधिकृत कब्जे/अबैध निर्माण के विरूद्ध की जा रही ध्वस्तीरकण की कार्यवापही के संबंध में।	2657/9/आ–3–2001–194 काम्प/2001	25.06.2001	199

7. अतिक्रमण/अवैध निर्माण के नियंत्रण हेतु अभियान चलाना तथा अतिक्रमण/अवैध निर्माण हेतु उत्तरायी अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में।	1335/9–आ–3–2001–22 काम्प/2001	19.07.2001	200
8. नियमितीकरण पात्रता हेतु अनधिकृत कालोनी के न्यूनतम आकार के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।	410/9–आ–3–2001 (आ.ब.)	28.01.2001	201
7–संगठित विकास योजना (आई.डी.एस.एम.टी.)			**203–207**
1. संगठित विकास योजनान्तर्गत उपलब्ध करायी गयी ऋण/अनुदान की धनराशि के रख–रखाव, आहरण एवं वितरण के सम्बन्ध में।	859/9–आ–1–01–24आईडी एसएमटी/94	19.09.2001	203
2. छोटे तथा मध्यम आकार के नगरों के एकीकृत नगर विकास की योजना हेतु अनुश्रवण समिति के गठन के सम्बन्ध में स्वीकृति हेतु।	4522/9–आ–1–01–2आईडी एसएमटी/80	24.09.2001	204
3. छोटे तथा मध्यम आकार के नगरों की संगठित विकास योजना के ऋण/ अनुदान प्राप्त योजनाओं के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों से हुई आय का उपयोग करने के सम्बन्ध में।	4738/9–आ–1–2001	23.10.2001	206
8–राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.)			**208–216**
1. उत्तर प्रदेश प्रभाग में एन.सी.आर. योजना बोर्ड द्वारा वित्त पोषित योजनाओं हेतु एन.सी.आर. योजना खाते की स्थापना।	1224/9–आ–1–2000–3 एन.सी. आर/ 2000	07.04.2000	208
2. एन.सी.आर. में नयी दिल्ली से वित्त पोषित होने वाली योजनाओं की प्रगति के अनुश्रवण हेतु उ0प्र0 में नियोजन प्रकोष्ठ को सुद्धीकरण किये जाने हेतु एन.सी.आर. उ0प्र0 समन्वय परिषद के गठन के संबंध में।	1434/आ–1–2001–8 एन.सी. आर/2000 टी.सी.–1	07.04.2001	210
3. एन.सी.आर. के कामन इकोनोमिक जोन हेतु स्टडी ग्रुप्स के गठन के सम्बन्ध में।	14011/47/जे.डी.(टी)/2000/ एन.सी.आर.पी.सी.	08.08.2001	213
9–सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.)			**217–252**
1. नगरीय अवस्थापना सुविधा हेतु शासन द्वारा तैयार किए गये डेटा–बेस के अद्यावधिक किये जाने के सम्बन्ध में।	4830/9–आ–1–2000	02.11.2000	217
2. कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय–व्ययक (Perfomance Budget) में ई–गवर्नेन्स सम्बन्धित सूचना सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।	422/78–आई.टी.–2001	16.03.2001	218
3. आवास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की वेबसाईट हेतु वेब मास्टर की नियुक्ति के सम्बन्ध में।	368/9–आ–1–2001/(आ.ब.)	08.07.2001	220
4. समस्त निविदाओं एवं अन्य सार्वजनिक सूचनाओं को वेबसाइट में उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।	310/आ.ब.–1/वेबसाइट–निविदा प्रकाशन/2001	10.07.2001	221

5. स्टेन्डर्ड भवन मानचित्रों के सम्बन्ध में।	393/आ.ब.–4/स्टैन्डर्ड म.मा.2001	16.08.2001	222
6. शासन द्वारा शासकीय कार्यों, अवस्थापना के नियोजन, परियोजनाओं की संरचना तथा नियोजन प्रकिया को कम्प्यूटरीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	408/आ.ब.–अ.नि./न.नि. गोरखपुर/2000	20.08.2001	223
7. आवास विभाग उ0प्र0शासन के आई.टी. टास्क फोर्स के गठन के सम्बन्ध में	4849/9–आ–1–2001	05.10.2001	224
8. उत्तर प्रदेश सरकार के विभागों के इन्टरनेट वेबसाइट के सम्बन्ध में।	430/78–आई.टी.–2001	30.04.2001	226
9. विभागीय एप्लीकेशन साफ्टवेयर का विकास किये जाने के सम्बन्ध में।	505/78–आई.टी.–2001	30.04.2001	232
10. कम्प्यूटर कय प्रकिया का निर्धारण।	1056/78–आई.टी.–2001/25 आई.टी./2001	01.08.2001	234
11. विभागीय सिस्टम साफ्टवेयर का विकास किये जाने के सम्बन्ध में।	1142/78–आई.टी.–2001	09.08.2001	236
12. कम्प्यूटर कय प्रकिया का निर्धारण।	08/78–आई.टी.–2–2001	12.09.2001	237
13. उत्तर प्रदेश सरकार तथा उसके अधीन कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाले कम्प्यूटर की मिनिमम गुणवत्ता निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।	344/78–आई.टी.–2–2001	27.11.2001	240
14. सरकारी सेवकों/निगमों/निकायों एवं समितियों के कार्मिकों/अध्यापकों हेतु कम्प्यूटर प्रशिक्षण।	1157/78–आई.टी.2001	13.08.2001	241
15. सरकारी सेवकों/निगमों/निकायों एवं समितियों के कार्मिकों/अध्यापकों हेतु कम्प्यूटर प्रशिक्षण।	359/78–आई.टी.–2001	29.11.2001	251
10–नागरिक अधिकार–पत्र			**253–258**
1. आवास विभाग द्वारा जारी "नागरिक अधिकार पत्र" के प्रचार–प्रसार के सम्बन्ध में।	166/9–आ–2001 (आ.ब.)	15.01.2001	253
2. सिटीजन चार्टर को प्रभावी बनाने हेतु कम्प्यूटर्स पर ऑन–लाईन व्यवस्थायें प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त किये जाने के सम्बन्ध में।	804/9–आ–6–2001	01.05.2001	254
3. आवास एवं विकास परिषद् तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा नागरिक अधिकार पत्र जारी किये जाने एवं उसका अनुपालन।	999/9–आ–6–2001–1021 यू0सी0/98 टी0सी0	24.05.2001	256
4. सिटीजन चार्टर का कियान्वयन किये जाने के सम्बन्ध में।	1639/9–आ–6–2001–1021 यू0सी0/98	07.08.2001	257
5. सिटीजन चार्टर के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।	1775/9–आ–6–2001–102 यू0सी0/98 टी0सी0 (आ.ब.)	21.08.2001	258

11–सिस्टम सुधार

259–292

■ पारिदर्शिता / शिकायत समाधान			
1. जन–मानस की समस्याओं का त्वरित निराकरण।	3869 / 9–आ–1–2000	28.08.2000	259
2. जनकल्याण पारदर्शिता, नागरिक अधिकारों इत्यादि से सम्बन्धित कार्यवाहियों के निरीक्षण के सम्बन्ध में।	165 / 9–आ–1–2001 (आ.ब.)	15.01.2001	260
3. शिकायतों की जॉच हेतु विभागीय व्यवस्था के सम्बन्ध में।	5099 / 9–आ–1–2001	20.04.2001	261
4. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, जल निगम, सूडा, विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम / नगरपालिका परिषद के कार्यों के सम्बन्ध में शासन में प्राप्त शिकायतों की जॉच हेतु पैनल का गठन।	6259 / 9–आ–1–आ.ब.–2 / विकास– पैनल / 2001	01.12.2001	263
5. आवास विभाग के अन्तर्गत भ्रष्टाचार के विरूद्ध कार्य योजना।	2200 / 9–आ–1–2001–1020 / यू.सी. / 98	31.12.2001	270
6. आवास बन्धु द्वारा विकास एवं आवास निर्माण से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान एवं मार्ग दर्शन हेतु, प्रोसेसिंग शुल्क के निर्धारण के सम्बन्ध में।	6153 / 9–आ–1–प्रोसेसिंग शुल्क / 2001	24.11.2001	273
7. शासकीय कार्यक्रमों का समयबद्ध कियान्वयन, गुणवत्ता तथा आकस्मिक निरीक्षण सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।	234 / पी.एस.पी.एस.एच / 2001	02.11.2001	275
■ मितव्ययता			
8. प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता।	405 / 9–आ–1–2001–4बजट / 2001	24.01.2001	277
9. विद्युत आपूर्ति पर नियन्त्रण एवं बिजली की बचत।	4173 / 9–आ–1–2001	13.08.2001	281
10. वाहनों के प्रतिस्थापन हेतु स्वीकृत धनराशि के आहरण के पूर्व निष्प्रयोज्य–वाहनों की नीलामी एवं प्राप्त राशि को राजकीय कोष में जमा कराया जाना।	6269 / 9–आ–5–2000	02.02.2000	282
■ अन्य			
11. विनियमित क्षेत्रों के अन्तर्गत विकास / निर्माण विनियमन कार्य–कलापों की प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में।	यू.ओ. 151 / 9–आ–3–1999	14.08.1999	283
12. प्रदेश में विकास प्राधिकरणों / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की दोषपूर्ण कार्यप्रणाली तथा रचना के सम्बन्ध में।	3587 / 9–आ–5–2000–194ई / 97	23.02.2000	285
13. आर्किटेक्ट / बिल्डर्स एसोसिएशन के साथ प्राधिकरणों की नियमित बैठक किए जाने के सम्बन्ध में।	164 / 9–आ–1–2001 (आ.ब.)	15.01.2001	286
14. बोर्ड बैठक आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।	1106 / 9–आ–1–(आ.ब.) बोर्ड बैठक / 2001	01.03.2001	287
15. मा0 आवास मंत्री जी, मा0 आवास राज्य मंत्री जी के जनपद भ्रमण के समय आवास विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति के सम्बन्ध में।	229 / 9–आ–2–2001–3 एच.वी. (31) / 2001	05.02.2001	289

16. मा0 मंत्रिगणों के जनपद भ्रमण पर विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति तथा शिष्टाचार का पालन।	678/9–आ–2–2001–3 एच.वी. (31) /2001	01.03.2001	290
17. आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश लखनऊ के लेखा–जोखा पारदर्शिता के सम्बन्ध में।	732/आ.ब./2000	29.11.2000	292
12–कार्मिक प्रबन्धन			**293–332**
■ प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा			
1. विकास प्राधिकरणों के कर्मियों (केन्द्रीयत/अकेन्द्रीयत सेवा) को पेंशन सुविधा अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में।	1692/9–आ–5–99–18 ई/99	05.10.1999	293
2. राज्य प्रशिक्षण नीति 1999 के कियान्वयन के अनुकम में उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीय सेवा के समस्त कर्मियों के प्रशिक्षण हेतु, प्रोग्राम तैयार करने हेतु, समिति के गठन के सम्बन्ध में।	132/9–आवास–5–2000	13.01.2000	296
3. विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा के कार्मिकों को सेवा पुस्तिका खोलने एवं पी0एफ0, जी0आई0एस0 आदि की कटौतियों के सम्बन्ध में।	129/9–आ–5–2000	21.01.2000	299
4. वेतन समिति उ.प्र./(1998) के चतुर्थ प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में विभिन्न पदों का दि. 01.01.96 से पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति संबंधी शासनादेश दि. 13.8.1996 में संशोधन।	3010/9–आ–5–2000–112 विविध/2000	17.01.2001	300
5. वर्ष 2000 में उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा के विभिन्न संवर्गों में कार्यरत कर्मियों के वार्षिक स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।	926/9–आ–5–2000–71ई/2000	25.04.2000	301
6. प्राधिकरणों मे विभिन्न शाखाओं के अधिक एक ही पटल पर लम्बी अवधि से कार्यरत कार्मियों के स्थानान्तरण एवं उनकी तैनाती के सम्बन्ध में नीति निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।	254/9–आ–5–2001–14 विविध /2001	12.02.2001	303
7. उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत/अकेन्द्रीयत सेवा के कार्मिकों द्वारा अर्जित चल–अचल सम्पत्तियों का वार्षिक विवरण दिये जाने के सम्बन्ध में।	253/9–आ–5–2001–12 ई/2001	17.02.2001	304
8. अनिवार्य सेवा–निवृत्ति के सम्बन्ध में दक्षता सुनिश्चित किये जाने हेतु स्क्रीनिंग कमेटी के गठन के सम्बन्ध में।	107/नौ–आ–5–2001–7 विविध 2001	20.2.20001	307
9. विभिन्न विकास प्राधिकरणों के अकेन्द्रीयत व केन्द्रीयत सेवा के अधिकारियों/कार्मिकों के प्रथम नियुक्ति के समय चल एवं अचल सम्पत्तियों का विवरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।	1272/9–आ–5–2001–123/2001	24.5.2001	312
10. उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा के अन्तर्गत अधिशाषी/सहायक/अवर अभियन्ताओं का विभिन्न विकास प्राधिकरणों में निर्माण एवं विकास व्यय के आधार पर पदों का निर्धारण।	1553/9–आ–5–200–5 स्था/2000	18.06.2001	313

11. उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा (7 वां संशोधन 2001) की व्यवस्थाओं के कम में तदर्थ सहा0अभि0 को विनियमित किये जाने हेतु समिति के गठन के सम्बन्ध में।	2639/9–आ–5–2001/80 ई /2001	27.09.2001	314
■ दैनिक वेतन/वर्कचार्ज			
12. इलाहाबाद द्वारा समय–समय पर पारित निर्णय/आदेशों के कम में प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में दैनिक वेतन/वर्कचार्ज/संविदा पर कार्यरत् अवर अभियन्ताओं के विनियमितीकरण हेतु सूचना/सामग्री उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।	779/9–आ–5–2001–43 डब्लू ई/2000	19.04.2001	315
13. उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण अकेन्द्रीयत सेवा के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणो में दैनिक वेतन/वर्कचार्ज पर दिनांक 29 जून, 1991 के पहले के नियुक्त तथा अब तक कार्यरत कर्मियों के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में।	517/9–आ–5–2001–204ई/99	7.03.2001	319
14. विकास प्राधिकरणों में जॉब बेसिस के आधार पर कम्प्यूटर से कार्य कराए जाने के विषयक।	2346/9–आ–5–2001 (आ.ब.)	31.08.2001	320
15. विकास प्राधिकरण में तदर्थ एवं दैनिक वेतन/वर्कचार्ज पर कार्यरत् अवर अभि0 को मा0 उच्च/मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के कम में नियमित किये जाने हेतु विभागीय चयन समिति के गठन के सम्बन्ध में।	2597/9–आ–5–2001–43 डब्लू ई/2000 टी.सी.	25.09.2001	321
16. विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में दैनिक वेतन/वर्कचार्ज/संविदा पर कार्यरत अवर अभियन्ताओं के सम्बन्ध में।	2724/9–आ–5–2001	06.10.2001	322
17. दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को आवश्यकतानुसार एक प्राधिकरण से अन्य प्राधिकरण में सेवा स्थानान्तरित करने हेतु प्रस्ताव।	1645/9–आ–6–2001	29.10.2001	323
■ अन्य			
18. शासन स्तर पर विभिन्न प्राधिकरणों के कार्यों के निष्पादन हेतु आवास विभाग के अधिकारियों का नामांकन।	7113/9–आ–3–2000–1 वि0/90	08.06.2000	324
19. कानपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के कार्यभार सचिव आवास को सौंपे जाने के सम्बन्ध में।	45/9–आ–6–2001–1 ई/2001	12.01.2001	325
20. उ0प्र0 निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम, 1958 अन्तर्गत सुनवायी के अधिकार सम्बन्धित मण्डलायुक्त को प्रतिनिर्धारित करने के सम्बन्ध में।	198/9–आ–3–2001–3 आर0ए0/2000	22.01.2001	326
21. विनियमित क्षेत्रों के पुनरीक्षण वादों की सुनवाई का अधिकार मण्डलायुक्तों को दिए जाने के सम्बन्ध में।	304/9–आ–3–आर0ए0/2001	31.01.2001	327
22. विकास प्राधिकरण/विशेष–क्षेत्र विकास प्राधिकरण कार्मिकों के सेवा संबंधी मामलों में प्रस्ताव/प्रत्यावेदन भेजने के संबंध में।	3772/9–आ–5–2000	10.04.2001	328

23. प्राधिकरणों में सचिव एवं मुख्य लेखाधिकारी नियुक्त न होने की स्थिति में किसी उपयुक्त अधिकारी को अतिरिक्त कार्यभार सौंपे जाने के सम्बन्ध में।	918/9–आ–6–2001–129 यू.सी./2001	12.06.2001	329
24. कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/जिलाधिकारी द्वारा सीधे मा. मंत्रीगण को पत्र सम्बोधित न करने के सम्बन्ध में	932/9–आ–5–54 विविध/2001	15.06.2001	330
13–विविध			**333–379**
■ हरित क्रान्ति			
1. शहरी क्षेत्र में हरित पट्टी विकसित करने के सम्बन्ध में राज्य वन नीति 1998।	2731/9–आ–3–99–23 विविध/99	09.07.1999	333
2. प्रदेश के नगरों को प्रदूषण मुक्त करने, पर्यावरण सुधार एवं नगरों को हरित एवं सुन्दर बनाने के उद्देश्य से सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं हरित उ0प्र0 बनाने के लिए "आपरेशन ग्रीन" अभियान चलाये जाने के सम्बन्ध में।	3175/9–आ–3–2001–23 विविध/99	18.07.2001	334
■ आगरा पथकर			
3. आगरा स्थिति ऐतिहासिक स्मारकों के भ्रमणार्थियों से धारा–39–क अन्तर्गत वसूले जाने वाले पथकर के उपयोग के सम्बन्ध में।	5206/9–आ–1–2000–339 डीए/83	04.12.2000	343
4. आगरा विकास प्राधिकरण पथकर (नियंत्रण और संग्रह) (प्रथम संयोजन) नियमावली, 2000।	5191/आ–1–2000–339 डीए/83	04.12.2000	345
5. आगरा विकास प्राधिकरण की स्मूथ ट्रैफिक फ्लो एक्ट आगरा परियोजना के नोडल अधिकारी नामित किये जाने के सम्बन्ध में।	3397(1)/9–आ–1–01–31 विविध/2001	02.07.2001	349
6. आगरा विकास प्राधिकरण की ए.डी.बी. वित्त पोषित ट्रैफिक मैनेजमेंट की परियोजना के सम्बन्ध में।	3397/9–आ–1–01–31 विविध/2001	02.07.2001	350
■ गाज़ियाबाद इन्ट्रासिटी रोड परियोजना			
7. गाजियाबाद इन्द्रा सिटी रोड परियोजना हेतु समिति के गठन के सम्बन्ध में।	1031/9–आ–1–2001	26.02.2001	356
8. गाजियाबाद इन्द्रा सिटी रोड परियोजना हेतु समिति के गठन के सम्बन्ध में।	1032/9–आ–1–2001	26.02.2001	357
■ ट्रैफिक एंव ट्रान्सपोर्ट			
9. नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में सृजित यातायात परिवहन प्रकोष्ठ के कार्यकलाप एवं ट्रैफिक प्लान इत्यादि के सम्बन्ध में।	408/9–आ–3–2001–74 एल.ए./96 टी.सी.	07.03.2001	358
10. उ0प्र0 के विभिन्न नगरों की यातायात एवं परिवहन परियोजनाओं को बाहरी एजेन्सी से तैयार कराये जाने हेतु कोर ग्रुप के गठन के सम्बन्ध में।	4067/9–आ–3–2001–74 एल.ए./96टी.सी.	15.11.2001	359

■ अन्य			
11. प्राधिकरणों एवं आवास एवं विकास परिषद द्वारा विकसित की जा रही परियोजनाओं में जल संरक्षण हेतु योजना आयोग, दिल्ली द्वारा दिये गये सुझावों के अनुपालन में कार्य–योजना के सम्बन्ध में।	3120/9–आ–1–1999	02.07.1999	361
12. प्राधिकरणों एवं आवास एवं विकास परिषद तथा आवास संघ द्वारा किये गये ऋणों के प्रतिदान हेतु एक मुश्त समाधान योजना के सुझाव हेतु वर्किंग ग्रुप के गठन के सम्बन्ध में।	665/9–आ–1–2000	15.02.2000	362
13. आश्रय योजना तथा भाऊराव देवरस योजना के अन्तर्गत निर्मित होने वाले भवनों में सेनेटरी मार्ट द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली सामग्री का उपयोग।	321/आ.ब./नि.स.–सेनेटरी मार्ट/2000–01	07.07.2000	363
14. जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सम्पत्तियों के न्यूनतम बाजार मूल्य व विकास प्राधिकरणों/उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् द्वारा निर्धारित मूल्यों में एकरूपता लाने के सम्बन्ध में।	क.नि.–5–515/11–2001–500 (55)/2000	22.01.2001	368
15. माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 26.12.2000 को योजना भवन में प्रमुख सचिवों/सचिवों की हुई बैठक में लिये गये निर्णय का क्रियान्वयन।	455/9–आ–6–2001–1019 यू.सी./2001	07.04.2001	369
16. प्राधिकरण द्वारा आवासीय योजनाएं वर्ष 2001–2002 हेतु विकास योजना।	1872/9–आ–1–32 विविध/2001	21.04.2001	371
17. टेण्डर प्रकिया एवं कय में पारदर्शिता।	ए–1–1173/दस–2001–10(55)/2000	27.04.2001	375
18. नगरीय अवस्थापना सुविधाओं हेतु शासन स्तर पर गठित समिति का पुनर्गठन।	312/9/9–आ–1–2001	10.07.2001	377
19. पति की मृत्यु के उपरान्त महिलाओं के सम्बन्ध में असम्मानजनक सूचक शब्दों का प्रयोग न किया जाना।	2495/9–आ–6–2001–30 (विविध)–01	05.12.2001	378
अनुलग्नक			
1. आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स (जनवरी–2002)			
2. नागरिक अधिकार पत्र			

1

सम्पत्ति प्रबन्धन

संख्या-5140/9-आ-1-99/699डीए/1998

प्रेषक,

रामवृक्ष प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1

लखनऊः दिनाँक-18 नवम्बर, 1999

विषय :उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद एवं विकास प्राधिकरणों में मा0 विधायकों को प्राथमिकता के आधार पर भवन आवंटित करने में सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 सदस्य, विधान सभा एवं विधान परिषद को, जिन्हें पूर्व में कोई सम्पत्ति आवंटित न की गई हो, को लखनऊ, गाजियाबाद अथवा अपने निवास के समीपस्थ/समीपवर्ती विकास प्राधिकरण अथवा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की आवासीय योजनाओं में उनके आवेदन पर उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता पर भवन/भूखण्ड आवंटित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
रामवृक्ष प्रसाद
संयुक्त सचिव

संख्या-5402(1)/9-आ-1-2000-699डीए/1998

प्रेषक,

आनन्द कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1

विषय : उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद एवं विकास प्राधिकरणों में मा0 विधायकों को प्राथमिकता के आधार पर भवन/भूखण्ड आवंटित करने एवं जनसामान्य को भवन/भूखण्ड आवंटित करने के सम्बन्ध में।

लखनऊः दिनाँक-29 दिसम्बर, 2000

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-5140/9-आ-1-99-699डीए/1998, दिनांक-19.11.1999 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आवास अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-39/37-1-93, दिनांक-06 जनवरी, 92 के प्रस्तर-3 (1) में किसी आवेदक या उसके परिवार को भवन/भूखण्ड निम्नलिखित शर्तो के अधीन आवंटित किये जाने का प्राविधान है :-

"आवेदक या उसके परिवार (परिवार का तात्पर्य आवेदक, उसके पति/पत्नी तथा आवयस्क बच्चों से है।) के पास प्रश्नगत अभिकरण उसके विकास क्षेत्र में विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, किसी स्थानीय निकाय, सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कालोनियों में कोई अपना भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिए तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्र में उपरोक्त अभिकरणों द्वारा विकसित कालोनियों में एक से अधिक भूखण्ड/भवन नहीं होने चाहिए"।

2. इससे स्पष्ट है कि आवेदक या उसके परिवार के पास सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में कुल दो से अधिक भूखण्ड/भवन नहीं होने चाहिए। कृपया भूखण्ड/भवन आवंटन के प्रत्येक मामले में इस आशय का प्रति शपथ-पत्र लेकर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि आवेदक या उसके परिवार के पास आवेदित क्षेत्र के विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, किसी स्थानीय निकाय, सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कालोनियों में कोई अपना भूखण्ड/भवन नही होना चाहिए तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्रों में उपरोक्त अभिकरणों द्वारा विकसित कालोनियों में एक से अधिक भवन/भूखण्ड नहीं होने चाहिए। इस प्रकार पूरे प्रदेश में कुल मिलाकर आवेदक या उसके परिवार के पास दो से अधिक भवन/भूखण्ड नहीं होने चाहिए।

3. यदि किसी मा0 विधायक को परिषद या विकास प्राधिकरण या किसी अन्य अभिकरण की किसी भी योजना में भूखण्ड या भवन प्राथमिकता के आधार पर पूर्व में आवंटित किया जा चुका है और मा0 विधायक द्वारा उसकी बिक्री कर दी गई है और नये भूखण्ड/भवन के लिए आवंटन किया हो तो शासनादेश संख्या-5140/9-आ-1-99-699 डीए/1998, दिनांक-18.11.1999 के अनुसार दुबारा उन्हें आवंटन में प्राथमिकता प्रदान नहीं की जायेगी अपितु उन्हें नियमानुसार आवंटन प्रदान किया जायेगा।

4. मा0 विधायकों के अतिरिक्त जन सामान्य को भी भवन/भूखण्ड आवंटित करने से पूर्व शासनादेश दिनांक-06.01.1992 के प्रस्तर-3(1) में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार प्रति शपथ-पत्र के माध्यम से यह सुनिश्चित करा लिया जाय कि उन्हें आवेदित क्षेत्र के विकास प्राधिकरणों/उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद/अन्य अभिकरणों में एक से अधिक भवन या भूखण्ड नहीं है और उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्रों में उपरोक्त अभिकरणों द्वारा विकसित कालोनियों में एक से अधिक भवन/भूखण्ड नहीं है।

5. कृपया यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि यदि अविभाजित उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जनपदों वर्तमान में उत्तराँचल के किसी विकास प्राधिकरण/उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के क्षेत्रों/किसी अन्य अभिकरण की किसी योजना में पूर्व में कोई आवंटन हुआ है तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत होने वाले आवंटन में उसकी गणना की जायेगी।

6. कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
आनन्द कुमार
अनु सचिव

संख्या-1372/9-आ-1-29-विविध/98 (आ.ब.)

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. **प्रबन्ध निदेशक,**
सहकारी आवास संघ,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनाँक-19 मार्च, 2001

विषय : शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के लिए अवरोधमुक्त परिसर के मानकों के अनुसार आवास उपलब्ध/निर्मित कराए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-4746/9-आ-1-29-विविध/98, दिनांक-21 अक्टूबर, 2000 द्वारा जारी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों यथा चलने-फिरने, बोलने-सुनने व देखने में कमी से ग्रस्त अशक्त व्यक्तियों की सुरक्षा, सुविधा और सुगम्यता जरूरतों को ध्यान में रखते हुए निर्माण हेतु मानक दिए गये है, जो सार्वजनिक उपयोग वाले सभी भवनों तथा जन-सुविधाओं पर लागू होंगे। परन्तु अशक्त व्यक्तियों के लिए उक्त मानकों के अनुसार आवास बनाने हेतु नीतिगत व्यवस्था नहीं की गई है। शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि अशक्त व्यक्तियों के लिए बाधारहित सार्वजनिक उपयोग के भवनों एवं सुविधाओं के साथ-साथ आवास भी उपलब्ध कराए जायें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विकास प्राधिकरणों, आवास एवं विकास परिषद तथा उ.प्र. सहकारी आवास संघ की आवासीय योजनाओं में अशक्त व्यक्तियों के प्रयोजनार्थ आवासीय भवन उपलब्ध कराने हेतु शहरी कार्य एवं रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार की गाईडलाइन्स के अनुसार निम्न व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं:-

(i) शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों हेतु एकल आवासीय योजनाओं में कुल इकाइयों की कम से कम 2 प्रतिशत इकाइयां अवरोधमुक्त सुविधा वाली हों, जो भू-तल पर बनाई जाएंगी।

(ii) कर्मचारी/स्टाफ आवास तथा ग्रुप हाउसिंग में प्रत्येक 25 मकानों पर कम से कम एक इकाई तथा उसके ऊपर प्रत्येक 100 मकानों के बाद एक अतिरिक्त इकाई अवरोधमुक्त सुविधा वाली उपलब्ध कराई जाएगी।

(iii) शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों हेतु आवासों का निर्माण ऐसे स्थलों पर किया जाएगा जो मुख्य मार्ग के निकट

हो एवं जहां से 30 मीटर से अधिक दूर तक पैदल चलने की आवश्यकता न पड़े।

(iv) आवासीय कालोनियों में सुगम्य बाजार क्षेत्र, पूजा स्थल, अन्य सुविधाओं के स्थल तथा प्रवेश/निकास सहज आवागमन वाले होंगे।

3. कृपया उपरोक्त आदेशों का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाए तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाए।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या-1372(1)/9-आ-1-29-विविध/98 (आ.ब.) तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 आवास मंत्री/राज्य आवास मंत्री, उ.प्र. शासन के अवलोकनार्थ।
2. सचिव, विकलांग कल्याण अनुभाग-1 उ.प्र. शासन।
3. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. अध्यक्ष/नियन्त्रक प्राधिकारी, समस्त विनियामित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
6. नियत प्राधिकारी, समस्त विनियामित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
7. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु।

आज्ञा से
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

संख्या-1967/9-आ-1-2001-6 रिट/2000

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनाँक-27 अप्रैल, 2001

विषय : समाज के विकलांग व्यक्तियों को रियायती दर पर भवन एवं भूखण्ड उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नि:शक्त, जन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा-43 के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को आवास, व्यवसाय, मनोरंजन, विश्वविद्यालय, अनुसंधान केन्द्र तथा उद्योग केन्द्र आदि लगाने हेतु मान्यता के आधार पर रियायती दर पर भूमि आवंटन किए जाने के सम्बन्ध में एक योजना बनाये जाने की अपेक्षा की गई है। अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु माननीय मंत्रिपरिषद की एक उप समिति का गठन किया गया था। उप समिति की संस्तुतियों के आधार पर माननीय मंत्रि परिषद द्वारा लिए गये निर्णयों में एक निर्णय यह भी था कि विकलांग व्यक्तियों को रियायती दर पर प्राथमिकता के आधार पर भूमि/भवन आवंटन करने के संबंध में योजना बनाकर कार्यवाही की जाय। इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ बेंच लखनऊ में विचाराधीन याचिका संख्या- 361 (एम0बी0)/2000 राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.1.2000 द्वारा राज्य सरकार को एक योजना तैयार करने के आदेश दिये गये थे। उक्त योजना को समुचित रूप से तैयार करने हेतु आवास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी जिसकी संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत लिये गए है :-

(1) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा भवन/भूखण्डों के आवंटन में विकलांग व्यक्तियों को 3% का आरक्षण प्रदान किया जायेगा जो होरिजेन्टल प्रकृति का होगा। इस संबंध में शासनादेश संख्या- 2680/9-आ-1-98-42 विविध/96, दिनांक 31.8.1998 द्वारा पूर्व में ही विकलांग व्यक्तियों के लिये 1% का वर्टिकल आरक्षण एवं 3% का होरिजेन्टल आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। तद्नुसार उक्त शासनादेश में इस सीमा तक संशोधन किया जाता है।

(2) दुर्बल आय वर्ग (ई0डब्लू0एस0) एवं अल्प आय वर्ग (एल0आई0जी0) के सामान्य रूप से विकलांग आवेदकों को भवन/भूखण्ड के मूल्य में 10% एवं गम्भीर रूप से विकलांग आवेदकों को 20% की रियायत प्रदान की जायेगी। दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग के वर्गीकरण हेतु आमदनी की सीमा सामान्य से 1.5 गुना होगी। अर्थात यदि दुर्बल आय वर्ग की सामान्य आय सीमा रू0 1200/- प्रतिमाह है तो इस प्रयोजन हेतु वह सीमा रू0 1800/- प्रतिमाह होगी।

(3) नि:शक्त जन अधिनियम, 1995 की धारा- 43 में विकलांगों के लिए कार्य करने वाली गैर सरकारी संस्थाओं को निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु रियायती दर पर भूमि के आंवटन की अपेक्षा की गई है :

i) व्यापार/उद्योग की स्थापना।
ii) विशेष मनोरंजन केन्द्रों की स्थापना।
iii) विशेष विद्यालयों/पुर्नवास केन्द्रों की स्थापना।
iv) अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना।

v) विकलांग उद्यमियों द्वारा कारखानों की स्थापना।

vi) पुर्नवास, गतिशीलता, सहायतात्मक युक्तियों के लिए कार्यशालाओं की स्थापना।

उपरोक्त प्रयोजनों हेतु अर्ह संस्थाओं को भूखण्डों के आवंटन में रियायत प्रदान करते हुये सेक्टर दर के 30% मूल्य पर निम्नलिखित शर्तों के साथ आवंटन किया जायेगा :

1. केवल वही संस्थाये अर्ह होंगी जो नि:शक्त जन अधिनियम, 1995 की धारा-52 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा पंजीकृत हों। वित्तीय रियायत केवल उन्ही संस्थाओं को उपलब्ध होगी जिनके कार्यो के लाभार्थी शत-प्रतिशत विकलांग व्यक्ति ही हों।
2. कोई भी भूखण्ड एक एकड़ से अधिक क्षेत्रफल का नही होगा।
3. ऐसी सम्पत्तियां केवल लीज़ पर दी जायेंगी और उन्हें फ्रीहोल्ड नही किया जायेगा क्योंकि आवंटन विशिष्ट प्रयोजन हेतु रियायती दर पर किया जा रहा है।
4. अधिनियम की धारा-52 के अन्तर्गत पंजीकरण समाप्त होने अथवा निरस्त किए जाने की स्थिति में लीज़ स्वत: समाप्त मानी जायेंगी और ऐसी तिथि से तीन महीने की अवधि में भूमि रिक्त अवस्था में प्राधिकरण को वापस कर दी जायेगी अन्यथा प्राधिकरण उस पर स्वयं कब्जा करने के लिए अधिकृत होगा।

उपरोक्त संस्थाओं को भूखण्ड आंवटित करने के लिए निम्न प्रक्रिया/व्यवस्था निर्धारित की जाती है :

1- प्रत्येक आवासीय योजना के ''इन्स्टीट्यूशनल'' एरिया में 3% भूमि भूखण्ड के रूप में ऐसी संस्थाओं को आवंटन हेतु आरक्षित की जायेगी।

2- उपलब्ध भूखण्ड के आवंटन हेतु सार्वजनिक सूचना के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जायेंगे। प्राप्त आवेदनों म अर्ह संस्थाओं को छांटने के उपरान्त उनका चयन प्राधिकरण/परिषद् द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया जायेगा, जिसमे अन्य सदस्यों के अतिरिक्त अधिनियम की धारा-60 में नियुक्त आयुक्त अथवा उनका नामित व्यक्ति अवश्य सम्मिलित होगा।

(4) उपर्युक्त आवंटन के फलस्वरूप आने वाले व्ययभार का वित्त पोषण 'क्रास सब्सिडी' के माध्यम से किया जायेगा, जो पूरी योजना पर डाला जायेगा। इसके लिए आवश्यक है कि विभिन्न योजनाओं में भूमि/भवन के विक्रय मूल्य का पुनर्मूल्यांकन किया जाय और उक्त रियायत को विक्रय हेतु उपलब्ध शेष भूमि/भवन पर भारित किया जाय। उदाहरणस्वरूप 3% आरक्षण इस श्रेणी के लिए उपलब्ध होगा तो भूमि की कास्टिंग में 3% मूल्य इस रियायत हेतु भारित किया जायेगा। क्रास सब्सिडी का भार सीमा में रहे, इसलिए प्रश्नगत वित्तीय भार ऐसी ही योजनाओं पर डाला जा सकेगा जहाँ पर 50% से अधिक विक्रयशील भूमि निस्तारण हेतु अभी शेष है। इसलिए ऐसी ही योजनाओं में उपरोक्त व्यवस्थाएं लागू होंगी। प्राधिकरण/परिषद् तत्काल योजनाओं की इस दृष्टि से समीक्षा कर लें तथा सूची तैयार करें कि किन-किन योजनाओं में व्यक्तिगत आरक्षण एवं किन योजनाओं में संस्थागत आरक्षण उपलब्ध होगा।

अत: कृपया उर्पयुक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता

सचिव

संख्या-1967(1)/9-आ-1-2001 तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समाज कल्याण आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. सचिव, विकलांग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से

अमिताभ त्रिपाठी

अनु सचिव

संख्या-2579/9-आ-2-2001-3 एच.वी.(122)/2000

प्रेषक,

टी0पी0 पाठक,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
   लखनऊ।
2. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।
3- **अध्यक्ष/जिलाधिकारी,**
   विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-2

लखनऊ : दिनाँक- 24 अगस्त, 2001

विषय : आश्रय योजना एवं दुर्बल आय वर्ग आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित भवनों के निबन्धन हेतु निष्पादित किये जाने वाले विक्रय या पट्टे के लिखतों पर स्टैम्प शुल्क में छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कर एवं निबन्धन अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या क0नि0-5-3056/11-2001-312 (381)/99 दिनांक 4 अगस्त, 2001 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आश्रय योजना एवं दुर्बल आय वर्ग आवासीय योजना के अन्तर्गत सम्पत्तियों के निबन्धन के समय स्टैम्प शुल्क में छूट दिये जाने के शासन के आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ताकि जन सामान्य को इसका लाभ प्राप्त हो सके। इस आशय का व्यापक प्रचार-प्रसार भी कराया जाय।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
टी0 पी0 पाठक
विशेष सचिव

संख्या-2579(1)/9-आ-2-2001 तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-5 को उनके पत्र संख्या-क0नि0-5-3056/11-2001-312(381)/99 दिनांक 4.8.2001 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2- आवास विभाग के समस्त अनुभाग।
3. आवास बन्धु।

आज्ञा से
अमिताभ त्रिपाठी
अनु सचिव

उत्तर प्रदेश सरकार

कर एवं निबन्धन अनुभाग-5

संख्या-क0नि0-5-3056 /11-2001-312 (381)/99

लखनऊ : दिनांक : 4 अगस्त, 2001

अधिसूचना

आदेश

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899)की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल 18 अप्रैल, 2001 से राज्य सरकार के आवास विभाग द्वारा कार्यान्वित,-

(क) आश्रय योजना या सबके लिये आवास योजना के अधीन उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974 द्वारा पुन: अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) के अधीन गठित किसी विकास प्राधिकरण या उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 (अधिनियम संख्या-1 सन् 1966) के अधीन गठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा निष्पादित किये जाने वाले विक्रय या पट्टे के लिखतों पर 100 रुपये (एक सौ रूपये) से अधिक के, और

(ख) दुर्बल वर्ग आवासीय योजना के अधीन उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ·२ सन् 1974 द्वारा पुन: अधिनियम राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) के अधीन गठित किसी विकास प्राधिकरण या उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या। सन् 1966) के अधीन गठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा निष्पादित किये जाने वाले विक्रय या पट्टे के लिखतों पर 500 रूपये (पांच सौ रूपये) से अधिक के, स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करते है।

आज्ञा से
टी. जार्ज जोसेफ
प्रमुख सचिव

संख्या-क0नि0-5- 3056 /11-2001-312 (381)/99, तद दिनांक।

प्रतिलिपि : अंग्रेजी एवं हिन्दी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे इसे दिनांक 4 अगस्त, 2001 के असाधारण गजट के भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें, तत्पश्चात् गजट की 100 प्रतियाँ शासन के इस अनुभाग को तथा 100 प्रतियाँ आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से
यू0 के0 एस0 चौहान
विशेष सचिव

संख्या-क0नि0-5- 3056 /11-2001-312 (381)/99, तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आयुक्त स्टाम्प/अपर सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, आवास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त उप/सहायक स्टाम्प आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
8. विधायी अनुभाग-1
9. जनपद स्तरीय कार्यालय में तैनात समस्त उप निबन्धक, उ0प्र0।
10. सूचना निदेशक, सूचना विभाग, लखनऊ।

आज्ञा से
यू0 के0 एस0 चौहान
विशेष सचिव

संख्या-का0नि0-5-4122/11-2000-500(9)/99

प्रेषक,

टी0 जार्ज जोसेफ,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त एवं**
अध्यक्ष विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश
3- **समस्त अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) एवं**
जिला निबन्धक, उत्तर प्रदेश।
4. **समस्त उप/सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन,**
उत्तर प्रदेश।
5. **समस्त उपनिबन्धक,**
उत्तर प्रदेश।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-5

लखनऊ : दिनाँक-27 जुलाई, 2000

विषय : स्ववित्त पोषित योजनाओं के अन्तर्गत भूमि तथा भवनों के हस्तान्तरण सम्बन्धी विलेखों के निष्पादन पर स्टाम्प शुल्क वसूल किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में कई ऐसे प्रकरण आये है जिनमें विकास प्राधिकरण स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत आवंटियों की भवनों का निर्माण करके उसका हस्तातंरण करते है किन्तु बैनामा करते समय विलेख में केवल भूमि का हस्तान्तरण दिखाते है एवं उसी के मूल्य के आधार पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान कराते है।

2. शासन द्वारा इस सम्बन्ध में विचार करते हुये यह पाया गया है कि उपरोक्त प्रक्रिया विधिक दृष्टि से उचित नहीं है एवं ऐसे विलेखों में भवनों के मूल्य को शामिल न किये जाने के कारण भारी करापवंचन हो रहा है। स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत विधिक रूप से उचित कार्यवाही यही हो सकती है कि प्लाट का लाटरी द्वारा आमंत्रण होने पर पहले विक्रय विलेख, पट्टा विलेख अथवा फ्री होल्ड विलेख का पंजीकरण हो, तत्पश्चात प्लाट धारक सम्बन्धित विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद् अथवा पंजीकृत आवास विकास समितियों के पक्ष में यह प्रस्ताव पारित करें कि सम्बन्धित संस्था प्लाट धारकों के पैसे से किश्तों में यथा निर्धारित श्रेणी के भवनों का निर्माण करें। इसके बाद सम्बंधित संस्था अपनी नियमावली के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो के अधीन भवनों का निर्माण कराकर प्लाट धारकों को उपलब्ध करायें, ऐसी स्थिति में ही भवन का निर्माता प्लाटधारक को माना जा सकता है तथा सम्बन्धित संस्था को ठेकेदार के रूप में माना जा सकता है। भूमि का विक्रय विलेख, पट्टा विलेख अथवा फ्री होल्ड विक्रय विलेख निष्पादित कराकर पंजीकृत कराये बगैर प्लाट धारक उसके मालिक नहीं बन सकते है भले ही वे आवंटी हों और वे किसी भी संस्था को प्रस्ताव पारित करके अथवा उसके पक्ष में पैसे जमा करके भवन निर्माण की अनुमति नही दे सकते है। यदि वे ऐसा करते है तो अंत में जब सम्पत्ति का बैनामा होगा तो उसमें भूमि एवं भवन दोनों के ही विक्रय को दर्शित करना पड़ेगा एवं दोनों के मूल्यांकन के आधार पर ही स्टाम्प शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा।

3. उपरोक्त को देखते हुए शासन द्वारा रजिस्ट्री करने वाले एवं कलेक्टर की शक्तियों का उपयोग करके स्टाम्प वादों का निस्तारण करने वाले समस्त अधिकारियों को यह निर्देश दिये जाते है कि वे स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत उचित स्टाम्प शुल्क के भुगतान

का परीक्षण करते समय उपरोक्त बातों का ध्यान रखें एवं जहां भी प्लाट के विक्रय विलेख, पट्टा विलेख अथवा फ्रीहोल्ड विलेख का पंजीकरण कराये बगैर ही किसी संगठन के माध्यम से भवन निर्माण कराया गया हो वांह पर सम्पत्ति के बैनामें के समय भूमि एवं भवन दोनों के मूल्यांकन के आधार पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान कराया जाना सुनिश्चित करें। यदि पूर्व में ऐसे कोई विलेख भवन का मूल्य सम्मिलित करके स्टाम्प ड्यूटी जमा कराये बगैर पंजीकृत किये गये हों तो सम्बन्धित उपनिबन्धकगण इसका परीक्षण कर लें तथा ऐसे मामलें जिसमें उपरोक्त के आधार पर कमी स्टाम्प पाया जाय और जो 4 वर्ष के अन्दर ही पंजीकृत किये गये हों उनकें सम्बन्ध में धारा-47 क (3) के अन्तर्गत स्टाम्पवाद चलाये जाने की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

3. कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए इसकी प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

भवदीय,
टी0 जार्ज जोसेफ
प्रमुख सचिव

संख्या-क0नि0-5-4122/11-2000 तद दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2- सचिव, आवास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. स्टाम्प आयुक्त एवं अपर सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. आवास आयुक्त, 104 महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ।

आज्ञा से
यू0 के0 एस0 चौहान
विशेष सचिव

संख्या-4038/9-आ-3-2000-01विविध/2000

प्रेषक,

जावेद एहतेशाम,
उप सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. **आवास आयुक्त,**
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

आवास अनुभाग-3

लखनऊ : दिनाँक : 18 दिसम्बर, 2000

विषय : भू-अर्जन के फलस्वरूप घोषित अभिनिर्णय के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-2819/9-आ-3-2000-01वि/2000, दिनांक 04.09.2000 के संदर्भ में सचिव, राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या- 2158/1-13-2000-4-3(2)/2000-टी0सी0-I, दिनांक 09.11.2000 की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में उक्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव

संख्या-एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि सचिव, राजस्व अनुभाग-13 को उपर्युक्त पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव

संख्या-2158/1-13-2000-4-3(2)/2000-टी0सी0-I

प्रेषक,

योगेश कुमार,
सचिव,
राजस्व विभाग, उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।**
2. **आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।**
3. **समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।**
4. **समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।**
5. **अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्यापित) समस्त विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी, उत्तर प्रदेश।**

लखनऊ : दिनाँक : 09 नवम्बर, 2000

राजस्व अनुभाग-13

विषय : अभिनिर्णय घोषित करने के पूर्व अर्जन निकाय को प्रतिकर की दर के सम्बन्ध में पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना।

महोदय,

विदित ही है कि भू-अर्जन की कार्यवाही भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के प्राविधानों के अर्न्तगत जिलाधिकारियों के माध्यम से की जाती है और जिलाधिकारी द्वारा अर्जित भूमि का उचित प्रतिकर निर्धारित करते हुए अभिनिर्णय घोषित किया जाता है। अर्जन निकायों की ओर से प्रतिकर निर्धारित करने के पूर्व उनकी सुनवाई न किये जाने की बात प्राय: कही जाती है, जबकि जिलाधिकारियों द्वारा अभिनिर्णय घोषित करने के पूर्व अर्जन निकायों को प्रतिकर की धनराशि आदि के बारे में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देने का प्राविधान भूमि अध्यापित अधिनियम, 1894 की धारा-50 (2) में उपलब्ध है।

2. सम्भवतया अर्जन निकायों द्वारा इन प्राविधानों की सम्यक जानकारी न होने के कारण उक्त बात कही जाती है। इस संबंध में उक्त धारा-50(2) का संगतउद्धरण निम्नवत है :-

धारा-50(2) ऐसे मामलों में जो कोई कार्यवाही कलेक्टर या न्यायालय के समक्ष होती है, उसमें संयुक्त स्थानीय प्राधिकारी या कम्पनी उपसंजात हो सकेगी और प्रतिकर की रकम के अवधारित करने के प्रयोजन से साक्ष्य प्रस्तुत कर सकेगी, परन्तु कोई ऐसा स्थानीय प्राधिकारी या कम्पनी धारा-18 के अधीन निर्देश कराने की हकदार न होगी।

3. अत: मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अर्जन निकाय द्वारा भूमि अध्यापित अधिनियम, 1894 की धारा-50 (2) के अन्तर्गत साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने संबंधी प्राविधान का जिलाधिकारियों द्वारा संज्ञान में लेते हुए अभिनिर्णय घोषित किये जायें।

कृपया संबंधित अधिकारियों/अर्जन निकायों को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
योगेश कुमार,
सचिव

संख्या व दिनांक उपरोक्त

1. प्रतिलिपि निदेशक, भूमि अध्यापित निदेशालय, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ को इस अभ्यक्ति सहित प्रेषित कि उक्त शासनादेश की अपेक्षानुसार आवश्यक निदेश अपने अधीनस्थ अधिकारियों/अर्जन निकायों को अपने स्तर से जारी करने का कष्ट करें।
2. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
3. समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास, कानपुर।
5. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई/लोक निर्माण विभाग।
6. निदेशक, कृषि उत्पादन मण्डी परिषद।

आज्ञा से,
योगेश कुमार
सचिव

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-1024/9-आ-3-2001

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-3

लखनऊः दिनाँक-31 मार्च, 2001

विषय : विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में अर्जित की गयी भूमि का उपयोग/निस्तारण जब तक न कर दिया जाय तब तक उनके द्वारा नई भूमि के अर्जन पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा पूर्व में अर्जित की गयी भूमि का उपयोग/निस्तारण किये बिना नई भूमि के अर्जन की कार्यवाही किये जाने से उत्पन्न समस्याओं पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह पाया गया कि वर्तमान में अर्जन की प्रक्रिया विभिन्न कारणों से एक लम्बी तथा जटिल प्रक्रिया हो गयी है और प्राधिकरणों से प्राप्त सूचना अनुसार इस प्रक्रिया में 3 से 5 वर्ष का समय लगता है इन परिस्थितियों में यदि पांच वर्ष तक का समय भू-अर्जन में लगता है तो स्वाभाविक रूप से 5 वर्ष की भूमि की आवश्यकता के आधार पर इन्वेन्ट्री रखी जानी आवश्यक होगी। अतः इस सम्बन्ध में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्राधिकरण का विस्तार व जनसंख्या की आवश्यकता को देखते हुए यह, इन्वेन्ट्री 100 हेक्टेयर से 400 हेक्टेयर की जानी चाहिए जैसे :-

(1)	जनसंख्या 10 लाख से अधिक तथा वार्षिक वृद्धि दर 3 प्रतिशत वार्षिक से अधिक	-	अधिकतम 400 हेक्टेयर
(2)	जनसंख्या 10 लाख से अधिक परन्तु वृद्धि दर 3 प्रतिशत वार्षिक से कम	-	300 हेक्टेयर तक
(3)	जनसंख्या 5 लाख से अधिक तथा वृद्धि दर 3 प्रतिशत से अधिक	-	250 हेक्टेयर तक
(4)	जनसंख्या 5 लाख से अधिक जनसंख्या वृद्धि दर 3 प्रतिशत से कम	-	200 हेक्टेयर तक
(5)	5 लाख से कम जनसंख्या	-	150 हेक्टेयर तक

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या 1024 (1) /9-आ-3-2001-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय, उ0प्र0 राजस्व परिषद, लखनऊ।
4. आवास बन्धु।

आज्ञा से
जावेद एहतेशाम
उप सचिव

संख्या-4215/9-आ-3-2001-176एल0ए0/2001

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास प्राधिकरण,
महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।

आवास अनुभाग-3

लखनऊः दिनाँक-19 अक्टूबर, 2001

विषय : नियोजन की दृष्टि से 10 एकड़ से कम भूमि को अर्जित न किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपयुक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद/विकास प्राधिकरणों द्वारा बनायी गयी/बनायी जा रही योजनाओं के संदर्भ में शासन द्वारा इस विषय पर विचार किया गया कि बाइबिलिटी एवं नियोजन के दृष्टिकोण से इन संस्थाओं द्वारा कम से कितनी भूमि पर इस प्रकार की योजनाएं क्रियान्वित की जायें। शासन के संज्ञान मे यह बात आई कि विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा पूर्व में कई स्थानों पर एक या दो एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक की भूमि में भी छोटी-छोटी योजनाएं प्रस्तावित/क्रियान्वित की गई है। यह भी स्पष्ट हुआ कि कितनी छोटी भूमि सामान्यता: शहर के बीच में प्राधिकरणों ने अधिग्रहण का प्रस्ताव किया परन्तु अधिकतर मामले न्यायालय में ही विवादग्रस्त एवं लम्बित रहे और जहां अर्जन हुआ भी वहां केवल कुछ ही परिवारो के रहने के लिए स्थान सुलभ हो पाये और इस प्रकार जनसामान्य को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति की दृष्टि से योगदान नगण्य ही रहा जबकि दूसरी ओर शहर के मध्य की भूमि कीमती होने के कारण प्राधिकरण को इसके अधिग्रहण में क्रय धनराशि भी व्यय करनी पड़ती है और अधिकांश भू-धारक इसका विरोध करते है और मामले न्यायालय में भी विवादित बने रहते है।

2. अत: उक्त वर्णित स्थिति में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि:

(1) प्राधिकरणों द्वारा अब तक पूर्व में 5 एकड़ तक की आवासीय योजनाओं (जिनमें धारा-4 की अधिसूचना का प्रकाशन हो चुका है) के क्रियान्वयन यथा भूमि पर कब्जा, अभिनिर्णय, भूमि विकास/निर्माण आदि की स्थिति की समीक्षा कर ली जाए और इनमें से जो योजनाएं न्यायालयों में विवादित हो अथवा एक लम्बी अवधि तक कब्जा न मिल सका हो तो ऐसी योजनाओं को समाप्त कर दिया जाय। यदि किन्ही विशेष कारणों से अर्जन किया जाना आवश्यक ही हो तो प्राधिकरण बोर्ड की संस्तुति सहित प्रकरण पूर्ण औचित्य सहित शासन को अन्तिम निर्णय हेतु विलम्बतम तीन माह के अन्दर संदर्भित किया जाय। इस अवधि के उपरान्त किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार नही किया जायेगा।

(2) भविष्य में नियोजन की दृष्टि से आवासीय समस्या के निदान हेतु सामान्यता: 10 एकड़ अथवा उससे अधिक की योजनाएं ही बनायी जाएं और उसी के अनुसार भूमि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिनमें धारा-4 की अधिसूचना का प्रकाशन नहीं हुआ है वे इसी श्रेणी में आयेंगी।

अत: अनुरोध है कि कृपया उक्त लिखे गये निर्णयानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने कष्ट करें

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि समस्त मण्डलायुक्त/अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण उ0प्र0 को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग - 3
संख्या - 3759/9-आ-3-2001-58 एलयूसी/2000
लखनऊ : दिनांक 26 नवम्बर, 2001

कार्यालय, ज्ञाप

कार्यालय-ज्ञाप संख्या-403/9-आ-3-2000-197 एलए/99टी0सी0 दिनांक 18.2.2000 एंव कार्यालय-ज्ञाप संख्या-134/9-आ-3-2001-197एलए/99टी0सी0 दिनांक 25 जनवरी, 2001 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के समक्ष प्रेषित भू-अर्जन के प्रस्तावों के परीक्षण से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि अधिकांश विकास प्राधिकरणों द्वारा अर्जन प्रस्ताव के पूर्व स्थल चयन समिति का विधिवत् स्थल निरीक्षण नही किया जाता है एवं प्रस्ताव के साथ स्थल चयन समिति की संस्तुतियों का विधिवत् उल्लेख नही किया जाता है।

सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा पुनः स्पष्ट किया जाता है कि स्थल चयन समिति द्वारा सभी अपेक्षित बिन्दुओं पर आवश्यक विस्तार से विचार करना तथा उसी विस्तार से अभिलिखित (Record) करना भी आवश्यक है, मात्र निष्कर्ष देना पर्याप्त नही है। चयन निष्कर्ष किन तथ्यों पर आधारित है, यह भी स्पष्ट होना चाहिए। उपर्युक्त सभी बातें समुचित रूप से रिपोर्ट में न होने पर समिति के अध्यक्ष के नाते सचिव प्राधिकरण उत्तरदायी होंगे।

उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त/अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. उपाध्यक्ष/सचिव, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
4. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तर प्रदेश शासन।
6. सचिव नगर विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
7. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
9. आवास सचिव शाखा के समस्त अनुभाग।
10. गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव

संख्या-1282/9-आ-1-1 वि0/2000

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद्,
लखनऊ।
2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनाँक : 24 अप्रैल, 2000

आवास अनुभाग-1

विषयः वितथ समाधान योजना-एक बार समाधान (ओ0टी0एस0)

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 15 फरवरी, 2000 द्वारा वितथ समाधान योजना के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये थे और शासनादेश दिनांक 29/30 मार्च 2000 द्वारा योजना की अवधि दिनांक 30 अप्रैल, 2000 तक बढ़ायी गयी थी। कतिपय विकास प्राधिकरणों द्वारा शासन को यह अवगत कराया गया है कि कुछ परिस्थितियों में इस योजना के अन्तर्गत सामान्य धनराशि से अधिक देयता बन रही है जिससे योजना की सफलता में कठिनाई आ रही है। उक्त परिस्थितियों में योजना के प्राविधानों में पुनर्विचार करने की अपेक्षा की गयी है।

2. उक्त परिप्रेक्ष्य में योजना के प्राविधानों पर पुनर्विचार किया गया एवं सम्यक विचारोपरान्त योजना के सिद्धान्तों में निम्नलिखित संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1) आवंटन के समय के मूल्य की निर्धारित ब्याज दर पर नैट प्रजेन्ट वैल्यू (एन0पी0वी0) निकाली जाय। इसी प्रकार जितने भी भुगतान विभिन्न तिथियों में किये गये है उनकी भी नैट प्रजेन्ट वैल्यू (एन0पी0वी0) निकाली जाय जिसे मूल्य के नैट प्रजेन्ट वैल्यू से घटाने पर वर्तमान में शुद्ध देयता निकलेगी और उसी आधार पर ओ0टी0एस0 किया जाये।

(2) यह सिद्धान्त सभी को उपलब्ध होगा अर्थात नये मामलों के साथ-साथ पुराने मामलों में भी लागू किया जा सकता है किन्तु कोई रिफन्ड देय नहीं होगा।

3. उक्त योजना दिनांक 31.5.2000 तक बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के लिये कम्प्यूटर साफ्टवेयर प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि एकरूपता बनी रहे।

4. कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें एवं कृत कार्यवाही से शासन को अवगत करायें। इसका व्यापक प्रचार करें ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या-3228/9-आ-1-2001-01 वि/2000

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ.प्र. आवास एंव विकास परिषद,
लखनऊ।

1. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1

विषय : वितथ समाधान योजना - एक बार समाधान (ओ. टी. एस.)।

लखनऊ : दिनाँक : 26 जून, 2001

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद् के ऐसे आवंटियों, क्रेताओं एवं ऋण गृहीताओं, जो भुगतान में वितथी (डिफाल्टर) है, के मामलों के समाधान हेतु शासन द्वारा गत वर्ष **वितथ समाधान-एक बार समाधान** (ओ.टी.एस.) योजना लागू की गई थी। शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि अभी भी बड़ी संख्या में आवंटी भुगतान में डिफाल्टर है जिसके कारण प्राधिकरणों/परिषद् के बकाए की वसूली अवरूद्ध है। अतः शासन द्वारा विचारोपरान्त ऐसे आवंटियों के मामलों को विनियामित करने हेतु एक और अवसर देते हुए ओ.टी.एस. योजना को निम्नानुसार लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है :-

1. योजना किस पर लागू होगी :

यह योजना सभी आवासीय भूमि, भवन तथा ग्रुप हाउसिंग के आवंटियों पर लागू होगी। व्यवसायिक सम्पत्तियों के आवंटियों पर तथा उन मामलों में जहां पहले ही भूमि रियायती दर पर आवंटित की गई है, पर यह योजना लागू नहीं होगी।

2. सिद्धान्त :

एक बार समाधान योजना के अन्तर्गत सभी वितथी (डिफाल्टर) आवंटियों से साधारण ब्याज, जोकि सम्पत्ति के आवंटन के समय किश्तों के निर्धारण पर लागू ब्याज दर के बराबर होगा, लिया जायेगा परन्तु किसी भी प्रकार का दण्ड ब्याज नहीं लिया जाएगा। किये गये भुगतान सर्वप्रथम ब्याज में सम्मिलित किये जायेंगे, तदोपरान्त मूल में। इसका कम्प्यूटर साफ्टवेयर अलग से उपलब्ध कराया जा रहा है। उसी के द्वारा अनन्तिम एंव अंतिम डिमांड नोट जारी किये जायेंगे।

3. योजना की अवधि :

यह योजना इस शासनादेश के जारी होने की तिथि के 15 दिन के बाद लागू होगी और जारी होने की तिथि के 3 माह बाद तक प्रवृत्त रहेगी। उक्त 3 माह के बाद प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

4. आवेदन एंव भुगतान की प्रक्रिया :

(i) आवेदन के साथ रू0 100/- प्रोसेसिंग फीस ली जाएगी, जो बैंक ड्राफ्ट अथवा नकद के रूप में देय होगी। यह फीस न तो वापस की जाएगी और न ही बकाए में समायोजित होगी।

(ii) सभी प्राधिकरणों/परिषद कार्यालयों में समाधान के लिए उपाध्यक्षों/आवास आयुक्त द्वारा उपयुक्त अधिकारी नामित कर दिये जाएंगे, जो उनके समक्ष प्रस्तुत मामलों का निस्तारण करने और आवंटी द्वारा पहले से जमा की गई धनराशि के विवरण का सत्यापन

करने के लिए उत्तरदायी होंगे। निर्धारित अवधि में संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर इनके द्वारा उक्त विवरण के ही आधार पर आवंटी को बकाया धनराशि की गणना कर अनन्तिम डिमान्ड नोट उसी दिन उपलब्ध करा दिया जाएगा और आवंटी से समस्त बकाए की 1/3 धनराशि को, एक निर्धारित तिथि तक, जो एक पक्ष से अनाधिक होगी, जमा करने का अवसर दिया जाएगा। इसी अवधि में अधिकारी विभागीय अभिलेखों से आवेदक की जमा धनराशि आदि का सत्यापन कर लेंगे और यदि कोई अन्तर हुआ तो उसका समाधान करते हुए वास्तविक बकाया धनराशि का अंतिम मांग पत्र उक्त निर्धारित तिथि को आवंटी को जारी करेंगे। इस मांग पत्र में गतपक्ष में जमा 1/3 धनराशि का समायोजन करते हुये शेष शुद्ध बकाया धनराशि अगले 6 सप्ताह में एकमुश्त अथवा किश्तों में जमा करने की अपेक्षा की जायेगी।

(iii) यदि सूचना देने के एक पक्ष के अन्दर सम्पर्णू देय धनराशि अथवा उसकी 1/3 धनराशि आवंटी द्वारा जमा नही की जाती है अथवा उसके 6 सप्ताह बाद शेष 2/3 धनराशि जमा नही की जाती, तो यह समाधान योजना उस आवंटी पर लागू नही होगी और पूर्व व्यवस्था के अनुसार उससे वसूली/आवंटन निरस्तीकरण/बेदखली की कार्यवाही वर्तमान नियमों के अन्तर्गत की जाएगी।

(iv) समस्त प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष/आवास आयुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि एक पक्ष की समय-सीमा में प्रत्येक आवेदक की बकाया धनराशि की सत्यापित गणना उसे प्राप्त करा दी जानी है और बकाया मामलों का विवरण कारणों सहित उनके समक्ष प्रस्तुत हो जाना है, ताकि ऐसे मामलों का समाधान उनके स्तर से किया जा सके।

5. इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त करने हेतु शिविर लगया जाए। प्राप्त सभी प्रार्थना-पत्रों का **योजनावार ब्यौरा कम्प्यूटर पर** रखा जाए।

6. इस योजना का **व्यापक प्रचार-प्रसार** अखबारों में विज्ञापन, रेडियो, टी.वी. द्वारा किया जाएगा। विभिन्न कालोनियों में भी होर्डिंग्स लगाए जाएंगे, जिसमें सभी विवरण दिये जायेंगे ताकि आवंटी को बिना कार्यालय में भाग-दौड़ किए ही आवेदन पत्र भरकर वांछित जमा की रसीदों के साथ सीधे प्राधिकरण/परिषद कार्यालय/समाधान स्थल तक पहुंच सकें।

7. यह योजना सफल हो और इसका लाभ जनता को मिले, इसके लिए उपाध्यक्ष/आवास आयुक्त स्वयं **दैनिक/साप्ताहिक समीक्षा** करेंगे। शासन स्तर पर जब सभी विकास प्राधिकरणें/आवास एवं विकास परिषद की बैठक होगी, तब इस योजना का भी अनुश्रवण किया जाएगा।

8. इस अवधि में प्राप्त आवेदनों, एक पक्ष में सत्यापित विवरणें आदि के विषय में सूचना संलग्न विवरण पत्र पर शासन को हर माह भेजी जाएगी तथा पूरी अवधि के बाद अन्तिम विवरण भी भेजा जाएगा।

9. कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या-3228(1)/9-आ-1-2001-01वि/2000 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा. आवास मंत्री/राज्य आवास मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, आवास एंव नगर विकास, उ.प्र. शासन।
3. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. अपर निदेशक, नियोजन, उत्तर प्रदेश आवास बन्धु।

आज्ञा से,
टी0पी0 पाठक
विशेष सचिव

डिफाल्ट के एक बार समाधान (OTS) योजना हेतु आवश्यक सूचना

1. Name :

2. House/Plot No. : _____ 3. Name of Scheme . _____

4. Catergory of House/Plot :

5. कुल मूल्य/संशोधित मूल्य रू0 _____ 6. आवंटन की तिथि / /

7. Rate of Interest : (at the time of allotment)

On/By Date : / /

PAYMENT DETAILS भुगतान विवरण

	भुगतान धनराशि		भुगतान तिथियाँ
Payment Amount :		Date :	/ /
Payment Amount :		Date :	/ /
Payment Amount :		Date :	/ /
Payment Amount :		Date :	/ /
Payment Amount :		Date :	/ /
Payment Amount :		Date :	/ /
Payment Amount :		Date :	/ /
Payment Amount :		Date :	/ /
Payment Amount :		Date :	/ /
Payment Amount :		Date :	/ /
Payment Amount :		Date :	/ /
Payment Amount :		Date :	/ /
Payment Amount :		Date :	/ /
Payment Amount :		Date :	/ /
Payment Amount :		Date :	/ /

संलग्नक :

(i) आवंटन पत्र की प्रतिलिपि

(ii) भुगतान की रसीदों की प्रतिलिपियाँ। संख्या .....

हस्ताक्षर _____

नाम _____

पत्राचार हेतु पता _____

ओ0टी0एस0 योजना का पाक्षिक (Fortnightly) प्रगति विवरण प्रपत्र

दिनांक 1/15 ..... 2001 की स्थिति

प्राधिकरण का नाम :

(रू0 लाख में)

अन्तिम (Tentative) ओ0टी0एस0 मेमो निर्गत किए गये		अन्तिम (Final) ओ0टी0एस0 मेमो निर्गत किए गये		ओ0टी0एस0 के अन्तर्गत जमा धनाराशि		ओ0टी0एस0 अन्तर्गत पूर्ण मामले	
पक्ष में	क्रमिक	पक्ष में	क्रमिक	पक्ष में	क्रमिक	संख्या	धनराशि
1	1	1	4	5	6	7	8

(सम्बन्धित अधिकारी का हस्ताक्षर/मुहर)

INTEREST CALCULATION MEMO FOR O.T.S.

NO. 1

Name : S.S. Das

Mailion Address : 11/872 Vikas Nagar, Lucknow

Scheme : Vikas Nagar Ext.

Category : E.W.S.

Date of Allotment : 18/01/2001

Cost of Property : 12500.00

House/Plot No. : 11/872

Rate of Interest : 10.50

OTS Amount to be paid On/By : 18/07/2001 Rs. 113962.00

Outstanding Balance Cost of Property	Amount Paid		No. of Days	Interest Amount	Interest Adjusted	Principal Adjusted	Balance cost of Property
	Amount	Date					
125000.00	1250.00	14/03/2001	25	899.00	899.00	351.00	124649.00
124649.00	2000.00	18/03/2001	29	1040.00	1040.00	960.00	1232689.00
123689.00	15000.00	05/05/2001	77	2740.00	2740.00	12260.00	111429.00
111429.00	5000.00	15/05/2001	87	2789.00	2789.00	2211.00	109262.00
		18/07/2001	151	4744.00			

नोट : उपरोक्त गणना आवेदक द्वारा दी गई सूचना पर आधारित है, इसलिए अंतरिम हैं। औपचारिक आवेदन किए जाने के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा किश्तो व किये गये भुगतान व आवंटन की अन्य शर्तो आदि का सत्यापन किया जायेगा। यदि देयताएँ मे कोई अन्तर होगा तो प्राधिकरण/परिषद् द्वारा अवगत कराया जायेगा।

संख्या-4611/9-आ-1-01-01 वि/2000

प्रेषक,

टी0पी0 पाठक,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश शासन।

लखनऊ : दिनाँक : 11 सितम्बर, 2001

आवास अनुभाग-1

विषय :वितथ समाधान योजना- एक बार समाधान (ओ0टी0एस0) का लाभ आवासीय-सह-व्यवसायिक सम्पत्तियों के आवंटियों को प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उर्पयुक्त विषय में निर्गत शासनादेश संख्या-3228/9-आ-1-01-01 वि/2000, दिनांक 26.6.2001 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ओ0टी0एस0योजना का लाभ आवासीय-सह-व्यवसायिक सम्पत्तियों के आवंटियों को भी प्रदान किया जाय।

2. आवासीय-सह-व्यवसायिक सम्पत्तियों के आवंटियों को ओ0टी0एस0 योजना का लाभ तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य होगा एवं इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से 03 (तीन) माह तक अनुमन्य रहेगा।

3. शासनादेश संख्या-3228/9-आ-1-01, दिनांक 26.6.2001 उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त शासनादेश की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

कृपया उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
टी0पी0 पाठक
विशेष सचिव

संख्या-461/(1) 9-आ-1-01, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 आवास मंत्री जी/मा0 राज्यमंत्री, आवास, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. अपर निदेशक, नियोजन, उ0प्र0 आवास बन्धु।

आज्ञा से,
अमिताभ त्रिपाठी
अनु सचिव

संख्या-882/9-आ-1-2001-72 बैठक/1998

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
   लखनऊ।
2. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनाँक : 16 फरवरी 2001

विषय : सम्पत्तियों के किराये पर आवंटन पर रोक- विकास प्राधिकरण तथा तत्कालीन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की किराये पर उठी अमितव्ययी सम्पत्तियों का निस्तारण।

महोदय,

उर्पयुक्त विषयक शासनादेश संख्या- 4872/9-आ-1-99-72 बैठक/1998 दिनांक 04.11.1999 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों एवं तत्कालीन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की किराये पर उठी अमितव्ययी सम्पत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में कतिपय व्यवस्थायें सुनिश्चित की गयी थी।

2. उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विकास प्राधिकरण एवं आवास विकास परिषद् द्वारा कोई भी सम्पत्ति किरायेदारी के आधार पर न आवंटित की जाय बल्कि ऐसी सम्पत्तियों का विक्रय नियमानुसार सुनिश्चित कराया जाय। यदि सम्बन्धित किरायेदार सन्दर्भगत शासनादेश के अन्तर्गत सम्पत्ति क्रय करने के इच्छुक नही है तो उनसे वर्तमान बाजार दर के आधार पर किराया निर्धारित कर लिया जाय। केवल स्टाफ क्वार्टर ही इससे अवमुक्त रहेंगे। उनको कर्मचारियों को विक्रय किये जाने से पूर्व औचित्य अवगत कराते हुए शासन की पूर्वानुमति ली जाय।

3. उक्त व्यवस्थायें तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगी। कृपया इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या शासन को 15 मार्च, 2001 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीयं,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या- 882/9-आ-1-2001 तद दिनांक :

उपर्युक्त की प्रतिलिपि मण्डलायुक्त/अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, फैजाबाद, मेरठ, इलाहाबाद, वाराणसी, झांसी, आगरा, बरेली, मुरादाबाद एवं सहारनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
अमिताभ त्रिपाठी
अनु सचिव

संख्या-4049/9-आ-1-99/16समिति/1998

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनाँक- 20 नवम्बर, 1999

आवास अनुभाग - 1

विषय : विकास प्राधिकरणों एवं आवास विकास परिषद की सम्पत्तियों की कांस्टिंग के लिए आदर्श मार्गदर्शक सिद्धान्त (गाइड लाइन्स) के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि विकास प्राधिकरणों तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा सृजित एवं विकसित परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में अलग-अलग सिद्धान्त अपनाये जा रहे है। इस सम्बन्ध में शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया है कि विभिन्न विकास प्राधिकरणों तथा उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद में परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में एकरूपता लाये जाने के उद्देश्य से शासन द्वारा आदर्श मार्गर्शक सिद्धान्त बनाये जायें।

इस सम्बन्ध में विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि विकास प्राधिकरणों तथा उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा सृजित एवं विकसित सम्पत्तियों का मूल्यांकन संलग्न आदर्श मार्गदर्शक सिद्धान्त के अनुसार प्राधिकरण बोर्ड/परिषद बोर्ड में दिनांक - 30.11.99 तक रखकर विचार कर लागू किया जाये एवं कृत कार्यवाही से शासन को दिनांक - 15.12.99 तक अवगत कराया जाये।

भवदीय
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

आदर्श कास्टिंग गाइड लाइन्स (मूलभूत सिद्धान्त)

1. **सम्पत्ति की अंतिम लागत गणना :-**

औपचारिक आवंटन की तिथि पर वास्तविक कीमत आंकलित कर यह कीमत वसूली जानी चाहिए। यदि मूल्य निर्धारित करने में विलम्ब होता है तो आवंट की तिथि को डिस्काउण्टेड मूल्य, लोनिंग एजेन्सी द्वारा प्राधिकरण को दिये गये ऋण की ब्याज की दर पर आंकलित करते हुए इस प्रकार आई कीमत को आवंटन का मूल्य माना जाना चाहिए और इस मूल्य की किश्तें उस ब्याज दर पर बनायी जानी चाहिए जिस पर आवंटी के साथ अन्तिम सहमति प्राधिकरण की हुई है। यदि वास्तविक मूल्य आवंटन-पत्र में अंकित मूल्य से 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ता है तो क्र0सं0-6 के अनुसार आवंटी को विकल्प उपलब्ध होगा।

2. **भूमि की दर में वृद्धि से सम्बन्धित :-**

ऐसी योजनायें जिसमें विकास कार्य अपूर्ण है वहां भू-अध्यापित हेतु लोनिंग एजेन्सी के सम्बन्धित कैटेगरी के कार्य हेतु भू-अध्याप्ति ऋण की नवीनतम ब्याज दर में 1 प्रतिशत बढ़ाकर प्राप्त दर पर भूमि का मूल्य प्रतिवर्ष बढ़ाया जाये। पूर्णतया विकसित अथवा नगर निगम को हस्तान्तरित योजनाओं में भूमि की दर सर्किल रेट के बराबर रखी जाये। विशेष परिस्थितियों में (बोर्ड) दरों को निर्धारित करने के लिए सक्षम होना चाहिए परन्तु विशेष कारणों का पूर्ण उल्लेख किया जाना चाहिए। कार्नर सम्पत्ति पर 10 प्रतिशत, पार्क फेसिंग पर 5 प्रतिशत तथा 18.00 मीटर एवं उससे अधिक चौड़ी सड़क पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य लगाया जाना चाहिए। यदि किसी सम्पत्ति में तीनों गुण हों तो उसका मूल्य सामान्य मूल्य से 20 प्रतिशत अधिक होगा।

3. **भूमि का अध्याप्ति मूल्य बढने के कारण :-** प्रतिकर के सम्बन्ध में अभिनिर्णय घोषित होने के पश्चात भूमि अर्जन अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार किसी न्यायालय द्वारा प्रतिकर की धनराशि बढ़ायी जा सकती है। अतः इसकी संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए उसका प्राविधान पंजीकरण पुस्तिका/आवंटन-पत्र/लीज डीड/फ्रीहोल्ड डीड में किया जाना चाहिए।

4. **सम्पत्तियों के मूल्यांकन की विधि :-**

(भाषा संलग्नक - 1 में दी हुई है।)

(क) रिक्त सम्पत्तियों का मूल्यांकन

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आवंटन करने की दशा में आवंटी से लिये जाने वाला मूल्य वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में ही निर्धारित कर दिया जाना चाहिए।

(ख) सम्पत्ति का मूल्य निर्धारण

मूल्य निर्धारण के लिए अभी तक आडिट चार्जेज, अनुरक्षण चार्जेज, प्रशासनिक व्यय, प्राधिकरण सरप्लस, लोन प्रोसेसिंग चार्जेज, यातायात सुधार चार्जेज तथा अन्य नाना प्रकार के चार्चेज लिये जाते है और इसके फार्मूले भी अत्यंत जटिल है। प्राधिकरण के कार्य में कुछ अनफोरसीन खर्चे भी समय-समय पर हो जाते है जो एस्टीमेंट बनाते समय नही ज्ञात होते है। अतः निम्न सरलीकृत फार्मूला प्रस्तावित किया जाता है :-

बेसिक मूल्य

(भूमि की लागत + ब्याज + आन्तरिक विकास कार्यों की लागत + 1% ब्याज + वाह्य विकास कार्यों की लागत + ब्याज + भवन निर्माण लागत + ब्याज)

नोट :- यदि ऋणदायी संस्था को कोई दण्ड ब्याज भुगतान किया गया है तो वह भी बेसिक मूल्य की गणना में जोड़ा जायेगा।

एच. आई. जी./एम. आई. जी./एम. एम. आई. जी. श्रेणियों के लिए वास्तविक मूल्य - बेसिक मूल्य + 15 प्रतिशत कन्टिन्जेन्सी + 15 प्रतिशत ओवरहैड।

एल. आई. जी. श्रेणियों के लिए वास्तविक मूल्य =

बेसिक मूल्य + 15 प्रतिशत कन्टिन्जेन्सी + 12.50प्रतिशत ओवरहैड।

कमजोर वर्ग तथा अन्य छोटी श्रेणियों के लिए वास्तविक मूल्य = बेसिक मूल्य + 15 प्रतिशत कन्टिन्जेन्सी + 10 प्रतिशत ओवरहैड

5. **आन्तरिक तथा वाह्य विकास के मूल्यांकन में सम्मिलित किये जाने वाले कार्य -**

आन्तरिक विकास

1. सर्वेक्षण (कन्टूरिंग एवं लेवलिंग)
2. भूमि का समतलीकरण योजना के अर्थ बैलेंसिंग प्लान के अनुसार कटिंग एवं फिलिंग आदि का कार्य।
3. भूमि के चिन्हतोकरण का कार्य।
4. भूमि सुधार के अन्य कार्य।
5. सड़कों का निर्माण।
6. जल व्यवस्था।
7. सीवर एकत्रीकरण व्यवस्था एवं आन्तरिक सीवर सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट।
8. विद्युत वितरण व्यवस्था (विद्युत उपकेन्द्रों की भूमि का मूल्य भी सम्मिलित किया जाना चाहिए ताकि राज्य विद्युत परिषद को नि:शुल्क भूमि उपलब्ध करायी जा सके।)
9. ड्रेनेज नेटवर्क।
10. आर्बोरिकल्चर तथा पार्क (रोड के एलाइनमेंट के पश्चात आर्बोरिकल्चर/प्लान्टेशन का कार्य आरम्भ कर दिया जाना चाहिए, जिससे कि कालोनी विकसित होने तक बड़े वृक्ष तैयार हो जायें।)
11. फिजीकल कन्टेन्जेन्सी तथा टूल्स एवं प्लान्ट्स।
12. ग्रामों का विकास (योजना क्षेत्र के अन्दर)।
13. स्कूल तथा अग्निशमन केन्द्र के लिए आरक्षित भूमि का मूल्य।
14. पुलिस चौकी/पुलिस थाना-डलावघर, सार्वजनिक शौचालय, बस स्टैण्ड, ओटो/टैम्पो स्टैण्ड, रिक्शा स्टैण्ड आदि की भूमि का मूल्य एवं निर्माण लागत भी आन्तरिक विकास मूल्य में जोड़ी जानी चाहिए।
15. नाई, धोबी, पान, बीड़ी-सिगरेट, स्कूटर/साइकिल रिपेयर के मिस्त्री आदि तथा सब्जी, फल, मीट, मछली आदि की दुकानो के लिए व्यावसायिक सम्पत्ति आवासीय दर पर बेचने हेतु प्राविधान करने की लागत।

16. बैंक, प्रेस, नर्सिंग होम/अस्पताल आदि व्यावसायिक सुविधाओं के लिए भूमि आवासीय भूमि की दर से डेढ़ गुनी दर पर बेचन के लिए प्राविधान आन्तरिक विकास शुल्क में रखा जाना चाहिए।

वाह्य विकास

1. पहुँच मार्ग का निर्माण तथा इनके लिए आवश्यक भूमि के अर्जन की लागत।
2. योजना के प्रारम्भ तक पर्याप्त पेयजल लाने के लिए व्यवस्था इन्फ्रास्ट्रक्चर की लागत।
3. योजना का सीवेज डिस्पोजल करने के लिए वाह्य सीवज की लागत।
4. योजना के बाहर तक विद्युत उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था।
5. वाह्य ड्रेनेज परियोजना की लागत।
6. छोटी कालोनियों में अथवा निजी कालोनियों के वाह्य विकास शुल्क के मूल्यांकन के लिए सड़क, पानी, विद्युत, सीवेज व ड्रेनेज के अतिरिक्त स्कूल, अग्निशमन केन्द्र, विद्युत सब-स्टेशन तथा खेल मैदान के लिए प्राधिकरण अथवा अन्य एजेन्सियों द्वारा की गयी अथवा भविष्य में की जाने वाली व्यवस्था के लिए भूमि की लागत लोड की जानी चाहिए तथा पुलिस चौकी/पुलिस थाना, कूड़ा निस्तारण करने के लिए मुख्य इन्फ्रास्ट्रक्चर (टन्चिग ग्राउण्ड/उपकरण आदि) सार्वजनिक शौचालय, बस स्टैण्ड, ओटो-टैम्पो स्टैण्ड-रिक्शा स्टैण्ड आदि के किये गये अथवा भविष्य में किये जाने वाले निर्माण की लागत लोड की जानी चाहिए। इन सुविधाओं के लिए ये आवश्यक नही होना चाहिए कि इन्हें प्राधिकरण निर्मित करे, किसी भी सरकार/अर्द्धसरकारी एजेन्सी द्वारा इनका निर्माण भूतकाल/वर्तमान/भविष्यकाल में कराये जाने की स्थिति में इनकी लागत वाह्य विकास शुल्क में जोड़ी जानी चाहिए।
7. नाई, धोबी, पान-बीड़ी-सिगरेट, स्कूटर/साईकिल, आटो मिस्त्रियों, सब्जी, फल, मीट, मछली आदि की दुकानों हेतु आवासीय दरों पर तथा बैंक, प्रेस, नर्सिंग होम आदि के लिए जगह-जगह प्राधिकरण एवं सरकारी एजेन्सियों द्वारा आवासीय की डेढ़ गुनी दरों पर भूमि की उपलब्धता कराने की व्यवस्था को देखते हुए निजी कालोनियों से लिये जाने वाले वाह्य विकास शुल्क में इनकी लागत भी लोड की जानी चाहिए।

6. **पंजीकरण पुस्तिका तथा आवंटन पत्र में मूल्यवृद्धि के सम्बन्ध में प्राविधान :-**

सम्पत्ति के आवंटन-पत्र में अंकित मूल्य यथासम्भव सही मूल्य होना चाहिए और उसमें यह व्यवस्था होनी चाहिए कि वास्तविक मूल्य इससे 10 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकेगा। दस प्रतिशत का यह प्रतिबन्ध न्यायालय आदेशों अथवा स्थगन आदेशों के कारण होने वाली मूल्य वृद्धियों पर लागू नही होगी। यदि संपत्ति का मूल्य 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ जाता है तो आवंटी को अधिकार होगा कि वह प्राधिकरण से सम्पत्ति न क्रय करे और ऐसी दशा

में प्राधिकरण उसके द्वारा जमा किये गये धन पर 9 प्रतिशत साधारण ब्याज प्रतिवर्ष की दर से देगा। इस प्रकार यदि प्राधिकरण निर्धारित अवधि में सम्पत्ति का कब्जा आवंटी को नही दे पाते है तब भी आवंटी को सम्पत्ति क्रय न करन तथा प्राधिकरण से 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष साधारण ब्याज लेने का अधिकार होना चाहिए।

7. **किश्तों में ब्याज की दर :-**

सम्बन्धित योजना में एक ही श्रेणी की सम्पत्तियां के लिए ऋणदायी संस्थाओं द्वारा विभिन्न ब्याज दरों पर ऋण देने की स्थिति में अधिकतम ब्याज दर में 1 प्रतिशत जोड़कर प्राप्त दर पर आवंटी की किश्तें बनायी जानी चाहिए।

8. **किश्त की धनराशि देय तिथि तक जमा न करने पर दण्ड ब्याज लिए जाने से संबंधित**

1. समय से किश्तें जमा न करने पर दण्ड ब्याज की दर वही हो जो प्राधिकरण अथवा परिषद ऋणदायी संस्था को देता है तथा इसकी गणना की वही प्रक्रिया होगी जो ऋणदायी संस्था की होती है।

2. यदि कोई योजना विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद अपने श्रोतो से क्रियान्वित करता है तो हुडको द्वारा इस प्रकार के कार्य हेतु निर्धारित ब्याज दर पर 1 प्रतिशत बढ़ाकर ब्याज लगाया जायेगा तथा दण्ड ब्याज की दर उपरोक्त संस्था द्वारा निर्धारित दण्ड ब्याज की दर से ली जायेगी तथा उसे इस प्रकार कम्पाउण्ड किया जायेगा जिस प्रकार उपरोक्त संस्था ऋण के सम्बन्ध में करती है।

9. **अलोकप्रिय सम्पत्तियों का मूल्य निर्धारण :-**

अलोकप्रिय सम्पत्तियों का मूल्य निर्धारित करने के लिए भूमि की वर्तमान लागत में निर्माण की वर्तमान लागत जोड़कर डेप्रोशियेशन घटाकर प्राप्त कीमत को आधार मानना चाहिए। इससे कम मूल्य रखने पर मूल्य का निर्धारण बोर्ड से स्वीकृत होना चाहिए तथा सम्पत्ति आक्शन/टेण्डर से बेचनी चाहिए।

10. **नयी योजना के क्रियान्वयन पर सम्पत्ति के मूल्यंकन के संबंध में**

नयी योजना विकसित करने पर सर्वप्रथम उपलब्ध सम्पत्तियों में से भौगोलिक रूप से बीच में स्थित 10 प्रतिशत छांटकर ओपिन ऑक्शन से बेचने का प्रयास किया जाना चाहिए। इस ऑक्शन में प्राप्त बोलियों तथा वास्तविक लागत का विश्लेषण स्टडी कर शेष 80 प्रतिशत सम्पत्तियों का पंजीकरण/आरक्षण के आधार पर बेचने के लिए मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए। पुरानी योजनाओं के लिए प्रत्येक वर्ष फरवरी में अवशेष सम्पत्तियों का 10 प्रतिशत भोगोलिक रूप से बीच में छांटकर ऑक्शनकर प्रचलित मूल्यों का अन्दाज लगाया जाना चाहिए और वास्तविक लागत/सर्किल रेट आदि अतिरिक्त सूचनाओं का भी परीक्षण कर प्रत्येक वर्ष मार्च में अगले वर्ष के लिए कीमतें तय की जानी चाहिए।

11. **खण्डवार (सेक्टोरियल) कास्टिंग तथा सम्पूर्ण योजना की कास्टिंग से संबंधित :-**

अलग-अलग विकास प्राधिकरण तथा आवास परिषद आवश्यकता के अनुरूप

सेक्टर बनाये तथा सेक्टरवाईज क्रम से विकास कराने के पश्चात तथा आवंटन पश्चात अगले सेक्टर को लें। इसकी क्रमबद्धता पहले से निर्धारित की जानी चाहिए। इसी के अनुरूप पंजीकरण एवं आवंटन तथा कब्जे आदि की कार्यवाही एवं नगर निगम को हस्तान्तरण करने की कार्यवाही की जानी चाहिए।

12. **कालोनी नगर निगम को हस्तान्तरित करने से पूर्व कालोनी के रख-रखाव हेतु सर्विसेज चार्जेज लेने एवं नगर निगम को हस्तान्तरित करने पर देय धनराशि/इक्युपमेन्ट से संबंधित :-**

1. जब तक किसी योजना की सर्विसेज का हस्तान्तरण नगर निगम को नहीं किया जाता है तब तक उसका रखरखाव विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद द्वारा किया जायेगा। अत: उपरोक्त परियोजना हेतु विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद द्वारा निर्धारित सर्विस चार्जेज आवंटियों से लिये जायेंगे परन्तु उसका स्पष्ट उल्लेख पंजीकरण पुस्तिका/आवंटन पत्र तथा लीज डीड/फ्रीहोल्ड डीड में किया जाना चाहिए। इस हेतु कास्टिंग के समय ही सर्विस चार्जेज का निर्धारण भी करना चाहिए और आवश्यकता होने पर इसे भी पुन: निर्धारित प्रत्येक फरवरी में करना चाहिए।

2. सामान्यतया योजना की सर्विसेज नगर निगम को हस्तान्तरित करने पर नगर निगम द्वारा अनेकों कमियां इंगित की जाती है। अत: योजना प्रारम्भ करने से पूर्व नगर निगम से सर्विसेज के मानक ज्ञात करके सर्विसेज का कार्य विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद को करना चाहिए तथा नगर निगम द्वारा हस्तान्तरण के समय जिन इक्युपमेन्ट की आवश्यकता के सम्बन्ध में बताया जाये उनकी धनराशि का प्राविधान योजना की लागत निकालते समय कर लेना चाहिए।

13. **आवासीय/व्यवसायिक सम्पत्तियों की एकमुश्त बिक्री से सम्बन्धित :-**

इसकी मूल्यांकन की प्रक्रिया सम्पत्ति की मांग तथा योजना में अनुमनय एफ0ए0आर0 पर निर्भर करेगी। अत: विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए मूल्यांकन कर सकता है।

14. **आवंटन निरस्त होने के पश्चात पुर्नजीवित करने पर पुर्नजीवन शुल्क लेने से संबंधित**

यदि आवंटी की गलती से आवंटन निरस्त होता है तो ऐसी दशा में पुर्नज़ीवन के लिए सम्पत्ति को जो मूल्य लगाया जायेगा, वह वर्तमान मार्केट दर का 75 प्रतिशत अथवा योजना का प्रचलित वर्तमान मूल्य, जो भी अधिक है, के बारबर होगा। यदि विकास प्राधिकरण की गलती से कोई आवंटन निरस्त होता है तो ऐसी स्थिति में उसे पुर्नजीवन न मानते हुये माना जाएगा और सम्पत्ति का मूल्य पूर्ववत् रहेगा। रेस्टोरेशन पूर्ण धन की अदायगी बाद ही किया जाये।

15. **मानक क्षेत्रफल से वास्तविक क्षेत्रफल बढ़ने पर :-**

यदि लीज प्लान प्राप्त होने पर भूमि की मात्रा आवंटित क्षेत्रफल से बढ़ती है, तो बढ़े हुये क्षेत्रफल में आवंटित क्षेत्रफल से 10 प्रतिशत अधिक तक पुरानी दर से तथा उसके अतिरिक्त बढ़े हुए क्षेत्रफल की नई दर लगायी जायेगी।

16. **बिना मूल्य के आवंटन पत्र निर्गत करने पर :-**

यद्यपि निर्धारित प्रारूप पर आवंटन पत्र निर्गत करने का प्राविधान किया गया है परन्तु यदि बिना निर्धारित प्रपत्र के आवंटन पत्र निर्गत किया जाता है और उसमें मूल्य का कोई उल्लेख नही है तो जिस तिथि को निर्धारित प्रारूप पर आवंटन पत्र निर्गत किया जायेगा उस तिथि को अन्तिम मूल्य आंकलित कर आवंटन पत्र के अनुसार ही धनराशि आवंटी द्वारा देय होगी।

17. **परिवर्तन शुल्क :-**

1. यदि किसी व्यक्ति को भवन/भूखण्ड आवंटित होता है और उसके पश्चात यदि परिवर्तन किया जाता है तो प्रत्येक परिवर्तन पर नवीन सम्पत्ति के वर्तमान मूल्य का 15 प्रतिशत परिवर्तन शुल्क लिया जायेगा।

2. यदि आवंटी द्वारा पूर्व में कोई धनराशि जमा की गयी हो तो उसकी नेट प्रजेन्ट वैल्यू निकाली जायेगी। इसको निकालने में ऋणदायी संस्था की जो ब्याज दर हो, उस दर का उपयोग किया जायेगा। यदि विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद द्वारा अपनी धनराशि विनियोजित की गयी है तो हुड़को द्वारा सम्बन्धित श्रेणी के लिए निर्धारित ब्याज दर से उपरोक्त वैल्यू निकाली जायेगी। इस प्रकार प्राप्त वैल्यू को नई सम्पत्ति के मूल्य में एडजस्ट किया जाये।

3. यदि विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद अपनी किसी चूक/विवाद के कारण आवंटित सम्पत्ति का परिवर्तन करता है तो परिवर्तन शुल्क देय नही होगा तथा ऐसे मामलों में परिवर्तन को समायोजन माना जायेगा परन्तु इस प्रकार का समायोजन अधिकतम एक स्तर, ऊपर सम्पत्ति के लिए ही होगा। नई सम्पत्ति के मूल्य की डिस्काउण्टेड वैल्यू निकाली जोयगी जिसमें ब्याज की दर उपरोक्त क्रम संख्या-2 के अनुसार रहेगी। यह मूल्य आवंटी से वर्तमान में बिना ब्याज लगाये लिया जायेगा।

18. **विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद के कर्मचारियों/अधिकारियों को आवंटित सम्पत्ति के मूल्यांकन के सम्बन्ध में।**

किसी भी प्राधिकरण अथवा आवास विकास परिषद के कर्मचारियों/अधिकारियों को जो सम्पत्तियां आवंटित की जायेंगी उनमें सम्पत्ति के वर्तमान मूल्य में 10 प्रतिशत की एकमुश्त छूट अनुमन्य होगी, यह सुविधा पूरे सेवाकाल में केवल एक बार दी जायेगी। इस छूट का लाभ कर्मचारियों/अधिकारियों की इच्छा के प्राधिकरण/परिषदीय कालोनी में लिया जा सकता है।

19. **एक मंजिले से अधिक भवनों/दुकानों में भूमि की लागत-लगाये जाने से सम्बन्धित दो मंजिले भवनों में :-**

1. दो मंजिले भवनों में

इन भवनों में भूमि के मूल्य का
विभाजन भूतल तथा प्रथम तल की लागत में 60:40 में किया जायेगा।

2. तीन मंजिले भवनों में

इन भवनों में भूमि के मूल्य का विभाजन भूतल, प्रथम तल तथा द्वितीय तल की लागत में 45:25:30 में किया जायेगा।

3. चार मंजिले भवनों में

इन भवनों में भूमि के मूल्य का विभाजन भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा

तृतीय तल की लागत में 40:20:20:20 में किया जायेगा।

4. भूतल पर दुकान तथा प्रथम तल एवं द्वितीय तल पर भवन

इसमें भूमि की व्यवसायिक दर लगायी जायेगी। भूमि के मूल्य का विभाजन भूतल, प्रथम तल तथा द्वितीय तल में 50:25:25 में किया जायेगा।

5. ग्रुप हाउसिंग हेतु

इस प्रयोजन हेतु जितनी भूमि प्रयोग में लायी जायेगी उसका प्रीमियम निर्धारित दर से लगाया जायेगा। ग्रुप हाउसिंग के अन्तर्गत जितना कवर्ड सुपर एरिया आता है उससे उपरोक्त प्रीमियम को विभाजित किया जायेगा। इस प्रकार प्रति वर्ग मीटर दर निकल जायेगी। प्रत्येक भवन में जितना कवर्ड सुपर एरिया होगा उसमें भूमि का प्रीमियम उपरोक्त दर से लगाया जायेगा।

20. **अन्य बिन्दु :-**

(क) सम्पत्ति आवंटन हेतु आय श्रेणियों का निर्धारण

सम्पत्तियों के मूल्यों की किश्तों की संख्या ऐसी निर्धारित की जाय ताकि वह पेइंग कैपेसिटी के अन्तर्गत रहे।

1. सामान्यत: यह मानना चाहिए कि कोई व्यक्ति अपने परिवार की वार्षिक औसत आय से 5 गुनी वैल्यू की सम्पत्ति क्रय करता है और उसकी वार्षिक आय का अधिकतम 40 प्रतिशत वह मकान के मूल्य के भुगतान करने की प्रतिवर्ष क्षमता रखता है। इस आधार पर विभिन्न श्रेणियों की सम्पत्तियों की विभिन्न आय ब्रेकिट में आवंटन करने की नीति होनी चाहिए। वर्तमान में आय के मानक पुराने होने के कारण कम आय वाले लोगों को उनकी पहुंच से बाहर के मकान क्रय करने हेतु बाध्य किया जा रहा है।

(ख) अनिस्तारित सम्पत्तियों के चिन्हांकन का आधार :-

1. अनिस्तारित सम्पत्तियां वह मानी जायें जिनकी योजनाओं में विकास कार्य मूल परियोजना में निर्धारित पूर्ण होने की अवधि से डेढ़ गुने अथवा अधिक समय तक पूरे नही हो पाये है अथवा प्रत्येक वर्ष 25 प्रतिशत से कम सम्पत्तियां बिक पा रही है। ऐसी सम्पत्तियों को बेचने के लिए मौके पर उपलब्ध विकास कार्यों की वास्तविक लागत के आधार पर कास्टिंग कर बेचने के प्रयास करने के बाद भी विक्रय टर्न ओवर 25 प्रतिशत प्रतिवर्ष से कम होना अलोकप्रिय सम्पत्ति की पहचान का आधार होना चाहिए। इस प्रकार की सम्पत्तियां बेचने की दशा में आवंटन-पत्र एवं लीज डीड में यह सपष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए कि अपूर्ण विकास कार्य कराने पर उन पर होने वाला व्यय अतिरिक्त मूल्य के रूप में बाद में लिया जायेगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने से पूर्व रिक्त सम्पत्तियों का मूल्य निर्धारण करने से पहले ही प्रस्तर - 10 के अनुरूप 10 प्रतिशत सम्पत्तियों की नीलामी की जायेगी। यदि इस प्रकार नीलामी के फलस्वरूप अलोकप्रिय घोषित सम्पत्तियों का विक्रय उनके लिए निर्धारित मूल्य से 10 प्रतिशत अधिक दर होता है तो सम्पत्ति अलोकप्रिय नही मानी जायेगी। अलोकप्रिय सम्पत्तियों का चिन्हांकन अन्तिम रूप से बोर्ड द्वारा किया जाना चाहिए।

भवदीय

अतुल कुमार गुप्ता

सचिव

आवास विभाग

संख्या-378/9-आ-1-सम्पत्तियाँ/आ.ब./2001

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ.प्र.आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनाँक : 20 जून, 2001

विषय :उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा सम्पत्तियों की नीलामी हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्त।

महोदय,

प्रदेश के आवास एवं विकास परिषद तथा विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा नीलामी से निस्तारण होने वाली सम्पत्तियों हेतु भिन्न-भिन्न प्रकार की प्रक्रिया वर्तमान में अपनाई जा रही है, जिसके कारण जनसाधारण को प्रायः कठिनाईयों का समाना करना पड़ता है। अतः प्रदेश के समस्त अभिकरणों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से नीलामी द्वारा निस्तारित होने वाली सम्पत्तियों के लिए शासन ने **मार्ग दर्शक सिद्धान्त** जारी किये जाने का निर्णय लिया है जिससे कि यथासम्भव सभी अभिकरणों में यह कार्य समान प्रक्रिया व समान आधार पर किया जा सके।

इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि सभी अभिकरण शासन द्वारा निर्धारित संलग्न **मार्गदर्शक सिद्धान्तों** को अपने यहाँ लागू करें। यदि किसी बिन्दु पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण किसी विशेष व्यवस्था/परिवर्तन की आवश्यकता हो, तो इस प्रकार का बिन्दु अभिकरण के बोर्ड के अनुमोदन उपरान्त लागू कर शासन को भी सूचित कर दिया जाय।

मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि इन मार्ग दर्शक सिद्धान्तों का सभी अभिकरणों द्वारा व्यापक प्रचार व प्रसार किया जाय ताकि इस नयी सुविधा से जन साधारण लाभान्वित हो सके।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

संख्या : 388(1)/9-आ-1-सम्पत्तियाँ/आ.ब./2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :

1. अध्यक्ष, आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश।
2. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3 आवास विभाग के समस्त अनुभाग अधिकारी। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास, कानपुर।
4. अधिशाषी निदेशक, आ.ब.उ.प्र.।

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद/प्राधिकरणों द्वारा भूखण्ड/भूमि विकसित/ अर्द्धविकसित भवन निर्मित/अर्द्धनिर्मित की खुली नीलामी के मार्ग दर्शक सिद्धान्त

परिषद/प्राधिकरणों में सम्पत्तियों के विक्रय हेतु नीलामी की प्रक्रिया में होने वाले अप्रत्याशित विलम्ब को कम करने, समुचित प्रतिस्पर्धा तथा पारदर्शिता के उद्देश्य से नीलामी की प्रक्रिया में निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित की जाय :-

1. सम्पत्ति का सत्यापन करना :-

जिस प्रकार की सम्पत्ति की नीलामी की जानी है उसका सम्पूर्ण विवरण निम्नानुसार तैयार किया जायेगा :-

(i) संदर्भित सम्पत्ति, अर्जित है, भार रहित (**Free From encumbrances**) है, विवाद रहित है अथवा नहीं इत्यादि का सम्पूर्ण विवरण। यथा स्थिति निस्तारण किये जाने की दशा में उपरोक्त तथ्यों का नीलामी अभिलेख में स्पष्ट उल्लेख।

(ii) साईट प्लान, स्थल की मापें तथा विकास कार्यो की स्थिति की सम्पूर्ण सूचना।

(iii) ले आउट प्लान तथा महायोजना में भूमि की स्थिति, व निर्धारित भू-उपयोग, प्रस्तावित भूखण्ड के विभिन्न तलों पर अनुमन्य उपयोग, सैटबैक, भूतल कवरेज, अनुमन्य एफ.ए.आर, बेसमेंट, भवन की ऊँचाई तथा सम्बन्धित क्षेत्र में लगे प्रतिबन्ध तथा भवन उपविधियों से सम्बन्धी सूचना।

2. शर्तो की स्वीकृति :-

नीलामी द्वारा सम्पत्ति निस्तारण हेतु विस्तृत शर्ते तैयार करवाकर नीलामी से पूर्व आवास आयुक्त/उपाध्यक्ष से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी तथा उसे नीलामी से सम्बन्धित पत्रावली में सुरक्षित रखा जायेगा।

3. नीलामी की सूचना तथा शर्तो की पुस्तिका तैयार करना :-

नीलामी द्वारा सम्पत्ति निस्तारण हेतु, शर्तो की पुस्तिका, सम्बन्धित सम्पत्ति अधिकारी के द्वारा तैयार करवायी जायेगी जिसमें निम्न सूचना तथा शर्तो का समावेश किया जायेगा :-

(i) न्यूनतम आरक्षित मूल्य, टोकेन मनी, धरोहर राशि तथा भुगतान पद्धति का उल्लेख,

(ii) उपरोक्त क्रम संख्या-1 के अनुसार लोकेशन मैप,

(iii) पुस्तिका का मूल्य तथा विक्रय स्थान से सम्बन्धित जानकारी।

4. विज्ञापन सूचना :-

विज्ञापन सूचना में उपरोक्त बिन्दु-3 का समावेश।

5. नीलामी सूचना का प्रकाशन :-

सम्पत्ति की नीलामी के संबंध में व्यापक प्रचार व प्रसार किया जायेगा जिसमें नीलामी का स्थान, तिथि एवं समय उल्लिखित किया जाये तथा आरक्षित मूल्य के अनुसार निम्न प्रक्रिया प्रकाशन हेतु अपनाई जायेगी :

क्रम संख्या	सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य	अखबारों में विज्ञापन	चरणों की संख्या
1.	रू0 50.00 लाख तक	दो राज्य स्तरीय	एक बार
2.	रू0 50.00 लाख से अधिक परन्तु रू0 200.00 लाख तक	एक राष्ट्रीय तथा एक राज्य स्तरीय	तदैव
3.	रू0 200.00 लाख से अधिक	दो राष्ट्रीय तथा दो राज्य स्तरीय	कुल छः विज्ञापन

मितव्ययता की दृष्टि से अखबारों में अलग-अलग तिथि में दो-दो दिन के अन्तराल से, विज्ञापन सूचना निकाली जाय तथा कम से कम दो बाद अवश्य निकाला जाय।

6. विज्ञापन सूचना बोर्ड :-

नीलामी की तिथि से पूर्व नीलामी स्थल पर एक बोर्ड लगाया जाये जिस पर नीलामी संबंधी पूरी सूचना समाचार पत्रों में दिये गये विज्ञापन के अनुसार अंकित की जायेगी।

7. समित का गठन :-

नीलामी की कार्यवाही हेतु आयुक्त/उपाध्यक्ष द्वारा एक समिति का गठन किया जायेगा जिसका अध्यक्ष प्रशासनिक अधिकारी होंगे तथा नियोजन

से सम्बन्धित अधिकारी, सम्पत्ति अधिकारी, सदस्य होंगे। नीलामी की कार्यवाही सुनिश्चित करने का दायित्व इस समिति का होगा। नीलामी के समय किसी भी बिन्दु पर निर्णय लेने का अधिकार नीलामी समिति का होगा।

8. नीलामी हेतु व्यवस्था :-

नीलामी से पूर्व नीलामी स्थान पर आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध, धनराशि जमा करने की व्यवस्था तथा अन्य व्यवस्थायें पूर्ण करायी जायें।

9. सिक्योरिटी रजिस्टर :-

नीलामी में भाग लेने के लिए बोलीदाता से निर्धारित धरोहर राशि नकद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में प्राप्त कर उसे एक टोकन (आगे बिन्दु-17 के अनुसार) निर्गत कर दिया जायेगा। इस हेतु एक रजिस्टर बनाया जायेगा जिस पर सम्भावित बोलीदाता का नाम (हस्ताक्षर सहित) पता, जमा की गयी धरोहर राशि, टोकन नंबर, व वापिस की गयी धरोहर राशि अंकित की जायेगी। इसके अतिरिक्त रजिस्टर पर धरोहर राशि वापस पाने वाले अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर (दिनांक सहित) अंकित कराया जायेगा जिसे सम्पत्ति अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जायेगा। रजिस्टर पर बोलीदाता से आगे बिन्दु-11 के अनुसार एक प्रमाण पत्र भी अंकित कराया जायेगा तथा रजिस्टर को भविष्य के लिए पूर्णतः सुरक्षित रखा जायेगा।

10. नियम व शर्तों का रिकार्ड :-

बोली से पूर्व नियम एंव शर्ते जो पूर्व में अभिलेखों के साथ बोली दाताओं को उपलब्ध भी कराई जा चुकी होगी, की एक प्रति पर बोलीदाताओं के हस्ताक्षर प्राप्त कर रिकार्ड में रखी जायेगी। जिसका दायित्व सम्बन्धित लिपिक/प्रधान लिपिक का होगा।

11. बोलीदाताओं में परस्पारिक संबंध :-

बोली प्रारम्भ करने से पूर्व नीलामी में भाग ले रहे बोलीदाताओं से यह घोषित कराया जायेगा कि वे एक दूसरे से व्यवसायिक रूप से सम्बन्धित नहीं हैं, यथानुसार बिड शीट पर भी यह अंकित होगा, जिसपर सभी बोलीदाता हस्ताक्षर करेगें तथा उनके द्वारा दिये गये घोषणा पत्र को ही सही माना जायेगा क्योंकि बोलीताओं का आपस का क्या सम्बन्ध है यह ज्ञातम कर पाना परिषद/प्राधिकरेण के लिए संभव नहीं होगा। इसी प्रकार बोलीदाताओं से उपरोक्त क्रम संख्या-9 के अनुसार रखे गये रजिस्टर में भी उक्त प्रमाण पत्र के साथ हस्ताक्षर कराये जायेंगे।

12. स्पष्टता :-

नीलामी से पूर्व यदि किसी बिन्दु पर कोई स्पष्टता वाँछित है तो नीलामी समिति सम्बन्धित अधिकारी को बुलाकर समाधान करा सकती है परन्तु ऐसे बुलाए गये सम्बन्धित अधिकारी का नीलामी की प्रक्रिया से कोई दायित्व नहीं होगा।

13. नीलामी का स्थगन अथवा निरस्तीकरण :-

विशेष परिस्थितियों में नीलामी समिति के अध्यक्ष स्वविवेक से नीलामी स्थगित/निरसत कर सकते हैं परन्तु इसके लिए समिति को कारणों का पूरा उल्लेख लिखित रूप में करना होगा।

14. बोलीदातओं की संख्या :-

किसी भी बोली में कम से कम दो बोलीदाता होंगे। विशेष परिस्थितियों में एक बोलीदाता की बिड पर भी विचार किया जा सकता है परन्तु इसके लिए उसकी पूर्ण विवेचना जैसे प्रश्नगत सम्पत्ति कितनी बार नीलामी में लगायी गयी तथा कितनी बोली आई थी, सम्पत्ति में क्या खराबी अथवा क्या अच्छाई है करने के बाद ही विषय आयुक्त/उपाध्यक्ष को अग्रसारित किया जायेगा जिस पर आयुक्त/उपाध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।

15. नीलामी पूर्ण होने पर :-

नीलामी पूर्ण होने पर उच्चतम बोली दाता की बोली शब्दों में अंकित कर सम्पत्ति अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर की जायेगी तथा यथा सम्भव उत्तदायित्व सौंपे गये अन्य कर्मियों तथा साक्ष्य के रूप में उपस्थित अन्य अधिकारियों तथा बोलीदाताओं के हस्ताक्षर कराये जायेंगे। उच्चतम बोलीदाता की धनराशि परिषद/प्राधिकरण के खाते पर ली जायेगी तथा नियमित रसीद जारी की जायेगी। असफल बोलीदाताओं की धनराशि वापस करने की कार्यवाही की जायेगी।

16. असफल बोलीदाता :-

असफल बोलीदाताओं की धरोहर राशि परिषद/प्राधिकरण के खाते में नहीं ली जायेगी बोलीदाता द्वारा टोकन वापिस करने पर धनराशि उन्हें तुरन्त लौटा दी जायेगी। धनराशि वापसी की प्रक्रिया निम्नलिखित क्रम सं0 17 के अनुसार रहेगी। किन्हीं कारणों से धनराशि लौटाने में एक माह से अधिक का समय लग जाने की दशा में प्राधिकरण के द्वारा बचत बैंक खाता की दर से साधारण ब्याज दिया जायेगा।

17. टोकेन से सम्बन्धित :-

निर्धारित प्रारूप में टोकेन की तीन प्रतियाँ छपवायी जायेगी जिसपर प्रथम प्रति बोली बोलने वाले को, द्वितीय प्रति सम्पत्ति अनुभाग को (रिकार्ड हेतु) दी जायेगी। तृतीय प्रति कैशियर के पास सुरक्षित रहेगी। बोली की समाप्ति पर असफल बोलीदाताओं को टोकेन की धनराशि वापिस करने के लिए बोलीदाता की प्रति वापिस ले ली जायेगी तथा उस पर सम्पत्ति अधिकारी टोकेन की धनराशि वापिस के आदेश पारित करेंगे जिसके आधार पर कैशियर द्वारा टोकेन मनी का भुगतान किया जायेगा। सम्पत्ति अनुभाग वाली प्रति को **"Token Money Collected and Refunded "** की मुहर लगाकर उसे पत्रावली में सुरक्षित रखा जायेगा। कैशियर द्वारा टोकेन की धनराशि वापिस करने के उपरान्त अपनी प्रति पर भी **" Token Money Collected and Refunded"** की मुहर लगा कर सुरक्षित रखा जायेगा।

18. आवास आयुक्त/उपाध्यक्ष उक्त के अतिरिक्त स्थानीय स्थिति के अनुसार अन्य शर्ते बढ़ा सकते हैं परन्तु यह संशोधन नीलामी से पूर्व ही कर लिया जाना चाहिए तथा संशोधित शर्तो का संकलन नीलामी के ब्योरे के साथ उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

पी. एल. पुनिया
आवास नगर विकास आयुक्त,
एवं प्रमुख सचिव, आवास, नगर विकास,
नगरीय क्षेत्र रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन

अ0शा0प0-2337/9-आ-2-2001
उत्तर प्रदेश शासन,
बापू भवन,
लखनऊ-226001

लखनऊः दिनाँक- 27 जुलाई, 2001

प्रिय महोदय,

उ0 प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 34 तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 की धारा 41 के अन्तर्गत विकास प्राधिकरणों/आवास एवं विकास परिषद को उनके द्वारा विकसित की गई कालोनियों को स्थानीय निकायों तथा जल संस्थानों को हस्तान्तरित करवाने के प्राविधान है।

2. उपरोक्त प्राविधानों के होते हुए भी काफी समय से ऐसी कालोनियों का हस्तान्तरण सम्बन्धित स्थानीय निकायों तथा जलसंस्थानों को नहीं किया जा सका है। परिणामस्वरूप एक ओर प्राधिकरणों/परिषद पर अनुरक्षण का व्यय भार पड़ रहा है वहीं दूसरी ओर इन नई कालोनियों से हाउस टैक्स तथा वाटर टैक्स न मिल पाने के कारण स्थानीय निकायों तथा जलसंस्थानों को वित्तीय हानि उठानी पड़ रही है।

3. कालोनियों के हस्तान्तरण न होने के कारण प्राधिकरण/परिषद का अधिकतर स्टाफ नगरों के नियोजित विकास के अपने मूल उद्देश्य से हटकर केवल कालोनियों के रख-रखाव में व्यस्त है। जिसके कु-प्रभाव के रूप में नगरों के नियोजित विकास की प्रक्रिया में निरन्तर शिथिलता आ रही है।

4. अतः उपरोक्त विषय में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद द्वारा विकसित कालोनियों को शीर्ष प्राथमिकता पर चरणबद्ध रूप से स्थानीय निकायों तथा जल संस्थानों को मण्डलायुक्त के मार्गदर्शन में हस्तान्तरित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

5. अतएव कालोनियों की अवस्थापना सुविधाओं को स्थानीय निकायों तथा जल संस्थानों को हस्तान्तरित करने के लिए बनाई गई ''दिशा-निर्देश'' की प्रति संलग्न करते हुए मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि उपरोक्त कार्यक्रम के सम्बन्ध में शासन की उच्च प्राथमिकता के दृष्टिगत अपेक्षित है कि आप अपने मण्डल में स्थित ऐसी कालोनियों की अवस्थापना सुविधाओं को उक्त ''दिशा-निर्देश'' के अनुसार स्थानीय निकायों तथा जलसंस्थानों को हस्तान्तरित करवाने का कार्यक्रम निर्धारित कर शासन को ई.मेल (**awas@up.nic.in**) के माध्यम से सूचित करते हुए आगामी दो माह में क्रियान्वित कराया जाना सुनिश्चित करें।

प्रिय

भवदीय
पी. एल. पुनिया

उपरोक्त की प्रति आपको इस आशय से प्रेषित है कि आप अपने स्तर से समस्त उपाध्यक्षों तथा आवास आयुक्त को उपरोक्त कार्यक्रम के क्रियान्वयन कराने में मण्डलायुक्त को यथासम्भव सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित करें।

पी. एल. पुनिया

श्री अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव, (आवास)
उ0प्र0 शासन।

प्रिय

उपरोक्त की प्रति आपको इस आशय से प्रेषित है कि आप अपने स्तर से समस्त मुख्य नगर अधिकारियों तथा अधिशाषी अधिकारियों को उपरोक्त कार्यक्रम के क्रियान्वयन कराने में मण्डलायुक्त को यथासम्भव सहयोग प्रदान करें।

पी. एल. पुनिया

श्री जे. एस. मिश्रा,
सचिव, (नगर विकास)
उ0 प्र0 शासन।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
2. उपाध्यक्ष, समस्त प्राधिकरण उ0प्र0,
3. मुख्य नगर अधिकारी, समस्त नगर निगम उ0प्र0,
4. अधिशाषी अधिकारी, समस्त नगर पालिका परिषद, उ0प्र0।

पी. एल. पुनिया

विकास प्राधिकरणों एवं आवास विकास परिषद द्वारा विकसित कालोनियों को नगर निगम/नगर पालिका परिषद, जलनिगम को हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश

विकसित कालोनियों की अधोलिखित विकास सुविधाओं को उनके सामने अंकित विभागों को हस्तान्तरित किया जाना है :-

क्र0 सं0	विकास कार्य	विभाग का नाम
1	सड़क, बरसाती नाला, पार्क एवं वृक्षारोपड़ तथा स्ट्रीट लाइट	नगर निगम/नगर पालिका परिषद
2.	जलापूर्ति एवं सीवेज डिस्पोजल	जल संस्थान

हस्तान्तरण की प्रक्रिया :

1. सम्बन्धित विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद हस्तान्तरण योग्य कालोनी का नाम तथा विकास कार्य का विस्तृत विवरण संलग्न अनुसूची में अंकित कर उपरोक्त इंगित संदर्भित विभागों को दो प्रतियों में प्रस्तुत करेंगे।
2. प्राधिकरण/परिषद द्वारा उक्त प्रक्रिया पूर्ण कर लिये जाने के 15 दिन के अन्दर उभय पक्षों द्वारा संयुकत स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा एवं स्थलीय निरीक्षण आख्या की एक प्रति मण्डलायुक्त तथा शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
3. संयुक्त स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त उभय पक्षों की सहमति से अवशेष विकास कार्यों को या तो विकास प्राधिकरण/परिषद द्वारा एक निश्चित समयावधि में पूर्ण कराया जाएगा अथवा अवशेष कार्यों की लागत धनराशि सम्बन्धित स्थानीय निकाय/जल संस्थान को उपलब्ध करायी जाएगी। उपरोक्त धनराशि का प्रयोग सम्बन्धित निकाय/जल संस्थान द्वारा उसी योजना की अपूर्ण/क्षतिग्रस्त सेवाओं को पूर्ण/मरम्मत कराने में ही व्यय किया जाएगा। जिसका भुगतान दोनों संस्थाओं की सहमति से कार्य की प्रगति के अनुसार चरणबद्ध रूप से किया जायेगा।
4. अवशेष एवं अधूरे कार्यों की लागत का व्ययानुमान योजना की सेवाओं के हस्तान्तरण के समय पानी की सफाई तथा सीवर के कार्यों के लिए जल निगम का प्रचलित शेड्यूल ऑफ रेट तथा अन्य कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के प्रचलित शिड्यूल ऑफ रेट के आधार पर निर्धारित किया जायेगा।

हस्तान्तरण हेतु प्रशासनिक व्यवस्था :

1. मण्डलायुक्त द्वारा सेवाओं के हस्तांतरण हेतु समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित कर दिया जाएगा जिसके अनुसार सम्बन्धित प्राधिकरण, परिषद, स्थानीय निकाय एवं जल संस्थान के अधिकारियों द्वारा सेवाओं के हस्तांतरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इस सम्बन्ध में किसी स्तर पर कोई शिथिलता या उदासीनता पाये जाने पर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही मण्डलायुक्त द्वारा की जायेगी एवं कृत कार्यवाही शासन के संज्ञान में भी लाई जायेगी।
2. कालोनियों के हस्तान्तरण हेतु सम्बन्धित मण्डलायुक्त द्वारा निम्न अधिकारियों की समिति गठित की जाएगी :
   (i) उपाध्यक्ष, सम्बन्धित विकास प्राधिकरण/आवास आयुक्त अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी।
   (ii) मुख्य नगर अधिकारी, सम्बन्धित नगर निगम अथवा अधिशाषी अधिकारी सम्बन्धित नगर पालिका परिषद।
   (iii) महाप्रबन्धक, सम्बन्धित जल संस्थान।

विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद तथा स्थानीय निकाय/जल संस्थान विचार विमर्श कर परस्पर सहमति से योजनाओं

की सेवाओं का हस्तान्तरण करेंगे परन्तु हस्तान्तरण प्रक्रिया में आने वाले विवाद की स्थिति में मण्डलायुक्त का निर्णय अन्तिम होगा। आवश्यकतानुसार मण्डलायुकत किसी विशेष बिन्दु पर शासन का मार्ग निर्देशन/अनुमोदन प्राप्त कर सकते है।

4. हस्तान्तरण हेतु सम्बन्धित प्राधिकरण/आवास विकास परिषद, स्थानीय निकाय तथा जल संस्थान के विभागाध्यक्ष अपने स्तर पर क्षेत्रीय अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व व्यक्तिगत रूप से निर्धारित करेंगे।

5. सेक्टर वाईज हस्तान्तरण को प्राथमिकता दी जायेगी परन्तु ऐसा सम्भव न होने की दशा में सेक्टर के विकास से सम्बन्धित विभिन्न सेवायें अलग-अलग भी हस्तान्तरित की जा सकेंगी।

हस्तान्तरित होने वाले अभिलेख :

प्राधिकरणों/परिषदों द्वारा मुख्यत: निम्न अभिलेख दो प्रतियों मे सम्बन्धित स्थानीय निकाय/जल संस्थान को उपलब्ध कराए जायेंगे:-

1. कालोनी के सम्बन्ध में प्रमुख सूचनाएं जैसे क्षेत्रफल, भू-उपयोग, विकसित भवनों/भूखण्डों का प्रकार एवं संख्या, कम्यूनिटी सेन्टर शापिंग कम्पलेक्स, पुलिस चौकी, पोस्ट ऑफिस इत्यादि का स्पष्ट उल्लेख जिससे प्रथम दृष्टया कालोनी की समस्त प्राविधानों की जानकारी हो सके।

2. कालोनी के तलपट मानचित्र पर हस्तान्तरित की जाने वाली सुविधाओं जिनका विवरण निम्न है को उसकी समस्त भौतिक एवं तकनीकी विवरण के साथ अंकित किया जायेगा।

   (i) वाटर मेन, सीवर लाइन, सड़क, नाली एवं पुलिया, स्ट्रीट लाइट, ट्यूब-वेल, ओवर हैड टैक, अण्डर ग्राउण्ड वाटर टैक, सम्प-बेल, पार्क, ग्रीन बेल्ट एवं वृक्षारोपड़ आदि।

   (ii) जोनल सीवेज पम्पिंग स्टेशन तथा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के हस्तान्तरण हेतु सम्बन्धित समस्त तकनीकी जानकारी अलग से प्राधिकरण/परिषद द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

कर्मचारियों की सेवाओं का हस्तान्तरण :

स्थानान्तरित होने वाली उक्त कालोनियों की सेवाओं के रख-रखाव हेतु प्राधिकरण/परिषद में बिना स्वीकृत पदों पर कुछ ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवाओं की आवश्यकता कालोनियों के हस्तान्तरण के पश्चात् नही रह जायेगी। वही जल संस्थान एवं स्थानीय निकाय में कर्मियों की कमी के कारण रख-रखाव कार्य में बाधा आ सकती है। अत: तत्सम्बन्धी स्थानान्तरित होने वाले सेवा में वर्तमान में कार्यरत वर्कचार्ज/डेलीवेजेज के ऐसे जानकार पम्प आपरेटर, ट्यूब-वेल आपरेटर, सीवेज प्लांट आपरेटर, चौकीदार, मार्गों तथा नालियों के रख-रखाव में कार्यरत बेलदार, मेट, सफाई कर्मचारी सुपरवाईजर की सेवाएं साथ में स्थानीय निकाय तथा जल संस्थान को स्थान्तरित कर दी जाएगी।

विकास प्राधिकरणों एवं आवास विकास परिषद द्वारा विकसित कालोनियों के हस्तान्तरण के समय स्थानीय निकाय तथा जल संस्थान को दी जाने वाली सूचनाओं का विवरण :

(अ) <u>नगर निगम/नगर पालिका परिषद को हस्तान्तरित करने हेतु :-</u>

1. **ROADS :**

सड़कों की निम्न विशिष्टियां तलपट मानचित्र पर अंकित की जायेगी:

1.1 समस्त आंतरिक तथा जोनल सड़के।
1.2 समस्त जोनल मार्गों का मुख्य नगरीय मार्ग से **Linkage**

2. **DRAINS & CULVERTS :**

नालियों तथा नालों की निम्न विशिष्टयां तलपट मानचित्र पर अंकित की जायेगी:

2.1 मार्गों के किनारे स्थित समस्त के. सी. ड्रेन, डीप ड्रेन, तथा जोनल ड्रेन्स।
2.2 नाले तथा नालियों का सेक्शन तथा लम्बाई तथा फ्लो की दिशा।
2.3 कल्वर्ट्स की स्थिति तथा उसका सेक्शन।

3. **PARK & GREENBELTS AND DUSTBINS :**

पार्क तथा ग्रीन बेल्ट की निम्न विशिष्टयां तलपट मानचित्र पर अंकित की जायेगी:

3.1 समस्त पार्क एवं ग्रीनबेल्ट, उनका लोकेशन तथा क्षेत्रफल एवं साईड्स की मापें।

3.2 कूड़ाघर व अन्य सामुदायिक सुविधाएं।

4. **STREET LIGHTS :**

स्ट्रीट लाईट्स की निम्न विशिष्टयां तलपट मानचित्र पर अंकित की जाएंगी:

4.1 सड़क पर स्ट्रीट लाईट्स के पोल्स का लोकेशन तथा उनका लगाए गए पोल्स का सेक्शन।

(ब) <u>जल संस्थान को हस्तान्तरित करने हेतु</u>

4. **SEWER :**

सीवर की निम्न विशिष्टियां तलपट मानचित्र पर अंकित की जायेगी।

1.1 ब्रांच, मेन तथा ट्रंक सीवर का सड़क पर लोकेशन तथा उसका व्यास।

1.2 सीवर का स्लोप तथा हाईरेक्शन।

1.3 समस्त **Main Hole** जिसमें उनका आकार, संख्या, स्थिति, तथा उनकी गहराई अंकित हो।

1.4 **Sump Well** की स्थिति तथा उसके **discharge** का विवरण तथा **Out Falls.**

1.5 सेक्टर/जोनल पंपिंग स्टेशन का सम्पूर्ण विवरण जिसमें पंम्पिंग के लिए लगाये गये **Electric/Diesel Pumps** की क्षमता दर्शायी गई हो।

1.6 सीवेज ट्रीटमेंट प्लान/सीवेज फार्म के प्रस्ताव का विवरण एवं डिजाइन में अपनाए गए टोपोग्राफिकल एवं तकनीकी मापदण्ड का सम्पूर्ण विवरण।

2. **WATER SUPPLY :**

जलापूर्ति की निम्न विशिष्टियां तलपट मानचित्र पर दर्शित की जाएगी :

2.1 सेक्टर तथा जोनल वाटर मेन्स, उनका व्यास तथा सड़क पर उनका लोकेशन।

2.2 निर्मित ट्यूब-वेल एवं ओवर हैड टैक्स, राइजिंग मेन तथा उनका व्यास एवं लोकेशन।

2.3 गेट वाल्व/सुल्ईस वाल्व तथा फायर हाईडेन्ड की स्थिति।

2.4 प्रस्तावित ट्यूब-वेल एवं ओवर हेड टैक को भी दर्शित किया जायेगा।

संख्या-1885/9-आ-3-1998/20 एल0ए0/92

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद्,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-3

लखनऊ : दिनाँक : 27 अप्रैल, 2001

विषय : विकास प्राधिकरण व आवास एवं विकास परिषद् की योजनाओं में निबन्धित सहाकरी आवास समितियों की भूमि को अविकसित क्षेत्र के रूप में समायोजन हेतु नीति निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर पूर्व में जारी शासनादेश संख्या 1470/9-आ-3-98-20 एल0ए0/92 दिनांक 2 जून, 1998 के अन्तर्गत निबन्धित सहकारी आवास समितियों की भूमि के समायोजन के सम्बन्ध में नीति निर्धारित की गई है जिसके अनुसार अर्जित भूमि का 60 प्रतिशत विकसित क्षेत्र के रूप में समिति से विकास शुल्क लेकर उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है। शासन के समक्ष ऐसे प्रकरण भी आए है जिनमें भूमि का आन्तरिक विकास स्वयं किए जाने की स्थिति में सहकारी आवास समितियाँ भूमि का आन्तरिक रूप से अविकसित क्षेत्र के रूप में ही समायोजन कराना चाहती है। परन्तु इसके सम्बन्ध में नीति निर्धारित न होने के कारण समितियाँ ''केस-टू-केस'' के आधार पर समायोजन हेतु प्रयास करती है। परिणामस्वरूप, जहाँ एक ओर प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद् की योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है वहां दूसरी ओर आवास निर्माण में सहकारी क्षेत्र की भागीदारी हतोत्साहित होती है।

2. अतएव शासन द्वारा एकरूपता एवं पारदर्शिता की दृष्टि से विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि जो सहकारी आवास समितियाँ शासनादेश संख्या 1470/9-आ-3-98-20एल.ए./92 दिनांक 2.6.1998 में निर्धारित पात्रता व शर्तो को पूर्ण करती हों के आवेदन पर भूमि का आन्तरिक रूप से अविकसित क्षेत्र के रूप में समायोजन करते समय निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के साथ विचार किया जाएगा:-

(i) भूमि का समायोजन यथासम्भव विद्यमान स्थिति पर ही काम्पेक्ट रूप में किया जाए। समायोजित भूमि यथासम्भव नियमित (**regular**) आकार में उपलब्ध कराई जाएगी ताकि प्राधिकरण/परिषद् योजना की ट्रंक अवस्थापनाओं का नेट-वर्क विकृत न हो।

(ii) समायोजित की जाने वाली भूमि में से विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद् द्वारा ट्रंक विकास कार्यो यथा जोनल मार्ग, नेवरहुड पार्क/ग्रीन बेल्ट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट, वाटर-वर्क्स, इलैक्ट्रिक सब स्टेशन, कूड़ा निस्तारण, नाला, आदि के प्राविधान हेतु 20 प्रतिशत भूमि की कटौती की जाएगी जिसके लिए समिति को कोई प्रतिकर देय नहीं होगा। परन्तु यदि समिति की भूमि एक ही स्थान पर अथवा लगभग एक ही स्थान पर न हो तो समायोजन करने से पूर्व 5 प्रतिशत की कटौती करते हुए अवशेष पर 20 प्रतिशत की कटौती करते हुए शुद्ध देय अविकसित भूमि का आंकलन किया जाएगा।

(iii) प्राधिकरण/परिषद द्वारा समायोजन उपरान्त देय भूमि के क्षेत्रफल पर वाह्य विकास शुल्क (असुधार शुल्क) वसूल किया जाएगा। यदि दी जा रही भूमि से सम्बन्धित कोई वाह्य विकास कार्य समिति द्वारा स्वयं कराया जाता है, तो उस कार्य से सम्बन्धित वाह्य विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा।

(iv) समायोजित की गई भूमि का आन्तरिक ले-आउट प्लान प्राधिकरण/परिषद की योजना के सम्पूर्ण (over all) ले-आउट प्लान से एकीकृत करना होगा तथा आन्तरिक विकास कार्य प्राधिकरण/परिषद द्वारा निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों व समय-सारिणी के अनुसार सुनिश्चित करने अनिवार्य होंगे।

3. उपरोक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे तथा भूमि के समायोजन हेतु विचाराधीन ऐसे प्रकरण जिन पर अभी तक निर्णय नहीं हुआ है, का निस्तारण नयी व्यवस्था के अधीन किया जाएगा।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या 1885 (1)/9-आ-3-1998/20 एल.ए. /92 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ लि., लखनऊ।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ.प्र.।
5. अपर निदेशक, नियोजन, उ.प्र. आवास बन्धु।
6. आवास विभाग के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

संख्या-3718/9-आ-3-2000-20 एल0ए0/92टी0सी0

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश सहाकारी आवास संघ,
लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनाँक- 10 दिसम्बर, 2001

आवास अनुभाग - 3

विषय : निबन्धित सहकारी आवास समितियों की भूमि के समायोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि निबंधित सहकारी आवास समितियों की भूमि को विकसित अथवा अविकसित क्षेत्र के रूप में समायोजन किए जाने के सम्बन्ध में अब तक निम्न शासनादेश जारी किए गये है :-

(1) शासनादेश संख्या - 1470/9-आ-3-98-20 एल0ए0/92 दिनांक 2-6-1998

(2) शासनादेश संख्या-3600/9-आ-3-98-20एल0ए0/92 दिनांक 20-10-1999

(3) शासनादेश संख्या- 1885/9-आ-98-20एल0ए0/92 दिनांक 27-04-2001

2. उपरोक्त शासनादेशों के अन्तर्गत यह निर्देश दिये गये थे कि यदि सहाकरी आवास समितियों द्वारा भू-अर्जन अधिनियम, ~~1984~~ 1894 की धारा- 4/17 की विज्ञप्ति जारी होने के पूर्व भूमि क्रय कर ली गई है अथवा समितियों ने अपने सदस्यों के पक्ष में भूमि की रजिस्ट्री कर दी है तो यथासम्भव उनकी भूमि अधिग्रहीत न की जाए और यदि अधिग्रहण हो चुका है तो निबन्धित सहकारी आवास समिति की अर्जित भूमि का विकसित क्षेत्र अथवा अविकसित क्षेत्र के रूप में समायोजन प्रश्नगत शासनादेशों के अधीन निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अनुसार किया जाए।

3. शासन द्वारा ऐसे प्रकरणों में अब इस तथ्य पर भी विचार किया गया है कि जब भूमि का अर्जन किया जाता है, तो भूमि विकसित क्षेत्र में न होने के कारण मूल्य कम होता है। परन्तु कालान्तर में योजना में कराये गये विकास कार्यो के दृष्टिगत भूमि का मूल्य बढ़ जाता ह जो पूर्णतः उक्त योजना क्रियान्वयन के फलस्वरूप ही होता है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत शासन द्वारा विचारोपरान्त यह औचित्यपूर्ण पाया गया है कि अर्जनमुक्त/समायोजन के साथ विकास शुल्क के साथ बेटरमेन्ट का अंश भी लिया जाना चाहिए।

4. अतएव निबन्धित सहकारी आवास समितियों की भूमि के समायोजन में सम्बन्धित उल्लिखित शासनादेश दिनांक 02.06.1998, दिनांक 20-10-1999 एवं 27-04-2001 को अतिक्रामित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जो सहकारी आवास समितियां निम्न पात्रता व शर्ते पूर्ण करती हों उनकी भूमि का समायोजन विकास प्राधिकरण तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद और उ0प्र0 सहकारी आवास संघ की योजनाओं में कर दिया जाए :-

(I) सहकारी आवास समिति ने भूमि अर्जन की धारा-4 की विज्ञप्ति के दिनांक से कम से कम 18 माह पूर्व पंजीकृत बैनामे द्वारा भूमि क्रय की हो यदि कुछ भूमि धारा-4 की विज्ञप्ति के दिनांक से 18 माह से पूर्व क्रय की हो और कुछ भूमि बाद में क्रय की हो तो प्रस्तावित सुविधा केवल 18 माह पूर्व में क्रय की गई भूमि के संम्बन्ध में ही प्राप्त होगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि क्रय करने का तात्पर्य भूमि के बैनामे से है न कि "एग्रीमेन्ट टू सेल" से अर्थात सुविधा केवल उस भूमि के सम्बन्ध में देय होगी जिसका पंजीकृत बैनामा होगा,

(II) समिति की भूमि एक ही स्थान पर लगी हुई हो। यदि समिति की भूमि एक ही स्थान पर अथवा लगभग एक ही स्थान पर लगी हुई न हो तो समायोजन करते समय भूमि में से 5 प्रतिशत की कटौती कर ली जाए,

(III) अर्जित भूमि का 60 प्रतिशत विकसित भूखण्ड क्षेत्र के रूप में समिति को उपलब्ध कराया जाए,

(IV) ऐसे समायोजन हेतु प्रस्तावित भूमि के सम्बंध में समिति को प्रतिकर तथा अन्य सम्बन्धित धनराशि देय न होगी। यदि भुगतान किया गया था तो भूमि अर्जन प्रकरणों में देय ब्याज सहित वापस प्राप्त किया जायेगा। समिति से भी ऐसी भूमि का मूल्य न लिया जाए परन्तु विकास कार्यो हेतु विकास शुल्क वर्तमान दर से लिया जाएगा। विकास शुल्क के अतिरिक्त समिति से वर्तमान सेक्टर रेट का 10 प्रतिशत (यदि सेक्टर रेट नही है तो सर्किल रेट का 10 प्रतिशत) प्रशासनिक शुल्क एवं बेटरमेन्ट अंश भी लिया जाए,

(V) समिति को उपलब्ध कराई गयी भूमि में भूखण्डों के आकार का निर्धारण एवं आवंटन सहकारी समिति द्वारा ही किया जाए परन्तु इसमें निबन्धक सहकारी आवास समितियों के प्रतिनिधि को सम्मिलित रखा जाए जिससे शासन के तत्सम्बन्धी निर्देशों का पालन सुनिश्चित रहे,

(VI) प्रश्नगत सहकारी आवास समिति का धारा-4 की विज्ञप्ति की तिथि को तथा वर्तमान में भी पंजीकरण वैध होना चाहिए।

5. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि जो सहकारी आवास समितियां उपरिलिखित पात्रता व शर्तो को पूर्ण करती हों तथा भूति आन्तरिक रूप से अविकसित क्षेत्र का ही समायोजन कराने की इच्छुक हो तो उनके आवेदन पर भूमि का आन्तरिक रूप से अविकसित क्षेत्र के रूप में समायोजन करते समय निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के साथ विचार किया जाए :-

(I) भूमि का समायोजन यथासम्भव विद्यमान स्थिति पर ही काम्पेक्ट रूप में किया जाये। समायोजित भूमि यथासम्भव निर्धारित (**Regular**) आकार में उपलब्ध कराई जाएगी ताकि प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद, आवास संघ की योजना की ट्रंक अवस्थापनाओं का नेट-वर्क विकृत न हो।

(II) समायोजित की जाने वाली भूमि में से विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद/आवास संघ द्वारा ट्रंक विकास कार्यो तथा जोनल मार्ग, नेबरहुड पार्क/ग्रीन बेल्ट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट, वाटर-वर्क्स, इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन, कूड़ा निस्तारण, नाला, आदि के प्राविधान हेतु 20 प्रतिशत भूमि की कटौती की जाएगी जिसके लिए समिति को कोई प्रतिकर देय नही होगा। परन्तु यदि समिति की भूमि एक ही स्थान पर अथवा लगभग एक ही स्थान पर न हो तो समायोजन करने से पूर्व 5 प्रतिशत की कटौती करते हुए अवशेष पर 20 प्रतिशत की कटौती करते हुए शुद्ध देय अविकसित भूमि का आंकलन किया जाएगा।

(III) प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद/आवास संघ द्वारा समायोजन उपरान्त देय भूमि के क्षेत्रफल पर वाह्य विकास शुल्क (असुधार शुल्क) वसूल किया जाएगा। यदि दी जा रही भूमि से सम्बन्धित कोई वाह्य विकास कार्य समिति द्वारा कराये जाने की अनुमति दी जाती है, तो उस कार्य से सम्बन्धित वाह्य विकास शुल्क नही लिया जाएगा।

(IV) समायोजित की गई भूमि का आन्तरिक ले-आउट प्लान प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद/आवास संघ की योजना के सम्पूर्ण (**Overall**) ले-आउट प्लान से एकीकृत करना होगा तथा आन्तरिक विकास कार्य प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद/आवास संघ द्वारा निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों व समय-सारिणी के अनुसार सुनिश्चित करने अनिवार्य होंगे। आंतरिक विकास कार्य हेतु नियमानुसार ले-आउट स्वीकृत भी कराना होगा।

6. समायोजन के आधार पर भूमि हस्तातंरण करने के लिए समिति के पक्ष में अथवा सदस्यों के पक्ष में /बैनामा/लीज डीड की जाएगी जिस पर विधिनुसार स्टाम्प ड्यूटी की देयता भी होगी।

7. कृपया उपरोक्त आदेशों का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय
अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या - 3718/9-आ-3-2000-20 एल.ए./92 टी.सी./तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 आवास मंत्री/राज्य आवास मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
5. अपर निदेशक, नियोजन उ0प्र0 आवास बन्धु।
6. आवास विभाग के समस्त अनुभाग।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव

संख्या-3431/9-आ-1-2001-213 डी.ए./94

प्रेषक,

अमिताभ त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
कानपुर विकास प्राधिकरण,
कानपुर।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनाँक : 30 जून, 2001

विषय :कानपुर विकास प्राधिकरण के मूल पट्टाधारक द्वारा प्रदत्त मुख्तारनामें के आधार पर भूखण्ड/भवन का फ्री-होल्ड विलेख निष्पादन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1165/काविप्रा/2000-01, दिनांक 8.12.2000 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मूल पट्टाधारक के नाम पर एटार्नी होल्डर द्वारा फ्री-होल्ड विलेख हस्ताक्षरित कराया जाता है तो, कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु एटॉर्नी होल्डर अपने नाम पर फ्री-होल्ड नही कर सकता है। इस प्रकार के लम्बित प्रकरण कृपया तदनुसार निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। कृपया आवेदक को भी शासन के निर्णय से अवगत करा दें।

भवदीय,
अमिताभ त्रिपाठी
अनु सचिव

संख्या-645/9-आ-2-2001

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. अध्यक्ष/जिलाधिकारी,
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण।

आवास अनुभाग-2

लखनऊः दिनाँक-8 मार्च, 2001

विषय : सम्पत्तियों के आवंटन में आवंटियों के पक्ष में रजिस्ट्री किए जाने के समय में पत्नी अथवा पति, जैसी स्थिति हो का नाम सम्मिलित किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद विभिन्न विकास प्राधिकरणों में एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के द्वारा आवंटियों के पक्ष में सम्पत्तियों की रजिस्ट्री किये जाने के समय संबंधित आवंटी की पत्नी अथवा पति, जैसी स्थिति हो, का नाम रजिस्ट्री में अनिवार्य रूप से डाला जाय, जब तक कि विवाह विच्छेद न हो चुका हो।

2. इसके अतिरिक्त पूर्व में संपत्तियां आवंटित की गयी हों उसमें भी संबंधित आवंटी के पति अथवा पत्नी, जैसी स्थिति हो, का नाम रजिस्ट्री में सम्मिलित किए जाने में कोई आपत्ति नही है परंतु इसकी बाध्यता नही होगी।

यह संबंधित आवंटी के द्वारा अनुरोध किए जाने एवं इस संशोधन हेतु आवश्यक व्यय भार वहन किए जाने की शर्त के अधीन किया जायेगा।

3. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे तथा इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
विशेष सचिव

संख्या 645 (1) /9-आ-2-2001-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, कर एवं पंजीयन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. महा निरीक्षक स्टाम्प, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. निजी सचिव, आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, आवास एवं नगर विकास विभाग, उ0प्र0।
5. स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
7. आवास विभाग के समस्त अधिकारी।
8. आवास विभाग के समस्त अनुभाग।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
अमिताभ त्रिपाठी
अनु सचिव

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
3. अध्यक्ष/जिलाधिकारी,
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-2

लखनऊ : दिनाँक : 30 जून, 2001

विषय :सम्पत्तियों के आवंटन में आवंटियों के पक्ष में रजिस्ट्री किये जाने के समय में पत्नी अथवा पति, जैसी स्थिति हो, का नाम सम्मिलित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-645/9-आ-2-2001-3एचबी(51)/2001दिनांक-8.3.2001 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेश के द्वारा निर्धारित की गयी नीतिगत व्यवस्था के अन्तर्गत यदि कोई आवंटी (स्त्री) द्वारा स्त्री धन से सम्पत्ति क्रय किये जाने की पुष्टि करते हुए रजिस्ट्री में पति का नाम सम्मिलित न किए जाने का अनुरोध किया जाय, तो उसे स्वीकार कर लिया जाय।
3. कृपया उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित माना जाय।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या 1910(1)/9-आ-2-2001 तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, कर एवं पंजीयन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिरीक्षक, स्टाम्प, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. निजी सचिव, आयुक्त एंव प्रमुख सचिव, आवास एंव नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
5. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव।
6. सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
7. आवास अनुभाग-2
8. आवास विभाग के समस्त अनुभाग एवं अधिकारीगण।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अमिताभ त्रिपाठी
अनु सचिव

2

नजूल भूमि का प्रबन्धन

संख्या-3865/9-आ-4-433एन/97

प्रेषक,

जावेद एहतेशाम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

2. **उपाध्यक्ष,**
विकास प्राधिकरण, (नगर निगम क्षेत्र)
आगरा, इलाहाबाद, बरेली, कानपुर,
वाराणसी, मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़,
गोरखपुर, गाजियाबाद तथा लखनऊ।

3. **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ।

आवास अनुभाग-4

लखनऊ : दिनाँक : 10 जनवरी, 2000

विषय : आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को सामर्थ्य व क्षमता के आधार पर आवासीय सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु निर्माण कार्य के निमित्त नजूल भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2311/9-आ-4-97-433एन/97, दिनांक 15 सितम्बर,, 1997 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2(1) में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को आश्रय योजना के अन्तर्गत निर्बाध रूप से रिक्त नजूल भूमि, जिसका सर्किल रेट रू. 300/- प्रति वर्ग मीटर से अधिक नहीं है, चयनित किये जाने की शर्त रखी गयी थी। तथा इसी शासनादेश के प्रस्तर-2(5) में यह भी शर्त रखी गयी थी कि योजना के लिए स्थान चयन के उपरान्त नजूल भूमि के आवंटन का प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किया जायेगा तथा शासन की स्वीकृति के उपरान्त ही योजना का कार्यान्वयन किया जा सकेगा।

2. उपरोक्त व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक-15.9.1997 के प्रस्तर-2(1) में उल्लिखित प्रयोजन हेतु निर्बाध रूप से रिक्त चयनित नजूल भूमि, जिसका सर्किल रेट रु. 300/- प्रति वर्ग मीटर से अधिक नहीं है, के सम्बन्ध में जिलाधिकारी को अपने स्तर से कार्यवाही किये जाने हेतु प्राधिकृत कर दिया गया है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 (5) में आवंटन प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किये जाने की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव

संख्या- 3865 (1)/9-आ-4-99-433एन/97 तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से

जावेद एहतेशाम
उप सचिव

अतुल कुमार गुप्ता,
आई.ए.एस

अर्द्धसंख्या नं0 -275/9-आ-4-2001-5931/2001
आवास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन,
आवास अनुभाग - 1
लखनऊ : दिनाँक : 31 जनवरी, 2001

प्रिय महोदय,

नजूल भूमि फ्रीहोल्ड नीति को सफल बनाये जाने हेतु नयी नजूल नीति के अन्तर्गत अधिक से अधिक नजूल भूमि फ्रीहोल्ड किये जाने विषयक अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या- 3021/9-आ-4-2000-383एन/2000, दिनांक-31 अगस्त, 2000 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा नजूल भूमि फ्रीहोल्ड की सूचना/विवरण निर्धारित प्रारूप पर नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थे।

इस सम्बन्ध में मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों से प्राप्त सूचनाओं की समीक्षा करने पर यह पाया गया है कि आपके जनपदों में फ्रीहोल्ड के लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण पूरी निष्ठा एवं निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत नही किया जा रहा है तथा निर्धारित प्रारूप पर सूचना भी समय से शासन को उपलब्ध नहीं करायी जा रही है, जिसके कारण प्रदेश के सभी जनपदों की संकलित उपलब्धिां दर्शाते समय आपके जनपद की उपलब्धियों के सम्बन्ध में ''सूचना प्राप्त नहीं हुई है'', अंकित किया जाता है। आप समहम होंगे कि यह स्थिति उचित नहीं है।

उल्लेखनीय है कि नजूल भूमि के फ्रीहोल्ड से प्राप्त आय के सम्बन्ध में मुख्य सचिव एंव माननीय मुख्य मंत्री जी के स्तर से भी नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है। ऐसी स्थिति में जनपद की नियमित सूचना प्राप्त न होने के कारण प्रतिकूल आदेश पारित किये जाने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः आप नजूल भूमि के फ्रीहोल्ड से प्राप्त आय के सम्बन्ध में अपने जनपद की उपलब्धियों की स्वयं के स्तर से समीक्षा करते हुए शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर समयबद्ध सूचना नियमित रूप से नीचे पार्श्व पर अंकित ई मेल पर उपलब्ध कराये जाने हेतु नोडल अधिकारी को तत्काल निर्देशित करने का कष्ट करें।

यदि भविष्य में नियमित सूचना प्राप्त नहीं होती है तो शासन इसे गम्भीरता से लेने हेतु बाध्य होगा। पत्र की पावती भी स्वीकार की जाये।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता

समस्त जिलाधिकारी, (नाम से)
उत्तर प्रदेश।

शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-एन0एस0 01/9-आ-1-2001-16एन/2000

प्रेषक,

श्री भोला नाथ तिवारी
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

2. **उपाध्यक्ष,**
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

आवास अनुभाग-4

लखनऊ : दिनाँक : 13 फरवरी, 2001

विषय :नजूल भूमि के फ्रीहोल्ड हेतु लम्बित आवेदन पत्रों का अविलम्ब निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनहित में नजूल भूमि के प्रबन्ध एंव निस्तारण तथा राज्य के आर्थिक संसाधन में वृद्धि किये जाने हेतु शासन के पत्र संख्या-2201/9-आ-4-2000, दिनांक-30 जून, 2000 द्वारा जनपदवार वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करते हुए फ्रीहोल्ड की कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये थे। प्रश्नगत मामले में समीक्षा करने पर शासन के संज्ञान में यह आया है कि नजूल भूमि के फ्रीहोल्ड के सम्बन्ध में प्राप्त आवेदन पत्रों के सापेक्ष डिमाण्ड नोट जारी किये जाने की प्रगति अत्यन्त धीमी है।

2. आप सहमत है कि नजूल फ्रीहोल्ड हेतु मांगपत्र निर्गत करने के उपरानत आवेदकों को शेष फ्रीहोल्ड धनराशि जमा करने हेतु 90 दिन की समयावधि दी जाती है। ऐसी स्थिति में यह निश्चित है कि मांग पत्र जितनी शीघ्रता से जारी होंगे, उसी अनुरूप राजकोष में फ्रीहोल्ड राशि की प्राप्ति होगी। इसमें होने वाले विलम्ब के फलस्वरूप राज्य की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

3. आपके संज्ञान में यह भी लाया जा चुका है कि राजस्व प्राप्ति हेतु नजूल भूमि को फ्रीहोल्ड किये जाने के कार्यक्रम को शासन द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकताओं में महत्व दिया गया है तथा माननीय मुख्यमंत्री जी की मण्डलवार समीक्षा बैठकों में भी फ्रीहोल्ड से प्राप्त आय की समीक्षा की जा रही है। ऐसी स्थिति में जनपद स्तर पर फ्रीहोल्ड आवेदन पत्रों का त्वरित गति से निस्तारण न किये जाने के कारण निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष फ्रीहोल्ड से राजस्व की आय की प्राप्ति नितान्त असंतोषजनक है। शासन द्वारा फ्रीहोल्ड हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में से अधिकतम संख्या में आवेदन पत्रों को लम्बित रखे जाने को गम्भीरता से लिया गया है। और इस चिन्ताजनक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में ही प्रार्थना पत्रों के निस्तारणार्थ समय-समय पर उपयुक्त दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन भी अपको भेजे गये है।

4. अत: फ्रीहोल्ड हेतु निर्धारित लक्ष्य की शतप्रतिशत प्राप्ति हेतु अपने जनपद के लम्बित सभी आवेदन पत्रों का शीर्ष प्राथमिता के आधार निस्तारण समयबद्ध रूप से विशेष अभियान चलाकर सुनिश्चित करें तथा उक्त आदेश के अनुपालन/प्रगति की सूचना स्वयं के हस्ताक्षर से प्रतिमाह नियमित रूप से शासन को विशेष वाहक के माध्यम से उपलब्ध करायें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नजूल भूमि के फ्रीहोल्ड नीति के क्रियान्वयन में आप द्वारा दिये गये योगदान तथा उल्लेखनीय उपलब्धि का अंकन आपकी वार्षिक चरित्र पंजिका मे विशेष रूप से किया जायेगा।

भवदीय,
भोला नाथ तिवारी
मुख्य सचिव

पत्र संख्या-1032/9-आ-4-2000-535एन/2000

प्रेषक,

जावेद एहतेशाम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त जिलाधिकारी,**
   उत्तर प्रदेश।
2. **उपाध्यक्ष,**
   लखनऊ विकास प्राधिकरण,
   लखनऊ

आवास अनुभाग-4

लखनऊ : दिनाँक : 21 मार्च, 2001

विषय : नजूल भूमि फ्रीहोल्ड हेतु अपात्र होने, भूमि नजूल भूमि न होने तथा निर्धारित समय में धनराशि जमा न करने पर आवेदन पत्र निरस्त किये जाने की दशा में स्वमूल्यांकन की धनराशि में से प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में रू. 500/- कटौती किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में यह बात लायी गयी है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अनेक ऐसे व्यक्तियों द्वारा फ्रीहोल्ड कराये जाने हेतु स्वमूल्यांकन के रूप में 25 प्रतिशत की धनराशि जमा कर ओवदन किया गया है, जो कि फ्रीहोल्ड की पात्रता श्रेणी में नहीं आते है तथा कतिपय मामलों में नजूल भूमि न होने पर भी फ्रीहोल्ड हेतु आवेदन किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि फ्रीहोल्ड के कतिपय प्रकरण में आवेदक द्वारा निर्धारित समय के अन्दर फ्रीहोल्ड की देय धनराशि जमा नही की जा रही है।

इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि चूँकि उक्त सभी प्रकार के मामलों में प्राप्त आवेदन पत्रों के परीक्षण एवं स्थल निरीक्षण आदि के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों को कार्यवाही करनी पड़ती है अतः फ्रीहोल्ड हेतु आवेदक के अपात्र होने, भूमि नजूल न होने अथवा निर्धारित समय में धनराशि जमा न करने पर आवेदन निरस्त किये जाने की स्थिति में धनराशि वापसी के चरण पर स्वमूल्यांकन की 25 प्रतिशत आवेदन धनराशि से रू0 500/- (रू0 पांच सौ मात्र) प्रोसेसिंग जार्च के रूप में कटौती कर ली जाय।

अतः उक्त आदेश का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव

संख्या-1032 (1)/9-आ-4-2000-535एन/2000 तद्दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उत्तर प्रदेश।

भवदीय,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव

संख्या-1677/9-आ-4-2001-603एन/2000

प्रेषक,

जावेद एहतेशाम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश

3. उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ

आवास अनुभाग-4

लखनऊ : दिनाँक : 11 जून, 2001

विषय :आवेदन पत्र निरस्त होने पर नजूल फ्रीहोल्ड हेतु जमा स्वमूल्यांकन की 25 प्रतिशत धनराशि वापस किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों से प्राप्त धनराशि वापसी के प्रस्तावों के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया है कि अधिकांश जनपदों से धनराशि वापसी के मामलों में सम्पूर्ण सूचना सहित प्रस्ताव शासन का उपलब्ध नहीं कराये जाते है।

2. अत: इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि भविष्य में धनराशि वापसी के जो भी प्रस्ताव शासन को भेजे जाये वह संलग्न प्रारूप-1 की सूचना के साथ, प्रत्येक प्रकरण के लिये अलग-अलग भेजे जाये।

3. मुझे आपसे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि जिन मामलों में शासन द्वारा नजूल फ्रीहोल्ड आवेदन राशि आदि की वापसी की स्वीकृति प्रदान कर दी जाय, ऐसे मामलों में जनपद स्तर पर आवेदक को धनराशि वापसी के पूर्व भी संलग्न किये जा रहे प्रारूप-**II** की सूचना की पृष्टि सभी मामलों में करने के उपरान्त ही धनराशि वापसी की कार्यवाही की जाय तथा प्रारूप- **II** पर नजूल फ्रीहोल्ड हेतु जनपद के नोडल अधिकारी द्वारा पुष्टि स्वरूप हस्ताक्षरित कर सम्बन्धित पत्रावली पर रखा जाय।

भवदीय,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव

(प्रारूप–1)

नजूल भूमि के फ्रीहोल्ड से सम्बन्धित निरस्त किये गये प्रार्थना पत्रों के सापेक्ष वापस की जाने वाली धनराशि का विवरण पत्र

क्रम सं0	आवेदक का नाम/पता	फ्रीहोल्ड हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का दिनांक तथा भूमि संख्या व क्षेत्रफल	आवेदन पत्र के साथ 25 प्रतिशत जमा की गयी धनराशि का विवरण/ट्रेजरी चालान संख्या व दिनांक	यदि डिमाण्ड नोट निर्गत किया गया है और उसके सापेक्ष यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उसका विवरण	फ्रीहोल्ड हेतु आवेदन किस रूप में प्रस्तुत किया गया तथा पट्टेदार/नामित व्यक्ति/अवैध कब्जेदार आदि	आवेदन पत्र निरस्त किये जाने का आधार तथा दिनांक	वापस की जाने वाली धनराशि	अभ्युक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

प्रारूप–**II**

धनराशि वापसी हेतु निर्धारित प्रारूप

1– आवेदक का नाम एवं पता–

2– भूखण्ड का विवरण जिस हेतु धनराशि जमा की गयी है –

3– जमा धनराशि का विवरण यथा ट्रेजरी चालान संख्या एवं तिथि –

4– धनराशि वापसी का कारण –

5– धनराशि वापसी के आदेश का विवरण–

6– प्रमाणित किया जाता है कि श्री ..... पुत्र श्री ..... द्वारा ट्रेजरी चालान संख्या ..... दिनांक ..... द्वारा जमा की गयी धनराशि का कोषागार से मिलान कर लिया गया/संतुष्टि कर ली गयी है कि उक्त धनराशि आवेदक द्वारा कोषागार में जमा की गयी थी जिसे दिनांक ..... में प्राप्त स्वीकृति के क्रम में एतद्द्वारा रूपया ..... वापस किया जाता है।

दिनांक .....

हस्ताक्षर .....
अधिकारी का नाम .....
पद नाम .....

प्राप्तकर्ता/आवेदक का नाम .....
एवं हस्ताक्षर .....

अतुल कुमार गुप्ता,
आई0प0ए0स0,

महत्वपूर्ण प्राथमिकता
अर्द्ध शा0पा0सं0 1955/9-आ-4-2001
प्रमुख सचिव,
आवास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ-226001
आवास अनुभाग - 4
लखनऊ : दिनाँक : 13 जुलाई 2001

प्रिय महोदय,

नजूल भूमि के फ्रीहोल्ड के उपरान्त पंजीकृत विक्रय विलेख के निष्पादन के सम्बन्ध में शासन के संज्ञान में यह बात लायी गयी है कि जनपद स्तर पर जारी डिमाण्ड नोट के सापेक्ष फ्रीहोल्ड की धनराशि जमा कराने के उपरान्त फ्रीहोल्ड का पंजीकृत विक्रय विलेख निष्पादित कराये जाने में विशेष रूचि नही ली जा रही है।

इस सम्बन्ध में मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि नजूल भूमि के फ्रीहोल्ड विलेख की रजिस्ट्री किये जाने के सम्बन्ध में शासन के कर एंव निबन्धन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-क0नि0-5-681/11-2001-500(7)/2001, दिनांक 28 मार्च, 2001 द्वारा नजूल भूमि के फ्रीहोल्ड विलेख की रजिस्ट्री हेतु केवल दिनांक 19 अक्टूबर, 2001 तक स्टाम्प शुल्क में छूट दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त छूट का प्राविधान विशेष परिस्थितियों में अन्तिम बार किया गया है। अत: भविष्य में दिनांक 19 अक्टुबर, 2001 के उपरान्त फ्रीहोल्ड विलेख की रजिस्ट्री हेतु स्टाम्प शुल्क में छूट अनुमन्य नहीं होगी। अत: आप अपने जनपद के ऐसे समस्त मामले जहां पक्ष द्वारा फ्रीहोल्ड की धनराशि जमा कर दी गई है, फ्रीहोल्ड का विलेख तत्काल निष्पादित करने का कष्ट करें। यदि किसी मामले में दिनांक 19 अक्टूबर, 2001 तक फ्रीहोल विलेख की रजिस्ट्री न होने के कारण कोई प्रकरण शासन के संज्ञान में आयेगा तो ऐसे मामले में दोषी अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

मुझे आपसे यह भी कहने की अपेक्षा की गयी है कि नजूल फ्रीहोल्ड से सम्बन्धित विलेख की रजिस्ट्री के सम्बन्ध में अनुश्रवण किये जाने हेतु निम्न सूचनाओं की तत्काल आवश्यकता है :-

1- प्रारम्भ से दिनांक 31-3-2001 तक निष्पादित फ्रीहोल्ड विलेख की संख्या
2- निम्नलिखिति माह में निष्पादित फ्रीहोल्ड विलेख की संख्या
I-माह अप्रैल, 2001 में .....
II-माह मई, 2001 में .....
III-माह जून, 2001 में .....

अत: कृपया उक्त सूचना राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ को दिनांक 20 एवं 21 जुलाई, 2001 को आयोजित बैठक में उपलब्ध कराने हेतु अपने जनपद के अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता

1- **समस्त जिलाधिकारी, (नाम से)**
उत्तर प्रदेश।
2- **उपाध्यक्ष**
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

अर्द्ध शा0पं0सं0 1955 (1)/9-आ-4-2001 तद्दिनांक

प्रिय, महोदय

उक्त की प्रति मुझे आप को सूचनार्थ एवं अनुपालन कराये जाने हेतु प्रेषित करने की अपेक्षा की गई है।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

अतुल कुमार गुप्ता,
आई.ए.एस

महत्वपूर्ण प्राथमिकता
अद्ध शा0पा0सं0 1955(2)/9-आ-4-2001
प्रमुख सचिव,
आवास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ-226001
आवास अनुभाग - 4
लखनऊ : दिनाँक : 13 जुलाई 2001

प्रिय महोदय,

कृपया नजूल भूमि फ्रीहोल्ड के सन्दर्भ में शासन द्वारा निर्धारित 18 कालम के प्रपत्र पर सूचना उपलब्ध कराये जाने के स्थान पर 8 कालम में सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 1720/9-आ-4-2001-350एन/99 टी0सी0, दिनांक 6 जून, 2001 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि नजूल भूमि के फ्रीहोल्ड की समीक्षा करने पर यह पाया गया है कि फ्रीहोल्ड के मामले में विलेख की रजिस्ट्री किये जाने की कार्यवाही तत्परता से नही की जा रही है। अत: फ्रीहोल्ड विलेख की रजिस्ट्री के सम्बन्ध में अनुश्रवण किये जाने हेतु संदर्भित पत्र में उल्लिखित 8 कालम को निम्नवत संशोधित किया जाता है:-

नजूल भूमि के फ्रीहोल्ड की मासिक प्रगति की आख्या

माह.....

जनपद का नाम .....
वर्ष 2001-2002
1-माह में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या .....
2-माह में जमा स्वमूल्यांकन आवेदन धनराशि रू0 लाख में .....
3-माह में निरस्त आवेदन पत्रों की संख्या.....
4-माह में स्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या.....
5-माह में जारी डिमाण्ड नोट की संख्या.....
6-माह में निष्पादित फ्रीहोल्ड विलेख की संख्या .....
7-माह में जारी डिमाण्ड नोट में निहित धनराशि .....
8-डिमाण्ड नोट के सापेक्ष माह में जमा धनराशि रू0 लाख में .....
9-नीलामी/निविदा द्वारा माह में जमा धनराशि रू0 लाख में .....
10-अन्य विवरण .....

अत: आगामी माह से नजूल भूमि के फ्रीहोल्ड से प्राप्त धनराशि की तथा अन्य वांछित सूचना उक्त 10 कालम के प्रारूप में शासन को प्रत्येक माह के 3 तारीख को ई-मेल अथवा फैक्स द्वारा प्रेषित किया सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता

1- **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।
2- **उपाध्यक्ष,**
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

अद्ध शा0पा0सं0-1955(3)/9-आ-4-2001 तद्दिनांक

प्रिय महोदय,

उक्त की प्रति मुझे आप को सूचनार्थ एवं अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित करने की अपेक्षा की गयी है।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्या-2066/9-आ-4-2001-388एन/2000

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त जिलाधिकारी,**
   उत्तर प्रदेश।
2. **उपाध्यक्ष,**
   लखनऊ विकास प्राधिकरण,
   लखनऊ

आवास अनुभाग-4

लखनऊ : दिनाँक : 20 अगस्त, 2001

विषय : नजूल भूमि फ्रीहोल्ड नीति मार्गदर्शिका के पृष्ठ-7 प्रस्तर-6 एवं पृष्ठ-16 के क्रमांक-16 पर अंकित जिज्ञासा एवं समाधान का स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि नजूल भूमि का फ्रीहोल्ड नीति विषयक जारी मार्गदर्शिका के पृष्ठ-7 के प्रस्तर-6 में यह प्राविधान है कि ''पट्टेदार से क्रेता के पक्ष में भी 5 प्रतिशत नामांकन शुल्क लेकर फ्रीहोल्ड किया जा सकता है।'' उक्त सम्बन्ध मे यह स्पष्ट किया जाता है कि यह प्राविधान शासनादेश संख्या-1300/9-आ-4-96-629एन/95 टी.सी., दिनांक-29.8.1996 में उल्लिखित मंशा के अनुरूप नही है और न ही शासनादेश संख्या-2668/9-आ-4-98-704एन/97, दिनांक-1.12.1998 के प्रस्तर-4 के अनुरूप है। अतः पट्टाधारक के क्रेताओं जिनका मूल पट्टेदार से लिंक मिल रहा है, को पट्टाधारक अथवा उसके उत्तराधिकारी के समकक्ष मानते हुये फ्रीहोल्ड की कार्यवाही की जायेगी तथा ऐसे मामले में 5 प्रतिशत नामांकन शुल्क प्राप्त नही किया जायेगा। अतः एतद्द्वारा मार्गदर्शिका के पृष्ठ-7 के प्रस्तर-6 को तद्नुसार संशोधित माना जाये।

इसी प्रकार मार्गदर्शिका के पृष्ठ-16 के क्रमांक-16 पर निम्न जिज्ञासा एवं समाधान अंकित है :-

16. जिज्ञासा : नजूल भूमि मैंने मूल पट्टेदार से बैनामे द्वारा क्रय की थी, परन्तु अभी मेरा नाम नही चढ़ा है। क्या मै आवेदन कर सकता हूँ।

इस सम्बन्ध मे स्पष्ट किया जाता है कि उक्त मार्गदर्शन किसी भी शासनादेश अथवा नीति से समर्थित नही है, अतः उक्त जिज्ञासा-16 के स्थान पर निम्नांकित समाधान प्रतिस्थापित किया जाता है :-

समाधान : ''जी हाँ, यदि पंजीकृत बैनामे द्वारा क्रय की थी। इस हेतु आपको स्टाम्प पेपर पर इन्डेमिनिटी बाण्ड प्रस्तुत करना होगा परन्तु फ्रीहोल्ड की कार्यवाही पट्टाधारक अथवा उसके उत्तराधिकारी के समकक्ष मानते हुये ही की जायेगी। इसलिए फ्रीहोल्ड के लिए आकंलित मूल्य पर 5 प्रतिशत धनराशि हस्तानान्तरण शुल्क अथवा नामान्तरण शुल्क के रूप में अतिरिक्त रूप से देय नही होगी। परन्तु आपको पट्टेदार अथवा उसके उत्तराधिकारी की भाँति नामित करने का अधिकार तब तक नही उपलब्ध होगा जब तक आप पट्टेदार के स्थान पर नजूल अभिलेखों में अपना इंद्राज नही करा लेते।''

कृपया उपरोक्त आदेश तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या-2866 (1)/9-आ-4-2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जावेद एहतेशाम
उप सचिव

नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम-1976

संख्या-1623/9-न0भू02000-1011यू0सी0/2000

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **जिलाधिकारी,**
सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, आगरा,
देहरादून, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर।

2. **सक्षम प्राधिकारी,**
नगर भूमि सीमारोपण,
सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, आगरा,
देहरादून, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर।

आवास अनुभाग-6

लखनऊः दिनाँक- 9 अगस्त, 2000

विषय : नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम-1976 के अन्तर्गत सीमाधिक्य अतिरिक्त रिक्त शुद्ध रूप से निर्विवादित शासन के कब्जे में प्राप्त भूमि का निस्तारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 1279/9-आ-6-दिनांक 21, अक्टूबर, 99 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश में शासन द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गये थे कि ऐसी भूमि का निस्तारण किया जाय जो, सीमाधिक्य अतिरिक्त रिक्त शुद्ध रूप से निर्विवादित शासन के कब्जे में प्राप्त हो, परन्तु शासन के संज्ञान में यह आ रहा है कि ऐसी भूमि का भी निस्तारण/-आवंटन किया जा रहा है जिसमें धारा 10(3) की कार्यवाही हुई है परन्तु 10(5) की कार्यवाही नहीं हुई है और शासन द्वारा कब्जा भी नहीं किया गया है यह स्थिति ठीक नहीं है। अतः ऐसे प्रकरणों में न्याय विभाग का निम्न परामर्श प्राप्त हुआ है :-

''निरसन अध्यादेश अधिनियम की धारा 3(2) उन मामलों में भी अतिरिक्त रिक्त घोषित भूमि की वापसी के लिये भी प्राविधान करती है, जिनमें कब्जा नहीं किया गया और प्रतिकर का भुगतान हो गया हो, तो उस स्थिति में ऐसी भूमि का कब्जा वापस होगा, लेकिन शर्त यह होगी कि राज्य सरकार द्वारा अदा किया गया प्रतिकर वापस हो जाए।''

इस प्रकार ऐसी भूमि जो अतिरिक्त रिक्त घोषित की गयी है, एवं धारा 10(3) की कार्यवाही हो चुकी है परन्तु कब्जा नहीं किया गया है, को किसी शासकीय विभाग या अन्य को आवंटित/हस्तान्तरित न किया जाए, वरन प्राप्त परामर्शानुसार भू-स्वामी को वापस प्राप्त हो जायेगी।

तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या : 1623/9न0भू099-1011यू0सी0/2000 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

आज्ञा से,
दीन दयाल
संयुक्त सचिव

महत्वपूर्ण

संख्या-190/9-आ-6-2001-135यू0सी0/99

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ**
2. **जिलाधिकारी/सक्षम प्राधिकारी,**
लखनऊ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, बरेली,
गोरखपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़, मेरठ ।

आवास अनुभाग-6

लखनऊः दिनाँक- 24 मार्च, 2001

विषय : नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम-1976 के निरसन होने के उपरान्त अवशेष लम्बित कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या - 777/9-न0भू0-135यू0सी0/99-2000 दिनांक 09 फरवरी, 2000 द्वारा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) निरसन अधिनियम, 1999 के आलोक में कतिपय दिशा-निर्देश जारी किए गये है। इसी के क्रम में निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है।

2. चूंकि कतिपय जनपदों से उपरोक्त शासनादेश दिनांक 09, फरवरी, 2000 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के संदर्भ में कतिपय भ्रांतियां उत्पन्न हो रही है। इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर मामले का पुनः परिशीलन करने के उपरान्त यह स्पष्ट किया जाता है कि नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 धारा-8(4) के अन्तर्गत सरप्लस घोषित भूमि में 10(3) तक की गयी कार्यवाही अधिनियम के निरसन के उपरान्त पर्याप्त नहीं है एवं उसमें निरसन अधिनियम के अनुसार शासनादेश दिनांक 09 फरवरी, 2000 के प्राविधान लागू होंगे। परन्तु जिस सरप्लस घोषित भूमि में 10(5) के बाद, 10(6) की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है एवं भूमि पर शासन द्वारा कब्जा लिया जा चुका है, वह अतिरिक्त रिक्त घोषित भूमि अन्तिम रूप से शासन में निहित भूमि मानी जायेगी।

3. उपरोक्त कार्यवाहियों के बावजूद ऐसी भूमि पर यदि बाद में पुनः कब्जा करके भूधारक द्वारा वर्तमान में अपना अवैध कब्जा बनाये रखा गया हो तो उसे अनधिकृत कब्जा माना जायेगा, एवं ऐसे अवैध कब्जों से भूमि मुक्त कराये जाने हेतु उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम-1973 की धारा-26(ए) (प्रतिलिपि संलग्न) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। ऐसी अन्तिम रूप से निहित भूमि को चिन्हित कर अवैध कब्जे की स्थिति में (पूर्व भू-स्वामी सहित किसी के द्वारा भी हो) एफ0आई0आर0 दर्ज कराकर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या : 190(1)/9-आ-6-2001-135यू0सी0/99- तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, लखनऊ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर, अलीगढ़ तथा मेरठ।
2. जिला जज, लखनऊ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर, अलीगढ़ तथा मेरठ।
3. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ खण्ड पीठ।

आज्ञा से,
दीन दयाल
संयुक्त सचिव

संख्या-424/9-आ-6-2001-1006यू0सी0/99

प्रेषक,

दीन दयाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
लखनऊ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, बरेली,
गोरखपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़, एवं मेरठ ।

लखनऊः दिनाँक- 24 मार्च, 2001

आवास अनुभाग-6

विषय : नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम-1976 के अन्तर्गत अतिरिक्त रिक्त घोषित भूमि से सम्बन्धित अभिलेखों की छाया प्रतियां कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण उ0प्र0 के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त अधिनियम के अनुरूप यथाधारा 8(4) का आदेश, धारा-9, धारा 10(1) व 10(3) व धारा 10(5) व 10(6) एवं राज्य सरकार के पक्ष में अमल दरामद (नामान्तरण) कब्जा दखल से सम्बन्धित अभिलेखों की छाया प्रतियां कराकर एक प्रति मूल अभिलेखों सहित सम्बन्धित जिलाधिकारी के रिकार्ड रूम में रखने हेतु तथा एक प्रति निदेशालय व एक प्रति शासन में भेजी जायेगी एवं एक प्रति सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी। उक्त सम्बन्धित अभिलेखों पर होने वाले व्यय का भुगतान सम्बन्धित जिले के विकास प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।

अतएव कृपया इस संदर्भ में तत्काल अपने स्तर से सम्बन्धित जिले के सक्षम प्राधिकारी को भुगतान हेतु सूचित करें ताकि उक्त अभिलेखों की छाया प्रतियां तत्काल करायी जा सकें।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
दीन दयाल
संयुक्त सचिव

संख्या : 424(1)/9-आ-6-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण, उ0 प्र0 को उनके पत्र संख्या 142/तीन-4080/2000 दिनांक 26 फरवरी 2001 के संदर्भ में।
2. सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारियों को इस आशय से प्रेषित कि तत्काल सम्बन्धित अभिलेखों की छाया प्रतियां कराना सुनिश्चित करायें।

आज्ञा से,
दीन दयाल
संयुक्त सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग - 6
संख्या 688/9-आ-6-2001-216यू0सी0/90/टी0सी0
लखनऊ : दिनांक 17 मई, 2001

अधिसूचना

नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) निरसन अध्यादेश, 1999 (अध्यादेश संख्या-5 सन् 1999) द्वारा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 को निरसित कर दिया गया है,

चूंकि भारत का संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (2) के अनुसरण में राज्य विधान मण्डल ने संकल्प द्वारा उक्त अध्यादेश संख्या 5 सन् 1999 को उत्तर प्रदेश में लागू करने हेतु अंगीकार कर लिया है,

चूंकि राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित उक्त संकल्प के फलस्वरूप उक्त अध्यादेश संख्या 5 सन् 1999, दिनांक 18 मार्च, 1999 को उत्तर प्रदेश में प्रवृत्त हो चुका है ,

और चूंकि उक्त अध्यादेश संख्या 5 सन् 1999 के उत्तर प्रदेश में प्रवृत्त हो जाने के फलस्वरूप नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976, दिनांक 18 मार्च, 1999 से इस राज्य में प्रवृत्त नहीं है,

राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित संकल्प, जिसे विधान सभा द्वारा दिनांक 10.03.1999 एवं विधान परिषद द्वारा दिनांक 18.03.1999 को पारित किया गया, सर्वसाधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

संकल्प

चूंकि भारत का संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश एवं कतिपय अन्य प्रदेशों के विधान मण्डलों द्वारा पारित संकल्प के आधार पर, भारत का संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-2 राज्य सूची की प्रविष्ट 18 के सम्बन्ध में संसद द्वारा नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 अधिनियमित किया गया था जो वर्तमान में इस प्रदेश में प्रवृत्त है,

और चूंकि यह पाया गया कि उक्त अधिनियम कुछ एक व्यक्तियों के ही हाथों में नगरीय भूमि के स्वामित्व के केन्द्रीयकरण तथा नगरीय भूमि के हस्तान्तरण में सट्टेबाजी अथवा मुनाफाखोरी रोकने एवं नगरीय भूमि के समाजीकरण द्वारा सामूहिक हित के लिये भूमि के समतापूर्ण वितरण को सुनिश्चित करने एवं अन्य अपेक्षित उद्देश्यों की पूर्ति करने में विफल रहा है जिसके फलस्वरूप मूलभूत नगरीय सुविधाओं के विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

और चूंकि यह सदन इस मत का है कि उक्त अधिनियम की अब कोई उपयोगिता नहीं रह गयी है और उसका निरसन आवश्यक है।

और चूंकि पंजाब और हरियाणा राज्यों में उक्त अधिनियम को निरसित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (2) के अन्तर्गत उक्त राज्यों में विधान मण्डलों द्वारा पारित संकल्प के अनुसरण में उक्त अधिनियम को उक्त राज्यों में तथा ऐसे अन्य राज्यों में, जहां के राज्य विधान मण्डल उक्त अधिनियम को निरसित करने हेतु संसद द्वारा बनाये गये निरसन अधिनियम को अंगीकार करें, निरसित करने के लिए विधेयक संसद में पुनः स्थापित किया गया है जो अभी तक संसद द्वारा पारित नहीं हो सकता है।

अब चूंकि संसद के सत्र में न रहने के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत का संविधान के अनुच्छेद 123 के खण्ड (1) के अन्तर्गत शक्ति का प्रयोग कर नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) निरसन अध्यादेश, 1990 (सं0 5 सन् 1999) प्रख्यापित किया गया है।

और चूंकि उक्त अध्यादेश 5 सन् 1999 की धारा-1 की उपधारा (2) में यह उपबन्धित है कि नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन अध्यादेश, 1999 उन राज्यों में भी प्रवृत्त हो सकेगा जिन राज्यों के विधान मण्डल भारत का संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (2) के अन्तर्गत इस निमित्त संकल्प पारित कर उक्त अध्यादेश को अंगीकार करें,

और चूंकि इस सदन को वांछनीय प्रतीत होता है कि उक्त अध्यादेश को उत्तर प्रदेश में लागू किया जाये।

अत: यह सदन भारत का संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (2) के अनुसरण में इस संकल्प द्वारा नगर भूमि (अधिकमि सीमा और विनियमन) निरसन अध्यादेश, 1999 (अध्यादेश संख्या 5 सन् 1999) को, जो राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित केन्द्रीय अध्यादेश है, अंगीकार करता है।

आज्ञा से

अतुल कुमार गुप्ता

सचिव

संख्या : 688(1)/9-आ-6-2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण, उ0 प्र0 उत्तर प्रदेश, जवाहरण भवन, लखनऊ।
2. मण्डलायुक्त, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, मुरादाबाद, गोरखपुर, बरेली, सहारनपुर एवं अलीगढ़।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, मुरादाबाद, गोरखपुर, बरेली, सहारनपुर एवं अलीगढ़।
4. सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमारोपण, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, मुरादाबाद, गोरखपुर, बरेली, सहारनपुर एवं अलीगढ़।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6. निदेशक, सूचना निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
7. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ।
8. जिला शासकीय अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश।

   लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, मुरादाबाद, गोरखपुर, बरेली, सहारनपुर एवं अलीगढ़।
9. शासन के समस्त अनुभाग

आनन्द कुमार

अनु सचिव

संख्या-1540/9-आ-6-2000-1006यू0सी0/99/टी0सी0

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।**
2. **समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।**
3. **समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।**
4. **समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।**

आवास अनुभाग-6

लखनऊः दिनाँक- 31 मई, 2001

विषय : नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम-1976 के प्रदेश से निरसन के उपरान्त नगर भूमि सीमारोपण निदेशालय एवं नगर बस्तियों के छटनीशुदा कार्मिकों का सरकारी सेवा में आमेलन हेतु अर्हतायें एवं अनुमन्यता।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुये शासन ने नगरभूमि सीमारोपण निदेशालय एवं 11 नगर बस्तियों के छटनीशुदा/छटनी होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की निम्नलिखित शर्तों के अधीन सरकारी सेवा में आमेलन हेतु अर्हता एवं अनुमन्यता प्रदान करने का निर्णय लिया है :-

(1) सरकारी सेवा में आमेलन हेतु केवल वे ही कर्मचारी पात्र होंगे, जो दिनांक 1.10.1986 या इसके पूर्व नगर भूमि सीमारोपण विभाग की सेवा में नियुक्त हुए हो तथा विभाग के बन्द होने की तिथि तक निरन्तर कार्यरत हों।

(2) लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर ''उपयुक्तता'' के आधार पर नियुक्ति हेतु अर्हता मानी जायेगी। ऐसी सेवाओं/पदों हेतु, जिसके लिये भर्ता/चयन के निमित्त किसी सेवा नियमावली/कार्यकारी हेतु आदेश में कोई प्रक्रिया विद्यमान हो, छटनी शुदा कार्मिकों के विषय में उक्त प्रक्रिया से शिथिलता बरतते हुये ''उपयुक्तता'' के आंकलन के लिये अलग से उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छटनीशुदा कर्मचारियों को सरकारी सेवा में आमेलन नियमावली, 1991 प्रख्यापित की गयी है।

(3) सरकारी सेवा में भर्ती हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, अनुभव तथा आयु विषयक शर्ते पूरा करने वाले नगर भूमि सीमारोपण विभाग के कार्मिक ही उक्त सेवायोजन हेतु पात्र होंगे। यदि ऐसे कार्मिक नगर भूमि सीमारोपण विभाग में ऐसे पद पर नियुक्त हुए थे, जिसका कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व उस पद के समान है, जिस पद के लिये वे अब अभ्यर्थी हैं और अपनी नियुक्ति के समय उपरोक्त पद के लिये निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखते थे, तो यह समझा जायेगा कि वे वर्तमान पद के लिये निर्धारित शैक्षिक अर्हता पूर्ण करते है।

(4) नगर भूमि सीमारोपण विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये आमेलन के समय सरकारी सेवा में पद विशेष पर लागू अधिकतम आयु सीमा का प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।

(5) सेवा में लिये जाने के दिनांक से राज्य कर्मचारियों पर लागू समस्त नियत जैसे भविष्य निर्वाह निधि, अवकाश, पेंशन आदि उन पर स्वतः लागू होंगे।

(6) उक्त सेवायोजन/आमेलन सीधी भर्ती के उपलब्ध रिक्त पदों के विरूद्ध ही किया जायेगा तथा सम्बन्धित पद पर सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिकों की ज्येष्ठता निर्धारित करने विषयक लागू नीति के अनुसार उक्त सम्मेलन/सेवायोजन की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित की जायेगी।

(7) नगर भूमि सीमारोपण विभाग में तैनात समूह-''ग'' एवं ''घ'' के जिन कर्मचारियों की सेवायें समाप्त की जायेंगी, उन सभी के नाम सेवायोजन कार्यालयों में एक अलग 'पूल' में नगर भूमि सीमारोपण विभाग में उनकी वरिष्ठता के क्रम में व्यवस्थित किये जायेंगे और सेवायोजकों से मांग प्राप्त होने पर तद्नुसार नाम प्रेषित किये जायेंगे।

(8) इस प्रकार की नियुक्तियां करते समय आरक्षण सम्बन्धी नियमों का पालन किया जायेगा।

(9) नगर भूमि सीमारोपण विभाग के जो छटनीशुदा कर्मचारी/अधिकारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्त लेना चाहेंगे उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्त का लाभ अनुमन्य होगा।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या : 1540(1)/9-आ-6-2000 तद्दिनांक

प्रतिलिपि सचिवालय के समस्त अनुभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

आज्ञा से,
दीन दयाल
संयुक्त सचिव

संख्या : 1540(2)/9-आ-6-2000 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. गोपन अनुभाग-1 को उनके अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 4/2/17/2000 दिनांक 26, जुलाई 2000 के अनुक्रम में।
2. कार्मिक अनुभाग - 3
3. निदेशालय, नगर भूमि सीमारोपण, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (सामान्य) अनुभाग-2

आज्ञा से,
दीन दयाल
संयुक्त सचिव

संख्या : 1540(3)/9-आ-6-2000 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश को उक्त आदेशों को विभिन्न सूचना माध्यमों से व्यापक प्रचार/प्रसार हेतु।

आज्ञा से,
दीन दयाल
संयुक्त सचिव

प्रेषक,

संख्या-2059/9-आ-6-2001-135यू0सी0/99

अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **जिलाधिकारी,**
सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, आगरा,
कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी व गोरखपुर।
2. **सक्षम प्राधिकारी,**
नगर भूमि सीमारोपण,
सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, आगरा,
कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी व गोरखपुर।

आवास अनुभाग-6

लखनऊः दिनाँक- 23 अक्टूबर, 2001

विषय : नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम-1976 के निरसित हो जाने के उपरान्त शासन में धारा 10(3) में निहित हो चुकी भूमि के बारे में ऐसी स्थिति में जब 10(5) अथवा 10(6) की कार्यवाही स्पष्ट न हो।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के संबंध में शासन द्वारा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) निरसन अधिनियम, 1999 के आलोक में निम्न शासनादेश जारी किये गये है :-

I शासनादेश संख्या 777/9आ-6-2000-135 यू0सी0/99 दिनांक 9 फरवरी, 2000

II शासनादेश संख्या 1623/9आ-6-2000-1011 यू0सी0/2000 दिनांक 9 अगस्त, 2000

III शासनादेश संख्या 190/9आ-6-2000-135 यू0सी0/99 दिनांक 24 मार्च, 2001

2. शासन के संज्ञान में यह तथ्य आये है कि उक्त शासनादेशों के निर्गत होने के उपरान्त भी भू-धारकों की भूमि के निस्तारण में कठिनाइयां आ रही है। इनमें मुख्य रूप से मामले जिनमें धारा 10(5) की नोटिस तो जारी कर दी गयी थी परन्तु सम्बन्धित भू-धारक के स्वेच्छा से कब्जा देने अथवा धारा 10(6) के अधीन कार्यवाही करने का कोई विशिष्ट अभिलेख न होने की स्थिति में अधिनियम निरसन के फलस्वरूप ऐसी भूमि के प्रत्यावर्तन की क्या स्थिति होगी पर संशय बना है।

शासन द्वारा प्रकरण पर गम्भीरतापूर्वक विचारोपरान्त यह पाया गया कि ऐसे प्रकरणों पर निम्नानुसार कार्यवाही की जाये :-

नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) निरसन अधिनियम, 1999 की धारा 3(1)(ए) के प्राविधान के अनुसार यदि रिक्त भूमि को नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा-10(3) के तहत राज्य सरकार में निहित की गई है और ऐसी भूमि का कब्जा राज्य सरकार के द्वारा या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी के द्वारा ले लिया गया है और कब्जे का पुष्ट प्रमाण है तो ऐसी अतिरिक्त रिक्त भूमि राज्य सरकार में अंतिम रूप से निहित मानी जायेगी। ऐसे में यदि किसी कारण से नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम की धारा 10(5) व 10(6) के नोटिस एवं कार्यवाही विषयक प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो भी राज्य सरकार में अन्तिम रूप से निहित भूमि प्रत्यावर्तित नही होगी, क्योंकि यह सुस्थापित विधिक व्यवस्था है कि यदि भूमि राज्य सरकार में निहित हो गयी है तो ऐसी भूमि तब तक मूल स्वामियों को प्रत्यावर्तित नहीं होगी जब तक की अधिनियम में अन्यथा व्यवस्था न हो।

नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) निरसन अधिनियम, 1999 में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसमें यह कहा

गया हो कि भूमि का कब्जा ले लेने के बाद यदि मूल अधिनियम की धारा 10(5) व 10(6) के प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होंगे तो राज्य सरकार में निहित भूमि मूल भूस्वामियों को प्रत्यावर्तित हो जायेगी।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आप कृपया संबंधित प्रकरणों में नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत अतिरिक्त रिक्त घोषित भूमि से संबंधित प्रकरणों का निस्तारण उपर्युक्त व्यवस्थानुसार यथाशीघ्र करने का कष्ट करें।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
2. सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमारोपण, वाराणसी को पत्र संख्या 288/न0भू0सी0वारा0/2001-2002 दिनांक 20 जून, 2001 के संबंध में।
3. श्री शतरूद्र पूर्व मंत्री, उत्तर प्रदेश

आज्ञा से,
अरविन्द सोनकर
संयुक्त सचिव

4

स्वैच्छिक शमन

संख्या-5244/9-आ-1-2000-57 बैठक/2000

प्रेषक,

संजय भूसरेड्डी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ: दिनाँक-05 दिसम्बर, 2000

विषय :विकास प्राधिकरणों में लम्बित स्वैच्छिक शमन योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों एवं भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्तावों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने विषयक।

महोदय,

शासन के संज्ञान में आया है कि विकास प्राधिकरणों द्वारा क्रियान्वित स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों में से अधिकांश का निस्तारण वर्तमान समय तक नहीं किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सभी प्राधिकरण स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत प्राप्त एवं लम्बित प्रार्थना पत्रों का दिनांक - 20.12.2000 तक निस्तारण सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त यह भी अपेक्षा की जाती है कि सभी विकास प्राधिकरणों में लम्बित भू-उपयोग परिवर्तन के समस्त प्रस्तावों का निस्तारण दिनांक 31.2.2000 तक सुनिश्चित करें।

कृपया उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए शासन को दिनांक 10.01.2001 तक अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

संख्या 5244 (1)/9-आ-1-2000, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उतर प्रदेश शासन।
2. विशेष सचिव, आवास अनुभाग-3।

आज्ञा से,
आनन्द कुमार
अनु सचिव

संख्या-5063/9-आ-1-शमन/2000 (आ0ब0)

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1

लखनऊः दिनाँक-29 दिसम्बर, 2000

विषय : शमन के केसों में प्राधिकरणों के द्वारा किये गये निर्णय के विरूद्ध होने वाली अपीलों का निस्तारण।

महोदय,

विकास प्राधिकरण द्वारा शमन हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु लिये गये निर्णयों से असन्तुष्ट होने की शिकायतों की संख्या शासन में निरन्तर बढ़ती जा रही है तथा इस हेतु अपने प्रकरण की पैरवी के लिए शिकायतकर्ता कई-कई बार शासन में लखनऊ आते रहते है जिसमें उनका समय नष्ट होने के साथ-साथ धन भी व्यय होता है। प्रक्रियाओं का सरलीकरण शासन की प्राथमिकताओं में है, अतः शिकायतकर्ताओं की असुविधा तथा उन पर आने वाले आर्थिक बोझ को ध्यान में रखते हुए श्री राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा-41 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन निम्न निर्देश देते है :-

1. अनाधिकृत निर्माण को नियमित करने के लिये शमन मानचित्र की स्वीकृति उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-32 सपठित धारा-15 के अन्तर्गत दी जाती है, अतः निर्णय से असन्तुष्ट होने की स्थिति में इन निर्णयों के विरूद्ध अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकती है। जिसके लिए निर्धारित आवेदन शुल्क के अतिरिक्त तकनीकी प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में रुपये एक हजार मात्र प्राधिकरण में जमा करना होगा।
2. अध्यक्ष तकनीकी बिन्दुओं पर अपनी सहायता के लिए मण्डल स्तर पर उपलब्ध नगर नियोजक या समकक्ष तकनीकी अधिकारी का सहयोग प्राप्त कर सकते है अथवा उक्त अधिकारी के साथ अपनी इच्छानुसार शासन द्वारा गठित व्यक्तियों के पैनल में से किसी एक का चयन कर दोनों की एक समिति का गठन कर सकते है। वर्तमान में शासनादेश संख्या-2102/9-आ-1-2000 दिनांक 8:5.2000 द्वारा गठित पैनल में भी निम्न विशेषज्ञ है :-

(i) श्री ए0के0 पचौरी, सेवानिवृत्त, मुख्य वास्तुविद, आवास एवं विकास परिषद, ए-967/16 इन्दिरा नगर, लखनऊ। दूरभाष संख्या - 0522-343859,

(ii) श्री एम.एम.त्यागी, सेवा निवृत्त, मुख्य नगर नियोजक, प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा, सी-60 ए सेक्टर-सी, अलीगंज, लखनऊ, दूरभाष संख्या - 0522-320414

(iii) श्री वाई0के0 रहेजा, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, पालिका सेवा, 120/403 लाजपत नगर, कानपुर। दूरभाष संख्या -0512-216721,

(iv) श्री पी0सी0 मेहरोत्रा, सेवा निवृत्त, मुख्य अभियन्ता, प्राधिकरण सेवा, बी, 1/74, सेक्टर-बी, अलीगंज, लखनऊ। दूरभाष संख्या - 0522-320311

(v) श्री एन0आर0 वर्मा, अपर निदेशक आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश। इ.एच.-4, दिलकुशा कालोनी, लखनऊ। दूरभाष संख्या 0522-482254

(vi) श्री रूपेश जैसवाल, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, पालिका सेवा, 4/263, पत्तल वाली गली, जैन मन्दिर के पास, आगरा। दूरभाष संख्या-0562-364927

(vii) श्री शंकर नागदेव, सेवानिवृत्त मुख्य अभियनत, प्राधिकरण सेवा 124 ए/180 ब्लाक-11, गोविन्द नगर, कानपुर-208006, दूरभाष संख्या 0512-651200,

(viii) श्री सी0पी0 अरोरा, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, पालिका सेवा, 111 ए/ 399, अशोक नगर कानपुर। दूरभाष संख्या - 0512-291289

3. अपीलकर्ता तथा प्राधिकरण दोनों ही अपना-अपना पक्ष अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करेंगे जिसपर अध्यक्ष या तो स्वयं अथवा समिति की सलाह पर विचारोपरान्त उस पर निर्णय लेंगे। आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष स्वयं अथवा उनके द्वारा गठित समिति स्थल का निरीक्षण भी कर सकती है जिसकी व्यवस्था सम्बन्धित विकास प्राधिकरण को करनी होगी।,

4. समिति की सहायता प्राप्त करने की दशा में समिति के उक्त पैनल, के सदस्यों को टी0ए0, डी0ए0 तथा पारिश्रमिक का भुगतान वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा इस विषय में समय-समय पर जारी शासनादेशों के आधार पर आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जायेगा। जिसकी प्रतिपूर्ति सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा आवास बन्धु को की जायेगी। व्यय भार कम करने के लिए आवश्यक होगी कि एक दिन में कम से कम पांच प्रकरणों का निस्तारण पैनलिस्ट करेंगे। अध्यक्ष भी कृपया इसकी दृष्टिगत तिथियां तय करेंगे।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या 5063 (1)/आ0ब0/नि0स0/आर्बी/2000'01 तददिनांक 29.12.2000

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण को इस अनुरोध के साथ कि वे शासनादेश की प्रतियां अपने नगर के सभी प्रतिष्ठित बिल्डर्स तथा आर्कीटेक्ट्स को उपलब्ध करा दें।
2. आवास विभाग के समस्त अनुभाग।
3. अपर निदेशक आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

प्रेषक,

संख्या-964/9-आ-1-2001 (आ.ब.)

संजय भूसरेड्डी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1

लखनऊः दिनाँक-22 फरवरी, 2001

विषय : स्वैच्छिक शासन योजनान्तर्गत पार्किंग क्षेत्र की कमी हेतु शमन की कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि स्वैच्छिक शमन योजना में पार्किंग क्षेत्र की कमी को कतिपय शर्तो के साथ शमन किए जाने की व्यवस्था की गई थी। इस सम्बन्ध में इस्टेट बिल्डर्स एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश द्वारा शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि लखनऊ में स्वीकृत कतिपय भवन मानचित्रों में पार्किंग हेतु आरक्षित स्थल का जिन भवन स्वामियों द्वारा अन्य उपयोग कर लिया गया है, को मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेन्च के आदेशों के अनुपालन में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पुनर्स्थापित करायाजा रहा है। एसोसिएशन ने अनुरोध किया है कि जिन भवन स्वामियों/निर्माणकर्ताओं द्वारा पार्किंग स्थल का उपयोग अनुमोदित मानचित्र के विरूद्ध किसी अन्य उपयोग में कर लिया गया है और पार्किंग व्यवस्था उपलब्ध नही है, के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए, परन्तु ऐसे प्रकरण जहां किसी निर्माणकर्ता द्वारा भवन परिसर में उपविधियों के अनुरूप पार्किंग क्षेत्र का वैकल्पिक प्राविधान सुनिश्चित किया जा चुका है अथवा किया जा रहा है, में पार्किंग की व्यवस्था स्वीकृत मानचित्र में दर्शाए गये स्थल पर ही पुनः स्थापित किया जाना युक्तिसंगत नही है।

2. अतएव मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे प्रकरणों में, जहां उसी उसी भवन परिसर में वैकल्पिक पार्किंग स्थल उपलब्ध कराना सम्भव है, निम्न शर्तो के आधार पर पुनः मानचित्र स्वीकृत करने पर विचार किया जा सकता है:-

(i) भवन परिसर में वर्तमान भू-उपयोग के आधार पर वाछित पार्किंग व्यवस्था निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित करनी होगी,

(ii) यदि भवन में अनिधिकृत निर्माण है जो शमनीय श्रेणी मे आता है (बेसमेन्ट को शामिल करते हुए), तो अतिरिक्त निर्माण हेतु भी निर्धारित मानकों के अनुसार पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

(iii) पार्किंग स्थल तक वाहनों के आने-जाने के लिए मानकों के अनुसार पहुंच मार्ग तथा **Manoevouring space** उपलब्ध होना चाहिए

(iv) अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टि से भवन के चारो ओर नियमानुसार वांछित खुले क्षेत्र में किसी प्रकार की पार्किंग अनुमन्य नही होगी तथा भू-आच्छादन के अतिरिक्त उपलब्ध भू-खण्ड के अवशेष खुले क्षेत्र के 50 प्रतिशत भाग पर ही पार्किंग अनुमन्य होगी।

(v) पार्किंग की वैकल्पिक व्यवस्था करने पर, स्वीकृत भवन मानचित्र में मूल पार्किंग स्पेस का अनधिकृत रूप से अन्य उपयोग किए जाने हेतु नियमानुसार शमन शुक देय होगा,

(vi) भू-स्वामी द्वारा प्राधिकरण को इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि पार्किंग हेतु पुनर्स्थापित क्षेत्र को भविष्य में

किसी अन्य उपयोग में नही लाया जाएगा। शपथ-पत्र का उल्लंघन होने पर पार्किंग क्षेत्र को प्राधिकरण द्वारा **attach** कर लिया जायेगा।

3. कृपया पार्किंग क्षेत्र की कमी हेतु शमन की कार्यवाही उपरोक्त शर्तो के साथ तभी सुनिश्चित करने का कष्ट करें जब भवन स्वामी द्वारा उसी परिसर में पार्किंग की निर्धारित व्यवस्था उपलब्ध करा दी जाए।

भवदीय,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

संख्या 964 (1)/9-आ-1-2001, (आ.ब.)तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद।
3. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य नगर एंव ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
5. अध्यक्ष, इस्टेट बिल्डर एसो., प्रगति केन्द्र, प्रथम तल, कपूरथला, लखनऊ।
6. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु।

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

प्रेषक,

संख्या-1240/9-आ-1-2001(आ.ब.)

संजय भूसरेड्डी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष**
कानपुर विकास प्राधिकरण,
कानपुर।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ: दिनाँक-8 फरवरी, 2001

विषय : कानपुर नगर के विभिन्न क्षेत्रों में गेस्ट हाऊस/बारातघरों के निर्माण को आवासीय अथवा व्यवसायिक भू-उपयोग मानते हुए, शमन किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 832/का.वि.प्र./2000-01 दिनांक 7 अगस्त, 2000 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि महायोजना जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार आवासीय भू-उपयोग में गेस्ट हाऊस, धर्मशाला तथा बारातघर का निर्माण अनुमन्य है परन्तु इनका निर्माण जोनल प्लान/सेक्टर प्लान अथवा ले-आउट में इस प्रयोजन हेतु चिहिन्त/आवंटित भूखण्डों पर ही होना चाहिए। साथ ही भवन का मानचित्र यदि आवासीय प्रयोजन हेतु अभिकल्पित एवं स्वीकृत है परन्तु उसे अनधिकृत रूप से गेस्ट हाउस अथवा बारातघर के उपयोग में लाया जाता है, तो आवासीय उपयोग की अनुषांगिकता (**Compatibility**) प्रभावित होती है।

2. उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गेस्ट हाऊस/बारातघर विशुद्ध रूप से न तो आवासीय उपयोग है न ही व्यवसायिक, बल्कि सामुदायिक सुविधा के रूप में एंव अर्द्ध-व्यवसायिक उपयोग है, अत: शमन शुल्क की दरें निम्नानुसार लिया जाना औचित्यपूर्ण होगा :-

(क) ऐसे भूखण्ड जो किसी योजना अथवा ले-आउट प्लान में गेस्ट हाऊस/बारातघर हेतु चिन्हित है, अथवा इसी प्रयोजन हेतु आवंटित है अथवा जिनके मानचित्र इसी प्रयोजन हेतु स्वीकृत है, में यदि अनधिकृत निर्माण किया गया है, तो उसका शमन आवासीय दरों पर किया जाए।

(ख) जो भूखण्ड आवासीय प्रयोजन हेतु आवंटित/चिन्हित है एवं जिनके मानचित्र आवासीय उपयोग हेतु स्वीकृत है तथा जो न्यूनतम 12 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित है, को अनधिकृत रूप से परिवर्तित कर यदि गेस्ट हाउस/बारातघर के रूप में उपयोग किया जा रहा है, को आवासीय के 1.5 गुना दर पर प्रश्मनित किया जाए, परन्तु भू-उपयोग शुल्क नही लिया जाएगा।

3. कृपया स्वैच्छिक शमन योजना के अन्तर्गत लम्बित प्रकरणों का निस्तारण उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार करने का कष्ट करें।

भवदीय,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

संख्या (1)/9-आ-1-2001(आ.ब.) तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. **आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद।**
3. **उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।**
4. **मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।**
5. **अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु।**

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

संख्या-2583/9-आ-3-2001-22 काम्प/2001 (आ.ब.)

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

आवास अनुभाग-1

लखनऊः दिनाँक-13 जून, 2001

विषय : स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत भू-उपयोग परिवर्तन हेतु निर्धारित प्रक्रिया में संशोधन तथा अशमनीय उल्लंघनों के विरूद्ध किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत भू-उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण हेतु प्रक्रिया निर्धारण से सम्बन्धित निम्न शासनादेशों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें :-

(i) शासनादेश सं. 4055/9-आ-1-120 विविध/98 दिनांक 25 अगस्त, 1999

(ii) शासनादेश सं. 6073/9-आ-1-99-120-विविध/98 दिनांक 17 दिसम्बर, 1999

(iii) शासनादेश सं. 519/9-आ-1-99-120-विविध/98 दिनांक 6 मार्च, 2001

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियोजित रूप से विकसित कालोनियों में अवैध भू-उपयोग को स्वैच्छिक शमन योजना के अन्तर्गत शमन किए जाने के विरूद्ध शासन के समक्ष कई शिकायतें प्राप्त हुई है जिनमें इस ओर ध्यानाकर्षण किया गया है कि ऐसे उल्लंघनों को नियमित करने से अवैध भू-उपयोग की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा जिसके फलस्वरूप न केवल आवासीय कालोनियों का स्वरूप विकृत होगा बल्कि उनका शान्तिपूर्व रिहायशी वातावरण भी भंग होगा।

3. अतएव शासन द्वारा विचारोपरान्त स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में जारी उपरोक्त शासनादेशों के अधीन निर्धारित प्रक्रिया में संशोधन हेतु एवं विभिन्न प्रकृति के अशमनीय उल्लघंनों के विरूद्ध निम्नानुसार कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया है:-

(i) अवैध उपयोग वाले मामलों में सामान्यतः भू-उपयोग परिवर्तन अनुमन्य न किया जाए। यदि भू-उपयोग परिवर्तन अपरिहार्य पाया जाय तो इसके लिये यह पर्याप्त नही है कि समाचार पत्रों के माध्यम से आपत्ति एवं सुझाव आमन्त्रित कर निर्णय ले लिया जाए। बल्कि किसी भवन में यदि भू-प्रयोग उल्लघंन है , तो उस सड़क पर **face** कर रहे समस्त भवनों (बिल्डिंग ब्लॉक के एक कोने से दूसरे कोने तक) के अध्यासियों को व्यक्तिगत नोटिस दी जाए। अध्यासियों द्वारा आपत्ति/अनापत्ति मौके पर रजिस्टर पर दर्ज कराई जा सकती है अथवा आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु लगभग एक सप्ताह का समय दिया जाए। प्राप्त आपत्ति/सुझावों को विकास प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए तथा बोर्ड द्वारा भू-उपयोग की अनुषांगिकता (**Compatibility**) को दृष्टिगत रखते हुए भू-उपयोग परिवर्तन का निर्णय लिया जाए। आवासीय कालोनियों में भू-उपयेग परिवर्तन अनुमन्य किए जाने की स्थिति में अनुलग्नक- 1, 2, एवं 3 में दी गई सूची के अनुसार ही दुकानें (व्यवसायिक उपयोग) कार्यालय, सेवा उद्योग एवं अन्य क्रियाएं अनुमन्य की जांए।

(ii) भू-उपयोग के विरूद्ध ऐसे निर्माण जो अनुमन्य/शमनीय नहीं है, को चिन्हित कर नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्यांही की जाए।

(iii) ऐसे मामले जहाँ अनधिकृत निर्माण इस शर्त के साथ शमन किया गया था कि अशमनीय भाग का ध्वस्तीकरण आवेदक द्वारा स्वयं कर लिया जाएगा, विकास प्राधिकरण द्वारा चिन्हित किए जाएं। यदि पक्ष द्वारा अशमनीय भाग धवस्त नही किया गया है, तो विकास प्राधिकरण द्वारा स्वयं ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाए।

(iv) ऐसे अनधिकृत निर्माण जो स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत शमनीय नही है अथवा जिन्होंने स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत शमन हेतु आवेदन नही किया है, को चिन्हित कर नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाए।

(v) सार्वजनिक भूमि पर हुए अवैध निर्माणों के विरूद्ध पूर्व में जारी संगत शासनादेशों के अधीन आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि अब जो भी भू-उपयोग परिवर्तन होंगे अर्थात् जिन प्रकरणों में अभी निर्णय नही हुआ है का निस्तारण इस शासनादेश के प्रस्तर-3(**i**) में निर्धारित प्रक्रियानुसार सुनिश्चित किया जाए।

5. कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसर

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या 2583 (1)/9-आ-1-2001-22काम्प/2001 (आ.ब.)तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. निजी सचिव, मा0 आवास मंत्री/आवास राज्य मंत्री।
2. आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश।
3. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
6. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु।
7. अध्यक्ष, इस्टेट बिल्डर्स एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश।
8. अध्यक्ष, आर्कीटेक्ट एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

दैनिक उपयोग की दुकानों की सूची
(श्रमिकों की संख्या अधिकतम दो)

1. जनरल प्राविजन स्टोर
2. दैनिक उपयोग की वस्तुएं यथा दूध, ब्रेड, मक्खन, अण्डा आदि
3. सब्जी एंव फल
4. फलों के जूस
5. मिठाई एवं पेय पदार्थ
6. पान, बीड़ी, सिगरेट
7. मेडिकल स्टोर/क्लीनिक
8. स्टेशनरी
9. टाइपिंग, फोटोस्टेट, फैक्स, आदि
10. किताबें/मैगजीन/अखबार, इत्यादि
11. खेल का सामान
12. टेलीफोन बूथ, पी.सी.ओ.
13. रेडीमेड गारमेंट
14. ब्यूटी पार्लर
15. सौन्दर्य प्रसाधन
16. हेयर ड्रेसिंग
17. टेलरिंग
18. घड़ी मरम्मत
19. कढ़ाई-बुनाई एवं पेन्टिंग
20. केबल टी.वी. संचालन, वीडियो पार्लर
21. प्लम्बर शाप
22. विद्युत उपकरण
23. हार्डवेयर
24. टायर पंचर की दुकानें
25. समरूप दैनिक उपयोगिताओं की अन्य दुकानें

मिश्रित आवासीय क्षेत्र में अनुमन्य सेवा उद्योगों की सूची
(श्रमिकों की संख्या अधिकतम चार)

1. लाण्ड्री, ड्राई-क्लीनिंग
2. टी.वी., रेडियो, आदि की सर्विसिंग तथा मरम्मत
3. दुग्ध उत्पाद, घी, मक्खन बनाना
4. मोटर कार, मोटर-साइकिल, स्कूटर, साइकिल आदि की सर्विसिंग एवं मरम्मत
5. प्रिन्टिंग प्रेस तथा बुक बाइण्डिंग
6. सोना तथा चाँदी का कार्य
7. कढ़ाई एवं बुनाई
8. जूते का फीता तैयार करना
9. टेलरिंग व बुटीक
10. बढ़ई कार्य, लोहार कार्य
11. घड़ी, पेन, चश्में की मरम्मत
12. साइन बोर्ड बनाना (लोहे के बोर्ड को छोड़कर)
13. फोटो फ्रेमिंग
14. जूता मरम्मत
15. विद्युत उपकरणों की मरम्मत
16. बेकरी, कन्फेक्शनरी
17. आटा चक्की (10 अश्व शक्ति तक)
18. फर्नीचर
19. समरूप सेवा उद्योग

व्यवसायिक क्षेत्र में विशेष अनुमति से अनुमन्य प्रदूषणमुक्त लघु उद्योग
(10 हार्स पावर तक)

1. आटा चक्की
2. मूँगफली सुखाना
3. चिलिंग
4. सिलाई
5. सूती एवं ऊनी बुने वस्त्र
6. सिले वस्त्रों का उद्योग
7. हथकरघा
8. जूते का फीता तैयार करना
9. सोना तथा चाँद/तार एवं जरी का काम
10. चमड़े के जूते तथा अन्य चर्म उत्पाद जिसमें चर्म शोधन सम्मिलित नहो
11. शीशे की शीट से दर्पण तथा फोटो तैयार करना
12. संगीत वाद्य यन्त्र तैयार करना
13. खेलों का सामान
14. बांस एंव बेंत उत्पाद
15. कार्ड बोर्ड एवं कागज उत्पाद
16. इन्सुलेशन एंव अन्य कोटेड पेपर
17. विज्ञान एवं गणित से सम्बन्धित यंत्र
18. स्टील एवं लकड़ी के साज-सज्जा सामान
19. घरेलू विद्युत 'उपकरणों को तैयार करना
20. रेडियो, टी0वी0 बनाना
21. पेन, घड़ी, चश्में की मरम्मत
22. सर्जिकल पट्टियां एवं प्यूजेज
23. सूत कताई व बुनाई
24. रस्सियां बनाना
25. दरियां बनाना
26. कूलर तैयार करना
27. साइकिल एवं अन्य बिना इंजन चालित वाहनों की एसेम्बलिंग

28. वाहनों की सर्विसिंग एवं मरम्मत
29. इलैक्ट्रॉनिक्स उपकरण तैयार करना
30. खिलौने बनाना
31. मोमबत्ती बनाना
32. आरा मशीन के अतिरिक्त बढ़ई का कार्य
33. तेल निकालने का कार्य (शोधन को छोड़कर)
34. आइसक्रीम बनाना
35. मिनरलाइज्ड वाटर
36. जाबिंग एवं मशीनिंग
37. लोहे के संदूक तथा सूटकेस
38. पेपर पिन तथा यू-क्लिप
39. छपाई हेतु ब्लॉक तैयार करना
40. चश्में के फ्रेम
41. समरूप प्रदूषणरहित उद्योग

संख्या-466/9-आ-2001 (आ.ब.)

प्रेषक,

टी0 पी0 पाठक,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

आवास अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 15 सितम्बर, 2001

विषय : स्वैच्छिक शमन योजना के अन्तर्गत आंशिक भू- उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रकरणों में परिवर्तन शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 1/ल.वि.प्रा./2001/भवन दिनांक 22.5.2001 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि स्वैच्छिक शमन योजना के अनुसार विकासशील/अविकसित क्षेत्र में आवासीय भवनों में फ्रन्ट सेट-बैक में किया गया निर्माण केवल भूतल पर भूखण्ड के फ्रन्टैज का अधिकतम 30 प्रतिशत परन्तु फ्रन्ट सेट-बैक के कुल क्षेत्रफल का अधिकतम 40 प्रतिशत भाग शमनीय है। यह प्राविधान चूंकि आवासीय क्षेत्र में फ्रन्ट सेट-बैक के अन्तर्गत निर्मित दुकानों के शमन हेतु था, अतः ऐसे प्रकरणों के शमन में भू-प्रयोग परिवर्तन शुल्क निम्नानुसार लिया जाये :-

(i) निर्मित दुकान का फ्रन्टेज यदि सड़क की ओर है और उसके आगे रिक्त भूमि उपलब्ध है, तो ऐसी समस्त रिक्त भूमि पर परिवर्तन शुल्क लिया जाय। इसके अतिरिक्त निर्मित दुकान की साइड में 1.0 मीटर अतिरिक्त भूमि पर भी परिवर्तन शुल्क लिया जाए।

(ii) निर्मित दुकान का फ्रन्टेज यदि मुख्य सड़क पर है और उसके आगे रिक्त भूमि उपलब्ध नही है, तो ऐसी स्थिति में निर्मित दुकान की साइड में केवल 1.0 मीटर अतिरिक्त भूमि पर परिवर्तन शुल्क लिया जाए।

3. कृपया उपरोक्त प्रकृति के भू-उपयोग परिवर्तन से आच्छादित प्रकरणों का निस्तारण तदनुसार सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
टी. पी. पाठक
विशेष सचिव

संख्या (1) /9-आ-3-2001(आ.ब.)-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
3. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
5. अपर निदेशक, नियोजन, उत्तर प्रदेश आवास बन्धु।

आज्ञा से,
टी.पी. पाठक
विशेष सचिव

5

विकास एवं निर्माण विनियमन

संख्या-5496/9-आ-1(आ.बि.) विविध/2000

प्रेषक,

संजय भूसरेड्डी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष
विकास प्राधिकरण,
गाज़ियाबाद।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनाँक-30 दिसम्बर, 2000

विषय : विकास एवं भवन निर्माण विनियमन की कार्यवाही भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 के अनुसार किए जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा भवन मानचित्रों की स्वीकृति के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी भूखण्ड पर भवन निर्माण की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रत्येक तल हेतु अलग-अलग स्वीकृति प्राप्त करनी होगी जिसके लिए बार-बार मानचित्र बनाकर स्वीकृति की प्रक्रिया से गुजरना होगा।

यह व्यवस्था विभिन्न वर्तमान शासनादेशों के अनुकूल नही है तथा अनावश्यक रूप से आवेदकों को प्राधिकरण के चक्कर लगाने पर मजबूर करेगी तथा उत्पीड़न की शिकायतें होंगी। इसी आधार पर मानचित्रों को अस्वीकृत किए जाने के कारण कतिमपय संदर्भ भी शासन को प्राप्त हुए है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 4716/9-आ-1-29 विविध/1998 दिनांक 21.10.2000 द्वारा गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण हेतु स्वीकृत भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2000 को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथाउसमें निहित प्रक्रियानुसार अनुमन्य एफ.ए.आर.सीमा के अन्तर्गत सभी आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार एक अथवा अधिक तलों के भवन मानचित्र स्वीकृत किए जाएं। इन्हें तत्काल लागू किया जाए।

उपरोक्तानुसार सभी अधीनस्थ सम्बन्धित की कड़ाई से अनुपालन करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें, कृत कार्यवाही से दर दिन के अन्दर शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

संख्या-4784/9-आ-29-विविध/98 (आ.ब.)

प्रेषक,

संजय भूसरेड्डी
विशेष संचिव, आवास एवं
अधिशाषी निदेशक, आवास बन्धु,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश शासन।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनाँक : 15 सितम्बर, 2001

विषय :विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में आवश्यक संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 3002/9-आ-1-29 विविध/98 दिनांक 8.6.2001 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा **विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000** मे संशोधन का प्रस्ताव स्थानीय परिष्कारों सहित बोर्ड बैठक मे अंगीकृत किए जाने हेतु प्रेषित किया गया था। विकास प्राधिकरणो की समीक्षा बैठक दिनांक 20.7.2001 में कतिपय विकास प्राधिकरणों द्वारा यह बिन्दु उठाया गया था कि भवन उपविधि के प्रस्तर-2.4.2 मे जनसंख्या के आंकलन हेतु निर्धारित आवासीय एककों के मानक के आधार पर ले-आउट प्लान के अन्तर्गत पार्क एवं खुले क्षेत्र का प्रतिशत अत्यधिक बढ़ जाएगा जिससे योजनाओं की बायबिलिटी प्रभावित होगी। उक्त के क्रम मे आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न बिन्दु शासन के पुनर्विचार हेतु संदर्भित किए गए है:-

(i) आवासीय ले-आउट प्लान में वर्तमान मानक के अनुसार प्रति 1000 जनसंख्या पर 0.3 हेक्टेयर पार्क एवं खुला क्षेत्र छोड़े जाने का प्राविधान है जिसके आधार पर कुल भूमि का लगभग 20 से 22 प्रतिशत पार्क एवं खुले क्षेत्र हेतु छोड़ना होगा जबकि लगभग 28 से 30 प्रतिशत क्षेत्रफल सड़कों के अन्तर्गत होगा। फलस्वरूप विक्रय योग्य क्षेत्रफल मात्र 50 प्रतिशत उपलब्ध होगा जिससे योजनाओं की आर्थिक जीव्यता (**Economic Viability**) प्रभावित होगी। अत: पार्क एवं खुले क्षेत्रों का मानक विवेकसंगत बनाए जाने की आवश्यकता है,

(ii) वर्षा जल के संरक्षण के लिए निर्धारित मानक के अनुसार पार्क एवं ग्रीन बेल्ट के अन्तर्गत एक कोने में "रिचार्ज वैल"/रिचार्ज टैक बनाए जाने का प्राविधान है। आगरा विकास प्राधिकरण का सुझाव है कि इस सम्बन्ध में "रिचार्ज वैल" को हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि इसका दुरुपयोग किसी भी दुर्भावना के उद्देश्य से किया जा सकता है तथा किसी भी विषैले पदार्थ को भूमिगत जल में प्रवाहित किया जा सकता है। इसका शुद्धीकरण/शोधन भी सम्भव नही है।

2. उपरोक्त सुझावों पर दिनांक 02.8.2001 को आगरा, गाजियाबाद तथा इलाहाबाद विकास प्राधिकरणों के मुख्य नगर नियोजकों के साथ आवास बन्धु मे विचार-विमर्श हुआ जिसके क्रम मे शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्न संशोधनों सहित अनुमोदित किया गया है:-

(i) पार्क एवं खुले क्षेत्र हेतु "नेशनल बिल्डिंग कोड" में चूँकि कुल ले-आउट का 15 प्रतिशत क्षेत्रफल अथवा प्रति 1000 जनसंख्या पर 0.3 से 0.4 हेक्टेयर क्षेत्रफल आरक्षित किए जाने का प्राविधान है, अत: योजनाओं की बायबिलिटी के दृष्टिगत भवन उपविधि के प्रस्तर-2.2.1 में प्रति 1000 व्यक्तियों पर 0.3 हेक्टेयर के वर्तमान मानक के स्थान पर कुल ले-आउट का 15 प्रतिशत क्षेत्रफल रखा जाए,

(ii) रेट वाटर हार्वेस्टिंग से सम्बन्धित प्रस्तर-2.1.2.5.**(ix)** मे '' रिचार्ज -वैल' शब्द को डिलीट कर केवल रिचार्ज टैक रखा जाए,

3. कृपया उपरोक्त संशोधनों को समायोजित करते हुए भवन निर्माण एंव विकास उपांवधि को प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अंगीकरण के उपरान्त शासन के अनुमोदन हेतु यथाशीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव एवं
अधिशाषी निदेशक

संख्या-4784/9-आ-1-29-विविध/98 (आ.ब.) तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ, लखनऊ।
5. अपर निदेशक, नियोजन, उ.प्र. आवास बन्धु।

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

संख्या-3002/9-आ-1-29 विविध/98

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद्,
   लखनऊ।
2. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनाँक : 8 जून, 2001

विषय :विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में आवश्यक परिष्कार।

महोदय,

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 4716/9-आ-29-विविध/98 दिनांक 21 अक्टूबर, 2000 द्वारा जारी विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में विकास प्राधिकरणों व निजी क्षेत्र के निर्माताओं द्वारा कतिपय विसंगतियाँ/त्रुटियां शासन के संज्ञान में लाई गई है तथा उनके निराकरण हेतु महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गये है। प्राप्त सुझावों पर शासन द्वारा विचार किया गया एवं भवन उपविधि में तदनुसार संशोधन किया जाना औचित्यपूर्ण पाया गया। इसके अतिरिक्त यह भी उचित पाया गया कि भवन निर्माण सम्बन्धी अन्य शासनादेश जो भवन उपविधि, 2000 के लागू होने के उपरान्त जारी हुए है, का भी समावेश भवन उपविधि में किया जाए ताकि भवन निर्माण एंव विकास सम्बन्धी समस्त मानक एकीकृत बिल्डिंग कोड में उपलब्ध रहें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भवन उपविधि में व्याप्त विसंगतियों/त्रुटियों के निराकरण तथा महत्वपूर्ण सुझावों एवं नए विषयों पर जारी मानकों का समावेश करने हेतु शासन द्वारा भवन उपविधि में निम्नलिखित परिष्कार किए जाने का निर्णय लिया गया है :-

(1) **भवन उपविधि के प्रस्तर-1.2.29 के उपरान्त टिप्पणी में क्रमांक (II) के रूप में निम्न प्राविधान बढ़ाया जाए:-** *"विकास एवं निर्माण सम्बन्धी ऐसी अपेक्षाएं/प्राविधान जो इस उपविधि में नही है के सम्बन्ध में नेशनल बिल्डिंग कोड तथा आई.एस.आई./बी.आई.एस. के प्राविधानों का अनुपालन किया जाएगा।"*

(2) **भवन उपविधि के प्रस्तर-2.1.2 (II) तथा प्रस्तर-2.1.2.2 (II)** में विकास अनुज्ञा के अन्तर्गत आवेदन पत्र के साथ यथा निर्धारित मूल्य के नान-जूडीशियल स्टैम्प पर शपथ-पत्र तथा क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र जमा करने की अपेक्षा है। परन्तु नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम के निरसन हो जाने के फलस्वरूप अब इन प्राविधानों की आवश्यकता नही रही गई है, अत: उपरोक्त प्रस्तरों को हटा दिया जाए।

(3) **भवन उपविधि के प्रस्तर-2.1.2.5 (IX) के रूप में निम्न प्राविधान बढ़ाया जाए :**

"20 एकड़ एवं अधिक क्षेत्रफल की विभिन्न योजनाओं के ले-आउट प्लान्स में ग्राउण्ड वाटर चार्जिंग के प्रयोजनार्थ पार्क एवं खुले क्षेत्र के अन्तर्गत कुल योजना क्षेत्र के लगभग 5 प्रतिशत भूमि पर तालाब/जलाशय (Water Bodie) बनाई जाएंगी। ऐसे जलाशय/तालाब का न्यूनतम क्षेत्रफल एक एकड़ होगा और उसकी गहराई 6 मीटर होगी। बीस एकड़ से कम क्षेत्रफल की योजनाओं में पार्क/ग्रीन बेल्ट के अन्तर्गत निर्धारित मानक के अनुसार एक कोने में रिचार्ज-वैल/रिचार्ज टैंक बनाए जाएंगे।"

(4) **भवन उपविधि के प्रस्तर-2.3.1 (IV) की टिप्पणी की प्रथम पंक्ति में-** *"सार्वजनिक अभिकरणों की*

दुर्बल/अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों हेतु विशिष्ट आवासीय योजनाओं" के पश्चात् "तथा निजी एवं सहकारी क्षेत्र में उक्त आय वर्गों के आवासों के निर्माण हेतु विकास प्राधिकरण द्वारा विकास अनुज्ञा दिए जाने पर" बढ़ा दिया जाए।

(5) **भवन उपविधि के प्रस्तर-2.4.2 के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित किया जाए:-**

"जनसंख्या का आंकलन एक आवासीय एकक हेतु 5 व्यक्ति के मानक के आधार पर किया जाएगा। भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत 50 वर्ग मीटर के भूखण्ड पर 2 एकक 51 से 100 वर्ग मीटर के भूखण्ड पर 3 एकक, 101 से 300 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड पर 5 एकक्र, 301 से 500 वर्ग मीटर के भूखण्ड पर 6 एकक् तथा 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखण्डों पर 8 एकक के मानक के आधार पर गणना की जाएगी। ग्रुप हाउसिंग तथा अन्य भवनों के प्रत्येक आवासीय एकक में 5 व्यक्ति के आधार पर जनसंख्या की गणना की जाएगी।"

(6) **भवन उपविधि के प्रस्तर-3.1.1 (XIX) के रूप में निम्न प्राविधान बढ़ाया जाए :-**

"वर्षा जल के संचयन, संरक्षण एंव हार्वेस्टिंग हेतु आवश्यक संरचनाओं का निर्माण।"

(7) **भवन उपविधि के प्रस्तर-3.1.1 (XX) के रूप में निम्न प्राविधान बढ़ाया जाए :-**

"वैकल्पिक सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने हेतु छत पर आवश्यक संरचनाओं का निर्माण।"

(8) **भवन उपविधि के प्रस्तर-3.1.2.2 (X) के रूप में निम्न प्राविधान बढ़ाया जाए :-**

*"1000 वर्ग मीटर एवं इससे अधिक क्षेत्रफल के समस्त उपयोगों के भूखण्डों तथा सभी ग्रुप हाउसिंग योजनाओं में ग्राउण्ड वाटर चार्जिंग के लिए छतों एवं खुले स्थानों से प्राप्त होने वाले बरसाती जल हेतु निर्धारित मानक के अनुसार परकोलेशन पिट्स (**Percolation Pits**) की व्यवस्था की जाएगी।"*

(9) **भवन उपविधि के प्रस्तर-3.1.2.3 (V) के रूप में निम्न प्राविधान बढ़ाया जाए :-**

"रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु व्यवस्था।"

(10) **प्रस्तर-3.1.2.3 (B) के रूप में निम्न प्राविधान बढ़ाया जाए :-**

"वैकल्पिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु व्यवस्था।"

(11) **भवन उपविधि के प्रस्तर-3.1.2.2 में क्रमांक (II) तथा (IX) के रूप में निम्न प्राविधान बढ़ाया जाए :-**

3.1.2.2 **(II)** *"मूलभूत सेवाओं के वास्तविक स्थान शौचालय, सिंक, बाथ, जल प्रदाय, जल निकास। मल निस्तारण हेतु सोक पिट/सैप्टिक टैंक अथवा सीवर लाइन से कनेक्शन।"*

3.1.2.2 **(IX)** *"पानी संचयन हेतु भूमिगत टैंक जिसकी न्यूनतम क्षमता 1000 लीटर होगी।"*

(12) **भवन उपविधि के प्रस्तर-3.1.2.3 (II) में निम्न प्राविधान बढ़ाया जाए :-**

"भूतल सहित तीन मंजिला से अधिक अथवा 12 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवन का निर्माण एवं महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं यथा-वाटरवर्क्स एवं ओवर हैड टैंक, टेलीफोन एक्सचेन्ज, ब्रिज एवं कल्वर्ट, विद्युत उत्पादन केन्द्र एवं विद्युत सब-स्टेशन, विद्युत टावर, छविगृह, आडिटोरियम, सभा भवन, शैक्षणिक संस्थाएं, बस टर्मिनल जिनका भू-आच्छादन 500 वर्ग मीटर से अधिक हो (चाहे उनकी ऊँचाई 12 मीटर से कम हो), इत्यादि के निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत मानचित्रों पर भू-स्वमी/बिल्डर, पंजीकृत आर्कीटेक्ट के साथ-साथ स्ट्रक्चरल डिज़ाइन तैयार करने वाले सर्विस इंजीनियर के पूरे नाम तथा मुहरयुक्त हस्ताक्षर से भूकम्परोधी डिजाइन होने का प्रमाण-पत्र उपविधि के अध्याय-11 के संलग्नक-4 में उल्लिखित प्रारूप में अंकित किया जाएगा। साथ ही उक्त अध्याय के संलग्नक-3 "बिल्डिंग इन्फार्मेशन शिड्यूल" में उल्लिखित विवरण का सुसंगत अंश (इस ड्राइंग से सम्बन्धित) एंव तालिका के रूप में मानचित्र पर अंकित किया जाएगा जो स्ट्रकचरल इंजीनियर द्वारा प्रमाणित हो।"

(13) **भवन उपविधि के प्रस्तर-3.1.3.1 (II) की प्रथम पंक्ति में शब्द** *''नए विकसित/विकासशील क्षेत्र में-की निरन्तरता में ''प्राधिकरण की योजनाओं/स्वीकृत ले-आउट प्लान के अन्तर्गत'' बढ़ा दिया जाए। उक्त प्रस्तर के अन्त में निम्न भी बढ़ा दिया जाए:-*

''परन्तु एकल आवास में 2 से अधिक इकाईयों/प्रभार सहित इकाईयों के निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है।''

(14) **भवन उपविधि के प्रस्तर-3.1.3.2 में क्रमांक-(II) के रूप में निम्न प्राविधान बढ़ाया जाए:**

''विद्यमान होटलों में लिफ्ट लगाए जाने हेतु आवश्यक आंतरिक परिवर्तन से सम्बन्धित मानचित्र ''काउन्सिल ऑफ आर्कीटेक्चर'' में पंजीकृत वास्तुविद् द्वारा यह प्रमाणित किए जाने पर कि प्रस्तावित निर्माण महायोजना/भवन उपविधि, संरचानात्मक स्थिरता तथा अग्नि सुरक्षा के अनुरूप है, निर्धारित शुल्क सहित विकास प्राधिकरण में जमा किए जाने पर औपचारिक स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक नही होगा। इस प्रकार के मामलों में मानचित्र एवं मौके पर उल्लंघन पाए जाने की स्थिति में वास्तुविद् तथा निर्माणकर्ता स्वयं उत्तरदायी होंगे।''

(15) **भवन उपविधि के प्रस्तर-3.1.5 (I) में ''एक बार दी गई अनुज्ञा पाँच वर्ष के लिए वैद्य होगी,'' के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित किया जाए:-**

''समस्त अधिभोगों के भवनों हेतु एक बार दी गई अनुज्ञा 5 वर्ष के लिए वैद्य होगी।''

(16) **भवन उपविधि के प्रस्तर-3.1.8 में निम्न प्राविधान बढ़ाया जाए:-**

''12 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवनों तथा महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं का निर्माण पूर्ण हो जाने पर भू-स्वामी/बिल्डर द्वारा पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत आवेदन-पत्र के साथ उपविधि के अध्याय-11 के संलग्नक-5 पर सम्बन्धित आर्कीटेक्ट, साईट इंजीनियर, भू-स्वामी/बिल्डर द्वारा संयुक्त रूप से यह प्रमाण-पत्र दिया जाएगा कि भवन का निर्माण स्वीकृत मानचित्र, निर्धारित विशिष्टियों, गुणवत्ता तथा अध्याय-11 के संलग्नक-2 में उल्लिखित भारतीय मानक संस्थान के कोड, नेशनल बिल्डिंग कोड एवं सुसंगत गाइडलाईन्स पर आधारित स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा अनुमोदित स्ट्रक्चरल डिजाइन एंव भूकम्परोधी समस्त प्राविधानों के साथ किया गया है तथा भवन उपयोग हेतु हर प्रकार से सुरक्षित है।''

(17) **भवन उपविधि के प्रस्तर-3.2.2 के उपरांत 3.2.3 के रूप में निम्न प्राविधान बढ़ाया जाए:-**

''मल्टीप्लेक्स के निर्माण हेतु भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 4000 वर्ग मीटर होगा जो न्यूनतम 24 मीटर चौड़े मार्ग पर स्थित होगा। परनतु महायोजना/जोनल प्लान/सेक्टर प्लान/ले-आउट प्लान जो सक्षम स्तर से पूर्व में ही अनुमोदित है, में मल्टीप्लेक्स के प्रयोजनार्थ चिन्हित स्थलों पर यह प्रतिबन्ध लागू नही होगा। मल्टीप्लेक्स के निर्माण हेतु अन्य अपेक्षाएं भवन उपविधि के अध्याय-12 के अनुसार होंगी।

(18) **भवन उपविधि के प्रस्तर-3.3.2 के अन्त में निम्न प्राविधान जोड़ा जाए:-**

''परन्तु पूर्व विकसित कालोनियों में एकल आवास के अन्तर्गत एक अथवा एक से अधिक भूखण्डों को मिलाकर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग/बहुमंजिले भवनों का निर्माण अनुमन्य नही होगा। ऐसी कालोनियों में बहुमंजिले भवनों का निर्माण न्यूनतम 18 मीटर चौड़ी सड़क पर उसकी दोगुनी गहराई (अर्थात् 18 मीटर चौड़ी सड़क पर 36 मीटर गहराई तक) अनुमन्य होगा। ऐसे क्षेत्रों को प्राधिकरण द्वारा चिन्हित कर उन्हें महायोजना में संशोधन के रूप में सम्मिलित किया जाएगा जिनमें उच्च घनत्व अनुमन्य होगा तथा जिसके लिए वर्तमान बाह्य एवं आन्तरिक विकास शुल्क का 50 प्रतिशत विकास शुल्क के रूप में में देय होगा।''

(19) **भवन उपविधि के प्रस्तर-3.3.4 की अन्तिम पंक्ति 'परन्तु भवन की ऊँचाई में कोई छूट नहीं दी जाएगी,'' को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाए :-**

''भवन की ऊँचाई में सेट-बैक के प्राविधान हेतु छूट अनुमन्य होगी परन्तु अधिकतम ऊँचाई अन्य प्रतिबन्धों यथा एयरपोर्ट फनेल जोन, हैरिटेज़ जोन, आदि से नियन्त्रित होगी।''

(20) **भवन उपविधि के प्रस्तर-3.3.5 (IV) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए:-**

''150 आवासीय इकाई प्रति हेक्टेयर तथा ले-आउट प्लान के किसी भाग में अधिकतम 175 प्रति हेक्टेयर हो सकती है, यदि उस ले-आउट प्लान की ग्रास डेन्सिटी महायोजना/जोनल प्लान की सीमान्तर्गत हो'।

(21) **भवन उपविधि के प्रस्तर-3.3.6 के क्रमांक (I) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए:-**

''ग्रुप हाउसिंग भवनों में सैट-बैक, तल क्षेत्रफल अनुपात, भू-आच्छादन एंव घनत्व निम्नवत होगा :-

(i) *12.5 मीटर ऊँचाई के भवनों में चारों ओर 4 मीटर सैट-बैक,*

(ii) *12.5 मीटर से 15 मीटर तक ऊँचाई के भवनों में चारों ओर 5 मीटर सैट-बैक,*

(iii) *15 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवनों में प्रस्तर 3.4.5 पर दी गई तालिका के अनुसार सैट-बैक।*

(22) **भवन उपविधि के प्रस्तर-3.3.6 (VI) में निम्न प्राविधान जोड़ा जाए :-**

''चार मंजिल (अधिकतम 15 मीटर ऊँचाई) के ग्रुप हाउसिंग भवनों हेतु 1.5 एफ.ए.आर. के साथ 40 प्रतिशत भू-आच्छादन अनुमन्य होगा परन्तु ऐसी स्थिति में 10 प्रतिशत अतिरिक्त भू-आच्छादन (अधिकतम 400 वर्ग मीटर तल क्षेत्रफल) तथा स्टिल्ट फ्लोर अनुमन्य नहीं होंगे।''

(23) **भवन उपविधि के प्रस्तर-3.4.1 के शीर्षक** *''आवासीय भवन (12 मीटर तक ऊँचाई)''* **को** *''एकल आवासीय भवन (अधिकतम 3 मंजिल तथा 12.5 मीटर ऊँचाई)''* से प्रतिस्थापित किया जाए।

(24) **भवन उपविधि के प्रस्तर-3.4.5 के शीर्षक** *''बहुखण्डीय भवन''* **को** *''बहुमंजिले एवं विशिष्ट भवन''* स प्रतिस्थापित किया जाए तथा इसी प्रस्तर की टिप्पणी में क्रमांक (I) पर निम्न प्राविधान बढ़ाया जाए:-

''10 से 15 मीटर ऊँचाई के अन्तर्गत केवल विशिष्ट भवन यथा सभा भवन, शैक्षिक, संस्थागत, औद्योगिक, संग्रहगार, संकटमय भवन तथा मिश्रित अधिवास सम्मिलित होंगे।''

(25) **भवन उपविधि के प्रस्तर-3.4.6 (II) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए:-**

''ड्राइव-वे के ऊपर साइड सैट बैक में प्रवेश द्वार के निकट (सामने के सैट-बैक को छोड़कर) अधिकतम 3.0 मीटर चौड़े और 5.0 मीटर लम्बे प्रक्षेपित अथवा स्तम्भों पर अवलम्बित पोर्टिको का निर्माण अनुमन्य होगा। पोर्टिको के ऊपर किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।''

(26) **भवन उपविधि के प्रस्तर-3.5.1 (I) में शब्द 'निशुल्क इकाईयां' को** *'प्रभार-रहित इकाईयां से तथा शब्द ''अतिरिक्त इकाईयां/क्रय-योग्य इकाईयां' को ''प्रभार सहित इकाईयां' से प्रतिस्थापित किया जाए।*

(27) **भवन उपविधि के प्रस्तर-3.5.1 की टिप्पणी (I) एवं (II) को क्रमशः निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए:-**

(i) *''किसी भूखण्ड मे भू-आच्छादन व तल क्षेत्रफल उसके निचले क्रम के भूखण्ड मे अनुमन्य भू-आच्छादन व तल क्षेत्रफल से कम नही होगा। भू-आच्छादन व तल क्षेत्रफल की गणना प्रस्तावित भूखण्ड के क्षेत्रफल के एक स्तर नीचे से प्रारम्भ करते हुए टेलिस्कोपिक ढंग से की जाएगी।''*

(ii) "निर्मित क्षेत्र के बाहर एकल आवासीय भूखण्डों पर अतिरिक्त इकाईयां, विकास प्राधिकरण/जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट की वर्तमान सामान्य आवासीय दर का 10 प्रतिशत शुल्क (अतिरिक्त इकाईयों के कुल तल क्षेत्रफल पर) लेकर अनुमन्य होंगी।"

(28) **भवन उपविधि के प्रस्तर-3.5.1 की टिप्पणी (II) में निम्न प्राविधान जोड़ा जाए:-**

(क) विकसित/विकासशील क्षेत्रों के अर्न्तगत नए ले-आउट प्लान/योजनाओं में प्रभार सहित इकाइयां निम्नानुसार अनुमन्य होंगी :-

(i) 12 मीटर से कम चौड़ी सड़कों पर केवल प्रभार रहित इकाईयां ही अनुमन्य होंगी,

(ii) 12 से 18 मीटर तक चौड़ी सड़कों पर प्रभार सहित अधिकतम 5 इकाइयाँ अनुमन्य होंगी,

(iii) 18 मीटर एवं इससे अधिक चौड़ी सड़कों पर प्रभार सहित अधिकतम 8 इकाइयां अनुमन्य होंगी।

(ख) विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा चिन्हित पूर्व विकसित/अनुमोदित ऐसी योजनाओं, जहाँ बढ़े हुए घनत्व के सापेक्ष अवस्थापना सुविधाओं का संवर्धन/सृदृढ़ीकरण सम्भव है अथवा जहाँ विकास कार्यों का स्तर धनत्व में प्रस्तावित वृद्धि के सापेक्ष उपलब्ध है, में शुल्क की दरें निम्नानुसार देय होंगी :-

(i) प्रभार सहित इकाइयों पर भवन उपविधि के अनुसार सर्किल रेट का 10 प्रतिशत शुल्क, तथा

(ii) प्रभार सहित इकाइयों के सम्पूर्ण तल क्षेत्रफल पर सम्बन्धित कालोनी के वर्तमान लागत पर आगणित विकास शुल्क (आन्तरिक एवं वाह्य) का निम्नानुसार :

☆ 12 से 18 मीटर तक चौड़ी सड़कों पर 40 प्रतिशत

☆ 18 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों पर 50 प्रतिशत।"

(29) **भवन उपविधि के प्रस्तर-3.5.1 की टिप्पणी (V) के रूप में निम्न प्राविधान जोड़ा जाए:-**

"300 वर्ग मीटर या अधिक क्षेत्रफल के आवासीय भूखण्ड जो 24 मीटर अथवा इससे अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित है, में भू-आच्छादन के बराबर अतिरिक्त तल क्षेत्रफल अनुमन्य होगा और भवन की अधिकतम ऊँचाई 4 मंजिल (15 मीटर) होगी। अतिरिक्त तल क्षेत्रफल पर नियमानुसार अतिरिक्त प्रभार सहित इकाइयाँ अनुमन्य होंगी और निर्मित की जाने वाली समस्त इकाईयों के लिए मानकों के अनुसार पार्किंग व्यवस्था अनिवार्य होगी"।

(30) **भवन उपविधि के प्रस्तर-3.9.1 (III) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए :-**

"बेसमेन्ट के प्रयोजन निम्नानुसार होंगे, इनसे भिन्न प्रयोजन होने पर बेसमेन्ट की गणना तल क्षेत्रफल (एफ.ए.आर.) में की जाएगी :-

(क) घरेलू सामान, अज्वलनशील पदार्थ या अन्य माल का भण्डारण,

(ख) डार्करूप, कोषकक्ष, बैंक सेलर, आदि,

(ग) वातानुकूलन उपकरण या अन्य मशीने जो भवन की आवश्यक सेवाओं के लिए लगाई जाएं,

(घ) पार्किंग स्थल और गैराज।"

(31) **भवन उपविधि के प्रस्तर-3.9.2 (VIII) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए:-**

" व्यवसायिक तथा कार्यालय भवनों में प्रथम भू-गेह के नीचे दूसरे भू-गेह का निर्माण अनुमन्य होगा, बशर्ते उसमें पर्याप्त संवातन की व्यवस्था हो। दूसरे भू-गेह का उपयोग यदि पार्किंग, मशीनरूप, विद्युत एंव वातानुकूलन उपकरणों के लिए किया जाता है तो इसकी गणना एफ.ए.आर. में नही की जाएगी"।

(32) **भवन उपविधि के प्रस्तर-3.10.2 के क्रमांक-2(ख) पर समूह आवास हेतु निर्धारित पार्किंग के वर्तमान मानक-** प्रत्येक 100 वर्ग मीटर तल क्षेत्रफल पर 1.25 **ECS** के स्थान पर 1.0 **ECS** रखा जाए।

(33) **भवन उपविधि के प्रस्तर-3.10.6 के उपरान्त प्रस्तर 3.10.7 के रूप में निम्न प्राविधान बढ़ाया जाएः-**

"एकल आवास में पार्किंग हेतु भूतल का निर्माण स्टिल्ट के रूप में किया जा सकता है जिसकी अधिकतम ऊँचाई 2.6 मीटर होगी और उसकी गणना एफ.ए.आर. में नहीं की जाएगी, परन्तु भवन की ऊँचाई में कोई छूट अनुमन्य नही होगी।"

(33) **भवन उपविधि के प्रस्तर-3.10.6 के उपरान्त प्रस्तर 3.10.7 के रूप में निम्न प्राविधान बढ़ाया जाएः**

"एकल आवास मे पार्किंग हेतु भूतल का निर्माण स्टिल्ट के रूप में किया जा सकता है जिसकी अधिकतम ऊँचाई 2.6 मीटर होगी और उसकी गणना एफ.ए.आर. में नहीं की जाएगी, परन्तु भवन की ऊँचाई में कोई छूट अनुमन्य नही होगी।"

(34) **भवन उपविधि के प्रस्तर-3.11.3 (II) को निम्नानुसार प्रस्थापित किया जाएः**

"निम्न भवनों की निर्माण अनुज्ञा के लिए स्थानीय अग्निशमन प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवाश्यक होगा :-

(क) चार मंजिले या 15 मीटर से अधिक ऊँचाई के बहुमंजिले भवन,

(ख) सभा भवन, शैक्षिक, संस्थागत, औद्योगिक, संग्रहगार तथा संकटमय और मिश्रित अधिवासों में 400 वर्ग मीटर से अधिक भू-आच्छादन के विशिष्ट भवन।"

(35) **भवन उपविधि में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना हेतु परिशिष्ट-1 पर संलग्न मानकों को अध्याय-10 के रूप में जोड़ा जाए।**

(36) **भवन उपविधि के अनुलग्नक-2 के प्रस्तर-2 (I) की प्रथम पंक्ति-** *"15 मीटर से अधिक ऊँचे अथवा 400 मीटर से अधिक तल क्षेत्रफल"- में शब्द "अथवा" के स्थान पर "और" तथा "तल क्षेत्रफल" के स्थान पर "भू-आच्छादन" प्रतिस्थापित किया जाए।"*

3. कृपया भवन उपविधियों में उपरोक्त परिष्कारों का समावेश करते हुए संशोधन का प्रस्ताव विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में तत्काल अंगीकृत कराकर 15 दिन के अन्दर शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित करने का कष्ट करें। यदि बोर्ड की बैठक आयोजित होने में विलम्ब हो तो परिचालन द्वारा प्रस्ताव पारित कराने के उपरान्त शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या : (1)/9-आ-1-29-विविध/98 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

6. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ
7. अध्यक्ष, समस्त विकाक प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
8. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
9. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी आवास संघ लिं., लखनऊ।
10. अपर निदेशक, उत्तर प्रदेश आवास बन्धु।

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

संख्या-4930/9-आ-1-29 विविध/98

प्रेषक,

टी. पी. पाठक,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाज़ियाबाद।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनाँक : 25 सितम्बर, 2001

विषय : विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में आवश्यक परिष्कार।

महोदय,

उर्पयुक्त विषयक सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या 276/नियो, अनु./2001 दिनांक 9.8.2001 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में संशोधन का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 26.6.2001 में कतिपय परिष्कारों सहित अंगीकरण के उपरान्त शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में शासनादेश संख्या 3002/9-आ-1-29 विविध/98 दिनांक 8 जून, 2001 द्वारा जारी संशोधनों को गाजियाबाद विकास प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुत सुझावों के दृष्टिगत निम्न परिष्कारों सहित अनुमोदित किया जाता है:-

(i) **बिन्दु संख्या-3 : रेन वाटर हार्वेस्टिंग** के अन्तर्गत जलाशय की गहराई विशेषज्ञ समिति की संस्तुतियों के आधार पर 6 मीटर रखी गई है जिसे कम किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है। शासन द्वारा रेन वाटर हार्वेटिंग पर एक "स्टैन्डिंग ग्रुप" का गठन किया गया है जिसमें सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य है। जलाशय की निर्धारित गहराई के सम्बन्ध में स्टैण्डिंग ग्रुप की राय प्राप्त की जाएगी और उसके अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

(ii) **बिन्दु संख्या-11 :** टंकण सम्बन्धी त्रुटि के कारण शासनादेश में प्रस्तर-3.1.2.2 (**II**) का उल्लेख है जिसे प्रस्तर-3.1.2.2 (**III**) से प्रतिस्थापित किया जाए। परन्तु प्रस्तर- 3.1.2.2 (**IX**) सही है, अतः इसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

(iii) **बिन्दु संख्या-12 :** प्रस्तर-3.1.2.3 (**II**) में टंकण सम्बन्धी त्रुटि है, अतः शब्द **सर्विस इंजीनियर** को शब्द **स्ट्रक्चरल इंजीनियर** से प्रतिस्थापित किया जाए। जहाँ तक नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार स्ट्रक्चरल इंजीनियर को परिभाषित किए जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 3751/9-आ-1-भूकम्परोधी/2001 (आ.ब.) दिनांक 20.7.2001 द्वारा निर्माण कार्य एवं भूकम्प जोन के आधार पर स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स की अर्हताएं निर्धारित की गई है, जो समस्त विकास प्राधिकरणों को जारी की गई है। अतः उक्त शासनादेश के अनुसार ही कार्यवाही की जाए।

(iv) **बिन्दु संख्या-22 :** भवन उपविधि में प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार एकल आवास में चूँकि अब स्टिल्ट फ्लोर का निर्माण अनुमन्य कर दिया गया है, अतः भवन उपविधि के प्रस्तर-3.3.6 (**VI**) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए :-

" चार मंजिल (अधिकतम 15 मीटर ऊँचाई) के ग्रुप हाउसिंग भवनों हेतु 1.5 एफ.ए.आर. के साथ 40 प्रतिशत भू-आच्छादन अनुमन्य होगा परन्तु ऐसी स्थिति में 10 प्रतिशत अतिरिक्त भू-आच्छादन (अधिकतम 400 वर्ग मीटर तल क्षेत्रफल) अनुमन्य नहीं होगा। पार्किंग हेतु भूतल का निर्माण स्टिल्ट के रूप में किया जा सकता है जिसकी अधिकतम ऊँचाई 2.6 मीटर होगी जिसकी गणना एफ.ए.आर. में नहीं की जाएगी, परन्तु भवन की ऊँचाई में कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी"।

(v) **बिन्दु संख्या-34 :** विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित संशोधन शासन द्वारा जारी प्रस्ताव में यद्यपि पहले से ही निहित है, तथापि इसे अधिक स्पष्ट किए जाने हेतु विद्यमान प्रस्तर-3.11.3 (**II**) (क) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए:-

"(क) चार मंजिल से अधिक या 15 मीटर से अधिक ऊँचाई के बहुमंजिलें भवन"।

3. कृपया उपर्युक्त संशोधनों को भवन निर्माण एंव विकास उपविधि में समायोजित करने का कष्ट करें। प्रस्तावित संशोधनों की जानकारी जनता को देने हेतु एक सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में जारी करा दी जाए तथा विकास एवं निर्माण विनियमन की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से संशोधित भवन उपविधि के अनुसार सुनिश्चित की जाए। कृपया कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

टी.पी. पाठक
विशेष सचिव

संख्या- 4930/9-आ-1-29 विविध/98 तद दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।
2. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ।
3. विकास प्राधिकरणों के समस्त उपाध्यक्षों को इस आशय से कि बिन्दु संख्या 11,12,22, तथा 34 पर उल्लिखित संशोधनों को भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में समायोजित करने का कष्ट करें।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ लि., लखनऊ।
6. अध्यक्ष, उ.प्र. आर्कीटेक्ट एसोसिएशन।
7. अध्यक्ष, यू.पी. चैप्टर, इन्स्टीट्यूट आफ आर्कीटेक्ट।
8. अध्यक्ष, यू.पी. रेंडको, लखनऊ।
9. अपर निदेशक, नियोजन, उत्तर प्रदेश आवास बन्धु।

टी.पी. पाठक
विशेष सचिव

संख्या-5631/9-आ-1-29 विविध/98 (आ.ब.)

प्रेषक,

टी. पी. पाठक,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव
विकास प्राधिकरण,
झाँसी।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनाँक-16 अक्टूबर, 2001

विषय :विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एंव विकास उपविधि, 2000 में आवश्यक परिष्कार।

महोदय,

उर्पयुक्त विषयक अपने पत्र संख्या 489/जे.डी.ए.-विकास उपविधि (2001-02) दिनांक 17.8.2001 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में शासनादेश संख्या 3002/9-आ-1-29 विविध/98 (आ.ब.) दिनांक 8 जून, 2001 द्वारा किए गए परिष्कार/संशोधन का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 8.8.2001 में जनसंख्या की गणना से सम्बन्धित बिन्दु को छोड़कर यथावत् अंगीकृत कर शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि झाँसी विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अंगीकृत प्रस्ताव को निम्न शासनादेशों के अधीन जारी किए गए परिष्कारों सहित अनुमोदित किया जाता है:-

(**xiii**) शासनादेश संख्या 4784/9-आ-1-29 विविध/98 (आ.ब.) दिनांक 15 सितम्बर, 2001

(**xiv**) शासनादेश संख्या 4930/9-आ-1-29 विविध/98 (आ.ब.) दिनांक 25 सितम्बर, 2001

उपरोक्त दोनों शासनादेशों की प्रतिलिपियाँ उपाध्यक्ष, झाँसी विकास प्राधिकरण को भी प्रेषित/पृष्ठांकित की गई थी जो पुनः इस पत्र के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है। जहाँ तक भवन उपविधि के प्रस्तर-2.4.2 के अन्तर्गत जनसंख्या की गणना के लिए इकाईयों के निर्धारण का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में शासन द्वारा अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे।

3. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त संशोधनों को झाँसी विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में समायोजित करते हुए इसकी जानकारी जनता को देने हेतु एक सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में जारी कर दी जाएं तथा विकास एवं निर्माण विनियमन की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से संशोधित उपविधि के अनुसार सुनिश्चित की जाए।

4. कृपया कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार (चार पृष्ठ)

भवदीय,
टी. पी. पाठक
विशेष सचिव

संख्या- /9-आ-1-29 विविध/98 (आ.ब.) तद दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, झाँसी विकास प्राधिकरण।
2. उपाध्यक्ष, झाँसी विकास प्राधिकरण।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
4. अपर निदेशक, नियोजन, उत्तर प्रदेश आवास बन्धु।

टी. पी. पाठक
विशेष सचिव

संख्या-5632/9-आ-1-29 विविध/98 (आ.ब.)

प्रेषक,

टी. पी. पाठक,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष
विकास प्राधिकरण,
बुलन्दशहर - खुर्जा

आवास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनाँक-16 अक्टूबर, 2001

विषय :विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एंव विकास उपविधि, 2000 में आवश्यक परिष्कार।

महोदय,

उर्पयुक्त विषयक प्रमुख सचिव, आवास को सम्बोधित अपने पत्र संख्या 1170/वि.प्रा./एस.टी./01 दिनांक 16.8.2001 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में शासनादेश संख्या 3002/9-आ-1-29 विविध/98 दिनांक 08 जून, 2001 द्वारा किए गये परिष्कार/संशोधन का प्रस्ताव संख्या-1/2001 परिचालन के माध्यम से यथावत् अंगीकृत कर शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुलन्दशहर-खुर्जा विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अंगीकृत प्रस्ताव को निम्न शासनादेशों के अधीन जारी किए गए परिष्कारों सहित अनुमोदित किया जाता है :-

(xi) शासनादेश संख्या 4784/9-आ-1-29 विविध/98 (आ.ब.) दिनांक 15 सितम्बर, 2001

(xii) शासनादेश संख्या 4930/9-आ-1-29 विविध/98 (आ.ब.) दिनांक 25 सितम्बर, 2001

उपरोक्त दोनों शासनादेशों की प्रतिलिपियाँ उपाध्यक्ष, बुलन्दशहर-खुर्जा विकास प्राधिकरण को भी प्रेषित/पृष्ठांकित की गई थी जो पुन: इस पत्र के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

3. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त संशोधनों को बुलन्दशाहर-खुर्जा विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में समायोजित करते हुए इसकी जानकारी जनता को देने हेतु एक सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में जारी कर दी जाए तथा विकास एवं निर्माण विनियमन की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से संशोधित उपविधि के अनुसार सुनिश्चित की जाए।

4. कृपया कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार (चार पृष्ठ)

भवदीय,
टी. पी. पाठक
विशेष सचिव

संख्या-5632/9-आ-1-29 विविध/98 (आ.ब.) तद दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, बुलन्दशहर-खुर्जा विकास प्राधिकरण।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. अपर निदेशक, नियोजन, उत्तर प्रदेश आवास बन्धु।

टी. पी. पाठक
विशेष सचिव

संख्या-5633/9-आ-1-29 विविध/98 (आ.ब.)

प्रेषक,

टी. पी. पाठक,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष
विकास प्राधिकरण,
मुरादाबाद।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनाँक-16 अक्टूबर, 2001

विषय : विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एंव विकास उपविधि, 2000 में आवश्यक परिष्कार।

महोदय,

उर्पयुक्त विषयक प्रमुख सचिव, आवास को सम्बोधित अपने पत्र संख्या 300/मु.वि.प्रा.(नि.अ.)-2001 दिनांक 10.9.2001 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में शासनादेश संख्या 3002/9-आ-1-29 विविध/98 दिनांक 08 जून, 2001 द्वारा किए गए परिष्कार/संशोधन का प्रस्ताव प्राधिकरण की 73वी बोर्ड बैठक दिनांक 16.8.2001 के मद संख्या-73/9 तथा शासनादेश संख्या 3174/9-आ-1-29 विविध/98 दिनांक 18 जुलाई, 2001 द्वारा नर्सिंग होम की स्थापना हेतु निर्धारित मानकों को मद संख्या 73/9 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर सर्वसम्मति से यथावत् अंगीकृत कर शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अंगीकृत प्रस्ताव को निम्न शासनादेशों के अधीन जारी किए गए परिष्कारों सहित अनुमोदित किया जाता है:-

(ix) शासनादेश संख्या 4784/9-आ-1-29 विविध/98 (आ.ब.) दिनांक 15 सितम्बर, 2001

(x) शासनादेश संख्या 4930/9-आ-1-29 विविध/98 (आ.ब.) दिनांक 25 सितम्बर, 2001

उपरोक्त दोनों शासनादेशों की प्रतिलिपियाँ उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को भी प्रेषित/पृष्ठांकित की गई थी जो पुनः इस पत्र के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

3. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त संशोधनों को मुरादाबाद विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में समायोजित करते हुए इसकी जानकारी जनता को देने हेतु एक सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में जारी कर दी जाए तथा विकास एवं निर्माण विनियमन की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से संशोधित उपविधि के अनुसार सुनिश्चित की जाए।

4. कृपया कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार (चार पृष्ठ)

भवदीय,
टी. पी. पाठक
विशेष सचिव

संख्या-5633/9-आ-1-29 विविध/98 (आ.ब.) तद् दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. अपर निदेशक, नियोजन, उत्तर प्रदेश आवास बन्धु।

टी. पी. पाठक
विशेष सचिव

संख्या-5634/9-आ-1-29 विविध/98 (आ.ब.)

प्रेषक,

टी. पी. पाठक,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष
विकास प्राधिकरण,
मेरठ

आवास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनाँक-16 अक्टूबर, 2001

विषय :विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में आवश्यक परिष्कार।

महोदय,

उर्पयुक्त विषयक प्रमुख सचिव, आवास को सम्बोधित अपने पत्र संख्या सुमन/नियोजन-3/2001/744 दिनांक 30.8.2001 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में शासनादेश संख्या 3002/9-आ-1-29 विविध/98 दिनांक 08 जून, 2001 द्वारा किये गये परिष्कार/संशोधन का प्रस्ताव प्राधिकरण की 63वीं बोर्ड बैठक दिनांक 7.7.2001 के अनुपूरक मद संख्या-1 के अन्तर्गत यथावत् अंगीकृत कर शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अंगीकृत प्रस्ताव को निम्न शासनादेशों के अधीन जारी किए गये परिष्कारों सहित अनुमोदित किया जाता है:-

(vii) शासनादेश संख्या 4784/9-आ-1-29 विविध/98 (आ.ब.) दिनांक 15 सितम्बर, 2001

(vii) शासनादेश संख्या 4930/9-आ-1-29 विविध/98 (आ.ब.) दिनांक 25 सितम्बर, 2001

उपरोक्त दोनों शासनादेशों की प्रतिलिपियाँ उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण को भी प्रेषित/पृष्ठांकित की गई थीं जो पुन: इस पत्र के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

3. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त संशोधनों को मेरठ विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में समायोजित करते हुए इसकी जानकारी जनता को देने हेतु एक सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में जारी कर दी जाए तथा विकास एवं निर्माण विनियमन की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से संशोधित उपविधि के अनुसार सुनिश्चित की जाए।

4. कृपया कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार (चार पृष्ठ)

भवदीय,
टी. पी. पाठक
विशेष सचिव

संख्या-5634/9-आ-1-29 विविध/98 (आ.ब.) तद दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. अपर निदेशक, नियोजन, उत्तर प्रदेश आवास बन्धु।

टी. पी. पाठक
विशेष सचिव

संख्या-5635/9-आ-1-29 विविध/98 (आ.ब.)

प्रेषक,

टी. पी. पाठक,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
उन्नाव-शुक्लागंज।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनाँक : 16 अक्टूबर, 2001

विषय : विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एंव विकास उपविधि, 2000 में आवश्यक परिष्कार।

महोदय,

उर्पयुक्त विषयक प्रमुख सचिव, आवास को सम्बोधित अपने पत्र संख्या 131/कैम्प/वि.प्रा./(2000-01) दिनांक 24 जुलाई, 2001 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में शासनादेश संख्या 3002/9-आ-1-29 विविध/98 दिनांक 08 जून, 2001 द्वारा किए गए परिष्कार/संशोधन का प्रस्ताव परिचालन के माध्यम से यथावत् अंगीकृत कर शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अंगीकृत प्रस्ताव को निम्न शासनादेशों के अधीन जारी किए गए परिष्कारों सहित अनुमोदित किया जाता है:-

(v) शासनादेश संख्या 4784/9-आ-1-29 विविध/98 (आ.ब.) दिनांक 15 सितम्बर, 2001

(vi) शासनादेश संख्या 4930/9-आ-1-29 विविध/98 (आ.ब.) दिनांक 25 सितम्बर, 2001

उपरोक्त दोनों शासनादेशों की प्रतिलिपियाँ उपाध्यक्ष, उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण को भी प्रेषित/पृष्ठांकित की गई हैं जो पुनः इस पत्र के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

3. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त संशोधनों को उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में समायोजित करते हुए इसकी जानकारी जनता को देने हेतु एक सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में जारी कर दी जाए तथा विकास एवं निर्माण विनियमन की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से संशोधित उपविधि के अनुसार सुनिश्चित की जाए।

4. कृपया कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार (चार पृष्ठ)

भवदीय,
टी. पी. पाठक
विशेष सचिव

संख्या- 5635/9-आ-1-29 विविध/98 (आ.ब.) तद दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. अपर निदेशक, नियोजन, उत्तर प्रदेश आवास बन्धु।

टी. पी. पाठक
विशेष सचिव

संख्या-5636/9-आ-1-29 विविध/98 (आ.ब.)

प्रेषक,

टी. पी. पाठक,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष
विकास प्राधिकरण,
सहारनपुर।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनाँक-16 अक्टूबर, 2001

विषय : विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में आवश्यक परिष्कार।

महोदय,

उर्पयुक्त विषयक प्रमुख सचिव, आवास को सम्बोधित अपने पत्र संख्या 591/कैम्प/सविप्र/2001 दिनांक 25 जुलाई .2001 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में शासनादेश संख्या 3002/9-आ-1-29 विविध/98 दिनांक 08 जून, 2001 द्वारा किए गये परिष्कार/संशोधन का प्रस्ताव परिचालन के माध्यम से यथावत् अंगीकृत कर शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सहारनपुर विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अंगीकृत प्रस्ताव को निम्न शासनादेशों के अधीन जारी किए गये परिष्कारों सहित अनुमोदित किया जाता है :-

(i) शासनादेश संख्या 4784/9-आ-1-29 विविध/98 (आ.ब.) दिनांक 15 सितम्बर, 2001

(ii) शासनादेश संख्या 4930/9-आ-1-29 विविध/98 (आ.ब.) दिनांक 25 सितम्बर, 2001

उपरोक्त दोनों शासनादेशों की प्रतिलिपियाँ उपाध्यक्ष, सहारनपुर विकास प्राधिकरण को भी प्रेषित/पृष्ठांकित की गई थी जो पुनः इस पत्र के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

3. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त संशोधनों को सहारनपुर विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में समायोजित करते हुए इसकी जानकारी जनता को देने हेतु एक सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में जारी कर दी जाए तथा विकास एवं निर्माण विनियमन की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से संशोधित उपविधि के अनुसार सुनिश्चित की जाए।

4. कृपया कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
टी. पी. पाठक
विशेष सचिव

संख्या-5638/9-आ-1-29 विविध/98 (आ.ब.) तद दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. अपर निदेशक, नियोजन, उत्तर प्रदेश आवास बन्धु।

आज्ञा से
टी. पी. पाठक
विशेष सचिव

संख्या-5637/9-आ-1-29 विविध/98 (आ.ब.)

प्रेषक,

टी. पी. पाठक,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष
विकास प्राधिकरण,
गोरखपुर।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनाँक-16 अक्टूबर, 2001

विषय :विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एंव विकास उपविधि, 2000 में आवश्यक परिष्कार।

महोदय,

उर्पयुक्त विषयक सचिव, गोरखपुर विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या 67/एस.टी./सचिव 2001-02 दिनांक 16 जुलाई, 2001 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में शासनादेश संख्या 3002/9-आ-1-29 विविध/98 दिनांक 08 जून, 2001 द्वारा किए गए परिष्कार/संशोधन का प्रस्ताव प्राधिकरण की 33वी बोर्ड बैठक दिनांक 30.6.2001 में मद संख्या-72.15.02 के अन्तर्गत यथावत् अंगीकृत कर शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अंगीकृत प्रस्ताव को निम्न शासनादेशों के अधीन जारी किए गए परिष्कारों सहित अनुमोदित किया जाता है:-

(xi) शासनादेश संख्या 4784/9-आ-1-29 विविध/98 (आ.ब.) दिनांक 15 सितम्बर, 2001

(xii) शासनादेश संख्या 4930/9-आ-1-29 विविध/98 (आ.ब.) दिनांक 25 सितम्बर, 2001

उपरोक्त दोनों शासनादेशों की प्रतिलिपियाँ उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण को भी प्रेषित/पृष्ठांकित की गई थी जो पुनः इस पत्र के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

3. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त संशोधनों को गोरखपुर विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में समायोजित करते हुए इसकी जानकारी जनता को देने हेतु एक सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में जारी कर दी जाए तथा विकास एवं निर्माण विनियमन की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से संशोधित उपविधि के अनुसार सुनिश्चित की जाए।

4. कृपया कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार (चार पृष्ठ)

भवदीय,
टी. पी. पाठक
विशेष सचिव

संख्या-5637/9-आ-1-29 विविध/98 (आ.ब.) तद दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. अपर निदेशक, नियोजन, उत्तर प्रदेश आवास बन्धु।

टी. पी. पाठक
विशेष सचिव

संख्या-5638/9-आ-1-29 विविध/98(आ.ब.)

प्रेषक,

टी.पी. पाठक,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
वाराणसी।

आवारा अनुभाग - 1

लखनऊः दिनाँक-16 अक्टूबर, 2001

विषय : विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में आवश्यक परिष्कार।

महोदय,

उपर्युक्त सचिव, वाराणसी विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या 132/वि.प्रा./सचिव/प्र.अ.भ. दिनांक 19.9.2001 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में शासनादेश संख्या 3002/9-आ-1-29 विविध/98 दिनांक 08 जून, 2001 द्वारा किए गए परिष्कार/संसोधन का प्रस्ताव प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 7.8.2001 में संकल्प संख्या-9 के अन्तर्गत यथावत् अंगीकृत कर शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अंगीकृत प्रस्ताव को निम्न शासनादेशों के अधीन जारी किए गये परिष्कारों सहित अनुमोदित किया जाता है:-

(i) शासनादेश संख्या 4784/9-आ-1-29 विविध/98 (आ.ब.) दिनांक 15 सितम्बर, 2001
(ii) शासनादेश संख्या 4930/9-आ-1-29 विविध/98 (आ.ब.) दिनांक 25 सितम्बर, 2001

उपरोक्त दोनों शासनादेशों की प्रतिलिपियाँ उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण को भी प्रेषित/पृष्ठांकित की गई थीं जो पुनः इस पत्र के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

3. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त संशोधनों को वाराणसी विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एंव विकास उपविधि में समायोजित करते हुए इसकी जानकारी जनता को देने हेतु एक सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में जारी कर दी जाए तथा विकास एवं निर्माण विनियमन की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से संशोधित उपविधि के अनुसार सुनिश्चित की जाए।

4. कृपया कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार (चार पृष्ठ)

भवदीय
टी.पी.पाठक
विशेष सचिव

संख्या - 5638/9-आ-1-29 विविध/98 (आ.ब.), तद्दिनाँकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः -

1. अध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. अपर निदेशक, नियोजन, उत्तर प्रदेश आवास बन्धु।

टी.पी. पाठक
विशेष सचिव

प्रेषक,

संख्या-5760/9-आ-1-29-विविध/98(आ.व.)

टी.पी. पाठक,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष
विकास प्राधिकरण,
बरेली।

लखनऊ: दिनाँक-24 अक्टूबर, 2001

विषय : विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में आवश्यक परिष्कार।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, बरेली विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या 3551/वि.प्रा.-भ.उप.-2001-01 दिनांक 18.9.2001 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 के शासनादेश संख्या 3002/9-आ-1-29 विविध/98 दिनांक 08 जून, 2001 द्वारा किए गये परिष्कार/संशोधन का प्रस्ताव प्राधिकरण की बोर्ड की 45वीं बैठक दिनांक 26.6.2001 में यथावत अंगीकृत कर शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बरेली विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अंगीकृत प्रस्ताव को निम्न शासनादेशों के अधीन जारी किए गये परिष्कारों सहित अनुमोदित किया जाता है :-

(i) शासनादेश संख्या 4784/9-आ-1-29 विविध/98 (आ.व.) दिनांक 15 सितम्बर, 2001

(ii) शासनादेश संख्या 4930/9-आ-1-29 विविध/98 (आ.व.) दिनांक 25 सितम्बर, 2001

उपयुक्त दोनों शासनादेशों की प्रतिलिपियों उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को भी प्रेषित/पृष्ठांकित की गई थीं जो पुनः इस पत्र के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न हैं।

3. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त संशोधनों को बरेली विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में समायोजित करते हुए इसकी जानकारी जनता को देने हेतु एक सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में जारी कर दी जाए तथा विकास एवं निर्माण विनियमन की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से संशोधित उपविधि के अनुसार सुनिश्चित की जाए।

4. कृपया कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
टी.पी. पाठक
विशेष सचिव

संख्या 5760/9-आ-1-29 विविध/98 (आ.व.) तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. अपर निदेशक, नियोजन, उत्तर प्रदेश, आवास बन्धु।

टी.पी. पाठक
विशेष सचिव

संख्या-6000/9-आ-1-29 विविध/98(आ.ब.)

प्रेषक,

टी.पी. पाठक,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
अलीगढ़

आवारा अनुभाग - 1

लखनऊः दिनाँक-15 नवम्बर, 2001

विषय : विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में आवश्यक परिष्कार।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, आवास को सम्बोधित अपने पत्र संख्या 2018/तकनीकी/अधि.वी./2001-02 दिनांक 06 नवम्बर, 2001 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में शासनादेश संख्या 3002/9-आ-1-29 विविध/98 दिनांक 08 जून, 2001 द्वारा किए गए परिष्कार/संसोधन का प्रस्ताव प्राधिकरण की बोर्ड बैठक संख्या-40, दिनांक 20.10.2001 में प्रस्ताव संख्या-4 के अन्तर्गत यथावत् अंगीकृत कर शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अलीगढ़ विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अंगीकृत प्रस्ताव को निम्न शासनादेशों के अधीन जारी किए गये परिष्कारों सहित अनुमोदित किया जाता है:-

(i) शासनादेश संख्या 4784/9-आ-1-29 विविध/98 (आ.ब.) दिनांक 15 सितम्बर, 2001

(ii) शासनादेश संख्या 4930/9-आ-1-29 विविध/98 (आ.ब.) दिनांक 25 सितम्बर, 2001

उपरोक्त दोनों शासनादेशों की प्रतिलिपियाँ उपाध्यक्ष, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण को भी प्रेषित/पृष्ठांकित की गई थी जो पुनः इस पत्र के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

3. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त संशोधनों को अलीगढ़ विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एंव विकास उपविधि में समायोजित करते हुए इसकी जानकारी जनता को देने हेतु एक सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में जारी कर दी जाए तथा विकास एवं निर्माण विनियमन की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से संशोधित उपविधि के अनुसार सुनिश्चित की जाए।

4. कृपया कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार (चार पृष्ठ)

भवदीय,
टी.पी.पाठक
विशेष सचिव

संख्या : 6000(1)/9-आ-1-29 विविध/98 (आ.ब.), तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः -

1. अध्यक्ष, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. अपर निदेशक, नियोजन, उत्तर प्रदेश आवास बन्धु।

टी.पी. पाठक
विशेष सचिव

प्रेषक,

संख्या-6658/9-आ-1-29विविध/98(आ.ब.)

टी.पी. पाठक,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष
विकास प्राधिकरण,
हापुड़-पिलखुवा।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ: दिनाँक-21 दिसम्बर, 2001

विषय :विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में आवश्यक परिष्कार।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण के प्रमुख सचिव, आवास को सम्बोधित पत्र संख्या 506/सचिव/प्रशा.एच.पी.डी.ए./2001 दिनांक 27.10.2001 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में शासनादेश संख्या 3002/9-आ-1-29 विविध/98 दिनांक 08 जून, 2001 द्वारा किए गये परिष्कार/संशोधन का प्रस्ताव प्राधिकरण की बोर्ड की पंचम बैठक दिनांक 27.6.2001 में अतिरिक्त मद संख्या-02 द्वारा यथावत् अंगीकृत कर शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अंगीकृत प्रस्ताव को निम्न शासनादेशों के अधीन जारी किए गये परिष्कारों सहित अनुमोदित किया जाता है:-

(i) शासनादेश संख्या 4784/9-आ-1-29 विविध/98 (आ.ब.) दिनांक 15 सितम्बर, 2001

(ii) शासनादेश संख्या 4930/9-आ-1-29 विविध/98 (आ.ब.) दिनांक 25 सितम्बर, 2001

उपयुक्त दोनों शासनादेशों की प्रतिलिपियां उपाध्यक्ष, हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण को भी प्रेषित/पृष्ठांकित की गई थी जो पुनः इस पत्र के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

3. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त संशोधनों को हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में समायोजित करते हुए इसकी जानकारी जनता को देने हेतु एक सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में जारी कर दी जाए तथा विकास एवं निर्माण विनियमन की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से संशोधित उपविधि के अनुसार सुनिश्चित की जाए।

4. कृपया कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार (चार पृष्ठ)

भवदीय,
टी.पी. पाठक
विशेष सचिव

संख्या 6658/9-आ-1-29 विविध/98 (आ.ब.) तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. अपर निदेशक, नियोजन, उत्तर प्रदेश, आवास बन्धु।

टी.पी. पाठक
विशेष सचिव

संख्या-6659/9-आ-1-29विविध/98(आ.ब.)

प्रेषक,

टी.पी. पाठक,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
विकास प्राधिकरण,
बाँदा।

आवास अनुभाग-1

लखनऊः दिनाँक-21 दिसम्बर, 2001

विषय :विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में आवश्यक परिष्कार।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, आवास को सम्बोधित पत्र संख्या 195/भवन निर्माण उपविधि-2001/300 दिनांक 23.9.2001 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में शासनादेश संख्या 3002/9-आ-1-29 विविध/98 दिनांक 08 जून, 2001 द्वारा किये गये परिष्कार/संशोधन का प्रस्ताव प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 29.6.2001 में लिए गए निर्णयानुसार यथावत् अंगीकृत कर शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बाँदा विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अंगीकृत प्रस्ताव को निम्न शासनादेशों के अधीन जारी किए गये परिष्कारों सहित अनुमोदित किया जाता है:-

(i) शासनादेश संख्या 4784/9-आ-1-29 विविध/98 (आ.ब.) दिनांक 15 सितम्बर, 2001

(ii) शासनादेश संख्या 4930/9-आ-1-29 विविध/98 (आ.ब.) दिनांक 25 सितम्बर, 2001

उपयुक्त दोनों शासनादेशों की प्रतिलिपियां उपाध्यक्ष, बाँदा विकास प्राधिकरण को भी प्रेषित/पृष्ठांकित की गई थीं जो पुनः इस पत्र के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

3. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त संशोधनों को हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में समायोजित करते हुए इसकी जानकारी जनता को देने हेतु एक सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में जारी कर दी जाए तथा विकास एवं निर्माण विनियमन की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से संशोधित उपविधि के अनुसार सुनिश्चित की जाए।

4. कृपया कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
टी.पी. पाठक
विशेष सचिव

संख्या 6659 /9-आ-1-29 विविध/98 (आं.ब.) तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. उपाध्यक्ष, बाँदा विकास प्राधिकरण/जिलाधिकारी, बांदा।
2. अध्यक्ष, बांदा विकास प्राधिकरण।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0।
4. अपर निदेशक, नियोजन, उत्तर प्रदेश, आवास बन्धु।

टी.पी. पाठक
विशेष सचिव

संख्या-6782/9-आ-1-29विविध/98(आ.ब.)

प्रेषक,

टी.पी. पाठक,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आवास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ: दिनाँक-31 दिसम्बर, 2001

विषय : उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में आवश्यक परिष्कार।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, आवास अनुभाग-1 को सम्बोधित पत्र संख्या 3145/नि.प्रा.-1(2001) 18.12.2001 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में शासनादेश संख्या 3002/9-आ-1-29 विविध/98 दिनांक 08 जून, 2001 द्वारा किए गये परिष्कार/संशोधन का प्रस्ताव उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद की 181 वी बैठक दिनांक 02.11.2001 में यथावत् अंगीगृत किए जाने के उपरान्त शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आवास एवं विकास परिषद द्वारा अंगीकृत प्रस्ताव को निम्न शासनादेशों के अधीन जारी किए गये परिष्कारों सहित अनुमोदित किया जाता है :-

(i) शासनादेश संख्या 4784/9-आ-1-29 विविध/98 (आ.ब.) दिनांक 15 सितम्बर, 2001

(ii) शासनादेश संख्या 4930/9-आ-1-29 विविध/98 (आ.ब.) दिनांक 25 सितम्बर, 2001

उपयुक्त दोनों शासनादेशों की प्रतिलिपियां आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद को भी प्रेषित/पृष्ठांकित की गई थी जो पुनः इस पत्र के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

3. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त संशोधनों को आवास एवं विकास परिषद की हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में समायोजित करते हुए इसकी जानकारी जनता को देने हेतु एक सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में जारी कर दी जाए तथा विकास एवं निर्माण विनियमन की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से संशोधित उपविधि के अनुसार सुनिश्चित की जाए।

4. कृपया कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार (चार पृष्ठ)

भवदीय,
टी.पी. पाठक
विशेष सचिव

संख्या 6782/9-आ-1-29 विविध/98 (आ.ब.) तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ.प्र. आवास एंव विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश
3. अपर निदेशक, नियोजन, उत्तर प्रदेश, आवास बन्धु।

टी.पी. पाठक
विशेष सचिव

संख्या-2897/9-आ-3-2001/19 विविध/2001

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,**
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश।
लखनऊ।

2. **आवास आयुक्त**
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

3. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

4. **नियत प्राधिकारी,**
समस्त विनियमित क्षेत्र
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-3

लखनऊ : दिनाँक : 9 जुलाई, 2001

विषय : भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत ग्रुप हाउसिंग तथा अन्य बहमंजिली इमारतों के निर्माण का विनियमन।

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि वर्तमान आवासीय कालोनियों में जहाँ एक व दो मंजिल की इमारतों के आधार पर विकास किया गया है, वहाँ बहुमंजिली इमारतें तैयार होकर खड़ी हो जाती है जिसके कारण अगल-बगल के भवनों की प्राइवेसी भंग होती है तथा प्राकृतिक प्रकाश, व संवातन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त भूखण्डीय विकास के अनुरूप प्राविधानित अवस्थापना सुविधाओं यथा सड़क, जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युत-आपूर्ति, सामुदायिक सुविधाओं तथा पार्क एवं खुले क्षेत्रों के मानक ग्रुप हाउसिंग/बहुमंजिले निर्माण के घनत्व के अनुरूप न होने के कारण अवस्थापनाएं बढ़े हुए दबाव को सहन नही कर पाती है, फलस्वरूप रिहायशी वातावरण की गुणवत्ता में गिरावट आती है।

2. इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि महायोजनान्तर्गत नए विकसित होने वाले क्षेत्रों तथा विद्यमान विकसित क्षेत्रों में ग्रुप हाउसिंग/बहुमंजिले निर्माण की अनुज्ञा निम्न शर्तो एंव प्रतिबन्धों के अधीन दी जाए:-

(1) नए क्षेत्र :

नए क्षेत्रों में महायोजना/जोनल प्लान/ले-आउट प्लान के अन्तर्गत निम्न घनत्व तथा उच्च घनत्व के अनुरूप क्रमश: ''लो-राईज़'' एवं ''हाई राईज'' क्षेत्र को पहले से ही चिन्हित कर लिया जाए। ''लो-राईज़'' क्षेत्रों में भवन की अधिकतम ऊँचाई 12.5 मीटर होगी जो एकल आवासीय भवनों हेतु निर्धारित है। जबकि ''हाई राईज'' क्षेत्रों में अधिकतम ऊँचाई भू-आच्छादन, एफ.ए.आर., सड़क की चौड़ाई, लाईट एण्ड वेन्टीलेशन प्लेन तथा भवन की ऊँचाई के सम्बन्ध में लागू अन्य प्रतिबन्धों यथा एयरपोर्ट फनेल एरिया, हेरिटेज़ जोन आदि से नियन्त्रित होगी। उच्च घनत्व/''हाई राईज़'' क्षेत्र में सड़कों की चौड़ाई, अवस्थापना सुविधाओ, सामुदायिक सुविधाओं तथा पार्क एवं खुले स्थलों का प्राविधान उसी घनत्व के अनुरूप पहले से ही सुनिश्चित किया जाए।

(2) विद्यमान विकसित क्षेत्र :

पूर्व विकसित कालोनियों में एकल आवास के अन्तर्गत एक अथवा एक से अधिक भूखण्डों को मिलाकर प्रस्तावित किए गए ग्रुप हाउसिंग निर्माण की अनुज्ञा प्रदान न की जाए। इसके निमित्त प्राधिकरण द्वारा ऐसे क्षेत्र निर्धारित किए जाएं, जहाँ पर हाई-राईज की आवासीय योजनाएं अनुमन्य की जाएंगी। विद्यमान विकसित योजनाओं में हाई-राईज़ भवनों का निर्माण न्यूनतम 18 मीटर चौड़ी सड़क पर सड़क की दोगुनी गहराई तक अनुमन्य होगा। अर्थात् 18 मीटर चौड़ी सड़क पर 36 मीटर गहराई के भू-भाग पर ही बहुमंजिले आवासीय भवनों का निर्माण अनुमन्य होगा। ऐसे क्षेत्रों को चिहिन्त कर उन्हें महायोजना में संशोधन के रूप मे सम्मिलित किया जाए तथा अन्य सभी क्षेत्रों में बहुखण्डीय आवासीय भवन प्रतिबन्धित किए जाएं। ऐसे चिन्हित क्षेत्रों में उच्च

घनत्व अनुमन्य होगा। उच्च घनत्व के लिए वर्तमान बाह्य एवं आन्तरिक विकास शुल्क का 50 प्रतिशत विकास शुल्क के रूप में मानचित्र स्वीकृति के समय लिया जाए।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार नए क्षेत्र एवं विद्यमान विकसित क्षेत्रों में प्रस्तावित "लो-राईज" एवं "हाई-राईज़" क्षेत्रों का चिन्हीकरण 15 अगस्त 2001 तक कर लिया जाए तथा उनका समावेश योजना के ले-आउट प्लान अथवा महायोजना/जोनल प्लान में निर्धारित व्यवस्थानुसार कराना सुनिश्चित कर लें।

4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उपरोक्त कार्यवाही की प्रगति की समीक्षा प्रत्येक माह कर माह की 15 तारीख तक शासन को अवगत कराएंगे।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या-2897/9-आ-3-2001/19 विविध/2001 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 आवास मंत्री/राज्य आवास मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, आवास एवं नगर विकास विभाग।
3. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. अध्यक्ष, समस्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त नियन्त्रक प्राधिकारी/जिलाधिकारी, विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
7. अध्यक्ष, यू.पी. रेडको, उत्तर प्रदेश।
8. अध्यक्ष, आर्कीटेक्ट एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश।
9. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु।

आज्ञा से,
यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव

संख्या-5875/9-आ-1-20 विविध/98(आ.ब.)

प्रेषक,

टी.पी. पाठक,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष
विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

आवास अनुभाग-1 लखनऊः दिनाँक-05 नवम्बर, 2001

विषय : बहुमंजिले भवनों हेतु छोड़े जाने वाले सेट-बैक में पार्किंग की अनुमन्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 56/एल.डी.ए./भवन-1/2001 दिनांक 21.8.2001 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें यह जिज्ञासा प्रकट की गई है कि बहुखण्डीय भवनों में चारो ओर अग्नि शमन सुरक्षा हेतु अनिवार्य रूप से छोड़े जाने वाले खुले स्थान (सेट-बैक) के अतिरिक्त ऐसे सेट-बैक में भूखण्ड की बाउण्ड्री से सटा कर पार्किंग अनुमन्य है अथवा नही तथा सेट-बैक, भूखण्ड की बाउण्ड्री से माना जाएगा अथवा प्रस्तावित भवन से ?

2. इस सम्बन्ध में **भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000** जो **नेशनल बिल्डिंग कोड** पर आधारित है, में निहित प्राविधानों के दृष्टिगत उपरोक्त बिन्दुओं पर मुझे निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट करने का निदेश हुआ है:-

(i) भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्रस्तर-3.10.6 के अनुसार 15 मीटर या उससे अधिक ऊँचाई वाले भवनों के चारो ओर अग्नि सुरक्षा हेतु अनिवार्य रूप से छोड़े जाने वाले खुले स्थल में पार्किंग अनुमन्य नही है। जबकि 15 मीटर से कम ऊँचाई के भवनों के चारों ओर छोड़े जाने वाले खुले स्थल का 50 प्रतिशत भाग का उपयोग पार्किंग हेतु इस प्रतिबन्ध के साथ किया जा सकता है कि भवन से 3.6 मीटर की दूरी के क्षेत्रफल को किसी प्रकार की पार्किंग अथवा लोडिंग अथवा अनलोडिंग के उपयोग में नही लाया जाएगा। यह भी स्पष्ट करना है कि बहुखण्डीय (15 मी. एवं अधिक ऊँचे) भवनों में अग्नि शमन सुरक्षा हेतु न्यूनतम 6 मीटर का सेट-बैक छोड़ना अनिवार्य है जिसमें पार्किंग अनुमन्य नही है। अग्नि शमन सुरक्षा हेतु वांछित न्यूनतम सेट-बैक के उपरान्त अवशेष खुले क्षेत्र के अधिकतम 50 प्रतिशत भाग पर खुले रूप में पार्किंग इस शर्त के साथ अनुमन्य की जा सकती है कि पार्क एवं सामुदायिक सुविधाओं, आदि हेतु आरक्षित क्षेत्रफल को पार्किंग के प्रयोजनार्थ अतिक्रमित न किया जाए।

(ii) भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार सेट-बैक लाईन का तात्पर्य भूखण्ड की सीमाओं के समानान्तर रेखा से है, अतः सेट-बैक भूखण्ड की बाउण्ड्री से ही माना जाएगा न कि प्रस्तावित भवन से।

3. कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
टी.पी. पाठक
विशेष सचिव

संख्या 5875(1) 9-आ-1-20विविध/98 (आ.ब.) तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
2. आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद।
3. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी आवास संघ, लखनऊ।
6. अध्यक्ष, यू.पी.आर्कीटेक्ट एसोसिएशन।
7. अध्यक्ष, यू.पी. चेप्टर आफ आर्कीटेक्ट एसोसिएशन।
8. अध्यक्ष, यू.पी. रेडको, लखनऊ।
9. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु उत्तर प्रदेश।

टी.पी. पाठक
विशेष सचिव

संख्या-5683/9-आ-1-29 विविध/98(आ.ब.)

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ: दिनाँक-20 अक्टूबर, 2001

आवास अनुभाग-1

विषय: भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 के लागू होने से पूर्व अनुमोदित ले-आउट प्लान्स में निर्धारित सैट-बैक्स की वैधता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 के अनुसार 300 वर्ग मीटर तक के भूखण्डों पर **Row-Type** भवनों का विकास अनुमन्य किया गया है जो पूर्व भवन उपविधि के अनुसार 250 वर्ग मीटर तक के भूखण्डों पर अनुमन्य था। कतिपय विकास प्राधिकरणों द्वारा शासन के समक्ष यह जिज्ञासा प्रकट की गई है कि पूर्व विकसित/अनुमोदित ऐसी प्लाटेड योजनाओं जिनमें 300 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड जो कि **Semi-Detached** पद्धति पर नियोजित किए गये थे, के अन्तर्गत नई भवन उपविधि के अनुसार साइड सैट-बैक में निर्माण अनुमन्य किया जा सकता है अथवा नही।

2. इस सम्बन्ध मे **नेशनल बिल्डिंग कोड** तथा **भवन निर्माण एंव विकास उपविधि, 2000** में निहित प्राविधानों के क्रम में मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि :-

(1) भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 जो नेशनल बिल्डिंग पर आधारित है, के भाग-4 प्रस्तर-3.4.1 के अनुसार भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर भवनों के विन्यास की निम्न पद्धतियां अनुमन्य की गइ है :-

*(i) 300 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड : **Row-Type Buildings** - जिनमें केवल सामने और पृष्ठ में सैट-बैक छोड़ना अनिवार्य है,*

*(ii) 301 से 500 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड : **Semi-Detached Buildings** - जिनमें सामने, पृष्ठ तथा एक साईड में सैट-बैक छोड़ना अनिवार्य है,*

*(iii) 500 वर्ग मीटर से बड़े भूखण्ड : **Detached Buildings**. जिनमें चारो ओर सैट-बैक छोड़ना अनिवार्य है,*

(2) भवनों के विन्यास की उपरोक्त पद्धतियाँ ले-आऊट प्लान में ही प्रस्तावित की जाती है एवं उसके अनुरूप ही भूखण्डों के सैट-बैक निर्धारित किए जाते है। ले-आऊट प्लान में निर्धारित सैट-बैक्स का अनुपालन सक्षम प्राधिकारी द्वारा **Individual** भवन मानचित्र की स्वीकृति के समय सुनिश्चित कराया जाता है। इस प्रकार सैट-बैक का निर्धारण ले-आऊट में ही किया जाना अनिवार्य है।

(3) भवन निर्माण एंव विकास उपविधि-2001 के भाग-4 प्रस्तर 3.4.1 (**vii**) में स्पष्ट उल्लेख है कि उक्त प्रस्तर मे दिए गये सैट-बैक नए सब-डिविजन/ले-आउट प्लान में ही लागू होंगे। अत: पूर्व अनुमोदित ले-आउट प्लान में उक्त सैट-बैक लागू किए जाने का कोई औचित्य नही है।

(4) पूर्व अनुमोदित ले-आउट प्लान/योजनाओं के अन्तर्गत विकास प्राधिकरण द्वारा सेल प्लान्स/लीज पलान्स, आदि ले-आउट प्लान में निर्धारित सैट बैक के अनुसार बनाए गये है, अत: पूर्व निर्धारित सैट बैक का अनुपालन किया जाना न केवल तकनीकी दृष्टि से बल्कि विधिक दृष्टि से भी अनिवार्य है।

(5) ले-आउट प्लान में निर्धारित भवनों के विन्यास की पद्धति (**Detached, Semi-Detached** अथवा **Row Housing**) के अनुसार ही भवनों के **Architecutral** डिजाइन बनाये जाते है और प्रकाश एंव संवातन हेतु दरवाजे, खिड़कियों, आदि का प्राविधान

सैट-बैक की स्थिति के दृष्टिगत किया जाता है। अतः प्रकाश एंव संवातन तथा पर्यावरणीय अपेक्षाओं के दृष्टिगत Individual भवन मानचित्र की स्वीकृति के समय पूर्व अनुमोदित ले-आउट प्लान में निर्धारित सैट-बैक में कोई परिवर्तन अनुमन्य किया जाना औचित्यपूर्ण नही है। इसके उल्लघंन के फलस्वरूप अगल-बगल स्थित भवनों में लाइट एण्ड वेन्टीलेशन की समस्याएं/भू-स्वामियो को आपत्ति होगी। ले-आउट प्लान में निर्धारित सैट-बैक में कितना **Infrigement** अनुमन्य होगा, यह कम्पाउण्डिंग बाई-लाज के अन्तर्गत निर्धारित है।

3. मुझे यह भीह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व अनुमोदित ऐसे-ले-आउट प्लान जिनमें अभी तक किसी भी भूखण्ड पर निर्माण नही हुआ है, में प्राधिकरण द्वारा यदि नई भवन उपविधि के अनुसार सैट-बैक का पुनर्निधारण किया जाना औचित्यपूर्ण पाया जाए, तो नियमानुसार ले-आउट प्लान में संशोधन के माध्यम से ही उक्त कार्यवाही की जा सकती है।
4. कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या 5683(1) 9-आ-1-29 विविध/98 (आ.ब.) तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियेाजक, उत्तर प्रदेश।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ लि., लखनऊ।
4. अध्यक्ष, उ.प्र. आर्कीटेक्ट एसोसिएशन।
5. अध्यक्ष, यू.पी.चैप्टर, इन्स्टीट्यूट आफ आर्कीटेक्ट।
6. अध्यक्ष, यू.पी. रेडको, लखनऊ।
7. अपर निदेशक, नियोजन, उत्तर प्रदेश आवास बन्धु।

आज्ञा से
टी.पी. पाठक
विशेष सचिव

संख्या-3174/9-आ-3-2000-26 एल.यू.सी./91

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- **आवास आयुक्त,**
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-3

लखनऊ : दिनाँक : 18 जुलाई, 2001

विषय :आवासीय क्षेत्रों में नर्सिंग होम की स्थापना हेतु नीति निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर उ.प्र. नर्सिंग होम एसोसिएशन द्वारा शासन के समक्ष कई प्रत्यावेदन प्रस्तुत किए गए है जिनमें इस ओर ध्यानाकर्षण किया गया है कि नर्सिंग होम आवासीय क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास में सहायक होते है और नागरिकों को मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करते है, परन्तु अधिकांश आवासीय कालोनियों में चिकित्सा सुविधाओं का पर्याप्त एंव समुचित मात्रा में प्राविधान न होने के कारण आवासीय भूखण्डों पर अनधिकृत रूप से नर्सिंग होम के निर्माण की प्रवृत्ति बढ़ रही है। एसोसिएशन का अनुरोध है कि नर्सिंग होम को व्यवसायिक उपयोग न मानकर सुविधाओं के अन्तर्गत रखा जाना चाहिए और इनके व्यवस्थित विकास हेतु स्पष्ट एवं सरलीकृत नीति निर्धारित की जानी चाहिए।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आवासीय योजनाओं में नर्सिंग होम की स्थापना हेतु आवास एवं विकास परिषद द्वारा नीतिगत प्रस्ताव तैयार किया गया था जिसमें उ.प्र. नर्सिंग होम एसोसिएशन की माँग के दृष्टिगत शासन द्वारा विचारोपरान्त आवश्यक परिष्कार करते हुए आवासीय क्षेत्रों में नर्सिंग होम के निर्माण की अनुज्ञा निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के साथ दिए जाने का निर्णय लिया गया है :-

(i) **अनुमन्यता :** नर्सिंग होम के लिए नई योजनाओं/अनुमोदित होने वाले ले-आउट प्लान्स में निर्धारित मानकों के अनुसार पहले से ही अपेक्षित संख्या में भूखण्डों का चिन्हीकरण कर लिया जाए। पूर्व विकसित आवासीय योजनाओं में नर्सिंग होम का निर्माण विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद द्वारा चिन्हित ''मिश्रित आवासीय'' क्षेत्र में ही अनुमन्य किया जाए, ''शुद्ध आवासीय क्षेत्र'' में इसका निर्माण अनुमन्य नही होगा।

(ii) **भूखण्ड का क्षेत्रफल :** आवासीय क्षेत्र में नर्सिंग होम के लिए भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर होगा जो न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्ग पर स्थित होगा तथा जिसका न्यूनतम फ्रन्टेज़ 12 मीटर होगा।

(iii) **शैय्याओं की संख्या :** सड़क की चौड़ाई तथा भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर अधिकतम अनुमन्य शैय्याओं की संख्या निम्न तालिका के अनुसार होगी :-

क्र.सं.	सड़क की चौड़ाई (मीटर)	भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	शैय्याओं की संख्या
1.	12	300-400	10
2.	18	401-500	15
3.	24 एवं अधिक	500 से अधिक	20

(iv) **भू-आच्छादन एंव एफ.ए.आर.** : अधिकतम भू-आच्छादन 40 प्रतिशत एंव एफ.ए.आर. 1.20 अनुमन्य होगा। इसके अतिरिक्त शासनादेशों/भवन उपविधि के अनुसार क्रय-योग्य एफ.ए.आर. भी अनुमन्य होगा।

(v) **भवन की ऊँचाई** : 12 से 18 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित भवन की अधिकतम ऊँचाई 12.5 मीटर तथा 24 मीटर एवं उससे अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित भवन की अधिकतम ऊँचाई 15 मीटर होगी।

(vi) **सैट-बैक** : नर्सिंग होम पृथकीकृत (**detached**) भवन के रूप में होगा। भूखण्ड के क्षेत्रफल तथा भवन की ऊँचाई के आधार पर सेट-बैक निम्नानुसार होंगे :-

भवन की ऊँचाई (मीटर)	भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	सेट बैक (मीटर में)			
		अग्र	पृष्ठ	पार्श्व-1	पार्श्व-2
12.5 तक	◆ 300-500 तक	4.5	4.5	3.0	1.8
	◆ 501-1000 तक	6.0	4.5	3.0	3.0
12.5 से अधिक 15 तक	◆ 1000 से अधिक	9.0	4.5	3.0	3.0
	◆ 500 से अधिक	9.0	5.0	5.0	5.0

(vii) **पार्किंग** : वाहनों की पार्किंग हेतु प्रति 100 वर्ग मीटर तल क्षेत्रफल पर 1.25 समान कार स्थल (इक्यूवेलेन्ट कार स्पेस) जिसका क्षेत्रफल 13.75 वर्ग मीटर होगा, की व्यवस्था भूखण्ड के अन्दर करनी होगी। ड्राइव-वे तथा वाहनों के मुड़ने हेतु अतिरिक्त स्थान का प्राविधान करना होगा,

(viii) **अनुज्ञा की प्रक्रिया** : नर्सिंग होम के निर्माण की अनुज्ञा हेतु न्यूनतम एक माह की समयावधि प्रदान करते हुए जनता से आपत्ति/सुझाव, उचित माध्यमों से आमन्त्रित किए जाएंगे एवं उनके निस्तारण के उपरान्त स्वीकृति/अस्वीकृति की कार्यवाही की जाएगी। अनुज्ञा से सम्बन्धित आवेदन-पत्र का निस्तारण प्राप्ति के दिनांक से अधिकतम 60 दिन में सुनिश्चित किया जाएगा।

(ix) **प्रभाव शुल्क** : आवासीय क्षेत्र में नर्सिंग होम अनुमन्य किए जाने पर भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल पर आवेदक से 'प्रभाव शुल्क' (**Impact fee**) लिया जायेगा जो विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद की वर्तमान आवासीय सेक्टर दर का 25 प्रतिशत होगा।

(vi) नर्सिंग होम में संक्रामक रोगों एवं छुआछूत सम्बन्धी बीमारियों का इलाज नही किया जाएगा।

3. कृपया भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 के अध्याय-5 में नर्सिंग होम के निर्माण हेतु प्राविधानित मानकों को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

4. उपरोक्त आदेशों का तत्काल प्रभाव से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या 3174 (1)/9-आ-3-2001-26एल.यू.सी./91 तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, आयुक्त एंव प्रमुख सचिव, आवास एंव नगर विकास विभाग के अवलोकनाथ।
2. **अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण**, उत्तर प्रदेश।
3. **मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक**, उत्तर प्रदेश।
4. श्री एस.के.भसीन, सेक्रेटरी, उ.प्र.नर्सिंग एसोसिएशन, गोमती हास्पिटल, रिंग रोड, जानकीपुरम, लखनऊ-226021
5. अध्यक्ष, आर्कीटेक्ट एसोसिएशन, लखनऊ।
6. अध्यक्ष, यू.पी. चैप्टर इन्स्टीटयूट आफ आर्कीटेक्ट।
7. अपर निदेशक, नियोजन, उत्तर प्रदेश आवास बन्धु।

आज्ञा से,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव

संख्या-4137/9-आ-3-2000-03 वि0/2000

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2- **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

आवास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनाँक : 06 सितम्बर, 2001

विषय :पर्यटन हित में विद्यमान होटलों में लिफ्ट लगाए जाने हेतु मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया में सरलीकरण।

महोदय,

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्यटन नीति, 1998 के अनुरूप प्रदान की जा रही रियायतों के क्रम में उत्तर प्रदेश होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट एसोशिएशन ने शासन से अनुरोध किया है कि पर्यटनों की सुविधा के लिए विद्यमान होटलों में लिफ्ट लगाने हेतु विकास प्राधिकरणों से अनुमति लिए जाने/मानचित्र स्वीकृत कराए जाने में छूट प्रदान की जाए। एसोशिएशन के उक्त अनुरोध पर पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की संस्तुति की गई है।

2. अत: मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि होटल व्यवसाय को प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से निर्माण अनुज्ञा की वर्तमान प्रक्रिया में सरलीकरण हेतु श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धारा-92 की उपधारा (2) तथा उ0प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-41 की उपधारा (1) के अधीन निम्न निर्देश देते है :-

(I) विद्यमान होटलों में केवल लिफ्ट लगाए जाने हेतु आवश्यक आन्तरिक परिवर्तन से सम्बन्धित मानचित्र ''काउन्सिल आफ आर्कीटेक्चर'' में पंजीकृत वास्तुविद द्वारा यह प्रमाणित किए जाने पर कि प्रस्तावित निर्माण महायोजना/भवन उपविधि, संरचनात्मक स्थिरता तथा अग्निशमन सुरक्षा की अपेक्षाओं के अनुसार है, निर्धारित शुल्क सहित विकास प्राधिकरण में जमा किए जाने पर औपचारिक स्वीकृत प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि विकास प्राधिकरण में मानचित्र जमा करने की रसीद ही मानचित्र स्वीकृति का प्रमाण-पत्र होगी। परन्तु जमा किए गये मानचित्र में नियमों का उल्लंघन पाए जाने की स्थिति में सम्बन्धित वास्तुविद को उत्तरदायी माना जाएगा तथा मौके पर निर्माण, जमा मानचित्र से भिन्न पाए जाने की स्थिति में, निर्माणकर्ता/भवन स्वामी को उत्तरदायी माना जाएगा और दोनों ही स्थितियों में नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(II) लिफ्ट लगाए जाने हेतु आवश्यक आन्तरिक परिवर्तन से भिन्न परिवर्तन हेतु सम्बन्धित मानचित्र निर्धारित शुल्क सहित आवेदक द्वारा स्वयं अथवा पंजीकृत वास्तुविद के माध्यम से विकास प्राधिकरण में स्वीकृति हेतु जमा किया जा सकता है।

(III) कृपया उपरोक्त आदेशों का अनुपालन तात्कालिक प्रभाव से सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या 4137 (1)/9-आ-3-2000-03 वि0/2000 तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, पर्यटन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-329/15-1-1001/पी0टी0/2000 दिनांक 26.5.2000 के संदर्भ में।
2. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, लखनऊ।
3. श्री बी0के0 गुप्ता, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश होटल एण्ड रेस्टारेन्ट एसोसिएशन, सेन्ट्रल होटल, अमीनाबाद, लखनऊ
4. अध्यक्ष समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य नगर एंव ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
6. अध्यक्ष, उ0प्र0 आर्कीटेक्ट एसोसिएशन।
7. अपर निदेशक, नियोजन, उत्तर प्रदेश आवास बन्धु।

आज्ञा से,
यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव

संख्या-4137(2)/9-आ-3-2001-03 वि0/2000 तद् दिनांक

प्रतिलिपि समस्त नियंन्त्रक प्राधिकारी एवं नियत प्राधिकारी, विनियामित क्षेत्रों की उपर्युक्त के क्रम में इस आशय से कि उक्त व्यवस्था के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव

संख्या-780/आ.ब.-अ.नि./भवन उपविधि/2000

प्रेषक,

संजय भूसरेड्डी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ.प्र. सहकारी आवास संघ लि.,
6-बी, पार्क रोड, जैसवाल काम्पलेक्स,
लखनऊ।

आवास बन्धु

लखनऊ : दिनाँक : 26 दिसम्बर, 2000

विषय : सहकारी आवास समितियों द्वारा सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा के उपरान्त विकसित की जाने वाली कालोनियों/क्षेत्रों के आवासीय भवन मानचित्र स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उर्पयुक्त विषयक अपने पत्र संख्या 10951/आवास दिनांक 30.9000 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि शासनादेश संख्या 1617/9-आ-3-38 विविध/97 दिनांक 1.5.1997 के अधीन नगर के नए क्षेत्रों एवं विकासशील क्षेत्रों के आवासीय मानचित्र स्वीकृत करने के सम्बन्ध में निर्धारित की गई नीति सहकारी आवास समितियों द्वारा सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति लेकर विकसित की जाने वाली कालोनियों/क्षेत्रों में भी लागू की जानी चाहिए।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया में किए गए सरलीकरण से सम्बन्धित व्यवस्थाओं को विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 के अध्याय-3 भाग-1 में "अनुज्ञा प्रक्रिया" के अन्तर्गत समाविष्ट कर लिया गया है। उक्त उपविधि शासनादेश संख्या 4716/9-आ-1-29 विविध/98 दिनांक 21.10.2000 द्वारा समस्त विकास प्राधिकरणों (आगरा, फिरोज़ाबाद-शिकोहाबाद, हापुड़-पिलखुआ व झाँसी को छोड़कर) तथा आवास एवं विकास परिषद् में लागू की जा चुकी और भवन मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही नई भवन उपविधि में निहित प्रक्रियानुसार ही की जानी अपेक्षित है। नई भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 की एक प्रति आपके कार्यालय उपयोग हेतु संलग्न है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

संख्या-5495/9-आ-1(आ.वि.) विविध/2000

प्रेषक,

संजय भूसरेड्डी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष
विकास प्राधिकरण,
गाज़ियाबाद।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनाँक-30 दिसम्बर, 2000

विषय : भवन मानचित्र की स्वीकृति प्रक्रिया।

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा भवन मानचित्रों की स्वीकृति के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी भूखण्ड पर भवन निर्माण की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रत्येक तल हेतु अलग-अलग स्वीकृति प्राप्त करनी होगी जिसके लिए बार-बार मानचित्र बनाकर स्वीकृति की प्रक्रिया से गुजरना होगा।

यह व्यवस्था विभिन्न वर्तमान शासनादेशों के अनुकूल नहीं है तथा अनावश्यक रूप से आवेदकों को प्राधिकरण के चक्कर लगाने पर मजबूर करेगी तथा उत्पीड़न की शिकायतें होंगी। इसी आधार पर मानचित्रों को अस्वीकृत किए जाने के कारण कतिपय संदर्भ भी शासन को प्राप्त हुए हैं। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 4716/9-आ-1-29 विविध/1998 दिनांक 21.10.2000 द्वारा गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण हेतु स्वीकृत भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2000 को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा उसमें निहित प्रक्रियानुसार अनुमन्य एफ.ए.आर.सीमा के अन्तर्गत सभी आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार एक अथवा अधिक तलों के भवन मानचित्र स्वीकृत किए जाएं। इन्हें तत्काल लागू किया जाए।

उपरोक्तानुसार सभी अधीनस्थ सम्बन्धित की कड़ाई से अनुपालन करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें, कृत कार्यवाही से दर दिन के अन्दर शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

संख्या-2997/9-आ-3-2001-3 विविध/2001

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-3

लखनऊ : दिनाँक : 6 सितम्बर, 2001

विषय :उत्तर प्रदेश राज्य उद्योग विकास निगम की योजनाओं के मानचित्रों की स्वीकृति की व्यवस्था।

महोदय,

उर्पयुक्त विषयक शासनादेश संख्य-4176/9-आ-3-98-626 डी0ए0/92 दिनांक 05 फरवरी, 1998 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि औद्योगिक क्षेत्रों/आस्थानों में भवन मानचित्र स्वीकृत करने का अधिकार उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम के क्षेत्रीय प्रबन्धकां तथा औद्योगिक आस्थानों में परिक्षेत्रीय संयुक्त निदेशक उद्योग को प्रतिनिर्धानित किए गये हैं।

2. इस सम्बन्ध में एतद्द्वारा निगम द्वारा आवंटित भूखण्डों के अन्तर्गत आवासीय भवनों के मानचित्र स्वीकृति में आ रही कठिनाईयों के निराकरण हेतु उक्त शासनादेश में आशिंक संशोधन करते हुए श्री राज्यपाल महोदय उ0प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-41 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन यह निर्देश देते है कि औद्योगिक क्षेत्रों/आस्थानों में उ0प्र0 राज्य उद्योग विकास निगम द्वारा आवंटित औद्योगिक इकाईयों के भूखण्डों पर निर्मित होने वाले आवासीय भवनों के मानचित्र भी औद्योगिक इकाई स्वीकृत के मानचित्र के साथ किये जाने की कार्यवाही उक्त अधिनियम की धारा-51(3) के अधीन शासनादेश दिनांक 5-2-98 में उल्लिखित उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम के अधिकारियों को अपने अधिकार प्रतिनिहित किये जायें। एसे भूखण्ड जो उक्त शर्तो को पूरा नही करते, के मानचित्रों को इस शासनादेश का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

पूर्व में जारी किया गया उक्त शासनादेश दिनांक 05 फरवरी, 1998 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या-2997/9-आ-3-2001-3 विविध/20001

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, समस्त, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य उद्योग विकास निगम, कानपुर।
4. सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक।
5. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु को इनके पत्रांक दिनांक के संदर्भ में।
6. उत्तर प्रदेश आवास बन्धु।

आज्ञा से,
जावेद एहतेशाम
विशेष सचिव

संख्या-549 आ.ब.-4/नियोजन-एल.सी.एस./2001

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास बन्धु

लखनऊ: दिनाँक-31 अक्टूबर, 2001

विषय : सरकारी/निजी भवनों के निर्माण में जल प्रवाहित शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के पश्चात् भवन निर्माण हेतु मानचित्र पास किया जाना।

महोदय,

मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में केन्द्रीय अधिनियम ''सफाई कर्मचारी नियोजन एवं शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993'' को अंगीकृत कर लिए जाने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम के प्राविधान दिनांक 3.11.2001 से सम्पूर्ण प्रदेश में प्रभावी हो जाएंगे, फलस्वरूप प्रदेश में शरीर पर मैला ढोने की अमानवीय कुप्रथा प्रतिबन्धित हो जाएगी और ऐसे व्यक्तियों को जो इस घृणित कार्य हेतु स्वच्छकारों को नियोजित करेंगे, वे दण्ड के भागी होंगे।

2. अतः सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में सरकारी/निजी भवनों के निर्माण की अनुज्ञा तभी प्रदान की जाए, जबकि भवन निर्माण हेतु प्रस्तुत मानचित्र में जल-प्रवाहित शौचालय के निर्माण की व्यवस्था की गई हो।

3. कृपया उपरोक्त आदेशों का तत्काल प्रभाव से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या (1)/आ.ब.-4/नियोजन-एल.सी.एस./2001 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. निजी सचिव, मा. आवास मंत्री/राज्य मंत्री आवास के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के आवलोकनार्थ।
3. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त नियन्त्रण प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
6. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी आवास संघ।
8. अध्यक्ष, आर्कीटेक्ट एसोसिएशन, लखनऊ।
9. अध्यक्ष, यू.पी.चैप्टर इन्स्टीट्यूट ऑफ आर्कीटेक्ट।
10. अपर निदेशक, नियोजन, उत्तर प्रदेश आवास बन्धु।

आज्ञा से
टी.पी.पाठक
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

आवास अनुभाग-3

संख्या-3369/9-आ-3-97-100 वी0/97

लखनऊ : दिनांक 24 जनवरी, 1998

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश, राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) अधिनियम संख्या-1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 30 सन 1974) द्वारा यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम सं. 11 सन् 1973) की धारा-53 द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन श्री राज्यपाल सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सर्विस के प्रयोजनार्थ प्रदेश के विभिन्न विकास क्षेत्रों में टावर के निर्माण हेतु भूमि या भवन अथवा भूमि का भवनों के वर्ग को इस अधिनियम की धाराएं 14 तथा 15 या तद्धीन बनाये गये नियमों, विनियमों या उपविधियों अथवा निदेशों से निम्नलिखित शर्तो पर छूट प्रदान करते है :-

(1) यह छूट भारत सरकार के दूर संचार विभाग द्वारा लाइसेंस प्राप्त सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा आपरेटरों को इस सेवा हेतु आवश्यक एन्टीना टावरों, रेडियों, इक्यूपमेंन्ट कक्ष तथा जेनरेटर कक्ष के निर्माण के लिए ही उपलब्ध होगी।

(2) सेवा आपरेटर द्वारा निर्माण कार्य किये जाने से पूर्व आर्कीटेक्ट काउंसिल द्वारा पंजीकृत आर्कीटेक्ट द्वारा प्रस्तावित निर्माण का मानचित्र इस प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा कि प्रस्तावित एन्टीना टावर प्रत्येक दृष्टि से सुरक्षित है, भवन जिस पर टावर निर्मित किया जाना है। (यदि ऐसा हो तो) भी टावर के साथ सुरक्षित है तथा प्रस्तावित कक्ष (जिनका कुल क्षेत्रफल 60 वर्गमीटर से अनाधिक होगा) भवन निर्माण उपविधियों के अन्तर्गत है।

(3) प्रत्येक निर्माण से पूर्व उपरोक्त मानचित्र व प्रमाण पत्र रु. पांच हजार की अनुज्ञा फीस सम्बन्धित प्राधिकारी के समक्ष जमा की जायेगी।

2. श्री राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन यह भी निर्देश देते है कि सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सर्विस हेतु टावर की स्थापना में विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा उपरोक्तानुसार प्रदत्त छूट के संदर्भ में ही टावर निर्माण सुनिश्चित किया जायेगा। और यदि ऐसे निर्माण में कोई विधिक प्रश्न सन्निहित होता है तो उसके सम्बन्ध में तत्काल शासन को सन्दर्भ प्रस्तुत करके शासन का निर्णय अविलम्ब प्राप्त किया जायेगा।

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव

संख्या 3369 (1)/9-आ-3-97-100 वि0/97, तददिनांक

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को उक्त अधिसूचना उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में (केवल हिन्दी पाठ) में दिनांक 24 जनवरी 1993 को विद्यायी परिशिष्ठ भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशन एवं अधिसूचना की मुद्रित 25 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

आज्ञा से
पी. एन. सिंह
अनु सचिव

संख्या 3369 (2)/9-आ-3-97-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
2. श्री के0 विजय राव, एक्सक्यूटिव डायरेक्टर, एस्कोटेल मोबाइल। ए-36 मोहन को-आपरेटिव इण्डस्ट्रियल स्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली को उनके पत्र दिनांक-3 अक्टूबर, 1997 के संदर्भ में।
3. डायरेक्टर जनरल, टेलीफोन्स, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. डायरेक्टर टेलीफोन, उत्तर प्रदेश सर्किल, लखनऊ।
5. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ

आज्ञा से
पी. एन. सिंह
अनु सचिव

प्रेषक,

संख्या-218/9-आ-3-98-विविध/97

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-3

लखनऊ: दिनाँक-16 मार्च, 1998

विषय : नगरों की महायोजना में सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सर्विस के प्रयोजनार्थ आवश्यक निर्माण को अनुमन्य किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिसूचना संख्या 3369/9-आ-3-98-100वि0/97, दिनांक 24 जनवरी, 1998 का संदर्भ ग्रहण करें। उपरोक्त अधिसूचना द्वारा सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सर्विस के प्रयोजनार्थ प्रदेश के विभिन्न विकास क्षेत्रों में टावर के निर्माण हेतु भूमि या भवन को उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम की धारा-14 तथा 15 या तदधीन बनाये गये नियमों विनियमों या उपविधियों अथवा निर्देशों से उक्त अधिनियम की धारा-53 के अन्तर्गत कतिपय शर्तों के साथ छूट प्रदान की गई है। कतिपय प्राधिकरणों ने यह जिज्ञासा की है कि उक्त सेवा से संबंधित निर्माणों को महायोजना एंव जोनिंग रेगुलेशंस में किस भू-उपयोग के अन्तर्गत रखते हुए अनुमति प्रदान की जायेगी।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेलुलर मोबाइल संचार प्रणाली एक इन्फ्रास्टक्चर सेवा है जिसकी आवश्यकता सभी भू-उपयोगों में होती है। इन्फ्राक्ट्रक्चर सेवायें यथा सड़क, नाली, सीवर, विद्युत खम्भे, टावर, ट्रांसफारमर, टेलीफोन के खम्भे/टावर आदि किसी भी भू-उपयोग में बिना किसी प्रतिबन्ध के लगायी जा सकती है। सेलुलर मोबाइल संचार सेवा भी अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर सेवाओं के ही समान है। अतः इसके लिए आवश्यक टावर व संलग्न रेडियो एक्यूपमेंट व जनरेटर कक्ष भी महायोजना में समस्त भू-उपयोगों में उसी प्रकार अनुमन्य किया जाये, जिस प्रकार से अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर सेवायें अनुमन्य है। कृपया उक्त स्पष्टीकरण के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। यही व्यवस्था शमन की कार्यवाहियों पर लागू होगी।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या 218(1)/9-आ-3-98-100 विविध/97 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. उत्तर प्रदेश, आवास बन्धु।
3. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु को सूचनार्थ।
4. आवास विभाग के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से
एच.पी.सिंह
अनु सचिव

संख्या-4218/9-आ-3-99-42 विविध/99

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **समस्त उपाध्यक्ष,**
विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनाँक : 14 दिसम्बर, 2000

विषय : फिल्म नीति-1999 के अनुरूप मल्टीप्लैक्सेज/छविग्रहों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाना एंव मल्टीप्लेक्सेज के निर्माण हेतु मानकों का निर्धारण।

महोदय,

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की फिल्म नीति-1999 में छविगृहों को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है तथा फिल्म उद्योग के समग्र विकास हेतु उच्च श्रेणी की सिनेमा प्रदर्शन सुविधाओं के प्राविधान की रणनीति निर्धारित है। इस हेतु बहु-सामुच्य (मल्टीप्लेक्स) फिल्म प्रदर्शन की नवीनतम विधि जो कि तकनीकी दृष्टि से अत्यधिक विकसित है, को प्रोत्साहित किए जाने पर बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त, लम्बे समय से बन्द पड़े छविगृहों को भी पुनर्जीवित किए जाने एवं वर्तमान छविगृहों के उच्चीकरण को प्राथमिकता दी गई है। उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु मल्टीप्लेक्सेज़/छविगृहों को भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 2206/9-आ-3-99-50 विविध/99 दिनांक 27.5.1999 द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए थे, परन्तु मल्टीप्लेक्सेज के निर्माण हेतु उपविधि अथवा मानक निर्धारित न होने के कारण, निर्माण अनुज्ञा प्रदान करने में कतिपय विकास प्राधिकरणों को कठिनाईयाँ उत्पन्न हो रही है।

2. अतएव मल्टीप्लेक्सेज़ को प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से श्री राज्यपाल महोदय, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धारा-92 की उपधारा (2) तथा उ0प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-41 की उपधारा (1) के अधीन यह निर्देश देते है कि नगरीय क्षेत्रों में 'मल्टीप्लेक्स' के निर्माण की अनुज्ञा निम्न प्राविधानों के अनुसार प्रदान की जाएगी:-

(i) **प्रयोज्यता :** मल्टीप्लेक्स के अन्तर्गत एक ही काम्पलेक्स में छविगृह तथा वाणिज्यिक क्रियाएं एवं अन्य मनोरंजन सुविधाएं निर्धारित अनुपात में उपलब्ध कराई जा सकती है।

(ii) **अनुमन्य स्थल :** मल्टीप्लेक्स का निर्माण वाणिज्यिक, आवासीय, औद्योगिक (केवल प्रदूषणमुक्त व संकटरहित लघु एंव सेवा उद्योग) भू-उपयोग में तथा महायोजना/जोनल प्लान/सेक्टर प्लान/ले-आउट प्लान में इस प्रयोजन हेतु चिन्हित ऐसे स्थलों जो नीचे प्रस्तर (iv) तथा (v) की शर्तो को पूर्ण करते हों, पर अनुमन्य होगा।

(iii) **छविगृह, मनोरंजन तथा वाणिज्यिक क्रियाओं का अनुपात :** मल्टीप्लेक्स के अन्तर्गत एक काम्पलेक्स में न्यूनतम तीन छविगृहों का निर्माण अनिवार्य होगा। गैर-वाणिज्यिक (आवासीय तथा औद्योगिक) क्षेत्र में भूमि के आवंटन अथवा भू-उपयोग की अनुमन्यता के रूप में छूट/सुविधा निहित होने पर कुल तल क्षेत्रफल के न्यूनतम 70 प्रतिशत भाग पर छविगृह, तथा अधिकतम शेष 30 प्रतिशत भाग पर वाणिज्यिक एंव अन्य मनोरंजन क्रियाओं का निर्माण अनुमन्य होगा। यदि भूखण्ड का उपयोग वाणिज्यिक

है, तो उपरोक्त प्रतिबन्ध लागू नही होगा तथा वाणिज्यिक भू-उपयोग अनुसार निर्माण अनुमन्य होगा। विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद द्वारा आवंटित भूखण्डों पर छविगृह तथा वाणिज्यिक (एंव मनोरंजन) क्रियाओं का अनुपात नीलामी की शर्तों के अनुसार अनुमन्य होगा।

(iv) **भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल :** मल्टीप्लेक्स हेतु प्रस्तावित स्थल/भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 4000 वर्ग मीटर होगा।

(v) **पहुँच मार्ग :** मल्टीप्लेक्स के निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल/भूखण्ड न्यूनतम 24 मीटर चौड़े मार्ग पर स्थित होगा।

(vi) **सैट बैक :** मल्टीप्लेक्स भवन में आगे न्यूनतम 9 मीटर तथा शेष तीन ओर (पीछे व दोनों साईड में) 6 मीटर सैट-बैक का प्राविधान आवश्यक होगा। परन्तु पार्किंग स्थल से 24 मीटर या अधिक चौड़ी सड़क की ओर गाड़ियों की निकासी के लिए समुचित 'सर्कुलेशन स्पेस' की व्यवस्था अनिवार्य होगी।

(vii) **भू-आच्छादन एवं एफ.ए.आर. :** गैर-वाणिज्यिक क्षेत्र में मल्टीप्लेक्स हेतु अधिकतम भू-आच्छादन 40 प्रतिशत तथा एफ.ए.आर. 1.20 अनुमन्य होगा। इसके अतिरिक्त भवन उपविधियों के अनुसार निर्धारित सीमा तक क्रय-योग्य एफ.ए.आर. भी अनुमन्य होगा। अन्य भू-उपयोगों में यथास्थिति महायोजना/भवन उपविधियों के अनुसार भू-आच्छादन एवं एफ.ए0आर. अनुमन्य होगा।

(viii) **पार्किंग प्राविधान :** प्रत्येक 100 वर्ग मीटर तल क्षेत्रफल पर 1.5 'इक्यूवेलेन्ट कार स्पेस' का प्राविधान किया जायेगा। 'इक्यूवेलेन्ट कार स्पेस' का क्षेत्रफल 13.75 वर्ग मीटर होगा तथा ड्राइव-वे एवं वाहनों के मुड़ने हेतु स्थान इसके अतिरिक्त होंगे। खुले क्षेत्र के 50 प्रतिशत भाग का उपयोग पार्किंग व सड़कों के रूप में किया जा सकता है तथा अवशेष क्षेत्र में लैण्डस्केपिंग की जा सकती है। स्टिल्ट्स पर खुली पार्किंग अनुमन्य होगी परन्तु उसे कवर पार्किंग बनाने (साइड में कवर करने पर) उसकी गणना एफ.ए.आर. में की जाएगी।

(ix) **बेसमेन्ट :** पार्किंग, सर्विसिंग तथा स्टोरेज हेतु भू-आच्छादन के बराबर बेसमेंट का निर्माण अनुमन्य होगा जो एफ.ए.आर. की गणना में शामिल नही होगा।

(x) **अन्य अपेक्षाएं :** छविगृह भवन की प्लानिंग, डिजाइनिंग एवं अग्निशमन व्यवस्था उ0प्र0 सिनेमेटोग्राफ रूल्स, 1951 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड के संगत प्राविधानों अनुसार सुनिश्चित की जाएगी। मल्टीप्लेक्स में आवश्यक सेवाओं यथा पेयजल व्यवस्था, प्रसाधन, कैन्टीन, आदि का निर्धारित मानकों के अनुसार कामन (**Common**) प्राविधान किया जा सकता है।

3. मल्टीप्लेक्स के अन्तर्गत छविगृह के अतिरिक्त प्राविधानित की जाने वाली अन्य क्रियाओं/सुविधाओं हेतु यदि केन्द्र अथवा राज्य के अधिनियमों/नियमों/विनियमों के अधीन किसी अन्य विभाग से विधिक औपचारिकता पूर्ण किया जाना अपेक्षित हो, तो सम्बन्धित क्रियाओं/सुविधाओं के लिए सक्षम स्तर से अनुज्ञा अथवा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राधिकरण/परिषद में प्रस्तुत किए जाने के उपरांत ही मानचित्र स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

4. यदि मल्टीप्लेक्स के निर्माण के लिए प्रोत्साहन हेतु शासन द्वारा प्रस्तर-2 (iii) में प्रदत्त छूट/सुविधाओं का उपयोग किया जाता है तो मल्टीप्लेक्स का समयबद्ध निर्माण सुनिश्चित करने हेतु प्राधिकरण/परिषद द्वारा मानचित्र स्वीकृति के समय आवेदक से बैंक गारण्टी ली जाएगी जो प्रस्तावित भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल के वर्तमान आवासीय सेक्टर दर (प्राधिकरण/परिषद की दर न होने की दशा में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित भूमि के वर्तमान सामान्य आवासीय सर्किल रेट) पर आंकलित मूल्य की 20 प्रतिशत होगी। यदि मल्टीप्लेक्स का निर्माण मानचित्र स्वीकृति के दिनांक से पांच वर्ष में पूर्ण नही किया जाता है, तो प्राधिकरण/परिषद को बैंक गारण्टी दण्डस्वरूप जब्त करने का अधिकारी होगा।

5. मल्टीप्लेक्स के निर्माण की अनुज्ञा/अस्वीकृति, मानचित्र जमा करने की तिथि से विलम्बतम दो माह के अन्दर जारी की जायेगी।

6. कृपया उपरोक्त आदेशों का अनुपालन तात्कालिक प्रभाव से सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

पृष्ठांकन संख्या 4218 (1)/9-आ-3-99-42 विविध/99 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त, उत्तर प्रदेश।
3. सचिव, औद्योगिक विकास एवं अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु।
4. सचिव, संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश।
5. सचिव, मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश
6. सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश
7. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश
8. निदेशक, सूचना एंव जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
9. प्रबन्ध निदेशक, पिकप (फण्ड मैनेजर, फिल्म निधि)
10. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
11. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु।

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

पृष्ठांकन संख्या 4218 (2)/9-आ-3-99-42 विविध/99 तददिनांक

प्रतिलिपि समस्त विनियमित क्षेत्रों के नियंत्रक प्राधिकारियों और नियम प्राधिकारियों को उपर्युक्त निदेशों के क्रम में आवश्यक व्यवस्था एवं उसके अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

संख्या-1663/9-आ-3-01-42विविध/99(आ.व.)

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1 **आवास आयुक्त,**
उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-3

लखनऊः दिनाँक -10 अप्रैल, 2001

विषय : फिल्म नीति-1999 के अनुरूप मल्टीप्लेक्स के निर्माण हेतु निर्धारित मानकों में आवश्यक परिष्कार।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 4218/9-आ-3-99-42 विविध/99 दिनांक 14 दिसम्बर, 2000 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2(**ii**) में यह प्राविधानित है कि मल्टीप्लेक्स का निर्माण वाणिज्यिक, आवासीय, औद्योगिक (केवल प्रदूषणमुक्त व संकटरहित लघु एवं सेवा उद्योग) भू-उपयोग तथा महायोजना/जोनल प्लान/सेक्टर प्लान/ले-आउट प्लान में इस प्रयोजन हेतु चिन्हित ऐसे स्थलों पर अनुमन्य होगा जो नीचे प्रस्तर- (**iv**) तथा (**v**) में निर्धारित भूखण्ड के न्यूनतम आकार तथा सड़क की न्यूनतम चौड़ाई सम्बन्धी शर्तों को पूर्ण करते हों।

2. शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि मल्टीप्लेक्स के निर्माण हेतु आरक्षित ऐसे स्थल जो पूर्व में प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित सेक्टर प्लान/ले-आउट प्लान का भाग है, में भूखण्ड के न्यूनतम क्षेत्रफल एवं सड़क की न्यूनतम चौड़ाई सम्बन्धी शर्तें लागू किया जाना युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि ऐसे स्थलों हेतु शासन की नीति के अनुरूप भूमि के आवंटन अथवा भू-उपयोग की अनुमन्यता के रूप में कोई छूट/सुविधा निहित नहीं है।

3. इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश संख्या 4218/9-आ-3-99-42 विविध/99 दिनांक 14 दिसम्बर, 2000 के प्रस्तर-2(**ii**) में तत्काल प्रभाव से निम्न संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया है :-

2(**ii**) **"अनुमन्य स्थल :** मल्टीप्लेक्स का निर्माण वाणिज्यिक, आवासीय, औद्योगिक (केवल प्रदूषणमुक्त व संकटरहित लघु व सेवा उद्योग) में ऐसे स्थलों जो नीचे प्रस्तर (**iv**) एवं (**v**) की शर्तों को पूर्ण करते हों पर अनुमन्य होगा। जबकि महायोजना/जोनल प्लान/सेक्टर प्लान/ले-आउट प्लान जो सक्षम स्तर से पूर्व में ही अनुमोदित है, में मल्टीप्लेक्स के प्रयोजनार्थ चिन्हित स्थलों हेतु उक्त शर्तें लागू नही होंगी। परन्तु भविष्य में नया ले-आउट प्लान बनाते समय इन शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।"

4. कृपया शासनादेश संख्या 4218/9-आ-3-99-42 विविध/99 दिनांक 14 दिसम्बर, 2000 उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए एवं मल्टीप्लेक्स के निर्माण की अनुज्ञा प्रदत्त करने हेतु तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या 1663(1)/9-आ-3-99-42(आ.ब.) तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त, उत्तर प्रदेश।
3. सचिव, औद्योगिक विकास एवं अधिशाषी निदेशक, उद्योग बन्धु।
4. सचिव, संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश।
5. सचिव, मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश।
6. सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
9. प्रबन्ध निदेशक, पिकप (फण्ड मैनेजर, फिल्म निधि)
10. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
11. अपर निदेशक, नियोजन, उ0प्र0 आवास बन्धु।

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

संख्या 1663(1)/9-आ-3-99-42(आ.ब.) तद्दिनांक

प्रतिलिपि समस्त विनियमित क्षेत्रों के नियन्त्रक प्राधिकारियों और नियत प्राधिकारियों को उपर्युक्त निदेशों के क्रम में आवश्यक व्यवस्था एवं उसके अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

संख्या-675/9-आ-3-2001-42 विविध/99

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
उ0प्र0।

2. **समस्त उपाध्यक्ष,**
विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-3

लखनऊ : दिनाँक : 16 अप्रैल, 2001

विषय :फिल्म नीति 1999 के अनुरूप मल्टीप्लैक्स/छविग्रहों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाना एंव मल्टीप्लेक्स के निर्माण हेतु मानकों का निर्धारण

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-4218/9-आ-3-99-42 विविध/99 दिनांक 14-12-2000 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत शासनादेश में मल्टीप्लेक्स के भुखण्डों का न्यूनतम क्षेत्रफल 4000 वर्ग मीटर तथा भू-आच्छादन 40 प्रतिशत एवं एफ0ए0आर0 1.2 अनुमन्य किया गया है। इसी शासनादेश में यह भी निर्देश जारी किये गये है कि विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद द्वारा आवंटित भूखण्डों पर छविगृह तथा वाणिज्यिक एवं मनोरंजन क्रियाओं का अनुपात नीलामी की शर्तो के अनुसार अनुमन्य होगा किन्तु इस शासनादेश में मल्टीप्लेक्स हेतु भूखण्ड के न्यूनतम क्षेत्रफल, भ-आच्छादन, एफ0ए0आर0 आदि के सम्बंध में यह व्यवस्था नही है कि यह भी नीलामी की शर्तो के अनुसार अनुमन्य होंगे।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा सन्दर्भित एक प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा कौशाम्बी आवासीय योजना में एक भूखण्ड क्षेत्रफल 3043.25 वर्ग मीटर दिनांक 28.9.2000 (शासनादेश दिनांक 14.12.2000 जारी होने के पूर्व) नीलामी द्वारा बेचा गया था जिसमें भू-आच्छादन 40 प्रतिशत तथा एफ0ए0आर0 1.50 अनुमन्य किया गया था। इस आधार पर प्राधिकरण द्वारा भू-आच्छादन एवं एफ0ए0आर0 में शिथिलता की अपेक्षा की गई है।

समग्र स्थिति पर विचारोपरान्त यह उचित पाया गया कि ऐसी स्थिति अन्य प्राधिकरणों में भी आ सकती है और इससे प्राधिकरण के समक्ष विधिक विवाद भी उत्पन्न होने की सम्भावना है। अतः शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त संदर्भित संशोधन शासनादेश दिनांक 14.12.2000 ऐसे मामलों में, जिनमें कि उक्त शासनादेश जारी होने से पूर्व सम्पादित हुई नीलामी में, यदि नीलामी की शर्तो व शासनादेश में इंगित मानकों में भिन्नता पायी जाती है तो ऐसी भिन्नता की सीमा तक शासनादेश दिनांक 14.12.2000 की मानक शर्तो के स्थान पर नीलामी की शर्ते ही लागू होंगी। पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 14.12.2000 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। परन्तु भविष्य में कोई भी नीलामी दिनांक 14-12-2000 के शासनादेश में निर्धारित मानकों के अनुसार ही की जाय।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या-एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त, उत्तर प्रदेश।
3. सचिव, औद्योगिक विकास एवं अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु।
4. सचिव, संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश।
5. सचिव, मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश
6. सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश
7. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश
8. निदेशक, सूचना एंव जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
9. प्रबन्ध निदेशक, पिकप (फण्ड मैनेजर, फिल्म निधि)
10. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
11. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु।

आज्ञा से,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव

संख्या-एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि समस्त विनियमित क्षेत्रों के नियंत्रक प्राधिकारियों और नियम प्राधिकारियों को उपर्युक्त निदेशों के क्रम में आवश्यक व्यवस्था एवं उसके अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव

संख्या-970/11-क. नि.-6-2001-बोस.एम. (158)/99 टी0सी0

प्रेषक,

टी0 जार्ज जोसेफ,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-6

विषय :मल्टीप्लेक्स छविगृहों के निर्माण के सम्बन्ध में मार्ग-निर्देश।

लखनऊ : दिनाँक : 30 अप्रैल 2001

महोदय,

प्रदेश में मल्टीप्लेक्स छविगृहों को प्रोत्साहन देने की एक योजना शासनादेश संख्या-1161/11-क.स.वि.-6-99-बीस.आर.(12)/98 दिनांक 13.7.99 द्वारा लागू की गई है एवं उसी के क्रम में शासनादेश संख्या-2532/11-के.नि.-6-2001-बीस.आर.(12)/98 दिनांक 17.1.2001 एवं शासनादेश संख्या-813/11-क.नि.-6-2001-बीस.आर.(12)/98 दिनांक 13.7.99 में आंशिक संशोधन भी किये गये है । उक्त शासनादेशों में मल्टीप्लेक्स के निर्माण हेतु कोई मानक निर्धारित नही किये गये है। कतिपय जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा मल्टीप्लेक्स निर्माण की अनुमति देने के पूर्व शासन से मार्ग-दर्शन की अपेक्षा की गयी है। उल्लेखनीय है कि मल्टीप्लेक्स निर्माण के सम्बन्ध में अभी तक नियम निर्गत नही किये जा सके है।

2. इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तात्कालिक व्यवस्था के रूप में मल्टीप्लेक्स के निर्माण की अनुमति देने से पूर्व संबंधित जिला मजिस्ट्रेट निम्नांकित व्यवस्थायें सुनिश्चित करेंगे :-

1- मल्टीप्लेक्स निर्माण की अनुमति देने से पूर्व, सामूहिक व्यवस्थाओं के लिए उन्ही नियमों का अनुपालन किया जायेगा जो वर्तमान मे एक सिनेमा के निर्माण के लिये उ0प्र0 चलचित्र नियमावली-1951 के अन्तर्गत प्राविधानित है।

2- मल्टीप्लेक्स के अन्तर्गत प्रत्येक सिनेमा हाल के निर्माण को स्वीकृति देने से पूर्व ब्यूरो आफ इण्डियन स्टैण्डर्स द्वारा प्रकशित ''बाइलाज फार कन्सट्रक्शन आफ सिनेमा बिल्डिंग्स-1987'' में सिनेमा भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में प्रचलित उपविधियों की धारा-5.2.2 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ताकि प्रत्येक सिनेमा हाल हेतु प्रस्तावित भवन में ट्रैफिक लोड, पार्किंग व्यवस्था, व्यक्तियों के आवागमन एंव निकास की व्यवस्था, अग्नि शमन व्यवस्था, वाटर सप्लाई, बिजली व्यवस्था, ड्रेनेज तथा अन्य सुरक्षा व्यवस्थायें समुचित रूप में सुनिश्चित की जा सकें। इन सभी व्यवस्थाओं हेतु ब्यूरो आफ इण्डियन स्टैण्ड्डर्स को विभिन्न उपविधियों में दिये गये पृथक-पृथक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. जिलाधिकारी निर्माण की अनुमति देते समय अनुमति आदेश में इस आशय का उल्लेख भी करेंगे कि प्रश्नगत मल्टीप्लेक्स का लाइसेन्स तभी निर्गत किया जायेगा जब मल्टीप्लेक्स का निर्माण ब्यूरो आफ इण्डियन स्टैण्डड्र्स को उक्त उपविधियों में अंकित मानकों के अनुरूप होगा।

4. मल्टीप्लेक्स निर्माण को अनुमति/स्वीकृति इस शर्त के अधीन होगी कि इस सम्बन्ध में विशिष्ट उपविधियों के बनने के पश्चात् मल्टीप्लेक्स का उसके अनुरूप होना संबंधित स्वामियों का उत्तरदायित्व होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
टी0 जार्ज जोसेफ
प्रमुख सचिव

संख्या 970 (1)/11-क.नि.-6-2001, तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आयुक्त मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. सचिव, आवास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

आज्ञा से,
डा0 प्रभात कुमार
विशेष सचिव

संख्या-1262/11-क. नि.-6-2001-बीस.एम.(158)/99 टी0सी0

प्रेषक,

टी0 जार्ज जोसेफ,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-6

लखनऊ : दिनाँक : 06 जून, 2001

विषय :मल्टीप्लेक्स छविगृहों के निर्माण के सम्बन्ध में मार्ग निर्देश।

महोदय,

शासन द्वारा मल्टीप्लेक्स छविगृहों के निर्माण के संबंध में, शासनादेश संख्या-970/11-क.नि.-6-2001-बीस.एम.(158)/99 टी0सी0 दिनांक 30 अप्रैल, 2001 द्वारा मल्टीप्लेक्स निर्माण के लिए विभिन्न सुविधाओं को सुनिश्चित करने हेतु ब्यूरो आफ इण्डियन स्टैडर्डस् द्वारा प्रकाशित वाइलाज को आधार मान कर दिशा निर्देश जारी किये गये है।

2. इस सम्बन्ध में जारी शासनादेश दिनांक 30.4.2001 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 30.4.2001 में प्राविधनित व्यवस्थाओं के साथ-साथ निम्नांकित व्यवस्था भी सम्मिलित की जाती है :-

1- मल्टीप्लेक्स के अन्तर्गत सिनेमा हाल्स का निर्माण, महायोजना/जोनलप्लान/सेक्टर प्लान/ले-आउट प्लान में अनुमन्य भू-आच्छादन तथा तलक्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) के अन्तर्गत बेसमेन्ट को छोड़कर अन्य किसी भी तल पर किये जा सकेंगे परन्तु अनुमति देने से पूर्व ट्रैफिक लोड, पार्किंग व्यवस्था, व्यक्तियों के आवागमन एंव निकास, अग्निशमन व्यवस्था, वाटर सप्लाई, बिजली व्यवस्था, ड्रेनेज तथा अन्य सुरक्षा व्यवस्थायें समुचित रूप से सुनिश्चित करनी होंगी। बेसमेन्ट में सिनेमाहाल का निर्माण कदापि अनुमन्य नही होगा।

2- मल्टीप्लेक्स के अन्तर्गत एक ही काम्पलेक्स में छविगृह, वाणिज्यिक क्रियाएं तथा मनोरंजन सुविधाएं आवास विभाग के शासनादेश संख्या-4218/9-आ-3-99-42-विविध/99 दिनांक 14 दिसम्बर 2000 के अनुसार महायोजना/निर्माण उपविधियों के अन्तर्गत स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप अनुमन्य किये जा सकेंगे।

3- पार्किंग के सम्बन्ध में ब्यूरो आफ इण्डियन स्टैण्डर्डस के पैरा-8.1 के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

4- सीटिंग व्यवस्था के संबंध में ब्यूरो आफ इण्डियन स्टैण्डर्डस् की उपविधियों के प्रस्तर-10.12 में पर्याप्त व्यवस्था की गई है जिसमें गैगवे से दूरी तथा पंक्तियों के बीच में दूरी की व्यवस्थायें भी सम्मिलित है। इसमें गैगवे से सीटों की दूरी से अधिकतम 10 फिट (जैसा कि उ0प्र0 सिने मैटोग्राफ रूल्स-1951 में व्यवस्था है) न होकर अधिकतम 7 सीटों की व्यवस्था है। अर्थात प्रत्येक पंक्ति में गैगवे से अधिकतम दूरी सातवी सीट की होगी।

5- मल्टीप्लैक्स छविगृो के संबंध में आवास विभाग द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 14 दिसम्बर, 2000 में पूर्व से ही व्यवस्था है कि मल्टीप्लेक्स में कम से कम 3 सिनेमा हाल बनाया जाना अनिवार्य होगा। अत: 3 से अधिक सिनेमाहाल बनाए जाने में कोई प्रतिबन्ध नही है।

3. उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्यूरो आफ इण्डियन स्टैण्डर्डस् के नियमों में प्रत्येक बिन्दु पर पर्याप्त व्यवस्था दी गई है। संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मल्टीप्लेक्स निर्माण की अनुमति तथा लाइसेंस देते समय उन व्यवस्थाओं को अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,
टी0 जार्ज जोसेफ
प्रमुख सचिव

संख्या 1262 (1)/11-क.नि.-6-2001, तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आयुक्त मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. सचिव, आवास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

आज्ञा से,
डा0 प्रभात कुमार
विशेष सचिव

संख्या-570/9-आ-1-2001-भूकम्प रोधी/2001(आ.ब.)

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   आवास एवं विकास परिषद,
   लखनऊ ।
2. **समस्त उपाध्यक्ष,**
   विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।
3. **समस्त अध्यक्ष,**
   विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।
4. **समस्त नियन्त्रक प्राधिकारी,**
   विनियमित क्षेत्र,
   उत्तर प्रदेश।
5. **प्रबन्ध निदेशक,**
   उ.प्र. आवास संघ।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनाँक : 03 फरवरी, 2001

विषय : नये भवन निर्माण एवं महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओ में भूकम्परोधी व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

देश में समय-समय पर आये भूकम्पो की त्रासदी को दृष्टिगत रखते हुए यह अपरिहार्य हो गया है कि उत्तर प्रदेश, जिसका अधिकांश क्षेत्र भूकम्प जोन-2 से 4 के अन्तर्गत आता है, में भवन निर्माण एंव महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण के लिये आवश्यक सुरक्षात्मक प्राविधान सुनिश्चित किये जाये। नयी निर्माण अनुमति निम्नलिखित व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करते हुए ही दी जायेगी :-

1. निर्माण कार्य जिन पर यह व्यवस्थायें लागू होंगी :

नगरीय क्षेत्र के समस्त भूतल सहित तीन मंजिला से अधिक अथवा 12 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवन निर्माण एंव महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं यथा-वाटर-वर्क्स एंव ओवरहेड टैक, टेलीफोन एक्सचेन्ज, ब्रिज एवं कल्वर्ट, विद्युत उत्पादन केन्द्र एवं विद्युत सब-स्टेशन तथा विद्युत टावर इत्यादि का विकास, सुरक्षा के आवश्यक प्राविधानों के अनुरूप ही सुनिश्चित किया जाय। वर्तमान में उपलब्ध मास्टर प्लान एवं जोनल प्लान में भी यथा-आवश्यक संशोधन भूगर्भय तकनीकी सर्वेक्षण के आँकड़ों एवं मानचित्रों के प्राविधान के आधार पर शीघ्र करा लिया जाय, ताकि नियोजन की दृष्टि से भी नये भवनों के निर्माण एवं नयी अवस्थापना सुविधाओं के विकास में भूकम्प एवं अन्य दैवीय आपदाओं का प्रतिकूल प्रभाव न्यूनतम स्तर का सुनिश्चित किया जा सके।

2. सुसंगत कोड :

उ0 प्र0 एंव उत्तरांचल राज्य के भूकम्प जोनिंग मानचित्र संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुसार उत्तरांचल राज्य का सम्पूर्ण भाग जोन-4 व 5 में आता है तथा उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग जोन-1 से 4 के अन्तर्गत आता है, अत: प्रत्येक जोन के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र में निर्मित होने वाले नये भवनों एवं उपरोक्त इंगित महत्वपूर्ण अवस्थापा सुविधाओं के विकास हेतु संलग्न परिशिष्ट-2 में उल्लिखित भारतीय मानक संस्थान के कोड, नेशनल बिल्डिंग कोड, अन्य सुसंगत गाईड-लाईन्स एंव अभिलेखों के प्राविधानों को शत-प्रतिशत अपनाया जाना अनिवार्य (**Mandatory**) होगा।

3. भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु आवेदन के समय आवश्यक अभिलेख :

भवन निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृत कराने के लिए पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक वास्तुविदीय मानचित्र, जिसके साथ संलग्न परिशिष्ट-3 के प्रारूप पर "बिल्डिंग इन्फार्मेशन शेड्यूल" तथा संलग्न परिशिष्ट-4 के प्रारूप पर, भूस्वामी/बिल्डर, मानचित्र तैयार करने वाले आर्कीटेक्ट एवं भवन की नीव तथा सुपर स्ट्रक्चर की स्ट्रक्चरल डिजाइन तैयार करने वाले स्ट्रक्चरल इंजीनियर के संयुक्त हस्ताक्षर

से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि भवन मानचित्र एवं नीव तथा सुपर स्ट्रक्चर की डिजाइन में भूकम्प रोधी सभी प्राविधानों का क्रमांक-2 में उल्लिखित कोड, गाईड-लाईन्स एंव अन्य सुसंगत अभिलेखों के प्राविधानों का शत-प्रतिशत अनुपालन किया गया है। इसके अतिरिक्त स्ट्रक्चरल इंजीनियर के हस्ताक्षर युक्त भवन की नीव एंव सुपर स्ट्रक्चर की डिजाइन की पूर्ण गणनायें एवं स्ट्रक्चरल मानचित्र भी, मानचित्र स्वीकृति संबंधी प्रपत्रों के साथ प्रस्तुत करने होंगे।

4. भवन मानचित्र स्वीकृति के समय परीक्षण :

मानचित्र स्वीकृत करने वाले अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गये वास्तुविदीय मानचित्र बिल्डिंग बाई-लॉज के अनुरूप है तथा भूकम्प रोधी एवं भवन की संरचनात्मक सुरक्षा के प्राविधानों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रारूपों में है तथा नीव एवं स्ट्रक्चरल डिजाइन संबंधी गणनायें स्ट्रक्चरल इन्जीनियर से प्रमाणित कर संलग्न की गई है। यह सुनिश्चित हो जाने के उपरान्त ही मानचित्र स्वीकृत किये जायें। बिना समुचित परीक्षण किये अथवा प्रमाण पत्र लिये ही यदि मानचित्र स्वीकृत कर दिये जाते है और बाद में ऐसी कोई तकनीकी त्रुटि पायी जाती है जिसके कारण भवन की संरचनात्मक सुरक्षा संशयपूर्ण पाई गई तो मानचित्र स्वीकृत करने वाले अधिकारी भी **"क्रिमिनल"** शिथिलता के लिए उत्तरदायी होंगे।

5. भवन मानचित्र स्वीकृति की शर्तें :

निर्माण स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन ही जारी की जायेंगी :

(क) किया जाने वाला निर्माण, सुसंगत भारतीय मानक संस्थान एवं नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अनुरूप अर्ह स्ट्रक्चरल इन्जीनियर एंव वास्तुविद द्वारा प्रमाणित डिजाइन के अनुसार ही होगा।

(ख) निर्माण का सुपरविजन भी अर्ह वास्तुविद की देखरेख तथा उनके उत्तरदायित्व के अधीन किया जायेगा ताकि सुरक्षा की अपेक्षित व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित रहे।

(ग) निर्माण पूर्ण होने पर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना भवन अथवा उसके अंश का कोई उपयोग नहीं किया जायेगा, न करने दिया जायेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त स्वीकृति प्राधिकारी अन्य शर्तें भी आवश्यकतानुसार निर्धारित कर सकते है।

6. कम्प्लीशन सर्टिफिकेट की अनिवार्यता :

भवन पूर्ण हो जाने पर भूस्वामी/बिल्डर द्वारा पूर्णता प्रमाण-पत्र (कम्पलीशन सर्टिफिकेट) प्राप्त करने हेतु जो आवेदन पत्र सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा, उसके साथ परिशिष्ट-5 पर संबंधित वास्तुविद्, साईट इन्जीनियर, भूस्वामी/बिल्डर द्वारा संयुक्त रूप से पुनः इस आशय का एक प्रमाण पत्र दिया जायेगा कि भवन का निर्माण स्वीकृत मानचित्र, निर्धारित विशिष्टयों, गुणवत्ता तथा परिशिष्ट-2 में उल्लिखित भारतीय मानक संस्थान के कोड, नेशनल बिल्डिंग कोड एवं सुसंगत गाईड लाइन्स पर आधारित समस्त स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा अनुमोदित स्ट्रक्चरल डिजाइन एंव भूकम्प रोधी समस्त प्राविधानों के साथ किया गया है तथा भवन उपयोग हेतु हर प्रकार से सुरक्षित है। पूर्णता प्रमाण-पत्र देने वाले अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित कर ले कि पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्गत करने संबंधी सभी अन्य औपचारिकतायें पूण होने के साथ सुरक्षा सम्बन्धी प्रमाण-पत्र भी निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध है, इसके उपरान्त ही पूर्णता प्रमाण-पत्र (कम्प्लीशन सर्टीफिकेट) निर्गत किया जाय।

7. पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना यदि कोई भवन अथवा उसका कोई अंश अनाधिकृत रूप से प्रयोग में लाया जाता है अथवा लाये जाने की सम्भावना होती है तो ऐसे निर्माण को सील कर दिया जायेगा तथा भवन स्वामी/निर्माता के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही कर दी जायेगी।

8. उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रारूप अनाधिकृत निर्माण के शमन के प्रकरणों में भी युक्ति-युक्त रूप से लागू होंगे।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता

सचिव

संलग्नक : परिशिष्ट (1-5)

संख्या-570(1)/9-आ-1-2001-भूकम्प रोधी/2001तददिनांक।

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, उत्तरांचल प्रदेश-इस अनुरोध के साथ कि उपर्युक्त शासनादेश में निहित सुरक्षात्मक प्राविधानों को उत्तरांचल प्रदेश में भी लागू करने हेतु विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नक : परिशिष्ट (1-5)

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

संख्या-570(2)/9-आ-1-2001-भूकम्प रोधी/2001तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उनके आस्थानों एवं अवस्थापनाओं के निर्माण कार्यों में उपर्युक्त शासनादेश में निहित सुरक्षात्मक प्राविधानों के अन्तर्गत भवन निर्माण एवं मानचित्रों एवं परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु कार्यवाही कराने के आदेश जारी करने का कष्ट करें

1. औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, ऊर्जा, उत्तर प्रदेश शासन।
4. सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. सचिव, नगरीय क्षेत्र, रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

संलग्नक : परिशिष्ट (1-5)

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

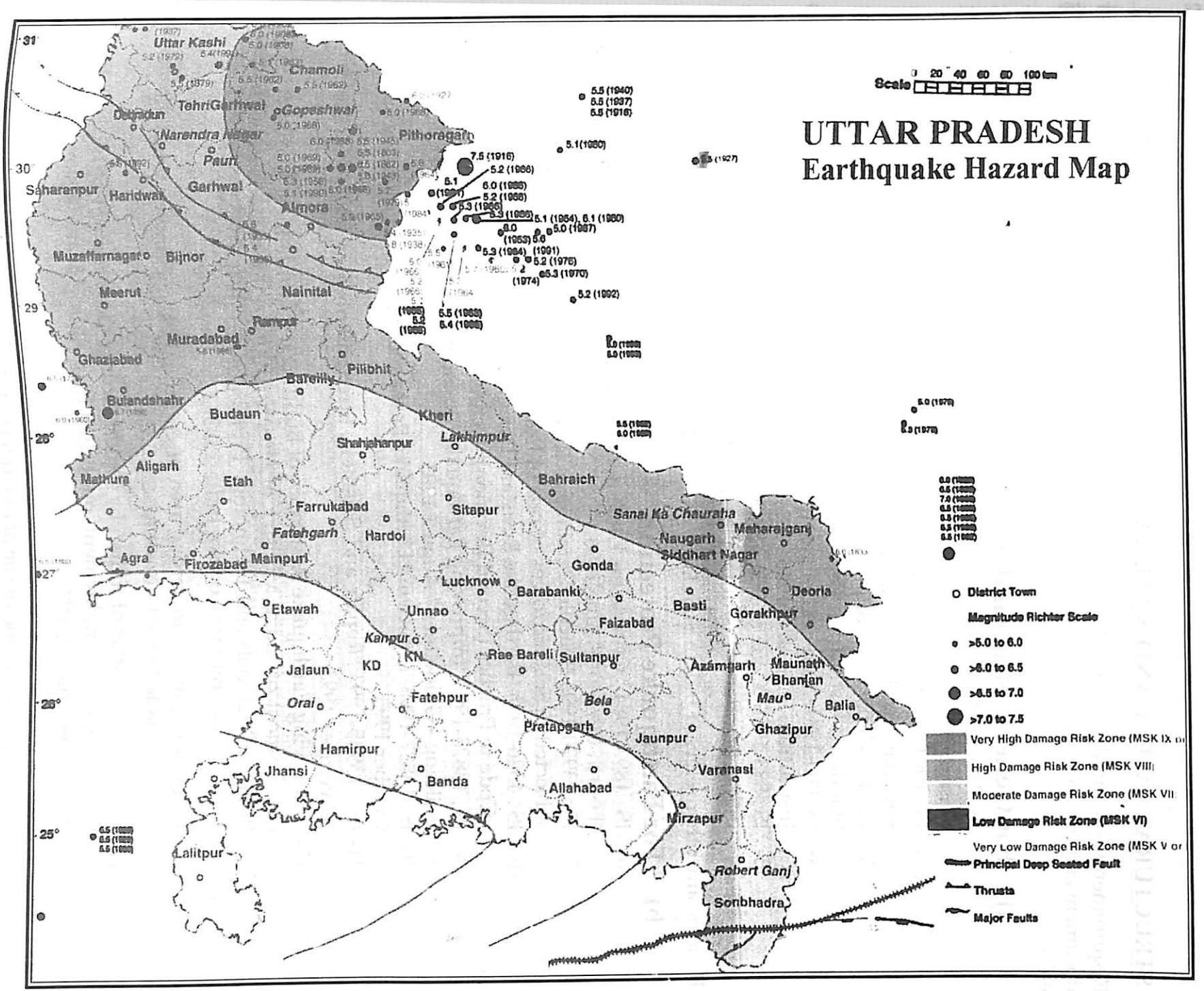
संख्या-570(3)/9-आ-1-2001-भूकम्प रोधी/2001तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. मुख्य नगर एंव ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
2. शासन में आवास विभाग के समस्त अनुभग अधिकारी।
3. अधिशाषी निदेशक, आवास बन्धु उ.प्र.।
4. अनुभाग अधिकारी, आवास अनुभाग-1 को गार्ड फाईल हेतु।

संलग्नक : परिशिष्ट (1-5)

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव


UTTAR PRADESH
Earthquake Hazard Map
Scale 0 20 40 60 80 100 km
Uttar Kashi
Chamoli
TehriGarhwal
Gopeshwar
Dehradun
Narendra Nagar
Pithoragarh
Pauri
Garhwal
Almora
Saharanpur
Haridwar
Muzaffarnagar
Bijnor
Meerut
Nainital
Rampur
Muradabad
Ghaziabad
Pilibhit
Bareilly
Bulandshahr
Budaun
Kheri
Lakhimpur
Shahjahanpur
Aligarh
Mathura
Etah
Farrukabad
Fatehgarh
Hardoi
Sitapur
Bahraich
Sanai Ka Chauraha
Naugarh
Maharajganj
Siddhart Nagar
Agra
Firozabad
Mainpuri
Gonda
Lucknow
Barabanki
Deoria
Basti
Gorakhpur
Etawah
Unnao
Faizabad
Kanpur
KN
KD
Rae Bareli
Sultanpur
Azamgarh
Maunath Bhanjan
Jalaun
Orai
Fatehpur
Bela
Mau
Balia
Pratapgarh
Jaunpur
Ghazipur
Hamirpur
Jhansi
Banda
Allahabad
Varanasi
Mirzapur
Lalitpur
Robert Ganj
Sonbhadra
District Town
Magnitude Richter Scale
>5.0 to 6.0
>6.0 to 6.5
>6.5 to 7.0
>7.0 to 7.5
Very High Damage Risk Zone (MSK IX or
High Damage Risk Zone (MSK VIII)
Moderate Damage Risk Zone (MSK VII)
Low Damage Risk Zone (MSK VI)
Very Low Damage Risk Zone (MSK V or
Principal Deep Seated Fault
Thrusts
Major Faults

STRUCTURAL SAFETY AND NATURAL HAZARD PROTECTION OF BULDINGS

Requirements specified in the following Indian Standards, Codes and guidelines and other documents neeeds to be observed for structural safety and natural hazard protection of building etc.:-

a) For General Structural Safety

1- IS : 1905 - 1987 "Code of Practice for Structural Safety of Buildings : Masonry Walls" Indian Standards Institution, March 1981
2- IS : 1904 - 1978 "Code of Practice for Structural Safety of Buildings : Foundations" Indian Standards Institution .....
3- IS : 456 -2000 "Code of Practice for Plain and Reinforced Concrete" Indian Standards Institution, September 2000
4- IS : 800-1984 "Code of Practice for general Construction in Steel" Indian Standards Institution, February, 1985
5- IS : 883-1966 "Code of Practice for Design of Structural Timber in Building", Indian Standards Institution, March, 1967

Besides, any other relevant Indian Standards will need to be referred to.

b) For Earthquake Protection

6- IS : 1893-1984 " Criteria for Earthquake Resistant Design of Structures (Fourth Revision)" June 1986
7- IS : 13920-1993 "Ductile Detailing of Reinforced Concrete Structures subjected to Seismic forces - Code of Practice" Novermer 1993
8- IS : 4326-1993 "Earthquake Resistant Design and Construction of Buildings - Code fo Practice (Second Revision)" October 1993
9- IS : 13828-1993 "Improving Earthquake Resistance of Low Strengh Masonary Building - Guidelines " August 1993
10- IS : 13827-1993 "Improving Earthquake Resistance of Earthen Building Guidelines" October 1993
11- IS : 13935-1993 "Repair and Seismeic, Strenghtening of Buildings Guidelines" November 1993
12- "Improving Earthquake Resistance of Buildings – Guidelines "by Expert Group, Government of India, Ministry of Urban Affairs & Employment published by Building Materials and Technology Promotion Council, 1998
13- The National Builing Code of India-1983

For location of the building in hazard prone area of earthquakes, cyclone or wind storms and floods, reference may be made to the following :

14- "Valnerability Atlas of India", by Expert Group, Government of India, Ministry of Urban Affairs & Employment, published by Building Materials and Technology Promotion Council, 1997

Note :

1- As and when anyone of the above referred standards and documents is revised, the design and consturction of buildings thereafter must satisfy the latest version for approval of the building plans by the concerned local authority.

BULIDING INFORMATION SCHEDULE

1.	**Building Address**	Plot No.	Scheme/Colony	Town	District
2.	**Building Function & Locations**				
2.1	Use	Institutional	Commercial	Industrial	
2.2	Importance	Ordinary	Important	Hazardous *	IS:1893
2.3	Seismic Zone (Design Intensity Used)	V(IX)	IV(VIII)	III(VII) II(VI)	IS:1893
3.	**Design EQ Factor**	(x()=.....	I=..... β=	αh = ...	IS:1893
4.	**Foundation**				
4.1	Soil type at site (Note 2)	Rock/Stiff Medium # Soft	Liquefiable	Expensiv (B.C.)	IS:1904
4.2	Type of Foundation	Strip Indiv. Col. Fortings/Raft	Bearing Piles	Friction Piles	IS:1893
5.	**Load Bearing Wall Bulidings**				
5.1	Building Category	A(αh<05) B(h = 05 to 06) C (h 06 to < to.08to<0.12) E(α h>0.12)			IS:4326
5.2	Bearing Walls	Brick Stone	Solid Block	Hollow Block	Adobe
5.3	Mortar (note 4)	C :S=1:.... C:L:S=1...	L:S=1:....	Clay Mud	*
5.4	Floors	R.C. slabs Stone slabs on joists		Prefab flooring elements	*
5.5	Roof structure	Flat like floors/pitched. Trussed/Raftered/A Frame/Slopping			R.C. Slab
5.6	Roof covering	CGI Sheeting	AC sheeting	Clay tiles/State	Wood shingle *
5.7	Opening in walls	Control used on sizes ? Yes/No/ NA	Control used on location ? Yes/No/ NA	Strengthening around ? Yes/No/ NA	IS :4326 IS : 13828
5.8	Bands Provided	Plinth Band Lintel Band	Roof/Eave Band	Gable Band	Ridge Band -do-
5.9	Vertical Bars	At corners of rooms	At jambs of openings		-do-
5.10	Stiffening of Prefab Floors/Roofs	R.C. screed & Band	Peripheral Band and Connectors	Diagonal Planks and around band	IS:4326
6.	**Steel/R.C. frame Buildings**				
6.1	Building Shape	Both axes neer symmetrical	One axis near symmetrical/Unsymmetrical (Torsion considerd)		
6.2	Infills/Partitions	Out of Plane stability Check? Yes/No	In Plane stiffness considered / Yes/No		IS:1893, IS:4326
6.3	Ductile Detailing of RC Frames	Beams ? Yes/No	Columns? Yes/No	Beam coloumn Joint? Yes/No	Sheer Walls? Yes/No IS:13920
6.4	Ductile Detailing of Steel Frames	Beams ? Yes/No	Columns? Yes/No	Beam coloumn Joint? Yes/No	SP0(6)

Votes :

1. Encircle the applicable Data point for insert information.
2. Stiff. N>30:Medium. N=10.3:Soft. N<10: Liquefiable Poorly graded Sands with N<15 under Water Table (see Note 5 of Table 1 in IS:1893) Where N= Standard Penetration (IS:2131-1981)
3. * Means any other, specify.
4. C= Cement, S= Sand, L=Lime

The above information is factually correct.

Signature of Owner with date

Name (Block) .....

Signature of the Engineer who had Supervised the construction

Name (Block) .....Address

Legible Seal:
(with address)

.....
.....

Signature of the Architect who had suppervised the construction

Name (Block) .....
COA Registration No. .....
Legible seal :
(with address)

CERTIFICATE

(The certificate to be submitted with the application for building permission along with the building drawings and Building Information Schedule).

1. Certified that the building plans submitted for approval also satisfy requirements as stipulated in the Indian Standard, Codes, guidelines and documents specified in the Annexure-2 of the Awas Anubagh G.O. No. ..... dated ..... regarding earthquake safety awareness and the ifnormation given in the attached Building Information Schedule, is factually correct to the best of my Knowledge and understanding.
2. It is also certified that the structural design including safety from natural hazards including Earth Quake has been prepared by duly qualified graduate Civil Engineer along with Post Graduate Diploma or Degree in Structural Engineering from a recognized University.
3. Location/ Address of Builiding

   Plot No. .....

   Scheme/Colony .....

   Town .....

4. **Particulars of Building**

   1. Ground Coverage (sq mt)
   2. Total covered area (sq mt)
   3. Maximum Numbers of Floors above ground.

Signature of Owner with date

Name (Block) .....
Address :

.....

.....

.....

Signature of the Structural Engineer who had prepared the design with date

Name (Block) .....
Legible Seal : (with address)

Signarue of Architect who had
Prepared the design with date

Name (Block).....
COA Registration No. .....
Legible Seal (with address)

CERTIFICATE

(To be submitted with the application for obtaining completion certificate).

1. Certified that the Building for which completion plan has been submitted for approval, conforms to the requirements of relevant Indian Standard Codes and National Building Code as referred in Annexure -2 of G.O. No. .....dated..... in respect of Structural Safety in general and National hazards including earunquake in particular.

2. It is also certified that the Building has been consturcted as per approved foundation and structural designs provieded by the Structural Engineer which are certified to be based on relevant Indian Standard Code and National Building Code as referred above and the building is safe for occupancy.

3. **Location/Address of Building**

   Plot No. .....

   Scheme/Colony .....

   Town .....

   District.....

4. **Particulars of Building**

   1. Ground Coverage (sq mt)
   2. Total covered area (sq mt)
   3. Maximum Numbers of Floors above ground.

Signature of the Engineer
who had Supervised the construction

Name (Block) .....
Address :

.....

.....

.....

Name (Block) .....
Legible Seal : (with address)

Signarue of Architect who had
Prepared the design with date

Name (Block).....
COA Registration No. .....
Legible Seal (with address)

संख्या-772/9-आ-1-भूकम्परोधी/2001 (आ.ब.)

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
2. **समस्त उपाध्यक्ष**
विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
3. **समस्त अध्यक्ष,**
विशेक्ष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
4. **समस्त नियन्त्रक प्राधिकारी,**
विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।
5. **प्रबन्ध निदेशक,**
उ.प्र. सहकारी आवास संघ।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनाँक : 13 फरवरी, 2001

विषय: नये भवन एवं महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण में भूकम्परोधी व्यवस्था करने के सम्बन्ध में अतिरिक्त शर्ते।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-570/9-आ-1-भूकम्परोधी/2001 (आ.ब.) दिनांक 03 फरवरी, 2001 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-1 में उल्लिखित भवन जिन पर यह व्यवस्थाएं लागू होंगी, के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी अवस्थापना सुविधाएं, चाहे उनकी ऊँचाई 12 मीटर से कम हो, पर भी यह व्यवस्थाएं लागू होंगी, यथा अस्पताल, छविगृह आडिटोरियम, सभा-भवन, शैक्षणिक संस्थाएं, बस-टर्मिनल यदि उनका भू-आच्छादन 500 वर्ग मीटर से अधिक हो।

2. भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु उक्त शासनादेश के प्रस्तर-3 में उल्लिखित, आवश्यक अभिलेखों के सम्बन्ध में निम्न लिखित सुनिश्चित किये जायेंगे :-

क-1 भवन निर्माण हेतु नियत प्राधिकारी को जो मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जायेंगे, उन सभी मानचित्रों पर भूस्वामी/बिल्डर, पंजीकृत आर्कीटेक्ट, के साथ-साथ स्ट्रक्चरल डिजाइन तैयार करने वाले स्ट्रक्चरल इंजीनियर तथा सर्विस डिजाइन तैयार करने वाले सर्विस डिजाइन इन्जीनियर, के पूरे नाम तथा मुहरयुक्त हस्ताक्षर से भूकम्प रोधी डिजाइन होने का प्रमाण पत्र परिशिष्ट-6 में उल्लिखित प्रारूप में अंकित किया जायेगा। इसके साथ ही उक्त शासनादेश दिनांक 03 फरवरी, 2001 के साथ संलग्न परिशिष्ट-3, बिल्डिंग इनफारमेशन शेड्यूल में उल्लिखित विवरण का सुसंगत अंश (इस ड्राइंग से सम्बन्धित) एक तालिका के रूप में मानचित्र पर अंकित किया जायेगा।

क-2 स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किए गए भवन मानचित्र के प्राविधानों में यदि नियत प्राधिकारी द्वारा मानचित्र परीक्षण कराने के उपरान्त कोई परिवर्तन/परिवर्धन कराया जाता है तो स्ट्रक्चरल तथा सर्विसेज डिजाइन में भी भूकम्परोधी प्राविधानों का तद्नुसार आवश्यक परिवर्तन स्ट्रक्चरल इन्जीनियर से पुनः कराकर मानचित्र पुनः स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाय जिसमें भी उपरोक्त क-1 अनुसार प्रमाण पत्र तथा बिल्डिंग इन्फारमेशन शिड्यूल का सुसंगत अंश अंकित होगा एवं अंतिम रूप से स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही भवन निर्माण कार्यो का सम्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त शासनादेश दिनांक 3 फरवरी, 2001 के प्रस्तर-5 में उल्लिखित स्वीकृति की शर्तो के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्ते भी रखी जायेगी :-

ख-1 भवन निर्माण के पर्यवेक्षण हेतु एक स्नातक सिविल अभियन्ता जिन्हें भवन निर्माण के कार्यो के पर्यवेक्षण में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त हों, आबद्ध किया जायेगा। पर्यवेक्षण में वह विशेष रूपसे यह सुनिश्चित करेगा कि भवन निर्माण

हेतु स्ट्रक्चरल इन्जीनियर द्वारा संरचनात्मक सुरक्षा एवं भूकम्परोधी समस्त व्यवस्थाएं करने के लिए जो डिजाइन अनुमोदित की गई है उसके अनुरूप ही भवन निर्माण किया जा रहा है।

ख-2 भवन निर्माण में जो मुख्य निर्माण समाग्रियों सीमेन्ट, स्टील, स्टोनग्रिट, ईंट कोर्स सैण्ड एवं मार्टर तथा कन्ट्रीट मिक्स इत्यादि जो उपयोग में लाई जायेगी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कार्य स्थल पर ही उनके परीक्षण करने की सुविधा उपलब्ध रहनी आवश्यक होगी। इसके साथ ही निमार्ण सामग्रियों की नियमित सैम्पलिंग करके उनकी गुणवत्ता का भौतिक व रसायनिक परीक्षण अधिकृत प्रयोगशाला/संस्थाओं से कराकर उनके परीक्षण परिणाम कार्यस्थल पर ही उपलब्ध रहे ताकि जब भी कोई विशेषज्ञ स्थल पर कार्यो का निरीक्षण करने के लिए जाये तो इन परीक्षण परिणामों को भी देख सके।

ख-3 निर्माण कार्य का आकस्मिक तकनीकी निरीक्षण एक स्वतंत्र एक्सपर्ट द्वारा भी कराया जायेगा। क्रेता/आवंटियों द्वारा नियुक्त एक्सपर्ट द्वारा भी समय-समय पर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

ग- यदि स्वीकृति की किसी भी शर्त का पालन नही किया जाता अथवा निरीक्षणकर्ता तकनीकी विशेषज्ञ की रिपोर्ट संतोषजनक नहीं होगी तो आगे का निर्माण कार्य रूकवाते हुए निर्माण कार्य को अनाधिकृत मानते हुए सील भी किया जा सकेगा। ऐसे में ने केवल पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जायेगा वरन् निर्माणकर्ता व उसके सहायक क्रिमिनल शिथिलता की परिधि में माने जायेंगे और तद्नुसार कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।

घ- कार्यस्थल पर प्रमुख स्थान पर 4 फुट X 3 फुट आकार का एक बोर्ड लगा होगा जिसपर भवन निर्माण कर्ता एवं स्वामियों का नाम, आर्कीटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, सर्विस डिजाइन इंजीनियर एंव सुपरविजन इंजीनियर का नाम इस प्रकार उल्लिखित होगा कि भवन से लगे मुख्य मार्ग से ही उसे स्पष्ट पढ़ा जा सके। निर्माण कार्य से संबंधित कार्यस्थल पर निम्न अभिलेख भी उपलब्ध रहेंगे :-

(1) नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र की हस्ताक्षर एंवं मुहरयुक्त प्रति।

(2) अनुमोदित प्रयोगशाला/संस्थान द्वारा दी की गयी मृदा परीक्षण की पूर्ण रिर्पोट एंव प्रस्तावित नीव के प्राविधान सम्बन्धी संस्तुतियाँ।

(3) अधिकृत स्ट्रक्चरल इन्जीनियर द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त नीव, सुपर स्ट्रक्चर की गणनायें एंव भवन को भूकम्परोधी बनाने हेतु संरचनात्मक सुरक्षा से संबंधित समस्त मानचित्र एंव स्ट्रक्चरल डिटेल।

(4) अधिकृत आर्कीटेक्ट द्वारा हस्ताक्षर एंव मुहर युक्त समस्त वर्किंग ड्राइंग जिनमें सेक्शन एंव एलिवेशन तथा सर्विसेज डिटेल इत्यादि शामिल रहेंगे।

(5) भवन निर्माण हेतु आवश्यक समस्त टी0 एण्ड पी0 का विवरण।

(6) साईट इन्जीनियर इन्सपेक्शन रिपोर्ट रजिस्टर।

(7) सामग्री परीक्षण रिपोर्ट एवं सम्बन्धित रजिस्टर।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या 772 (1)/9-आ-1-भूकम्परोधी/2001(आ.ब.) तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, उत्तरांचल को इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-570/9-आ-1-2001 भूकम्परोधी/2001(आ0ब0) आवास अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 03 फरवरी, 2001 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

संख्या 772 (2)/9-आ-1-भूकम्परोधी/2001(आ.ब.) तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या 570/9-आ-1-2001 भूकम्परोधी/2001(आ0ब0) आवास अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 03 फरवरी, 2001 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित:-

1. औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, उर्जा, उत्तर प्रदेश शासन।
4. सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. सचिव, नगरीय क्षेत्र, रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा।
7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा।

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

संख्या 772 (3)/9-आ-1-भूकम्परोधी/2001(आ.ब.) तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को शासनादेश संख्या 720/9-आ-1-2001 भूकम्परोधी/2001(आ0ब0) की प्रति के साथ उक्त के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, सिंचाई, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश शासन।
4. सचिव, राज्य सम्पत्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

संख्या 772 (4)/9-आ-1-भूकम्परोधी/2001(आ.ब.) तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या 570/9-आ-1-2001 भूकम्परोधी/2001(आ0ब0) के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अधिशाषी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

Annexure-6

(Certificate to be given in each building Plan to be submitted for sanction)

It is hereby certified that the structural and foundation design of the building for which map and plans are submitted for approval satisfy the safety requirements as stipulated in the relevant Indian Standard codes, National Building Code, guide lines and documents specified in Annexure-2 of Housing Department of Goverment of Uttar Pradesh vide G.O. No. 570/9-A-1-Bhookamp Rodhi/2001 (A.B.) Dated February 3, 2001.

Signature of owner With date	Signature of the Structural Engineer who had prepared the Design with date	Signature of the Service Engineer who had prepared service designs with date.
Name (Block) ..... Address	Name (Block)..... Legible Seal (with address)	Name (Block) ..... Legible Seal (with address)

Signature of the Architect who had prepared the plans & design with date.

Name (Block).....
COA Registration No.
Legible Seal (with address)

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   आवास एवं विकास परिषद,
   लखनऊ।

2. **समस्त उपाध्यक्ष**
   विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

3. **समस्त अध्यक्ष,**
   विशेक्ष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

4. **समस्त नियन्त्रक प्राधिकारी,**
   विनियमित क्षेत्र,
   उत्तर प्रदेश।

5. **प्रबन्ध निदेशक,**
   उ.प्र. आवास संघ।

लखनऊ : दिनाँक : 20 जुलाई, 2001

आवास अनुभाग-1

विषय: नये भवन निर्माण एवं महत्वपूर्ण अवस्थापनाओं सुविधाओं में भूकम्परोधी व्यवस्था करने हेतु 'स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स', 'साईट सिविल इंजीनियर्स' तथा 'विशेषज्ञ निरीक्षकीय सिविल इंजीनियर्स' की अहर्ता का निर्धारण।

महोदय,

प्रदेश के नगरीय क्षेत्र के समस्त भूतल सहित 3 मंजिला से अधिक भवनों एवं महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण में भूकम्परोधी व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु दो शासनादेश संख्या : 570/9-आ--1-2001 (आ.ब.) दिनांक : 03 फरवरी, 2001 तथा शासनादेश संख्या : 772/9-आ-1-भूकम्परोधी/2001 (आ.ब.), दिनांक : 13 फरवरी, 2001 पूर्व में निर्गत किये जा चुके है।

इन शासनादेशों में भवनों एवं महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं की स्ट्रक्चरल डिजाइन करने के लिए **'स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स'** को अधिकृत किया गया था, जिनकी तकनीकी अहर्ता सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट होने के साथ-साथ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट रखी गयी थी। इसी प्रकार से निर्माण कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु **'साईट सिविल इंजीनियर्स'** की तैनाती की शर्त रखी गयी थी, जिनकी अहर्ता 3 वर्ष के भवन निर्माण कार्य के अनुभव सहित सिविल इन्जीनियरिंग में स्नातक रखी गयी थी। इसके अतिरिक्त निर्माण के दौरान अनुभवी सिविल इंजीनियरिंग विशेषज्ञों द्वारा निर्माण कार्यों का स्वतंत्र रूप से आकस्मिक निरीक्षण करने का भी प्राविधान किया गया है। इन विशेषज्ञ सिविल इंजीनियरों की अहर्ता का निर्धारण उक्त दोनों शासनादेशों में नही किया गया था।

'स्ट्रक्चरल इंजीनियर' की इस प्रकार से निर्धारित की गयी तकनीकी अहर्ता में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट होने की शर्त शिथिल करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, निजी वास्तुविदों एवं प्रेक्टिसिंग सिविल इंजीनियरों से अनेकों प्रत्यावेदन प्राप्त हुये। इसी प्रकार से **'साईट सिविल इंजीनियर'** की तकनीकी अहर्ता के सम्बन्ध में भी सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक होने की शर्त, शिथिलीकरण करने के लिए कुछ प्रत्येवेदन प्राप्त हुये। इन प्रत्यावेदनों तथा निर्माण कार्यों के परिमाण एंव उनकी तकनीकी विशिष्टता

तथा भूकम्प की दृष्टि से उनकी संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुये, सम्यक रूप से विचारोपरांत, पूर्व में निर्गत उक्त संदर्भित दोनों शासनादेशों में वर्णित निर्माण कार्यों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करते हुये, प्रत्येक श्रेणी के निर्माण की स्ट्रक्चरल डिजाइन करने हेतु अधिकृत **'स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स'**, निर्माण कार्यों के स्थल पर्यवेक्षण हेतु **'साईट सिविल इंजीनियर'** तथा निर्माण के दौरान निर्माण कार्यों का आकस्मिक निरीक्षण करने हेतु **'विशेषज्ञ निरीक्षकीय सिविल इंजीनियर्स** की तैनाती हेतु उनकी अहर्ताओं का निर्धारण तीन अलग-अलग परिशिष्टयों मे किया गया है।

इन परिशिष्टयों में उल्लिखित पोस्ट ग्रेजुएट स्ट्रक्चरल इंजीनियर का आशय किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान/विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट डिग्री के साथ-साथ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री से है। ग्रेजुएट सिविल इंजीनियरिंग का आशय किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान/विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट डिग्री अथवा समकक्ष मान्यता प्राप्त तकनीकी योग्यता से है। डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग का आशय किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान/विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा से है।

अतः पूर्व निर्गत दोनों संदर्भित शासनादेशों में **'स्ट्रक्चरल इन्जीनियर'** तथा **'साईट सिविल इन्जीनियर'** की अर्हतओं में आंशिक संशोधन तथा **'विशेषज्ञ निरीक्षकीय सिविल इन्जीनियर'** की अर्हताओं का स्पष्ट निर्धारण करते हुये संलग्न तीन परिशिष्टयों (1,2, व 3) में निर्धारित अहर्ताओं के आधार पर **'स्ट्रक्चरल इंजीनियर'** को अधिकृत करने एवं **'साईट सिविल इंजीनियर'** तथा आकस्मिक निरीक्षण हेतु **'विशेषज्ञ निरीक्षकीय सिविल इंजीनियस** की तैनाती सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करायें।

संलग्नक : परिशिष्ट (1-3)।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

निर्माण कार्य एवं भुकम्प जोन के आधार पर 'स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स' की अहर्ता का निर्धारण

कार्य की श्रेणी	निर्माण कार्यों की श्रेणीवार सीमा जिसकी स्ट्रक्चरल डिजाइन करने के लिए कालम 4 व 5 में निर्दिष्ट इन्जीनियर अधिकृत होंगे	भूकम्पजोन जिसमें निर्माण स्थित होंगे	अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए बहुमंजिले भवनों एवं सम्बन्धित अवस्थापना सुविधाओं के डिजाइन एंव निर्माण के पर्यवेक्षण का न्यूनतम अनुभव (वर्षों में)		अन्य विवरण
			ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर के लिए	पोस्ट ग्रेजुएट स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
(अ)	अधिकतम 4 मंजिला अथवा 12 मी0 ऊँचाई अथवा 2500 वर्ग मी0 कवर्ड एरिया तक के बहुमंजिलें भवनों/महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं के लिए	(i) जोन 3 तक	3	1	–
		(ii) जोन 4 व 5	5	3	–
(ब)	अधिकतम 8 मंजिला अथवा 24 मीटर ऊँचाई अथवा 5000 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया तक के बहुमंजिलें भवनों/महत्वपूर्ण सुविधाओं के लिए	(i) जोन 3 तक	7	5	–
		(ii) जोन 4 व 5	9	7	–
(स)	8 मंजिला अथवा 24 मीटर से अधिक ऊँचाई अथवा 5000 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया से अधिक बहुमंजिलें भवनों एवं महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं के लिए।	जोन 1 से 5 तक	10	8	स्ट्रक्चरल डिजाइन को, को आई0 आई0 टी0, रूड़की विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य निर्दिष्ट तकनीकी संस्थान के स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर से प्रति हस्ताक्षरित कराना होगा।

निर्माण कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु 'स्थल सिविल इन्जीनियर्स (Site Civil Engineers) की आहर्ता

कार्य की श्रेणी	निर्माण कार्यों की श्रेणीवार सीमा जिसके प्रयवेक्षण हेतु कालम 4 व 5 में निर्दिष्ट साइट इंन्जीनियर अधिकृत होंगे	भूकम्पजोन जिसमें निर्माण स्थित होंगे	निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण करने हेतु अधिकृत साईट इंजीनियर का बहुमजिलें भवन एंव सम्बन्धित अवस्थापना सुविधाओं के पर्यवेक्षण का न्यूनतम अनुभव (वर्षों में)		अन्य विवरण
			डिप्लोमा सिविल इंजीनियर	ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
(अ)	अधिकतम 4 मंजिला अथवा 12 मी0 ऊँचाई अथवा 2500 वर्ग मी0 कवर्ड तक के बहुमंजिलें भवनों/एरिया, महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं के लिए	(i) जोन 3 तक	6	3	प्रत्येक 2500 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया के पर्यवेक्षण हेतु निर्दिष्ट आर्हता के एक साइट इंजीनियर की. तैनाती करनी होगी।
		(ii) जोन 4 व 5	10	5	
(ब)	अधिकतम 8 मंजिला अथवा 24 मीटर ऊँचाई अथवा 5000 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया तक के बहुमंजिलें भवनों/महत्वपूर्ण सुविधाओं के लिए	(i) जोन 3 तक	अधिकृत नहीं	6	
		(ii) जोन 4 व 5	तदैव	10	तदैव
(स)	8 मंजिला अथवा 24 मीटर से अधिक ऊँचाई अथवा 5000 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया से अधिक बहुमंजिले भवनों एवं महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं के लिए।	जोन 1 से 5 तक	तदैव	15	तदैव

'विशेषज्ञ निरीक्षकीय सिविल इंजीनियर्स' (Expert Inspecting Civil Engineers) का वर्गीकरण

कार्य की श्रेणी	निर्माण कार्यों की श्रेणीवार सीमा जिसके लिए कालम 4 व 5 में निर्दिष्ट विशेषज्ञ सिविल इन्जीनियर निर्माण कार्यों के निरीक्षण करने हेतु अधिकृत होंगे	भूकम्पजोन जिसमें निर्माण स्थित होंगे	ग्रेजुएट सिविल इन्जीनियर का बहुमंजिले भवनों एवं सम्बन्धित अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण कार्य के पर्यवेक्षण का न्यूनतम अनुभव (वर्षो में)	अन्य विवरण
1.	2.	3.	4.	5.
(अ)	अधिकतम 4 मंजिला अथवा 12 मी0 ऊँचाई अथवा 2500 वर्ग मी0 कवर्ड एरिया तक के बहुमंजिले भवनों/महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं के लिए	(i) जोन 3 तक	5	
		(ii) जोन 4 व 5	7	
(ब)	अधिकतम 8 मंजिला अथवा 24 मीटर ऊँचाई अथवा 5000 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया तक के बहुमंजिले भवनों/महत्वपूर्ण सुविधाओं के लिए	(i) जोन 3 तक	8	
		(ii) जोन 4 व 5	10	
(स)	8 मंजिला अथवा 24 मीटर से अधिक ऊँचाई अथवा 5000 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया से अधिक बहुमंजिले भवनों एवं महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं के लिए।	जोन 1 से 5 तक	15	इन निर्माण कार्यों के निरीक्षण हेतु दो सेवारत/सेवानिवृत विशेषज्ञों का संयुक्त पैनल तैनात किया जाएगा, जिसमें एक विशेषज्ञ कम से कम प्रदेश/केन्द्र सरकार के किसी अभियन्त्रण विभाग/उपक्रम के मुख्य अभियन्ता/समकक्ष स्तर का रहा हो, तथा दूसरा विशेषज्ञ यथासम्भव किसी निर्दिष्ट तकनीकी संस्थान के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर स्तर का होगा, जिनके उपलब्ध न होने पर दोनों विशेषज्ञ मुख्य अभियन्ता/समकक्ष स्तर के रहेंगे।

संख्या-1703 A /9-आ-1-29-विविध/98 (आ.ब.)

प्रेषक,

भोला नाथ तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त प्रमुख सचिव/सचिव**
   उत्तर प्रदेश शासन।

2. **समस्त मण्डलायुक्त,**
   उत्तर प्रदेश।

3. **समस्त जिलाधिकारी,**
   उत्तर प्रदेश।

4. **समस्त विभागाध्यक्ष,**
   उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनाँक : 12 अप्रैल, 2001

विषयः ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिचार्जिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धतियों को अपनाए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अगगत है कि जीवन एवं पर्यावरण के अस्तित्व के लिए जल एक अनिवार्य प्राकृतिक संसाधन है। परन्तु ग्राउण्ड वाटर स्रोत के अनियोजित ढंग से मनमानी मात्रा में अति दोहन के कारण ग्राउण्ड वाटर स्तर तेजी से नीचे गिर रहा है तथा शहरों की बढ़ती हुई आबादी को समुचित पेयजल की व्यवस्था प्रदान करना सम्भव नही हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में यदि पेय जल के उपयोग एंव ग्राउण्ड वाटर स्रोतों के संरक्षण, मित्व्ययता, जल प्रयोग तथा रिचार्जिंग में समुचित जल-प्रबन्धन द्वारा संतुलन स्थापित नही किया गया तो निकट भविष्य में पेयजल का भारी संकट उत्पन्न होने की आशंका है। इसलिए जल संसाधन की संरक्षा एंव सुरक्षा हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सरल, कुशल और कम लागत वाली पद्धतियों को अपनाए जाने की आवश्यकता है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं ग्राउण्ड वाटर के समुचित प्रबन्धन हेतु योजनाओं की सरंचना तथा विकास एवं निर्माण के समय शासन द्वारा विचारोपरान्त निम्न व्यवस्थाएं सुनिश्चित किए जाने का निर्णय लिया गया है:-

2.1 महायोजना/जोनल प्लान स्तर पर कार्यवाही :

नगरीय क्षेत्रो में प्राकृतिक जलाशयों, तालाबों झीलों को चिन्हित कर महायोजना/जोनल डेवलपमेंट प्लान में उनके अनिवार्य संरक्षण हेतु प्राविधान किए जाएं एवं इनके अन्तर्गत आने वाली भूमि को किसी अन्य उपयोग में प्रस्तावित न किया जाए। साथ ही जलाशयों, तालाबों को प्रभावी रूप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग के उपयोग में लाने हेतु चारों ओर के क्षेत्र का ड्रेनेज यथासम्भव इन्हीं जलाशयों में निस्तारित करने हेतु प्राविधान किए जाएं, परन्तु औद्योगिक क्षेत्रों का प्रवाह उचित उपचार के उपरान्त ही इनमें मिलाया जाए।

2.2 योजना/ले-आउट प्लान स्तर पर कार्यवाही

(i) 20 एकड़ एवं अधिक क्षेत्रफल की विभिन्न योजनाओं के ले-आउट प्लान्स में पार्क एंव खुले क्षेत्रों के अन्तर्गत कुल योजना क्षेत्र के लगभग 5 प्रतिशत भूमि पर तालाब/जलाशय (**Water Bodies**) बनाई जाएं जिनसे ग्राउण्ड वाटर चार्ज हो सके। ऐसे जलाशय/तालाब का न्यूनतम क्षेत्रफल एक एकड़ होगा और उसकी गहराई 6 मीटर होगी।

(ii) 20 एकड़ से कम क्षेत्रफल की योजनाओं में उपरोक्तानुसार तालाब/जलाशय बनाए जाएं अथवा पार्क/ग्रीन बेल्ट के अन्तर्गत निर्धारित मानक के अनुसार एक कोने में रिचार्ज-वैल/रिचार्ज टैक बनाए जाएं।

(iii) नई योजना बनाने से पूर्व क्षेत्र का ज्योलॉजिकल/हाइड्रोलॉजिकल/हाइड्रोज्योलॉजिकल सर्वेक्षण कराया जाए ताकि ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग हेतु स्थानीय आवश्यकतानुसार उपयुक्त पद्धति को अपनाया जा सके।

(iv) पार्कों में पक्का निर्माण (पक्के पेवमेंट सहित) 5 प्रतिशत से अधिक न किया जाए तथा फुटपाथ व ट्रैक्स यथासम्भव परमिएबल या सेमी-परमिएबल परफोरेटेड ब्लॉक्स के प्रयोग से ही बनाए जाएं।

2.3 भवन निर्माण स्तर पर कार्यवाही

(i) 1000 वर्ग मीटर एवं इससे अधिक क्षेत्रफल के समस्त उपयोगों के भूखण्डों तथा सभी ग्रुप हाउसिंग योजनाओं में छतों एवं खुले स्थानों से प्राप्त होने वाले बरसाती जल को परकोलेशन पिट्स (**Percolation Pits**) के माध्यम से ग्राउण्ड वाटर चार्जिंग के लिए अनिवार्य किया जाए। इस हेतु भवन उपविधियों में भी व्यवस्था की गई है तथा उसी के अनुसार भवन मानचित्र स्वीकृत किए जाएंगे।

(ii) भविष्य में निर्मित होने वाले समस्त शासकीय भवनों में छतों एवं खुले स्थानों से प्राप्त होने वाले बरसाती जल को ग्राउण्ड वाटर चार्जिंग के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा इसके लिए आवश्यक धनराशि भवन की लागत में ही प्राविधानित की जाए।

(iii) पूर्व में निर्मित शासकीय भवनों मे भी रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं रिचार्ज प्रणाली को अपनाया जाए तथा इसके लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था सभी विभागों द्वारा अपने-अपने कार्यक्रमों के अन्तर्गत सुनिश्चित की जाए।

2.4 अन्य कार्यवाही

(i) सड़कों, पार्कों तथा खुले स्थान में वृक्षारोपण हेतु ऐसे पेड़-पौधों की प्रजातियों का चयन किया जाए जिनको जल की न्यूनतम आवश्यकता हो तथा जो कम जल ग्रहण करके ग्रीष्म ऋतु में भी हरे-भरे रह सकें।

(ii) यदि सम्भव हो तो सड़कों के किनारे कच्चे रखे जाएं जिनमें ''ब्रिक-ऑन-एज''/''लूज-स्टोन पेवमेन्ट'' का प्राविधान किया जाए ताकि ग्राउण्ड वाटर की चार्जिंग सम्भव हो सके।

3. रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं रिचार्ज प्रणाली के सम्बन्ध में अन्य तकनीकी जानकारी क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूजल परिषद लखनऊ क्षेत्र, निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश तथा मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त, लखनऊ से प्राप्त की जा सकती है।

4. कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने हेतु अपने अधीनस्थ कार्यरत संस्थाओं को अपने स्तर से आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग की विभिन्न पद्धतियों के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु भी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
भोला नाथ तिवारी
मुख्य सचिव

संख्या 1703A(1)/9-आ-1-29-विविध/98 (आ.ब.) तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. निजी सचिव, मा0 आवास मंत्री/राज्य आवास मंत्री, उत्तर प्रदेश।
2. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
3. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ लि0।
5. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूजल परिषद, लखनऊ क्षेत्र।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम।
7. निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश।
8. सदस्य/सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश।
9. अध्यक्ष, यू.पी. रेडको।
10. अध्यक्ष, आर्कीटेक्स एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग–1

संख्या 4588/9–आ–1–2001–29 विविध/98(आ.ब.)
लखनऊ दिनांक: 6 अगस्त, 2001

कार्यालय ज्ञाप

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिचार्जिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धतियों को अपनाए जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव के स्तर से जारी शासनादेश संख्या 1703ए/9–आ–1–2001–29 विविध/98(आ.ब.) दिनांक 12 अप्रैल, 2001 द्वारा विभिन्न स्तरों पर यथा महायोजना निर्माण, ले–आउट प्लान तथा भवन मानचित्र अनुमोदन के समय रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सरल, कुशल एवं कम लागत वाली पद्धतियों को अपनाए जाने की अपेक्षा की गई है।

2. इस क्रम में आवास विभाग के अधीन कार्यरत विभागों/संस्थाओं द्वारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग की पद्धतियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने जाने एवं इस कार्य में समुचित मार्गदर्शन देने के लिए प्रमुख सचिव, आवास की अध्यक्षता में एक **'एक्शन ग्रुप'** का गठन किया जाता है जिसमें निम्न सदस्य होंगे :–

(1)	प्रमुख सचिव, आवास	
(2)	आवास आयुक्त, उ0प्र. आवास एवं विकास परिषद	*अध्यक्ष*
(3)	मुख्य नगर एंव ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश	*सदस्य*
(4)	विशेषज्ञ, सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड	*सदस्य*
(5)	अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु	*सदस्य*
(6)	मुख्य वास्तुविद् नियोजक, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद्	*सदस्य*
		सदस्य/सचिव

3. **उपरोक्त एक्शन ग्रुप द्वारा निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी :–**

(i) महायोजनाओं के क्षेत्रान्तर्गत विद्यमान प्राकृतिक जलाशयों, तालाबों तथा झीलों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रयोजनार्थ **Rejuvinate** करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना,

(ii) रेन वाटर हार्वेस्टिंग पाइलट प्रोजेक्ट्स के क्रियान्वयन से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कराना,

(iii) रेन वाटर हार्वेस्टिंग की **Approved Technologies** के प्रोत्साहन हेतु विशेषज्ञ संस्थाओं से इण्टरफेस/परामर्श करना,

(iv) विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद के कार्य–क्षेत्र में आने वाले नगरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्यक्रम के क्रियान्वयन का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना।

अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या–4588(1)/9–आ–1–2001–29 विविध/98(आ.ब.) तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समिति के समस्त सदस्य।
2. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु।

आज्ञा से,
टी0पी0 पाठक
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

आवास अनुभाग-1

संख्या-4783/9-आ-1-2001-29 विविध/98 (आ0ब0)

लखनऊ : दिनांक 15 सितम्बर, 2001

कार्यालय ज्ञाप

ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिचार्जिंग से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 1703 ए/9-आ-1-2001-29 विविध/98 (आ.ब.) दिनांक 12.04.2001 के क्रम में आवास विभाग के अधीन कार्यरत विभागों/अभिकरणों के माध्यम से प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सरल, कुशल एवं कम लागत वाली उपयुक्त पद्धतियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु निम्न सदस्यों का एक "स्टेण्डिग ग्रुप" गठित किया जाता है :-

1-3 सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा नामित तीन विशेषज्ञ :
श्री एम. मेहता, रीजनल डायरेक्टर,
श्री दलेल सिंह, सीनियर हाइड्रोलॉजिस्ट, तथा — सदस्य
श्री आर.बी.सिंह, सीनियर हाइड्रोलॉजिस्ट — सदस्य

4. मुख्य अभियन्ता, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद — सदस्य
5. सम्बन्धित विकास प्राधिकरण के वरिष्ठतम नगर नियोजक — सदस्य/सचिव
6. मुख्य वास्तुविद् नियोजक, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

उपरोक्त स्टैण्डिंग ग्रुप द्वारा निम्न कार्यो का निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा :-

(i) रिचार्ज स्ट्रक्चर्स की प्लानिंग, डिजाइनिंग एंव इम्पलीमेन्टेशन हेतु गाइडलाईन्स तैयार करना,

(ii) विकास प्राधिकरणों तथा आवस एवं विकास परिषद द्वारा संदर्भित मानचित्रों में प्रस्तावित रिचार्ज स्ट्रक्चर्स का परीक्षण एवं प्रमाणीकरण,

(iii) नगरीय क्षेत्रों में विद्यमान प्राकृतिक जलाशयों, तालाबों तथा झीलों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रयोजनार्थ पुनर्नवीकरण (**Rejuvenation**) हेतु उपाय सुझाना,

(iv) रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीकियों पर आर्कीटेक्ट्स, इंजीनियर्स तथा अन्य प्रोफेसनल्स के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में मार्गदर्शन प्रदान करना।

स्टैण्डिंग ग्रुप की प्रथम बैठक यथाशीघ्र आयोजित करने हेतु सदस्य सचित द्वारा अविलम्ब कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी ताकि रिचार्ज स्ट्रक्चर्स से सम्बन्धित मानचित्रों को लखनऊ में एकत्र करने, उनके परीक्षण एवं प्रमाणीकरण हेतु प्रक्रिया निर्धारित की जा सके।

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव

संख्या 4783/9-आ-1-2001-29 विविध/98(आ0ब0)तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समिति के समस्त सदस्य,
2. आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
3. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।.
4. डा. एस.के. शर्मा, सदस्य (एस.ए.एण्ड एम.) सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय, जामनगर हाउस, मानसिंह रोड, नई दिल्ली।
5. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु।

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग - 3
संख्या - 958/9-आ-3-2001
लखनऊ : दिनांक 12 मार्च, 2001

अधिसूचना

चूँकि नीचे अनुसूची में उल्लिखित नगरों की महायोजनाओं तथा परिक्षेत्रीय योजनाओं में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के प्रोत्साहन हेतु आवश्यक प्राविधान किए जाने के सम्बन्ध में आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त करने हेतु एक सूचना दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा, दैनिक आज, टाइम्स ऑफ इण्डिया, अमर उजाला, हिन्दुस्तान टाइम्स, नार्दन इण्डिया पत्रिका, स्वतन्त्र चेतना तथा पायनियर समाचार पत्रों में दिनांक 18.11.2000 को प्रकाशित की गई थी,।

और चूंकि उपर्युक्त सूचना में विनिर्दिष्ट समय के अन्दर राज्य सरकार को कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुए,

अतएव अब, उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन अधिनियम, 1974) उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974 द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित अधिनियम, उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) की धारा-13(2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल अनुसूची में दी गई महायोजनाओं के जोनिंग रेगुलेशन्स में निम्नलिखित संशोधन करते है:-

(i) महायोजना में प्राविधानित आवासीय, कार्यालय, संस्थागत तथा व्यवसायिक भू-उपयोगों के अन्तर्गत 5 के.वी.ए. क्षमता तक की सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयाँ अनुमन्य होंगी।

(ii) सॉफ्टवेयर टैक्नॉलाजी पार्क तथा सूचना प्रौद्योगिकी पार्कों में स्थापित सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयों को सामान्यतः अनुमन्य एफ.ए.आर. से 50 प्रतिशत अधिक एफ.ए.आर. अनुमन्य होगा जिसकी सीमा यथास्थिति आवासीय/कार्यालय (जिसका भी एफ.ए.आर. अधिक हो) हेतु अनुमन्य एफ.ए.आर. तक होगी। परन्तु अधिकतम भू-आच्छादन महायोजना/भवन उपविधि/शासनादेशों में निर्धारित मानकों के अनुसार अनुमन्य होगा।

नगरों की सूची (जहाँ महायोजनायें लागू है)

विकास क्षेत्र

1. कानपुर
2. लखनऊ
3. वाराणसी
4. आगरा
5. इलाहाबाद
6. मेरठ
7. बरेली
8. गाजियाबाद
9. गोरखपुर
10. अलीगढ़
11. मुरादाबाद
12. सहारनपुर
13. झांसी
14. मथुरा-वृन्दावन
15. फिरोजाबाद-शिकोहाबाद
16. फैजाबाद
17. बुलन्दशहर-खुर्जा
18. रायबरेली
19. उन्नाव-शुक्लागंज
20. बांदा
21. मुजफ्फरनगर
22 हापुड़-पिलखुआ

विनियमित क्षेत्र

1. फर्रूखाबाद-फतेहगढ़
2. इटावा
3. कन्नौज
4. जौनपुर
5. गाजीपुर
6. दयालबाग22.
7. मैनपुरी
8. एटा
9. हाथरस
10. कासगंज
11. फतेहपुर
12. शाहजहांपुर
13. बबराला
14. बदायूं
15. पीलीभीत
16. गढमुक्तेश्वर
17. मोदीनगर
18. रामपुर
19. उरई
20. चित्रकूट
21. हमीरपुर

महोबा

23. अमेठी
24. देवरिया
25. पडरौना
26. कुशीनगर-कसया
27. नौतनवां
28. आजमगढ़
29. बलिया
30. बहराइच
31. श्रावस्ती
32. ओबरा

आज्ञा से,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या - 958(1)/9-आ-3-2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि सूचना की अंग्रेजी प्रति सहित संयुक्त अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे दिनांक .....2001 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड ''ख'' में प्रकाशित कराएं तथा 50 मुद्रित प्रतियाँ इस अनुभाग को तथा नीचे अंकित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रतियाँ सीधे उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

संख्या - 958(1)/9-आ-3-2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1.	सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष	10-10 प्रतियाँ
2.	सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष	10-10 प्रतियाँ
3.	सम्बन्धित विनियमित क्षेत्रों के नियन्त्रक प्राधिकारी	10-10 प्रतियाँ
4.	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश	10 प्रतियाँ
5.	अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु	10 प्रतियाँ

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

UTTAR PRADESH SHASAN

HOUSING SECTION-3

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification No. 958/19-A-3-2001, Dated .....2001.

NOTIFICATION

No. 958/9-A-3-2001, Dated 2001

Whereas, a notice inviting objections and suggestions with respect to the amendment in the Master Plan and Zonal Development Plans of the cities given in the following schedule in order to make necessary provisions for promotion of Information and Technology, was published in the newspapers namely Dainik Jagran, Rashtriya Sahara, Dainik Aaj, Times of India, Amar Ujala, Hindustan Times, Northern India Patrika, Swatantra Chetna and Pioneer dated November 18-2000,

And, whereas, no objections and suggestions were received by the government within the time specified in the aforesaid notice.

Now, therefore, in exercise of the powers under sub-section(2) of section-13 of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 (President's Act No. 11 of 1973) as re-enacted by the Uttar Pradesh President's (Re-enactment with Modifications) Act (U.P. Act. No. 30 of 1974), the Governor is pleased to make the following amendments in the Master Plan Zoning Regulations of the cities given in the schedule below :-

(i) Information Technology units upto 5 KVA capacity shall be permissible in the Residential, Offices, Institutional and Commercial use zones of the master Plan.

(ii) Additional 50% FAR shall be permitted over and above the general FAR permissible for Information and Technology Units setup in the Software Technology Parks and Information Technology Parks subject to the condition that the total FAR shall not exceed the total FAR permissible for residential/office use (as the case may be). However, Maximum ground coverage shall be permissible as per norms privided in the Master Plan/Building Bye-Laws/Gos.

List of Towns (Where Master Plans are enforced)

Development Areas				Regulated Areas			
1-	Kanpur	12-	Saharanpur	1-	Farrukhabad-Fatehgarh	17-	Modinagar
2-	Lucknow	13-	Jhansi	2-	Etawah	18-	Rampur
3-	Varanasi	14-	Mathura-Vrindavan	3-	Kannauj	19-	Orai
4-	Agra	15-	Firozabad-Shikohabad	4-	Jaunpur	20-	Chitrakoot
5-	Allahabad	16-	Faizabad	5-	Ghazipur	21-	Hamirpur
6-	Meerut	17-	Bulandshahar-Khurja	6-	Dayalbagh	22-	Mahoba
7-	Bareilly	18-	Raibareli	7-	Mainpuri	23-	Amethi
8-	Ghaziabad	19-	Unnao-Shuklaganj	8-	Etah	24-	Deoria
9-	Gorakhpur	20-	Banda	9-	Hathras	25-	Padrauna
10-	Aligarh	21-	Muzaffarnagar	10-	Kasganj	26-	Kushinagar-Kasiya
11-	Moradabad	22-	Hapur-Pilkhuwa	11-	Fatehpur	27-	Nautanwa
				12-	Shahjahanpur	28-	Azamgarh
				13-	Babrala	29-	Ballia
				14-	Badaun	30-	Bahraich
				15-	Pilibhit	31-	Shravasti
				16-	Garh-Mukteshwar	32-	Obara

By Order,
ATUL KUMAR GUPTA
Secretary

संख्या-379/9-आ-3-72-वि0/94

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. नियन्त्रक प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-3

लखनऊः दिनाँक-25 जनवरी, 2002

विषय : नगरों की महायोजनाओं के अन्तर्गत संशोधित आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 2898/9-आ-3-72-वि0/94 दिनांक 30 जून, 2001 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को आवश्यक परिष्कारों सहित अंगीकृत कर शासन के अनुमोदनाथ प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई थी। कतिपय विकास प्राधिकरणों द्वारा शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि विद्यमान महायोजनाओं एवं आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में दी गई भू-उपयोग श्रेणियों मे कहीं-कहीं पर भिन्नता है तथा कुछ महत्वपूर्ण भू-उपयोग आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में शामिल होने से छूट गए है। अतः विकास प्राधिकरणों की गत समीक्षा बैठकों में हुई चर्चाओं में यह निर्णय लिया गया कि उक्त विसंगतियों/त्रुटियों के निराकरण के उपरान्त ही आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स के अंगीकरण की कार्यवाही की जाए।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स पर नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद से सुझाव आमन्त्रित किए गये थे। प्राप्त सुझावों के परीक्षणोपरान्त महत्वपूर्ण एवं सार्थक सुझावों का समावेश संशोधित जोनिंग रेगुलेशन्स में किया गया जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

(i) विकास क्षेत्र/विनियमित क्षेत्र में आने वाली ग्रामीण आबादी तथा हरित पट्टी के प्रयोजनार्थ संशोधित जोनिंग रेगुलेशन्स में "ग्रामीण आबादी" व "हरित पट्टी" भू-उपयोग जोन्स शामिल कर उनके अन्तर्गत विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता हेतु प्राविधान किए गऐ है,

(ii) "शुद्ध आवासीय" व "मिश्रित आवासीय" भू-उपयोग को और अधिक स्पष्ट किया गया है तथा विकास प्राधिकरण स्तर पर महायोजना/जोनल प्लान/सेक्टर प्लान/ले-आउट प्लान में इन भू-उपयोगों के चिन्हीकरण हेतु व्यवस्था की गई है,

(iii) कतिपय क्रियाएं/उपयोग यथा बाग, वृद्धावस्था देखभाल केन्द्र, एयरपोर्ट, बहुद्देशीय खुले स्थल, विश्वविद्यालय रेसकोर्स, तथा साप्ताहिक बाजार, आदि जो संशोधित जानिंग रेगुलेशन्स में शामिल होने से छूट गए थे, को सम्बन्धित उपयोग श्रेणियों में शामिल किया गया है,

(iv) सार्वजनिक उपयोग/क्रियाएं यथा जलापूर्ति, विद्युत सब-स्टेशन, कम्पोष्ट प्लान्ट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट, आदि जो पूर्व में "सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएं" उपयोग में शामिल थे, को अलग श्रेणी-"सार्वजनिक उपयोगिताएं" के अन्तर्गत रखा गया है,

(v) नगर विशेष की स्थानीय परिस्थितियों के दृष्टिगत सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशिष्ट क्षेत्र/हेरिटैज जोन यथा ऐतिहासिक, पुरातात्विक, वास्तुकलात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्मारक/इमारतें, धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से संरक्षित किए जाने वाले क्षेत्र (यथा कुम्भ मेला स्थल, आदि), रिवर फ्रन्ट डेवलपमेन्ट तथा पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र, इत्यादि चिन्हित किए जाने का प्राविधान किया गया है। यदि ऐसे क्षेत्र विद्यमान महायोजनाओं में पहले से ही चिन्हित हों तो उन्हें आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में यथावत् समायोजित किया जा सकता है,

(vi) भूगर्भ-जल संरक्षण तथा रिचार्चिंग हेतु महायोजनाओं/जोनल डेवलपमेन्ट प्लान्स में एक एकड़ अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के प्राकृतिक जलाशयों, तालाबों, झीलों, आदि के संरक्षण हेतु प्राविधान किए गए हैं,

(vii) "प्रभाव शुल्क" (**Impact Fee**) हेतु सुस्पष्ट प्राविधान कर संशोधित जोनिंग रेगुलेशन्स में अध्याय-6 जोड़ा गया है जिसमें विभिन्न भू-उपयोगों का परस्पर कोटिक्रम (निम्न से उच्च) तथा प्रभाव शुल्क के ऑगणन हेतु फार्मूला एवं उदाहरण भी दिये गये है, "निर्मित क्षेत्र" तथा "विकसित/विकासशील" क्षेत्र की परिभाषा शामिल की गई है।

(viii) "निर्मित क्षेत्र" तथा "विकसित/विकासशील" क्षेत्र की परिभाषा शामिल की गई है।

(ix) प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता ज्ञात करने हेतु अनुलग्नक-4 जोड़ा गया है जिसमें ग्राफिक प्रस्तुतिकरण (**Matrix**) के उपयोग की विधि उदाहरणों सहित दी गई है।

3. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि अधिकांश महायोजनाओं की अवधि चूँकि वर्ष 2001 में पूर्ण हो रही है, अत: आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स भावी परिदृष्य (**Futuristic Vision**) को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किए गये है, ताकि नई महायोजनाओं/पुनरीक्षित महायोजनाओं में इनका समावेश किया जा सके। यद्धपि आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में दी गई प्रमुख भू-उपयोग जोन्स की श्रेणियां प्रदेश के विभिन्न नगरों की महायोजनाओं तथा भारत सरकार द्वारा जारी 'अर्बन डेवलपमेन्ट प्लान फामूलेशन एण्ड इम्पलीमेन्टेशन गाइडलाईन्स (**Urban Development Plan Formulation & Implementation Guidelines**) को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई है तथापि यह सम्भावना है कि कुछ नगरों के क्रियात्मक स्परूप (**Functional Character**) के कारण कतिपय महायोजनाओं की जोनिंग तथा संशोधित जोनिंग रेगुलेशन्स में समरूप भू-उपयोग जोन को महायोजना में प्रयुक्त की गई शब्दावली से प्रतिस्थापित कर लिया जाए। उदाहरणार्थ, लखनऊ महायोजना में पार्क एवं क्रीड़ा-स्थल "मनोरंजन" भू-उपयोग के अन्तर्गत रखे गये है जबकि संशोधित जोनिंग रेगुलेशन्स में "पार्क, खुले स्थल एवं क्रीड़ा-स्थल" का प्रयोग किया गया है। अत: प्राधिकरण द्वारा अंगीकरण के समय पार्क, खुले स्थल एवं क्रीड़ा स्थल को मनोरंजन" भू-उपयोग से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कतिपय नगरों की महायोजनाओं में ऐसी भू-उपयोग श्रेणी भी हो सकती है जो आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में न हो यथा मुरादाबाद महायोजना में "आवासीय-कम-औद्योगिक" भू-उपयोग। उक्त भू-उपयोग को आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स मे यथावत समायोजित किया जा सकता है। इसी प्रकार जिन नगरों की महायोजनाओं में कुछ भू-उपयोगों की भिन्न अथवा अतिरिक्त श्रेणियां है, को आवश्यक परिष्कारों सहित अंगीकृत किया जा सकता है।

4. अतएव संशोधित आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स की एक प्रति इस आशय से संलग्न है कि उपर्युक्त सुझावों के अनुसार इसे आवश्यक परिष्कारों सहित प्राधिकरण बोर्ड से कष्ट करें यदि बोर्ड बैठक के आयोजन में विलम्ब हो तो इसे परिचालन द्वारा अंगीकृत किए जाने हेतु तत्काल कार्यवाही की जाए। जिन विकास प्राधिकरणों ने आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत कर लिया है, द्वारा भी संशोधित प्रारूप को पुन: अंगीकृत करने की कार्यवाही की जाए।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता

प्रमुख सचिव

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

संख्या 379 (1)/9-आ-3-72-वि0/94 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी आवास संघ लि., लखनऊ।
5. अपर निदेशक, उत्तर प्रदेश, आवास बन्धु।

आज्ञा से

यज्ञवीर सिंह चौहान

विशेष सचिव

(आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स जनवरी, 2002 अनुलग्नक 'क' पर संलग्न हैं)

संख्या-1716(53)एल.यू.सी./97-आ-3-99

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नियत प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र
उत्तर प्रदेश

आवास अनुभाग - 3

लखनऊ: दिनाँक-15 जुलाई, 1999

विषय : महायोजना में निम्न भू-उपयोग से उच्च भू-उपयोग में परिवर्तन के लिए शुल्क का निर्धारण।

महोदय,

नगरों की महायोजना में निम्न भू-उपयोग से उच्च भू-उपयोग में परिवर्तन के फलस्वरूप भूमि पर दबाब बढ़ता है। जिसके कारण भूमि का मूल्य बढ़ता है और जनसुविधायें प्रभावित होती है। अत: भू-स्वामी के अनुरोध पर भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क लिये जाने की व्यवस्था समस्त विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषद एवं समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के लिए शासनादेश संख्या-2245/9-आ-3-99-26 एलयूसी/91, दिनांक 28.8.98 द्वारा की गयी है। उक्त शुल्क का उपयोग नगर के सुनियोजित विकास में किया जाता है। भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क निर्धारण हेतु अब तक उक्त संस्थाओं हेतु पूर्व में निम्न शासनादेश जारी किये गये थे :

1- शासनादेश संख्या - 1026/9-आ-3-1996, दि0 11-3-1996

2- शासनादेश संख्या - 1060/9-आ-3-1996,12 विविध/96, दि0 27-3-96

3- शासनादेश संख्या - 4900/9-आ-3-1996-60 एलयूसी/96,, दि0 26-12-96

4- शासनादेश संख्या - 1024/9-आ-3-1997, दि0 19-3-1997

5- शासनादेश संख्या - 3634/9-आ-3-97-12, विविध/97, दि0 02-4-98

उपरोक्त शासनादेशों में ग्रीन बैल्ट/कृषि भू-उपयोग से आवासीय में 50 प्रतिशत, आवासीय से कार्यालय में 50 प्रतिशत तथा आवासीय से व्यवसायिक में 100 प्रतिशत भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क भू-स्वामी से लिये जाने का प्राविधान रखा गया है। यह शुल्क विकास प्राधिकरण व उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा निर्धारित आवासीय दर व जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट में से जो अधिकतम हो के आधार पर लिया गया है।

शासन द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि महायोजना में समान रूप से निम्न भू-उपयोग से उच्च भू-उपयोग परिवर्तन के लिए शुल्क की दरें समस्त विनियमित क्षेत्रों के लिए भी निर्धारित की जाये तथा इस धनराशि का उपयोग इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए किया जाये। अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भू-उपयोग परिवर्तन **के लिए विनियमित क्षेत्रों में शुल्क की दरें निम्न प्रकार से पक्ष से वसूल किया जाये, जो जिलाधिकारी द्वारा ऐसे क्षेत्रों के लिए निर्धारित सर्किल रेट पर आधारित होगी।**

महायोजना में उपयोग (वर्तमान)	प्रस्तावित	कृषि	सामुदायिक सुविधाएं	आवासीय	कार्यालय	औद्योगिक	व्यवसायिक
1. कृषि/मनोरंजन उपयोग सहित	–	–	10/20/25% (एफ.ए.आर. पर आधारित)	50%	100%	40%	150%
2. सामुदायिक सुविधाएं (बस/ट्रक अड्डा भी सम्मिलित होंगे)	–	–	–	40%	75%	25%	125%
3. आवासीय	–	–	–	–	50%	–	100%
4. कार्यालय	–	–	–	–	–	–	50%
5. औद्योगिक	–	–	–	25%	75%	–	100%
6. व्यवसायिक	–	–	–	–	–	–	–

सामुदायिक सुविधाएं (बस/ट्रक अड्डा भी सम्मिलित) भू-उपयोग में एफ.ए.आर. एवं भू-आच्छादन अपेक्षाकृत कम अनुमन्य है। अतः कृषि (मनोरंजन भू-उपयोग सहित) से सामुदायिक सुविधाएं भू-उपयोग में परिवर्तन के लिए शुल्क की दरें एफ.ए.आर. पर भी आधारित होनी चाहिये। अतः कृषि (मनोरंजन भू-उपयोग सहित) से सामुदायिक सुविधाएं भू-उपयोग में परिवर्तन के फलस्वरूप यदि भू-स्वामी एफ.ए.आर. 15 तक चाहता है तो उसे 10 प्रतिशत शुल्क देय होगा तथा यदि एफ. ए.आर. 16 से 30 चाहता है तो उसे 20 प्रतिशत शुल्क देय होगा और यदि एफ. ए. आर. 30 से अधिक किन्तु महायोजना में निर्धारित एफ.ए.आर. से कम एफ.ए.आर चाहता है तो उसे परिवर्तन शुल्क 25 प्रतिशत ही देय होगा।

भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क किस प्रक्रम पर जमा किया जाये इस बारे में यह स्पष्ट किया जाता है कि भू-उपयोग परिवर्तन हेतु उत्तर प्रदेश आर0बी0ओ0 डायरेक्शन्स 1960 की धारा-10 बी की उपधारा (7) के अन्तर्गत अन्तिम अधिसूचना जारी करने के पूर्व भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क संबंधित भूस्वामी से वसूल कर उत्तर प्रदेश आर0बी0ओ0 एक्ट 1958 की धारा 16-ए में विहित व्यवस्थानुसार जमा कराया जायेगा और विनियमिति क्षेत्र द्वारा जब शासन को उक्त आशय की सूचना उपलब्ध करा दी जायेगी उसके पश्चात् ही भू-उपयोग परिवर्तन की गजट अधिसूचना जारी की जायेगी।

कृपया उपरोक्त आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय
अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या - 1716(1)/9-आ-3-99 तद्दिनांक।

उपरोक्त की प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. नियंत्रक प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उ0प्र0।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, 7-बन्दरियाबाग, लखनऊ।
4. अपर निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ।
5. आवास विभाग के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से
जावेद एहतेशाम
उप सचिव

संख्या-3864/9-आ-3-2001-2एलयूसी/99

प्रेषक,

यज्ञवीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **अध्यक्ष/उपाध्यक्ष**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उ0प्र0।
2. **आवास आयुक्त,**
   आवास एवं विकास परिषद,
   104 महात्मा गांधी मार्ग,
   लखनऊ।
3. **अध्यक्ष/सचिव,**
   समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश

आवास अनुभाग - 3

विषय : महायोजना में निम्न भू-उपयोग से उच्च भू-उपयोग में परिवर्तन के लिए शुल्क का निर्धारण।

लखनऊ: दिनाँक-16 अप्रैल, 2001

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या-2245/9-आ-3-98-26एलयूसी/91, दिनांक 28 अगस्त, 98 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश में विकास प्राधिकरणों, आवास एवं विकास परिषद की आवासीय कालोनियों/निनियमित क्षेत्रों में निम्न भू-उपयोग से उच्च भू-उपयोग में परिवर्तन के लिए शुल्क के निर्धारण की व्यवस्था की गई है, किन्तु उक्त शासनादेश दिनांक 28 अगस्त, 1998 में कृषि/मनोरंजन इत्यादि से आश्रम मठ एवं धार्मिक स्थल में भू-उपयोग परिवर्तन करने हेतु देय भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क की स्थिति स्पष्ट नहीं है। अत: उक्त शासनादेश दिनांक 28 अगस्त, 1998 में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त शासनादेश के पृष्ठ - 2 में भू-उपयोग परिवर्तन के लिए शुल्क की निर्धारित दरों में क्रमांक-1 पर उल्लिखित कृषि/मनोरंजन से आश्रम, मठ एवं धार्मिक स्थल में भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की प्रक्रिया में भी परिवर्तन शुल्क उसी दर से वसूल किया जायेगा जैसा कि कृषि/मनोरंजन से सामुदायिक सुविधाओं में भू-उपयोग परिवर्तन करने पर वसूल किया जाता है।

भवदीय
यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. **मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।**
2. **आवास विभाग के समस्त अनुभाग।**
3. **गार्ड फाइल।**
4. **आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।**

आज्ञा से
जावेद एहतेशाम
उप सचिव

संख्या-3712/9-आ-3-2000-26 एल.यू.सी./91

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. आवास आयुक्त,
उ.प्र.आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश।

3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनाँक-21 अगस्त, 2001

आवास अनुभाग-3

विषय : महायोजना में निम्न भू-उपयोग से उच्च भू-उपयोग में पविर्तन के लिए शुल्क का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 2245/9-आ-3-1998-26 एल.यू.सी./91 दिनांक 28 अगस्त, 1998 तथा उसके अनुक्रम में शासनादेश संख्या 895 (1)/9-आ-3-99-26 एल.यू.सी./91 टी.सी. दिनांक 31.7.1999 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिनके अनुसार भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद की आवसीय दर व जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट में से जो अधिकतम हो, के आधार पर लिये जाने की व्यवस्था की गई है। शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि परिवर्तन शुल्क की वर्तमान दरें लघु स्तर के भू-उपयोग परिवर्तनों के लिए उपयुक्त है, परन्तु बल्क भूमि के लिए युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि भूखण्ड के आकार के बढ़ने के साथ-साथ शुद्ध उपयोगी क्षेत्रफल कम होता जाता है जबकि सुविधाओं एवं सेवाओं यथा सड़क, पार्क/ग्रीन बेल्ट आदि में क्षेत्रफल बढ़ता जाता है। इस प्रकार वर्तमान नीति के अनुसार बल्क भूमि हेतु सम्पूर्ण क्षेत्रफल पर परिवर्तन शुल्क लिए जाने की दशा में विक्रय-योग्य भूमि की लागत अत्यधिक बढ़ जाती है। जिसके फलस्वरूप निजी/सहकारी क्षेत्र में आवासीय योजनाओं/नए टाउनशिप का विकास वायबल (**Viable**) होना सम्भव नहीं है। इसी प्रकार कृषि भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन करते समय आवासीय दर पर परिवर्तन शुल्क लिया जाना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता क्योंकि स्थिति के अनुसार भू-उपयोग परिवर्तन के उपरान्त भी विकास शुल्क की देयता होती है।

2 उपरोक्त के दृष्टिगत शासन द्वारा विचारोपरान्त यह औचित्यपूर्ण पया गया कि भू-उपयोग परितर्वन शुल्क विद्यमान भू-उपयोग के सर्किल रेट पर आधारित होना चाहिए और बल्क भूमि हेतु भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में कुछ छूट अनुमन्य होनी चाहिए जैसाकि नजूल भूमि के निस्तारण हेतु शासनादेश संख्या 2269/9-आ-4-98-704 एन/97 दिनांक 01.12.1998 में व्यवस्था की गई है। अतः भू-उपयोग से सम्बन्धित ऊपरीलिखित शासनादेशों दिनांक 28-8-1998 तथा दिनांक 31-7-1997 को अतिक्रमित करते हुये मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि महायोजना में निम्न भू-उपयोग से उच्च भू-उपयोग में परिवर्तन के लिए शुल्क भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्रफल पर देय नहीं होगी, अपितु तालिका-1 के अनुसार लिया जाएगा :-

तालिका–1

क्र. सं.	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्रतिशत भूमि जिस पर परिवर्तन शुल्क देय होगा
1.	0.5 तक	100
2.	0.5 से अधिक व 0.75 तक परन्तु 0.5 एकड़ के शुल्क से कम नहीं	95
3.	0.75 से अधिक व 1.00 तक परन्तु 0.75 एकड़ के शुल्क से कम नहीं	90
4.	1.0 से अधिक व 1.50 तक परन्तु 1.00 एकड़ के शुल्क से कम नहीं	85
5.	1.50 से अधिक व 2.00 तक परन्तु 1.50 एकड़ के शुल्क से कम नहीं	80
6.	2.00 से अधिक 5.00 तक परन्तु 2.00 एकड़ के शुल्क से कम नही	75
7.	5.00 से अधिक	70

2. विभिन्न भू-उपयोगों की सघनता (**Intensity**) एवं उसके फलस्वरूप भूमि के मूल्य के मूल्य तथा जन-सुविधाओं पर पड़ने वाले प्रभात के दृष्टिगत महायोजना में किसी एक भू-उपयोग से दूसरे भू-उपयोग में परिवर्तन के लिए शुल्क तालिका-2 में निर्धारित दरों के अनुसार लिया जाएगा :-

तालिका–2

महायोजना में उपयोग (वर्तमान)	प्रस्तावित	कृषि	सामुदायिक सुविधाएं	आवासीय	कार्यालय	औद्योगिक	व्यवसायिक
1. कृषि/मनोरंजन उपयोग सहित	–	–	10/20/25% (एफ.ए.आर. पर आधारित)	50%	100%	40%	150%
2. सामुदायिक सुविधाएं (बस/ट्रक अड्डा भी सम्मिलित होंगे)	–	–	–	40%	75%	25%	125%
3. आवासीय	–	–	–	–	50%		100%
4. कार्यालय	–	–	–	–	–	–	50%
5. औद्योगिक	–	–	–	25%	75%	–	100%
6. व्यवसायिक	–	–	–	–	–	–	–

सामुदायिक सुविधाएं (बस/ट्रक अड्डा भी सम्मिलित) भू-उपयोग में एफ.ए.आर. एवं भू-आच्छादन अपेक्षाकृत कम अनुमन्य है, अतः कृषि (मनोरंजन भू-उपयोग सहित) से सामुदायिक सुविधाएं भू-उपयोग में परिवर्तन के लिए शुल्क की दरें एफ.ए.आर. पर ही आधारित होंगी। इस प्रकार कृषि (मनोरंजन भू-उपयोग सहित) से सामुदायिक सुविधाएं भू-उपयोग में परिवर्तन के फलस्वरूप यदि भू-स्वामी एफ.ए.आर. 15 तक चाहता है तो उसे 10 प्रतिशत शुल्क देय होगा तथा यदि एफ.ए.आर. 16 से 30 चाहता है तो उसे 20 प्रतिशत शुल्क देय होगा और यदि एफ.ए.आर. 30 से अधिक किन्तु महायोजना में निर्धारित एफ.ए.आर. से कम एफ.ए.आर. चाहता है तो उसे परिवर्तन शुल्क 25 प्रतिशत ही देय होगा।

परिवर्तन शुल्क भूमि के विद्यमान भू-उपयोग के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार लिया जाएगा। किसी क्षेत्र में एक से अधिक सर्किल रेट निर्धारित होने की स्थिति में विद्यमान भू-उपयोग से सम्बन्धित सर्किल रेट के आधार पर ही भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क की देयता का आंकलन किया जाएगा। उदाहरणार्थ- एक ही क्षेत्र में कृषि भूमि का सर्किल रेट और आवासीय सर्किल रेट अलग-अलग निर्धारित होने की स्थिति में कृषि सर्किल रेट लागू होगा, यदि सम्बन्धित प्रकरण

में भूमि का विद्यमान भू-उपयोग कृषि है। विद्यमान भू-उपयोग आवासीय होने पर आवासीय सर्किल रेट लागू होगा। यदि किसी क्षेत्र में एक ही सर्किल रेट है तो वही लागू होगा।

4. भू-उपयोग परिवर्तन हेतु उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-13(2) के अन्तर्गत अन्तिम अधिसूचना जारी करने के पूर्व भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क सम्बन्धित भू-स्वामी से प्राधिकरण में जमा कराया जाएगा और प्राधिकरण द्वारा जब शासन को उक्त आशय की सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी उसके पश्चात् ही भू-उपयोग परिवर्तन की गजट अधिसूचना जारी की जाएगी।

5. भू-उपयोग परिवर्तन स्वीकृत होने की दशा में सम्बन्धित भूखण्ड पर प्रस्तावित निर्माण हेतु सेट-बैक, भू-आच्छादन एवं एफ.ए.आर., पार्किंग तथा भवन निर्माण सम्बन्धी अन्य अपेक्षाएं भवन उपविधि के अनुसार लागू होंगे।

6. कृपया उपरोक्त आदेशों का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या 3712 (1)/9-आ-3-2000-26 एल.यू.सी./91 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा. आवास मंत्री/राज्य आवास मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, आवास एवं नगर विकास विभाग के अवलोकनार्थ।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
4. अपर निदेशक, नियोजन , आवास बन्धु।
5. आवास विभाग के समस्त अनुभाग अधिकारी।

आज्ञा से

यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव

संख्या-1493/9-आ-3-2001-69 एलयूसी/ 2000

प्रेषक,

जावेद एहतेशाम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण,
मथुरा।

आवास अनुभाग - 3

लखनऊः दिनाँक- 12 अप्रैल, 2001

विषय : वात्सल्य ग्राम मथुरा-वृन्दावन मार्ग, वृन्दावन-मथुरा का भू-उपयोग परिवर्तन निः शुल्क किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2511/नियो0/म0वृ0वि0प्रा0-2000-2001, दिनांक 23 फरवरी, 2001 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि परम शक्ति पीठ वात्सल्य ग्राम मथुरा एक दात्व्य संस्था है जिसका उद्देश्य निराश्रित परित्यक्ता, अनाथ, आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़ी , वनवासी, गिरिवासी, व आदिवासी महिलाओं तथा बालिकाओं को स्वाबलम्बी बनाने व राष्ट्र निर्माण में उनकी प्रतिभा के योगदान हेतु सक्षम बनाना है अतः शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रश्नगत भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन केवल उक्त प्रयोजन हेतु निःशुल्क किये जाने का निर्णय लिया गया है। भवन मानचित्र स्वीकृति के समय यह शर्त स्पष्ट रूप से उल्लिखित कर दी जाये। यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग होने की स्थिति में भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क देय हो जायेगा। इसे अन्य मामलों में दृष्टांत नहीं माना जायेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय
जावेद एहतेशाम
उप सचिव

संख्या-981/9-आ-3-2001-2 अ0नि0/89

प्रेषक,

यज्ञवीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

लखनऊः दिनाँक- 23 मार्च, 2001

आवास अनुभाग - 3

विषय : क्रय योग्य एफ0ए0आर0 हेतु शुल्क की गणना करने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या-949/मा0अनु0/2001-दिनांक 3-2-2001 एवं तत्संबंधी अनुस्मारक दिनांक 13-3-2001 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पत्र में की गयी जिज्ञासाओं के सम्बंध में स्थिति निम्नवत है-

(1) शासनादेश संख्या - 1157/9-आ-3-1999-2आ0नी0/89 दिनांक 9 मार्च, 1999 (पताका-क) के अन्तर्गत क्रम योग्य एफ0ए0आर0 हेतु निर्धारित नीति के अनुसार भूमि का मूल्य विकास प्राधिकरण के वर्तमान सेक्टर (आवासीय) दर, विकास प्राधिकरण की दर न होने की दशा में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान सामान्य आवासीय सर्किल रेट लिये जाने की व्यवस्था है।

(2) उक्त शासनादेश के अनुसार भूमि का मूल्य (**R.C.**) चूंकि विकास प्राधिकरण के वर्तमान सेक्टर (आवासीय) दर पर लिये जाने का प्राविधान है, इसलिए विभिन्न उपयोगों हेतु क्रय योग्य फैक्टर (**Purchasable Factor**) निम्नानुसार अलग-अलग रखा गया है, ताकि विभिनन उपयोगों की **Intensity** के अनुसार क्रय योगय एफ0ए0आर0 शुल्क की वसूली तद्नुसार सम्भव हो सके:-

1.	वाणिज्यिक	0.60
2.	सामुदायिक तथा सामाजिक सुविधाएं एवं अवस्थापना (यथा चिकित्सा सुविधायें, शैक्षणिक सुविधायें आदि)	0.15
3.	आवासीय व अन्य	0.40

(3) उल्लेखनीय है कि महायोजना में निम्न भू - उपयोग से उच्च भू-उपयोग में परिवर्तन के लिए शुल्क निर्धारण हेतु भी विकास प्राधिकरण व उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा निर्धारित आवासीय दर व जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट में जो अधिकतम हो, लिए जाने की व्यवस्था है।

(4) नीलामी एवं व्यवसायिक दर केवल भूमि के आवंटन/विक्रय के सम्बंध में लागू होती है जबकि तल क्षेत्रफल पर इसके लागू किए जाने का औचित्य नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत क्रय योग्य ए0ए0आर0 शुल्क की गणना हेतु (**R.C.**) की वैल्यू के रूप में प्राधिकरण के वर्तमान सेक्टर (आवासीय) दर को ही अपनाया जाना शासनादेश में की गयी व्यवस्था के अनुरूप है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अग्रिम कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय
यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव

संख्या-6000/9-आ-3-2001

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
   लखनऊ।
3. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग - 3

लखनऊः दिनाँक-09 जुलाई, 2001

विषय : भवन मानचित्र तथा तलपट मानचित्र की स्वीकृति के पर्यवेक्षण/निरीक्षण शुल्क का निर्धारण

महोदय,

निम्नांकित शासनादेशों द्वारा भवन मानचित्र एवं तलपट मानचित्र स्वीकृत करते समय पर्यवेक्षण शुल्क वसूलना निर्धारित किया गया था :-

(1) शासनादेश संख्या-196/9-आ-3-97वि0/98 दिनांक 22.01.1998
(2) शासनादेश संख्या-612/9-आ-3-98-7वि0/98 दिनांक 10.03.1998
(3) शासनादेश संख्या-3661/9-आ-3-98वि0/98 दिनांक 25.10.2000

2- कतिपय श्रोतों से यह जिज्ञासा हुई है कि विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद द्वारा किस प्रकार का पर्यवेक्षण अपेक्षित है जबकि भवन निर्माण/योजना का विकास किसी अन्य के द्वारा किया जाना है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि भवन मानचित्र एवं तलपट मानचित्र स्वीकृति के साथ ही प्राधिकरण/परिषद से अपेक्षित है कि इस बात को भी सुनिश्चित करें कि निर्माण स्वीकृति अनुसार ही हों तथा अवैध/अनाधिकृत निर्माण रोके जायें। ऐसी स्थिति में प्राधिकरण/परिषद से अपेक्षित होता है कि वे प्रत्येक निर्माण के संबंध में समय-समय पर इस बात का परीक्षण करते रहे कि निर्माण कार्य स्वीकृति के अनुरूप ही हो रहे है अथवा नहीं। स्वीकृति से भिन्न निर्माण की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही अपेक्षित होती है। पर्यवेक्षण शुल्क इन्हीं क्रियाओं के वित्त पोषण हेतु लिया जाता है परन्तु यह अपेक्षा नहीं है कि निर्माण कार्य को प्राधिकरण/परिषद अपनी देखरेख में बनवाये और न ही इस शुल्क की देयता के आधार पर प्राधिकरण/परिषद का कोई दायित्व निर्माण की गुणवत्ता इत्यादि के सम्बन्ध में उत्पन्न होता है।

3- उपरोक्त संशय की स्थिति को दूर करने के उद्देश्य से पर्यवेक्षण शुल्क का नाम परिवर्तित करते हुये निरीक्षण शुल्क की संज्ञा दी जाती है। भविष्य में पर्यवेक्षण शुल्क के स्थान पर निरीक्षण शुल्क ही वसूला जायेगा। पर्यवेक्षण शुल्क सम्बन्धी सभी शासनादेश तत्सीमा तक संशोधित माने जायेंगे।

भवदीय
अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या - 6000(1)/9-आ-3-2001 तद्दिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. **अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।**
2. **मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।**
3. **अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।**
4. **आवास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के समस्त अनुभाग।**

आज्ञा से
जावेद एहतेशाम
उप सचिव

संख्या-1279/9-आ-3-2001-33 काम्प/98 टी0 सी0

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आवास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

लखनऊ: दिनाँक- 2 अगस्त, 2001

आवास अनुभाग - 3

विषय : भवन निर्माण मानचित्र पर देय अम्बार फीस।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-3138/9-आ-3-98-33 काम्प/98, दिनाँक 13 अक्टूबर, 1998 के प्रस्तर-(2) के परिप्रेक्ष्य में आपके पंत्र संख्या-672, दिनांक 21 मार्च 2001 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा किश्त क्रय पद्धति पर आवंटित भूखण्ड भी उक्त शासनादेश दिनांक 13 अक्टूबर, 1999 के प्रस्तर-2 से आच्छादित होंगे।

2. उक्त शासनादेश संख्या-3238/9-आ-3-98-33 काम्प/98, 13 अक्टूबर, 1998 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय
अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या व दिनाँक उपरोक्तानुसार ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. उत्तर प्रदेश आवास बन्धु/गार्ड फाइल।

आज्ञा से
जावेद एहतेशाम
उप सचिव

संख्या-4108/9-आ-3-2001-26 एल.यू.सी./99

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-3

लखनऊः दिनाँक-26 दिसम्बर, 2001

विषयः स्कूल/शिक्षण संस्थाओं से भूखण्ड के क्षेत्रफल के बजाय निर्मित क्षेत्र के आधार पर विकास शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शिक्षण संस्थाओं के भवन मानचित्र स्वीकृति के समय अन्य निर्माण की भाँति ही पूरे भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर विकास शुल्क की देयता आंकलित की जाती है। इस सम्बन्ध में प्रत्यावेदन प्राप्त हुए है कि सामान्यतः स्कूल के लिए भूमि का क्षेत्रफल काफी अधिक होता है परन्तु अधिकांश क्षेत्रफल खुला/क्रीड़ा स्थल रखा जाता है एवं निर्मित भू-भाग कम ही होता है, इसलिए विकास शुल्क केवल निर्मित होने वाले भाग के लिए लिया जाय, न कि पूरी भूमि पर। निजी क्षेत्र के इंजीनियरिंग, मेडिकल व डेन्टल कालेजों के लिए दिनांक 17 सितम्बर, 1998 को निर्गत नीति विषयक शासनादेश मे यह व्यवस्था पूर्व से ही विद्यमान है कि निर्मित किए जाने वाले क्षेत्रफल पर सामान्य विकास शुल्क देय होगा।

2. उपरोक्त स्थिति में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि विद्यालयों/शिक्षण संस्थाओं के प्रकरणों में मानचित्र स्वीकृत करते समय उनसे पूरे भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर विकास शुल्क न लिया जाय, बल्कि केवल उसी भाग के लिए विकास शुल्क लिया जाय जिस पर निर्माण प्रस्तावित है,अथवा जिस भूमि क्षेत्रफल का एफ.ए.आर. वह उपयोग करें, जो भी अधिक हो।

कृपया उपरोक्तानुसार आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या एंव दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. **मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।**
2. **उत्तर प्रदेश आवास बन्धु।**

आज्ञा से
अतुल कुमार गुप्ता
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग - 3
संख्या - 1569/9-आ-3-2000-02 एलयूसी/99
लखनऊ : दिनांक 22 मई, 2000

अधिसूचना

चूँकि मथुरा की महायोजना में नीचे दी अनुसूची म यथा वर्णित संशोधन करने के संबंध में आपत्तियां और सुझाव प्राप्त करने की एक सूचना समाचार पत्र ''दैनिक आज'' व ''दैनिक जागरण'' दिनांक 16-11-1999 में प्रकाशित की गयी थी,

और चूंकि उपर्युक्त सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर राज्य सरकार द्वारा कोई आपत्ति और सुझाव प्राप्त नही हुये थे।

अतएवं, अब, उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन अधिनियम, 1974) उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या -30 सन् 1974 द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-11 सन् 1973 की धारा -13 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल मथुरा की महायोजना में नीचे दी गयी अनुसूची में यथा वर्णित निम्नलिखित संशोधन करते है :-

स्थान व जिले का नाग	महायोजना में भू-उपयोग	महायोजना में प्रस्तावित भू-उपयोग
वृन्दावन से दिल्ली रोड तक जोड़ने वाले वृन्दावन छटीकरा मार्ग के मध्य से दोनों और 300 मीटर की गहराई तक के क्षेत्र तथा वृन्दावन छटीकरा मार्ग से दक्षिण की ओर नगला बुर्जा को जाने वाले मार्ग से मथुरा-वृन्दावन मार्ग तक इस मार्ग (नगला मार्ग) के मध्य से दोनों ओर 250 मीटर की गहराई तक के कृषि भू-उपयोग के क्षेत्र	(कृषि)	''आश्रम मठ एवं धार्मिक स्थल'' (निम्नलिखित जोनिंग रेगुलेशन तथा विकास मानक/नियंत्रण व शर्तों के साथ)

जोनिंग रेगुलेशन्स :

(क) **अनुमन्य उपयोग :**

पूजा स्थल, सांस्कृतिक एवं धार्मिक भवन, गौशाला, आश्रम, मठ तथा तत्सम्बन्धी धार्मिक एवं आवासीय उपयोग।

(ख) **प्राधिकरण बोर्ड की अनुमति से अनुमन्य उपयोग :**

स्थानीय आवश्यकता की दुकानें, निजी आवास, सामुदायिक सुविधायें, धर्मशाला, धार्मिक सांस्कृतिक उपयोग के अनुषांगिक उपयोग जो क्षेत्र के विकास हेतु आवश्यक हो।

(ग) **निर्षिद्ध उपयोग :**

होटल, समूह, आवास, आवासीय कालोनी, सिनेमा थियेटर, औद्योगिक उपयोग, पशु वधशाला तथा ऐसे उपयोग जो क्षेत्र के धार्मिक एवं सांस्कृतिक वातावरण पर विपरीत प्रभाव डाल सकते है।

भू उपयोग परिवर्तन के साथ-साथ किये जाने वाले विकास के संबंध में निम्न विकास नियंत्रण भी प्रभावी होंगे:-

1. छटीकरा मार्ग के दोनों और मार्ग के 30 मीटर मार्गाधिकार हेतु भूमि छोड़ने के पश्चात् 9 मीटर का सैट बैक भवनों के निर्माण हेतु छोड़ना आवश्यक होगा। सेट बैक के 3 मीटर अग्र भाग में वृक्षारोपण किया जाना अनिवार्य होगा।

2. केवल ऐसे निर्माण की अनुमति होगी, जिसकी वास्तुकला मथुरा-वृन्दावन के सांस्कृतिक/धार्मिक स्वरूप के अनुकूल हो। इस वास्तुकला नियंत्रण हेतु एक समिति का गठन प्राधिकरण द्वारा शासन के करवाया जायेगा, जिसमें 3 सदस्य होंगे। इसमें से 2 वास्तुविद तथा एक इनटेक का प्रतिनिधि होगा।

3. दो मंजिले (7.5 मीटर) से अधिक ऊँचाई के भवन अनुमन्य नही होंगे परन्तु धार्मिक भवनों के शिखर/गुम्बद पर यह प्रतिबन्ध लागू नही होगा।

4. भू-खण्ड का अधिकतम आच्छादन 33 प्रतिशत तथा एफ0ए0आर0 66 अनुमन्य होगा।

5. भू-गेह का निर्माण भू-आच्छादन के अन्तर्गत किया जा सक़ता है परन्तु इसकी गणना एफ0ए0आर0 में होगी।

6. व्यक्तिगत रूप से मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क देय होगा।

आज्ञा से,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या-6226/9-आ-3-99-02एल.यू.सी./99

प्रेषक,

जावेद एहतेशाम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष,
मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण,
मथुरा।

लखनऊः दिनाँक-21 जनवरी, 2000

आवास अनुभाग-3

विषय : वृन्दावन छटीकरा मार्ग से संलग्न क्षेत्रों का भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या-1381/भू-उ0परि0 नियो0/म0वृ0 विप्रा0/99, दिनांक 26.11.99 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा किन्हीं दो वास्तुविद एवं इनटेक के प्रतिनिधि को नामित किये जाने की अपेक्षा की गयी थी।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चार वास्तुविदों का पैनल बायोडाटा सहित मंडलायुक्त/अध्यक्ष, मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण के अनुमोदनोपरान्त भेजा जाय ताकि शासन द्वारा दो वास्तुविदों को नामित किया जा सके। वे वास्तुविद ख्याति प्राप्त हो तथा अभिमानता के आधार पर ऐसे हों कि वे मथुरा-वृन्दावन में प्रैक्टिस न करते हों जिससे कि व्यक्तिगत हितों द्वारा प्रभावित होनें की संभावना न हो। परन्तु यह अनिवार्यता नही होगी। इन वास्तुविदों की सामान्य ख्याति के विषय में मंडलायुक्त की संतुष्टि आवश्यक है। इसका भी ध्यान रखा जाय कि एक साल की समिति सदस्यता के दौरान वे अपने नक्शे समिति में न प्रस्तुत करें/करायें तथा उनकी प्रोफेशनल सेवा अवधि न्यूनतम 15 वर्ष हो।

3. अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार मण्डलायुक्त/अध्यक्ष के अनुमोदनोपरान्त 04 वास्तुविदों का पैनल शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें

भवदीय,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

आवास अनुभाग - 6

संख्या 2426/9-आ-6-2001-2 (विविध)/2001

लखनऊ : दिनांक 31 अक्टूबर, 2001

अधिसूचना

जिला मथुरा के मथुरा-वृन्दावन नगर पालिका क्षेत्र को उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-30, 1974 द्वारा यथा पुनः अधिनियमित, राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-II, 1973) की धारा-3 के अन्तर्गत शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल शासन की अधिसूचना संख्या 1164/सैतीस-2-76 डी.ए./76 दिनांक 25 मार्च, 1977, अधिसूचना संख्या 5069/9-आ-5-98-76 डी.ए./76, दिनांक 08 जनवरी, 1977 तथा अधिसूचना संख्या 4493/9-आ-5-76 दिनांक 06 दिसम्बर, 1997 के अधीन घोषित मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण की सीमा में आंशिक संशोधन करते हुए, पूर्व घोषित सीमाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण क्षेत्र घोषित करते है :-

(अ) नगर क्षेत्र

1. गोर्वधन नगर क्षेत्र
2. राधा कुण्ड नगर क्षेत्र

(ब) ग्रामीण क्षेत्र

1. पाडल
2. नीम गाँव
3. सकीतरा
4. राधा कुण्ड देहात
5. गोर्वधन गोरवा
6. गाठोली
7. जतीपुरा
8. आन्यौर
9. गोर्वधन ब्राह्मणान
10. पाली ब्राह्मणान
11. जमुनावता

आज्ञा से
अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या-2426 (1)/9-आ-6-2001-2(विविधा)/2001

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उक्त अधिसूचना को शासकीय गजट, असाधारण विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कर मुद्रित अधिसूचना की 200 प्रतियाँ शासन को तथा 5-5 प्रतियाँ पृष्ठांकित में अंकित अधिकारियों को अपने स्तर से भिजवाने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
अरविन्द सोनकर
उप सचिव

संख्या 2426 (2) /9-आ-6-2001-2(वि0)/2001

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आयुक्त/अध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
2. आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।
3. जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष, मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,
अरविन्द सोनकर
उप सचिव

प्रेषक,

संख्या-5068/9-आ-1-भूखण्ड (आ.ब.)/2001

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ ।
2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1

लखनऊः दिनाँक -14 फरवरी, 2001

विषय : लीज पर आवंटित भूखण्डों पर भवन निर्माण करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश-संख्या 6795/11-5-80-नि0/86 दिनांक 23.10.1986 में किए गए प्राविधानों के अनुसार विकास प्राधिकरणों तथा आवास परिषद द्वारा लीज पर आवंटित भूखण्डों पर भवन निर्माण हेतु निम्न व्यवस्था निर्धारित की गई है :-

1. रजिस्ट्रेशन की तिथि से 5 वर्ष का समय भवन निर्माण करने के लिए अनुमन्य होगा,
2. 5 वर्ष का अतिरिक्त समय भूखण्ड के मूल्य पर 2 प्रतिशत की दर से सरचार्ज लेकर बढ़ाया जा सकता है,
3. भूखण्ड का मूल्य तत्समय प्रचलित बाजार दर पर निर्धारित किया जायेगा।
4. 10 वर्ष तक कोई निर्माण न किये जाने की दशा में भूखण्ड की लीज निरस्त कर दी जाएगी।

उक्त शासनादेश में निर्माण को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :-

(i) छोटे एकल आवासीय भूखण्ड पर एक कमरा, रसोई घर, बाथरूम तथा शौचालय, यदि निर्मित कर दिया गया हो तो उसे पूर्ण निर्माण माना जायेगा।

(ii) बड़े एकल आवासीय भूखण्ड पर यदि दो कमरे, रसोई घर, बाथरूम तथा शौचालय, यदि निर्मित कर दिया गया हो तो उसे पूर्ण निर्माण माना जायेगा।

उक्त शासनादेश में बड़े भूखण्ड, जिन्हें ग्रुप हाउसिंग, संस्थागत तथा व्यवसायिक निर्माण हेतु लीज पर दिया गया हो, के सम्बन्ध में निर्माण को परिभाषित नही किया गया है अतः इस श्रेणी के भूखण्डों के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा निर्माण को निम्नानुसार परिभाषित किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

	भवन की श्रेणी	किये गये निर्माण की स्थिति
1.	ग्रुप हाउसिंग	अनुमन्य तल क्षेत्र का 25 प्रतिशत
2.	संस्थागत	अनुमन्य तल क्षेत्र का 25 प्रतिशत
3.	व्यवसायिक	अनुमन्य तल क्षेत्र का 25 प्रतिशत

यदि उक्त सीमा तक निर्माण कर लिया जाता है तो सम्बन्धित भूखण्ड को अधिनियम की धारा-18 की उपधारा-4 के प्राविधान से छूट दी जायेगी।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या 5068(1)/9-आ-1-भूखण्ड 2001/(आ.ब.) तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आवास विभाग के समस्त अनुभागों को।
2. अपर निदेशक नियोजन, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

संख्या-840/9-आ-3-2001-127 काम्प/99

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश शासन।

3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

लखनऊ : दिनाँक : 11 अप्रैल, 2001

आवास अनुभाग-3

विषय: गंगा नदी के तट पर बसे नगरों में किनारे से 200 मीटर तक किसी भी प्रकार की गतिविधियों को अनुमन्य न किये जाने के प्रतिबन्ध का शिथिलीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि शासनादेश संख्या-4503/9-आ-1-1998 दिनांक 16.11.1998 द्वारा गंगा नदी तट से 200 मीटर क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गतिविधियों को अनुमन्य न किये जाने का प्रतिबन्ध लागू किये जाने से गंगा नदी के तट पर बसे नगरों में यह समस्या उत्पन्न हो गई है कि गंगा तट पर स्थित प्राचीन भवनों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार के कार्य के लिए भी अनुमति नही दी जा रही है ऐसे प्राचीन भवनों में भव्य हेरिटेज भवन भी सम्मिलित है, जिनका संरक्षण करना राज्य सरकार की प्रमुख नीति के अन्तर्गत आता है और इस सम्बन्ध मे भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये सुझावानुसार विशिष्ट व्यवस्था भी की जा रही है। शासन के संज्ञान में भी लाया गया है कि वाराणसी में गंगा घाट पर कुछ ऐसे पुराने हेरिटेज भवन हैं जिनकी धार्मिक, साँस्कृतिक एवं ऐतिहासिक मान्यतायें भी जुड़ी है और यदि ऐसे भवनों के मरम्मत, रखरखाव व जीर्णोद्धार कार्य के लिए उक्त प्रतिबन्ध लागू रखा गया तो शनैःशनै काशी की संस्कृति से जुड़े उक्त भवन लुप्त होते जायंगे।

अतः गंगा नदी के किनारे स्थित प्राचीन भवनों, हेरिटेज भवनों के धार्मिक, सांस्कृतिक एवं कलात्मक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि सामान्य श्रेणी के सभी निर्मित भवनों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार से सम्बन्धित सभी कार्य अनुमन्य किये जाय अन्यथा ऐसे कार्य बिना अनुमति के होंगे और उन्हें रोके जाने पर प्रतिरोध होगा। इसके अतिरिक्त इस दृष्टि से कि प्राचीन संस्कृति की अक्षुणता को बचाये रखा जाना आवश्यक है अतएव हेरिटेज भवनों के संरक्षण के सम्बन्ध में "इन्टैक" (INTACH) के परामर्श से कार्य अनुमन्य किये जायें।

परन्तु उक्त पर अनुमति देने से पूर्व यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि इन भवनों में सीवरेज की ऐसी व्यवस्था है कि उसका निस्तारण नदी में न करते हुए नगर की सीवर व्यवस्था के माध्यम से है। जहां सीवर निस्तारण की ऐसी व्यवस्था नहीं है, वहां ऐसी व्यवस्था करने के लिए आवश्यक कार्यों को भी इस प्रतिबन्ध से मुक्त रखा जाना आवश्यक होगा।

शासनादेश दिनांक 16.11.98 द्वारा गंगा नदी तट पर 200 मीटर क्षेत्र में निर्माण सम्बन्धी प्रतिबन्ध उक्त सीमा तक शिथिल/संशोधित समझा जाय।

भवदीय.
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या-840/(1) 9-आ-3-2001, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य अभियन्ता-गंगा/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
2. सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. उपाध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव

संख्या-2179/9-आ-3-99-18 वि0/99

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2- आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

लखनऊ : दिनाँक : 07 जून, 1999

आवास अनुभाग-3

विषय: उ0प्र0 पर्यटन नीति, 1998 अन्तर्गत नगर योजना में पर्यटन प्रयोजन हेतु भूखण्ड चिह्नित किया जाना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा जारी पर्यटन नीति दिनांक 31.12.98 में आवासीय क्षेत्र में निजी उद्यमियों द्वारा तीन स्टार तक की मान्यता प्राप्त कर सकने योग्य होटल/रिजार्ट प्रोजेक्ट या कोई अन्य मान्यता प्राप्त पर्यटक इकाई स्थापित किये जाने हेतु उसका अनुमति दिये जाने तथा स्थानीय निकाय एवं समस्त विकास प्राधिकरणों द्वारा नगर योजना में पर्यटन विभाग की सहायता से पर्यटन उद्योग से संबंधित गतिविधियों के लिए भूखण्ड चिन्हित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

अत: अनुरोध है कि पर्यटन के विकास के उद्देश्य से विकास प्राधिकरणों द्वारा नगरों/महानगरों की योजनायें तैयार करते समय पर्यटन विभाग की सहायता से पर्यटन उद्योग से संबंधित गतिविधियों के लिए भूखण्डं चिन्हित किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ताकि भविष्य में आवासीय योजनाओं के पूर्ण होने की स्थिति में पर्यटन संबंधी सुविधाओं का विकास किये जाने में कोई कठिनाई न हो।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या 2179/9-आ-3-99-वि0/99 तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि :- प्रमुख सचिव/सचिव/महानिदेशक पर्यटन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया यह अवगत कराने का कष्ट करें कि किन-किन नगरों में पर्यटन के विकास हेतु विशेष रूचि रखते है।

आज्ञा से,
जावेद एहतेशाम
अनु सचिव

6

अवैध निर्माण नियन्त्रण

अर्द्धशा0प0सं0-172/9-आ-3-2001

पी0एल0पुनिया
प्रमुख सचिव।

आवास अनुभाग-3
उत्तर प्रदेश शासन।
लखनऊः दिनांक 22 जनवरी, 2001

प्रिय महोदय,

सार्वजनिक/प्राधिकरणों की भूमि पर अतिक्रमण/अवैध निर्माण के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही कर इन्हें हटाये जाने/ध्वस्तीकरण के सन्दर्भ में शासन द्वारा आपको समय-समय पर निर्देश दिये गये है। किन्तु प्राधिकरणों की मासिक समीक्षा के समय यह अनुभव किया गया है कि अधिकांश प्राधिकरणों द्वारा इस ओर विशेष रूचि नहीं ली जा रही है। आप सहमत होंगे कि अतिक्रमणों/अवैध निर्माणों के विरूद्ध समय से त्वरित गति से प्रभावी कार्यवाही न होने के फलस्वरूप जहां एक ओर इस प्रकार की अवांछित गतिविधियों में संलग्न तत्वों को बढ़ावा मिलता है, वही दूसरी ओर प्राधिकरण/शासन की सम्पत्ति की क्षति के साथ-साथ छवि भी धूमिल होती है। देखने में यही आया है कि जहाँ पर उपाध्यक्षों ने कठोरता से अवैध निर्माण रोकने का प्रयास किया है, वहाँ पर सफलता मिली है, अन्यथा प्रवर्तन का कार्य कागजी खानापूर्ति तक रह गया है।

अतएव मुझे इस विषय में आपसे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि ऐसे मामलों में अभियान चलाकर ठोस एवं परिणामात्मक कार्यवाही की जाए। इस संबंध में निम्न महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाए :-

(1) अवैध निर्माण/अतिक्रमणों पर यदि प्रभावी नियंत्रण एवं अंकुश नहीं लगाया जाएगा तो इसके लिए उत्तरदायित्व स्वयं प्राधिकरण के उपाध्यक्ष का होगा। यह भी स्पष्ट करना है कि अवैध निर्माणों/अतिक्रमणों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के सन्दर्भ में किये गये प्रयासों को परिणामों/सफलता के आधार पर आंकलित किया जायेगा और ऐसे प्रयासों के सम्बन्ध में केवल पत्राचार का उल्लेख करना पर्याप्त न होगा। अतिक्रमणों को रोकने में प्रभावी कार्यवाही न करने वाले उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध धारा 26-घ, उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अभिनियम, 1973 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाय।

(2) बड़े अवैध निर्माणों तथा व्यावसायिक, ग्रुप हाउसिंग आदि के विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्राथमिकता दी जाए। ऐसे अवैध निर्माणों को आरम्भ ही न होने दिया जाए तथा ध्वस्तीकरण के अधिकार का प्रभावी उपयोग किया जाय। यदि निर्माण किसी प्रकार आगे बढ़ भी गया है तो इन्हें सील किया जाए। किसी भी दशा में निर्माण छत की स्टेज तक नही बढ़ने दिया जाय तथा सभी विधिक उपायों का इस्तेमाल किया जाय। सील करते समय फोटो ग्राफी भी कराई जाय जिसका खर्चा बाद में अवैध निर्माणकर्ता से वसूला जाय।

(3) इस प्रकार की कार्यवाही के लिए जिस स्थल का चयन किया जाए उसमें बिना किसी भेदभाव के सभी विरूद्ध समान रूप अपनाया जाए ताकि किसी को शिकायत का अवसर न मिले। यथा सम्भव वृहद अवैध निर्माणों के विरूद्ध पहले कार्यवाही की जाए।

(4) प्रवर्तन अनुभाग में जो अधिकारी तैनात किये जायं वे सक्रिय व सक्षम होने चाहिए। सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता का कार्यकाल उक्त अनुभाग में एक वर्ष से अधिक न हो तथा यह भी ध्यान रखा जाए कि जिन अधिकारियों की ख्याति अच्छी न हो अथवा जिन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि/प्रविष्टियां पूर्व में दी गयी हों अथवा निलंबित किये गये हों उन्हें इस कार्य में न लगाया जाय।

(5) अतिक्रमणकर्ता/अवैध निर्माणकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही के साथ ही ऐसे अतिक्रमण/अवैध निर्माण रोकने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध भी अनिवार्य रूप से नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि प्रवर्तन अनुभाग के जिन अभियंताओं के क्षेत्र में अधिक संख्या में अतिक्रमण/अवैध निर्माण हो रहे हों अथवा इन्हें रोकने में शिथिलता बरती जाय, उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही किये जाने के अतिरिक्त भविष्य में इन्हें संवेदनशील/महत्वपूर्ण पद का कार्य न सौंपा जाय।

(6) इस संम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की प्राधिकरणों की मासिक समीक्षा बैठक तथा शासन में उच्च स्तरों पर भी इसकी समय-समय पर समीक्षा की जायेगी। समीक्षा हेतु शासन को सूचना भेजे जाने हेतु प्रारूप भी संलग्न किया जा रहा है। समाप्त माह की सूचना आगामी माह की 5 तारीख तक अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु को निश्चित रूप से प्राप्त हो जानी चाहिए।

अंत में मै आपसे पुनः अपेक्षा करूँगा कि अतिक्रमणों/अवैध निर्माणों के विरूद्ध नियमानुसार ठोस एवं प्रभावी कार्यवाही किये जाने को अपने स्तर से सर्वोच्च प्राथमिकता दें ताकि आपकी छवि तथा प्राधिकरण की छवि में सुधार हो सके।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय,
पी0एल0 पुनिया

श्री
उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण

अर्धशा0प0सं0-172(1)/9-आ-3-2001 तददिनांक

प्रिय महोदय,

उपरोक्त की प्रति मै आपको इस अनुरोध के साथ भेज रहा हूँ कि आप भी कृपया अपने स्तर पर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को समुचित मार्गदर्शन प्रदान करते हुए समय-समय पर अनुश्रण करते रहें।

भवदीय,
पी0एल0 पुनिया

अध्यक्ष/मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

अर्धशा0प0सं0-172(2)/9-आ-3-2001 तददिनांक

उपरोक्त की प्रति आपको इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त सूचना का क्रमिक प्रगति सहित संकलन कराकर प्रत्येक माह की 8 तारीख तक मुझे प्रस्तुत करें।

भवदीय,
पी0एल0 पुनिया

श्री संजय भूसरेड्डी,
अधिशासी निदेशक,
आवास बन्धु,
लखनऊ।

सार्वजनिक/प्राधिकरण भूमि पर अतिक्रमण/अवैध निर्माणों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही की सूचना का प्रारूप

विकास प्राधिकरण का नाम

माह वर्ष 2001

क्षेत्रफल	सील किए गये भवनों की संख्या	ध्वस्त किए गये भवनों की संख्या	योग	धारा-26घ, के अन्तर्गत दर्ज कराई गई एफ0आई0आर0 की संख्या	
				अतिक्रमणकर्ता के विरूद्ध	उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध
200 वर्ग मीटर तक					
200-500 वर्ग मीटर					
500 वर्ग मीटर से अधिक					
योग					

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या-356/9-आ-3-2001-22काम्प/2001

प्रेषक,

पी0एल0 पुनिया,
आयुक्त एंव प्रमुख सचिव,
आवास एवं नगर विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   आवास एवं विकास परिषद,
   उत्तर प्रदेश।
2. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-3

लखनऊ : दिनाँक : 06 फरवरी, 2001

विषय: अवैध निर्माणों को चिन्हित करते हुए निर्माण अवधि में कार्यरत रहे अभियन्ताओं की सूचना उपलब्ध कराने के सम्बंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-172/9-आ-3-2001, दिनांक 22 जनवरी, 2001 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अतिक्रमणों/अवैध निर्माणों के विरूद्ध अभियान चलाकर ठोस एवं परिणात्मक कार्यवाही किए जाने की उक्त शासनादेश द्वारा आपसे अपेक्षा की गई थी। शासन के संज्ञान में यह भी लाया गया है कि अवैध रूप से बिना मानचित्र स्वीकृत कराये अथवा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किये जा रहे निर्माण कार्यो को सम्बन्धित अभियन्ताओं द्वारा निर्माण अवधि में रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही नही की जाती है। इसके विपरीत अवैध निर्माणकर्ताओं से मिली भगत होने से इन के निर्माण कार्यो को प्रोत्साहन दिया जाता है। यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है तथा इस पर प्रभावी नियंत्रण किया जाना नितान्त आवश्यक है।

शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि इस प्रकार हुए अतिक्रमणों/अवैध निर्माणों को चिन्हित किया जाये तथा निर्माण अवधि में कार्यरत संबंधित क्षेत्र के अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता तथा अधीक्षण अभियनता के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाये। अतः आपसे अनुरोध है कि अवैध निर्माणों की सूची एवं कार्यरत अवर अभियन्ताओं, सहायक अभियन्ताओं तथा अधीक्षक अभियन्ताओं की सूची दिनांक 1.3.2001 तक शासन को अनिवार्यतः उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
पी0एल0 पुनिया
आयुक्त एवं प्रमुख सचिव

अर्द्धशासकीय प0सं0-1664/9-आ-3-2001-289 काम्प/98

पी0एल0पुनिया
आयुक्त एवं प्रमुख सचिव।
आवास एवं नगर विकास।

आवास अनुभाग-3
उत्तर प्रदेश शासन।
लखनऊः दिनांक 18 अप्रैल, 2001

प्रिय महोदय,

सार्वजनिक भूमि/प्राधिकरणों की भूमि पर अतिक्रमण/अवैध निर्माण के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही विषयक आपको भेजे गये मेरे पूर्व अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-172/9-आ-3-2001, दिनांक 22 जनवरी, 2001 का कृपया संदर्भ लें जिसके द्वारा व्यवसायिक व ग्रुप हाउसिंग आदि के अपेक्षाकृत बड़े अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण/सील किये जाने के आदेशों के साथ-साथ उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

आपसे यह भी अपेक्षा की गयी थी कि अवैध निर्माणों के विरूद्ध अभियान चलाकर ठोस एवं परिणात्मक कार्यवाही की जाए ताकि शासकीय/प्राधिकरण की सम्पत्ति की क्षति के रोकथाम के साथ शासन की छवि भी बरकरार रखी जा सके।

विभिन्न स्तरों पर यह अनुभव किया जा रहा है कि अधिकांश स्थानों पर छोटे-छोटे अवैध निर्माणों के विरूद्ध ही छुट-पुट कार्यवाही कर कर्तव्य की इतिश्री समक्ष ली गई एवं बड़े एवं गम्भीर किस्म के अवैध निर्माण की ओर ध्यान नहीं दिया गया। अतएव पूर्व में दिये निर्देशों के तारतम्य में अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण हेत प्राथमिकताएं निम्न वरीयता क्रम में निर्धारित किये जाने की अपेक्षा की गयी है :-

1- सड़क पर अतिक्रमण से भिन्न सार्वजनिक भूमि पर किये गये बड़े अवैध निर्माण।

2- ऐसे बड़े अवैध निर्माण जिनमें कि अधिकांश नियमों की अवहेलना करते हुए निर्माण किये गये हों यथा :-
(अ) जिनमें कोई भी मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी,
(ब) सेटबैक का व्यापक उल्लंघन किया गया हो,
(स) महायोजना में निर्धारित भू-उपयोग के विपरीत निर्माण किया गया हो।

3- पार्किंग हेतु चिन्हित/निर्धारण स्थल पर अवैध निर्माण किया गया हो।

आपसे अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्त वरीयता के आधार पर अवैध निर्माणों को चिन्हित कर श्रेणीवार सूचीबद्ध कर लें तथा उसी के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी इन प्राथमिकताओं से अवगत कराते हुए उन्हें भी विश्वास में ले लें, परन्तु बिना किसी भेदभाव अथवा दबाव के निष्पक्षता पूर्वक वरीयता क्रम में ही ध्वस्तीकरण अभियान संचालित करें।

भवदीय,
पी0एल0 पुनिया

श्री
उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण

अर्धशासकीय पत्र संख्या-1664(2)/9-आ-3-2001 तददिनांक

प्रिय महोदय,

मै अपने पूर्व अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 22 जनवरी, 2001 की प्रति संलग्न करते हुए आपको भी इस पत्र की प्रति इस आशय से भेज रहा हूँ कि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के संदर्भ में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,
पी0एल0 पुनिया

अर्द्धशासकीय प0सं0-1664/9-आ-3-2001-289 काम्प/98

पी0एल0पुनिया
आयुक्त एवं प्रमुख सचिव।
आवास एवं नगर विकास।

आवास अनुभाग-3
उत्तर प्रदेश शासन।
लखनऊः दिनांक 18 अप्रैल, 2001

प्रिय महोदय,

सार्वजनिक भूमि/प्राधिकरणों की भूमि पर अतिक्रमण/अवैध निर्माण के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही विषयक आपको भेजे गये मेरे पूर्व अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-172/9-आ-3-2001, दिनांक 22 जनवरी, 2001 का कृपया संदर्भ ले जिसके द्वारा व्यवसायिक व ग्रुप हाउसिंग आदि के अपेक्षाकृत बड़े अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण/सील किये जाने के आदेशों के साथ-साथ उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

आपसे यह भी अपेक्षा की गयी थी कि अवैध निर्माणों के विरूद्ध अभियान चलाकर ठोस एवं परिणात्मक कार्यवाही की जाए ताकि शासकीय/प्राधिकरण की सम्पत्ति की क्षति के रोकथाम के साथ शासन की छवि भी बरकरार रखी जा सके।

विभिन्न स्तरों पर यह अनुभव किया जा रहा है कि अधिकांश स्थानों पर छोटे-छोटे अवैध निर्माणों के विरूद्ध ही छुट-पुट कार्यवाही कर कर्तव्य की इतिश्री समक्ष ली गई एवं बड़े एवं गम्भीर किस्म के अवैध निर्माण की ओर ध्यान नहीं दिया गया। अतएव पूर्व में दिये निर्देशों के तारतम्य में अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण हेत प्राथमिकताएं निम्न वरीयता क्रम में निर्धारित किये जाने की अपेक्षा की गयी है :-

1- सड़क पर अतिक्रमण से भिन्न सार्वजनिक भूमि पर किये गये बड़े अवैध निर्माण।

2- ऐसे बड़े अवैध निर्माण जिनमें कि अधिकांश नियमों की अवहेलना करते हुए निर्माण किये गये हों यथा :-
(अ) जिनमें कोई भी मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी,
(ब) सेटबैक का व्यापक उल्लंघन किया गया हो,
(स) महायोजना में निर्धारित भू-उपयोग के विपरीत निर्माण किया गया हो।

3- पार्किंग हेतु चिन्हित/निर्धारण स्थल पर अवैध निर्माण किया गया हो।

आपसे अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्त वरीयता के आधार पर अवैध निर्माणों को चिन्हित कर श्रेणीवार सूचीबद्ध कर लें तथा उसी के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी इन प्राथमिकताओं से अवगत कराते हुए उन्हें भी विश्वास में ले लें, परन्तु बिना किसी भेदभाव अथवा दबाव के निष्पक्षता पूर्वक वरीयता क्रम में ही ध्वस्तीकरण अभियान संचालित करें।

भवदीय,
पी0एल0 पुनिया

श्री
उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण

अर्धशासकीय पत्र संख्या-1664(2)/9-आ-3-2001 तददिनांक

प्रिय महोदय,

मै अपने पूर्व अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 22 जनवरी, 2001 की प्रति संलग्न करते हुए आपको भी इस पत्र की प्रति इस आशय से भेज रहा हूँ कि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के संदर्भ में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,
पी0एल0 पुनिया

श्री राजेन्द्र भौनवाल,
आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

अर्धशा0प0सं0-1664(2)/9-आ-3-2001 तददिनांक

प्रिय महोदय,

उपरोक्त की प्रति मै आपको इस अनुरोध के साथ भेज रहा हूँ कि आप भी कृपया अपने स्तर से प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को समुचित मार्गदर्शन प्रदान करते हुए समय-समय पर अनुश्रवण भी करते रहें।

भवदीय,
पी0एल0 पुनिया

श्री .....
अध्यक्ष/मण्डलायुक्त,
उ0प्र0।

अर्धशा0प0सं0-1664(3)/9-आ-3-2001 तददिनांक

प्रिय महोदय,

उपरोक्त की प्रति अपको इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त सूचना का क्रमिक प्रगति सहित संकलन कराकर प्रत्येक माह मुझे प्रस्तुत करें।

भवदीय,
पी0एल0 पुनिया

श्री संजय भूसरेड्डी,
अधिशासी निदेशक,
आवास-बन्धु, लखनऊ।

संख्या-2444/9-आ-3-2001(आ.ब.)

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ: दिनाँक -15 मई, 2001

आवास अनुभाग-1

विषय : नियोजित रूप से विकसित कालोनियों में भूमि/भवन के अवैध उपयोग के विरूद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अधीन कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

प्राय: यह देखने में आ रहा है कि नियोजित कालोनियों में भूमि/भवन के अवैध उपयोग सम्बन्धी उल्लंघनों की प्रवृत्ति दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है जिसके बारे में शासन को निरन्तर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। नियोजित कालोनियों में भूमि एवं भवन का महायोजना/जोनल प्लान/ले-आउट प्लान में निर्धारित उपयोग के विपरीत किया जाना गम्भीर प्रकृति का अपराध है। इसके फलस्वरूप न केवल रिहायशी क्षेत्र की शान्ति भंग होती है बल्कि वायु एवं ध्वनि प्रदूषण के साथ-साथ यातायात व अवस्थापना सुविधाओं पर दबाव बढ़ता है। इस प्रकार प्रभावी नियन्त्रण के अभाव में विद्यमान भू-उपयोग की प्रकृति बदलने लगती है और कालान्तर में सम्पूर्ण कालोनी/क्षेत्र, दूसरे उपयोग में परिवर्तित हो जाता है जो महायोजना/जोनल प्लान/ले-आउट प्लान में परिकल्पित नियोजित विकास के उद्देश्य के विरूद्ध है। इस प्रवृत्ति पर तत्काल नियन्त्रण एवं अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता है।

2. विदित है कि स्वीकृत योजनाओं के उल्लंघन में भूमि और भवनों का उपयोग किए जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973 की धारा-16 में यह प्राविधान है कि किसी क्षेत्र में, किसी योजना के प्रवृत्त होने के पश्चात कोई व्यक्ति उस क्षेत्र में उस योजना के प्रतिकूल किसी भवन अथवा भूमि का न तो उपयोग करेगा और न उपयोग करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति योजना के प्रतिकूल किसी भवन अथवा भूमि का उपयोग करता हे तो उसके विरूद्ध अधिनियम की धारा-26 (2) के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

3. अतएव मुझे यह कहने का निवेश हुआ है कि नियोजित कालोनियों में भवन अथवा भूमि के अवैध उपयोग की समस्या से निपटने हेतु शासन द्वारा तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है :-

(i) प्राधिकरण द्वारा नियोजित रूप से विकसित/अनुमोदित कालोनियों का सर्वेक्षण कराया जाए और ऐसे भूखण्डों तथा भवनों को चिह्नित किया जाए जिनका उपयोग स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध किया जा रहा है। ऐसे भवनों की सूची/विवरण तैयार कर उनका अभिलेख कम्प्यूटर पर रखा जाए और फोटोग्राफी भी कराई जाए।

(ii) भवनों के चिन्हीकरण के उपरान्त स्थानीय समाचार पत्रों में एक नोटिस ऐसे भवनों की सूची सहित प्रकाशित कराया जाए। उक्त नोटिस में यह अपेक्षा की जाए कि जिस व्यक्ति द्वारा अपनी भूमि/भवन का उपयोग स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध किया जा रहा है, वह उसे एक माह के अन्दर समाप्त कर ले/स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप कर ले अथवा ऐसे भू/भवन स्वामियों के विरूद्ध अधिनियम के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(iii) जिन भू/भवन स्वामियों को अवैध भू-उपयोग एक माह के अन्दर समाप्त करने में व्यवहारिक कठिनाई हो अथवा उक्त अवधि कम हो, तो सम्बन्धित भू/भवन स्वामी को समय बढ़ाने हेतु जिसकी अधिकतम अवधि तीन माह होगी, विकास

प्राधिकरण को लिखित अनुरोध करना होगा। बढ़ाई गई अवधि के लिए आवेदक से "नान-कान्फार्मिंग शुल्क" लिया जाएगा जो तल क्षेत्रफल पर आधारित होगा तथा जिसका 90 प्रतिशत अंश प्राधिकरण के अवस्थापना खाते में जमा होगा। तल क्षेत्रफल का तात्पर्य भवन के उस क्षेत्रफल से है, जिसका स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध उपयोग किया जा रहा है "नॉन-कॉन्फार्मिंग शुल्क" की दरें भवन के उपयोग के आधार पर निम्न होंगी :-

(क)	व्यवसायिक भवन तथा कार्यालय	:	रू0 5/- प्रति वर्ग फुट
(ख)	औद्योगिक	:	रू0 3/- प्रति वर्ग फुट
(ग)	अन्य	:	रू0 2/- प्रति वर्ग फुट

(iv) तीन माह की अवधि पूर्ण होने पर जिन भू/भवन स्वामियों द्वारा अपनी भूमि/भवन का उपयोग स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप नहीं कर लिया जाता है, के विरूद्ध उ0प्र0 नगर नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-26(2) के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

4. उपरोक्त के क्रम में आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि नियोजित कालोनियों में भूमि एवं भवन के अवैध उपयोग के विरूद्ध नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर करने का कष्ट करें तथा कार्यवाही की सूचना संलग्न प्रपत्र के अनुसार शासन को उपलबध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता

सचिव

संख्या 2044(1)/9-आ-3-2001(आ.ब.) तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 आवास मंत्री/राज्य आवास मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
3. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त नियन्त्रक प्राधिकारी/जिलाधिकारी, विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
6. **मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।**
7. **अपर निदेशक, नियोजन, उ0प्र0 आवास बन्धु।**

आज्ञा से,

संजय भूसरेड्डी

विशेष सचिव

भमि/भवन के अवैध भू-उपयोग के विरूद्ध कार्यवाही की प्रगति

प्राधिकरण का नाम .....

(1) नियोजित/अनुमोदित कालोनियों की संख्या ..... ☐

(2) कुल भुखण्डों/भवनों की संख्या ..... ☐

(3) सर्वेक्षण प्रारम्भ करने की तिथि ..... ☐

(4) सर्वेक्षण के समापन की तिथि ..... ☐

(5) अवैध भू-उपयोग वाले भूखण्डों/भवनों की कुल संख्या ..... ☐

(क) आवासीय से व्यवसायिक ..... ☐

(ख) आवासीय से कार्यालय ..... ☐

(ग) आवासीय से अन्य ..... ☐

(6) चिन्हित भूखण्डों/भवनों की सूची समाचार पत्र में प्रकाशित करने की तिथि ..... ☐

(7) एक माह के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप उपयोग करने वालों की संख्या ..... ☐

(8) अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्रों की संख्या ..... ☐

(9) नान-कान्फार्मिंग शुल्क से प्राप्त धनराशि (रु0)..... ☐

(10) धारा-26(2) के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही (संख्या)..... ☐

संख्या-5097/9-आ-3-2001(आ.ब.)

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-3

लखनऊ: दिनाँक -26 मई, 2001

विषय : अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अनुसार विकास क्षेत्र में कोई भी विकास/निर्माण कार्य करने से पूर्व उक्त अधिनियम की धारा-15 के अधीन अनुज्ञा प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। परन्तु अधिकांश प्राधिकरण क्षेत्रों में इसकी अवहेलना करते हुए ले-आउट प्लान स्वीकृत कराए बिना कालोनियां निर्मित कर ली गई है, जिनमें अधिकतर में विकास कार्य या तो अधूरे है अथवा निर्धारित स्तर के नही है। उक्त अधिनियम की धारा-33 के अनुसार विकास प्राधिकरणों द्वारा ऐसे अविकसित क्षेत्रों के विकास को पूर्ण कराया जा सकता है और इसके लिए उन्हें यह अधिकार प्रदत्त है कि वह किसी जिम्मेदार एजेन्सी से कार्य करवाने के लिए लाभार्थी को बाध्य करें अथवा स्वयं कार्य कराकर उस पर आने वाले व्यय को लाभार्थी से वसूल करें।

2. विदित है कि नगरीय क्षेत्रों में विद्यमान आवासीय स्टॉक का एक बहुत बड़ा भाग अनधिकृत रूप से निर्मित कालोनियों के अन्तर्गत है, जिनका अब ध्वस्तीकरण किया जाना व्यवहारिक नही है। राज्य आवास नीति में अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण हेतु शासन स्तर पर प्रक्रिया तैयार किए जाने की अपेक्षा है। अतः ऐसी कालोनियों के परिवारों को मूलभूत नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु शासन द्वारा नियमितीकरण की गाईडलाइन्स तैयार की गई है जिनके अन्तर्गत नियमितीकरण की प्रक्रिया, नियमितीकरण की पूर्णता तथा भविष्य में अनधिकृत विकास/निर्माण के नियन्त्रण हेतु आवश्यक प्राविधान किए गए है। इन गाईडलाईन्स के क्रियान्वयन के फलस्वरूप नागरिकों को एक स्वच्छ रिहायशी पर्यावरण उपलब्ध होने के साथ-साथ अनधिकृत कालोनियों को समग्र नगरीय विकास से एकीकृत किया जा सकेगा।

2. अतएव नियमितीकरण गाईडलाइन्स की प्रति संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इनके क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें :-

(i) नियमितीकरण हेतु कट-ऑफ-डेट 31.3.2001 होगी, अर्थात् कट-ऑफ-डेट तक निर्मित हो चुकी पात्र अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण पर ही विचार किया जाएगा।

(ii) गाईडलाईन्स के अनुसार पात्रता की श्रेणी में आने वाली अनधिकृत कालोनियों को प्राधिकरण द्वारा एक द्रुत सर्वे के आधार पर चिन्हित कर सूची तैयार की जाए जिसे स्थानीय समाचार पत्रों में इन निर्देशों के जारी होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रकाशित कराया जाए। चिन्हित की गई कालोनियों की सूची शासन को भी उपलब्ध कराई जाए।

(iii) नियमितीकरण हेतु आवेदन पत्र एक सीमित समयावधि (अधिकतम दो माह) में निर्धारित प्रपत्र पर आमंत्रित किए जाएं। आवेदन पत्र आमंत्रित करने की तिथि उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(iv) आवेदकों को नियमितीकरण गाईडलाईन्स की जानकारी देने, ले-आउट प्लान तैयार एवं जमा करने, विकास कार्यों के आगणन एवं क्रियान्वयन में मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु "ए एस" तथा "ए" श्रेणी के प्राधिकरणों में अधिशाषी अभियंता/जोनल स्तर पर तथा "बी" एवं "सी" श्रेणी के प्राधिकरणों में सहायक अभियंता स्तर पर "सुविधा प्रदायक प्रकोष्ठ" का तत्काल गठन कर शासन को सूचित किया जाए।

(v) नियमितीकरण प्रक्रिया को सुविधाजनक एवं प्रभावी बनाने तथा भविष्य में अनधिकृत विकास/निर्माण पर नियन्त्रण हेतु प्राधिकरण क्षेत्र को जोन्स में बांटकर सम्बन्धित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए।

(vi) गाईडलाईन्स का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने हेतु प्राधिकरणों द्वारा बुकलेट का मुद्रण कराया जाए जो प्राधिकरण काउण्टर पर बिक्री के आधार पर जनता को उपलब्ध रहे। बुकलेट का मूल्य मुद्रण की लागत तथा उस पर 10 प्रतिशत प्रशासनिक

व्यय के योग से अधिक नहीं होगा। इसके अतिरिक्त स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर तथा सूचनापट पर गाईडलाईन्स के मुख्य प्राविधानों का उल्लेख करते हुए आवेदकों को स्वेच्छा से नियमितीकरण की प्रक्रिया का लाभ उठाने हेतु प्रोत्साहित किया जाए।

4. कृपया उपरोक्त व्यवस्थाएं तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराएं।

संलग्नक : गाईडलाईन्स (13 पृष्ठ)

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या 5097(1)/9-आ-3-2001(आ.ब.) तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 आवास मंत्री/राज्य आवास मंत्री/राज्य नगर विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, आवास एवं नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निजी सचिव, सचिव आवास के अवलोकनार्थ।
4. सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
7. अध्यक्ष, उ0प्र0 विद्युत कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
8. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश।
9. निदेशक, सूडा।
10. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी आवास संघ लिमिटेड, लखनऊ।
11. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
12. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
13. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
14. समस्त विशेष सचिव, तथा संयुक्त सचिव, आवास, उत्तर प्रदेश शासन।
15. अध्यक्ष, इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ आर्कीटेक्ट्स, उत्तर प्रदेश।
16. अध्यक्ष, यू.पी. रेडको, लखनऊ।
17. अपर निदेशक, नियोजन, उ0प्र0 आवास बन्धु।

भवदीय,
यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव

अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण हेतु गाईडलाइन्स

1. परिचय

विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत कोई भी विकास एवं निर्माण कार्य किए जाने से पूर्व उ0 प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-15 के अधीन अनुज्ञा प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। परन्तु इसके बावजूद भी अधिकांश नगरीय क्षेत्रों में कतिपय कालोनाईजर्स, सहकारी आवासीय समितियों तथा निजी भू-स्वामियों द्वारा अनधिकृत रूप से भूमि का उप-विभाजन कर एवं ले-आउट प्लान स्वीकृत कराए बिना कालोनियां निर्मित कर ली गई है जिनमें विकास कार्य या तो अधूरे है अथवा निर्धारित स्तर के नही है। ऐसी ही स्थिति में इन कालोनियों के अन्तर्गत कई क्रेताओं द्वारा भवनों का अनधिकृत रूप से निर्माण कर लिया गया है। यद्यपि अनधिकृत निर्माण के शमन हेतु अधिनियम की धारा - 32 में प्राविधान है, तथापि शमन के पूर्व अनधिकृत कालोनियों का नियमितीकरण एवं उनमें विकास कार्य सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

2 नियमितीकरण का तात्पर्य

नियमितीकरण का तात्पर्य अधिनियम में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत विकास एवं निर्माण की वैधानिक स्वीकृति प्रदान करते हुए आन्तरिक एवं वाह्य विकास पूर्ण कर अथवा पूर्ण कराकर सम्बन्धित स्थानीय निकाय को सेवाओं के रख-रखाव हेतु हस्तान्तरित किए जाने से है।

3. नियमितीकरण हेतु अधिनियम के अन्तर्गत प्राविधान

उ0 प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-33 के अनुसार विकास प्राधिकरणों द्वारा अविकसित क्षेत्रों के विकास को पूरा कराया जा सकता है और उसके लिए प्राधिकरण को यह अधिकार प्रदत्त है कि वह किसी जिम्मेदार एजेन्सी से कार्य करवाने हेतु लाभार्थियों को बाध्य करें अथवा स्वयं कराकर आने वाले व्यय को उपकर (सेस) के रूप में लाभार्थी से प्राप्त करें।

4. नियमितीकरण का औचित्य

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विद्यमान आवासीय स्टॉक का एक बहुत बड़ा भाग अनधिकृत रूप से निर्मित कालोनियों के अन्तर्गत है जिसका मुख्य कारण सुविधायुक्त भूमि की अनुपलब्धता तथा आवासीय मांग के सापेक्ष अपेक्षित मूल्य पर आवास की आपूर्ति न होना है। अनधिकृत कालोनियों में रह रहे अधिकांश परिवार अपने आवासों के सुधार अथवा अपग्रेडेशन में निजी पूंजी का उपयोग नही कर पाते है क्योंकि उन्हें अवैध निर्माण को गिराए जाने अथवा उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही होने का डर बना रहता है अनधिकृत निर्माण के शमन हेतु शासनादेश संख्या 4167/9-आ-1-98 दिनांक 29.10.1998 द्वारा समस्त प्राधिकरण क्षेत्रों में स्वैच्छिक शमन योजना लागू की गई थी। परन्तु इस योजना के अनुसार ऐसी अनधिकृत कालोनियों के अन्तर्गत किए गए निर्माण, जिनका नियमितीकरण नही हुआ है, को शमनीय नही रखा गया था। क्योंकि वहां पर मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित नहीं थी। शासन द्वारा यह अनुभव किया गया है कि ऐसी कालोनियों में मूलभूत सुविधाओं का प्राविधान सुनिश्चित करने हेतु उनका नियमितीकरण किया जाना आवश्यक है ताकि नागरिकों को एक स्वच्छ रिहायशी पर्यावरण उपलब्ध हो सके एवं इन कालोनियों को समग्र नगरीय विकास से एकीकृत किया जा सके।

अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण के फलस्वरूप निम्न लाभ होंगे :-

(i) विद्यमान हाऊसिंग स्टॉक की गुणवत्ता में सुधार तथा आवासीय समस्या के निवारण में योगदान,

(ii) भवनों में सुधार एवं अपग्रेडेशन हेतु निजी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन जिसके फलस्वरूप भवन में "वैल्यू एडीशन" होने से "म्यूनिसिपल टैक्स" में वृद्धि होगी।

(iii) अनधिकृत रूप से निर्मित कालोनियों का नगर के समग्र विकास से एकीकरण।

5. नियमितीकरण हेतु वर्तमान व्यवस्था

वर्तमान व्यवस्थानुसार विभिन्न कालोनियों की विशिष्ट आवश्यकताओं के दृष्टिगत नियमितीकरण की कार्यवाही स्थानीय स्तर पर अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में वर्तमान में प्रभावी शासनादेशों के अन्तर्गत निम्न प्राविधान है :-

(i) शासनादेश संख्या 1061/9-आ-3-1996-10 काम्प/93 दिनांक 22.3.1996 (संलग्नक-1) में यह प्राविधान है कि भिन्न-भिन्न नगरों की स्थानीय परिस्थितियां अलग-अलग होने के कारण सभी नगरों के लिए सामान्य नीति निर्धारित किया जाना उचित नहीं है, अतः अनधिकृत कालोनियों का सर्वेक्षण कराकर इनके नियमितीकरण की कार्यवाही प्राधिकरण बोर्ड में निर्णय लेकर की जाए।

(ii) शासनादेश संख्या 152/9-आ-1-1998 दिनांक 15.1.1998 (संलग्नक-2) के अनुसार शहर की ऐसी अनधिकृत कालोनियां जो महायोजना के अनुसार आवासीय क्षेत्र में स्थापित है, के मानचित्र विकास शुल्क लेकर स्वीकृत किए जाने का प्राविधान है। यह धनराशि इस व्यवस्था के अन्तर्गत ली जाएगी कि उस क्षेत्र के न्यूनतम 80 प्रतिशत भू-भाग द्वारा विकास शुल्क जमा कर लिए जाने पर ही उस क्षेत्र का विकास कार्य किया जाएगा तथा ऐसे किए जाने वाले विकास कार्य का स्तर भी स्पष्ट किया जाएगा।

उपरोक्त शासनादेशों में की गई व्यवस्था के बावजूद नियमितीकरण हेतु विस्तृत गाईडलाइन्स के अभाव में कतिपय विकास प्राधिकरण अनधिकृत कालोनियों का नियमितीकरण नहीं कर पा रहे है। राज्य आवास नीति में अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण हेतु शासन स्तर पर प्रक्रिया तैयारा कराए जाने का प्राविधान है। अतः नियमितीकरण की प्रक्रिया को सरलीकृत बनाने एवं उसमें एकरूपता लाने हेतु शासन द्वारा आवास बन्धु के माध्यम से गाईडलाइन्स तैयार की गई है।

6. नियमितीकरण हेतु गाईडलाइन्स

6.1 नियमितीकरण हेतु पात्रता :

नियमितीकरण हेतु केवल वही अनधिकृत कालोनियां पात्र होंगी जो :-

6.1.1 केन्द्र राज्य सरकार तथा सार्वजनिक अभिकरण की भूमि अथवा विवादित भूमि पर स्थित न हों, अथवा सक्षम स्तर से उनकी अनापत्ति प्राप्त हो,

6.1.2 वन क्षेत्र अथवा असुरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत न हों,

6.1.3 वर्तमान अथवा प्रस्तावित रेलवे लाइन, सड़कें, पार्क एवं ग्रीनवर्ज़, अवस्थापना एवं जन-सुविधाओं हेतु आरक्षित भूमि पर न हों,

6.1.4 जलमग्न अथवा नदी नाले के प्रवाह क्षेत्र अथवा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत न हों,

6.1.5 नगरों के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं वास्तुकलात्मक अभिकल्पन की धरोहर के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों के प्रतिबन्धित सीमान्तर्गत न हों,

6.1.6 महायोजना अथवा जोनल प्लान में प्रस्तावित आवासीय भू-उपयोग से भिन्न भू-उपयोग होने की स्थिति में, अधिनियम के अनुसार भू-प्रयोग परिवर्तन स्वीकृत होने के उपरान्त ही नियमितीकरण पर विचार किया जाएगा।

6.2 कट-ऑफ-डेट एवं सर्वेक्षण

नियमितीकरण हेतु कट-आफ-डेट 31.03.2001 होगी। प्राधिकरण द्वारा विकास क्षेत्र में स्थित समस्त अनधिकृत कालोनियां जो उक्त दिनांक तक निर्मित हो चुकी है और नियमितीकरण की पात्रता में आती है, का सर्वेक्षण कर सूची तैयार की जाएगी जिसके अन्तर्गत कालोनियों की स्थिति, क्षेत्रफल, महायोजना में भू-उपयेाग, तथा भूखण्डों/भवनों/परिवारों की संख्या आदि के सम्बन्ध में विवरण शामिल होगा। अभिज्ञापित कालोनियों की सूची स्थानीय समाचार पत्रों में प्रख्यापित की जाएगी। कट-ऑफ-डेट

के उपरांत निर्मित अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा और भविष्य में अनधिकृत भू-विभाजन एवं अनधिकृत कालोनाइजेशन पर नियन्त्रण रखने हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

6.3 नियमितीकरण के सिद्धान्त

6.3.1 नियमितीकरण गाईडलाइन्स में केवल समर्थक प्राविधान (**Enabling Provisions**) दिए गए है। नियमितीकरण हेतु कालोनाइजर, सहकारी आवास समिति अथवा कालोनी विशेष के निवासियों द्वारा समिति अथवा पंजीकृत एसोसिएशन के माध्यम से, स्वेच्छा से आवेदन करना होगा।

6.3.2 अनधिकृत कालोनियों का यथासम्भव यथास्थिति नियमितीकरण पर विचार किया जाएगा बशर्ते मौलिक अवस्थापना सुविधाएं यथा सड़क, ड्रेनेज, जलापूर्ति, मल-निस्तारण तथा विद्युत-आपूर्ति का प्राविधान सुनिश्चित हो सके। अन्य सुविधाओं के बारे में कुछ सीमा तक मानकों को शिथिल किया जा सकता है, परन्तु यथावश्यक ड्रेनेज व्यवस्था अनिवार्य होगी।

6.3.3 जिस मानक तथा अवस्थापना स्तर पर नियमितीकरण कराया जा रहा है, उसका रख-रखाव उसी स्तर पर होगा। विकास के स्तर के लिए प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगा तथा नियमित की गई कालोनियों का भविष्य में सुधार करने का दायित्व प्राधिकरण अथवा किसी अन्य एजेन्सी का नहीं होगा।

6.3.4 यदि किसी अनधिकृत कालोनी में गरीबी की रेखा के नीचे परिवार रह रहे है, तो उसके अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के प्राविधान हेतु अन्य विभागों की योजनाओं की डवटेलिंग की जा सकती है, परन्तु इस हेतु विकास प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगा-सम्बन्धित विभाग से सीधे सम्पर्क करना होगा।

6.4 नियमितीकरण हेतु शर्तें

6.4.1 उन्हीं कालोनियों के नियमितीकरण पर विचार किया जाएगा जिनके अन्तर्गत कट-आफ-डेट को न्यूनतम 50 प्रतिशत भूखण्डों पर निर्माण हो चुका हो जबकि 50 प्रतिशत से कम निर्माण वाली केवल ऐसी कालोनियों के नियमितीकरण पर विचार किया जाएगा जो महायोजनानुसार आवासीय भू-उपयोग के अन्तर्गत हों। आवासीय से भिन्न उपयोग में निर्मित अनधिकृत कालोनियों जिनमें 50 प्रतिशत से कम निर्माण है, के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी।

6.4.2 कालोनी के न्यूनतम 75 प्रतिशत भवन/भूखण्ड स्वामी नियमितीकरण कराने एवं विकास कार्यों की लागत वहन करने हेतु सिद्धान्ततः सहमत हों,

6.4.3 कालोनी के न्यूनतम दो-तिहाई परिवारों द्वारा रेजीडेन्ट एसोसिएशन अथवा सहकारी आवास समिति पंजीकृत कराया जाना अनिवार्य है ताकि अवशेष विकास कार्यों की व्यवस्था उसके माध्यम से कराई जा सके एवं नियमितीकरण की प्रक्रिया उसके माध्यम से पूर्ण हो सके,

6.4.4 कालोनी में सामुदायिक सुविधाओं, सड़कों आदि हेतु शिथिलीकरण के उपरान्त भी परिशिष्ट-1 में निर्धारित न्यूनतम मानकों के अनुसार भूमि की व्यवस्था सुनिश्चित करना रेजीडेन्ट एसोसिएशन अथवा सहकारी आवास समिति का **दायित्व होगा।**

6.4.5 **यदि महायोजना अथवा जोनल प्लान स्तर की कोई सड़क या बरसाती पानी के निकास हेतु नाला या अन्य सुविधा उस कालोनी में प्रस्तावित है तो मौके की स्थिति को देखते हुए प्राधिकरण द्वारा मांग किए जाने पर उसके लिए** अन्य भुगतान पर भूमि उपलब्ध करानी होगी,

6.4.6 सड़क, पार्क अथवा सामुदायिक सुविधा के प्राविधान के फलस्वरूप विस्थापित होने वाले व्यक्तियों को रेजीडेन्ट एसोसिएशन अथवा समिति द्वारा कालोनी में वैकल्पिक व्यवस्था स्वयं सुनिश्चित करनी होगी,

6.4.7 भू-स्वामियों द्वारा प्राधिकरण को यथावश्यक विकास शुल्क एवं अन्य निर्धारित शुल्क परिशिष्ट-2 के अनुसार देय होंगे।

6.4.8 भवनों का शमन रेजीडेन्ट एसोसिएशन अथवा सहकारी आवास समिति की संस्तुति पर ही किया जाएगा।

6.5 नियमितीकरण की प्रक्रिया

6.5.1 कालोनी के नियमितीकरण हेतु रेजीडेन्ट एसोसिएशन अथवा समिति द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र (परिशष्ट-3) पर प्राधिकरण को लिखित आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र की प्रोसेसिंग हेतु रू0 1000/- (रुपये एक हजार मात्र) की धनराशि जो वापस नहीं होगी, नकद अथवा बैक ड्राफ्ट के माध्यम से प्राधिकरण में जमा करनी होगी।

6.5.2 आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने हेतु तिथि एवं समय अवधि विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा नियत की जाएगी।

6.5.3 प्राधिकरण द्वारा आवेदन पत्र की प्रारम्भिक स्क्रीनिंग कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सम्बन्धित कालोनी पात्रता की श्रेणी में आती है अथवा नहीं। पात्र पाए जाने की स्थिति में कालोनी का ले-आउट प्लान तथा सर्विसेज का प्लान प्रस्तुत करने हेतु आवेदक की सूचित किया जाएगा।

6.5.4 प्राप्त ऐसे आवेदन पत्रों का निस्तारण जिनमें भू-प्रयोग परिवर्तन निहित नही है, छः माह के अन्दर तथा जिनमें भू-प्रयोग परिवर्तन निहित है, चार माह में परिवर्तन/निरस्त करने का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध करा दिया जाएगा। परिवर्तन स्वीकृत हो जाने के उपरान्त 6 माह में निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।

6.5.5 आवेदक द्वारा कालोनी का वर्तमान एवं प्रस्तावित ले-आऊट प्लान जो 1:1000 से कम पैमाने पर न हो, किसी भी पंजीकृत वास्तुविद् अथवा नगर नियोजक अथवा अभियंता के माध्यम से तैयार कराकर प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा। वर्तमान एवं प्रस्तावित ले-आउट प्लान विकास प्राधिकरण से भी तैयार कराया जा सकता है, जिस हेतु प्राधिकरण को निर्धारित फीस देय होगी।ले-आउट **Self contained** होगा जिसमें सब-डिवीजन मानकों के अनुसार निम्न विवरण दर्शाए जायेंगे :-

(i) सड़कें
(ii) ड्रेनेज व्यवस्था
(iii) जलापूर्ति
(iv) सड़कें
(v) विद्युत आपूर्ति
(vi) पार्क एवं खुले स्थल
(vii) अन्य सामुदायिक सुविधाएं
(viii) सर्विसेज की विशिष्टियाँ

सीवर सिस्टम की लागत अधिक होने के कारण इसकी व्यवस्था हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। यदि कालोनी के निवासी सीवरेज सिस्टम चाहते हों तो उसकी विकास लागत उन्हें वहन करनी होगी।

6.5.6 प्राधिकरण द्वारा प्रारम्भिक परीक्षण के उपरान्त ले-आउट प्लान के अनुमोदनार्थ एक अन्तर्विभागीय समिति द्वारा परीक्षण किया जाएगा जिसमें निम्न सदस्य होंगे :-

(i) विकास प्राधिकरण के सचिव	अध्यक्ष
(ii) विकास प्राधिकरण के अभियंत्रण अनुभाग का वरिष्ठतम प्रतिनिधि,	सदस्य
(iii) विकास प्राधिकरण के नियोजन अनुभाग का वरिष्ठतम प्रतिनिधि, जहां नगर नियोजक न हों वहाँ मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक का प्रतिनिधि	सदस्य
(iv) स्थानीय निकाय का अधिकृत प्रतिनिधि	सदस्य
(v) सहकारी आवास संघ का प्रतिनिधि अथवा सलाहकार	सदस्य
(vi) जल निगम का प्रतिनिधि	सदस्य
(vii) विद्युत वितरण विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य

6.5.7 समिति द्वारा ले-आऊट प्लान तथा डेवलपमेंट प्लान क्रियान्वयन हेतु अनुमोदित किया जाएगा जिस पर समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। यदि कार्यान्वयन की स्टेज पर ले-आउट प्लान में कोई परिवर्तन अपेक्षित हो, तो समिति को संदर्भित किया जाएगा।

6.5.8 अनुमोदित ले-आउट प्लान की एक प्रति स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि को उपलब्ध कराई जाएगी जिस पर स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर इस बात का प्रमाण होंगे कि उक्त कालोनी के रख-रखाव के लिए स्थानीय निकाय सहमत है। परन्तु ले-आउट प्लान में सड़कों, ड्रेनेज तथा अन्य सुविधाओं की जो विशिष्टियां होंगी, आगे उनका रख-रखाव उसी स्तर का होगा उससे बेहतर रख-रखाव करने की जिम्मेदारी स्थानीय निकाय की नहीं होगी।

6.5.9 भू-प्रयोग परिवर्तन के विषय पर निर्णय लेने हेतु प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निम्न सदस्यों की समिति गठित की जाएगी। समस्त सदस्य उपलब्ध न होने की स्थिति में किन्हीं तीन सदस्यों को रखा जा सकता है :-

(i) विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष,
(ii) मुख्य नगर अधिकारी/अधिशाषी अधिकारी,
(iii) जल निगम/जलसंस्थान का प्रतिनिधि,
(iv) नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 का प्रतिनिधि,
(v) प्राधिकरण बोर्ड के एक गैर-सरकारी सदस्य जिसे उपाध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा। गैर-सरकारी सदस्य न होने की स्थिति में स्थानीय निकाय का एक निर्वाचित सदस्य जिसे मेयर द्वारा नामित किया जाएगा।

उपरोक्त समिति भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में बोर्ड की ओर से शासन को संस्तुति उपलब्ध कराएगी। आपत्तियों एवं सुझावों की सुनवाई हेतु भी प्राधिकरण बोर्ड द्वारा उक्त समिति को अधिकृत किया जा सकता है।

6.5.10 भू-उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रकरण निम्न विवरणों सहित शासन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किए जायेंगे :-

(i) सम्बन्धित कालोनी की महायोजना मानचित्र पर स्थिति,
(ii) कालोनी की सजरा मानचित्र पर स्थिति (सजरा संख्याओं की सूची एवं उनके क्षेत्रफल के विवरण सहित),
(iii) प्रस्ताव पर समिति की अनुशंसा तथा समिति के सदस्यों अथवा उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण के हस्ताक्षर।

6.5.11 आवेदक द्वारा कालोनी का आंतरिक विकास स्वयं, विकास प्राधिकरण, स्थानीय निकाय अथवा किसी अन्य संस्था के माध्यम से कराया जा सकता है।

6.5.12 यदि विकास कार्य प्राधिकरण से कराया जाता है, तो विकास कार्यों के क्रियान्वयन एवं विकास शुल्क की वसूली हेतु निम्न विकल्प अपनाए जा सकते है जिनमें प्रथम विकल्प को वरीयता दी जाएगी :-

(i) विकास कार्यों का क्रियान्वयन सर्विस-वाइज **(Service-wise)** किया जाएगा और विभिन्न विकास कार्यों की वर्तमान लागत प्राविधानित की गई अवस्थापना सुविधा के अनुसार (सर्विस-वाइज) पूरी ली जाएगी, अर्थात् जिस **अवस्थापना सुविधा (यथा जलापूर्ति, सीवरेज, सड़क, ड्रेनेज, विद्युत-आपूर्ति, आदि) का पहले प्राविधान किया जाएगा, केवल उसी की पूरी लागत पहले वसूल की** जाएगी। तदुपरान्त क्रमवार अगली क्रियान्वित की जाने वाली **अवस्थापना सुविधा की वर्तमान लागत जमा करा ली** जाएगी। वर्तमान लागत से तात्पर्य वास्तविक लागत, निर्माण **के दौरान तथा वास्तविक भुगतान तक की अवधि का** ब्याज, से है।

(ii) यदि सारे विकास कार्य **समकालिक (Simultaneously)** कराना चाहते हो, तो आन्तरिक एवं वाह्य विकास **शुल्क का 50 प्रतिशत ले-आउट प्लान स्वीकृति को समय देय** होगा। अवशेष धनराशि तीन छमाही किश्तों में **12 प्रतिशत ब्याज सहित देय होगी।**

6.5.13 **आवेदक द्वारा वाह्य विकास किसी अन्य एजेन्सी से भी कराया जा सकता है।** यदि वाह्य विकास कार्य प्राधिकरण **से कराया जाता है तो ले-आउट प्लान की स्वीकृति के समय निर्धारित दर पर** वाह्य विकास शुल्क का 50 प्रतिशत

प्राधिकरण को देय होगा तथा अवशेष धनराशि तीन छमाही किश्तों में 12 प्रतिशत ब्याज सहित देय होगी।

6.5.15 आन्तरिक अथवा वाह्य विकास शुल्क की सम्पूर्ण धनराशि एक मुश्त जमा करने पर 5 प्रतिशत छूट अनुमन्य होगी। यदि विकास शुल्क के भुगतान में विलम्ब होता है, तो 5 प्रतिशत दण्ड ब्याज देय होगा। यदि आवेदक द्वारा किश्त के भुगतान में एक माह से अधिक समय का डिफाल्ट किया जाता है तो ले-आउट प्लान स्वतः निरस्त समझा जाएगा और नियमितीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा।

6.6 सुविधाप्रदायक प्रकोष्ठ (Facilitation Cell)

नियमितीकरण की प्रक्रिया को सरल एवं सुविधाजनक बनाने हेतु प्राधिकरणों द्वारा **Faciliatation Cell/Window** स्थापित किए जायेंगे। यह सेल नियमितीकरण गाईडलाइन्स की जानकारी, उनके अनुसार ले-आउट प्लान को तैयार एवं जमा करने, विकास कार्यों के आगणन तथा अवस्थापनाओं के प्राविधान एवं क्रियान्वयन के सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित को मार्गदर्शन व परामर्श देंगे तथा **counselling** भी करेंगे। प्रत्येक विकास प्राधिकरण अपने क्षेत्र में टाउन प्लानर्स/आर्कीटेक्ट्स/इंजीनियर्स का एक पैनल गठित करेंगे तथा उन्हें गाईड करेंगे ताकि वे प्रस्ताव तैयार करा सकें। इस हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के सम्भागीय नियोजन खण्ड तथा अन्य टाउन प्लानर्स की भी सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं।

6.7 नियमितीकरण प्रक्रिया की पूर्णता

नियमितीकरण की पूर्णता के सम्बन्ध में संस्तुति देने हेतु निम्न समिति का गठन किया जाएगा :-

(i)	मुख्य नगर अधिकारी/अधिशाषी अधिकारी	अध्यक्ष
(ii)	जल निगम/जलसंस्थान का प्रतिनिधि	सदस्य
(iii)	विकास प्राधिकरण का प्रतिनिधि	सदस्य
(iv)	स्थानीय निकाय का निर्वाचित प्रतिनिधि जिसे मेयर/अध्यक्ष, नगरपालिका द्वारा नामित किया जाएगा	सदस्य
(v)	विद्युत वितरण विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य

उपरोक्त समिति द्वारा स्थल निरीक्षणोपरान्त यह तय किया जाएगा कि विकास कार्यों का कम्पलीशन अनुमोदित ले-आउट प्लान के अनुसार हो गया है अथवा नहीं। समिति की संस्तुति पर सम्बन्धित कालोनी सेवाओं के रख-रखाव हेतु स्थानीय निकाय को हस्तान्तरित की जाएगी और सामुदायिक स्थल, पार्क एवं खुले क्षेत्र, आदि भी तत्समय हस्तान्तरित होंगे। नियमितीकरण की कार्यवाही **Handing over** तथा **Taking over** के उपरान्त ही पूर्ण मानी जाएगी और तदुपरान्त भवनों की कंम्पाउण्डिंग की जाएगी।

6.8 भविष्य में अनधिकृत विकास के नियन्त्रण हेतु कार्यवाही

6.8.1 भविष्य में अनधिकृत विकास/निर्माण के विरूद्ध समस्त प्राधिकरणों द्वारा उ0प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-26, 27 एवं 28 के अधीन प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

6.8.2 अनधिकृत विकास/निर्माण पर प्रभावी नियन्त्रण रखने हेतु प्राधिकरण क्षेत्र को जोन्स में बांट कर अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। अनधिकृत/निर्माण/विकास को रोकने में शिथिलता बरतने वाले सम्बन्धित जोन हेतु उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इसके अतिरिक्त अतिक्रमणकर्ताओं और अतिक्रमण को हटाने में शिथिलता बरतने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध उ0 प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम (संशोधन अधिनियम), 1997 की धारा-26 (डी) के अधीन उचित कार्यवाही की जाएगी।

नियमितीकरण हेतु मानक

1. **50 प्रतिशत से कम निर्माण वाली कालोनियां**

जिन कालोनियों में 50 प्रतिशत से कम भूखण्डों पर निर्माण है तथा जो महायोजनानुसार आवासीय भू-उपयोग के अन्तर्गत है, में सड़कों, पार्क एवं खुले क्षेत्रों तथा सामुदायिक सुविधाओं एवं सेवाओं का प्राविधान विकास प्राधिकरण की लागू भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार किया जाएगा।

2. **50 प्रतिशत से अधिक निर्माण वाली कालोनियाँ**

2.1 सड़कें

भूखण्ड के औसत क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हुए सड़कों की चौड़ाई निम्न मानकों के अनुसार रखी जाएगी :-

(क) 60 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड

(i) 50 मीटर तक की लम्बाई हेतु-न्यूनतम 3 मीटर चौड़ी सड़क,

(ii) 50 मीटर से अधिक परन्तु 100 मीटर लम्बाई तक-न्यूनतम 4.5 मीटर चौड़ी सड़क,

(iii) 100 मीटर से अधिक लम्बाई हेतु-न्यूनतम 6 मीटर चौड़ी सड़क।

(ख) 61 से 120 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड

(i) 50 मीटर तक की लम्बाई हेतु-न्यूनतम 4.5 मीटर चौड़ी सड़क,

(ii) 50 मीटर से अधिक परन्तु 100 मीटर लम्बाई तक-न्यूनतम 6 मीटर चौड़ी सड़क,

(iii) 100 मीटर से अधिक लम्बाई हेतु-न्यूनतम 7.5 मीटर चौड़ी सड़क।

(ग) 120 वर्ग मीटर से अधिक के भूखण्ड

(i) 100 मीटर तक की लम्बाई हेतु-न्यूनतम 6 मीटर चौड़ी सड़क,

(ii) 100 मीटर से अधिक परन्तु 200 मीटर लम्बाई तक-न्यूनतम 7.5 मीटर चौड़ी सड़क,

(iii) 200 मीटर से अधिक लम्बाई हेतु-न्यूनतम 9 मीटर चौड़ी सड़क।

कालोनी के विद्यमान ले-आउट प्लान को यथासम्भव उपरोक्त मानकों के अनुसार समायोजित करते हुये सड़कें, पार्क एवं खुले क्षेत्र तथा अन्य सुविधाओं का प्राविधान सुनिश्चित किया जाएगा। यदि मौके पर उपरोक्त मानकों से अधिक चौड़ी सड़क उपलब्ध है, तो उसकी चौड़ाई कम नहीं की जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि मौके पर उपरोक्त मानकों के अनुसार सड़क की चौड़ाई रखा जाना व्यवहारिक रूप से सम्भव न हो, तो प्राधिकरण बोर्ड द्वारा कालोनी विशेष की परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मानक कम किए जा सकते हैं। परन्तु सड़क की चौड़ाई न्यूनतम मानक से कम होने की दशा में चौड़ाई से अन्तर्ग्रस्त भूमि के मूल्य के बराबर सम्बन्धित भू-स्वामियों द्वारा भूमि के प्रचलित सेक्टर रेट/सर्किल रेट (आवासीय दर) पर पेनाल्टी देय होगी। उक्त पेनाल्टी की धनराशि स्थानीय निकाय को कालोनी के हस्तान्तरण के समय देय होगी।

2.2 ड्रेनेज व्यवस्था

ड्रेनेज व्यवस्था हेतु निम्नानुसार नालियों का प्राविधान अनिवार्य होगा तथा उनमें पर्याप्त ढाल होगा ताकि बरसाती जल की निकासी स्वतः हो सकें :-

(i) सड़क के दोनों ओर के. सी. ड्रेन अथवा यू-शेप का प्राविधान,

(ii) आवश्यकतानुसार ट्रंक स्टार्म वाटर ड्रेन तक जोड़ने हेतु यदि अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता पड़ती है, तो उसका मूल्य एवं कनेक्शन की लागत आवेदकों द्वारा देय होगी।

2.3 खुले स्थल

एक एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की कालोनी में पार्क एवं खुले क्षेत्र हेतु न्यूनतम 5 प्रतिशत भूमि आरक्षित की जाएगी। पार्क एवं खुले हेतु निर्धारित क्षेत्र उपलब्ध न होने की दशा में वांछित क्षेत्रफल एवं उपलब्ध क्षेत्रफल के अन्तर की भूमि का वर्तमान आवासीय सेक्टर रेट अथवा जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट जो भी लागू हो, का 100 प्रतिशत मूल्य अनुपातिक रूप में लाभार्थियों द्वारा नगर निगम/नगरपालिका परिषद को कालोनी के हस्तान्तरण के समय देय होगा।

2.4 अन्य प्राविधान

(i) यदि किसी स्थान पर महायोजना अथवा जोनल प्लान के अनुसार सड़क को चौड़ा करने की आवश्यकता हो तो प्रभावित भवनों के भू-स्वामियों द्वारा ऐसी भूमि निःशुल्क प्राधिकरण को हस्तान्तरित करने पर उसके एवज़ में उन्हें भवन उपविधियों के अनुसार कम्पनसेटरी एफ.ए.आर. देय होगा।

(ii) 300 वर्गमीटर से बड़े रिक्त भूखण्डों में अग्रेतर उप-विभाजन अनुमन्य होगा ताकि ले-आउट में सुधार के फलस्वरूप यदि कोई परिवार विस्थापित होता है तो उसके पुनर्वास की व्यवस्था हो सके। उप-विभाजित भूखण्डों हेतु सैट-बैक, कवरेज तथा एफ.ए.आर. आदि के प्राविधान लागू महायोजना एवं भवन उपविधियों के अनुसार होंगे।

(क) ले-आउट प्लान की स्वीकृति के समय लिए जाने वाले शुल्क

1. **यदि आवेदक द्वारा स्वयं आन्तरिक विकास किया जाता है :**

   1.1 वाह्य विकास शुल्क :

   वाह्य विकास कार्य किसी अन्य एजेन्सी से कराया जा सकता है यदि प्राधिकरण से कराया जाता है तो वाह्य विकास शुल्क प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दरों पर देय होगा। ड्रेनेज हेतु प्राधिकरण द्वारा अन्य संस्थाओं यथा जल निगम, नगर निगम से वास्तविक शेयरिंग के आधार पर वाह्य विकास शुल्क लिया जायेगा। यदि ड्रेनेज कार्यों हेतु सरकार से अनुदान प्राप्त होता है, तो उसके अनुपात में विकास शुल्क कम लिया जाएगा।

   1.2 भू-प्रयोग परिवर्तन शुल्क : (जहां भू-प्रयोग परिवर्तन निहित हो)

   शासनादेश संख्या 2245/9-आ-3-1998-26 एल.यू.सी./91 दिनांक 28.8.1998 के अनुसार भू-प्रयोग परिवर्तन शुल्क देय होगा।

   1.3 अन्य शुल्क : (यदि कोई हो, देय होगा)।

2. **यदि प्राधिकरण से विकास कार्य कराया जाता है :**

   2.1 वाह्य एवं आन्तरिक विकास लागत : प्रस्तावित विकास कार्यों की लागत वास्तविक लागत के अनुसार देय होगी।

   2.2 भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क : जहां भू-उपयोग परिवर्तन निहित है, क्रमांक 1.2 पर उल्लिखित शासनादेश के अनुसार परिवर्तन शुल्क देय होगा।

(ख) भवनों की कम्पाउण्डिंग के समय लिए जाने वाले शुल्क

1.	मानचित्र शुल्क	प्राधिकरण में प्रचलित दरों के अनुसार
2.	पर्यवेक्षण शुल्क	कुल तल क्षेत्रफल पर रू0 5/- प्रति वर्गमीटर
3.	अम्बार शुल्क	कुल तल क्षेत्रफल पर रू0 11/- प्रति वर्गमीटर
4.	सुदृढ़ीकरण शुल्क	कुल तल क्षेत्रफल पर रू0 26/- प्रति वर्गमीटर
5.	शमन शुल्क	प्रचलित शमन उपविधि के अनुसार
6.	अन्य शुल्क	(यदि कोई हो, देय होगा)

7. **अनधिकृत भू-विभाजन शुल्क :** केवल 120 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर निम्नानुसार देय होगा :-

   7.1 ऐसी अनधिकृत कालोनी जिसमें ले-आउट प्लान तत्समय प्रचलित सब-डिवीजन रेगुलेशन्स के अनुसार ही है, में भूमि के वर्तमान आवासीय सेक्टर रेट अथवा जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट जो भी लागू हो, का 1.0 प्रतिशत शुल्क भू-स्वामियों द्वारा देय होगा,

   7.2 सब-डिवीजन रेगुलेशन्स का उल्लंघन निहित होने पर भूमि के सेक्टर रेट अथवा सर्किल रेट का 3 प्रतिशत शुल्क देय होगा।

अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

1. कालोनी का नाम .....
2. स्थिति (खसरा संख्या/मोहल्ला/वार्ड) .....
3. भूखण्डों (प्लांट्स) की संख्या .....
4. निर्मित भवनों की संख्या .....
5. परिवारों की संख्या .....
6. सहकारी समिति/रेजीडेन्ट एसोसिएशन का नाम .....
7. समिति/एसोसिएशन का पंजीकरण संख्या .....
8. समिति/एसोसिएशन के सदस्यों संख्या .....
9. भूमि का स्वामित्व सार्वजनिक/निजी/किराए पर
10. महायोजना के अनुसार भू-उपयोग .....
11. कालोनी का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) .....
12. वर्तमान भू-उपयोग का विवरण :

क्रमांक	भू-उपयोग	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	प्रतिशत
1.	आवासीय भूखण्ड एवं भवन		
2.	दुकानें		
3.	सड़कें एवं गलियाँ		
4.	पार्क एवं खुले स्थल		
5.	अन्य उपयोग		

13. उपलब्ध सुविधाएं

क्रमांक	सुविधाएं	सुविधा का स्तर	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)
1.	शैक्षिक		
2.	चिकित्सा		
3.	अन्य सुविधा		

14. अवस्थापना सुविधाओं की स्थिति

क्र.सं.	अवस्थापना सुविधा	उपलब्धता की स्थिति
1.	सड़क	पक्की/खड़न्जायुक्त/कच्ची
2.	ड्रेनेज (जल निकासी)	उपलब्ध/अनुपलब्ध
3.	जलापूर्ति	पाईप लाइन से/हैण्डपम्प/ कुआँ
4.	मल-निस्तारण	सीवर लाइन/सोकपिट/सेप्टिक टैंक/कोई सुविधा नही
5.	विद्युत-आपूर्ति	उपलब्ध/अनुपलब्ध

हस्ताक्षर .....
नाम .....
सचिव, सहकारी आवास समिति/
रेजीडेन्ट एसोसिएशन
दिनांक .....

हस्ताक्षर .....
नाम .....
सचिव, सहकारी आवास समिति/
रेजीडेन्ट एसोसिएशन
दिनांक .....

संख्या-2657/9-आ-3-2001-194काम्प/2001

प्रेषक,

पी0 एल0 पुनिया
आयुक्त एवं प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-3

लखनऊ : दिनाँक : 25 जून, 2001

विषय : अनाधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण एवं अनाधिकृत कब्जे/अवैध निर्माण के विरूद्ध की जा रही ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-5907/9-आ-3-2001(आ.ब.) दिनांक 26 मई, 2001 जिसके अन्तर्गत अनाधिकृत कालोनियो के नियमितीकरण हेतु गाईडलाईन्स निर्गत की गयी है, का सन्दर्भ ग्रहरण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवैध रूप से निर्मित कालोनियों/अवैध निर्माणो के ध्वस्तीकरण किये जाने के संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि :-

(1) अनाधिकृत कालोनियों के नियमितिकरण हेतु शासन द्वारा जारी गाईडलाईन्स के अनुसार शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(2) जो कालोनियां राजकीय आस्थान की अथवा अन्य सरकारी भूमि पर निर्मित है, का नियमितीकरण राजस्व विभाग अन्य संबंधित विभाग द्वारा भूमि के संबंध में नीतिगत निर्णय लिये जाने के उपरान्त ही किया जाए।

(3) बिन्दु-1 के सन्दर्भ में प्रस्तावित नियमितीकरण की कार्यवाही को देखते हुए ऐसे अनाधिकृत भवन जो पूर्व मे बन चुके है, का ध्वस्तीकरण फिलहाल रोक दिया जाये परन्तु नए अनाधिकृत निर्माणो पर प्रारम्भ से ही नियंत्रण लगाया जाय।

(4) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नाले, सड़क एवं असुरक्षित क्षेत्र में स्थित कालोनियों/भवनों अथवा ऐसे निर्माण जिनसे अवस्थापना सुविधाओं में अवरोध उत्पन्न हो रहा हो, का नियमितीकरण न किया जाए और ऐसे मामलो मे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाय।

(5) जो भी अवैध निर्माण/अतिक्रमण हो रहे है उनके प्रारम्भ होने के समय से सख्ती से कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि किसी निर्माण के पूर्ण होने के उपरान्त उत्पन्न होने वाली समस्या ही न रहे।

अत: आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,
पी0 एल0 पुनिया
प्रमुख सचिव

संख्या: 2657 (1)/9-आ-3-2001 तद्दिनांक :-

1. **प्रतिलिपि निजी सचिव, मा0 आवास मंत्री/राज्य** आवास मंत्री/राज्य नगर विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. **प्रतिलिपि निजी सचिव, आयुक्त एंव प्रमुख सचिव**, आवास एवं नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को अवलोकनार्थ।
3. **निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आवास के अवलोकनार्थ।**
4. **समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश** का सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. **आवास आयुक्त, उ0प्र0 एवं विकास परिषद् उत्तर प्रदेश।**
6. **प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहाकरी आवास संघ लिमिटेड लखनऊ।**
7. **मुख्य नगर एंव ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।**
8. **महानिदेशक, उ0प्र0 आवास बन्धु।**

यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव

शीर्ष प्राथमिकता/तत्काल
संख्या-1335/9-आ-3-2001-22 काम्प/2001

प्रेषक,

जावेद एहतेशाम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
आवास विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-3

लखनऊः दिनाँक-19 जुलाई, 2001

विषय : अतिक्रमण/अवैध निर्माण के नियंत्रण हेतु अभियान चलाना तथा अतिक्रमण/अवैध निर्माण हेतु उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-172/9-आ-3-2001 दिनांक 22 जनवरी, 2001 तथा शासनादेश संख्या-356/9-आ-3-2001, दिनांक 06 फरवरी, 2001 का संदर्भ ग्रहण करें।

2. उक्त विषय की ओर आपका ध्यानाकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2001-02 के लिए अतिक्रमण/अवैध निर्माण के विरूद्ध कार्यवाही के लिए प्राथमिकतायें निम्नवत निधारित की गयी है :-

(1) अतिक्रमण/अवैध निर्माण के नियंत्रण हेतु उत्तरदायित्व निर्धारण।

(2) अतिक्रमण/अवैध निर्माण हटाये जाने हेतु अभियान चलाना।

(3) अभियन्ताओं की मिली भगत से हुए अतिक्रमण/अवैध निर्माणों का चिन्हीकरण।

(4) अतिक्रमण/अवैध निर्माण हेतु उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही।

यह अत्यंत खेदजनक है कि अतिक्रमण/अवैध निर्माण के संम्बन्ध में प्राधिकरणों द्वारा नियमित रूप से सूचनाएं उपलब्ध नही करायी जा रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया प्रश्नगत मामले में अब तक प्राधिकरण स्तर पर की गई कार्यवाही एवं शासनादेश संख्या-172/9-आ-3-2001, दिनांक 22 जनवरी, 2001 एवं दिनांक 6 फरवरी, 2001 में वांछित सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि उपयुक्त सूचनाएं शासन/आवास बन्धु को नियमित रूप से उपलब्ध कराई जायं।

भवदीय,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव

संख्या-410/9-आ-3-2001(आ.ब.)

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-3

लखनऊ : दिनाँक : 28 जनवरी, 2001

विषय : नियमितीकरण पात्रता हेतु अनाधिकृत कालोनी के न्यूनतम आकार के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या 5097/9-आ-3-2001 (आ.ब.) दिनांक 26.5.2001 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण हेतु गाईडलाइन्स जारी की गयी थी। विकास प्राधिकरणों के कार्य-कलापों की समीक्षा बैठक दिनांक 21.12.2001 में शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया कि उक्त गाईडलाइन्स में नियमितीकरण पात्रता हेतु शर्ते दी गई है परन्तु अनधिकृत कालोनी के न्यूनतम आकार के सम्बन्ध में मानक निर्धारित नहीं है। अतः कतिपय विकास प्राधिकरणों द्वारा यह जिज्ञासा प्रकट की गई कि नियमितीकरण हेतु पात्र अनधिकृत कालोनी का न्यूनतम आकार/क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, के बारे में शासन द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया जाए।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियमितीकरण हेतु किस संकलन को कालोनी माना जाए, यह विकास प्राधिकरण के विवेक पर निर्भर है, क्योंकि स्थल विशेष की भौतिक परिस्थितियों के दृष्टिगत अनधिकृत कालोनी का आन्तरिक ले-आउट, निर्माण की तारतम्यता **(Contiguity of Construction)** तथा आकार एवं माप **(Shape and Size)** भिन्न-भिन्न हो सकते है जिसके कारण सभी स्थितियों में एक ही मापदण्ड अपनाया जाना व्यवहारिक नहीं है। तथापि यह सुनिश्चित होना आवश्यक है कि चिन्हित कालोनी एक तारतम्य क्षेत्र **(Compact Area)** हो तथा उसमें अवस्थापान सुविधाओं का प्राविधान फिजीबिल एवं स्वतंत्र रूप से किया जाना सम्भव होना चाहिए।

3. कृपया उपरोक्त के दृष्टिगत पात्र अनधिकृत कालोनियों का चिन्हीकरण सुनिश्चित करते हुए नियमितीकरण हेतु आवश्यक **कार्यवाही** करने का कष्ट करें।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या-410 (1)/9-आ-3-2001(आ.ब.) तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. **सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।**
2. **सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।**
3. **अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।**
4. **अध्यक्ष, उ.प्र. विद्युत कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।**

5. आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, सूडा, उत्तर प्रदेश।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी आवास संघ लिमिटेड, लखनऊ।
8. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
9. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
10. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
11. समस्त विशेष सचिव तथा संयुक्त सचिव, आवास, उत्तर प्रदेश शासन।
12. अध्यक्ष, इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कीटेक्ट्स, उत्तर प्रदेश।
13. अध्यक्ष, यू.पी. रेडको, लखनऊ।
14. अपर निदेशक, नियोजन, उ.प्र. आवास बन्धु।

आज्ञा से,
यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव

7

संगठित विकास योजना
(आई.डी.एस.एम.टी.)

संख्या-859/9-आ-1-01-24 आईडीएसएमटी/94

प्रेषक,

टी0पी0 पाठक,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश

लखनऊः दिनाँक- 19 सितम्बर 2001

आवास अनुभाग - 1

विषय :संगठित विकास योजनान्तर्गत उपलब्ध करायी गयी ऋण/अनुदान की धनराशि के रख-रखाव, आहरण एवं वितरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या : 2952ए/9-आ-1-94, दिनांक 27.8.1994 को निरस्त करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संगठित विकास योजनान्तर्गत छोटे मध्यम आकार के नगरों के विकास हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश की स्वीकृति धनराशि रखने के लिए संयुक्त पृथक खाते अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत तथा सहयुक्त नियोजक, केन्द्रीय इकाई/सहायक नियोजक, स्थानीय इकाई/सहयुक्त नियोजक/सहायक नियोजक, संभागीय नियोजन खण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग जिनको नियोजक का कार्य सौपा गया है, के नाम खोला जायेगा। उक्त खाते से धनराशि नागरिक समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की संस्तुति/जिलाधिकारी के अनुमोदन के पश्चात निकाली जायेगी ताकि उक्त योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशियों का अन्यत्र उपयोग करने अथवा दुरूपयोग करने की संभावना नही है।

अतः अपने जनपद से संबंधित नगरों के अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे भारत सरकार द्वारा माह जनवरी, 1993 में जारी मार्ग दर्शक सिद्धान्त में उल्लिखित निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। उक्त खाते में संगठित विकास योजना हेतु अवमुक्त ऋण/अनुदान, परिसम्पत्तियों से प्रापत आय को जमा करना, सेन्टेज चार्जेज एवं ब्याज तथा अन्य समस्त भुगतान की अदायगी एवं अवशेष धनराशि का व्यय पुनर्विनियाजित योजनाओं में कराना सुनिश्चित करें। योजना के चयन एवं उसके पश्चात केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा धनराशि अवमुक्त किये जाने के समय जो शर्ते निर्धारित की जायें उसके अनुरूप खाते के लेखा-जोखा रखने की प्रक्रिया भी सुनिश्चत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
टी0पी0 पाठक
विशेष सचिव

संख्या - 859(1)/9-आ-1-01 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0
2. सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 लखनऊ।
4. उप सचिव, शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली।
5. समस्त अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत (संगठित विकास योजना के चयनित नगर)।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
टी0पी0 पाठक
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग - 1
संख्या 4522/9-आ-1-01-2 आईडीएसएमटी/80
लखनऊ : दिनांक 24 सितम्बर, 2001

कार्यालय-ज्ञाप

छोटे तथा मध्यम आकार के नगरों के एकीकृत नगर विकास की योजना की, जो केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना है, के प्रभावी रूप से कार्यान्वयन करने, विभिन्न शासकीय विभागों एवं सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यों का समन्वय करने, योजनाओं का नियमित रूप से अनुश्रवण करने, प्रगति समीक्षा तथा मूल्यांकन करने के उद्देश्य से पूर्व में निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या-795/37-1-2 आईडीएसएमटी/80, दिनांक 24 मार्च, 1981 एवं तद्विषयक संशोधन सम्बन्धी कार्यालय ज्ञाप संख्या-461/37-1-89-45 बैठक/86, दिनांक-25.1.89 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-3148/37-1-89-45 बैठक/86, दिनांक 7.09.89 को निरस्त करते हुए राज्यपाल महोदय नागरिक समन्वय एवं अनुश्रवण समिति के निम्नवत गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

1.	जिलाधिकारी ।	
2.	संबंधित नगर पालिका/नगर पंचायत का निर्वाचित अध्यक्ष या प्रशासक या प्रभारी अधिकारी	अध्यक्ष
3.	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग का अधिकारी जिनको मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक नामांकित करेंगे।	सदस्य
4.	अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, जहां अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियन्ता न हों तो उक्त विभाग के जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारी जो जिलाधिकारी द्वारा नामित किया जाये।	सदस्य
5.	अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, जहां अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियन्ता न हों तो उक्त विभाग के जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारी जो जिलाधिकारी द्वारा नामित किया जाये।	सदस्य
6.	अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 राज्य विद्युत निगम, जहां अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियन्ता न हों तो उक्त विभाग के जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारी जो जिलाधिकारी द्वारा नामित किया जाये।	सदस्य
7.	अधीक्षण अभियंता, आवास एवं विकास परिषद्, जहां अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियन्ता न हों तो उक्त विभाग के जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारी जो जिलाधिकारी द्वारा नामित किया जाये।	सदस्य
8.	नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी।	सदस्य
9.	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग का स्थानीय अधिकारी (अगर स्थानीय अधिकारी की नियुक्ति नगर स्तर पर न हो तो मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा नामित अधिकारी)।	सदस्य सचिव

2 यह समिति आवश्यकतानुसार किसी अन्य विभाग, निगम अथवा परिषद के किसी भी अधिकारी को विशेष रूप से आमंत्रित कर सकती है।

3. उक्त समिति की बैठक माह में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी।

4. परियोजनाओं का कार्यान्वयन सम्बन्धित नगर पालिका द्वारा ही स्थापित होगा किन्तु समस्त योजनायें इस समिति द्वारा जांचने तथा अनुमोदित करने के बाद ही लागू की जायेंगी।

5. इस समिति का कार्य समन्वय के साथ-साथ नगर पालिकाओं को मार्गदर्शन देना एवं जो योजनायें लागू की जा रही हैं उनके समयानुसार कार्यान्वयन हेतु प्रभावी तरीके से नियंत्रक तथा अनुश्रवण करना, प्रगति की समीक्षा तथा मूल्यांकन करना और प्राथमिकताओं का निर्धारण होगा।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या - 4522(1)/9-आ-1-01 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
2. सम्बन्धित नगर पालिका।
3. अध्यक्ष, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 लखनऊ।
5. प्रमुख अभियंता, लो0 नि0 वि0 उ0प्र0, लखनऊ।
6. प्रमुख अभियंता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
7. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
8. उपसचिव, निर्माण एवं आवास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
9. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।

आज्ञा से,

टी0पी0 पाठक
विशेष सचिव

प्रेषक,

संख्या-4738/9-आ-1-2001

टी0पी0 पाठक,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,**
   उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. **समस्त मण्डलायुक्त,**
   उत्तर प्रदेश।
3. **समस्त जिलाधिकारी,**
   उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग - 1

लखनऊः दिनाँक- 23 अक्टूबर 2001

विषय : छोटे तथा मध्यम आकार के नगरों की संगठित विकास योजना के ऋण/अनुदान प्राप्त योजनाओं के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों से हुई आय को उपयोग करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संगठित विकास योजना के अन्तर्गत शासन से प्राप्त ऋण/अनुदान की धनराशि को जिस खाते में जमा किया जाता है, उसी खाते में योजना की परिसम्पत्तियों से हुई आय जमा की जायेगी। उपरोक्त खाते से किसी पुनर्विनियोजित योजना की स्वीकृति मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा नगर की योजना की अवश्यकता की प्राथमिकता के आधार पर की जायेगी।

2. पुर्नविनियोजित योजना का तात्पर्य ऐसी योजना से है जो नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार से प्राप्त ऋण/अनुदान की धनराशि से सृजित परिसम्पत्तियों से अर्जित आय की धनराशि से प्रस्तावित कर क्रियान्वित की जायेगी। प्रस्तावित पुर्नविनियोजित योजना का क्रियान्वयन, योजना के मानचित्र एवं आगणन इत्यादि की स्वीकृति मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 लखनऊ से प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

3. उपर्युक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व सहायक नगर नियोजक एवं अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत का होगा, जिनके नाम संयुक्त रूप से रिवाल्विंग फण्ड का खाता खुला हुआ है।

उपरोक्त पुर्नविनियोजित योजनाओं को क्रियान्वित किये जाने हेतु विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है, जिनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार

भवदीय,
टी0पी0 पाठक
विशेष सचिव।

संख्या - 4738(1)/9-आ-1-01 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. सचिव नगर विकास विभाग उ0प्र0 शासन लखनऊ।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. उप सचिव, शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली।
5. सम्बन्धित अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।
6. आवास विभाग, उत्तर प्रदेश के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
टी0पी0 पाठक
विशेष सचिव।

छोटे तथा मध्यम आकार के नगरों की संगठित विकास योजनान्तर्गत पुनर्विनियोजित योजना को क्रियान्वित किये जाने से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धान्त :-

1. छोटे तथा मध्यम आकार के नगरों की संगठित विकास योजनान्तर्गत केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा अवमुक्त ऋण/अनुदान से क्रियान्वित की जा रही योजनाओं से सृजित सम्पत्तियों एवं उससे सम्बन्धित अन्य श्रोतों से प्राप्त होने वाली समस्त आय का लेखा जोखा शासन के निर्देशानुसार सम्बन्धित सहायक नियोजक/सहयुक्त नियोजक तथा सम्बंधित अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत के संयुक्त खाते में रिवाल्विंग फण्ड के रूप में रखा जायेगा।
2. सृजित सम्पत्तियों जैसे दुकानों इत्यादि के प्रथम तल पर (यदि स्वीकृत योजना में उस पर कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।) व्यवसायिक उपयोग हेतु दुकानें/हाल/गोदाम इत्यादि का निर्माण इस योजनानतर्गत कराया जा सकता है।
3. यदि नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत के स्वामित्व में ऐसी कोई भूमि उपलब्ध है, जिस पर आवासीय, व्यवसायिक एवं अन्य ऐसी योजना जो संगठित विकास योजनान्तर्गत भारत सरकार की गाइड लाइन के अन्तर्गत क्रियान्वित किये जाने हेतु प्राविधानित की गयी है, के विकास/निर्माण का कार्य कराया जा सकता है।
4. उपरोक्त योजना के क्रियान्वयन से पूर्व योजना स्थल का चयन करते समय नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के स्थानीय अधिकारी, यदि स्थानीय अधिकारी उपलब्ध न हो तो मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 द्वारा नामित अधिकारी तथा सम्बंधित नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण किया जायेगा तथा उपयोगिता के आधार पर स्थल चयनित किया जायेगा।
5. उपरोक्त चयनित स्थल का अनुमोदन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित नागरिक समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में किया जायेगा।
6. नागरिक समन्वय एवं अनुश्रवण समिति में अनुमोदन के उपरान्त उपरोक्त योजना से सम्बंधित विस्तृत वास्तुकलात्मक डिजाइन मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा अनुमोदित की जायेगी।
7. सम्बंधित योजना की विस्तृत वास्तुकलात्मक डिजाइन के अनुमोदन के उपरान्त उसके आगणन की स्वीकृति भी मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 द्वारा की जायेगी।
8. सम्बंधित योजना के क्रियान्वयन किये जाने हेतु कराये जाने वाले समस्त कार्यों के भुगतान की प्रक्रिया भी संगठित विकास योजना में स्वीकृत योजना के भुगतान की प्रक्रिया के अनुरूप ही होगी।
9. योजना के क्रियान्वयन के उपरान्त निर्मित/विकसित सम्पत्ति के निस्तारण से प्राप्त होने वाली समस्त आय को योजना कोष के रिवाल्विंग फण्ड, जो सम्बंधित सहायक नियोजक/ सहयुक्त नियोजक तथा अधिशासी अधिकारी, सम्बंधित स्थानीय निकाय के संयुक्त खाते में रखा जायेगा।
10. प्राप्त केन्द्र एवं राज्य की ऋण/अनुदान राशि का कम से कम 75 प्रतिशत अंश रिवाल्विंग फण्ड के नगर की अवस्थापना के विकास के लिए वापस करना होगा जिसका उपयोग पुनर्विनियोजित योजना के अर्न्तगत भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार किया जायेगा।
11. रिवाल्विंग फण्ड से पुनर्विनियोजित योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के बिन्दु-4, 5 के अनुसार लाभकारी, लागत वापसी तथा अलाभकारी (सेवायें) योजनाओं पर व्यय का अनुपात 40%, 30% व 30% रखा जायेगा एवं इसी अनुपात के अनुसार पुर्नविनियोजित योजनान्तर्गत योजनाओं की संरचना का अनुपात रखा जायेगा।
12. संबंधित नगरों में संगठित विकास योजनान्तर्गत क्रियान्वित की गई योजनाओं के रख-रखाव का कार्य भी उपरोक्त रिवाल्विंग फण्ड से पुनर्विनियोजित योजनान्तर्गत किया जा सकता है।

8

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर)

संख्या-1224/9-आ-1-2000-3एनसीआर/2001

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष,**
   विकास प्राधिकरण, बरेली, गाजियाबाद, बुलन्दशहर-खुर्जा,
   हापुड़-पिलखुआ, उत्तर प्रदेश।
2. **आवास आयुक्त,**
   उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
   लखनऊ।
3. **मुख्य नगर अधिकारी,**
   नगर निगम,
   मेरठ एवं गाजियाबाद।

लखनऊः दिनाँक- 7 अप्रैल, 2000

आवास अनुभाग-1

विषय : उत्तर प्रदेश प्रभाग में एन0सी0आर0 योजना बोर्ड द्वारा वित्त पोषित योजनाओं हेतु एन0सी0आर0 योजना खाते की स्थापना।

महोदय,

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा उ0प्र0 प्रभाग में विभिन्न अभिकरणों की विकास योजनाओं के लिये वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा प्रदेश शासन के माध्यम से धनराशि इन अभिकरणों को उपलब्ध करायी जाती है। उक्त परियोजनाओं के लिये उत्तर प्रदेश शसन द्वारा भी अपने अंश के रूप में ऋण राशि संबंधित अभिकरणों के लिए अवमुक्त की जाती है। समस्त ऋण राशि ब्याज सहित एन.सी.आर. योजना बोर्ड को निर्धारित अवधि में प्रतिदान करने हेतु प्रत्येक अभिकरण उत्तरदायी है। यह देखा गया है कि विभिन्न कारणों से ये अभिकरण उक्त ऋण एवं ब्याज का प्रतिदान निर्धारित समय पर नहीं कर पाते है तथा अभिकरण पर भार बढ़ता जाता है इसके लिये वित्तीय प्रबन्धन को सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है। शासन द्वारा समय-समय पर इस सम्बन्ध में दिशा निदेश निर्गत किये गये है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक अभिकरण द्वारा एन.सी.आर. योजनाओं के लिये अपने सामान्य खाते से अलग राष्ट्रीयकृत बैक में एक एन.सी.आर. योजना/खाता की स्थापना की जायेगी जिसके संचालन हेतु निम्नांकित व्यवस्थायें एवं प्रक्रियायें सुनिश्चित की जायेंगी :-

1. एन. सी. आर. योजनाओं के लिए एन.सी.आर. योजना बोर्ड, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अवमुक्त समस्त ऋण/अनुदान राशि एन.सी.आर. योजना खाते में रखी जायेगी।
2. ऋण की माँग करते समय अभिकरण द्वारा जिस सम्पत्ति के निस्तारण से होने वाली आय को ऋण एवं ब्याज के प्रतिदान हेतु प्रस्तावित किया गया है उसकी आय अनिवार्य रूप से योजना खाते में ही रखी जायेगी। यह उपाध्यक्ष/सचिव एवं वित्त लेखा के वरिष्ठतम अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा। यदि कोई भी विचलन का प्रयास भी किया जाये तो वित्त/लेखा के उस प्रमुख द्वारा सीधे प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन तथा सचिव, आवास विभाग को तत्काल अवगत कराया जायेगा। इस आय से प्रतिदान पूर्ण करने के उपरान्त अवशेष धनराशि का ही उपयोग अभिकरण द्वारा अन्य कार्यों पर किया जायेगा।

3. प्रत्येक योजना के लिये एक पृथक खाता खोला जाये, जिसमें उस योजना के अन्तर्गत सृजित सम्पत्ति के निस्तारण से प्राप्त समस्त आय की धनराशि रखी जायेगी। उक्त धनराशि से ऋण एवं ब्याज का प्रतिदान किया जायेगा। प्रतिदान पूर्ण होने के उपरान्त अवशेष धनराशि को ही अभिकरण द्वारा अन्य विकास कार्यों पर व्यय किया जायेगा।
4. प्रत्येक अभिकरण द्वारा एन.सी.आर. योजना कोष एवं सभी योजनाओं के खातों की प्रतिवर्ष सम्परीक्षा करायी जायेगी तथा वार्षिक बैलेंस शीट एन.सी.आर. सेल एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
5. प्रत्येक अभिकरण द्वारा त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट के साथ ऋण एवं ब्याज के प्रतिदान का विवरण भी एन.सी.आर. सेल कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
6. समय-समय पर उक्त योजना कोष एवं खातों की जांच एन.सी.आर. सेल, योजना बोर्ड एवं शासन के अधिकारियों द्वारा की जायेगी।

अतः अपेक्षा की जाती है कि एन.सी.आर. योजनाओं के लिये उपरोक्त व्यवस्थानुसार योजना खाते एवं प्रत्येक योजना की आय के लिये अलग खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में स्थापित कराकर कोष/खातों की सूचना एन.सी.आर. सेल कार्यालय गाजियाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराने तथा योजना कोष/खातों के संचालन हेतु निर्देशित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने की व्यवस्था करने का कष्ट करें।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या - 1224(1)/9-आ-1-2000-3एनसीआर/2000, तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आयुक्त, एनसीआर सेल, गाजियाबाद।
2. अध्यक्ष/आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
3. आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार
अनु सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग - 1
संख्या-1434/9-आ-1-2001-8 एन.सी.आर./2000 टी.सी.-1
लखनऊ : दिनांक 7 अप्रैल, 2001

कार्यालय-ज्ञाप

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली से दिल्ली के समोपरथ नगरों के समेकित विकास हेतु ऋण प्राप्त किया जाता है जिससे कि दिल्ली की ओर जनसंख्या के प्रवाह को नियंत्रित किया जा सके। उत्तर प्रदेश के एन0सी0आर0 उपक्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड नई दिल्ली से वित्त पोषित होने वाली योजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के अनुश्रवण हेतु एक एनसीआर नियोजन प्रकोष्ठ का गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश एनसीआर उपक्षेत्र की परियोजनाओं की प्रगति संतोषजनक नहीं है। इस कारण एनसीआर प्लानिंग बोर्ड, नई दिल्ली से प्राप्त हो सकने वाली वित्तीय सहायता का एक अंश ही प्राप्त हो पाया है। इसका मुख्य कारण यह पाया गया कि एन0सी0आर0, उत्तर प्रदेश के नियोजन प्रकोष्ठ में सुदृढ़ संस्थागत व्यवस्था का अभाव है।

2- अत: इस व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए श्री राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नानुसार एन0सी0आर0 (उ0प्र0) समन्वय परिषद के गठन एवं आगे वर्णित व्यवस्थाओं की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है :

1.	एन0सी0आर0 (उत्तर प्रदेश)	- अध्यक्ष
2.	आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, आवास एवं नगर विकास, उ0प्र0 शासन के प्रतिनिधि	- सदस्य
3.	प्रमुख सचिव वित्त, उ0प्र0 शासन के प्रतिनिधि	सदस्य
4.	औद्योगिक विकास आयुक्त के प्रतिनिधि	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उ0प्र0 शासन	सदस्य
6.	आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ	सदस्य
7.	आयुक्त, सहारनपुर मंडल	सदस्य
8.	आयुक्त, आगरा मंडल	सदस्य
9.	निदेशक, प्रयोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाव (राज्य नियोजन संस्थान)	सदस्य
10.	सभी क्रियान्वयन संस्थाओं के मुख्यकार्यकारी अधिकारी	सदस्य
11.	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0	सदस्य
12.	निदेशक (वितरण) उ0 प्र0 विद्युत निगम	सदस्य
13.	मुख्य अभियन्ता (नियोजन), लोक निर्माण विभाग	सदस्य
14.	मुख्य अभियन्ता, जल निगम, उ0प्र0 (पश्चिमी क्षेत्र)	सदस्य
15.	क्षेत्रीय नियोजन क्षेत्र में विख्यात दो विशेषज्ञ	सदस्य
16.	अध्यक्ष की अनुमति से को-ऑप्टेड	सदस्य
17.	आयुक्त, एन0सी0आर0 (उ0प्र0)	सदस्य सचिव

इस समन्वय परिषद की बैठक प्रत्येक त्रैमास से कम से कम एक बार होगी।

3- एन0सी0आर0 समन्वय परिषद का मुख्य कार्य उत्तर प्रदेश प्रभाग में विकास योजनाओं के लिए रणनीति निर्धारण करना, परियोजनाओं की शासन की ओर से स्वीकृति प्रदान करना तथा परियोजनाओं के क्रियान्वयन का समन्वय तथा अनुश्रवण करना होगा।

4- उत्तर प्रदेश एन0सी0आर0 उपक्षेत्र के उद्देश्य, कार्यात्मक रणनीति, मुख्य कार्य तथा क्रियान्वयन नीतियाँ संलग्नक-1 में दी गई है। एन0सी0आर0 नियोजन प्रकोष्ठ के सुदृढ़ीकरण के विषय में यह भी सैद्धान्तिक सहमति दी जाती है कि इस हेतु जिन भौतिक व वित्तीय संसाधनों की अतिरिक्त आवश्यकता है, उनके लिए एन0सी0आर0 प्लानिंग बोर्ड, नई दिल्ली की स्वीकृति

प्राप्त कर ली जाये, तदोपरान्त ही राज्य सरकार उस सीमा तक प्रतिपूर्ति के आधार पर धनराशि की व्यवस्था कर सकेगा।

5- जो परियोजनाएं एन0सी0आर0 प्लानिंग बोर्ड, नई दिल्ली को प्रेषित की जानी है वे अब उपरोक्त समन्वय परिषद के अनुमोदनोपरान्त राज्य सकरार की ओर से प्रस्तुत मानी जायेंगी।

6- समन्वय परिषद को प्रभावी बनाने के लिए निर्णय लिया गया कि एन0सी0आर0 (उ0प्र0) आयुक्त को यह अधिकार होगा कि वे आवास एवं नगर विकास विभाग के अधीन आने वाली कार्यदायी संस्थाओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को समानान्तर गोपनीय प्रवष्टि दे सकें। यदि ऐसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एन0सी0आर0, (उ0प्र0) के आयुक्त से वरिष्ठ हैं तो यह प्रविष्टि एन0सी0आर0 (उ0प्र0) के अध्यक्ष द्वारा दी जा सकेगी। यही व्यवस्था उन परियोजना प्रबन्धकों के लिए भी लागू होगी जो अन्य विभागों से सम्बन्धित है परन्तु एन0सी0आर0 (उ0प्र0) द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए उत्तरदायी है।

7- आयुक्त एनं0सी0आर0 (उ0प्र0) को आवास विभाग में पदेन सचिव घोषित किया जाता है ताकि उनके द्वारा सीधे पत्रावली पर प्रस्ताव शासन में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जा सकें।

संलग्नक - यथोपरि (1)

भोलानाथ तिवारी
मुख्य सचिव

संख्या - 1434(1)/9आ-1-2001, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सदस्य, सचिव, एन.सी.आर. प्लानिंग बोर्ड, नई दिल्ली।
2. अध्यक्ष, एन.सी.आर. उत्तर प्रदेश।
3. आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, आवास एवं नगर विकास, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग को प्रतिनिधि नामित करने हेतु।
5. औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0 प्र0 शासन को प्रतिनिधि नामित करने हेतु।
6. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उत्तर प्रदेश शासन।
7. आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
8. आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
9. समस्त क्रियान्वयन संस्थाओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
10. आयुक्त, एन.सी.आर. उत्तर प्रदेश।
11. सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
12. प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
13. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
14. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0।
15. निदेशक (वितरण), उत्तर प्रदेश विद्युत निगम।
16. मुख्य अभियन्ता (नियोजन), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ
17. मुख्य अभियन्ता, जल निगम, उत्तर प्रदेश (पश्चिमी क्षेत्र)

आज्ञा से
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (उ0 प्र0)

1. **उद्देश्य** : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम, 1986 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय योजना के अनुरूप उत्तर-प्रदेश प्रभाग में समग्र नियोजित विकास के लिए उ0प्र0 शासन के आवास-विभाग को नियोजन एवं तकनीकी सहयोग प्रदान करना जिससे कि उपक्षेत्र के समग्र विकास से लोक-जीवन में गुणात्मक प्रगति हो सके।

2. **कार्यात्मक रणनीति** : मुख्य रूप से एक विशेषज्ञ समूह तैयार करना जो कि उपक्षेत्र के अन्तर्गत सभी क्षेत्रीय एवं स्थानीय अभिकरणों के लिए समीचीन विकास योजनाएं एवं परियोजनायें तैयार करने तथा उनको क्रियान्वित करने में सक्रिय तकनीकी, प्रशासनिक एवं प्रबन्धनीय सहयोग कर सकें। यह विशेषज्ञ समूह आधुनिक नगरीय एवं क्षेत्रीय विकास योजनाओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन प्रबन्धन में सक्रिय सलाहकार के रूप में कार्य करेगा तथा नवीनतम तकनीकी के माध्यम से अनुश्रवण एवं समन्वय में भी सहयोग के लिये उत्तरदायी होगा, जिससे कि जन कल्याण योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन हो सके।

3. **मुख्य कार्य** : उपरोक्त वर्णित कार्यात्मक रणनीति के संदर्भ में एन.सी.आर (उ0प्र0) कार्यालय में मुख्य रूप से निम्नांकित कार्य किये जायेंगे :-

(1) अपनी तकनीकी विशेषता का निरन्तर उपयोग एवं संवर्धन करते हुये उपक्षेत्र में सभी विकास कार्यों हेतु प्रदेश के आवास विभाग के लिए मुख्य नोडल तकनीकी संस्था के रूप में कार्य करना।

(2) यथावश्यक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा उपक्षेत्र में सभी स्थानीय निकायों/क्रियान्वयन अभिकरणों की तकनीकी कार्यक्षमता का विकास करने में सहयोग करना।

(3) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली की योजना एवं नीति के अनुरूप राष्ट्रीय राजधानी से स्थानान्तरित होने वाली औद्योगिक एवं वाणिज्यिक क्रियाओं को उपक्षेत्र में पुनर्स्थापित करने के लिए स्थानीय संस्थाओं को सहयोग प्रदान करना एवं इन क्रियाकलापों को आकर्षित करने हेतु अधोसंरचनात्मक ढांचे के विकास की योजनायें तैयार कराकर क्रियान्वित कराना।

(4) उत्तर-प्रदेश प्रभाग के लिए स्वीकृत उपक्षेत्रीय योजना के क्रियान्वयन हेतु संबंधित सभी स्थानीय अभिकरणों को उपयुक्त परियाजनायें एवं कार्यक्रम करने में सहयोग करना।

(5) उपक्षेत्रीय योजना के संदर्भ में उपक्षेत्र के सभी मुख्य नगरों की महायोजना, जोनल विकास योजना, आदि तैयार करना।

(6) विकास अभिकरणों/विभागों द्वारा बनाई गई परियोजनाओं को वित्तीय स्वीकृति एवं सहयोग के लिए प्रदेश के आवास विभाग की ओर से एन.सी.आर.योजना बोर्ड, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत करना।

(7) एन. सी. आर. योजना बोर्ड, नई दिल्ली के सहयोग से स्थानीय निकायों/विकास अभिकरणों में नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग हेतु नोडल संस्था के रूप में कार्य करना।

(8) उपक्षेत्र के अन्तर्गत सभी विकास अभिकरणों के कार्यों तथा एन. सी. आर. योजना बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित सभी योजनाओं के क्रियान्वयन की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का नियमित अनुश्रवण एवं समन्वय करना।

4. **क्रियान्वयन नीतियां** : उपरोक्त वर्णित कार्यों का क्रियान्वयन निम्नांकित नीतियों के माध्यम से किया जायेगा :

(1) मानव संसाधन : क्षेत्रीय नियोजन एवं प्रबन्धन विशेषज्ञता इस संस्था का मुख्य आधार होगा। इसके नियमित सुदृढ़ीकरण एवं संवर्धन हेतु कार्यालय में कार्यरत नियोजन विशेषज्ञों के लिए समय-समय पर उच्च प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी तथा यथावश्यक नियोजन क्षेत्र से प्रख्यात विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग किया जायेगा। कार्यालय में प्रशासनिक सहयोग के लिए आधुनिक कार्यालय-प्रबन्धन में प्रशिक्षित कार्मिकों का एक छोटा सा समूह होगा, जो उपक्षेत्र की कार्यकारी संस्थाओं को इससे संबंधित प्रशिक्षण भी प्रदान करेंगे।

(2) भौतिक संसाधन : एन. सी. आर. (उ0प्र0) का कार्यालय गाजियाबाद में होगा। कार्यालय में समय की आवश्यकता के अनुरूप मशीनरी, उपकरणों एवं सामग्री का उपयोग किया जायेगा।

(4) वित्तीय-व्यवस्था : कार्यालय की अवस्थापना तथा कार्यालय में कार्मिकों एवं आवश्यक मशीनरी/सामग्री पर होने वाले समस्त व्यय की व्यवस्था हेतु एन. सी. आर. योजना बोर्ड, नई दिल्ली से वित्त पोषण प्राप्त किया जायेगा।

National Capital Region Planning Board,
(Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation)
India Habitat Centre, Ist Floor, Zone- IV,
Lodhi Road, New Delhi-110003.
Fax No. 4642163

File No. K-14011/47JD(T)/2001/NCRPB

Dated 8-8-2001

OFFICE MEMORANDUM

Sub : Constitution of Study Groups on Common Economic Zone for National Capital Region.

BACKGROUND

The NCR concept which was conceived in the First Master Plan of Delhi in 1962 and given a concrete shape with the setting up of the statutory NCR Planning Board, opened a new vista for inter-State co-operation and planned development through harmonisation of policies & balanced regional development.

2. The region covers an area of 30,242 sq. kms. which includes the entire NCT Delhi (1483 sq. km.) and parts of the three adjoining States of Haryana (13,413 sq. km.) Rajasthan (4,493 sq. km.) and Uttar Pradesh (10,853 sq. km.)

3. The Regional Plan 2001, Sub-regional Plans and Functional Plans on Transport (1995), Power (1996), Telecommunication (1997), and Industry (1998) were to achieve the common objectives through systematic development. During the implementation of the Plan, it was felt that there was a need for creating a Common Economic Zone' (CEZ) for achieving the objectives. This was discussed in a meeting taken by the Prime Minister and he desired that the matter be examined.

4. The idea was further explored in a meeting held under the Chairmanship of Shri Jagmohan, Hon'ble Minister for Urban Development & Poverty Alleviation on 31-5-2001 with the State Chief Secretaries and Secretaries of the concerned Central Ministries. They welcomed the concept of a Common Economic Zone' for the NCR. It was felt that the details related of creating a Common Economic Zone' (CEZ) could be discussed in Study Groups to be set up so that strategies could be worked out.

Concept

5. Since NCR is an inter-state region, the various State Governments have, from time to time, put in place policies to woo the economic activities in their respective areas. These measures have often led to serious imbalances in the location of economic activities. Such measures have included fiscal concessions, lower tax rates, educational requirements. etc.

6. To usher in balanced and harmonised development of the region, it is necessary to look at the NCR as a unified area, not only for spatial development but also to achieve uniformity in fiscal policies and a common purpose. This objective is possile only by treating NCR as one economic/one opportunity zone.

Scope :

7. The CEZ broadly includes the following aspects :

- Rationalisation of Tax Structure.
- Extending Uniform Financial/Banking services
- Integrated Rail & Road Transport Network
- Removing the restrictions on Inter-State movement of Taxis, Auto Rickshaws, Buses etc. between the NCR States
- Providing Uniform Telecom Facilities
- Uniform Power Supply
- Developing an Integrated water Supply and Drainage System.

- Integrated Education Policy.
- Integrated Health Policy.
- Integrated approach for Pollution Control
- Integrated Law and Order Machinery
- Provision of adequate financial resources in sub-component plans of participating States and concerned Central Ministries.

Composition Terms of Reference of Study-groups :

8. The composition of Study-group (s), broad issues and action areas is at Annexure - I.

9. The Study-groups will be empowered to constitute such sub-groups/sub-committees as it may deem necessary consisting of officials and non-officials to examine one or more issues germane to its functioning to achieve these objectives.

10. The Study-groups may also co-opt one or more persons as its member (s) if necessary for the satisfactory completion of the task entrusted to it.

11. The secretarial support for the Study-groups shall be provided by the NCR Planning Board.

Ashok Jha
Member Secretary

Copy to : All members.

Shri A.K. Gupta,
Secretary (Urban Development),
Govt. of Uttar Pradesh,
Sachivalaya Bhavan,
Lucknow (U.P.)

ANNEXURE - I

Study Group - Provision of adequate financial resources in subcomponent plans of participating States and concerned Central Ministries.

Composition :

1-	Member Secretary NCR Planning Board	Chairman
2-	Secretary, (Urban Development/Housing) Govt. of NCT Delhi	Member
3-	Secretary, (Urban Development/Housing) Govt. of Haryana	Member
4-	Secretary, (Urban Development/Housing) Govt. of Rajasthan	Member
5-	Secretary, (Urban Development/Housing) Govt. of Uttar Pradesh	Member
6-	Advisor (HUD), Planning Commission, GOI	
7-	Joint Secretary & Financial Advisor, M/o UD & PA, GOI	
8-	Smt. Shashi Bala Srivastava, Director, NCRPB	Member - Convenor

KEY ISSUES AND ACTION AREAS

Provision of adequate financial Resources for implementing the development programmes in NCR.

Key issues : (i)Under Section 7 of the NCRPB Act, 1985 the Board has been assigned besides others the function to arrange and oversee the financing of selected development projects in the NCR through Central & State plan funds and other sources of revenue.

(ii) In order to augment long term financial resources and implement the regional development projects envisaged in the Plans, the NCR Planning Board has prepared Fiscal Plan for IX and X Plan period which worked out in detail the investment requirements and the modes of resource generation through various agencies and sectors. The Fiscal Plan was based on the recommendations of the Sub-group on NCR constituted under the Working Group on infrastructure set-up by the Planning Commission for the 9th Plan.

(iii) The amount released by the Ministry of Urban Development to the NCRPB during 7th Plan (1985-90) was only Rs. 29-67 crores as against allocation of Rs. 35Crs. In the subsequent Annual Plan 1990-91, 1991-92, an amount of Rs. 10 crs. and Rs. 12.25 crs. were released respectively. During the 8th Plan (1992-97) the Ministry released an amount of Rs. 174 crs. as against the allocation of Rs. 200 crs. For the 9th Plan period the NCRPB has requested for budgetary support of Rs. 800 crs. but an allocation of Rs. 200 crs. has been made. Out of which Rs. 174 crs. has been released from 1998-2001.

As no infrastructure development could be done in the NCR area with such meagre resources the dependency on IEBR has increased. In the year 1997-98 NCRPB has raised Rs. 226-40 crs. through taxable and taxfree bonds and similarly in the 1998-99 Rs. 284 crs. were raised through taxable and taxfree bonds. In the Annual Plan 1999-2000, the Board had requested for an allocation Rs. 137 crs. through taxfree bonds and Rs. 147 crs. through taxable bonds. But the Board has not received any allocation towards taxfree bonds and hence restrained itself in raising comperatively costly taxable bonds from the market.

9

सूचना प्रौद्योगिकी
(आई.टी.)

It is extremely important that the cost of raising bonds/funds by NCR Planning Board should be as low as possible so that the repayment of loan by participating States, taken for the schemes with the long gestation period and low return, is made easy and financially viable. Unless this is ensured, States within NCR would be reluctant to take the loan assistance and this will be contrary to the interest and achieving the goals and objectives set forth in the Regional Plan - 2001. The lending rate of interest is based on the cost of raising bonds from the market and hence this cannot be less than the cost of raising such funds unless (i) the grant from the Ministry is substantially increased to bridge the gap in the interest rate, (ii) permission to raise taxfree bonds in substantial quantity is granted to NCRPB and (iii) development programme in the NCR should be granted the status of priorify sector and be decalred as eligible for institutional loans at concessional rate of interest.

Action areas : - Planning Commission should ensure that each of the Central Ministries and the member States structure separate NCR Sub-component Plans within their respective Five Year/Annual Plans incorporating in them the envisaged development programmes together with the requisite financial allocations so that such Sub-component plans aggregate to the NCR Component Plan at the National level.

- The grant from the Ministry is substantially increased to bridge the gap in the interest rate.

- Permission to raise taxfree bonds in substantial quantity be given so that NCRPB could provide funds at a lower rate of interest, payable on longer period, as the gestation period of many NCR development projects, especially infrastructure projects are of longer duration.

- Development programme in the NCR should be granted the status of Priority Sector and be decalred as eligible for institutional loans at concessional rate of interest.

संख्या-4830/9-आ-1-2000

प्रेषक,

संजय भूसरेड्डी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ: दिनाँक- 02 नवम्बर, 2000

विषय : नगरीय अवस्थापना सुविधा हेतु शासन द्वारा तैयार किए गये डेटा-बेस के अद्यावधिक किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विशेष के सम्बन्ध में दिनांक 21 अक्टूबर, 2000 को सचिव आवास की अध्यक्षता में आवास बन्धु के सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में सचिव आवास द्वारा दिये गये निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त बैठक में सचिव महोदय द्वारा यह अपेक्षा की गई थी कि प्राधिकरण अपने स्तर पर ''ब्लू-प्रिन्ट'' से सम्बन्धित डेटा को अद्यावधिक करते हुये प्रत्येक 15 दिन में अद्यावधिक डेटा फ्लापी अथवा ई-मेल के माध्यम से आवास विभाग के ई-मेल एकाउन्ट **awas@up.nic.in** को उपलब्ध करायेगा जिससे कि शासन स्तर पर डेटा-बेस अद्यावधिक किया जा सके।

प्राय: यह देखा जा रहा है कि प्राधिकरणों द्वारा उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। कृपया इसका अनुपालन शीर्ष प्राथमिकता पर किया जाना सुनिश्चित करें। शासन और प्राधिकरण स्तर पर सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान हेतु यदि आपका कोई ई-मेल एकाउन्ट हो तो उसकी सूचना शीघ्र आवास विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

प्रेषक,

संख्या-422/78-आई0टी0-2001

भोलानाथ तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग

लखनऊः दिनाँक- 16 मार्च, 2001

विषय : कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय-व्ययक (Performance Budget) में ई-गवर्नेन्स सम्बन्धित सूचना सम्मिलित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासकीय/विभागीय कार्यों में ई-गवर्नेन्स के द्रुतगामी समावेश एवं उसके उपयोग को प्रभावी बनाने हेतु यह आवश्यक है कि प्रत्येक विभाग इस कार्य को एक सुनियोजित कार्यक्रम के रूप में निष्पादित करें और इसके क्रियान्वयन की प्रगति को विभाग के कार्यपूर्ति दिग्दर्शक बजट में अन्य कार्यक्रमों/कार्यकलापों की भांति दर्शाये जिससे इस कार्य की प्रगति का आंकलन एवं अनुश्रवण हो सके और विधानमण्डल के मा0 सदस्य एवं जनप्रतिनिधि भी इन प्रयासों से अवगत हो सकें।

2. अतः विभागों में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग की प्रगति आख्या अन्य कार्यक्रमों की प्रगति आख्या की भांति ही कार्यपूर्ति दिग्दर्शक बजट में एक पृथक शीर्षक 'विभाग में ई-गवर्नेन्स की प्रगति' के अन्तर्गत दर्शायी जाये। सचिव, वित्त संसाधन (केंद्रीय सहायता) अनुभाग के अर्धशा0प0सं0-993/दस-2000-2(1)/99, दिनांक 23.12.2000 के क्रम में ई-गवर्नेन्स की प्रगति परफारमेन्स बजट में एक अध्याय के रूप में प्रस्तुत करते समय निम्न बिन्दुओं पर विस्तृत आख्या प्रस्तुत की जाये :-

1. विभाग में ई-गवर्नेन्स लागू करने हेतु लक्ष्य एवं योजना।
2. विभाग में ई-गवर्नेन्स के समावेश हेतु रखे गये लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति।
3. विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार सम्मिलित की जाये।
   (क) विभाग में यूजर रिक्वायरमेंट स्टडी तथा सिस्टम रिक्वायरमेंट स्टडी का कार्य कराये जाने की स्थिति।
   (ख) विभाग में कम्प्यूटरीकरण की स्थिति/विभाग में उपलब्ध कम्प्यूटर सिस्टम एवं उन पर हो रहे कार्यो का संक्षिप्त विवरण।
   (ग) विभागीय कार्य, जो कम्प्यूटर पर पूर्ण रूप से संचालित किये जा रहे हों।
   (घ) विभाग में नेटवर्क द्वारा विभागीय अधिकारियों को अधीनस्थ अधिकारियों से जोड़ने की स्थिति।
   (ङ) विभाग में इन्टरनेट कनेक्टिविटी एवं उसके द्वारा ई-मेल सुविधा के उपयोग की स्थिति।
   (च) विभाग से सम्बन्धित डाटा का कम्प्यूटरीकरण/डाटा बैक का गठन।
4. **विभाग के मानव संसाधन की सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में** प्रशिक्षण की स्थिति।
5. **विभाग के कार्य, जो कम्प्यूटर पर स्थानान्तरित किये गये** हों अथवा किये जाने हों, के उपयोग में आने वाले **साफ्टवेयर के विकास की स्थिति।**
6. **पब्लिक इन्टरफेस के लिए चयनित कार्यकलाप एवं उस पर की गयी** कार्यवाही का विवरण।
7. **विभाग में ई-गवर्नेन्स के उपयोग से जनसाधारण को मिलने वाली** सुविधा/लाभ की स्थिति।
8. **पारदर्शिता के हित में विभागीय कार्यकलापों/प्रगति को दर्शाने हेतु** इन्टरनेट/इन्टरानेट के माध्यम से आवश्यक **सूचना/प्रपत्रों/निविदा आदि को उपलब्ध कराने की स्थिति का विवरण।**
9. **नीतिगत निर्णय/नियम/विनियम/अधिसूचना/आदेश आदि की डिजिटाइज करने** के कार्य की प्रगति।

10. विभाग द्वारा ई-गवर्नेन्स क्षेत्र में अनुकरणीय कार्यों की सूचना (यदि कोई हो)।

11. शासनादेश संख्या - 719/78-इले0-99-93 इले0/98, दिनांक 07 मई, 1999 के अन्तर्गत पुनर्नियोजित (**re-appropriated**) धनराशि के उपयोग की स्थिति एवं उसके सापेक्ष भौतिक प्रगति।

3. वित्त विभाग के उपरोक्त पत्र में इंगित 27 विभाग ही इसे प्रकाशित करेंगे।

भवदीय,
भोलानाथ तिवारी
मुख्य सचिव

संख्या - 422(1)/78-आई0टी0-2001-72 आई0टी0 (3) 2000 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/मुख्य कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
पंकज अग्रवाल
सचिव

प्रेषक,

संख्या-368/9 आ-1-2001/(आ.ब.)

संजय भूसरेड्डी,
विशेष सचिव/अधिशाषी निदेशक,
आवास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

इन्फारमेटिक्स ऑफिसर,
एन.आई.सी.,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1

लखनऊः दिनाँक-8 2001

विषय : आवास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की वेबसाईट हेतु वेब मास्टर की नियुक्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रमुख सचिव आई.टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 430/78-आई.टी.-2001 दिनांक 30.04.2001, जो आपको पृष्ठांकित है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उपरोक्त पत्र की अपेक्षानुसार आवास विभाग की वेबसाईट हेतु श्री अनिल तिवारी एवं श्री निकुंज कुमार चौहरी को क्रमशः प्रथम व द्वितीय वेब-मास्टर के रूप में नियुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। चयनित अधिकारियों के विवरण निम्न प्रकार है।

1. **श्री अनिल तिवारी** - वेब मास्टर (प्रथम)
सहायक निदेशक (सिस्टम)
आवास बन्धु, जनपथ मार्केट, प्रथम तल, लखनऊ
दूरभाष : कार्यालय-227021, 222941 (207)
फैक्स - 212098 (212)
आवास - 636082

2. **श्री निकुंज कुमार जौहरी** - वेब मास्टर (द्वितीय)
सहायक निदेशक (निवेश/नियोजन)
आवास बन्धु, जनपथ मार्केट, प्रथम तल, लखनऊ
दूरभाष : कार्यालय-227021, 222941 (208)
फैक्स - 212098 (212)
आवास - 446064

आवास विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन की वेबसाईट का रख-रखाव, अद्यतन करने, प्राप्त सूचनाओं को इलेक्ट्रानिक मीडिया में परिवर्तित करने इत्यादि से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही उपरोक्त अधिकारियों द्वारा सम्पादित की जायेंगी।

भवदीय,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

पत्रांक संख्या- (1)/9 आ-1-2001 (आ.ब.) तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. **प्रमुख सचिव, आई0टी0 एंव इलेक्ट्रानिक विभाग, उ0प्र0 शासन को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में।**
2. **प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 डेस्को।**
3. **निदेशक सूचना विभाग, उ0प्र0 शासन।**
4. **श्री अनिल तिवारी, सहायक निदेशक (सिस्टम), आवास बन्धु, लखनऊ।**
5. **श्री एन.के. चौहरी, सहायक निदेशक (निवेश), आवास बन्धु, लखनऊ।**

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

पत्र संख्या-310/अ0ब0-11/वेबसाइट-निविदा प्रकाशन/2001

प्रेषक,

संजय भूसरेड्डी,
विशेष सचिव,/अधिशाषी निदेशक
आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
   आवास एवं विकास परिषद,
   उत्तर प्रदेश।
2. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।
3. अध्यक्ष
   विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनाँक- 10 जुलाई, 2001

आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।

विषय : समस्त निविदाओं एवं अन्य सार्वजनिक सूचनाओं का वेबसाइट में उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन की पारदर्शिता एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के अद्यतन प्रौद्योगिकी की नीति के अनुक्रम में श्री ओ. एन. वैद्य, प्रमुख सचिव आई. टी. एवं इलेक्ट्रानिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 430/78-आई. टी.-2001 दिनांक 30.4.2001 (फोटोप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

आपके कार्यालय द्वारा जारी की जानी वाली समस्त निविदाएं, सार्वजनिक सूचनाएं इत्यादि को आवास विभाग के वेबसाइट में अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जाना है, ताकि इन सूचनाओं का ग्लोबल प्रचार संभव हो सके।

अतः मुझे आपको यह कहने का निर्देश हुआ है कि भविष्य में आपके विभाग द्वारा जारी किया जाने वाले समस्त निविदाएं, सार्वजनिक सूचनाओं से सम्बन्धित अभिलेखों को आवास विभाग के वेबसाइट में लांच किए जाने हेतु कम्प्यूटर प्रतिलिपि (फ्लापी) अथवा **E-Mail** के माध्यम से कार्यालय आवास बन्धु को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव/अधिशाषी निदेशक

पत्र संख्या : 310(1)/आ0ब0-11/वेबसाइट-निविदा प्रकाशन/2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, आवास संघ, उ0 प्र0।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0
3. वेब मास्टर, आवास विभाग (आवास बन्धु), उ0प्र0।

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव/अधिशाषी निदेशक

पत्र संख्या-393/आ.बा.-4/स्टैन्डर्ड भ.मा. 2001

प्रेषक,

संजय भूसरेड्डी,
अधिशाषी निदेशक/विशेष सचिव,
आवास बन्धु।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
   लखनऊ।

3. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

आवास बन्धु

विषय : स्टेन्डर्ड भवन मानचित्रों के सम्बन्ध में।

लखनऊ: दिनाँक-16 अगस्त, 2001

महोदय,

आवास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा हाल ही में लान्च की गयी वेबसाईट में जनसामान्य को अधिक से अधिक सुविधायें प्रदान करने की शासन की नीति के अन्तर्गत भवन मानचित्रों के स्वीकृति की प्रक्रिया को सरलीकरण करते हुये यह सुविधा इन्टरनेट पर ही ऑन लाईन प्रदान किये जाने हेतु आवश्यक सॉफ्टवेयर तैयार किये जा रहे है, जो उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु देश का इस दिशा में प्रथम प्रयास होगा।

उपरोक्त सॉफ्टवेयर में भवन मानचित्रों के स्टेन्डर्ड डिजाईनस की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में प्रत्येक प्राधिकरण व हाउसिंग बोर्ड से अपेक्षा की गयी है कि उनके द्वारा विकसित कालोनियों का अलग-अलग आकारों के कम से कम 2-2 भवन मानचित्र जो प्रचलित बिल्डिंग बाई-लॉज़ के अनुरूप हों, **Earthquake Resistance** सम्बन्धी आवश्यक डिजाईन्स, सर्वाधिक सम्भव कम लागत के हों व सर्वाधिक फंक्शनल हों, जिन्हें सरित माडल भवन मानचित्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता हो, को तैयार कर एक माह में कार्यालय आवास बन्धु को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि इस सम्बन्ध में तैयार किये जो रहे सॉफ्ट्वेयर को यथाशीघ्र सार्वजनिक प्रयोग हेतु लान्च किया जा सके।

भवदीय
संजय भूसरेड्डी
अधिशाषी निदेशक

संख्या 408/आ.ब.-अ.नि./न.नि. गोरखपुर/2000

दिनांक 20 अगस्त, 2001

कार्यालय-आदेश

शासन द्वारा शासकीय कार्यों, अवस्थापना के नियोजन, परियोजनाओं की संरचना तथा नियोजन प्रक्रिया को कम्प्यूटरीकृत जी.आई.एस. प्रणाली पर आधारित किए जाने पर विचार किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में आवास बन्धु, आवास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को संस्तुति देने हेतु निम्न सदस्यों की समिति गठित की जाती है :-

1. श्री महेश चन्द्र, सीनियर टेक्निकल डायरेक्टर, एन.आई.सी., नई दिल्ली — सदस्य
2. श्री आशीष अग्रवाल, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, एन.आई.सी. — सदस्य
3. श्री ए. पी. सुबुद्धि, विशेषज्ञ, आई.आई.आर.एस., देहरादून — सदस्य
4. श्री आर. पी. सचान, सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग — सदस्य
5. श्री एन. आर. वर्मा, अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु — संयोजक/सदस्य

उपरोक्त समिति निम्न बिन्दुओं का अध्ययन कर एक माह के अन्दर अपना प्रस्ताव/संस्तुति अधिशाषी निदेशक, आवास बन्धु को प्रस्तुत करेगी :-

1. जी.आई.एस. प्रणाली को अपनाए जाने में कितना पूंजीगत व्यय एवं राजस्व व्यय की व्यवस्था आवश्यक होगी,
2. प्रणाली प्रबन्धन एवं संचालन हेतु नोडल विभाग कौन होगा इसके लिए कितने तकनीकी कार्मिकों की व्यवस्था करनी होगी,
3. जी.आई.एस. के लिए किन संयंत्रों तथा अवस्थापनाओं का सृजन करना आवश्यक होगा,
4. समिति यह भी संस्तुति करेगी कि यह कार्य राज्य सरकार के किस नोडल विभाग द्वारा किया जाना उचित होगा अथवा संविदा के आधार पर कराया जाना उचित होगा,
5. जी.आई.एस. प्रणाली के माध्यम से किस पैमाने पर एवं किस स्तर पर डिटेल्स दर्शायी जाएंगी।

संजय भूसरेड्डी
अधिशाषी निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समिति के समस्त सदस्य।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव आवास के अवलोकनार्थ।

संजय भूसरेड्डी
अधिशाषी निदेशक

उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग - 1
संख्या 4849/9-आ-1-2001
लखनऊ : दिनांक 05 अक्टूबर, 2001

कार्यालय-ज्ञाप

त्वरित प्रशासन अर्थात **E-Government** एवं जन साधारण को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करने हेतु **E-Governance** के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी की अद्यतन तकनीकों के प्रयोगार्थ उत्तर प्रदेश शासन की सूचना प्रौद्योगिकी नीति, 1999 के अनुपालनार्थ, प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-76/78-आई0टी0-2-2001, दिनांक-21.09.2001 में निहित निर्देशानुसार आवास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की '**आई0टी0 टास्क फोर्स**' गठन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. उक्त टास्क फोर्स के अद्योलिखित सदस्य होंगे :-

1.	श्री अतुल कुमार गुप्ता, प्रमुख सचिव, आवास	अध्यक्ष
2.	श्री बी0एन0 गर्ग, आवास आयुक्त उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
3.	श्री संजय भूसरेड्डी, अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, विशेष सचिव, आवास विभाग उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य-सचिव
4.	श्री दिवाकर त्रिपाठी, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ	सदस्य
5.	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 लखनऊ	सदस्य
6.	स्टेट इन्फार्मेटिक आफिसर द्वारा नामित अधिकारी, एन.आई.सी., लखनऊ	सदस्य
7.	**UPDESCO** द्वारा नामित अधिकारी, लखनऊ	सदस्य

उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित अधिकारी सहायतार्थ उपलब्ध रहेंगे :-

(1) श्री एन0 के0 जौहरी,
सहायक निदेशक (निवेश)/वेब मास्टर (द्वितीय)
आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश

(2) श्री अनिल तिवारी,
सहायक निदेशक (सिस्टम) वेब मास्टर (प्रथम)
आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।

3. टास्क फोर्स मुख्यतः सूचना प्रौद्योगिकी की अद्यतन तकनीकियों से अधीनस्थ विभागों को सुसज्जित करने में सहयोग, विभागीय अधिकारियों कम्रचारियों के कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम, जनमानस की शिकायतों का निस्तारण करने, शासन की पारदर्शिता की नीति अन्तर्गत विभागीय सुविधाओं/आंकड़ों के द्रुतगामी प्रसारण, जनसामान्य को लाभार्थ आवश्यक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एवं सूचना प्रौद्योगिकी नीति अन्तर्गत समय-समय पर जारी प्राथमिकताओं के क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा।

4. टास्क फोर्स सामान्यतः प्रत्येक त्रैमास में न्यूनतम एक बैठक का आयोजन करेगा।

5. टास्क फोर्स समय-समय पर आवश्यकतानुसार एक सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से सदस्य के रूप में आमंत्रित कर सकेगा।

अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या - 4849(1)/9-आ-1-01, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. टास्क फोर्स के समस्त सदस्यगण।
2. प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स, विीाग, उत्तर प्रदेश
3. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
5. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तरप्रदेश।
6. अध्यक्ष, समस्त नियंत्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र।
7. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ।
8. डाइरेक्टर, आवास संघ, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
अतुल कुमार गुप्ता
उप सचिव

प्रेषक,

संख्या-430/78-आई.टी-2001

ओ. एन. वैद
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

आई.टी. एवं इलैक्ट्रानिक्स अनुभाग

विषय : उत्तर प्रदेश सरकार के विभागों के इन्टरनेट वेबसाइट के संबंध में।

लखनऊ: दिनाँक- 30 अप्रैल, 2001

महोदय,

इण्टरनेट वेबसाइट के संबंध में पूर्व में निर्गत दिशा-निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभाग विभिन्न एजेन्सियों के माध्यम से अलग-अलग 'डोमेन नेम' के द्वारा वेबसाइट होस्ट कर रहे हैं। कुछ ने **.com** और कुछ ने **.org** के रूप में रजिस्ट्रेशन करा लिया है। इससे असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस प्रक्रिया में एकरूपता एवं सुधार लाने हेतु प्रत्येक विभाग का 'डोमेन नेम' (प्रतिलिपि संलग्न) प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भविष्य में राज्य सरकार के विभागों द्वारा एन0आई0सी0 सरवर पर वेब पोस्ट की जाये। इस संलग्नक के कालम-3 में वर्तमान का डोमेन नेम रखा गया है। इनमें जिन विभागों की वेबसाइट चालू है, उनको रेखांकित किया गया है। इस संलग्नक के कालम-4 में प्रस्तावित डोमेन का नाम है। यह डोमेन नेम लगभग दो महीने में उपलब्ध होंगे।

2. उपरोक्त वेब चार्ट को उत्तर प्रदेश सरकार की नोडल वेब **www.upgov.nic.in** एन.आई.सी. सरवर पर भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

3. प्रत्येक विभाग अपनी वेब के बनाते वक्त निम्नलिखित तथ्यों को वेबसाइट में रखें :-

(क) प्रत्येक विभाग अपने संगठनात्मक ढांचे, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों, कार्यरत कार्मिकों की संख्या/विवरण, वार्षिक बजट, सेवाओं एवं प्रांसगिक शासनादेशों से युक्त एक विवरणिका बनायेगा। वेबसाइट पर ''नये शासनादेश/विज्ञप्ति'' की एक विन्डो (**Window**) होगी, जो अद्यावधिक की जायेगी।

(ख) प्रत्येक विभाग द्वारा विभाग से संबंधित समस्त टेण्डर फार्म अपनी वेबसाइट पर रखेगें। विभाग में नागरिकों को जो प्रपत्र (**Forms**) उपलब्ध कराये जाते है, उनकी वेबसाइट से प्रिन्ट एवं डाउनलोड (**Down Load**) करने की व्यवस्था की जाये।

(ग) भविष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले महत्वपूर्ण शासनादेश वेबसाइट पर रखे जायेंगे। पूर्व में निर्गत शासनादेशों के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि विभाग अपने स्तर पर स्वयं आवश्यक महत्वपूर्ण शासनादेशों को चुनकर वेबसाइट पर रखने की कार्यवाही करेंगे।

(घ) सभी विभाग अपनी वेबसाइट पर अपने विभाग से प्रकाशित की गयी समस्त निविदाओं को रखेंगे। जिन विभागों की अपनी वेबसइट नहीं है, वे उत्तर प्रदेश सरकार की उपरोक्त नोडल वेबसाइट पर अपनी निविदायें दे सकते है। इसके लिए सभी विभागों को अपनी जारी की जान वाली निविदाओं की साफ्टकापी फ्लापी पर (हार्ड कापी के साथ) सूचना विभाग को प्रेषित करनी होगी।

(ङ) प्रत्येक विभाग द्वारा जनसामान्य की शिकायत हेतु अपने वेबसाइट में प्रबन्ध कराया जायेगा। वेब साइट में प्राप्त शिकायत पर तत्काल एक्नालेजमेंट (**acknowledgment**) किया जायेगा। तदोपरान्त संबंधित विभाग द्वारा उसपर कार्यवाही की जायेगी तथा कृतकार्यवाही की अद्यतन स्थिति से शिकायतकर्ता को अवगत कराया जायेगा।

(च) यह भी निर्णय लिया गया है कि सभी विभाग जो विज्ञापन/अन्य प्रकाशन करते है, उनमें विभाग से संबंधित वेबसाइट के यू0आर0एल0 का उल्लेख भी विज्ञापन के फुट नोट पर करेंगे, जिससे जनसामान्य को वेबसाइट पर शासनादेशों की जानकारी हो सके।

(छ) अन्य संबंधित सूचना, जिसको सचिव/प्रमुख सचिव अपने विभाग के लिए आवश्यक समझते है, उसको भी वेबसाइट में रख लिया जाये।

(ज) उपरोक्त सूचनाओं को प्रत्येक पक्ष में अद्यतन किया जाये। वेब के पूरे रख-रखाव हेतु अपने विभाग में वेबमास्टर की नियुक्ति की जाये, जो कि डाटा को इन्टर इलेक्ट्रानिक्स फार्म में कनवर्ट करने तथा अद्यतन करने के लिए जिम्मेदार होंगे। वेब मास्टर के टेलीफोन/फैक्स की सूचना प्रमुख सचिव/सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, स्टेट इन्फारमेटिक आफिसर (एन0आई0सी0) एवं प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 डेस्को को उपलब्ध करा दी जाये।

(झ) उपरोक्त के साथ वेबसाइट के कान्टेन्ट का यथासम्भव हिन्दी रूपान्तरण की कार्यवाही भी समस्त विभाग शुरू करें।

4. विभागीय प्रमुख सचिव/सचिवों अथवा विभागाध्यक्षों द्वारा अनुमोदित प्रारूप/टेक्स्ट को वेबसाइट पर लोड कराया जायेगा। इस हेतु तकनीकी सहायता स्टेट इन्फारमेटिक्स आफिसर (एन0आई0सी0) एवं प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 डेस्को द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। इन वेबसाइटों की होस्टिंग स्टेट इन्फारमेटिक्स आफिसर (एन0आई0सी0) द्वारा की जायेगी। वेबसाइटों का कान्टैन्ट डेवलपमेंट,, अनुरक्षण एवं अद्यतन की जिम्मेदारी सम्बन्धित शासकीय विभागों की होगी।

5. उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के, एकरूपता हेतु, होम पेज डिजाइन के प्रारूप को अन्तिम रूप एन0आई0सी0 द्वारा दिया जा रहा है। सभी विभागों की वेबसाइट के होम पेज को इस प्रारूप में रखा जायेगा तथा इस कार्य को स्टेट इन्फारमेटिक्स आफिसर, एन0आई0सी0 वेबसाइट लांच करते वक्त सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नक - उपरोक्त

भवदीय,
ओ .एन. वैद
प्रमुख सचिव

संख्या - 430(1)/78-आई.टी - 2000 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 शासन।
3. उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
4. प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन
6. निदेशक सूचना विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. सचिव, सूचना विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 डैस्को।
9. स्टेट इन्फारमेटिक्स आफिसर, एन0आई0सी0।

आज्ञा से,
पंकज अग्रवाल
सचिव

Web Chart of Departmental sites of Government of U.P. URL of Nodal Web Site of UP : www.upgov.nic.in

S.N.	Departments/Office	Present URL	Proposed URL
1	Chief Minister Office	upgov.up.nic.in	upgov.up.nic.in/upcmo
2	Agriculture Production Commissioner	upgov.up.nic.in/krishiutpadan	upgov.up.nic.in/krishiutpadan
3	Additional Energy	upgov.up.nic.in/additionalenergy	upgov.up.nic.in/additionalenergy
4	Administrative Reforms	upgov.up.nic.in/adminreforms	upgov.up.nic.in/adminreforms
5	Adult Education	upgov.up.nic.in/adultedu	upgov.up.nic.in/adultedu
6	Agriculture	upgov.up.nic.in/agriculture	upgov.up.nic.in/agriculture
7	Agriculture Education	upgov.up.nic.in/agedu	upgov.up.nic.in/agedu
8	Agriculture foreign trade	upgov.up.nic.in/agforeigntrade	upgov.up.nic.in/agforeigntrade
9	Agriculture Research	upgov.up.nic.in/agresearch	upgov.up.nic.in/agresearch
10	Ambedkar Village Development	upgov.up.nic.in/upagvv	upgov.up.nic.in/upagvv
11	Appointment	upgov.up.nic.in/upappoint	upgov.up.nic.in/upappoint
12	Backward Welfare	upgov.up.nic.in/backwardwelfare	upgov.up.nic.in/backwardwelfare
13	Basic Education	upgov.up.nic.in/basicedu	upgov.up.nic.in/basicedu
14	Cane Production	upgov.up.nic.in/caneprod	upgov.up.nic.in/caneprod
15	Child Development & Nutrition	upgov.up.nic.in/childdevelopment	upgov.up.nic.in/childdevelopment
16	Civil Aviation	upgov.up.nic.in/civilaviation	upgov.up.nic.in/civilaviation
17	Civil Security	upgov.up.nic.in/civilsecurity	upgov.up.nic.in/civilsecurity
18	Civil Supply	upgov.up.nic.in/civilsupply	upgov.up.nic.in/civilsupply
19	Cloth Industry	upgov.up.nic.in/clothindustry	upgov.up.nic.in/clothindustry
20	Cooperative	upgov.up.nic.in/upcoop	upgov.up.nic.in/upcoop
21	Crime Research	upgov.up.nic.in/crimeresearch	upgov.up.nic.in/crimeresearch
22	Culture	upgov.up.nic.in/culture	upgov.up.nic.in/culture
23	Deficiency	upgov.up.nic.in/abhao	upgov.up.nic.in/abhao
24	Economics & Statistics	upgov.up.nic.in/econstate	upgov.up.nic.in/econstate
25	Election	upgov.up.nic.in/upelection	upgov.up.nic.in/upelection
26	Employment	upgov.up.nic.in/employment	upgov.up.nic.in/employment
27	Energy	upgov.up.nic.in/energy	upgov.up.nic.in/energy
28	Entertainment Tax	upgov.up.nic.in/etax	upgov.up.nic.in/tax
29	Environment	upgov.up.nic.in/environment	upgov.up.nic.in/environment
30	Estate	upgov.up.nic.in/estate	upgov.up.nic.in/estate
31	Excise	upgov.up.nic.in/excise	upgov.up.nic.in/excise
32	Export Promotion	upgov.up.nic.in/exppromotion	upgov.up.nic.in/exppromotion

S.N.	Departments/Office	Present URL	Proposed URL
33	Family Welfare	upgov.up.nic.in/familywelfare	upgov.up.nic.in/familywelfare
34	Finance	upgov.up.nic.in/upfinance	upgov.up.nic.in/upfinance
35	Fisheries	upgov.up.nic.in/animalhusb	upgov.up.nic.in/fisheries
36	Flood Control	upgov.up.nic.in/floodcontrol	upgov.up.nic.in/floodcontrol
37	Food & Civil Supplies	upgov.up.nic.in/food	upgov.up.nic.in/food
38	Food Processing	upgov.up.nic.in/foodprocessing	upgov.up.nic.in/foodprocessing
39	Forest	upgov.up.nic.in/upforest	upgov.up.nic.in/upforest
40	General Administration	upgov.up.nic.in/gadministration	upgov.up.nic.in/gadministration
41	Gopan	upgov.up.nic.in/gopan	upgov.up.nic.in/gopan
42	Haj	upgov.up.nic.in/haj	upgov.up.nic.in/haj
43	Handicaped Welfare	upgov.up.nic.in/uphwd	upgov.up.nic.in/uphwd
44	Health	upgov.up.nic.in/health	upgov.up.nic.in/health
45	Help & Rehabilitation	upgov.up.nic.in/helpnrehab	upgov.up.nic.in/helpnrehab
46	Higher Education	upgov.up.nic.in/higheredu	upgov.up.nic.in/higheredu
47	Home	members.tripod.com/homeup	members.tripod.com/home
48	Homeguards	upgov.up.nic.in/homeguards	upgov.up.nic.in/homeguards
49	Horticulture	upgov.up.nic.in/horticulture	upgov.up.nic.in/horticulture
50	Housing	upgov.up.nic.in/housing	upgov.up.nic.in/housing
51	Industrial Development	upgov.up.nic.in/indusdev	upgov.up.nic.in/indusdev
52	Information	upgov.up.nic.in/upinfo	upgov.up.nic.in/information
53	Information Technology & Electronics	www.upgovt.com	upgov.nic.in/infotech or upgov.inc.in/electronics
54	Institutional Finance	upgov.up.nic.in/insfinance	upgov.up.nic.in/insfinance
55	Intelligence	upgov.up.nic.in/intelligence	upgov.up.nic.in/intelligence
56	Irrigation	upgov.up.nic.in/irrigation	upgov.up.nic.in/irrigation
57	Jantu Udyan	upgov.up.nic.in/jantuudyan	upgov.up.nic.in/jantuudyan
58	Khadi	upgov.up.nic.in/Khadi	upgov.up.nic.in/Khadi
59	Labour	upgov.up.nic.in/labour	upgov.up.nic.in/labour
60	Land Development & Water Conservation	upgov.up.nic.in/landnwater	upgov.up.nic.in/landnwater
61	Law	upgov.up.nic.in/law	upgov.up.nic.in/law
62	Linguistic	upgov.up.nic.in/linguistic	upgov.up.nic.in/linguistic
63	Madya Nishedh	upgov.up.nic.in/madyanishedh	upgov.up.nic.in/madyanishedh
64	Matra Welfare	upgov.up.nic.in/matrakalyan	upgov.up.nic.in/matrakalyan
65	Medical	upgov.up.nic.in/medical	upgov.up.nic.in/medical

S.N.	Departments/Office	Present URL	Proposed URL
33	Family Welfare	upgov.up.nic.in/familywelfare	upgov.up.nic.in/familywelfare
34	Finance	upgov.up.nic.in/upfinance	upgov.up.nic.in/upfinance
35	Fisheries	upgov.up.nic.in/animalhusb	upgov.up.nic.in/fisheries
36	Flood Control	upgov.up.nic.in/floodcontrol	upgov.up.nic.in/floodcontrol
37	Food & Civil Supplies	upgov.up.nic.in/food	upgov.up.nic.in/food
38	Food Processing	upgov.up.nic.in/foodprocessing	upgov.up.nic.in/foodprocessing
39	Forest	upgov.up.nic.in/upforest	upgov.up.nic.in/upforest
40	General Administration	upgov.up.nic.in/gadministration	upgov.up.nic.in/gadministration
41	Gopan	upgov.up.nic.in/gopan	upgov.up.nic.in/gopan
42	Haj	upgov.up.nic.in/haj	upgov.up.nic.in/haj
43	Handicaped Welfare	upgov.up.nic.in/uphwd	upgov.up.nic.in/uphwd
44	Health	upgov.up.nic.in/health	upgov.up.nic.in/health
45	Help & Rehabilitation	upgov.up.nic.in/helpnrehab	upgov.up.nic.in/helpnrehab
46	Higher Education	upgov.up.nic.in/higheredu	upgov.up.nic.in/higheredu
47	Home	members.tripod.com/homeup	members.tripod.com/home
48	Homeguards	upgov.up.nic.in/homeguards	upgov.up.nic.in/homeguards
49	Horticulture	upgov.up.nic.in/horticulture	upgov.up.nic.in/horticulture
50	Housing	upgov.up.nic.in/housing	upgov.up.nic.in/housing
51	Industrial Development	upgov.up.nic.in/indusdev	upgov.up.nic.in/indusdev
52	Information	upgov.up.nic.in/upinfo	upgov.up.nic.in/information
53	Information Technology & Electronics	www.upgovt.com	upgov.nic.in/infotech or upgov.inc.in/electronics
54	Institutional Finance	upgov.up.nic.in/insfinance	upgov.up.nic.in/insfinance
55	Intelligence	upgov.up.nic.in/intelligence	upgov.up.nic.in/intelligence
56	Irrigation	upgov.up.nic.in/irrigation	upgov.up.nic.in/irrigation
57	Jantu Udyan	upgov.up.nic.in/jantuudyan	upgov.up.nic.in/jantuudyan
58	Khadi	upgov.up.nic.in/Khadi	upgov.up.nic.in/Khadi
59	Labour	upgov.up.nic.in/labour	upgov.up.nic.in/labour
60	Land Development & Water Conservation	upgov.up.nic.in/landnwater	upgov.up.nic.in/landnwater
61	Law	upgov.up.nic.in/law	upgov.up.nic.in/law
62	Linguistic	upgov.up.nic.in/linguistic	upgov.up.nic.in/linguistic
63	Madya Nishedh	upgov.up.nic.in/madyanishedh	upgov.up.nic.in/madyanishedh
64	Matra Welfare	upgov.up.nic.in/matrakalyan	upgov.up.nic.in/matrakalyan
65	Medical	upgov.up.nic.in/medical	upgov.up.nic.in/medical

S.N.	Departments/Office	Present URL	Proposed URL
99	Sports	upgov.up.nic.in/sports	upgov.up.nic.in/sports
100	Stamp & Court Fees	upgov.up.nic.in/stampncourtfees	upgov.up.nic.in/stampncourtfees
101	Sugar Mills	upgov.up.nic.in/sugarmills	upgov.up.nic.in/sugarmills
102	Technical Education	upgov.up.nic.in/technicaledu	upgov.up.nic.in/technicaledu
103	Tourism	www.up-tourism.com	upgov.up.nic.in/tourism
104	Trade Tax	upgov.up.nic.in/tradetax	upgov.up.nic.in/tradetax
105	Transport	www.uptransport.com	upgov.up.nic.in/transport
106	Urban Development	upgov.up.nic.in/urbandevelopment	upgov.up.nic.in/urbandevelopment
107	Urban Development & poverty Eradication	upgov.up.nic.in/povertyerad	upgov.up.nic.in/povertyerad
108	Urban Land	upgov.up.nic.in/urbanland	upgov.up.nic.in/urbanland
109	Vetenary	upgov.up.nic.in/animalhusb	upgov.up.nic.in/animalhusb
110	Vigilance	upgov.up.nic.in/upvigilance	upgov.up.nic.in/upvigilance
111	Vocational Education	upgov.up.nic.in/vocedu	upgov.up.nic.in/vocedu
112	Water Supply	upgov.up.nic.in/watersupply	upgov.up.nic.in/watersupply
113	Women Welfare	upgov.up.nic.in/womenwelfare	upgov.up.nic.in/womenwelfare
114	Youth Welfare	upgov.up.nic.in/youthwelfare	upgov.up.nic.in/youthwelfare

Note :

1. Enclosure to G.O. No.-430/78-II-2110 dated April 30, 2001
2. The proposed URL will be available shortly when all the site are launched on central server.
3. URL which are underlined are presently working.

संख्या-505/78-आई.टी-2001

प्रेषक,

ओ. एन. वैद
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

आई.टी. एवं इलैक्ट्रानिक्स अनुभाग

लखनऊः दिनाँक- 30 अप्रैल, 2001

विषय : विभागीय एप्लीकेशन साफ्टवेयर का विकास किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बहुत से विभाग अपने विभागीय एप्लीकेशन साफ्टवेयर विकसित करने का कार्य विभिन्न कम्पनियों को दे देते है तथा कई बार ऐसे विभागीय एप्लीकेशन साफ्टवेयर होते है, जो अन्य राज्यों में या प्रदेश के अन्य विभागों में उपलब्ध है जो कि रेप्लीकेट किए जा सकते है। नेशनल इन्फारमेटिक सेन्टर (एन.आई.सी.), द्वारा राज्य सरकारों के लिए विभिन्न सेक्टर्स हेतु एप्लीकेशन साफ्टवेयर विकसित किए गए है। यूपीडेस्को ने भी राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के लिए साफ्टवेयर विकसित किए है।

2. भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के ई-गवर्नेन्स डिवीजन द्वारा राज्यों/भारत सरकार के विभिन्न विभागों में उपलब्ध एप्लीकेशन साफ्टवेयर्स की एक विवरणी तैयारी की गई है जो कि वेबसाइट **mit.gov.in** पर उपलब्ध है।

3. उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार के लिए सुनियोजित नीति की आवश्यकता तथा राज्य के व्यय की बचत के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा एप्लीकेशन साफ्टवेयर विकसित करने से पूर्व वर्तमान में उपलब्ध रेप्लीकेबिल साफ्टवेयर का अध्ययन किया जाये तथा विभागीय एप्लीकेशन साफ्टवेयर का विकास किये जाने के संबंध में निम्नलिखित समिति द्वारा इस संबंध में निर्णय लिया जायेगा :-

(1) प्रमुख सचिव/सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी, उ0प्र0 शासन
(2) संयुक्त सचिव (ई-गवर्नेन्स), सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि
(3) स्टेट इन्फारमेटिक आफीसर, यू.पी., लखनऊ
(4) प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को
(5) प्रबन्ध निदेशक, यू.पी.एल.सी./अपट्रान
(6) संबंधित विभाग के सचिव या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि।

4. इस पत्र के साथ एन.आई.सी. यूपीडेस्को द्वारा बनाये गये एप्लीकेशन साफ्टवेयर की विवरणी संलग्न है।

5. **वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा भी विकसित किये जा रहे/विभागों में उपलब्ध एप्लीकेशन साफ्टवेयर की अपने विभाग से संबंधित सूचना कृपया संलग्न प्रारूप पर प्रदेश के आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग एवं प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को को यथाशीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें जिसे कि यूपीडेस्को द्वारा संकलित करके सभी विभागों पर उपलब्ध कराया जा सके।**

6. **भविष्य में प्रस्तावित विभागीय एप्लीकेशन साफ्टवेयर के प्रस्ताव सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग को भेजे जायें जिसपर उपरोक्त बैठक में उनके विकास हेतु निर्णय लिया जा सके।**

भवदीय,
ओ .एन. वैद
प्रमुख सचिव

संलग्नक :

(1) एन.आई.सी. द्वारा बनाये गये एप्लीकेशन साफ्टवेयर की सूची।

(2) यूपीडेस्को द्वारा बनाये गये एप्लीकेशन साफ्टवेयर की सूची।

(3) विभागों द्वारा यूपीडेस्को को भेजी जाने वाली सूचना का प्रारूप।

संख्या - 505(1)/78-आई.टी - 2001 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
2. समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
4. प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव।
6. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त।
7. डा0 काशी नाथ, स्टेट इन्फार्मेटिक आफिसर एन0आई0सी0 लखनऊ।
8. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आई टी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग।

आज्ञा से,
अनुराग श्रीवास्तव
विशेष सचिव

संख्या-1056/78-आई.टी.-2001/25 आई.टी./2001

प्रेषक,

अखण्ड प्रताप सिंह
औद्योगिक विकास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

आई.टी. एवं इलैक्ट्रानिक्स अनुभाग - 2

लखनऊ: दिनाँक- 01 अगस्त 2001

विषय :कम्प्यूटर क्रय प्रक्रिया का निर्धारण

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में कम्प्यूटर/हार्डवेयर/साफ्टवेयर एवं अन्य सहवर्ती उपकरणों के क्रय के विषय में स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित नहीं है, जिसके कारण इस प्रकार के विषय में विसंगतियां उत्पन्न होती है। अत: सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को अतिक्रमित करते हुए निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

1. कम्प्यूटर क्रय केवल खुली निविदा से किया जायेगा। क्रय प्रक्रिया में निविदा दो भागों में जिनमें एक टेक्निकल बिड और दूसरी फइनेन्शियल बिड अलग-अलग लिफाफों में प्राप्त की जायेगी। सभी विभागों से अपेक्षा की जायेगी कि वह निर्धारित तिथि तक अपनी आवश्यकता सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को सूचित कर दें, जिससे उनकी आवश्यकता का समावेश टेण्डर में किया जा सकें। क्रय में समान्तया मात्रा अनुबन्ध हेतु शासकीय नियम लागू होंगे। वर्ष में रू0 1.00 करोड़ की धनराशि से अधिक के कम्प्यूटर क्रय करने की दशा में विभाग का विकल्प होगा कि वह क्रय प्रक्रिय अपने स्तर पर ही आयोजित करें। उस दशा में विभागीय सचिव क्रयसमिति का अध्यक्ष होगा। अन्य प्रक्रिया शासनादेश के अनुसार समान होगी।

2. केवल ओरिजनल इक्विपमेंट मैनुफैक्चरर से क्रय किया जायेगा।

3. बड़ी मात्रा में क्रय के मामलों में आपूर्ति/क्रय आदेश एक से अधिक आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त करने का निर्णय क्रय समिति द्वारा एल-1 की क्षमता एवं अन्य प्रसांगिक बिन्दुओं को देखते हुए की जायेगी।

4. निविदा में शर्तों में यह शर्त भी रखी जायेगी कि निविदा में उल्लिखित मॉडल की आपूर्ति, आपूर्ति की तिथि को उच्चीकृत विशिष्टियों सहित की जाएगी।

5. क्रय हेतु कम्प्यूटर की तकनीकी विशिष्टियों का निर्धारण निम्नवत् 4 सदस्यीय समिति द्वारा किया जायेगा।

   (1) प्रशासनिक विभाग के सचिव
   (2) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव
   (3) वित्त विभाग के सचिव
   (4) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का एक विशेषज्ञ, जिसे प्रशासनिक विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के परामर्श से नामित करेंगे।
   (5) सचिव, औद्योगिक विकास (प्रभारी स्टोर परचेज) या उनके प्रतिनिधि।
   यही समिति क्रय समिति के तौर पर भी कार्य करेगी।
   (6) नेगोशियेशन नहीं किया जायेगा।
   (7) रू0 10.00 लाख की सीमा तक कम्प्यूटर हार्डवेयर क्रय करने के लिए यदि किसी विभाग ने अपनी आवश्यकता सूचित नहीं की तो वह अनुमोदित पैनल के आपूर्तिकर्ता(ओं) में से किसी को अपने विवेकानुसार

कार्यादेश जारी कर सकेंगे। उक्त आदेश समस्त शासकीय विभागों, शासकीय संगठनों के द्वारा किसी भी वित्तीय स्त्रोत से किये गये क्रय पर लागू होंगे। क्रय में यह व्यवस्था भी रखी जायेगी कि यदि किसी कारण से आपूर्ति के स्रोत में टैक्स या ड्यूटीज घटती है तो मूल्य तद्नुसार घटाया जायेगा।

भवदीय,
अखण्ड प्रताप सिंह
औद्योगिक विकास आयुक्त

संख्या - 1056(1)/78-आई.टी 2001/25 आई.टी./2001 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मा0 मुख्य मंत्री जी के प्रमुख सचिव/सचिव/
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. स्टाफ आफीसर मुख्य सचिव।
4. स्टाफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त को अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के सूचनार्थ।
5. समस्त विभागाध्यक्ष।
6. प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक।
7. समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. राजकीय मुद्रणालय लखनऊ।
9. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स निगम लि0, लखनऊ।
10. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 डेस्को लखनऊ।
11. प्रबन्धक निदेशक, हिलट्रान लखनऊ।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अनुराग श्रीवास्तव
विशेष सचिव

संख्या-1142/78-आई.टी-2001

प्रेषक,

ओ. एन. वैद
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

आई.टी. एवं इलैक्ट्रानिक्स अनुभाग

लखनऊ: दिनाँक- 09 अगस्त, 2001

विषय :विभागीय सिस्टम साफ्टवेयर का विकास किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या - 505/78-आई0टी0-2001, दिनांक 30.4.2001 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सभी शासकीय विभागों/ संगठनों द्वारा विभागीय एप्लीकेशन के लिए साफ्टवेयर के विकास में उपरोक्त शासनादेश के अनुसार ही कार्यवाही की जाएगी और उक्त शासनादेश दिनांक 30.4.2001 के प्रस्तर-3 में उल्लिखित समिति, जो कि अब निम्नवत् होगी, के अनुमोदन के बाद ही साफ्ट्वेयर क्रय की कार्यवाही की जाएगी।

(1) प्रमुख सचिव/सचिव, सम्बन्धित विभाग, उ0प्र0 शासन।
(2) प्रमुख सचिव/सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी, उ0प्र0 शासन के प्रतिनिधि।
(3) स्टेट इन्फार्मेटिक आफिसर, एन.आई.सी., उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिनिधि।
(4) प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को के प्रतिनिधि।
(5) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स निगम लिमिटेड/अपट्रान के प्रतिनिधि।

2. अत: अनुरोध है कि विभागीय एप्लीकेशन साफ्ट्वेयर का विकास किए जाने/क्रय किए जाने के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
ओ0 एन0 वैद
प्रमुख सचिव

संख्या - 1142(1)/78-आई.टी - 2001 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
2. समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
4. प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव।
6. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त।
7. डा0 काशी नाथ, स्टेट इन्फार्मेटिक, आफिसर एन0आई0सी0 लखनऊ।

आज्ञा से,
अनुराग श्रीवास्तव
विशेष सचिव

संख्या-08/78-आई.टी.-2-2001

प्रेषक,

ओ. एन. वैद
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

लखनऊः दिनाँक- 12 सितम्बर, 2001

आई.टी. एवं इलैक्ट्रानिक्स अनुभाग - 2

विषय :कम्प्यूटर क्रय प्रक्रिया का निर्धारण

महोदय,

शासनादेश सं0 1056/78-आई.टी.-2001-25 आई.टी./2001 दिनांक 01.08.2001 को समाहित करते हुए उसमें वर्णित कम्प्यूटर क्रय प्रक्रिया को निम्नवत स्पष्ट करने का मुझे निदेश हुआ है :-

2. कम्प्यूटर क्रय करने के लिए संबंधित विभाग/सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, निकायों, परिषदों, स्वायत्तशासी निकायो के पास निम्न तीन विकल्प होंगे-

(क) वह क्रय प्रक्रिया अपने स्तर पर आयोजित करे।
(ख) वह यूपीडेस्को, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन या निक्सी को क्रय आदेश दे।
(ग) वह संबंधित जिले के जिलाधिकारी को क्रय हेतु अधिकृत करें।

3. संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा यदि शासन स्तर पर स्वयं कम्प्यूटर क्रय किये जाने का निर्णय लिया जाता है तो विभागीय क्रय समिति निम्न प्रकार से होगी :-

1. प्रशासनिक विभाग के सचिव/प्रमुख सचिव - अध्यक्ष
2. आई. टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के प्रतिनिधि
3. वित्त विभाग के प्रतिनिधि
4. यूपीडेस्को अथवा यू. पी. इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन द्वारा नामित विशेषज्ञ
5. सचिव, औद्योगिक विकास (प्रभारी, स्टोर परचेज) या उनके प्रतिनिधि
6. स्टेट इन्फार्मेटिक्स आफीसर एन.आई.सी. के प्रतिनिधि।

4. यदि प्रशासनिक विभाग उचित समझे तो क्रय विभागाध्यक्ष के स्तर पर भी कराया जा सकेगा। ऐसी दशा में क्रय समिति निम्नवत् होगी :-

1. विभागाध्यक्ष - अध्यक्ष
2. विभाग के वित्त नियन्त्रक/विभाग में वित्त एवं लेखा प्रभाग के प्रमुख
3. विभाग में कार्यरत राज्य स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ
4. यूपीडेस्को अथवा यू.पी. इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन द्वारा नामित विशेषज्ञ
5. स्टेट इन्फार्मेटिक्स आफीसर, एन.आई.सी. के प्रतिनिधि

5. राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन संगठनों यथा सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, निकायों, परिषदों, स्वायत्तशासी निकायो द्वारा कम्प्यूटर क्रय स्वयं किये जाने की दशा में क्रय समिति निम्नवत् होगी :-

1. संबंधित संगठन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी
2. संगठन के वित्त एवं लेखा विभाग के प्रमुख
3. संगठन के तकनीकी प्रभाग के प्रमुख

4. संगठन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामित 2 बाहय विशेषज्ञ
5. एन.आई.सी. के स्थानीय प्रतिनिधि।

6. विभागों के शासन अथवा विभागाध्यक्ष/सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, निकायो, परिषदों, स्वायत्तशासी निकायो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्तर से संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को भी कम्प्यूटर क्रय हेतु अधिकृत किया जा सकता है। इस हेतु क्रय समिति निम्नवत होगी :-

1. संबंधित जिलाधिकारी
2. संबंधित जिले के मुख्य विकास अधिकारी - अध्यक्ष
3. संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी
(राजस्व विभाग के मामले में जिलाधिकारी द्वारा नामित कोई अपर जिलाधिकारी)
4. जिले में तैनात कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी
5. जिला सूचना अधिकारी, एन.आई.सी.
6. वाह्य तकनीकी विशेषज्ञ (जिलाधिकारी के विवेकानुसार)

यह जिलाधिकारी का विवेक होगा कि वह क्रय उपरोक्तानुसार समिति से करेंगे अथवा वे यूपीडेस्को, यू.पी.एल.सी. अथवा निक्सी को क्रय आदेश दे सकेंगे।

7. जिन मामलों में क्रय हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जिला अथवा मण्डल स्तर पर दी जाती है, उनमें संबंधित जिलाधिकारी द्वारा उपरोक्त प्रस्तर-6 की व्यवस्था के अनुसार कम्प्यूटर क्रय किया जा सकेगा। सांसद निधि, विधायक निधि, पूर्वांचल विकास निधि, बुन्देलखण्ड विकास निधि एवं इनके अनुरूप अन्य निधियों के अन्तर्गत होने वाले कम्प्यूटर क्रय भी इस प्राविधान से आच्छादित होंगे।

8. एक वर्ष में रू0 10.00 लाख तक की सीमा के कम्प्यूटर क्रय करने के लिए शासन के समस्त प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्ष/ सार्वजनिक उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी/अन्य शासकीय संगठन/जिलाधिकारी शासन के आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा अनुमोदित पैनल में कम से कम तीन आपूर्तिकर्ताओं जो कि अलग-अलग ओरिजनल एक्विपमेन्ट मैनुफेक्चरर अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि हों, से कोटेशन मांग कर क्रय आदेश जारी कर सकेंगे। शासन के आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा यथाशीघ्र उपरोक्तानुसार अनुमोदित पैनल सभी विभागों को उपलब्ध करा दिया जायेगा और उसमें यथासमय यथावांछित संशोधन किये जाते रहेंगे।

9. कम्प्यूटर क्रय स्टोर परचेज रूल्स के सामान्य प्राविधानों व समय-समय पर जारी निविदा एवं अनुबन्ध प्रणाली से सम्बन्धित सामान्य निर्देशों के अनुरूप तथा निम्नलिखित बिन्दुओं का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा :-

(क) केवल ब्रान्डेड/ओरिजनल एक्विपमेन्ट मैनुफेक्चरर अथवा उनके अधिकृत डीलर/विक्रेता से ही कम्प्यूटर क्रय किया जायेगा।

(ख) क्रय में सामान्यत: मात्रा अनुबन्ध हेतु शासकीय नियम लागू होंगे। कम्प्यूटर क्रय हेतु तकनीकी विशिष्टियों का निर्धारण भी संबंधित क्रय समिति द्वारा किया जाएगा।

(ग) **कम्प्यूटर क्रय केवल खुली निविदा से किया** जायेगा जो कि दो भागों में टेक्निकल बिड व फाइनेन्सियल **बिट होगी और यह दोनों अलग-अलग लिफाफों में प्राप्त** की जायेंगी। टेक्निकल बिड खुलने के बाद तकनीकी **रूप से सक्षम पायी गयी निविदाओं की फाइनेन्सियल** बिड खोली जायेगी।

(घ) **वांछित विशेषताओं एवं शर्तों का स्पष्ट रूप से उल्लेख** टेण्डर डाकूमेन्ट में किया जायेगा और टेण्डर खुलने **के बाद इनमें परिवर्तन नहीं किया जायेगा।**

(ङ) **फाइनेन्सियल बिड खुलने के बाद कोई निगोशियशन नहीं किया** जायेगा।

(च) **टेंडर प्रक्रिया एवं क्रय में पूर्ण पारदर्शिता अपनाई जायेगी।**

(छ) **यदि किसी कारण से आपूर्ति के स्रोत में टैक्स या ड्यूटी घटती है** तो आपूर्तिकर्ता द्वारा मूल्य तद्नुसार घटाया जायेगा।

(ज) कम्प्यूटर क्रय हेतु एक मॉडल टेण्डर डकूमेन्ट बनाया गया है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की वेब साईट **www.upgov.up.nic.in/infotech** पर डाला जा रहा है।

10. उक्त आदेश समस्त शासकीय विभागों, शासकीय संगठनों के द्वारा किसी भी वित्तीय स्रोत से किये गये क्रय पर लागू होगा। यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हो।

भवदीय,
ओ0 एन0 वैद
प्रमुख सचिव

संख्या - 08(1)/78-आई.टी -2-2001 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मा0 मुख्य मंत्री जी के प्रमुख सचिव/सचिव।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. स्टाफ आफीसर मुख्य सचिव।
4. स्टाफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त को अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के सूचनार्थ।
5. समस्त विभागाध्यक्ष।
6. प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/निकायों, परिषदों एवं स्वायत्तशासी निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
7. समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. राजकीय मुद्रणालय लखनऊ।
9. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स निगम लि0, लखनऊ।
9. प्रबन्ध निदेशक यूपीडेस्को लखनऊ।
10. प्रबन्धक निदेशक हिलट्रान लखनऊ।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अनुराग श्रीवास्तव
विशेष सचिव

प्रेषक,

संख्या-344/78-आई.टी.-2-2001

अनुराग श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

आई.टी. एवं इलैक्ट्रानिक्स अनुभाग - 2

लखनऊः दिनाँक- 27 नवम्बर 2001

विषय : उत्तर प्रदेश सरकार तथा उसके अधीन कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाले कम्प्यूटर की मिनिमम गुणवत्ता निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाले कम्प्यूटरों की गुणवत्ता निर्धारण के सम्बन्ध में शासन को प्राप्त तकनीकी राय के आधार पर विचारापरान्त शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि पेन्टियम -4 कम्प्यूटर हार्डवेयर क्रय में न्यूनतम मानक के रूप में निर्धारित किया गया है। कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
अनुराग श्रीवास्तव
विशेष सचिव

संख्या - 344(1)/78-आई.टी.-2-2001 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मा0 मुख्य मंत्री जी के प्रमुख सचिव/सचिव।
2. स्टाफ आफीसर मुख्य सचिव।
3. स्टाफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त को अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के सूचनार्थ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष।
5. प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/निकायों, परिषदों एवं स्वायतशानी निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
6. समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. राजकीय मुद्रणालय लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स निगम लि0, लखनऊ।
9. **प्रबन्ध निदेशक डेस्को लखनऊ।**
10. **प्रबन्धक निदेशक हिलट्रान लखनऊ।**
11. **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से,
काज़ी एम0ए0 मुज़तबा
अनु सचिव

संख्या-1157/78-आई.टी.-2001

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव
विशेष सचिव,
सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0 प्र0 शासन।**
2. **समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।**
3. **समस्त आयुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।**

लखनऊः दिनाँक-13 अगस्त, 2001

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग

विषय :सरकारी सेवकों/निगमों/निकायों एवं समितियों के कार्मिकों/अध्यापकों हेतु कम्प्यूटर प्रशिक्षण

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी सेवकों, निगमों, निकायों एवं समितियों के कार्मिकों एवं अध्यापकों हेतु कम्प्यूटर प्रशिक्षण के बारे में जारी शासनादेश सं0 1864/78-इले0-99, दिनाँक 4.12.99, 1876/78-इले0/-99, दिनाँक 6.12.99, 30/78-इले0-2000-81इले0/99, दिनाँक 7.1.2000 तथा 747/78-आई.टी.-2001, दिनाँक 21.05.2001 को निरस्त करते हुए निम्नवत् आदेश जारी किये जाते है-

1. डी.ओ.ई.ए.सी.सी. सोसायटी, भारत सरकार द्वारा अप्रूब्ड संस्थाओं की सूची (संलग्नक-क) एवं इंजीनियरिंग कालेजों एवं पालीटेक्निकों तथा अन्य शासकीय कम्प्यूटर केन्द्रों की सूची (संलग्नक-ख) में वर्णित कम्प्यूटर केन्द्रों को सरकारी सेवकों/निगमों/निकायों एवं समितियों के कर्मिकों/अध्यापकों हेतु कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु अधिकृत किया जाता है।
2. इस प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण का स्तर तथा देय शुल्क निम्नवत होगा :-

क्रम सं0	किस स्तर के लिए	अवधि	शुल्क (रुपयों में) प्रति प्रशिक्षणार्थी
1.	**DOEACC स्वीकृत Certificate on Computer Course** (संलग्नक-ग)	80 घंटे	2400/-
2.	**DOEACC-'O' Level**	480 घंटे	8500/-
3.	विभागीय आवश्यकतानुसार सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा अनुमोदित अन्य कम्प्यूटर प्रशिक्षण	--	30/- प्रति घंटे

3. सरकारी सेवकों हेतु कम्प्यूअर प्रशिक्षण के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या - 1/1/98-क-प्रसको/1998 दिनाँक 27.2.98 यथावत् लागू रहेगा। उपर्युक्त प्रशिक्षण व्यवस्था अतिरिक्त व्यवस्था के रूप में की गई है।

4. उपरोक्त शासनादेश आई. टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग की वेबसाइट **upgov.up.nic.in/infotech** पर समस्त संलग्नकों के साथ उपलब्ध कराया जा रहा है।

5. उपरोक्त शासनादेश कार्मिक एवं वित्त विभाग की सहमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

अनुराग श्रीवास्तव
विशेष सचिव

संख्या - 1157(1)/78-आई.टी.-2001, तददिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मा. मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव।
2. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त।
3. प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक।
4. राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ।
5. समस्त इंजीनियरिंग कालेज/पालीटेक्निक/सरकारी संस्थान (संलग्नक-ख)
6. डी.ओ.ए.सी.सी. सोसायटी, भारत सरकार द्वारा अप्रूब्ड संस्थान (संलग्नक-क)
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

काज़ी एम.ए.मुजतबा
अनु सचिव

Annexure : **d**

List of Computer centre authorised for training of U.P. Govt. employees vide G.O. No. 1157/78-17-2001 Dated 13-08-2001

DOEACC Accredited Computer Centres
DOEACCHQR Address : 6, CGO, Complex, Lodi Road New Delhi - 3
Executive Director : Dr. P N Gupta->011-4364870
Manager (Accredition) : Mr. C P Raghav ->011-4363184

O Level (Provisional)

Sl.No.	Name & Address of the Centre	Accredition No	Validity Upto	Contact. (Tel)
1.	Sun Computers & Technologies (Franchisee:APTECH Ltd) 32-B,Stanley Road (OPP. Traffic Police Lines) Allahabad-211 002	ACCR-01020 PROV. 00750	27-07-2002	641349 440309
2.	Rohini Engineers (Franchisee:APTECH Ltd) 29, Nehru Park Colony Near Sood Dharam Kanta Prem Nagar, Bareilly-2430005	ACCR-00907 PROV.00750	11-05-2001	0581-455686
3.	Advance Computer Education Institute 72-A.Shivpuri Railway Road Bulandshahar	ACCR-008431 PROV.00688	13-07-2000	05732-24293
4.	Meena Shah Institute of Technology Darbar-e-Minaiya-aliya Karbala Nagar Meena Nagar, Gonda-271002	ACCR-00945 PROV.00793	12-11-2001	05262-24900
5.	M/s Govind Datamatics (Licensee of ET&T Corpn. Ltd) 2nd Floor, Harbansram Complex Vijay Chowk, Gorakhpur-273001	ACCR-01030 PROV.00862	17-08-2002	337230 281403
6.	M/s Raj Computers (Licensee of ET&T Corpn Ltd) Chhaya Complex Jhokan Bagh, Jhansi-208001	ACCR-00968 PROV.00751	15-02-2002	472867 472178
7.	M/s P D Gooba & Sons Franchise-India Education Centre Ltd (IEC), New Delhi 16/98,LIC Building The Mall, Kanpur-208001	ACCR-00913 PROV-00751	11-05-2001	0512-312097
8.	UPTEC Computer Consultancy Ltd. 17/9A, The Mall Opp. Kherapati Mandir Kanpur-208001	ACCR-00910 PROV-00752	11-05-2001	317817
9.	Ritusha Computer (P) Ltd Franchisee : APTEC Computer Education, 124/N/7, Misra Market, Govind Nagar, kanpur-208006	ACCR-00925 PROV-00774	03-09-2001	0512-643444
10.	Regional Computer Centre Branch Office Sumit Complex A 1/9 Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow - 226010	ACCR-00863 PROV-00706	26-11-2002	
11.	Moorti Devi Saraswasti Inter College (Amichand Budhsen) Computer Trng Deptt), Najibabad (Bijnor)	ACCR-00787 PROV-00641	04-12-2001	01341-20099
12.	**UPTRON** India Limited, 10, Ashok Marg, Lucknow.	ACCR-00738 PROV-00593	11-12-2001	0522-280526 280528
13.	**ANTECH** Computer Centre, (Licensee of ET & T Corpn Ltd) J-3, J-4, Pushpanjali Complex, Nehru Nagar, Rakesh Marg, Ghaziabad-201001	ACCR-01177 PROV-0993	16-02-2004	
14.	Pentium Computers Pvt. Ltd (Franchisee Lakhotia Computer Centre) B-98, Sector C, Mahanagar, Lucknow - 226006	ACCR-00897 PROV-00737	22-03-2001	0522- 326906 329463
15.	**UPTEC** Computer Consultancy Ltd,50-C, Bhatia Complex PROV-00886 Kanpur Road, Singar Nagar, Alambagh, Lucknow-226005	ACCR-01052	01-12-2002 4601590	450715
16.	**UPTECH** Computer Consultancy Ltd. C-6, Sector F Opp. Rashtriya Sahara Office, Kapoorthala, Aliganj Lucknow - 226 020	ACCR-01051 PROV-00896	01-02-2003	334639 322372
17.	B B P Infotech Pvt Ltd (Franchisee APTECH Computer Education) Western Kutchery Road, Meerut	ACCR-01006 PROV-00833	25-04-2002	640014 661114
18.	K V R N Educational Society of India (Licensee of ET & T Corpn Ltd)	ACCR-00991 PROV-00846	09-06-2002	43678

Sl.No.	Name & Address of the Centre	Accredition No	Validity Upto	Contact. (Tel)
18.	K V R N Educational Society of India (Licensee of ET & T Corpn Ltd) Krishna Complex, Opp. Modi Inter College, Modinagar-201201	ACCR-00991 PROV-00846	09-06-2002	43678
19.	Shashwat (A Franchisee of Cistems School of Computing) 96, Avas Vikas, Civil Lines, Moradabad-244001	ACCR-00857 PROV-00700	23-09-200	0591-319416
20.	All India Women's Conference Computer Training Centre 3/1351, Behind-Singh Colony, Bajoria Road, Saharanpur-247001	ACCR-00950 PROV-00786	28-10-2001	0132-729791
21.	Rapti Computers (ATC of CMC Limited) Opposite Sophia Market Court Road, Saharanpur-247001	ACCR-00915 PROV-00768	29-07-2001	0132-724556
22.	Information Technology Training Centre (ITTC) Ordnance Clothing Factory, Shahjanpur	ACCR-00859 PROV-00705	18-11-2000	
23.	Computer Career Institute 33, Upendra Nagar, Durgakund, B-98, Sector C, Mahanagar, Lucknow - 226006	ACCR-00909 PROV-00745	23-04-2001	0542-314162 310311
24.	**UPTEC** Computer Consultancy Ltd. D-58/53, 54, Shiva Complex 2nd Floor, Rath Yatra Crossing, Varanasi-221010	ACCR-00937 PROV-00777	06-09-2001	0542-361473
25.	Basant Computer Centre, (Licensee of ET & T Corpn Ltd) S-17/331-C, Vijay Nagar, Maldahiya, Varanasi-221002	ACCR-01043 PROV-00872	29-09-2002	348485 358864
26.	Ambedkar Computer Applications, Training Scheme (ACDATS) (A Scheme of Institute of Wastelands Reclamation & Rural Development), D-141/1, Indira Nagar, Lucknow-226016	ACCR-00850 PROV-00686	29-06-1999	0522-388432 345951
27.	Computer Home, 8/126, SEC. III, Rajender Nagar, Sahibabad, Ghaziabad-201005	ACCR-00803 PROV-00657	04-02-2001	631483
28.	Supreme Infotech, Raj Bhawan, Raje Babu Road, Bulandshar-203001	ACCR-01100 PROV-00929	18-06-2003	27839
29.	KK Business Computer Pvt. Ltd, 25/4, The Mall, Opp. Sen Balika Vidyalaya, Kanpur.	ACCR-01120 PROV-00943	30-08-2003	350353 350364

O Level (Full)

Sl.No.	Name & Address of the Centre	Accredition No	Validity Upto	Contact. (Tel)
1.	National Institute of Professional, Literary & Scientific Society 19-B, Tagore Town, Allahabad-211001	ACCR-00586 FULL - 00114	18-06-2003	
2.	MCA Literary Scientific Society 1/4, Prayag Street, New Katra Allahabad-211006	ACCR-00577 FULL-00116	18-06-2003	0532-641438
3.	**UPTECH** Computer Consulmtancy Ltd 2, Sardar Patel Marg Nawab Yusuf Road Crossing, Civil Lines, Allahabad - 211001	ACCR-00815 FULL-00161	20-12-2005	0532-420276 420640
4.	SCARLET (A Franchisee of CISTEMS School) Ground Floor,N-4 Moorti Bhawan, Rampur Garden, Bareilly-243001	ACCR-00729 FULL-00085	26-08-2002	0581-455515
5.	VICT (Vasudeo Institute of Computer) (Vasudeo Vidyapith) Fatehgarh, Distt. Farrukhabad, Fatehgarh-209601	ACCR-00762 FULL-00166	19-02-2005	34790
6.	Academy of Computer Studies, (A Division of KS Computers Pvt Ltd, 2nd Floor, Rahul Palace, Lohia Nagar, Ghaziabad-201001	ACCR-00154 FULL-00030	02-08-2001	718612 758127
7.	Kamla Sukul Institute of Appropriate (Managed by Bhagirath Sewa Sansthan Bhagirath Public School Campus B Block, Sanjay Nagar, Ghaziabad-201001	ACCR-00774 FULL-00158	25-04-2005	757038
8.	Centre For Electronics Design M.M.M. Engineering College Campus, Gorakhpur-273010	ACCR-00654 FULL-00148	11-02-2005	0551-202871 202873
9.	Advance Computer Education Institute, 72-A Shivpuri, Railway Road Bulandshehar-203001	ACCR-00809 FULL-00199	13-07-2006	
10.	Northern Computers, 13/392, 'B' Civil Lines Near Marchant Chambers, Kanpur- 208001	ACCR-00212 FULL-00003	12-04-2001	293056

Sl.No.	Name & Address of the Centre	Accredition No	Validity Upto	Contact. (Tel)
11.	K.K. Business Computers Pvt Ltd, Franchisee of APTECH. Computer Education, 3rd Floor, Nadir Bazar, 113/166, Swaroop Nagar, Kanpur-208002	ACCR-00508 FULL-00027	18-07-2001	294080 294828
12.	**UPTEC** Computer Consultancy Ltd 601-607, Software Technology Park UPSIDC Complex, A-1/4 Lakhanpur, Kanpur-208024	ACCR-00816 FULL-00168	20-12-2005	0532-420276
13.	**UPTEC** Computer Pvt Ltd 3rd Floor, Bansal Complex Faizabad Road, Indira Nagar, Lucknow-226016	ACCR-00655 FULL-00067	07-07-2002	283891 92/94,26
14.	Applitek Computer Pvt Ltd , 3rd Floor, Bansal Complex Faizabad Road, Indira Nagar, Lucknow - 226016	ACCR-00165 FULL-00100	09-02-2003	
15.	RAC Computers Pvt Ltd., 4th Floor, Rohit Bhawan , Sapru Marg, Lucknow-226001	ACCR-00444 FULL-00173	18-10-2005	210142 217542
16.	National Institute of Computer Education (Subject to Screening) C/o Nice Management College, 208/A, University Road, Saket Meerut-250002	ACCR-00343 FULL-00087	26-08-2002	661981 661983
17.	Fututech Computer Services Pvt. Ltd, Licensee of NIIT 163, Civil Lines, Meerut Cantt	ACCR-00240 FULL-00126	29-05-2003	
18.	Electronics Research & Development C-4, Sector-10, Noida-201301	ACCR-00809 FULL-00165	20-12-2005	553754 524302
19.	Tanmay Computer & Software (P) Ltd., A-359,Sector - 19, Noida	ACCR-00566 FULL-00215	05-08-2006	

'A' Level (Provisional)

Sl.No.	Name & Address of the Centre	Accredition No	Validity Upto	Contact. (Tel)
1.	UPTEC Computer Consultancy Ltd., 2, Sadar Patel Marg, Nawab Yusuf Road Crossing, Civil Lines, Allahabad- 211007	ACCR-A0160 PROV-A0145	26-01-2001	420276 420640
2.	MCA Literary Scientific Society, 1/4, Prayag Street, New Katra, Allahabad.	ACCR-A0184 PROV-A0187	06-06-2002	0532-641438
3.	SCARLET (A Franchise of Cistems School of Computing) Ground Floor, N-4, Murti, Bhawan, Rampur Garden, Bareilly.	ACCR-A0147 PROV-A0132	24-07-2000	0581-455515
4.	Centre for Electronics Design & Technology MMM Engineering College Campus, Gorakhpur	ACCR-A0145 PROV-A0129	20-07-2000	0551-202871 202873
5.	Supreme Infotech, Raj Bhawan Raje Babu Road, Bulandsahar-203001	ACCR-A0254 PROV-A0227	18-06-2003	
6.	Cybertech, 537/4A, Near Puraniya, Rly. Crossing Opp. Dilkash Vihar Colony, Sitapur Road, Lucknow-226020	ACCR-A0258 PROV-A0232	16-07-2003	
7.	UPTEC Computer Consultancy Ltd., 601-607, Softwar Technology Park, UPSIDC Complex, A-1/4 Lakhanpur, Kanpur-208024	ACCR-A0174 PROV-A0151	12-05-2001	420276
8.	Advance Computer Education Institute, 72-A Shivpuri Railway Road, Bulandsahar-203001	ACCR-A0275 PROV-A0247	05-12-2003	
9.	Regional Computer Centre, A1/9, Sumit Complex Vibhuti Khand, Gomtinagar, Lucknow - 226010	ACCR-A0233 PROV-A0208	15-11-2002	305195 305205
10.	BBP Infotech Pvt Ltd., (Franchisee of APTECH Computer Education), Western Kutchery Road, Meerut	ACCR-A 0212 PROV-A0183	25-04-2002	640014 661114
11.	UPTEC Computer Consultancy Ltd., 17/9A, The Mall Opp. Kherapati Madir, Kanpur-208001	ACCR-A 0175 PROV-A 0152	11-05-2001	317817
12.	Electronics Research & Development Centre of India (Noida) C-4, Sector-10, Noida	ACCR-A0183 PROV-A0160	23-07-2001	553754 524302
13.	Rapti Computers, (ATC of CMC Limited) Opp. Sophia Market, Court Road, Saharanpur-247001	ACCR-A 0204 PROV-A 0206	28-10-2002	7245456

Sl.No.	Name & Address of the Centre	Accredition No	Validity Upto	Contact. (Tel)
14.	Basant Computer Centre, (Licensee of ET&T Corpn Ltd) S-17/331-C, Vijay Nagar, Maldahiya, Varanasi-221002	ACCR-A 0235 PROV-A 0218	16-04-2003	
15.	Computer Home, 8/126, Sec-III Rajender Nagar, Sahibabad, Ghaziabad-201005	ACCR-A 0134 PROV-A 0118	04-02-2002	631483
16.	UPTEC Computer Consultancy Ltd., D-58/53,54 Shiva Complex 2nd Floor, Rath Yatra Crossing, Varanasi-221010	ACCR-A 0200 PROV-A 0194	22-07-2002	361473 363780

'A' Level Full

Sl.No.	Name & Address of the Centre	Accredition No	Validity Upto	Contact. (Tel)
1.	Academy of Computer Studies, (A Division of K S Computers Pvt Ltd), 2nd Floor, Rahul Palace, Lohia Nagar, Ghaziabad-201001	ACCR-A 0069 FULL-A 0025	29-07-2003	718612 758127
2.	Northern Computers, 13/392, 'B' Civil Lines, Near Merchant Chambers, Kanpur-208001	ACCR-A0124 FULL-A 0035	09-06-2005	293056
3.	K K Business Computters Pvt Ltd (Franchisee of APTECH Computer Education), 3rd Floor, Nadri Bazar, 113/166,Swaroop Nagar Kanpur-208002	ACCR-A0111 PROV-A 0036	08-09-2005	294080 294828
4.	UPTECH Computer Consultancy Ltd., 16, Rana Pratap Marg, UPTEC Crossing, Lucknow- 226 001	ACCR-A0102 PROV-A0022	02-04-2003	283891 92/24,26
5.	SCARLET, (A Franchisee of Cistems School), Ground Floor, N-4, Murti Bhawan, Rampur Garden, Bareilly-243001	ACCR-A0147 PROV-A—49	24-07-2006	

'B' Level (Provisional)

Sl.No.	Name & Address of the Centre	Accredition No	Validity Upto	Contact. (Tel)
1.	Graduate School of Business & Administration R-8/7, 8/8 Rajnagar, Ghaziabad-201001	ACCR-B 0052 PROV-B 0044	09-06-2004	714277
2.	UPTEC Computer Consultancy Ltd, 17/9 A, The Mall Opp. Kherepati Mandir, Kanpur-208001	ACCR-B0067 FULL-B 0035	08-05-2005	

Annexure ख

District Wise List of Engineering Colleges/Polytechnics/Other Govt. Organisations Computer Centres in U.P.

For Training of Employees of U.P. Govt/Corporate Sector

SL. No.	District	Name & Location of Computer Training Centres	Contact Person & Phone No.
	AGRA		
1.	Agra	1. Agra College Agra (Pvt.)	Dr. P.K. Agarwal 268553-(Off.) 269195-(Resi.) Mobi. 9837040316
2.	Aligarh	2. Shivdan Singh Instt. of Tech. & Management Aligarh (Pvt.)	Mr. Sunil Singh (Chairman) 406449, 57260-(Off.) 523002-(Resi.) Mobi.-9837069869
3.	Mathura	3. Hindustan College of Science & Technology Mathura (Pvt)	Dr. B.D. Gupta 763366-69-(Off.) 522442-(Resi.)
		4. Sri. Anardevi Khandelwal Girls, Polytechnic Mathura (Aided) [Brindavan Road Right From Masani Chauraha]	Mr. H.K. Dixit (Principal) 407579 - (Off) 420688 - (Resi.)
	ALLAHABAD		
4.	Allahabad	5. M.N.R. Engineering College Allahabad	Prof. I.C. Agarwal, 642548, 640777 (Off.) 540228-(Resi.)
		6. I.E.R.T. Allahabad (Director)	Mr. Prabhat Tandon, 645606-(Off.)
		7. Govt. Girls Polytechnic Allahabad	Mr. Y.K. Srivastava, Principal, 546302-(off)
5.	Fatehpur	8. Govt. Polytechnic, Fatehpur	Mr. R.N.P. Srivastava, (Principal), 24207-(Off)
6.	Pratapgarh	9. Govt. Polytechnic, Pratapgarh [Sultanpur Road]	Mr. R.P. Sharma, (Principal) 20254 - (Off.)
	KANPUR		
7.	Kanpur	10. H.B.T.I., Kanpur	Dr. V. K. Jain, 214414,294851-55(Off.) 540666-(Resi.)
		11. Dr. Ambedkar Instt. of Tech.. for Handicapped, Kanpur.	Mr. Virendra Bhasin (Director) 581111-(Off.) 281191-(Resi.)
		12. Govt. Polytechnic, Kanpur [Near Guru Dev, Palace, Rawatpur	Dr. A. Singh, 580086-(Off.)
	KORAKHPUR		
8.	Gorakhpur	13. M..M..M.. Engineering College, Gorakhpur	Dr. Satya Sheel, 273958-(Off.), 273637(Resi.)
		14. Govt. Girls Polytechnic, Gorakhpur [Ashuran Chauraha, Medical Road]	Mr. S. N. Singh (Principal) 311615-(Off.)
		15. CEDTI Computer Centre, M.M.M. Engineering College Campus, Gorakhpur	Dr. S.C. Tiwari, Director, 273371-(Off.) 273809-(Resi.) Sri. H.P. Shukla , Additional Director 273872-(Off.), 270513-(Resi.)

Sl. No.	District	Name & Location of Computer Training Centres	Contact Person & Phone No.
	JHANSI		
9.	Jhansi	16. Bundelkhand College of Engineering. Jhansi	Mr. R.C. Sarascoat 320349, 320321-(Off.) 320166, 320266-(Resi.)
		17. Govt Girls Polytechnic, Jhansi [Gwalior Road]	Mr. J. L. Verma (Principal), 446578 - (Off.)
	DEVIPATAN GONDA		
10.	Gonda	18. Govt. Polytechnic, Gonda [Utraula Road, Gonda]	Mr. U.B. Triphathi (Principal) 23710-(Off.)
	FAIZABAD		
11.	Sultanpur	19. K.N.I.T. Sultanpur	Dr. K.B. Nayak 22454-(Off.), 22371-(Resi.)
		20. Govt. Girls Polytechnic, Amenthi [Amethi-Dhammaur Road]	Mr. Manoj Kumar (Principal) 22014-(Off.)
12.	Barabanki	21. Govt. Polytechnic, Barabanki [Faizabad-Deva Road, Near Spinning Mill]	Mr. R.L. Yadav Principal 22680-(Off.)
	MORADABAD		
13.	Moradabad	22. Instt. of Technology, Moradabad (Pvt.)	Prof. R.B. Saxena 351458, 352327, 352412-(Off.) 350793 -(Resi.)
		23. Govt. Girls Polytechnic, Moradabad	Mr. Kafeel Ahmad (Principal) 3503650-(Off.)
14.	Bijnaur	24. Vira College of Engineering, Bijnaur	Mr. S.K. Agarwal 63833-(Off.) 64723-(Resi.)
	BAREILLY		
15.	Bareilly	25. Govt. Girls Polytechnic ,Bareilly [Delhi-Lucknow Road]	Mr, A.R. Khan (Principal) 480157-(Off.)
16.	Rampur	26. Govt. Polytechnic, Rampur [Near Govt. Press, Cane Colony]	Mr. Madhukar (Principal) 351958-(Off.)
	MEERUT		
17.	Meerut	27. Radha Govind Engg. College, Meerut (Pvt.)	Mr. Y.K. Tyagi, 760396 - (Off.) 763383 - (Resi.)
		28. D. N. Polytechnic, Meerut (Aided) [Partapur Industrial State, Delhi Road, Meerut	Mr. Rajneesh Kumar (Principal), 511213-(Off.)
18.	Bullandshahar	29. B.B. Das Instt. Of Engg. Technology & Research Centre, Bullandshahar	Mr. Harendra Agarwal 33794, 33796- (Off.) 641366, 648892 (Resi.)
19.	Ghaziabad	30. I.M.E. Instt. of Management Education, Shaiabad Ghaziabad	Prof. H.P. Gupta 4625870, 4621424 (Off.) 4621425 (Resi.)
		31. Govt Polytechnic, Ghaziabad	Mr. R.C. Rajpur, 4719500 -(Off.) 4758794 - (Resi.)
		32. ER & DCI Computer Centre Anu Sandhan Bhawan C-56/1, Institutional Area S e NOIDA Distt. GautamBudh Nagar	Mr. R. K. Verma Executive Director 4587728-(Off.) 4513605-(Resi.) Sri B. K. Jain Director R & D 4587717-24 (Off.)

SL. No.	District	Name & Location of Computer Training Centres	Contact Person & Phone No.
20.	Gautambudh Nagar	33. I.E.C. College of Engg. & Technology Noida (Pvt.)	Prof. Bharat Singh 4566529, 4566537 (Off.)
	CHITTRAKOOT		
21.	Banda	34. Govt. Polytechnic, Banda [Chilla Road, Near Spinning Mill, Banda]	Mr. G.S. Dubey (Principal) 67171-(Off.)
22.	Mahoba	35. Govt. Polytechnic, Mahoba [Near Railway Station, Bajaria]	Mr. Surendra Prasad (Principal) 44145-(Off.)
	VARANASI		
23.	Varanasi	36. Govt. Girls Polytechnic Varanasi [B.H.U.Lanka Road]	Mr. J.N. Tiwari (Principal) 319162-(Off.)
24.	Chandauli	37. Chandauli Polytechnic, Chandauli (Aided) [Sakaldela Road, Chandauli]	Mr. Indra Mohan Dixit (Principal) 62224-(Off.) 62226-(Resi.)
25.	Jaunpur	38. Govt. Polytechnic, Jaunpur	Mr. D.M. Singh 62644 - (Off.)
	LUCKNOW		
26.	Lucknow	39. I.E.T., Lucknow	Dr. A. K. Khare 361692,3361595 (Off.) 361500 - (Resi.)
		40. Babu Banarsi Das National Instt. of Tech. & Management, Lucknow	Mr. P. N. Kapoor 315617, 315204 (Off.)
		41. Govt. Polytechnic, Lucknow (Faizabad Road)	Mr. P. C. Sharma (Principal) 352678-(Off.)
		42. Govt. Girls Polytechnic, Lucknow (Faizabad Road)	Mr. S. K. Verma (Principal) 701407-(Off.)
		43. Regional Computer Center Sumit Complex A-1/9 Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow.	Sri. Sanjeev Sood Branch Manager Sri. Anurag Kumar System Analyst 305205-(Off.) 394880-(Resi.)
		44. UPTRON -ACL 10-Ashok Marg, Lucknow	Sri. Anurag Srivastava 280027- (Off.) 280530 - (Off.) 391142 - (Resi.) Sri. R. L. Dixit , General Manager 280518-(Off.) 209127-(Resi.)
		45. IMDUP Computer Centre Sector D Aliganj, Lucknow	Sri A. K. Rastogi, Director 379739; 384383 Sri O. P. Sharma, Executive Director Computer Center, 330048
		46. UPDESCO Computer Center 9-Sarojni Naidu Marg, Lucknow	Managing Director 239635-(Off.) Sri. Anurag Srivastava, General Manager 239330-(Off.), 391142-(Resi.)
27.	Hardoi	47. Govt. Polytechnic, Hardoai [Hardoi Bhawan, Ghungi Xing	Mr. V.C. Sharma (Principal) 34706-(Off.)
28.	Rae Bareli	48. Feroz Gandhi Polytechnic, Rae Bareli Rata Pur Chauraha, Raibareli]	Mr. R. P. Sharma (Principal) 211324-(Off.), 211325-(Resi.)

SL. No.	District	Name & Location of Computer Training Centres	Contact Person & Phone No.
29.	Sitapur	49. J.L.N. Polytechnic, Mehmudabad (Sitapur) [Lakhpara Biswan Road,] Mehmoodabad, Sitapur	Mr. R. J. Verma (Principal) 52262-(Off.) 52263-(Resi.)
30.	Unnao	50. Govt. Polytechnic, Unnao [Near Dahi Chauki, Lucknow-Kanpur Road]	Mr. B. Lal (Principal) 829572-(Off.)
	SAHARANPUR		
31.	Saharanpur	51. Govt. Polytechnic, Saharanpur	Mr. M. R. Khurana (Principal) 785567-(Off.)
	MUZAFFAR NAGAR		
32.	Muzaffar Nagar	52. S. D. College of Engg. & Technology, Muzaffar Nagar	Dr. K. L. P. Misra 608080- (Off.) 413191-(Resi.)

Total : Engineering Colleges-17, Polytechnic-29, others-6

संख्या-359/78-आई0टी0-2-2001

प्रेषक,

काज़ी एम0ए0 मुज़तबा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।**
2. **समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।**
3. **समस्त आयुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।**

लखनऊः दिनाँक-29 नवम्बर, 2001

आई.टी.एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2

विषय : सरकारी सेवकों/निगमों/निकायों एवं समितियों के कार्मिकों/अध्यापकों हेतु कम्प्यूटर प्रशिक्षण।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के शासनादेश संख्या-1157/78-आई.टी.-2001 दिनांक 13 अगस्त. 2001 एवं समसंख्यक शासनादेश दिनांक 3 अक्टूबर, 2001 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा सेवकों/निगमों निकायों एवं समितियों के कार्मिकों/अध्यापकों हेतु कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए **DOEACC** सोसयटी भारत सरकार द्वारा अनुमोदित, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु अधिकृत किया गया था।

इस सम्बन्ध में **DOEACC** सोसायटी भारत सरकार द्वारा कतिपय संस्थाओं की मान्यता समाप्त कर दी गई है। उक्त स्थिति में डी.ओ.ई.ए.सी.सी. भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गई कुल छः संस्थाओं की सूची संलग्न करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-1157/78-आई.टी.-2001 दिनांक 13 अगस्त, 2001 एवं समसंख्याक शासनादेश दिनांक 3 अक्टूबर, 2001 द्वारा जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया जाता है अब उक्त छः संस्थायें कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए अधिकृत नही समझी जायेगी। उक्त शासनादेश संख्या-1157/78-आई.टी.-2001 दिनांक 13 अगस्त, 2001 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शेष शर्ते पूर्ववत रहेंगी।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,
काज़ी एम0ए0 मुज़तबा
अनु सचिव

संख्या-359 (1)/78-आई.टी.-2-2001 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त।
3. प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक।
4. राजकीय मुद्रणालय लखनऊ।
5. सलंग्नक में उल्लिखित कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थान।
6. प्रतिलिपि श्री एस.एस. नकवी, यूपी ऑनलाइन वेब कन्ट्रोलर, एन.आई.सी., लखनऊ मय फ्लापी के।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

काज़ी एम0ए0 मुज़तबा
अनु सचिव

संलग्नक

List of the Institues whose accreditation has been withdrawn

'O' Level

S.No.	Name	ACCR No.	Prov/Full.No.
1.	M/s P.D. Gooba & Sons Franchise- India Education Centre Ltd. (IEC), New Dehli 16/98, LIC Building, The Mall, Kanpur - 208001	00913	00751
2.	Pentium Computers Pvt. Ltd. (Franchisee Lakhotia Computer Centre), B-98, Sector-C, Mahanagar, Lucknow - 226 006	008987	00737
3.	Information Technology Training Centre (ITTC) Ordnance Clothing Factory, Shahjahanpur	00589	00705
4.	Computer Home 8/126, Sec.III, Rajender Nagar, Sabibabad, Ghaziabad- 201 005	00803	00657
5.	National Institute of Computer Education C/o Nice Management College, 208/A, University Road, Saket, Meerut - 250 002	00343	00087

'A' Level

1.	Rapti Computers (ATC of CMC Limited) Opp. Sophia Market, Court Road, Saharanpur - 247 001	A0204	A0206

10

नागरिक अधिकार-पत्र

संख्या-166/9-आ-1-2001(आ0ब0)

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनाँक : 15 जनवरी, 2001

आवास अनुभाग-1

विषय : आवास विभाग द्वारा जारी ''नागरिक अधिकार पत्र'' के प्रचार-प्रसार के सम्बन्ध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-752(1)/9-आ-1-2000-1021 यू0सी0/98टी0सी0, दिनांक 26 अप्रैल, 2000 द्वारा जारी नागरिक अधिकार पत्र का व्यापक प्रचार व प्रसार के निर्देश दिये गये थे एवं प्राधिकरणों से यह भी अपेक्षा की गई थी कि नागरिक अधिकार पत्र के अनुसार कार्यवाही करते हुए नागरिकों को आवश्यक सुविधायें प्रदान की जाएं। परन्तु शासन के संज्ञान में आया है कि कई प्राधिकरणों द्वारा नागरिक अधिकार पत्र के प्रचार व प्रसार एंव वितरण हेतु समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसी दशा में इस 'अधिकार पत्र' को मुद्रित कराकर कार्यालयों में मात्र संग्रहित कर लिया जाना, शासन की पारदर्शिता एवं जनकल्याण की नीति के प्रतिकूल है।

2. अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि समस्त प्राधिकरण नागरिक अधिकार पत्रों में उल्लिखित कार्यवाइयों के अनुपालन के साथ इसके व्यापक प्रचार व प्रसार हेतु निम्न व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें :-

(i) स्थानीय समाचार पत्रों में नागरिक अधिकार पत्रों का प्रकाशन कराया जाए,

(ii) छोटे आकार के हैण्ड बिल पेपर पर मुद्रित कराकर समस्त समाचार पत्रों के माध्यम से वितरित कराया जाय,

(iii) प्राधिकरणों के मुख्य गेट अथवा सुगमतापूर्वक दृष्टिगोचित नोटिस बोर्ड पर एवं उक्त प्रयोजनार्थ प्राधिकरणों में निर्मित सूचना केन्द्र/काउन्टर पर नागरिक अधिकार पत्रों को चस्पा किया जाए,

(iv) प्राधिकरण परिसर में ही एक बोर्ड जो कि, ''ए''-श्रेणी के प्राधिकरणों में 10 फीट X 20 फीट आकार का तथा ''बी''-श्रेणी के प्राधिकरणों में 10 फीट X 8 फीट आकार का लगाकर, नागरिक अधिकारों को बड़े-बड़े एवं साफ अक्षरों में अंकित किया जाय,

(v) आवंटन हेतु विक्रय की जानी वाली पंजीकरण पुस्तिका के अन्त में नागरिक अधिकार पत्र मुद्रित कराया जाय,

(vi) प्राधिकरण के समस्त प्रकाशनों में नागरिक अधिकार पत्र संलग्न किया जाए,

(vii) प्राधिकरण के वेब-साईट में उचित स्थान पर नागरिक अधिकार पत्र को दर्शाया जाये।

3. कृपया उपरोक्त का अनुपालन कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या- 166 (1)/9-आ-1-2001 (आ0ब0) तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 आवास मंत्री को माननीय मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री आवास को माननीय राज्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. अपर निदेशक, नियोजन, उत्तर प्रदेश आवास बन्धु।

आज्ञा से
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

संख्या-804/9-आ-6-2001

अतुल कुमार गुप्ता,
आई.ए.एस.

सचिव,
आवास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ-226001

लखनऊ : दिनाँक : 1 मई, 2001

प्रिय महोदय,

कुछ दिन पूर्व सिटीजन चार्टर के पृष्ठभूमि में जन सामान्य की समस्याओं/शिकायतों को व्यवहृत करने की व्यवस्था हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण के कम्प्यूट्राइजेशन के सम्बन्ध में हुये विचार विमर्श सन्दर्भ लेने का कष्ट करें। यद्यपि प्राधिकरण ने जन सामान्य से प्राप्त होने वाली समस्याओं इत्यादि को व्यवहृत करने की व्यवस्था बनाई है जिसके कुछ अच्छे पहलू आवश्यक है परन्तु अभी भी ऐसी व्यवस्था नही है कि उसे अनुसरणीय किया जा सके। इस दिशा में निम्न व्यवस्था आवश्यक होगी :

1. समस्या/शिकायत देते समय प्राधिकरण द्वारा एक ऐसी पावती दी जाय जिसमें एक विशिष्ट क्रमांक हो, समस्या/शिकायत का संक्षिप्त विवरण हो तथा प्राधिकरण से फीडबैक प्राप्त करने का उल्लेख हो।
2. जन समान्य की समस्यओं से सम्बन्धित हर विभाग कम्प्यूटर पर आन-लाईन हो और हर ऐसे सम्बन्धित अनुभाग में पर्याप्त संख्या में कम्प्यूटर टर्मिनल कार्यरत हों। अभी यह व्यवस्था कतई संतोषजनक नही है। आन-लाईन कम्प्यूटर पर ही उस अनुभाग को तथा उसके प्रभारी को यह सूचना प्राप्त हो जानी चाहिए कि कौन-कौन सी समस्याएं/शिकायतें उनसे सम्बन्धित प्राप्त हुई है।
3. निर्धारित समय से पूर्व सम्बन्धित अनुभाग अधिकारी द्वारा आन-लाईन कम्प्यूटर पर ही प्रत्येक व्यक्ति की समस्या/शिकायत के बारे में फीडबैक अंकित किया जाया करे। इसमें स्पष्ट किया जाय कि उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई अथवा नही, यदि नही तो क्यों, क्या कारण है। यदि लम्बित है तो यह फीडबैक उल्लिखित हो कि कितने दिन में अन्तिम फीडबैक दिया जा सकता है।
4. आन-लाईन कम्प्यूटर पर यह सुविधा है कि सम्बन्धित अनुभाग अथवा अनुभाग प्रभारी यह देख सकें कि किस अधिकारी के कौन-कौन से प्रकरण फीडबैक के लिए ड्यू हो रहे है ताकि वे यह भी चेक कर सकें कि उनका फीडबैक कम्प्यूटर पर अंकित हो गया है अथवा नही।
5. फीडबैक निर्धारित तिथि पर सम्बन्धित व्यक्ति को कम्प्यूटर से छपा हुआ एक पत्र मिले जिसमें उसकी समस्या/शिकायत के बारे में की गई कार्यवाही का ब्यौरा उल्लिखित हो। फीडबैक विलम्ब होने की स्थिति कारण सहित यह बताया जाय कि वह व्यक्ति पुनः कब फीडबैक प्राप्त करने आये।
6. यह भी जानकारी उपलब्ध हो कि किन-किन मामलों में फीडबैक के लिए एक से अधिक बार बुलाया गया तथा कितनी बार बुलाया गया। यह ब्यौरा अनुभागवार भी देखा जा सके।

कृपया उपरोक्त व अन्य आवश्यक बिन्दुओं पर तत्काल कार्यवाही प्रारम्भ कर लें मै दिनांक 19 मई, 2001 को पूर्वान्ह 11.00 बजे प्राधिकरण में इसकी समीक्षा करना चाहूँगा। यह भी उल्लेखनीय है कि शीघ्र ही पब्लिक इन्टरफेस एक अशासकीय संस्था/एन0जी0ओ0 द्वारा दिया जायेगा, अर्थात् वे ही जन सामान्य की समस्या/शिकायत प्राप्त करेंगे तथा फीडबैक भी वे देंगे। प्राधिकरण के उच्च अधिकारी वे इस बात की भी सूचना देंगे कि कितने मामलों में निर्धारित तिथि को फीडबैक समुचित रूप से नहीं उपलब्ध कराया गया।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

श्री दिवाकर त्रिपाठी
उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण।
संख्या - 804/9-आ-6-2001 तददिनांक।

प्रिय महोदय,

उक्त पत्र की प्रतिलिपि इस आशय से प्रेषित कर रहा हूं कि कृपया आवास एवं विकास परिषद में मुख्यालय स्तर पर उपरोक्त व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र लागू कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

श्री रोहित नन्दन,
आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
संख्या - 804/9-आ-6-2001 तददिनांक।

प्रतिलिपि अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि पब्लिक इन्टरफेस हेतु अशासकीय संस्था/एन0जी0ओ0 शीघ्र चिन्हित करने का कष्ट करें।

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या-999/9-आ-6-2001-1021यू0सी0/98 टी0सी

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त उपाध्यक्ष,**
विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. **आयुक्त,**
आवास एवं विकास परिषद्,
लखनऊ।

आवास अनुभाग-6

लखनऊ : दिनाँक : 24 मई, 2001

विषय : आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा नागरिक अधिकार पत्र जारी किये जाने एवं उसका अनुपालन।

महोदय,

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा राज्य के विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा नागरिकों के बारे में अपने उत्तरदायित्वों के प्रति सजग एवं प्रतिबद्ध रहने की दृष्टि से शासन द्वारा नागरिक अधिकार-पत्र जारी किये जाने का निर्णय लिया गया है। नागरिक अधिकार-पत्र का आलेख्य संलग्न है। कृपया अपने प्राधिकरण/परिषद के नाम से इसे छपवाकर जन सामान्य को उपलब्ध करायें।

नागरिक अधिकार-पत्र में विभिन्न कार्यों के लिए समय सीमा एवं उत्तरदायित्व के स्तर भी निर्धारित किये गये है। कृपया सभी सम्बन्धित अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें इस विषय पर आवश्यक निर्देश देते हुए मार्ग-दर्शन भी प्रदान करें। उनसे विचार-विमर्श करते हुए एक ऐसी व्यवस्था एवं कार्य पद्धति भी विकसित कर लें कि अपेक्षित कार्य निर्धारित समय में पूरा होना सुनिश्चित् किया जा सके। समय में कार्य पूरा न होने की स्थिति में उत्तरदायी कर्मचारी दण्ड का भागी अवश्य होगा परन्तु मंशा दण्डित करना नही है वरन् उक्त समय सीमा में कार्य सुनिश्चित कराये जाने की मंशा है। अतएव यह सुनिश्चित् करने के लिये कि समय सीमा का पालन सुचारू रूप से हो सके, अपनी अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर लें जिसमें विभिनन कार्यों के लिए उत्तरदायी अधिकारियों का भी प्रतिनिधित्व हो। इस ग्रुप की बैठक प्रारम्भ में प्रत्येक दूसरे या तीसरे दिन अवश्य कर ली जाये ताकि अधिकार-पत्र का अनुपालन सुनिश्चित् हो सके।

इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने के निदेश हुए है कि यद्यपि विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न अधिकारियों को उत्तरदायी बनाया गया है परन्तु इस अधिकार पत्र के अनुरूप कार्य समय से होते रहें, इसका उत्तरदायित्व प्राधिकरण के उपाध्यक्ष का ही है कृपया नागरिक अधिकार-पत्र को एक सेवा मिशन के रूप में लेते हुए पूरी तन्मयता के साथ इसके अनुपालन की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। शीघ्र ही इसकी अनुपालन समीक्षा भी शासन स्तर पर की जायेगी।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या - 999 (1)/9-आ-6-2001- तद्दिनांक

प्रतिलिपि+ समस्त मण्डलायुक्त/अध्यक्ष विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-1639/9-आ-6-2001-1021यू0सी0/98

प्रेषक,

पी0एल0 पुनिया,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

2. **आयुक्त,**
   आवास एवं विकास परिषद,
   उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनाँक : 07 अगस्त, 2001

आवास अनुभाग-6

विषय : सिटीजन चार्टर का क्रियान्वयन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा राज्य के विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा नागरिकों के बारे में अपने उत्तरदायित्वों के प्रति सजग एवं प्रतिबद्ध रहने की दृष्टि से शासन द्वारा नागरिक अधिकार-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में समय-समय पर आवश्यक आदेश जारी किए गये है।

2. उक्त प्रकरण पर शासन स्तर पर सम्पन्न हुई समीक्षा बैठक में यह निदेश दिये गये थे कि प्राप्त शिकायतों को दर्ज करने की प्रक्रिया तथा इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही का समावेश करते हुये स्टेटस रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए अलग से व्यवस्था की जाये। किन्तु प्रकाश में यह आया है कि प्राधिकरणों में नागरिक अधिकार पत्र अभी तक जारी नहीं किये गये है। प्राधिकरणों में जो शिकायतें प्राप्त हो रही है उन्हें ठीक प्रकार से पंजीकृत नही किया जा रहा है। सिटीजन चार्टर का क्रियान्वयन एवं समय-सीमा के अन्तर्गत हो रहा है अथवा नही, इस हेतु विकास प्राधिकरण एवं आवास एवं विकास परिषद में एक कोर-ग्रुप का गठन किया जाये, जिसमें विभाग के अपने वरिष्ठ अधिकारियों को, जो सिटीजन सार्टर के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी हो उन्हें सदस्य के रूप में शामिल किया जाये। इस कोर ग्रुप द्वारा प्रत्येक सप्ताह में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा की जाये तथा सिटीजन फोरम का गठन दिनांक 15 अगस्त, 2001 तक किया जाना सुनिश्चित करें। इस सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार तत्काल कार्यवाही कर कृत कार्यवाही की सूचना शासन को तथा विशेष सचिव एवं अधिशासी निदेशक, आवास बन्धू उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

पी0एल0 पुनिया
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

संख्या - 1639 (1)/9-आ-6-2001- तद्दिनांक

प्रतिलिपि अधिशासी निदेशक, आवास बन्धू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

पत्र संख्या-1775/9-आ-6-2001-10यू.सी./98 टी.सी. (आ.ब.)

अतुल कुमार गुप्ता,
आई.ए.एस.

प्रमुख सचिव,
आवास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन,
बापू भवन,
लखनऊ-226001

प्रिय महोदय,

लखनऊ: दिनाँक-21 अगस्त, 2001

सिटीजन चार्टर का क्रियान्वयन सुनिश्चित किए जाने के सम्बन्ध में कृपया शासनादेश संख्या 999/9-आ-6-2001-1021 यू.सी./98 टी.सी. दिनांक 24 मई, 2001 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों में वरिष्ठ अधिकारियों का एक "कोर ग्रुप" गठित किए जाने के निर्देश दिए गये थे। उक्त के अनुक्रम में शासनादेश संख्या 1639/9-आ-6-2001-1021 यू.सी./98 टी.सी. दिनांक 7 अगस्त, 2001 का भी संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा पब्लिक इण्टरफोस/लोक शिकायातों को व्यवहृत करने हेतु सिटीजन फोरम का गठन दिनांक 15.8.2001 तक किए जाने की अपेक्षा की गई थी। परन्तु विकास प्राधिकरणों व आवास एवं विकास परिषद द्वारा उपरोक्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित किए जाने से सम्बन्धित सूचना अभी तक शासन को उपलब्ध नही कराई गई है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे पुन: यह कहने की अपेक्षा की गई है कि सिटीजन चार्टर सरकार की पारदर्शिता की नीति का महत्वूपर्ण कार्यान्श है, अत: इसके क्रियान्वयन हेतु आवश्यक व्यवस्था अगस्त 2001 के अन्त तक प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कर ली जाए। आपसे यह भी अपेक्षा है कि डिलीवरी सिस्टम को बेहतर बनाने एवं विकास प्राधिकरणों /आवास एवं विकास परिषद के प्रति जनता की विश्वसनीयता में वृद्धि हेतु सिटीजन चार्टर को सेवा मिशन के रूप में लेते हुए पूरी तन्मयता एवं गाम्भीरता के साथ इकसा अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3. कृपया उपरोक्त निदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराएं।

भवदीय
अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

श्री बी0एम0 गर्ग,
आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

प्रिय महोदय, उपरोक्त अर्द्ध शासकीय पत्र मै आपको इस आशय से भेज रहा हूँ कि कृपया सिटीजन चार्टर के क्रियान्वयन हेतु वांछित व्यवस्था समयबद्ध सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय
अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

श्री (नाम से)
उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,

11

सिस्टम सुधार

संख्या-3869/9-आ-1-2000

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव आवास,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनाँक : 28 अगस्त, 2000

आवास अनुभाग-1

विषय : जन-मानस की समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

महोदय,

शासन को जनता से शिकायतें प्राप्त हो रही है कि प्राधिकरणों में छोटे स्तर के अधिकारी तथा कर्मचारी उनकी समस्याओं के निराकरण में रूचि नहीं लेते है। उपाध्यक्ष भी उनकी शिकायतें सुनने के लिए कार्यालय में उपलब्ध नहीं हो पाते है फलस्वरूप जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है इससे शासन की छवि धूमिल होने के साथ ही साथ जन-मानस में प्राधिकरण की सेवाओं के प्रति असन्तोष परिलक्षित हो रहा है।

इस सम्बन्ध में आपसे यह कहने का मुझे निदेश हुआ है कि शासन की नीति जन-मानस को निष्पक्ष, त्वरित, समयबद्ध एवं विनम्रतापूर्ण सेवा उपलब्ध कराना है। अतः सम्यक् विचारोपरान्त महामहिम श्री राज्यपाल यह निर्देशित करते है कि प्रदेश के सभी प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष सप्ताह में चार दिन (मंगलवार से शुक्रवार तक) प्रतिदिन पूर्व निर्धारित समय के अनुसार 2 घन्टे जनता की शिकायतें एवं समस्याओं के निराकरण हेतु व्यक्तिगत रूप से प्राधिकरण कार्यालय में जनता से मिलकर उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करेंगे।

इन आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या-3869(1)/9-आ-1-2000 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :- प्राधिकरण वाले नगरों के समस्त मंडलायुक्तों को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

संख्या-165/9-आ-1-2001 (आ0ब0)

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आयुक्त,**
   आवास एवं विकास परिषद,
   उत्तर प्रदेश।
2. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग -1

लखनऊ: दिनाँक - 15 जनवरी, 2001

विषय :जनकल्याण, पारदर्शिता, नागरिक अधिकारों इत्यादि से सम्बन्धित कार्यवाहियों के निरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या - 1432/9-आ-1-2000-11021 यू0सी0/98 दिनांक 17.7.98, शासनादेश संख्या 12307/9-आ-1-2000-26 विविध/2000 दिनांक 21.3.2000 एवं शासनादेश संख्या-752(1)/9-आ-6-2000-1021 यू0सी0/98 टी0सी0 मे दिनांक 26.4.2000 का संदर्भ ग्रहण करें।। उक्त शासनादेशों द्वारा प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद को एक सूचना केन्द्र/विशेष कक्ष/काउन्टर की स्थापना के निर्देश दिये गये थे जिसमे निम्नलिखित व्यवस्थायें सुनिश्चित की जानी थी :-

(i) आवंटित की जाने वाली सम्पत्तियों का सम्पूर्ण विवरण,
(ii) पंजीकरण फार्म, आवंटन नियमावली पुस्तिका की उपलब्धता,
(iii) आवंटन की अद्यावधिक स्थिति,
(iv) जनसामान्य को पत्रावलियां अथवा अभिलेख, निर्धारित शुल्क अदा करने पर दिखाने अथवा प्रतिलिपि उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था,
(v) जनसाधारण से सम्बन्धित विषयों पर शासनादेशों के संकलन की उपलब्धता,
(vi) गत दो वर्षों में तथा वर्तमान में निष्पादित किये जाने वाले समस्त कार्यों की सूची एवं सम्बन्धित विवरण,
(vii) प्राधिकरणों एवं आवास एवं विकास परिषद, के वेब-साईट की जानकारी,
(viii) नागरिक अधिकार पत्र के प्रचार-प्रसार हेतु व्यवस्था।

2. उपरोक्त के सम्बन्ध में शासन के संज्ञान में आया है कि उक्त कार्यवाहियां अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्वयं प्रत्येक प्राधिकरण एवं आवास एवं विकास परिषद का समय-समय पर निरीक्षण कर उपरोक्त कार्यवाहियों के निष्पादन का मूल्यांकन किया जायेगा। निरीक्षण की तिथि की सूचना अलग से प्रेषित की जायेगी।

3. आप से अपेक्षा की जाती है कि क्रम संख्या - **(i)** से **(viii)** तक उल्लिखित कार्यवाहियों को एक माह में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या : 165/9-आ-1-/2001 (आ0ब0) तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग - 1
संख्या 5090/9-आ-1-2001
लखनऊ : दिनांक 20 अप्रैल, 2001

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, जल निगम, विकास प्राधिकरण, नगर निगम, तथा सूडा में हो रहे अभियन्त्रण, वित्तीय तथा सम्पत्ति प्रबन्धन से सम्बन्धित कार्यों के सम्बन्ध में शासन में प्राप्त शिकायतों की जाँच करने के लिए वर्तमान में विभागीय स्तर पर कोई व्यवस्था नहीं है। अतः शासन द्वारा निम्न व्यवस्था प्रतिपादित किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

1. शासन द्वारा उपरोक्त सभी विभागों की अभियन्त्रण सेवा से अधिशाषी अभियन्ता, प्रशासनिक सेवा से संयुक्त सचिव, लेखा सेवा से, मुख्य लेखाधिकारी, तथा उससे उपर के स्तर के, ऐसे अधिकारियों के नामों की सूची मंगाई जायेगी जो तकनीकी रूप से अपने कार्यों को करने में दक्ष हों, सामान्य छवि अच्छी हो तथा सत्य निष्ठा उच्च कोटि की हों।

2. उपरोक्त प्राप्त नामों का, सेवाओं के आधार पर अलग-अलग वर्गीकरण कर प्रत्येक सेवा की अलग-अलग सूची बनाई जायेगी तथा प्रत्येक सूची का परीक्षण करने के उपरान्त उपयुक्त अधिकारियों का चयन कर हर सेवा का शासन के द्वारा अलग-अलग पैनल गठित किया जायेगा।

3. प्रस्तावित व्यवस्था का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु पूरे प्रदेश को मंडलवार निम्न पांच जोनों में बांटा गया है :-

जोन	मंडल
मेरठ	मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद
कानपुर	कानपुर, आगरा, झांसी, चित्रकूटधाम
लखनऊ	लखनऊ, बरेली, फैजाबाद, देवीपाटन
गोरखपुर	गोरखपुर, आजमगढ, बस्ती
वाराणसी	वाराणसी इलाहाबाद, मिर्जापुर

5. प्रत्येक जोन में पैनलिस्ट अधिकारियों की संख्या निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

सेवा का नाम	अधिकारियों की संख्या
(क) प्रशासनिक अधिकारी,	3
(ख) मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता	3
(ग) अधिशाषी अभियन्ता	6
(घ) लेखा सेवा से सम्बन्धित अधिकारी	6

6. शासन में प्राप्त शिकायतों की प्रारम्भिक जांच का कार्य पैनलिस्ट में से किन्हीं एक या दो, सदस्यों की समिति का गठन करके समिति को सौंप दिया जायेगा तथा समिति के द्वारा की गई प्रारम्भिक जांच के आधार पर यदि विस्तृत जांच की आवश्यकता होती है तो पुनः पैनल बनाकर विस्तृत जांच कराई जायेगी।

7. पैनल द्वारा दी गयी जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही सम्बन्धित विभाग द्वारा की जायेगी।

8. जांच जिस विभाग से सम्बन्धित होगी, उससे भिन्न विभाग के पैनलिस्ट की समिति द्वारा की जायेगी।

8. व्यवस्था को क्रियान्वित करने के लिए राज्य स्तर पर प्राधिकरण सेवा के अधिशाषी अभियन्ता स्तर के एक अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी जो प्रत्येक मामले के लिए उच्चाधिकारियों से पैनल का अनुमोदन कराकर जांच का कार्य पैनल को सौपने हेतु अग्रिम कार्यवाही के साथ अनुश्रवण भी करेगा, उक्त अधिकारी को आवास बन्धु में तैनात किया जायेगा।

9. उपरोक्त व्यवस्था पर होने वाला व्यय, प्रारम्भ में आवास बन्धु द्वारा वहन किया जायेगा जिसकी प्रतिपूर्ति बाद में तीनों विभाग समान रूप से करेंगे।

भवदीय
पी0 एल0 पुनिया
आयुक्त एवं प्रमुख सचिव
आवास नगर विकास तथा
नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन

संख्या - (1)/9-आ-1-2001 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, आवास, उत्तर प्रदेश शासन।
2. सचिव, नगर विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अधिशाषी निदेशक, आवास बन्धु, उ0 प्र0

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

संख्या-6259/9-आ-1/आ0ब0-2/विकास-पैनल/2001

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अध्यक्ष,
जल निगम,
उत्तर प्रदेश।

2. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश।

3. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

4. निदेशक,
नगरीय अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।

5. मुख्य नगर अधिकारी,
समस्त नगर निगम,
उत्तर प्रदेश।

6. अधिशाषी अधिकारी,
समस्त नगर पालिका परिषद,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनाँक : 01 दिसम्बर, 2001

आवास अनुभाग-1

विषय : उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, जल निगम, सूडा, विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम/नगर पालिका परिषद को कार्यों के सम्बन्ध में शासन में प्राप्त शिकायतों की जांच हेतु पैनल का गठन।

महोदय,

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, जल निगम, विकास प्राधिकरण, नगर निगम तथा सूडा में हो रहे अभियन्त्रण, वित्तीय तथा सम्पत्ति प्रबन्धन से सम्बन्धित कार्यों के सम्बन्ध में शासन में प्राप्त शिकायतों की जांच करने के लिए विभागीय स्तर पर कोई नियोजित व्यवस्था नहीं है। अतः सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा निम्न व्यवस्था निर्धारित की गई है:-

1. शासन स्तर पर इंजीनियरिंग, लेखा तथा प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों का पैनल गठित किये जाने का निर्णय लिया गया है जिसमें उक्त सभी विभागों के अभियन्त्रण, प्रशासनिक, तथा लेखा सेवाओं के अधिकारी होंगे।

2. जांच व्यवस्था के क्रियान्वयन हेतु पूरे प्रदेश को मंडलवार निम्न पांच जोनों में बांटा गया है :-

जोन	मंडल
मेरठ	मेरठ, सहारनपुर तथा मुरादाबाद,
कानपुर	कानपुर, आगरा, झांसी तथा चित्रकूटधाम
लखनऊ	लखनऊ, बरेली, फैजाबाद तथा देवीपाटन
गोरखपुर	गोरखपुर, आजमगढ़ तथा बस्ती
वाराणसी	वाराणसी इलाहाबाद तथा मिर्जापुर

3. प्रस्तर - 1 के क्रम में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 5099/9-आ-1-2001 दिनांक 24.4.2001 के बिन्दु-1 तथा 2 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जोन वाईज पैनलिस्ट अधिकारियों की सूची संलग्न है :-

4. उक्त सूची केवल तीन माह के लिए वैध होगी जिसे हर तीन माह के बाद शासन द्वारा संशोधित किया जा सकेगा।

5. शासन में प्राप्त शिकायतों की प्रारम्भिक जांच का कार्य पैनलिस्ट में से किन्हीं एक या दो सदस्यों की समिति का गठन करके समिति को सौंप दिया जायेगा तथा समिति द्वारा की गई प्रारम्भिक जांच के आधार पर यदि शासन द्वारा विस्तृत जांच की आवश्यकता अनुभव की जाती है तो पुनः पैनल बनाकर विस्तृत जांच कराई जायेगी।

6. पैनल द्वारा दी गयी जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही सम्बन्धित विभाग द्वारा की जायेगी।
7. जांच, जिस विभाग से सम्बन्धित होगी, उस विभाग से भिन्न विभाग के पैनलिस्ट की समिति द्वारा की जोयगी।
8. उपरोक्त व्यवस्था पर आने वाला व्यय, आवास बन्धु द्वारा वहन किया जायेगा जिसकी प्रतिपूर्ति तीनों विभागों द्वारा समान रूप से की जायेगी।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या-6259(1)/9-आ-1-2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन उत्तर प्रदेश शासन।
2. सचिव, नगर विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. अधिशाषी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
5 मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त पैनलिस्ट अधिकारी।

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

लखनऊ जोन
(लखनऊ, बरेली, फैजाबाद तथा देवीपाटन मंडल)

प्रशासनिक सेवा		अभियंत्रण सेवा				लेखा सेवा	
नाम	पद नाम एवं वर्तमान तैनाती स्थल	कार्यकारी अभियंत्रण सेवा		सुपरवाईजरी अभियंत्रण सेवा		नाम	पद नाम एवं वर्तमान तैनाती स्थल
		नाम	पद नाम एवं वर्तमान तैनाती स्थल	नाम	पद नाम एवं वर्तमान तैनाती स्थल		
(a) श्री भूपेन्द्र सिंह	अपर सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण	1. विवेक मेहरा	अधिक्षण अभियंता लखनऊ विकास प्राधिकारण लखनऊ	1. एस. के. श्रीवास्तव	अधिशाषी अभियन्ता लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ	1. कृष्णाकर त्रिपाठी	वित्त नियंत्रक आवास एवं विकास परिषद लखनऊ
(b) श्री के. ए. फरीदी	उपनगर अधिकारी नगर निगम लखनऊ	2. वीरेन्द्र कुमार	अधिक्षण अभियंता आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ	2. ओ. पी. मिश्रा	अधिशाषी अभियन्ता लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ	2. श्रीधर शुक्ल	वरिष्ठ लेखाधिकारी, आवास एवं विकास परिषद लखनऊ
(c) श्री आर. एन. पाल	अपर मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम लखनऊ	3. जे. सी. सिंघल	अधिक्षण अभियंता जल निगम, लखनऊ	3. वी. आर. गुप्ता	अधिशाषी अभियन्ता जल निगम लखनऊ	3. राकेश कुमार जैन	लेखाधिकारी जल निगम लखनऊ
				4. सुबोघ कुमार राय	अधिशाषी अभियन्ता लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ	4. विनोद कुमार श्रीवास्तव	वित्त नियंत्रक सूडा लखनऊ
				5. एस. वी. त्रिपाठी	अधिशाषी अभियन्ता निर्माण खण्ड–15, आवास एवं विकास परिषद् लखनऊ	5. बी. एन. अवस्थी	लेखाधिकारी, जल निगम
				6. श्री एस. वी. दहिया	अधिशाषी अभियन्ता मुख्यालय आवास एवं विकास परिषद लखनऊ	6. श्री अरूण कुमार मिश्रा	लेखाधिकारी, जल निगम, लखनऊ

मेरठ जोन
(मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद मंडल)

प्रशासनिक सेवा		अभियंत्रण सेवा				लेखा सेवा	
नाम	पद नाम एवं वर्तमान तैनाती स्थल	कार्यकारी अभियंत्रण सेवा		सुपरवाईजरी अभियंत्रण सेवा		नाम	पद नाम एवं वर्तमान तैनाती स्थल
		नाम	पद नाम एवं वर्तमान तैनाती स्थल	नाम	पद नाम एवं वर्तमान तैनाती स्थल		
(a) श्री बाबू सिंह	उप सचिव मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ	1. श्री आर के सिंह	अधिक्षण अभियंता विकास प्राधिकारण मुरादाबाद	1. श्री आर. के. शुक्ला	अधिशाषी अभियन्ता मुरादाबाद विकास प्राधिकरण	1. श्री हरदित्त शुक्ल	मुख्य लेखाधिकारी नगर निगम मेरठ
(b) श्री राजीव रौतेला	संयुक्त आवास आयुक्त मेरठ जोन उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद	2. श्री हरि गोपाल	अधिक्षण अभियंता उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद मेरठ	2. योगेश पाठक	अधिशाषी अभियन्ता मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ	2. उषा कान्त गुप्ता	वित्त नियंत्रक विकास प्राधिकरण मेरठ
(c) श्री ए. सी. सिन्हा	अपर मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम गाजियाबाद	3. श्री जे0 बी0 वत्स	अधिक्षण अभियंता जल निगम मेरठ	3. सी. पी. सिंह	अधिशाषी अभियन्ता उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मेरठ	3. मंगतराम	मुख्य लेखाधिकारी जल निगम गाजियाबाद
				4. उमेश मित्तल	अधिशाषी अभियन्ता उ0 प्र0, आवास एवं विकास परिषद, गाजियाबाद	4. एन. एन. थपलियाल	मुख्य लेखाधिकारी विकास प्राधिकरण गाजियाबाद
				5. वाई. पी. शर्मा	अधिशाषी अभियन्ता उ0 प्र0 जल निगम, गाजियाबाद	5. भागमल सन्याल	लेखाधिकारी, विकास प्राधिकरण मुरादाबाद
				6. आर. एन. अरोड़ा	अधिशाषी अभियन्ता उ0 प्र0 जल निगम गाजियाबाद	6. सुरेशचन्द्र मुदगल	मुख्य लेखाधिकारी विकास प्राधिकरण मुरदाबाद।

गोरखपुर जोन
(गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती मंडल)

प्रशासनिक सेवा		अभियंत्रण सेवा				लेखा सेवा	
नाम	पद नाम एवं वर्तमान तैनाती स्थल	कार्यकारी अभियंत्रण सेवा		सुपरवाईजरी अभियंत्रण सेवा		नाम	पद नाम एवं वर्तमान तैनाती स्थल
		नाम	पद नाम एवं वर्तमान तैनाती स्थल	नाम	पद नाम एवं वर्तमान तैनाती स्थल		
(a)श्री एस एस तिवारी	अपर मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम गोरखपुर	1. श्री एन एन अग्रवाल	अधिक्षण अभियंता जल निगम गोरखपुर	1. श्री आर. एन. चौधरी	अधिशाषी अभियन्ता जल निगम गोरखपुर	1. श्री बी. एन. अवस्थी,	लेखाधिकारी जल निगम गोरखपुर
(b) एस. एन. सिंह	उप नगर अधिकारी नगर निगम, गोरखपुर	2. श्री जितेन्द्र केन	मुख्य अभियंता नगर निगम गोरखपुर	2. पी. पी. मिश्रा	अधिशाषी अभियन्ता जल निगम गोरखपुर		
		3. श्री एस. पी. आर्या	अधिक्षण अभियंता आवास एवं विकास परिषद गोरखपुर	3. एस. एन. त्रिपाठी	अधिशाषी अभियन्ता विकास प्राधिकरण गोरखपुर	3. श्री औसिल प्रसाद वर्मा	लेखाधिकारी विकास प्राधिकरण गोरखपुर
				4. रमेश कुमार	अधिशाषी अभियन्ता नगर निगम गोरखपुर		
				5. सलीम अहमद	अधिशाषी अभियन्ता आवास विकास परिषद गोरखपुर		

कानपुर जोन
(कानपुर, आगरा, झांसी, तथा चित्रकूट–धाम मंडल)

प्रशासनिक सेवा		अभियंत्रण सेवा				लेखा सेवा	
नाम	पद नाम एवं वर्तमान तैनाती स्थल	कार्यकारी अभियंत्रण सेवा		सुपरवाईजरी अभियंत्रण सेवा		नाम	पद नाम एवं वर्तमान तैनाती स्थल
		नाम	पद नाम एवं वर्तमान तैनाती स्थल	नाम	पद नाम एवं वर्तमान तैनाती स्थल		
(a) श्री अनिल भटनागर	संयुक्त सचिव विकास प्राधिकरण, कानपुर	1.श्री डी. बी. गुप्ता	मुख्य अभियन्ता नगर निगम कानपुर	1. श्री मानिक चन्द्र गुप्ता	अधिशाषी अभियन्ता विकास प्राधिकरण कानपुर	1. श्री अब्दुल गनी	वित्त नियंत्रक विकास प्राधिकरण कानपुर
(b) प्रेम नारायण	संयुक्त आवास आयुक्त, आवास विकास परिषद, कानपुर	2. श्री सुरेश कुमार	अधीक्षण अभियंता उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद आगरा	2. राकेश भाई	अधिशाषी अभियन्ता विकास प्राधिकरण कानपुर	2. श्री टी. एन. उपाध्याय	वित्त नियंत्रक विकास प्राधिकरण आगरा
(c) पी. के. श्रीवास्तव	अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद झांसी	3. श्री दवन राम यादव	अधिक्षण अभियंता विकास प्राधिकरण आगरा	3. आर. एन. सिंह	अधिशाषी अभियन्ता विकास प्राधिकरण कानपुर	3. श्री जे. एन. पराशर	लेखाधिकारी विकास प्राधिकरण आगरा
				4. वी. के. सिन्हा	अधिशाषी अभियन्ता जल निगम कानपुर	4. राकेश कुमार जैन	लेखाधिकारी जल निगम कानपुर
				5. श्री कान्त जैन	अधिशाषी अभियन्ता नगर निगम आगरा	5. रोशनलाल	लेखाधिकारी जलनिगम कानपुर
				6. श्री एच. आर. मिश्रा	अधिशाषी अभियन्ता उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर	6. नेत्रपाल सिंह	लेखाधिकारी जल निगम आगरा

वाराणसी जोन
(वाराणसी, इलाहाबाद, मिर्जापुर मंडल)

प्रशासनिक सेवा		अभियंत्रण सेवा				लेखा सेवा	
नाम	पद नाम एवं वर्तमान तैनाती स्थल	कार्यकारी अभियंत्रण सेवा		सुपरवाईजरी अभियंत्रण सेवा		नाम	पद नाम एवं वर्तमान तैनाती स्थल
		नाम	पद नाम एवं वर्तमान तैनाती स्थल	नाम	पद नाम एवं वर्तमान तैनाती स्थल		
(a) श्री वी. एन. सिंह	संयुक्त सचिव विकास प्राधिकरण इलाहाबाद	1. श्री एम. पी. सिंह	अधीक्षण अभियन्ता जल निगम वाराणसी	1. श्री ओमचन्द्र	अधिशाषी अभियन्ता विकास प्राधिकरण इलाहाबाद	1. श्री ए. के. बन्साल	
(b) के. के. त्रिपाठी	अपर मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम वाराणसी	2. श्री एच. एल. दुआ	मुख्य अभियंता नगर निगम वाराणसी	2. लोकेश जैन	अधिशाषी अभियन्ता नगर निगम इलाहाबाद	2. श्री गंगादीन	लेखाधिकारी जल निगम इलाहाबाद
(c) आर. के. श्रीवास्तव	उप नगर अधिकारी नगर निगम इलाहाबाद	3. श्री एस. पी. आर्या	अधिक्षण अभियंता आवास एवं विकास परिषद वाराणसी	3. यशवन्त सिंह	अधिशाषी अभियन्ता नगर निगम वाराणसी	3. श्री ए. के. मिश्रा	लेखाधिकारी जल निगम इलाहाबद
				4. आर. के. वर्मा	अधिशाषी अभियन्ता नगर निगम इलाहाबाद	4. राममूर्ति द्विवेदी	वरिष्ठ लेखाधिकारी विकास प्राधिकरण इलाहाबाद
				5. श्री एस. एन. गंगवार	अधिशाषी अगियन्ता आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद	5. जी. एस. मिश्रा	मुख्य लेखाधिकारी विकास प्राधिकरण इलाहाबाद
				6. श्री आर. के. गौड़	अधिशाषी अभियन्ता जल निगम वाराणसी		

वाराणसी जोन
(वाराणसी, इलाहाबाद, मिर्जापुर मंडल)

प्रशासनिक सेवा		अभियंत्रण सेवा				लेखा सेवा	
नाम	पद नाम एवं वर्तमान तैनाती स्थल	कार्यकारी अभियंत्रण सेवा		सुपरवाईजरी अभियंत्रण सेवा		नाम	पद नाम एवं वर्तमान तैनाती स्थल
		नाम	पद नाम एवं वर्तमान तैनाती स्थल	नाम	पद नाम एवं वर्तमान तैनाती स्थल		
(a) श्री वी. एन. सिंह	संयुक्त सचिव विकास प्राधिकरण इलाहाबाद	1. श्री एम. पी. सिंह	अधीक्षण अभियन्ता जल निगम वाराणसी	1. श्री ओमचन्द्र	अधिशाषी अभियन्ता विकास प्राधिकरण इलाहाबाद	1. श्री ए. के. बन्सल	
(b) के. के. त्रिपाठी	अपर मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम वाराणसी	2. श्री एच. एल. दुआ	मुख्य अभियंता नगर निगम वाराणसी	2. लोकेश जैन	अधिशाषी अभियन्ता नगर निगम इलाहाबाद	2. श्री गंगादीन	लेखाधिकारी जल निगम इलाहाबाद
(c) आर. के. श्रीवास्तव	उप नगर अधिकारी नगर निगम इलाहाबाद	3. श्री एस. पी. आर्या	अधिक्षण अभियंता आवास एवं विकास परिषद वाराणसी	3. यशवन्त सिंह	अधिशाषी अभियन्ता नगर निगम वाराणसी	3. श्री ए. के. मिश्रा	लेखाधिकारी जल निगम इलाहाबद
				4. आर. के. वर्मा	अधिशाषी अभियन्ता नगर निगम इलाहाबाद	4. राममूर्ति द्विवेदी	वरिष्ठ लेखाधिकारी विकास प्राधिकरण इलाहाबाद
				5. श्री एस. एन. गंगवार	अधिशाषी अभियन्ता आवास एवं विकास परिषद इलाहाबाद	5. जी. एस. मिश्रा	मुख्य लेखाधिकारी विकास प्राधिकरण इलाहाबाद
				6. श्री आर. के. गौड़	अधिशाषी अभियन्ता जल निगम वाराणसी		

संख्या-2200/9आ-6-2001-102 यू0सी0/98

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।
2. **आयुक्त,**
   आवास एवं विकास परिषद,
   उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-6

लखनऊ: दिनाँक- 31 दिसम्बर, 2001

विषय : आवास विभाग के अन्तर्गत भ्रष्टाचार के विरूद्ध कार्य-योजना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 2288/9आ-6-2001यू0सी0/98, दिनांक 30 अक्टूबर, 2001 के क्रम में यह अवगत कराना है कि प्रदेश सरकार के अन्य विभागों की भाँति आवास विभाग में भी भ्रष्टाचार के निवारण हेतु प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। स्वच्छ प्रशासन के लिए भ्रष्टाचार निरोधक उपाय अपनाने के उद्देश्य से आवास विभाग द्वारा पूर्व में ही नागरिक चार्टर लागू करने एवं विकास प्राधिकरणों/आवास एवं विकास परिषद आदि को समय-समय पर सम्यक निर्देश निर्गत किये गये है तत्क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित बिन्दुओं का समावेश करते हुए कार्य योजना तैयार की जाये एवं तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाय।

1-जन अपेक्षाएं-शिकायतों के सामान्य क्षेत्र

वर्तमान में आवास विभाग के अधीन 22 विकास प्राधिकरण, 02 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग तथा उत्तर प्रदेश नगर भूमि सीमारोपण विभाग का कार्य देखा जाता है। विद्यमान व्यवस्था व संस्थाओं की कमियों को देखते हुए व समझते हुए निम्नवत बिन्दुओं को चिन्हित करते हुए कार्ययोजना तैयार की जाये जिसमें भ्रष्टाचार/भ्रष्ट कार्यपद्धति की शिकायतें प्राय: प्राप्त होती है :-

(1) आवंटन/परिवर्तन
(2) आवंटियों द्वारा भुगतान सम्बन्धी मामले, किश्तें आदि।
(3) सम्पत्ति की रजिस्ट्री/कब्जा।
(4) सम्पत्ति में फ्री-होल्ड करना।
(5) नामान्तरण।
(6) मानचित्रों की स्वीकृति।
(7) मास्टर प्लान संशोधन।

2-कार्मिक सम्बन्धी

(1) विभागयी कार्यवाहियों का शीघ्र निस्तारण।
(2) दक्षतारोक, समयमान वेतनमान, वेतनवृद्धियों, अवकाश, जी0पी0एफ0 अग्रिम आदि प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण।

(3) पेंशन प्रकरणों का समयबद्ध रूप से निस्तारण।

(4) कार्मिकों को समय से पदोन्नतियाँ।

3- नजूल सम्बन्धी

(1) नया पट्टा/पटट्ों का नवीनीकरण।

(2) पट्टों के फ्रीहोल्ड हेतु आवेदनों का निस्तारण।

(3) भुगतान सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण।

(4) फ्री-होल्ड विलेख निस्पादन।

4- भ्रष्टाचार निरोधक कार्ययोजना का सफल बनाने सम्बन्धी

(1) विभिन्न आवेदन पत्रों की सूचीबद्ध किया जाये व उनका समयबद्ध निस्तारण किया जाय। निस्तारण शीघ्रता से कराने हेतु इसकी मानीटरिंग की व्यवस्था आवश्यक है जिसे विकसित किया जाना होगा।

(2) विभिन्न अनुभाग/विभाग का कार्य करने वाले अधिकारियों का ब्यौरा उपलब्ध कराया जाय।

(3) विभाग का प्रयास है कि समुचित प्रचार के साथ लम्बित मामलों को त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के लिये निर्धारित समय पर लोक शिविर का आयोजन किया जाय।

(4) समय-समय पर भूमि विकास, विन्यास मानचित्र एवं भवन मानचित्र स्वीकृत करने के लिये सम्बन्धित विधियों/नियमों/आदेशों एवं निर्देशों की मार्गदर्शक योजना तैयार किया जाय।

(5) सभी प्रकार के व्यवहार में पारदर्शिता एवं समयबद्धता तथा सूचनाओं की सहज उपलब्धता होना आवश्यक है।

(6) समाचार पत्रों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं तथा आवासीय योजनाओं आदि के विषय में जन-सामान्य को सूचित किया जाय।

(7) व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने तथा सरकार की स्वच्छ पारदर्शी नीति को जनता तक पहुंचाने हेतु विभाग द्वारा समयबद्ध रूप से कार्य करने की योजना तैयार की जाय जिसमें प्रत्येक कार्यो को समयबद्ध रूप से करने हेतु समय-सीमा निर्धारित करते हुये उत्तरदायी अधिकारी को भी इंगित किया जाय। जिसके सम्बन्ध में विस्तृत विवरण नागरिक चार्टर में उपलब्ध कराया गया है।

(8) प्राधिकरण/आवास विकास परिषद में समस्त योजनाओं एवं कार्यो का कम्प्यूटराइजेशन कराया जाय।

(9) जनता की शिकायतों के समाधान हेतु निम्न व्यवस्था का किया जाना आवश्यक है :-

(क) जनता की शिकायतों का पंजीकरण किया जाना व उसके शीघ्र निस्तारण की व्यवस्था यथा समय इसमें वाह्य संस्थाओं का भी दायित्व सौपा जाय जिससे शिकायतों के निस्तारण के सम्बन्ध में निष्पक्ष जानकारी प्राप्त हो सके।

(ख) समस्त शिकायतें उपरोक्त संस्था के माध्यम से दर्ज करायी जाय।

(ग) शिकायतकर्ता निर्धारित प्रपत्र पर प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद के कार्यालय काउन्टर पर शिकायत प्रस्तुत करेगा।

(घ) संस्था द्वारा शिकायतकर्ता को शिकायत नम्बर दिया जाय और पुनः सम्पर्क करने हेतु तिथि का निर्धारण किया जाय।

(ङ) प्रतिदिन जो भी शिकायतें प्राप्त हो उनका निराकरण निर्धारित समय में कराया जाय व निर्धारित समय उपरान्त शिकायत के निस्तारण के बारे में लिखित उत्तर/सूचना शिकायतकर्ता को दी जाय।

(10) शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों का संकलन कराकर उसे जन-सामान्य को उपलब्ध कराया जाये

(11) वेबसाइड पर सूचना उपलब्ध कराये अवशेष सम्पत्तियों की सूचना प्रत्येक त्रैमास के अन्त में प्रकाशित करायी जाय।

5- नागरिक चार्टर के क्रियान्वयन हेतु कोर ग्रुप

सभी कार्यो के सुचारू रूप से सम्पादन हेतु विकास प्राधिकरणों/आवास एवं विकास परिषद में कोर ग्रुप का गठन किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर आवश्यक निर्देश दिये गये है। कोर ग्रुप का दायित्व है कि नागरिक चार्टर में कार्यो के निस्तारण हेतु जो समय-सारणी निर्धारित की गयी है उसी के अनुरूप कार्य सम्पादित हो, यदि समय-सारणी में निर्धारित समय के अनुसार कार्य नहीं हो पा रहा है तो कोर ग्रुप उसमें आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों का अध्ययन कर यह सुनिश्चित करेंगी कि उन कठिनाइयों का निराकरण कर उक्त कार्य को निर्धारित समय-सीमा में सम्पादित किया जा सके।

6- दण्डात्मक कार्यवाही

आवास विभाग की भ्रष्टाचार के विरूद्ध तैयार की गयी कार्य योजना में चिन्हित भ्रष्टाचार की सम्भावनाओं तथा उसके समाधान हेतु उपरोक्तानुसार उल्लिखित प्रयासों/समाधान योजना के बावजूद यदि फिर भी विभाग की योजनाओं का लाभ जन-सामान्य को उपलब्ध नहीं हो पाता तथा यह दृष्टिगोचर होता है कि विभागीय योजनाओं का लाभ किसी अधिकारी/कर्मचारी की उदासीनता/कदाशयता तथा धन की लोलुपता, भू-माफिया (बिचौलिया) के कारण नहीं हो पा रहा है तो सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को आचरण में सुधार लाने हेतु प्रारम्भ में चेतावनी/विनिन्दा प्रविष्टि दी जाय। यदि इसके बावजूद उक्त कर्मचारी/अधिकारी की कार्य पद्धति में सुधार नहीं आता है तो उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

आवास विभाग का प्रयास रहा है कि समस्त विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद की योजनाओं का लाभ जनसामान्य तक पहुंचे तथा अपनी कार्ययोजनाओं को मुर्ति रूप देने हेतु विभाग संकल्पबद्ध एवं प्रतिबद्ध है। उक्त बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए कृपया उपरोक्त कार्य योजना के अनुसार तत्काल कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत करायें।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या - 2288(1)/9आ-6-2001 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. आवास विभाग के समस्त अधिकारी (नाम से)।
3. आवास अनुभाग-1,2,3,4 एवं 5

आज्ञा से,
अरविन्द सोनकर
संयुक्त सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग - 1
संख्या 6153/9-आ-1 प्रोसेसिंग शुल्क/2001
लखनऊ : दिनांक 24 नवम्बर, 2001

कार्यालय-ज्ञाप

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के नियोजित विकास एवं आवास निर्माण से संबंधित विभिन्न समस्याओं के समाधान, निजी पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने, विकास प्राधिकरणों तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की सुविधा-प्रदायक भूमिका को सुदृढ़ बनाने हेतु आवास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अधीन आवास बन्धु का गठन किया गया है।

2. निजी क्षेत्र की सहभागिता विषयक प्रकरणों पर यह अनुभव प्राप्त हुआ है कि कई प्रकरण इस कारण विलम्बित होते हैं कि विभिन्न स्तरों पर नीतिगत स्पष्टता न होने के कारण निर्णय नहीं हो पाता है। ऐसे में यह उचित पाया गया है कि यदि विभिन्न पहलुओं पर नीतिगत अथवा अन्य मार्गदर्शन उपलब्ध करा दिया जाए तो अनावश्यक विलम्ब समाप्त किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को स्वावलम्बी बनाए जाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि आवास बन्धु द्वारा प्रदान किए जाने वाले तकनीकी मार्गदर्शन हेतु विषय की प्रकृति के आधार पर निम्नानुसार प्रोसेसिंग शुल्क लिया जाएगा :-

(क)	**गैर व्यवसायिक सम्बन्धित**	
(1)	व्यक्ति के लिए	रू0-250.00
(2)	व्यक्ति समूह या संस्था	रू0-500.00
(ख)	**व्यवसायिक सम्बन्धित**	
(1)	व्यक्ति के लिए	रू0-2500.00
(2)	व्यक्ति समूह या संस्था	रू0-5000.00

3. विभिन्न आवेदकों को उनके द्वारा वांछित विषयों पर तकनीकी मार्गदर्शन निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किया जाएगा :-

(i) आवदेक से जमा कराई जाने वाली धनराशि केवल तकनीकी प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में होगी न कि परामर्श देने का शुल्क तथा प्रकरण की तकनीकी प्रोसेसिंग तभी आरम्भ की जाएगी जब अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु द्वारा प्रकरण की ग्राह्यता पर अनुमोदन प्रदान किया जाएगा।

(ii) तकनीकी प्रोसेसिंग शुल्क जमा करने के आधार पर किसी संस्था, व्यक्ति समूह अथवा व्यक्ति को परामर्श प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। यदि किसी प्रकरण की तकनीकी प्रोसेसिंग किन्हीं कारणों से नहीं होती है तो ऐसी दशा में प्रोसेसिंग शुल्क जमा करने के दिनांक से तीन माह में बिना ब्याज के वापस कर दिया जाएगा।

(iii) आवास बन्धु द्वारा केवल नीतिगत तकनीकी प्रकरणों की ही प्रोसेसिंग की जायेगी तथा दिया गया तकनीकी परामर्श किसी संस्था/प्राधिकारी पर विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं होगा। यदि किसी प्राधिकारी से विधिक अपेक्षा है कि वह गुणावगुण के आधार पर स्वविवेक से निर्णय लेगा तो स्पष्ट रूप से यह मार्गदर्शन उस पर बाध्यकारी नहीं होगा। परन्तु ऐसे प्राधिकारी से यह अवश्य अपेक्षित होगा कि अपने निर्णय में स्पष्ट करें कि किन कारणों से मार्गदर्शन स्वीकार नहीं किया जा सका ताकि सम्बन्धित पक्ष को अपील में अपने तर्क प्रस्तुत करने का अवसर उपलब्ध रहे।

(iv) प्रोसेसिंग के पश्चात यदि किसी संस्था, व्यक्ति, व्यक्ति समूह को उनकी अपेक्षानुसार तकनीकी परामर्श प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में आवास बन्धु की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और न ही प्रोसेसिंग शुल्क वापस किया जाएगा।

(v) विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद एवं शासन के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सामान्य प्रकृति के प्रशासनिक प्रकरण इसके अंतर्गत ग्राह्य नहीं होंगे।

(vi) तकनीकी मार्गदर्शन के अंतर्गत विधिक प्रकरण सम्मिलित नहीं होंगे।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या - 6153(1)/9-आ-1-प्रोसेसिंग शुल्क/2001 (आ.ब.), तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. आवास आयुक्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
3. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी आवास संघ, लखनऊ।
6. अध्यक्ष, यू0 पी0 आर्कीटेक्ट एसोसिएशन।
7. अध्यक्ष, यू0 पी0 चेप्टर आफ आर्कीटेक्ट एसोसिएशन।
8. अध्यक्ष, यू0 पी0 रेडको, लखनऊ।
9. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

अति महत्वपूर्ण/मुख्यमंत्री प्राथमिकता ई-मेल/फैक्स द्वारा

प्रमुख सचिव, आवास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन
लखनऊ-226 001

अतुल कुमार गुप्ता,
आई. ए. एस.

ई-मेल संख्या-234/पीएसपीएसएच/2001

लखनऊः दिनाँक- 02 नवम्बर, 2001

महोदय,

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा समय-समय पर अपने सम्बोधनों में शासकीय कार्यक्रमों का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु तथा किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु लगातार बल दिया जा रहा है। यद्यपि शासकीय एवं जन संसाधनों पर अत्यधिक दबाब है परन्तु फिर भी विभिन्न प्राथमिकताओं वाले कार्यक्रमों के लिये कठिन स्थिति के बावजूद संसाधन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जा रहा है। ऐसे में विभाग व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का दायित्व है कि वे सीमित संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग एवं लाभ सुनिश्चित करें। यह तभी संभव है जब निर्धारित कार्यक्रमों को इस प्रकार समयबद्ध रूप से क्रियान्वित किया जाये कि उनके परिणाम और परिणामिक आर्थिक लाभ शीघ्रतिशीघ्र राज्य को प्राप्त हों। इसे सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को उत्तरदायित्व वहन करना होगा।

2. इस परिप्रेक्ष्य में मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि प्रत्येक माह अपने अधीन हो रहे कार्यों का आकस्मिक निरीक्षण सुनिश्चित करें। साथ ही सचिव, मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता व समकक्ष वरिष्ठ अधिकारियों के आकस्मिक निरीक्षण की भी एक प्रणाली/व्यवस्था बना लें ताकि प्रत्येक माह ऐसे निरीक्षण होते रहें। यह भी आवश्यक है कि इन आकस्मिक निरीक्षणों में पाई गई कमियों/अनियमितताओं का विश्लेषण करते हुये उनके कारणों का निराकरण भी किया जाये तथा जहां लापरवाही अथवा दोष की स्थिति हो वहां उनके विरूद्ध कार्यवाही भी की जाये। यदि कार्यवाही हेतु शासन ही सक्षम हो तो आरोप पत्र सहित आवश्यक ब्यौरा उपलब्ध कराया जाये ताकि बिना किसी विलम्ब के शासन में निर्णय लिया जा सके।

3. मुझे विश्वास है कि इस दिशा में आप अपने व्यक्तिगत मार्गदर्शन में स्वयं अपने द्वारा तथा अपने अधिकारियों द्वारा निरीक्षण, प्रणाली विकसित करते हुये आकस्मिक निरीक्षण सुनिश्चित करेंगे। कृपया संलग्न निर्धारित प्रपत्र पर प्रत्येक माह की सूचना आगामी 5 तारीख तक ई-मेल (कठिनाई की स्थिति में फैक्स) द्वारा अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करें।

साभीवादन

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता

संलग्नक - उपरोक्तानुसार
श्री वी0 के0 गुप्ता,
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
उ0प्र0, लखनऊ।

निरीक्षण/आकस्मिक निरीक्षणों, की स्थिति

रिपोर्ट माह .....

प्राधिकरण .....
आवास विकास परिषद,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग

(क) निरीक्षणों का ब्यौरा

निरीक्षणकर्ता अधिकारी	निरीक्षण/आकस्मिक निरीक्षण की संख्या	किन प्रमुख कार्यों/ कार्यक्रमों का निरीक्षण किया गया	प्रकरणों की संख्या		
			कार्य संतोषजनक पाया	कमी/ अनियमितता पायी	दंडात्मक कार्यवाही का औचित्य पाया
1	2	3	4	5	6

(ख) दंडात्मक कार्यवाही का विवरण

क्र0सं0	दंडात्मक कार्यवाही हेतु चिन्हित अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं पद नाम		
	विभागीय/संस्था स्तर पर	शासन स्तर पर	
		नाम/पद नाम	शासन को भेजे प्रस्ताव पत्र की संख्या एवं तिथि
1	2	3	4

तत्काल/अतिमहत्वपूर्ण

संख्या-405/9-आ-1-2001-4 बजट/2001

प्रेषक,

संजय भूसरेड्डी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
   उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद्,
   लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।
3. अध्यक्ष,
   समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।
4. प्रबन्ध निदेशक,
   उ0 प्र0 सहकारी आवास संघ,
   लखनऊ।
5. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
   उत्तर प्रदेश,
   लखनऊ।

लखनऊः दिनाँक - 27 जनवरी, 2001

आवास अनुभाग -1

विषय :प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में शासनादेश संख्या - 10/दस-सं0वि0मि0-1/2001 दिनांक 09, जनवरी, 2001 की प्रति संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त शासनादेश में दी गई व्यवस्थाओं/निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करने का कष्ट करें एवं इसकी मासिक अनुपालन आख्या एम0पी0आर0 के साथ उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

संलग्नक : यथोपरि।

संख्या-10/दस-सं.वि.मि.-1/2001

प्रेषक,

विनोद कुमार मित्तल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश

वित्त संसाधन (केन्दीय सहायता) अनुभाग

लखनऊः दिनाँक - 9 जनवरी, 2001

विषय :प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता।

महोदय,

प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता एवं विकास कार्यों हेतु संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से गतवर्षों में पाश्वांकित शासनादेशों के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में लिये गये निर्णयों से अवगत कराते हुए शासनादेश में उल्लिखित विभिन्न उपायों पर दृढ़ता से अनुपालन किये जाने के आदेश जारी किये गये। संसाधनों की उपलब्धता पर दबाव यथावत बना हुआ है, अतः वर्ममान वर्ष में भी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने एवं प्रशासकीय व्यय में मितव्ययता बरतने हेतु निम्न निर्देशों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा ।

शा.सं. 833/दस सं.वि.मि. 2/98 दिनांक	21/08/1998
शा.सं. 3/दस सं.वि.मि. 2/98 दिनांक	07/01/1999
शा.सं. 578/दस सं.वि.मि. 1/99 दिनांक	16/06/199

1. वित्तीय वर्ष 2000-2001 में नये पद सृजित न किये जाये। जहाँ कहीं आवश्यक हो ''अनुबन्ध पर कार्य'' (अनुबन्ध पर कर्मचारी नहीं) कराया जाये।

2. भारत सरकार को दी गई बचनबद्धता के अनुरूप राज्य सरकार के अधिकारी/कर्मचारियों की संख्या में प्रतिवर्ष कम से कम 2 प्रतिशत तक कमी की जाये। सेवा निवृत्ति के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले कर्मचारियों के रिक्त पदों को निम्नतम स्तर पर न भरा जाये तथा त्रैमासिक सूचना कार्मिक विभाग को संकलित कर उपलब्ध करायी जाये कि कितने कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए और कितने पद समाप्त किये गये।

3. आयोजनागत पक्ष में जो भी नये पद सृजित किये जाये उन पर नयी नियुक्तियां नहीं की जाये, पूर्व सृजित पदों को री-डिप्लायमेंट से भरा जाये साथ ही इस प्रकार रिडिप्लायड आयोजनेतर पक्ष के पद समाप्त किये जाये। आयोजनेतर पक्ष में नये पद न दिये जाये।

4. शासन द्वारा विभागों में कम्प्यूटर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि जहाँ कम्प्यूटर उपलब्ध है, वहां नये टाइपराइटर का क्रय स्वीकृत न किया जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि जहां कम्प्यूटर उपलब्ध है, वहां नई फैक्स मशीन स्वीकृत न की जाये तथा ई-मेल का इस्तेमाल किया जाये।

5. शैक्षणिक पद, स्वास्थ्य, पुलिस और अग्निशमन से जुड़े, विभागों को छोड़कर एक वर्ष से अधिक समय से रिक्त पदों को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में शेष विभागो द्वारा ऐसे पदों को चिन्हित कर समाप्त किया जाये।

''जीरो-बेस'' बजटिंग'' प्रणाली के आधार पर आयोजनागत/आयोजनेतर पक्ष के कार्यक्रम/कार्यकलापों की समीक्षा पूर्व में निर्गत विस्तृत आदेशों के परिप्रेक्ष्य में विभागों द्वारा अनिवार्य रूप से पूरी कर ली जाये और इसके फलस्वरूप जो बचत सम्भावित हो वह चालू वर्ष में 15 जनवरी, 2001 के पूर्व वित्त विभाग को समर्पित कर दी जाये। इन निर्देशों का अनुपालन संबंधित विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव व्यकित्गत रूचि लेकर एवं सीधे हस्तक्षेप कर सुनिश्चित करायें।

7. वित्तीय वर्ष 2000-2001 में नई गाड़ियां क्रय न की जाये। वाहन चालकों की भर्ती पर पूर्णतः रोक है। यह निर्णय भारत सरकार की योजनाओं, विश्व बैंक की परियोजनाओं के अन्तर्गत क्रय किये जाने वाले वाहनों पर भी लागू होगा। जहां कहीं आवश्यक हो अनुबन्ध पर गाड़ियां लगाई जाये।

8. आवासीय टेलीफोन नये वेतनमान रूपये 12000-16600 से कम के अधिकारियों को स्वीकृत न किये जाये। वर्तमान में आवासीय टेलीफोन के लिये जो फ्री काल्स शासन द्वारा निर्धारित है, उसी सीमा तक ही व्यय शासन द्वारा वहन

किया जायेगा। सेलुलर फोन क्रय किये जाने के संबंध में शासन के वर्तमान आदेशों का अनुपालन कड़ाई से नहीं किया जा रहा है। यह भी निर्णय लिया गया है कि सेलुलर फोन का क्रय वित्त विभाग की सहमति के साथ मुख्य सचिव के आदेशों के उपरान्त ही किया जाये।

9. राहत आयुक्त तथा गृह विभाग के अधिकारियों को आवश्यकतानुसार निवास पर टेलीफोन पर एस.टी.डी की सुविधा उपलब्ध रहेगी। मुख्यालय में विभागाध्यक्ष व सचिव से निम्न स्तर के अधिकारियों के निवास पर टेलीफोन की एस. टी.डी. की सुविधा समाप्त की जाती है मण्डल में मण्डलायुक्त व उप महानिरीक्षक तथा जनपदों में केवल जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निवास पर ही यह सुविधा अनुमन्य होगी।

10. हवाई यात्राओं पर नियंत्रण करने के लिये निर्णय लिया गया है कि चालू वित्तीय वर्ष 2000-2001 में किसी अधिकारी द्वारा किसी भी वायुयान के एक्जीक्यूटिव क्लास में यात्रा न की जाये। सरकारी व्यय पर अधिाकारियों द्वारा विदेश भ्रमण पर तात्कालिक प्रभाव से रोक लगा दी जाये।

11. पांच सितारा होटल में भोज दिये जाने पर रोक लगा दी जाये। यदि विशेष परिस्थितियों में पांच सितारा होटल में भोज दिया जाना आवश्यक हो तो इस हेतु मुख्य सचिव का अनुमोदन पहले प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

12. यात्रा व्यय में अधिकाधिक मितव्ययिता बरती जाये। शासकीय कार्य के लिये की जाने वाली यात्राओं को आवश्यक एवं अपरिहार्य कार्य की पूर्ति हेतु न्यूनतम रखा जाये तथा अनिवार्य आवश्यक व्यक्तियों को ही अखिल भारतीय सम्मेलनों, विचार गोष्ठियों और बैठकों आदि में भाग लेने के लिए भेजा जाये। सरकारी दौरों में, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, अधिकारी अपना व्यक्तिगत स्टाफ साथ न ले जाये। यह प्रतिबन्ध दिल्ली में यात्रा के संबंध में भी लागू होगा।

13. यात्रा व्यय आदि में बचत के उद्देश्य से मण्डलीय स्तर पर बैठकों की संख्या युक्तिसंगत (**Rationalize**) रखी जाये।

14. पेट्रोल तथा डीजल की खपत में कमी को सुनिश्चित करने के लिये इस मद हेतु कोई अतिरिक्त धनराशि न तो अनुपूरक अनुदान के माध्यम से और न ही पुर्नविनियोग द्वारा अन्य किसी मद से उपलब्ध कराई जाये। इस प्रयोजन हेतु पुनर्विनियोग के जो भी अधिकार वर्तमान में विभागाध्यक्षों एवं प्रशासकीय विभागों को प्रदतत है, वे तात्कालिक प्रभाव से वापस लिये जाते हैं। आयोजनेतर व्यय में कमी लाये जाने के सम्बन्ध में पेट्रोल तथा डीजल की खपत में कमी लाये जाने के प्रयास सभी विभागों द्वारा किये जायेंगे, जिससे इस मद पर व्यय हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता न पड़े।

15. भारत सरकार में लंबित मामलों के अनुश्रवण एवं अन्य प्रयोजनों हेतु अधिकारी/कर्मचारी बार-बार दिल्ली न जाये और न ही प्रदेश के अन्य जनपदों से बार-बार लखनऊ मुख्यालय पर आयें। दिल्ली व अन्य प्रदेशों के दौरे अधिकारी/कम्रचारी संबंधित विभागीय सचिव/विभागाध्यक्ष के अनुमोदन से ही करें। इस संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेशें/नियमों का सख्ती से अनुपालन किया जाये।

16. ''टाइम ओवर रन'' तथा ''कॉस्ट ओवर रन'' की मासिक समीक्षा प्रशासकीय विभाग के सचिव/प्रमुख सचिव द्वारा की जायेगी। नियोजन विभाग के माध्यम से 5.00 करोड़ /रूपये से अधिक की लागत के कार्यों की त्रैमासिक समीक्षा टिप्पणी मा. मंत्री परिषद् के आदेशार्थ/सूचनार्थ रखे जाने के आदेश पूर्व से है। इनका कड़ाई से पालन आवश्यक है।

17. केवल उन प्रशिक्षणों को छोड़कर जो अनिवार्य है, अन्य प्रशिक्षणों एवं सेमीनारों आदि में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नामित न किया जाये।

18. सार्वजनिक उद्यम अनुभाग के शासनादेश संख्या-350/44-22-26, दिनांक 15 अप्रैल, 1991 में यह व्यवस्था है कि शासन के समस्त विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव केवल एक ही शासकीय वाहन का प्रयोग करेंगे। जहां राज्य सम्पत्ति विभाग या सचिवालय प्रशासन द्वारा स्टाफ कार उपलब्ध कराई गई है उन विभागों के सचिवों द्वारा निगमों अथवा सार्वजनिक उपक्रमों अथवा किसी अन्य संस्था की गाड़ियों का प्रयोग किसी भी दशा में न किया जाये, भले ही वे अपने नियंत्रणाधीन एक या उससे अधिक उपक्रमों/निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों/संस्थाओं में अध्यक्ष अथवा निदेशक मण्डल के सदस्य का कार्यभार सम्भल रहे हों।

19. शासकीय विभागों, निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों एवं स्वाययततशाषी संस्थाओं द्वारा किया जाने वाला सजावटी (**display**) विज्ञापन एवं प्रचार यदि वह व्वसायिक प्रोत्साहन के लिये नहीं है, तात्कालिक प्रभाव से निषिद्ध किया जाता है। अन्य विज्ञापन, जो अति आवश्यक समझे जाये, विभागीय सचिव के अनुमोदन के उपरान्त ही स्वीकृत किये जायेंगे और

यदि कोई विशेष प्रचार/विज्ञापन अभियान चलाना हो तो वह मुख्य मंत्री जी के पूर्वानुमोदन से किया जाये। पर यह प्रतिबन्ध ऐसे विज्ञापनों पर लागू न होगा जो सेवा संबंधी प्रकरणों और नियुक्तियों आदि से संबंधित है और जो विधिक रूप से आवश्यक है।

20. नव वर्ष अथवा अन्य अवसरों पर शासकीय खर्चे पर बधाई सन्देशों को भेजने, कैलेन्डर, डायरी, शुभकामना सन्देशों तथा पर्सनल लेटर आदि के मुद्रण एवं वितरण एवं अन्य किसी सामग्री आदि के वितरण को तात्कालिक प्रभाव से निषिद्ध किया जाता है। यह निर्देश स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं प्राधिकरणों पर समान रूप से लागू होंगे।

21. केवल इस कारण कि पदधारक बल गया है, नया फर्नीचर व साज-सज्जा की व्यवस्था न की जाये तथा इस संबंध में निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन किया जाये। फर्नीचर व अन्य साज-सज्जा आदि के क्रय की स्वीकृति ध न के पुनर्विनियोग द्वारा (आयोजनेतर/आयोजनागत) उपलब्ध कराने हेतु जो प्रतिनिधायन/अधिकार इस संबंध में विभिन्न स्तरों पर प्रदत्त है, उन्हें तात्कालिक प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

22. सार्वजनिक उपक्रमों, प्राधिकरणों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं आदि द्वारा नये अतिथि गृह न खोले जाये। नये अतिथि गृहों, यदि वे अत्यन्त आवश्यक है, मुख्य मंत्री जी के पूर्वानुमोदन के पश्चात् ही स्थापित किया जाये।

2. उपर्युक्त समस्त निर्देश सरकारी विभागों/कार्यालयों के साथ-साथ समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/स्थानीय निकायों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/प्राधिकरणों तथा राज्य विश्वविद्यालयों पर भी सुसंगत अधिनियम/नियम/उपनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार के निर्देश के रूप में समान रूप से लागू होंगे।

3 पूर्व में उपुर्यक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों आदि को इस सीमा तक यथा संशोधित समझा जाये।

भवदीय
विनोद कुमार मित्तल
प्रमुख सचिव

संख्या - 10(1)/दस-सं.वि.मि. 1/2001, तद्दिनांक

प्रतिलिपि शासन के समस्त प्रमुख सचिवों/सचिवों/विशेष सचिवों को (इसकी अतिरिक्त प्रतियों के सहित) इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने अधीनस्थ विभिन्न विभागों और अपने विभागों से संबंधित स्थानीय निकायों, निगमों, स्वाययत्तशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों एवं राज्य विश्वविद्यालयों को इस शासनादेश की प्रतिलिपि भेजकर सुनिश्चित कर लें कि उनमें भी इसका कड़ाई से पालन किया जाये।

आज्ञा से,
जितेन्द्र विष्णु
विशेष सचिव

संख्या - 10(1)/दस-सं.वि.मि. 1/2001, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
2. समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी।
3. समस्त कोषाधिकारी।
4. महालेखाकार 1 व 2 उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. समस्त सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, स्थानीय निकायों एवं प्राधिकरणों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक।
6. समस्त कुल सचिव, राज्य विश्वविद्यालय।
7. समस्त वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी।

आज्ञा से,
जितेन्द्र विष्णु
विशेष सचिव

संख्या-4173/9-आ-1-2001

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
आवास विभाग।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनाँक - 13 अगस्त, 2001

विषय : विद्युत आपूर्ति पर नियन्त्रण एवं बिजली की बचत।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बिजली की उपलब्धता की कमी को देखते हुये बिजली के अपव्यय को रोकने के लिए विकास प्राधिकरण की योजनाओं में सायंकाल 7.30 बजे के बाद ही बिजली की आपूर्ति की जाये और प्रातःकाल 5.30 बजे के पूर्व हर दशा में यह आपूर्ति बन्द कर दी जाये।

यह भी कहने का निदेश हुआ है कि इसे ऐसा किया जाना तत्काल प्रभाव से आप स्वयं सुनिश्चित करें इस कार्य को स्थल पर सुनिश्चित करने के लिए अधिशासी अभियन्ता के स्तर का अधिकारी उत्तरादायी होना चाहिए। कृपया निर्देशों का तुरन्त अनुपालन करें तथा कृत कार्यवाही से तत्काल अवगत भी करायें।

भवदीय

टी0 पी0 पाठक

संख्या-6269/9-आ-5-2000

प्रेषक,

दीन दयाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-5

लखनऊः दिनाँक - 02 फरवरी, 2000

विषय : वाहनों के प्रतिस्थापन हेतु स्वीकृत धनराशि के आहरण के पूर्व निष्प्रयोज्य-वाहनों की नीलामी एवं प्राप्त राशि को राजकीय कोष में जमा कराया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निष्प्रयोज्य वाहनों के प्रतिस्थापन-सम्बन्धी प्रस्तावों में विचार कर निर्णय लिये जाते समय नये वाहन के क्रय सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण कर ली जाती है किन्तु जिस वाहन को प्रतिस्थापित किया जाना है, उसके निष्पादन की कार्यवाही के अन्तर्गत वाहन की नीलामी सम्बन्धी औचारिकतायें पूर्ण किये जाने व नीलामी सम्पूर्ण कराकर तत्सम्बन्धी प्राप्त राशि को राजकोष में जमा कराये जाने की कार्यवाही को तत्परता से पूर्ण नहीं किया जाता है।

2. अतएव वाहनों के प्रतिस्थापन सम्बन्धी समस्त प्रस्तावों पर गुणावगुण के आधार पर स्वीकृति दिये जाते समय यह भी व्यवस्था की जाये कि नये वाहन हेतु स्वीकृत राशि के आहरण के समय आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा इस बात का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाये कि निष्प्रयोज्य वाहन की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर नीलामी करा दी गयी है और प्राप्त राशि (विक्रय राशि) को राजकोष में जमा कर दिया गया है।

कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय
दीन दयाल
संयुक्त सचिव

महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता
संख्या-यू0ओ0-151/9-आ-3-1999

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

लखनऊः दिनाँक - 17 अगस्त, 1999

आवास अनुभाग-3

विषय :विनियमित क्षेत्रों के अन्तर्गत विकास/निर्माण विनियमन कार्य-कलापों की प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-301(1)/9-आ-1-1998 दिनांक 20.1.1999 तथा उसके अनुक्रम में अनुस्मारक पत्र संख्या-864/9-आ-1-1999 दिनांक 15.2.99 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा यह अपेक्षा की गई थी कि विनियमित क्षेत्रों में स्वीकृत भवन मानचित्रों से सम्बन्धित आंकड़े शासन को उपलब्ध कराए जाये। आपके पत्र संख्या - 922/न0नि0(अनु.) वि0क्षे0-मान0 सूचना/98/99 दिनांक 22.2.99 द्वारा केवल 31 विनियमित क्षेत्रों के आंकड़े उपलब्ध कराए गए है। अवशेष सूचनाएं अभी तक अप्राप्त है।

2. इस संबंध में मुझे पुनः यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय एजेण्डा में निर्धारित 'सबके लिए आवास' कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रगति का अनुश्रवण शहरी कार्य और रोजगार मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है जिसके लिए प्रदेश स्तरीय प्रगति रिपोर्ट समय-समय पर भारत सरकार को उपलब्ध करानी होती है। विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद के कार्य-कलापों का अनुश्रवण आवास विभाग द्वारा स्वयं किया जा रहा है, परन्तु विनियमित क्षेत्रों से सूचनाएं प्राप्त करने हेतु अभी व्यवस्था नहीं बन पाई है।

3. अतएव शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि विनियमित क्षेत्रों के कार्य कलापों के नियमित अनुश्रवण की व्यवस्था मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के माध्यम से सुनिश्चित की जाए। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक इस कार्य हेतु मुख्यालय पर किसी अधिकारी को नामांकित कर दें जो मण्डलीय सहयुक्त नियोजकों के माध्यम से उक्त सूचनाएं एकत्र/संकलित करें ताकि शासन को मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के माध्यम से नियमित रूप से मासिक प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध होती रहें। अनुश्रवण हेतु एक प्रपत्र भी निर्धारित कर लें जिसमें मुख्य रूप से निम्न सूचनाएं प्राप्त की जाए :

1. कुल कितने मानचित्र जमा हुए। (विन्यास/भवन मानचित्र की पृथक सूचना)
2. कितने स्वीकृत किए गए।
3. कितने निरस्त किये गए।
4. कितने मानचित्र तीन माह से अधिक समय से लम्बित है।
5. मानचित्र शुल्क, विकास शुल्क, पर्यवेक्षण शुल्क, सुदृढ़ीकरण शुल्क, अम्बार शुल्क आदि के मद में कितनी धनराशि जमा हुई।
6. प्राप्त शुल्क किस खाते में जमा हो रहा है उसका क्या उपयोग किया जा रहा है तथा नगरपालिका को कितना हस्तान्तरित हो रहा है।

7. विनियमित क्षेत्र के भवन अनुभाग का मासिक अधिष्ठान व्यय कितना है।

8. अन्य संगत सूचनायें (जो आवश्यक समझें) यथा स्टाफ (स्वीकृत पद/कार्यरत आदि)।

4. कृपया उपरोक्त आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करें और रिपोर्टिंग माह की सूचना प्रत्येक आगामी माह की 10 तारीख तक शासन को नियमित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या यू0ओ0-151(1)/9-आ-3-99 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त विनियमित क्षेत्रों के नियंत्रक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त विनियमित क्षेत्रों के नियत प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. मा0 आवास मंत्री जी/मा0 राज्य मंत्री, आवास के निजी सचिव।
4. आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
यज्ञबीर सिंह चौहान
विशेष सचिव

संख्या-3587/9-आ-5-2000-19 मई/97

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

2. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनाँक : 23 फरवरी, 2000

आवास अनुभाग-5

विषय : प्रदेश के विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की दोषपूर्ण कार्यप्रणाली तथा रचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम अब्दुल्लापुर, जनपद-मेरठ की 1200 एकड़ भूमि के अर्जन के मामले की जांच सर्तकता अधिष्ठान द्वारा की गयी है उक्त जांच के फलस्वरूप यह तथ्य प्रकाश में आये है कि प्रश्नगत भू-अर्जन की कार्यवाही में औपचारिकातायें पूर्ण करने में मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अनावश्यक विलम्ब किया गया है। उक्त भू-अर्जन हेतु हुडकों द्वारा दिनांक 27.3.91 को 5.00 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया था, जिसकी पहली किश्त दिनांक 1.4.91 को हुडकों द्वारा अवमुक्त की गयी, लेकिन मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अर्जित की जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में प्रतिकर की धनराशि जिलाधिकारी, मेरठ कार्यालय में दिनांक 5.3.92 को जमा करायी गयी। उपरोक्त के आधार पर सर्तकता अधिष्ठान की जांच आख्या में मेरठ विकास प्राधिकरण के आन्तरिक कार्यो में समन्वय तथा प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण का अभाव बताया गया है। साथ ही दोषपूर्ण कार्यप्रणाली पायी गयी है।

2. अतः कृपया अपने-अपने विकास प्राधिकरणों में आन्तरिक कार्यो में समन्वय कार्यप्रणाली के सुधार तथा प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने का कष्ट करें ताकि भविष्य में प्राधिकरण की कार्य प्रणाली में उपरोक्त प्रकार की शिथिलता की पुनरावृत्ति न हो सके।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या-164/9-आ-1-2001 (आ0ब0)

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

2. **अध्यक्ष,**
   समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग -1

लखनऊः दिनाँक- 15 जनवरी. 2001

विषय :आर्किटेक्ट/बिल्डर्स एसोसिएशन के साथ प्राधिकरणों की नियमित बैठक किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आवास विभाग द्वारा विकास प्राधिकरणों की कार्य-प्रणाली में पारदिर्शता एवं नागरिकों को अधिक से अधिक सुविधायें प्रदान करने की प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई शासनादेश, नियमावलियां, एवं निर्देश समय-समय पर निर्गत किये जा रहे है तथा इनकी जानकारी जनसाधारण तक पहुंचाने हेतु व्यापक प्रचार व प्रसार किये जाने के लिए भी प्राधिकरणों को निर्देशित किया गया है। उक्त प्रयोजनार्थ प्रत्येक नगर में जन साधारण से सीधा सम्पर्क होने के कारण, आर्किटेक्टस व बिल्डर्स एसोसिएशन शासन की नीतियों के प्रचार व प्रसार हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है। परन्तु शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि अधिकांश प्राधिकरणों का अपने क्षेत्र के प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट्स व बिल्डर्स से अर्न्तसंवाद लगभग नगण्य होने के कारण शासन की अनेकों नीतियों की जानकारी इन महत्वपूर्ण संस्थाओं को नहीं है। ऐसी दशा में जनसाधारण निश्चय ही सूचना व जानकारी के अभाव में शासन द्वारा घोषित नीतियों व सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पा रहें होंगे।

2. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रत्येक प्राधिकरण अपने क्षेत्र के प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट्स व बिल्डर्स एसोसिएशन के साथ कम से कम प्रत्येक त्रैमास में एक बार बैठक करें एवं शासन द्वारा जारी निर्दश, नियमावलियों इत्यादि की आधावधिक जानकारी उन्हें उपलब्ध करायें। इससे जहां एक ओर शासन की वर्तमान नीतियों की जानकारी उन्हें सुगमतापूर्वक उपलब्ध हो सकेगी, वहीं दूसरी ओर नागरिकों की समस्यायें व सुझाव भी इन संस्थाओं के माध्यम से प्राधिकरण/शासन को प्राप्त हो सकेंगे।

3. कृपया उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें तथा आयोजित बैठकों की कार्यवृत्त, नियमित रूप से शासन को भी उपलब्ध करायें।

भवदीय
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या : 164(1)/9-आ-1-2001 (आ0ब0) तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त विकास प्राधिकरणों के अध्यक्षों को सूचनार्थ प्रेषित।
2. आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

संख्या-1106/9-आ-1-(आ0बा0) बोर्ड बैठक/2001

प्रेषक,

संजय भूसरेड्डी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ: दिनाँक - 01 मार्च, 2001

आवास अनुभाग-1

विषय :बोर्ड बैठक आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विकास प्राधिकरणों एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की बोर्ड बैठकों को आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में समय-समय पर शासन द्वारा निर्देश जारी किये गये थे। इन निर्देशों पर सम्यक विचारोपरान्त पूर्व में जारी सभी निर्देशों को अतिक्रमित करते हुए महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-41 (1) के अधीन निम्नलिखित दिशा निर्देश देते है :-

1. बोर्ड बैठक प्रत्येक त्रैमास में एक बार अवश्य आयोजित की जाये।
2. विधान मण्डल की बैठकों के दिन एवं सत्र के दौरान बोर्ड की तिथि निर्धारित न की जाये।
3. बोर्ड बैठक, बोर्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता में ही की जाये। परन्तु अत्यन्त अपरिहार्य परिस्थितियों में अध्यक्ष अथवा शासन की अनुमति से उपाध्यक्ष द्वारा बोर्ड की अध्यक्षता की जा सकती है।
4. प्राधिकरण के सचिव द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की तिथि, समय व स्थान, की सूचना कार्य सूची सहित बैठक की तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व जारी की जाये।
5. कार्यसूची में अनुपूरक सामग्री सहित अधिकतम 50 मद ही रखे जायें अपरिहार्य कारणों से यदि अधिक मद बोर्ड के समक्ष लाये जाने हों तो पुन: बैठक की जा सकती है।
6. अनुपूरक कार्यसूची में मदों की संख्या मूल कार्यसूची की संख्या से किसी भी दशा में 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
7. बोर्ड के सभी सदस्यों सहित शासन को कम से कम 10 कार्य दिवस पूर्व एजेण्डा नोट उपलब्ध करा दिया जाना अनिवार्य है जिससे कि उसके समुचित परीक्षणोपरान्त शासन से नामित अधिकारी बैठक में भाग ले सकें।
8. कार्यसूची में सम्मिलित किये जाने वाले प्रस्ताव उपाध्यक्ष के अनुमोदन से अथवा अध्यक्ष एवं शासन के निर्देश पर ही सम्मिलित होंगे तथा प्रत्येक प्रस्ताव पर उससे सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी एवं प्राधिकरण के सचिव के हस्ताक्षर होने अनिवार्य है।
9. बोर्ड में कार्मिक से सम्बन्धित प्रस्ताव जैसे नवीन पद सृजन, नियुक्ति एवं पदोन्नति आदि पर लिए गये निर्णयों का क्रियान्वन शासन का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाये।
10. बैठक में कोई भी ऐसा निर्णय पारित न किया जाये जो स्टैण्डिंग शासनादेश के विरुद्ध हो। बोर्ड केवल शासन से पुर्नविचार अथवा आवश्यक छूट हेतु अनुरोध/संस्तुति कर सकती है। समय-समय पर शासन से जारी शासनादेशों एवं निर्देशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराना उपाध्यक्ष का व्यक्तिगत दायित्व होगा।
11. बोर्ड बैठक में केवल अधिकृत सदस्य ही भाग ले सकेंगे, तथा प्रतिनिधि के रूप में अन्य किसी को बैठक में भाग लेने की अनुमति नही दी जायेगी। परन्तु अधिनियम की व्यवस्थानुसार पदेन सदस्यों के प्रतिनिधि बैठक में भाग ले सकेंगे।

12. बोर्ड बैठक में यथा आवश्यक किसी विशेषज्ञ अथवा किसी अन्य उपयोगी व्यक्ति की उपस्थिति के सम्बन्ध में अध्यक्ष अथवा शासन के द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी। परन्तु उनको मताधिकार नही होगा।

13. बोर्ड बैठक में सदस्यों की कुल संख्या की एक तिहाई संख्या को सामान्य कोरम माना जायेगा प्रतिबन्ध यह रहेगा कि उसमें शासन का प्रतिनिधि अवश्य सम्मिलित हो। बैठक में यह प्रयास किया जाये कि सभी निर्णय सर्वसम्मति से हो परन्तु ऐसा न होने पर निर्णय बहुमत से लिया जायेगा। बराबर संख्या में मत होने की दशा में अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा तथा बैठक के संचालन के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के विवाद पर अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।

14. प्रत्येक बोर्ड बैठक के अन्त में उपाध्यक्ष द्वारा बोर्ड की ओर से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन किया गया है तथा शासनादेशों के विपरीत कोई कार्य अथवा नियमित भर्ती एवं पद सृजन नही किया गया है।

15. बैठक के दौरान सदस्यों की उपस्थिति तथा प्रारम्भ से अन्त तक बैठक की सम्पूर्ण कार्यवाही का रिकार्ड प्राधिकरण के सचिव द्वारा रखा जायेगा तथा कार्यवृत्त अधिकतम एक सप्ताह के भीतर अध्यक्ष के अनुमोदन के उपरान्त, तुरन्त निर्गत कर बोर्ड के सभी सदस्यों को प्रेषित की जायेगी। यदि कार्यवृत्त में अंकित निर्णय के सम्बन्ध में किसी भी सदस्य को कोई आपत्ति होती है तो वह लिखित रूप से प्राधिकरण के सचिव को कार्यवृत्त निर्गत होने की तिथि से 7 दिन के अन्दर निर्णय के क्रियान्वयन को रोकने हेतु सूचित करेंगे। जिसको संज्ञान में लेते हुए प्राधिकरण के सचिव अगली बैठक में उसे पुनः प्रस्तुत करेंगे तथा ऐसे निर्णयों का क्रियान्वयन अगली बैठक में निर्णय हो जाने तक स्थगित रखा जायेगा।

16. बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किसी विषय पर, स्वतः निर्णय लेकर क्रियान्वयन करने हेतु गठित किसी समिति/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष अथवा किसी सदस्य को अधिकृत नहीं किया जायेगा। बल्कि उसकी संस्तुतियों को अंतिम निर्णय हेतु पुनः बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

17. यथा सम्भाव परिचालन द्वारा किसी विषय पर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया न अपनाई जाये परन्तु किसी महत्वपूर्ण प्रकरण पर अपरिहार्य कारणों से ऐसा करना आवश्यक हो तो प्रस्ताव बोर्ड के सभी सदस्यों को परिचालित करके उनका अनुमोदन प्राप्त कया जाये तथा पुष्टि आगामी बैठक में अवश्य कराई जाये।

18. प्रत्येक बोर्ड बैठक में निम्न बिन्दुओं पर उपाध्यक्ष के द्वारा सूचना अवश्य प्रस्तुत की जाये।

(क) प्राधिकरण की आय बढ़ाने तथा व्यय घटाने की दिशा में की गई कार्यवाही का विवरण।
(ख) प्राधिकरण सम्पतित को अधिकतम मूल्य पर निस्तारित करने के सम्बन्ध में किए गये प्रयासो का विवरण।
(ग) प्राधिकरण की कितनी भूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमण है तथा उसे हटाने के लिए की गई कार्यवाही का विवरण।
(घ) महत्वपूर्ण शासनादेशों के अनुपालन की स्थिति।

उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

संख्या - 1106(1)/9-आ-1(आ0बा0) बोर्ड बैठक/2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आवास विभाग के समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उपसचिव/अनुसचिव।
2. समस्त अनुभाग अधिकारी, आवास विभाग।
3. अपर निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

संख्या-229/9-आ-2-2001-3 एच. बी. (3)/2001

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनाँक - 05 फरवरी, 2001

आवास अनुभाग-2

विषय : मा0 आवास मंत्री जी, मा0 आवास राज्य मंत्री जी के जनपद भ्रमण के समय आवास विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण के संबंधत में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि मा0 आवास मंत्री जी एवं मा0 राज्य मंत्री आवास के द्वारा जब जनपदों में भ्रमण पर जाते है तो प्रायः आवास विभाग के संबंधित अधिकारियों द्वारा मा0 आवास मंत्री जी एवं मा0 आवास राज्य मंत्री जी से संपर्क नहीं किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप माननीय मंत्री जी द्वारा आवास विभाग की उन जनपदों में संचालित की जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के संबंध में कीं जा रही प्रगति समीक्षा किया जाना संभव नहीं हो पाता। अतः कृपया मा0 आवास मंत्री जी एवं मा0 आवास राज्यमंत्री के द्वारा आपके जनपद में जब भ्रमण पर जायें, तो आवास विभाग से संबंधित वरिष्ठ अधिकारी गण, मा0 मंत्री गणों से अवश्य संपर्क स्थापित करें तथा संबंधित जनपदों में चल रही योजनाओं के संबंध में उनके द्वारा वांछित सूचना/जानकारी उन्हें उपलब्ध करायें। जिलाधिकारियों से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वे भी यथावश्यक आवश्यकतानुसार मा0 मंत्री जी से उनके भ्रमण के समय संपर्क किया जाना सुनिश्चित करें।

2. उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। इस संबंध में किसी भी प्रकार की शिथिलता को शासन द्वारा गंभीरता से लिया जायेगा।

भवदीय
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

1. प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
2. आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, आवास एवं नगर विकास एवं नगरीय रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निजी सचिव, मा0 आवास मंत्री जी को मा0 आवास मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, मा0 आवास राज्यमंत्री जी को मा0 राज्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. आवास विभाग के समस्त अधिकारी।
7. विशेष सचिव/अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,
अमिताभ त्रिपाठी
अनुसचिव

महत्वपूर्ण/प्राथमिकता

संख्या-678/9-आ-2-2001-3 एच. बी. (3)/2001

प्रेषक,

श्री पी0 एल0 पुनिया,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-2

लखनऊः दिनाँक - 01 मार्च, 2001

विषय : मा0 मंत्रिगणों के जनपद भ्रमण पर विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति तथा शिष्टाचार का पालन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या - 229/9-आ-2-2001-3 एच.बी.(31)/2001 दिनांक - 5.2.2001 द्वारा मा0 आवास मंत्री जी एवं मा0 राज्यमंत्री आवास के जनपद भ्रमण के समय विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति एवं जनपदों में संचालित की जा रही विभागीय योजनाओं/कार्यक्रमों की अद्यावधिक प्रगति से अवगत कराये जाने के समस्त विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों एवं उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद को निर्देश दिए जा चुकं है।

इसी शासनादेश की प्रति आपको भी इस अपेक्षा के साथ पृष्ठांकित की गई है कि आप भी आवश्यकतानुसार मा0 मंत्रिगणों से जनपद भ्रमण के समय संपर्क कर कार्यवाही सुनिश्चित करायें। किन्तु देखने में यह आ रहा है कि जनपद स्तर पर अन्य विभागीय कार्यों, जो आपके पर्यवेक्षण में निष्पादित किये जाने है, की प्रगति से मा0 मंत्रिगण को अवगत कराने हेतु जनपद स्तरीय प्रभारी न तो शिष्टाचार में उपस्थित हुए और न ही विभागीय प्रगति की जानकारी दी।

अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आवास विभाग तथा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग से सम्बन्धित जनपद स्तरीय योजनाओं/कार्यक्रमों के सन्दर्भ में निम्न अधिकारियो को आपके स्तर से इस आशय के कड़े निर्देश प्रसारित किये जायें कि मा0 मंत्रिगणों के जनपद भ्रमण पर वे शिष्टाचार तथा प्रोटोकाल का पूर्णतया अनुपालन करते हुए उपस्थित रहें तथा विभागीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की अद्यावधिक प्रगति से उन्हें अवगत करायें :-

1. स्थानीय विनियमित क्षेत्र के विहित प्राधिकारी।
2. नजूल के कार्यों की समीक्षा हेतु अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व)।
3. अर्बन सीलिंग के कार्यों की समीक्षा हेतु सक्षम प्राधिकारी।
4. संगठित विकास योजना (आइडीएसएमटी) के कार्यों की समीक्षा हेतु टाउन प्लानर, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0।
5. नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन से संबंधित योजनाओं की समीक्षा हेतु परियोजना निदेशक डूडा।

उपर्युक्त निदेशों का गम्भीरतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये। यदि सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बरती जाये तो उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराया जाये।

भवदीय

पी0 एल0 पुनिया
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त
आवास, नगर विकास तथा
नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन विभाग।

संख्या 678(1)/तद्दिनांक

उक्त की प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. निजी सचिव, मा0 आवास मंत्री जी।
3. निजी सचिव, मा0 आवास राज्य मंत्री जी।
4. निजी सचिव, सचिव आवास।
5. निजी सचिव, नगर विकास विभाग।
6. निजी सचिव, सचिव नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग।
7. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,
अमिताभ त्रिपाठी
अनु सचिव

संख्या-732/आ0ब0/लेखा/2000

प्रेषक,

संजय भूसरेड्डी,
अधिशाषी निदेशक
आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

2. **आवास आयुक्त,**
   उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
   लखनऊ।

आवास बन्धु :

लखनऊ: दिनाँक- 29 नवम्बर, 2000

विषय :आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश लखनऊं के लेखा-जोखा पारदर्शिता के सम्बन्ध में।

महोदय,

आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का सृजन, प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में क्रियान्वित विभिन्न विभागों को वर्तमान समय की माँग के अनुसार नई दिशा निर्देश, नई प्रोद्योगिकीय, वित्तीय मितव्यता, इत्यादि अनेकों कार्यों के सम्पादन हेतु किया गया है जिसके लिए आवास बन्धु को प्राधिकरणों एवं आवास एवं विकास परिषद द्वारा वित्तीय सहयोग, अंशदान के रूप में दिया जाता है।

शासन की पारदर्शिता की नीति के अनुरूप मुझे यह कहना है कि उपरोक्त समस्त संस्थायें/विभाग किसी भी कार्य दिवस में आवास बन्धु के लेखा जोखा का निरीक्षण एवं आवास बन्धु द्वारा शासन की मितव्यता की नीति के अन्तर्गत किये जा रहें प्रयासों का अवलोकन कर सकते है।

भवदीय
संजय भूसरेड्डी
अधिशाषी निदेशक

संख्या : 732/आ0ब0/लेखा/2000 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, सचिव आवास को सूचनार्थ।
2. आवास बन्धु के समस्त अधिकारी।
3. लेखा अनुभाग, आवास बन्धु।

संजय भूसरेड्डी
अधिशाषी निदेशक

12

कार्मिक प्रबन्धन

संख्या-1692/9-आ-5-99-18 ई/99

प्रेषक,

दीन दयाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनाँक : 5 अक्टूबर, 1999

आवास अनुभाग-5

विषय : विकास प्राधिकरणों के कर्मियों (केन्द्रीयित/अकेन्द्रीयित सेवा) को पेंशन सुविधा अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में आप अवगत है कि शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1580/9-आ-5-99-252ई/98, दिनांक 05 मई, 1999 द्वारा सी0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 योजना को समान रूप से प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों में प्रभावी ढंग से लागू किये जाने, ताकि यथासमय पेंशन की व्यवस्था सम्भव हो सके तथा सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर विचार करने हेतु अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी थी।

2. उपरोक्तानुसार गठित समिति की रिपोर्ट एवं संस्तुतियां शासन को प्राप्त हो गयी है। जिसके क्रम में दिनांक 30.8.1999 को सचिव, आवास विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिये गये निर्णयानुसार निम्नलिखित बिन्दुओं पर सूचनायें वांछित है :-

(1) विभिन्न विकास प्राधिकरणों में वर्तमान में जो व्यवस्था लागू है, उसके अनुसार पेन्शनरी अनुदान का किस प्रतिशत से कटौती की गयी है। (दिनांक 20.8.99 तक), इसके सम्बन्ध में सूचना संलग्न प्रारूप में दी जाय। इस प्रकार सी0पी0एफ0 अंशदान की सूचना भी संलग्न प्रपत्र 'ए' में दी जाय। यह सूचना विकास प्राधिकरणों के मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी द्वारा क्रमवार बनवाई जाय और धनराशि को संकलित करके एक सारांश भी तैयार किया जाय। यह सूचना शासन को पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 15 दिनों के अन्दर विकास प्राधिकरणों के मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी द्वारा सीधे ही अधोहंस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी जाय। विकास प्राधिकरणों मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी, जो सूचना तैयार कराये उसे किसी स्थानीय ख्याति प्राप्त चार्टेड एकाउण्टेन्ट से सत्यापित करा लें।

(2) समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह इंगित किया है कि विकास प्राधिकरण, बांदा, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर तथा हापुड़-पिलखुआ द्वारा वांछित सूचनायें उपलब्ध नहीं करायी गयी है। अतः यह प्राधिकरण कृपया संलग्न प्रपत्र 'बी' में वांछित सूचनायें अविलम्ब उपलब्ध करायें।

(3) कृपया उपरोक्तानुसार वांछित सूचनायें शासन को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न : प्रपत्र 'ए'

प्रपत्र 'बी'

भवदीय,
दीनदयाल

प्रपत्र-'ए'

(जहां सी0पी0एफ0 व्यवस्था लागू है)

(1) प्राधिकरण का नाम .....

(2) केन्द्रीयित कर्मचारियों की संख्या (दि0 30.9.99 तक) .....

(3) अकेन्द्रीयित कर्मचारियों की संख्या (दि0 30.9.99 तक) .....

(4) सी0पी0एफ0 व्यवस्था लागू करने का माह एवं वर्ष .....

(5) क्या सी0पी0एफ0 व्यवस्था लागू होने से पूर्व अन्य कोई व्यवस्था थी, यदि हां तो कब से कब तक .....

(6) सी0पी0एफ0 कटौती की दर (कर्मचारी/अधिकारी के वेतन से) .....

(7) सी0पी0एफ0 अंशदान की दर (प्राधिकरण द्वारा) यदि दर परिवर्तित की गयी तो कब से कब तक कौन-कौन सी दरें लागू रहीं (किसी चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा प्रमाणित होंगे) .....

(8) सी0पी0एफ0 रखे जाने की व्यवस्था क्या है (किसी चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा प्रमाणित होंगे) .....

(9) वर्तमान समय में सी0पी0एफ0 खाते में कुल कितनी धनराशि होनी चाहिये तथा कितनी धनराशि अवशेष है। (किसी चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा प्रमाणित होंगे) .....

(10) क्यों विकास प्राधिकरण जितनी धनराशि होनी चाहिये उसको लखनऊ में खोले जाने वाले केन्द्रीयित खाते में जमा कर देगा ? .....

हस्ताक्षर :-

(1) लेखा एवं वित्त विभाग के प्रमुख
(2) सचिव, प्राधिकरण,
(3) उपाध्यक्ष, प्राधिकरण

प्रपत्र-'बी'

(जहां जी0पी0एफ0 व्यवस्था लागू है)

(1) प्राधिकरण का नाम .....

(2) केन्द्रीयित कर्मचारियों की संख्या (दि0 30.9.99 तक) .....

(3) अकेन्द्रीयित कर्मचारियों की संख्या (दि0 30.9.99 तक) .....

(4) पेंशन अंशदान व्यवस्था लागू करने का माह/वर्ष .....

(5) क्या पेंशन अंशदान व्यवस्था लागू होने से पूर्व अन्य कोई व्यवस्था थी, यदि हां तो कब से कब तक .....

(6) पेंशन अंशदान की दर प्राधिकरण द्वारा यदि दर परिवर्तित की गयी तो कब से कब तक कौन-कौन सी दरें लागू रही। (चार्टर्ड एकाउंटेन्ट द्वारा प्रमाणित) .....

(7) पेंशन अंशदान की धनराशि रखे जाने की व्यवस्था क्या है। (चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा प्रमाणित) .....

(8) वर्तमान समय मे पेंशन अंशदान खाते म कुल कितनी धनराशि होनी चाहिये और कितनी धनराशि उपलब्ध है। (किसी चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा प्रमाणित होंगे) .....

(9) क्या विकास प्राधिकरण जितनी धनराशि होनी चाहिए उस को लखनऊ मे खोले जाने वाले केन्द्रीयित खाते में 15 दिन के अन्दर जमा कर देगा। .....

हस्ताक्षर :-

(1) लेखा एवं वित्त विभाग के प्रमुख

(2) सचिव, प्राधिकरण,

(3) उपाध्यक्ष, प्राधिकरण

उत्तर प्रदेश शासन

आवास अनुभाग-5

संख्या-132/9-आवास-5-2000

लखनऊ : दिनांक : 13 जनवरी, 2000

कार्यालय-ज्ञाप

कार्मिक विभाग उ0प्र0 शासन के उत्तर प्रदेश राज्य प्रशिक्षण नीति, 1999 के क्रियान्वयन के अनुक्रम में, उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के विभिन्न श्रेणी समूहों में भविष्य में आने वाले कार्मिकों व इस सेवा में वर्तमान समय में कार्यरत कार्मिकों के ज्ञान कौशल एवं सुसंगत अभिवृत्ति के निरन्तर विकास के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने, लोकतांत्रिक मूल्यों एवं जनभागिता की अवधारणा के लिये प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने, आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक विकास के प्रति जागरूकता, विधि व्यवस्था में विश्वास विकसित करने एवं कार्य व्यवसाय के प्रत्येक क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में निरन्तर सुधार तथा कार्य निष्पादन के प्रति प्रतिबद्धतापूर्ण दृष्टिकोण के सतत विकास के उद्देश्य से प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के कर्मियों को सेवाकाल के दौरान अन्तरालों में सेवाकालीन प्रशिक्षण, इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट डवलपमेंट सेक्टर-डी, अलीगंज, लखनऊ के माध्यम से कराये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। अतः श्री राज्यपाल महोदय उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के समस्त श्रेणी के कार्मिकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आंकलन करने तथा प्रशिक्षण प्रोग्राम की विषयवस्तु निर्धारित करने के उद्देश्य से निम्नानुसार तात्कालिक प्रभाव से समिति गठित किए जाने का सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

सर्वश्री,

1. जे0पी0 भार्गव सेवानिवृत्त, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक
   ग्राम एवं नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ। — अध्यक्ष
2. एम0एस0 त्यागी सेवानिवृत्त, मुख्य नगर नियोजक
   उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा — सदस्य
3. एस.एल. नागदेव, सेवानिवृत्त, मुख्य अभियंता
   उ0प्र0 पालिका केन्द्रीयित सेवा — सदस्य
4. के0बी0 सक्सेना, लागत एवं वित्तीय परामर्शदाता
   लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ। — सदस्य
5. रवि श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता (विद्युत/यांत्रिक)
   लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ। — संयोजक (नोडल अधिकारी)

2. उपरोक्त गठित समिति नगर नियोजन एवं वास्तुकला, लेखा संवर्ग, अभियंत्रण संवर्ग तथा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन के अधिनस्थ कार्यरत कार्मिकों के सेवाकाल के दौरान प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण की विषयवस्तु, प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं समय सारणी तैयार करेगी। साथ ही समिति आवश्यकतानुसार विभिन्न अन्य क्षेत्रों/विषयों के विशेषज्ञों की सेवायें भी प्राप्त कर सकेगी।
3. उपर्युक्त गठित समिति में संयोजन कार्य (नोडल अधिकारी के रूप में) लखनऊ विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियंता श्री रवि श्रीवास्तव द्वारा निष्पादित किया जायेगा।
4. समिति के सेवानिवृत्त अधिकारियों को उपर्युक्त कार्यों के निष्पादन हेतु रू0 5000/- की धनराशि एकमुश्त देय होगा।

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या-132(1)/9-आवास-5-2000 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. विशेष सचिव, आवास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. श्री जे0 पी0 भार्गव, मुख्य एवं ग्राम नियोजक (सेवानिवृत्त) उ0प्र0 लखनऊ को नोडल अधिकारी के माध्यम से।
4. श्री एम0 एस0 त्यागी, सेवानिवृत्त मुख्य नगर नियोजक, उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा को नोडल अधिकारी के माध्यम से।
5. श्री नागदेव, मुख्य अभियंता, सेवानिवृत्त, उ0प्र0 पालिका केन्द्रीयित सेवा को नोडल अधिकारी के माध्यम से।
6. श्री के0 बी0 सक्सेना, लागत एवं वित्तीय परामर्शदाता, लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ।
7. श्री रवि श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता (विद्युत/यांत्रिक) लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ।
8. संयुक्त सचिव, आवास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. आवास अनुभाग-1
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
दीन दयाल
संयुक्त सचिव

संलग्नक

उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक विभाग, प्रशिक्षण समन्वय कोष्ठक
संख्या-1/1/96-का-प्रसको-1999
लखनऊ : दिनांक : 15 नवम्बर, 1999

कार्यालय-ज्ञाप

तीव्रगामी परिवर्तन के इस दौर में सरकारी सेवकों को जन समस्याओं के प्रति और अधिक संवेदनशील बनाने एवं मानव संसाधन को सक्षम बनाये रखने के उद्देश्य से वर्ष 1996 में राज्य सरकार द्वारा सैद्धान्तिक रूप से यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति के अनुसार राज्य की स्वतंत्र एवं पृथक प्रशिक्षण नीति तैयार की जाये प्रशिक्षण नीति के निर्माण का गुरुत्तर दायित्व उत्तर प्रदेश प्रशासन अकादमी, नैनीताल को सौपा गया तथा प्रदेश के समस्त श्रेणी के कार्मिकों को प्रशिक्षित किये जाने के उद्देश्य से समसंख्यक शासनादेश दिनांक 21 अगस्त, 1998 द्वारा उत्तर प्रदेश प्रशासन अकादमी, नैनीताल तथा उत्तर प्रदेश सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध संस्थान, लखनऊ को नोडल संस्थान नामित किया गया.

2. शासन के विभिन्न विभागों, विभिन्न संस्थानों एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञों से विचार विमर्श के उपरान्त, एतदर्थ गठित की गयी उच्च स्तरीय समितियों की संस्तुति के उपरान्त राज्य की प्रशिक्षण नीति प्राख्यापित की गयी है, उक्त प्रशिक्षण नीति एवं कार्य योजना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको उपलब्ध कराते हुए, यह भी अनुरोध है कि उक्त प्रशिक्षण नीति एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार अपने विभाग में प्रशिक्षण नीति को प्रभावी रूप से लागू कराने का कष्ट करें; प्रशिक्षण नीति के अनुरूप विभागों द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार शासनादेश/परिपत्र भी जारी किये जाने पर विचार किया जाये, इस सम्बन्ध में कठिनाई आने पर उत्तर प्रदेश प्रशासन अकादमी, नैनीताल अथवा उ0प्र0 सचिवालय प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ अथवा शासन स्थित प्रशिक्षण समन्वय कोष्ठक से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

सुधीर कुमार
सचिव कार्मिक

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त निदेशक/प्रधानाचार्य, प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
6. निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन अकादमी, नैनीताल।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

संख्या-129/9-आ-5-2000

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनाँक : 21 जनवरी, 2000

आवास अनुभाग - 5

विषय : विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के कार्मिकों की सेवा पुस्तिका खोलने एवं पी0एफ0, जी0आई0एस आदि की कटौतियों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में यह आया है कि कतिपय प्राधिकरणों द्वारा विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के तदर्थ नियुक्त कार्मिकों की सेवा पुस्तिका आदि अभी तक नहीं खोली गयी है एवं नियमानुसार पी0एफ0,जी0आई0एस0 आदि को कटौतियां भी नहीं की जा रही है। यह स्थिति ठीक नहीं है।

अतएव कृपया तदर्थ आधार पर नियुक्त विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के कार्मिकों की सेवा पुस्तिका खुलवाने एवं नियमानुसार जी0आई0एस0, पी0एफ0 आदि की कटौतियां सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

महत्वपूर्ण

संख्या-3010/9-आ-5-2000-112विविध/2000

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2 **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-2

लखनऊ : दिनाँक-17 जनवरी, 2000

विषय : वेतन समिति उ0प्र0 (1998) के चतुर्थ प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में विभिन्न पदों का दिनांक 01.01.1996 में संशोधन।

महोदय,

उत्तर प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों में विभिन्न पदों पर कार्यरत कार्मिकों के संबंध में दिनांक 01.1.1996 से पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति शासनादेश संख्या-2405/9-आ-5-98-175 ई/97, दिनांक 13.8.1998 द्वारा प्रदान की गयी थी। इस शासनादेश द्वारा विभिन्न वेतनमानों का पूनरीक्षित वेतनमान भी निर्धारित करते हुये तत्संबंधी आदेश प्रसारित किया गया था। इस शासनादेश के संलग्नक के क्रमांक - 17 पर अंकित वेतनमान रू0 3000-100-3500-125-4500 का पूनरीक्षित वेतनमान रु. 10,000-275-15200 निर्धारित किया गया था। परिक्षणोंपरान्त यह पाया गया कि उक्त पुनरीक्षित वेतनमान वास्तव में रू0 10000-325-15200 होना चाहिये। अर्थात पूर्व अंकित वेतनमान रू0 10000-275-15200 त्रुटिपूर्ण है।

2. अतएव इस संबंध में शासनादेश दिनांक 13.8.1998 में क्रमांक-17 पर अंकित वेतनमान रू0 3000-100-3500-125-4500 का पुनरीक्षित वेतनमान रू0 10000-325-15200 होगा तथा उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 13.8.1998 उपर्युक्त सीमा तक पढ़ा एवं समझा जायगा।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या-926/9-आ-5-2000-71 ई/2000

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ: दिनाँक-25 अप्रैल, 2000

आवास अनुभाग - 5

विषय : वर्ष 2000 में उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के विभिन्न संवर्गों में कार्यरत कर्मियों के वार्षिक स्थानांतरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन की वार्षिक स्थानांतरण नीति के क्रम में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी उ0 प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण की कार्यवाही पर विचार किया जाना है। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में विभिन्न माध्यमों से शासन में सीधे अनुरोध पत्र प्राप्त हो रहे है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर विभिन्न विकास प्राधिकरणों से भी कार्मिकों की व्यक्तिगत समस्याओं/ अनुरोध आदि को देखते हुये उनके स्थानांतरण संबंधी प्रार्थना पत्रों को संस्तुति सहित शासन को अग्रसारित/उपलब्ध कराया गया है। यद्यपि की सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के वार्षिक स्थानांतरण के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा नीतिगत आदेश अभी निर्गत नही हुये है किन्तु स्थानांतरण संबंधी प्रक्रिया/कार्यवाही को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने हेतु यह आवश्यक है कि इनसे संबंधित सूचनायें समय से संकलित कर ली जाये। कृपया निम्नलिखित बिन्दुओं/निर्देशों को ध्यान में रखते हुये दिनांक 10 मई, 2000 तक वांछित सूचनायें संलग्न निर्धारित प्रारूप में शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें :-

(1) विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा के कार्मिकों से उनकी समस्या/अनुरोध के दृष्टिगत उनके द्वारा इच्छित तीन स्थानों/प्राधिकरणों में स्थानांतरण का विकल्प संलग्न प्रारूप पर प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाये। कोई भी कर्मचारी दो प्रकार का विकल्प दे सकता है। वे जो स्वेच्छा से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरण चाहते है। दूसरे वे जो नीति अंतर्गत स्थानांतरण होने की स्थिति में विकल्प देना चाहते है, अन्यथा वे वर्तमान स्थान पर ही रहना चाहते है। तद्नुसार उनके समायोजन का यथा सम्भव प्रयास किया जायेगा। यहाँ पर यह स्पष्ट किया जाता है कि मात्र विकल्प प्रस्तुत किये जाने से ही किसी कार्मिक को विकल्प वाले प्राधिकरण मे तैनाती/स्थानांतरण का अधिकार प्राप्त नही हो जाता है अपितु संबंधित विकास प्राधिकरण में पद की उपलब्ध/रिक्तता, उसकी पूर्व तैनाती/कार्य आचरण आदि के दृष्टिगत इस संबंध में शासन का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

(2) मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा के कतिपय कार्मिक एक विकास प्राधिकरण से दूसरे विकास प्राधिकरण में स्थानांतरण कराने में अथवा स्थानांतरण हो जाने के पश्चात स्थानांतरण को रूकवाने हेतु या स्थानांतरण के व्यावर्तन हेतु शासन पर अनुचित दबाव एवं राजनैतिक दबाव डलवाते है जो यह न केवल सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम-27 के विरूद्ध है, वरन् कार्मिक शासनादेश के भी विरूद्ध है। अत: यदि उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा, कोई कार्मिक अपने स्थानांतरण कराने/रूकवाने/व्यावर्तन कराने के संबंध में शासन पर अनुचित दबाव/राजनैतिक दबाव डलवाता है तो, उसकी चरित्र पंजिका में आचरण नियमावली के प्राविधानों का उल्लेख करते हुए प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित कर दी जायेगी। स्थानांतरण आदेशों का

अनुपालन स्थानांतरण आदेश में उल्लिखित निर्दिष्ट तिथि तक किया जाना आवश्यक होगा। ऐसा न किए जाने की स्थिति में स्थानांतरित कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही भी की जायेगी।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या-926(1)/9-आ-5-2000- तद्दिनांक

प्रतिलिपि सचिव, समस्त विकास प्राधिकरण को इस आदेश के साथ प्रेषित कि वे शासन के उक्त आदेश को अपने विकास प्राधिकरण में उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा के समस्त कार्मिकों के मध्य परिचालित कराकर उन्हें अवगत करा दें तथा संलग्न प्रारूप पर अपेक्षित सूचना उपाध्यक्ष के अनुमोदन से शासन को प्रत्येक दशा में दिनांक 10-5-2000 तक अवश्य उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से
दीन दयाल
संयुक्त सचिव

प्रारूप

विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का नाम :

क्र0	संबंधित कार्मिक का नाम/पदनाम	गृह जनपद	प्राधिकरण में तैनाती की अवधि (वर्षवार)	तीन पूर्व तैनातियों का विवरण	उन तीन इच्छित स्थानों का नाम जिसके लिये कार्मिक द्वारा विकल्प प्रस्तुत किया गया है।	अन्य विवरण यदि कोई हो/ अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
			1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-2000			

सचिव/उपाध्यक्ष
विकास प्राधिकरण

अतिमहत्वपूर्ण

संख्या-254/9-आ-5-2001-14विविध/2001

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2 अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनाँक - 12 फरवरी, 2001

आवास अनुभाग - 5

विषय : प्राधिकरणों में विभिन्न शाखाओं के अधीन एक ही पटल पर लम्बी अवधि से कार्यरत कार्मिकों के स्थानांतरण एवं उनकी तैनाती के संबंध में नीति निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में आया है कि प्राधिकरणों के अधीन विभिन्न संवर्गों यथा-अभियंत्रण, प्रशासनिक (सम्पत्ति, नियोजन, लेखा, उद्यान, विधि आदि) में विभिन्न स्तर के कार्मिक एक लम्बी अवधि से कार्यरत है तथा पूर्व में प्राधिकरण स्तर से यदि इन्हें स्थानांतरित कर अन्यत्र तैनात करने का प्रयास किया गया है तो वे पुनः अपनी पूर्व तैनाती के स्थान पर आने हेतु ऐन-केन-प्रकारेण प्रयास करते है। इसके साथ ही एक स्थान पर कार्य करते-करते संबंधित कार्मिकों की अभिवृत्ति एवं कार्य शैली में भी सुधार नही हो पाता है। विशेष तौर से प्राधिकरणों में सम्पत्तियों के आवंटन, निस्तारण व इनके निबन्धन आदि से जुड़े कार्मिकों के एक ही पटल से लम्बी अवधि तक जुड़े रहने के कारण अनियमिततायें होने की सम्भावनायें बढ़ती है और जनता के लोगों से भी समय-समय पर इस संबंध में शिकायतें प्राप्त होती रहती है। इस प्रकार संस्था के मूलभूत उद्देश्यों एवं जनहित की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से बाधायें उत्पन्न होती है। यह स्थिति ठीक नही है। यदि समय रहते उक्त स्थिति पर प्रभावी नियंत्रण करते हुये एक ही स्थान पर लम्बी अवधि से तैनात कार्मिकों के विषय में निर्णय नही लिया जाता है तो संस्था के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की पूरी सम्भावना है।

2. उपर्युक्त के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में विभिन्न शाखाओं/अनुभागों में लम्बी अवधि से तैनात कर्मियों का तत्काल चिन्हीकरण करते हुये उन्हें हटाया जाये। इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी कार्मिक को एक सीट पर अधिकतम् 02 वर्ष (दो) तथा शाखा/अनुभाग में तीन वर्ष (03) तक रखा जाये। उक्त अवधि से अधिक की अवधि से कार्यरत कार्मिकों को हटाये जाने के उपरान्त उन्हें किसी भी परिस्थिति में पूर्व तैनाती के स्थान नही रखा जाये। इन आदेशों का कढ़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा इस संबंध में त्रैमासिक सूचना शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाये।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या - 254/9-आ-5-2001-14 विविध/2001-तद्दिनांक

प्रतिलिपि - समस्त विकास प्राधिकरणों के अध्यक्षों को इस अनुरोध के साथ कि इसके अनुपालन की समीक्षा अपने स्तर पर कर लें।

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

अतिमहत्वपूर्ण

संख्या-253/9-आ-5-2001-12ई/2001

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

2. **अध्यक्ष,**
   समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग - 5

लखनऊ: दिनाँक : 17 फरवरी, 2001

विषय : उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित/अकेन्द्रीयत सेवा के कार्मिकों द्वारा अर्जित चल-अचल सम्पत्तियों का वार्षिक विवरण दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश. हुआ है कि सेवा में कार्यरत कार्मिकों के कार्य के साथ-साथ उनके आचरण का भी सम्यक महत्व है और इसी के क्रम में प्रत्येक कार्मिक एवं उसके परिवार द्वारा अर्जित चल-अचल सम्पत्ति/क्रय आदि का विवरण प्राप्त किया जाना आवश्यक है। उक्त के संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक कार्मिक अपनी चल-अचल सम्पत्ति का ब्यौरा निर्धारित प्रपत्र पर प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी तक उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण को प्रेषित करेगा। इस वर्ष यह ब्यौरा 01 मार्च, 2001 तक उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जायेगा। उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण वेतनमान 1000-325-15200 तक तथा इससे उच्चवेतनमान के केन्द्रीयित सेवा के कार्मिकों द्वारा अर्जित चल-अचल सम्पत्ति का वार्षिक विवरण शासन को उपलब्ध करायेंगे। इस वेतनमान से नीचे वेतनमान में कार्यरत केन्द्रीयित/अकेन्द्रीयित सेवा के कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत चल-अचल सम्पत्ति का विवरण अपने स्तर से परीक्षण कर उनकी व्यक्तिगत पत्रावली में रखेंगे। यह परीक्षण करें यदि कोई सम्पत्ति अर्जित उस वर्ष विशेष में की गयी है तो अर्जित सम्पत्ति हेतु वांछित धन के स्रोत आदि की स्थिति भी स्पष्ट है अथवा नहीं ? क्रय/विक्रय की गयी सम्पत्ति के संबंध में आचरण नियमावली अनुसार पूर्व विभागाध्यक्ष/नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व स्वीकृति प्राप्त की गयी है अथवा नहीं ? क्रय/विक्रय की गयी सम्पत्ति के संबंध में आचरण नियमावली अनुसार पूर्व विभागाध्यक्ष/नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व स्वीकृति प्राप्त की गयी है अथवा नहीं, को भी देखा जाना आवश्यक है।

2. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि जो अधिकारी/कर्मचारी सम्पत्ति निष्तारण आदि से संबंधित कार्य देखते है उनके द्वारा निकट सम्बंधियों यथा-पति-पत्नी के माता-पिता अथवा भाई-बहन (सौतेले भाई भी सम्मिलित है) द्वारा भी उसी विकास प्राधिकरण में ली गई सम्पत्तियों का ब्यौरा भी निर्धारित प्रपत्र में दिया जायेगा। प्रस्तुत विवरण को इस दृष्टि से देखे जायेंगे कि सम्पत्ति प्रबन्धन में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपने सगे संबंधियों को नियमों/प्रक्रियाओं के बीच जाकर आउट-आफ-टर्न आवंटन आदि तो नहीं कराया गया। विकास प्राधिकरणों के संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपने सगे संबंधियों को अपने प्रभाव का दुरूपयोग करते हुये, आउट-आफ-टर्न भवन/ भूखण्ड यदि आवंटित किया गया है और इसकी जानकारी/संज्ञान प्राप्त हो तो अपने स्तर से कार्यवाही करेंगे यदि संबंधित कार्मिक केन्द्रीयित सेवा के है, उनके विरूद्ध कार्यवाही प्रस्ताव शासन को उपलब्ध करायें ताकि शासन स्तर पर उनके विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकें।

अधिकारियों/कर्मचारियों पर अंकुश लगाने के दृष्टिकोण से शासन ने इस मामले में समुचित विचारोपरान्त निम्न निर्णय किया है:-

(1) यदि भविष्य में शासन को इस बात की सूचना प्राप्त होती है और जांच से सत्यापित होती है कि किसी अधिकारी/कर्मचारी ने क्रय/विक्रय की गयी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण यदि उपरोक्त व्यवस्थानुसर समय से उपलब्ध नहीं कराया है तो प्रथम दृष्टया यह समझा जायेगा कि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा यह सम्पत्ति अवैध रूप से अर्जित की गई है और तदनुसार उसके विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक/अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

(2) विभागाध्यक्ष/नियुक्ति प्राधिकारी का भी यह दायित्व होगा कि वह संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से उसकी सम्पत्ति का, प्राविधिक वित्तरण (**Periodical Statement**) प्राप्त कर यह सुनिश्चित करे कि अधिकारी/कर्मचारी द्वारा यह विवरण नियमानुसार प्रस्तुत किया गया है। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी निर्धारित अवधि में यह विवरण प्रस्तुत नहीं करता है तो संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की वार्षिक प्रविष्टि में इस बात का उल्लेख भी किया जायेगा।

आपसे अनुरोध है कि आप कृपया उक्त नियम के प्राविधानों एवं शासन के उक्त निर्णय को अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी में तुरन्त ला दें और यह सुनिश्चित कर लें कि इसका कड़ाई से अनुपालन हो रहा है। उन्हें यह भी सचेत कर दें कि यदि कोई सरकार अधिकारी/कर्मचारी उक्त नियम का उल्लंघन करता हुआ पाया जायेगा तो इसे कठोर दृष्टि से देखा जायेगा। साथ ही साथ कृपया यह भी सुनिश्चित कर लें कि इस मामले में आपके द्वारा उपरोक्त प्रस्तर-3(2) के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या 253(1)/9-आ-5-2001-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निजी सचिव, आयुक्त एवं प्रमुख सचिव आवास एवं नगर विकास विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय
दीन दयाल
संयुक्त सचिव

(दिनांक 01 जनवरी, ...को)

अचल सम्पत्तियों का विवरण वर्ष .....

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा सेवा का नाम, जिससे कार्मिक संबंधित है :-.....
2. वर्तमान पद :-.....
3. संवर्ग व सेवा में आने की तिथि :-.....
4. वर्तमान वेतन :-.....

जिला, परगना, तालिका व गांव का नाम जहां पर सम्पत्ति स्थित है।	सम्पत्ति का नाम व विस्तृत ब्यौरा		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम ही है, किसके नाम है तथा उससे कार्मिक का संबंध	कैसे अर्जित/ प्राप्त किया गया क्रय, लीज मार्गेज, पैतृक सम्पत्ति, उपहार अथवा अन्य (कब्जे की तिथि तथा संबंधित व्यक्तियो का नाम जिनसे प्राप्त किया गया)	सम्पत्तियों से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	आवास एवं अन्य भवन	जमीन					
1	2	3	4	5	6	7	8

नोट :-

1. यदि सम्पत्ति के मूल्य का सही-सही एवं पूर्ण मूल्य अंकित किया जाना सम्भव नहीं हो तो उसकी वर्तमान दशा के परिप्रेक्ष्य में अनुमानित मूल्य दिया जाये।
2. प्रत्येक कार्मिक द्वारा समस्त अचल सम्पत्तियाँ जो क्रय, अर्जित अथवा वंशानुगत आधार पर स्वयं अथवा परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम प्राप्त की गई हों, का विवरण प्रत्येक वर्ष की पहली जनवरी को अवश्य प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
3. इसी प्रकार प्रत्येक कार्मिक द्वारा निकट संबंधियों यथा-पति-पत्नी के माता-पिता, भाई-बहन (सौतेले भाई भी सम्मिलित है) के नाम उसी विकास प्राधिकरण में प्राप्त/क्रय की गई अचल सम्पत्तियों का भी वार्षिक विवरण अंकित कर प्रस्तुत किया जायेगा।
4. यह विवरण-पत्र तीन प्रतियों में भरा जायेगा।

हस्ताक्षर .....

दिनांक .....

गोपनीय/आवश्यक

अर्धशा0प0सं0-107/9-आ-5-2001-7विविध/2001

सचिव,
उ0प्र0 शासन,
आवास अनुभाग-5

लखनऊ : दिनाँक - 20 फरवरी, 2001

प्रिय महोदय,

शासन द्वारा सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर अनिवार्य सेवा-निवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग की कार्यवाही के निर्देश निर्गत किये गये है। उल्लेखनीय है कि वित्तीय-हस्तपुस्तिका खण्ड-2, भाग-2 से 4 तक में प्रकाशित ''मूल नियम-56 में यह व्यवस्था की गयी है कि 50 वर्ष की आयु प्राप्त किसी सरकारी सेवक को उसके नियुक्त प्राधिकारी द्वारा बिना कोई कारण बताये तीन मास की नोटिस अथवा तीन मास का वेतन देकर जनहित में अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्त किया जा सकता है।' उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1985 के नियम-34(2) में भी उपरोक्तानुसार व्यवस्था की गयी है।

2. उपर्युक्त के क्रम में मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उ0प्र0 विकास प्राधिकरण अकेन्द्रीयित सेवा व केन्द्रीयित सेवा के कार्मिकों की स्क्रीनिंग निम्न व्यवस्था अन्तर्गत की जायेगी :-

स्क्रीनिंग कमेटी का गठन

(अ) **अकेन्द्रीयित सेवा**

उ0प्र0 विकास प्राधिकरण अकेन्द्रीयित सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों की स्क्रीनिंग हेतु संबंधित उपाध्यक्षों/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्क्रीनिंग कमेटी का गठन निम्न प्रकार किया जायेगा :-

(1)	संबंधित विकास प्राधिकरण के सचिव	अध्यक्ष
	सचिव की अनुपलब्धता में समूह ''क'' का वरिष्ठ अधिकारी जो नामित सदस्यों से वरिष्ठ हों।	सदस्य
(2)	नियुक्ति प्राधिकारी/उपाध्यक्ष द्वारा निमित्त नामित दो वरिष्ठ अधिकारी जो नामित सदस्यों से वरिष्ठ हों।	

(ब) **केन्द्रीयित सेवा**

उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के विभिन्न संवर्गों में कार्यरत कार्मिकों की स्क्रीनिंग हेतु उ0प्र0 के समस्त विकास प्राधिकरण को तीन जोनों में बांटकर स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

क्र0	जोन	सम्बद्ध विकास प्राधिकरण/ विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	स्क्रीनिंग हेतु गठित समिति
1	पूर्वी	इलाहाबाद, वाराणसी, अयोध्या फैजाबाद, गोरखपुर, बांदा, विन्ध्याचल, चित्रकूट	उपाध्यक्ष इलाहाबाद/क्षेत्र के वरिष्ठतम मुख्य अभियंता/ मुख्य लेखाधिकारी।
2	पश्चिम	गाजियाबाद, मेरठ हापुड़- पिलखुआ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा अलीगढ़, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद	उपाध्यक्ष, गाजियाबाद तदैव
3.	मध्य	लखनऊ, कानपुर, रायबरेली, उन्नाव, शुक्लागंज, बरेली, झांसी।	उपाध्यक्ष, लखनऊ तदैव

शासन द्वारा उपरोक्त गठित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा सम्बद्ध विकास प्राधिकरण के समस्त केन्द्रीयित सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों की स्क्रीनिंग हेतु संस्तुति संवर्गवार शासन (सचिव आवास) को उपलब्ध करायेंगे। उक्त स्क्रीनिंग कमेटी की आख्या/संस्तुति प्राप्त होने पर शासन स्तर पर विचार करके निर्णय लिया जायेगा।

विचारणीय-अभिलेख

(3) अनिवार्य सेवा-निवृत्ति का निर्णय लेने के लिये यद्यपिसंबंधित सेवक/कार्मिक के सम्पूर्ण सेवा काल के समस्त अभिलेख देखे जाने चाहिए तथापि विशेष बल अन्तिम 10 वर्ष अभिलेखों पर दिया जाना चाहिए और इस दृष्टिकोण से निर्णय लिया जाना चाहिए कि संबंधित सेवक की दक्षता/सत्यनिष्ठा का स्तर क्या ऐसा है, जिसके आधार पर उसे जनहित में अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्ति किया जाना चाहिए।

(4) (1) अकेन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की कार्यवाही सम्पन्न कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व नियुक्ति प्राधिकारी/उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण को होगा।

(2) केन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों के संदर्भ में उपरोक्तानुसार गठित स्क्रीनिंग समिति पृथक-पृथक बैठकें कर संवर्गवार अपनी संस्तुति शासन को उपलब्ध करायेंगी।

कार्यवाही की समय-सारिणी

(5) (1) इस वर्ष स्क्रीनिंग का कार्य प्रत्येक दशा में मार्च 2001 तक पूर्ण किया जाना है अत: 01 मार्च 2001 तक अकेन्द्रीयित सेवा कार्मिकों की स्क्रीनिंग का कार्य अवश्य पूर्ण कर लिया जाये और केन्द्रीयित सेवा के कार्मिकों के संबंध में संस्तुतियां 15-7-2001 तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दी जाये।

(2) स्क्रीनिंग की कार्यवाही प्रतिवर्ष उस अधिकारी/कर्मचारी के विषय में होगी जिसने 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो।

(3) यथासम्भव प्रतिवर्ष नवम्बर के अन्त तक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक अवश्य कर ली जाये।

(6) (1) अनिवार्य सेवा-निवृत्ति हेतु की गयी स्क्रीनिंग से संबंधित वार्षिक सूचना संलग्न निर्धारित प्रपत्र में भेजी जायेगी।

(2) ऐसे कर्मचारियों को सेवा-निवृत्त किये जाने का आलेख्य जिनके नियुक्त अधिकारी राज्यपाल से भिन्न है, के संबंध में आदेशों का आलेख्य संलग्न है।

स्क्रीनिंग कमेटी की विधिक स्थिति

स्क्रीनिंग कमेटी का कोई विधिक स्ट्रेटस नहीं होगा वे केवल संबंधित नियुक्ति अधिकारी के समाधान में सहायता के लिए होगी व उनकी कार्यवाहियां भी अनौपचारिक होंगी। अनिवार्य सेवा-निवृत्ति का निर्णय लेने का अधिकार नियुक्त प्राधिकारी में सन्निहित है अत: वे ऐसे कर्मचारी/अधिकारी की सेवा निवृत्ति का निर्णय भी ले सकते है। जिनके मामले में स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष न प्रस्तुत किये जा सके हों।

(8) अनुरोध है कि कृपया तत्काल उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा इस विषय में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये।

अभिवादन,

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

1. **उपाध्यक्ष (नाम से)**
   विकास प्राधिकरण।

2. **अध्यक्ष (नाम से)**
   विशेष-क्षेत्र विकास प्राधिकरण।

अनिवार्य सेवा निवृत्ति हेतु की गयी स्क्रीनिंग से सम्बन्धित वार्षिक सूचना
वर्ष 2000–2001

क्रमांक	कार्मिकों की श्रेणी	50 वर्ष की आयु प्राप्त कार्मिकों की कुल संख्या	स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष विचारार्थ रखे गये कार्मिकों की कुल संख्या	कार्मिकों की कुल संख्या जो स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अनिवार्य सेवा निवृत्ति के योग्य समझे जाये	अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किये ये कार्मिकों की कुल संख्या	स्क्रीनिंग कमेटी के विचार से सहमत न होने के संक्षिप्त कारण	स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रखे बिना नियुक्त प्राधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किये गये कार्मिकों की कुल संख्या, यदि कोई हो	अन्य विवरण यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ऐसे कर्मचारियों को सेवानिवृत्त किये जाने के प्रालेख, जिसके नियुक्त प्राधिकारी राज्यपाल से कोई भिन्न अधिकारी है।

नोटिस का प्रालेख

समय-समय पर यथा संशोधित फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड-2, भाग 2 से 4 तक में दिये फण्डामेन्टल रूल 56 के खण्ड (सी) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके मै (*)..... जो उस पद और श्रेणी का नियुक्ति अधिकारी हूं, जिस पर आप आरूढ़ है एतद्द्वारा नोटिस देकर आपसे लोकहित में अपेक्षा करता हूं कि आप ('*).....इस नोटिस के आप पर तामिल होने के दिनांक से तीन महीने समाप्त होने पर सेवा निवृत्त हो जाये।

नियुक्ति प्राधिकारी के
हस्ताक्षर तथा पदनाम

(*) यहां पर नियुक्ति प्राधिकारी का नाम तथा पद नाम लिखा जाये।

('*) यहां पर सरकारी कर्मचारी का नाम तथा पदनाम लिखा जाये (यदि उक्त पद जिस पर वह कार्य कर रहा हो, स्थानापन्न हो, तो उसका इसी रूप में उल्लेख किया जाना चाहिए।)

नोटिस की आंशिक अवधि के बदले में वेतन देकर सेवा निवृत्त किये जाने के आदेश का प्रालेख

फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड 2, से 4 तक में दिये गये अद्यावधिक संशोधित फण्डामेंटल रूल 5 के खण्ड (सी) के अन्तर्गत श्री (*).....(जिन्हें आगे उक्त व्यक्ति कहा गया है,) को दी गयी नोटिस दिनांक .....के क्रम में (**). .....जो उस पद और श्रेणी का नियुक्ति प्राधिकारी हूं जिस पर उक्त व्यक्ति आरूढ़ है, लोकहित में आदेश देता हूं कि उक्त व्यक्ति इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक के अपरान्ह से सेवानिवृत्त होंगे और वे नोटिस की शेष अवधि के स्थान पर उसी दर अपने वेतन तथा भत्ते यदि कोई हो, के बराबर धन के दावेदार होने के हकदार होंगे जिस दर पर वह उसकी अपनी सेवा नियुक्ति के ठीक पूर्व पा रहे थे।

नियुक्ति प्राधिकारी का हस्ताक्षर
तथा पदनाम।

(*) कर्मचारी का नाम व पदनाम।

('*) नियुक्ति प्राधिकारी का नाम व पदनाम।

नोटिस की कुल अवधि के बदले में वेतन देकर सेवा निवृत्त किये जाने के आदेश का प्रालेख

फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड 2, भाग-2 से 4 तक में दिये गये अद्यावधिक संशोधित फण्डामेंटल रूल 56 के खण्ड (सी) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके मै (*).....जो उस पद और श्रेणी का नियुक्ति प्राधिकारी हूं, जिस पर श्री ('*)..... आरूढ़ है, लोकहित में आदेश देता हूं कि श्री ('*).....इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक के अपरान्ह से सेवानिवृत्त हो जायेंगे तथा तीन माह की अवधि के लिये वह उसी दर पर अपने वेतन और भत्ते, यदि कोई हों, की धनराशि के बराबर धन के दावेदार होने के हकदार होंगे जिस पर वह उनकी अपनी सेवा निवृत्ति के ईक पहले पा रहे थे।

नियुक्ति प्राधिकारी का हस्ताक्षर
तथा पदनाम।

*) नियुक्ति प्राधिकारी का नाम तथा पदनाम, यदि प्राधिकारी राज्यपाल से भिन्न हों।

**) कर्मचारी का नाम

ऐसे कर्मचारियों को सेवानिवृत्त किये जाने के प्रालेख, जिसके नियुक्त प्राधिकारी राज्यपाल है

नोटिस का प्रालेख

समय-समय पर यथा संशोधित फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड-2, भाग 2 से 4 तक में दिये फण्डामेन्टल रूल 56 के खण्ड (सी) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके मै (*)..... जो उस पद और श्रेणी का नियुक्ति अधिकारी हूं, जिस पर आप आरूढ़ है एतद्द्वारा नोटिस देकर आपसे लोकहित में अपेक्षा करता हूं कि आप ('*).....इस नोटिस के आप पर तामिल होने के दिनांक से तीन महीने समाप्त होने पर सेवा निवृत्त हो जाये।

नियुक्ति प्राधिकारी के
हस्ताक्षर तथा पदनाम

(*) यहां पर सरकारी कर्मचारी का नाम तथा पदनाम लिखा जाये (यदि उक्त पद जिस पर वह कार्य कर रहा है स्थानापन्न हो, तो इसी रूप में इसका उल्लेख कर दिया जाना चाहिए।)

नोटिस की आंशिक अवधि के बदले में वेतन देकर सेवा निवृत्त किये जाने के आदेश का प्रालेख

फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड 2, भाग-2 से 4 तक में दिये गये अद्यावधिक संशोधित फण्डामेंटल रूल 56 के खण्ड (सी) के अन्तर्गत श्री (*)..... (जिन्हें आगे उक्त व्यक्ति कहा गया है) को दी गई नोटिस दिनांक .....के क्रम में राज्यपाल ने लोकहित में आदेश दिया गया है कि उक्त व्यक्ति इस आदेश के जारी होने के दिनांक के अपरान्ह से सेवा निवृत्त होंगे और वे नोटिस की शेष अवधि के स्थान पर उसी दर अपने तथा भत्ते, यदि कोई हों, के बराबर धन के दावेदार होने के हकदार होंगे जिस दर पर वह उनको अपनी निवृत्ति के ठीक पूर्व पा रहे थे।

अधीन अधिकारों का प्रयोग करके मै (*).....जो उस पद और श्रेणी का नियुक्ति प्राधिकारी हूं, जिस पर श्री (*)..... आरूढ़ है, लोकहित में आदेश देता हूं कि श्री ('*).....इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक के अपरान्ह से सेवानिवृत्त हो जायेंगे तथा तीन माह की अवधि के लिये वह उसी दर पर अपने वेतन और भत्ते, यदि कोई हों, की धनराशि के बराबर धन के दावेदार होने के हकदार होंगे जिस पर वह उनकी अपनी सेवा निवृत्ति के ठीक पहले पा रहे थे। (*).....

राज्यपाल की आज्ञा से,
सचिव

नोटिस की कुल अवधि के बदले में वेतन देकर सेवा निवृत्त किये जाने के आदेश का प्रालेख

फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड 2, भाग-2 से 4 तक में दिये गये अद्यावधिक संशोधित फण्डामेंटल रूल 56 के खण्ड (सी) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल ने लोकहित में, आदेश है कि श्री (*).....इस आदेश के जारी होने के दिनांक के अपरान्ह से सेवानिवृत्त हो जायेंगे तथा तीन माह की अवधि के लिये वह उसी दर पर अपने वेतन और भत्ते, यदि कोई हो, की धनराशि के बराबर धन के दावेदार होंगे जिस पर वह उनको अपनी सेवा निवृत्ति से ठीक पूर्व पा रहे थे।

राज्यपाल की आज्ञा से
सचिव।

(*) उस कर्मचारी का नाम व पदनाम जिस पर आदेश तामील होता है।

संख्या-1272/9-आ-5-2001-123/2001

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2 **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग - 5

लखनऊ : दिनाँक - 24 मई, 2001

विषय : विभिन्न विकास प्राधिकरणों के अकेन्द्रीयित व केन्द्रीयित सेवा के अधिकारियों/कार्मिकों के प्रथम नियुक्ति के समय चल एवं अचल सम्पत्तियों का विवरण उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण के संबंध में विधान सभा के प्रथम सत्र, 2001 के चौथे शुक्रवार हेतु निर्धारित मा0 सदस्य श्री रामचन्द्र यादव द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या-85 का उत्तरालेख एवं अनुपूरक सामग्री उपलब्ध कराये जाने के विषय में शासन के पत्र संख्या-16 ए.क्यू./9-आ-5-2001-15ए क्यू-2001, दिनांक 18.5.2000 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने प्राधिकरणों से संबंधित केन्द्रीयित/अकेन्द्रीयित सेवा के अधिकारियों एवं कार्मिकों के द्वारा सेवा में आने के समय चल एवं अचल सम्पत्तियों का विवरण-प्रत्येक दशा में दिनांक 30.6.2001 तक शासन को उपलब्ध कराया जाये। यदि इस अवधि के दौरान उपरोक्त के विषय में सूचना शासन को उपलब्ध नही करायी जाती है तो संबंधित उपाध्यक्ष/सचिव के विरूद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए शासन के द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी

3. यह प्रकरण अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है। अत: इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए निर्धारित अवधि के भीतर शासन को आख्या/सूचना प्रेषित की जाये।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

अतिमहत्वपूर्ण

संख्या-1553/9-आ-5-2001-5स्था/2

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनाँक : 10 जून, 2001

आवास अनुभाग - 5

विषय : उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के अन्तर्गत अधिशासी/सहायक/अवर अभियंताओं का विभिन्न विकास प्राधिकरणों में निर्माण एवं विकास व्यय के आधार पर पदों का निर्धारण

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त पूर्व में जारी शासनादेशों को अतिक्रमित करते हुए उप0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के अन्तर्गत अभियंत्रण संवर्ग में सृजित अधिशासी/सहायक/अवर अभियंताओं के पदों को प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में निर्माण एवं विकास कार्यों के आधार पर संलग्न सूची के अनुसार आवंटित किया जाता है। इस प्रकार सम्भव है कि प्राधिकरणों में अब उपलब्ध होने वाले पदों से भिन्न हो जायें। यह इसलिए आवश्यक हो गया है क्योंकि नये प्राधिकरणों के लिए कोई नये पद सृजित नही किये जा रहे है, पूर्व सृजित पदों को ही पुर्नावंटित कर उपलब्ध कराया जा सकता है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय
अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

आवास अनुभाग - 5

संख्या 2639/9-आ-5-2001/80ई/2001

लखनऊ : दिनांक 27 सितम्बर, 2001

कार्यालय ज्ञाप

उ0 प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा (सातवां संशोधन) 2001 द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था के क्रम में उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा में दिनांक 29.6.1991 से पूर्व सीधी भर्ती के तदर्थ रूप से तैनात सहायक अभियंताओं को विनियमित किये जाने के संबंध में विचार किये जाने हेतु श्रीराज्यपाल महोदय एक विभागीय चयन समिति निम्नवत् गठित किये जाने के आदेश प्रदान करते है :-

1.	प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन आवास विभाग	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव, कार्मिक अथवा उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव स्तर से कम न हो	सदस्य
3.	श्री दिवाकर त्रिपाठी, उपाध्यक्ष, लखनऊ वि0प्राधिकरण	सदस्य
4.	श्री, अरविन्द सोनकर संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
5.	श्री जगन्नाथ पाल, संयुक्त सचिव, महिला कल्याण विभाग	सदस्य
6.	श्री ललित किशोर मेहरोत्रा, मुख्य अभियंता आवास-बन्धु, जनपथ मार्केट लखनऊ।	सदस्य

2. उपरोक्तानुसार गठित विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 27.9.2001 को सायं 4.00 बजे प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास विभाग के बापू भवन स्थित कार्यालय कक्ष संख्या-324 में आयोजित की गयी थी। अपरिहार्य कारणों से, उक्त बैठक को स्थगित करते हुये अब इसे दिनांक 29.9.2001 को पूर्वान्ह 11.00 बजे प्रमुख सचिव, आवास विभाग के बापू भवन स्थित कार्यालय कक्ष संख्या-324 में आयोजित किया गया है। कृपया निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित होकर आयोजित चयन समिति में भाग लेने का कष्ट करें।

अरविन्द सोनकर
संयुक्त सचिव

संख्या - 2639(1)/9-आ-5-2001 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ।
3. श्री अरविन्द सोनकर, संयुक्त सचिव, आवास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. श्री जगन्नाथ पाल, संयुक्त सचिव, महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. श्री ललित किशोर मेहरोत्रा, मुख्य अभियंता, आवास बन्धु, जनपथ मार्केट हजरतगंज लखनऊ।
6. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आवास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरविन्द सोनकर
संयुक्त सचिव

समयबद्ध/शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-779/9-आ-5-2001-43 डब्लूई/2000

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनाँक : 19 अप्रैल, 2001

आवास अनुभाग - 5

विषय : मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली, तथा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा समय-समय पर पारित निर्णय/आदेशों के क्रम में प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में दैनिक वेतन/वर्कचार्ज/संविदा पर कार्यरत अवर अभियंताओं के विनियमितीकरण हेतु सूचना/सामग्री उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में दैनिक वेतन/वर्कचार्ज/संविदा पर प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर अवर अभियंताओं के पदों पर नियुक्तियां की गयी है। वर्ष 1991 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त अभियंताओं को विनियमितीकरण के सम्बन्ध में विस्तृत आदेश पारित किये गये थे। इसी क्रम में वर्ष 1992 में मेरठ विकास प्राधिकरण के कतिपय दैनिक वेतन अभियंताओं द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर की गयी रिट याचिका में भी कतिपय आदेश पारित हुये। कालान्तर में शासन द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अनुक्रम एवं अनुपालन में न्यायिक बाध्यता होने के फलस्वरूप वर्ष 1997 में विभागीय स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से अवर अभियंताओं के विनियमितीकरण की कार्यवाही करते हुये सफल अभ्यर्थियों के परिणाम भी घोषित किये गये। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं लखनऊ में योजित कतिपय रिट याचिकाओं में पारित विभिन्न आदेशों के कारण शासन द्वारा मामले में अग्रेतर नियुक्तियां नहीं प्रदान की जा सकी इसके बाद मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 8.9.1997 द्वारा उक्त चयन प्रक्रिया एवं परिणाम को निरस्त कर दिया गया, जिसके विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा 05 विशेष अपीलें दाखिल की गयी। उक्त विशेष अपीलें 17 अन्य विशेष अपीलों के साथ मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णय/आदेश दिनांक 26.6.2000 द्वारा अन्तिम रूप से निसतारित की गयी।

2. उपर्युक्त के क्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मा0 उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय/आदेश दिनांक 26.6.2000 के विरूद्ध मा0 सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अपील रिट दाखिल की गयी, जिसमें मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 5.1.2001 को कतिपय आदेश भी पारित किये गये है परन्तु मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश स्थगित नहीं किये गये है फलस्वरूप इनको क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है।

3. मा0 सर्वोच्च न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेशों के आलोक में प्रश्नगत अवर अभियंतागण को तदर्थ मानते हुये उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा नियमावली, तृतीय संशोधन के नियम-20-ए के अन्तर्गत विनियमितीकरण पर विचार किया जाना आशयित है। इस हेतु मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदश दिनांक 26.6.2000 के क्रम में नियम-20ए में आवश्यक एवं अपेक्षित संशोधन तथा प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के तदर्थ एवं दैनिक

वेतन/वर्कचार्ज/संविदा पर कार्यरत अवर अभियंताओं के सम्बन्ध में सूचना/सामग्री संकलित कर विनियमितीकरण के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही पर विचार किया जा रहा है। नियमावली संशोधन करने के सम्बन्ध में शासन स्तर पर अलग से कार्यवाही प्रचलित है।

4. उपर्युक्त के आलोक में कृपया संलग्न प्रपत्रों (प्रपत्र-1, प्रपत्र-2) में दिनांक 29.6.1991 तक तदर्थ आधार पर एवं दैनिक वेतन/वर्कचार्ज/संविदा पर नियुक्त किये गये तथा वर्तमान में कार्यरत अवर अभियंताओं के सम्बन्ध में वांछित सूचना/सामग्री शासन को दिनांक 30.4.2001 को किसी भिज्ञ अधिकारी/कर्मचारी के साथ भेजकर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। सूचना सचिव द्वारा हस्ताक्षरित होगी। प्रपत्र-1 में तदर्थ अभियंताओं तथा प्रपत्र-2 में दैनिक वेतन/वर्कचार्ज/संविदा पर नियुक्त एवं वर्तमान में कार्यरत अवर अभियंताओं की सूचना उपलब्ध करायी जाये।

कृपया उपर्युक्त कार्य को शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करते हुय वांछित सूचनायें निर्धारित अवधि में अवश्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: प्रपत्र-1, प्रपत्र-2

भवदीय
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

प्रारूप – "एक"

संख्या–779/9–आ–5–2001–43डब्लूई/2000 संलग्नक।

उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के विभिन्न संवर्गों में दिनांक 01.01.1986 से दिनांक 29.06.1991 तक तदर्थ नियुक्त (सीधी भर्ती से) एवं वर्तमान में कार्यरत कार्मिकों का विवरण

विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का नाम

क्र0 सं0	नाम	पिता का नाम	गृह–जनपद	जन्म तिथि	अर्हकारी शैक्षिक योग्यता	श्रेणी व प्रतिशत्	अतिरिक्त शैक्षिक अर्हता (सिविल/इलै0 इन्जी0 डिग्री/ ए0एम0आई0ई)	पदनाम	नियुक्ति कार्यभार ग्रहण की तिथि	वर्ग सामान्य/ अनु0 जाति जनजाति अन्य पिछड़ा–वर्ग	दण्ड का विवरण चेतावनी, विभागीय कार्यवाही, प्रतिकूल प्रविष्टि/ एफ0आई0 आर0	कार्य व आचरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

प्रारूप– "दो"

संख्या–779/9–आ–5–2001–43डब्लूई/2000 का संलग्नक

विभिन्न विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में दिनांक 29–06–1991 तक दैनिक वेतन/वर्कचार्ज/संविदा पर नियुक्त एवं वर्तमान में कार्यरत अवर अभियंताओं का विवरण

विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का नाम .....

क्र0 सं0	नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	गृह–जनपद	अर्हकारी शैक्षिक अर्हता	श्रेणी व प्रतिशत	अतिरिक्त शैक्षिक अर्हता (सिविल/इलै0इंजी0 डिग्री/ए.एम.आई.ई.)	पद	कार्यभार ग्रहण की तिथि	वर्तमान में कार्यरत हैं अथवा नहीं	प्रत्येक वर्ष में 240 दिन कार्य किये हैं या नहीं।	वर्ग सामान्य, अनु0जाति/जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग	दण्ड चेतावनी, एफ0आई0आर0 आदि।	कार्य व आचरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

महत्वपूर्ण

संख्या-517/9-आ-5-2001-204 ई/99

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ: दिनाँक : 7 मार्च, 2001

आवास अनुभाग - 5

विषय : उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण अकेन्द्रीयित सेवा के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में दैनिक वेतन/वर्कचार्ज पर दिनांक 29 जून, 1991 के पहले के नियुक्त तथा अब तक कार्यरत कर्मियों के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में शासनादेश संख्या-1102/9-आ-5-98, दिनांक 13 अप्रैल, 1998 द्वारा दैनिक वेतन तथा वर्कचार्ज पर दिनांक 29.12.1989 तक नियुक्त/कार्यरत कर्मियों के विनियमितीकरण की कार्यवाही के आदेश निर्गत किए गए थे। मामले में शासन द्वारा पुर्नविचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में अकेन्द्रीयित सेवा के अधीन समूह -''ग'' व समूह - ''घ'' के पदों पर दिनांक 29.06.1991 तक दैनिक वेतन/वर्कचार्ज पर नियुक्त/कार्यरत कर्मियों का विनियमितीकरण किया जाये। इस प्रकार शासनादेश दिनांक 13 अप्रैल, 1998 द्वारा अकेन्द्रीयित सेवा के पदों के सापेक्ष कार्यरत कर्मियों के विनियमितीकरण हेतु निर्धारित कट-आफ-डेट 29 दिसम्बर, 1989 को निरस्त समझा जाये और उसके स्थान पर दिनांक 29 जून, 1991 कट-आफ-डेट प्रभावी/लागू समझा जाये।

2. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 13 अप्रैल, 1988 में प्राविधानित अन्य शर्तें/मार्ग दर्शक सिद्धान्त पूर्ववत्/यथावत बने रहेंगे।

साथ ही यह सुनिश्चित किया जाये कि शासन के उपर्युक्त आदेशों के अनुपालन में ही अकेन्द्रीयित सेवा के पदों के सापेक्ष कार्यरत दैनिक वेतन/ वर्कचार्ज कर्मियों के विनियमितीकरण की कार्यवाही की जाये।

शासनादेश संख्या-1102/9-आ-5-98, दिनांक 13 अप्रैल, 1998 को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित पढ़ा व समझा जाये।

भवदीय

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या-2346/9-आ-5-2000(आ0ब0)

प्रेषक,

संजय भूसरेड्डी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

1. **उपाध्यक्ष**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. **नियन्त्रक प्राधिकारी,**
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

3. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग - 5

लखनऊः दिनाँक : 31 अगस्त, 2001

विषय : विकास प्राधिकरणों में जॉब बेसिस के आधार पर कम्प्यूटर से कार्य कराए जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 3406/9-आ-5-2000 दिनांक 18 अगस्त, 2000 के अधीन विकास प्राधिकरणों में जॉब बेसिस पर कम्प्यूटर से डाटा इन्ट्री तथा प्रोग्रामिंग के समस्त कार्यों के लिए क्रमशः रु0 2000/- तथा रु0 3000/- प्रति मानव माह की दर से भुगतान किए जाने की व्यवस्था की गई थी। कतिपय विकास प्राधिकरणों द्वारा शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि वाह्य कम्प्यूटर साफ्टवेयर कन्सलटेन्सी फर्मों से उक्त दर पर डाटा इन्ट्री आपरेटर अथवा कम्प्यूटर प्रोग्रामर की सेवाएं प्राप्त नही हो रही है, अतः उक्त दरों को बढ़ाया जाना आवश्यक है।

2. इस सम्बन्ध में पूर्व मे जारी शासनादेश दिनांक 18 अगस्त, 2000 के अनुक्रम एवं आंशिक संशोधन में तात्कालिक प्रभाव से जाब बेसिस (**Job Basis**) के आधार पर कार्य की प्रकृति के दृष्टिगत न्यूनतम अर्हताएं एवं अनुभव तथा अधिकतम पारिश्रमिक की सीमा निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

क्र.सं.	पदनाम	अर्हता एवं अनुभव	प्रति मानद दिवस	प्रति मानव माह
1.	डाटा इंट्री आपरेटर	**6 Months Certificate in Computers with one year's experience**	85/-	2225/-
2.	सहायक प्रोग्रामर	**PGDCA with Two year's experience**	135/-	3500/-
3.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	**MCA with one year's experience**	192/-	5000/-

3. कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें एवं अनुपालन आख्या शासन को भी उपलब्ध कराएं। शासनादेश दिनांक 18 अगस्त, 2000 में अंकित शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

संख्या 2346(1)/9-आ-5-2000(आ0ब0) तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी आवास संघ लि.।
4. अपर निदेशक, उत्तर प्रदेश आवास बन्धु।

भवदीय
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग - 5
संख्या 2597/9-आ-5-2001-43 डब्लूई/2000 टीसी
लखनऊ : दिनांक 25 सितम्बर, 2001

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों में तदर्थ एवं दैनिक वेतन/वर्कचार्ज/संविदा के पद पर कार्यरत अवर अभियंताओं के संबंध में समय-समय पर मा0 उच्च न्यायालय/मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के क्रम में उन्हें विनियमित किय जाने के संबंध में विचार किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय एक विभागीय चयन समिति निम्नवत् गठित किये जाने के आदेश प्रदान करते है :-

1.	प्रमुख सचिव, आवास	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव, न्याय अथवा उनके प्रति निधि विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, न्याय विभाग।	विशेष आमंत्रित सदस्य
3.	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।	सदस्य
4.	सचिव, कार्मिक अथवा उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव स्तर से कम न हो।	सदस्य
5.	श्री अरविन्द सोनकर, संयुक्त सचिव आवास।	सदस्य
6.	श्री जगन्नाथ पाल, संयुक्त सचिव, महिला कल्याण एवं बाल विकास।	सदस्य
7.	श्री ललित किशोर मेहरोत्रा, मुख्य अभियंता आवास-बन्धु।	सदस्य

उपरोक्तानुसार गठित विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 29.9.2001 को पूर्वान्ह 11.00 बजे प्रमुख सचिव आवास, उ0प्र0 शासन के बापू-भवन स्थित कार्यालय-कक्ष सं0-324 में आयोजित की गयी है। कृपया निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित होकर आयोजित चयन समिति में भाग लेने का कष्ट करें।

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या - 2597(1)/9-आ-5-2001 तद्दिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, न्याय, उ0प्र0 शासन।
2. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
3. सचिव कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. श्री अरविन्द सोनकर, संयुक्त सचिव आवास।
5. श्री जगन्नाथ पाल, संयुक्त सचिव, महिला-कल्याण एवं बाल विकास।
6. श्री ललित किशोर मेहरोत्रा, मुख्य अभियंता, आवास-बन्धु।

आज्ञा से,
अरविन्द सोनकर
संयुक्त सचिव

सर्वोच्च प्राथमिकता/ई0मेल द्वारा
संख्या-2724/9-आ-5-2001

प्रेषक,

अरविन्द सोनकर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

2. **अध्यक्ष,**
   समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग - 5

लखनऊः दिनाँक : 6 अक्टूबर, 2001

विषय : विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में दैनिक वेतन/वर्कचार्ज/संविदा पर कार्यरत अवर अभियंताओं के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन की संज्ञान में आया है कि प्रदेश के कतिपय विकास प्राधिकरणों यथा-गाजियाबाद एवं लखनऊ में दैनिक वेतन/वर्कचार्ज/संविदा पर कार्यरत कतिपय अवर अभियंताओं द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों की त्रृटिपूर्ण व्याख्या करते हुये व्यक्तिगत स्तर से अवर अभियंता के पद पर नियमित नियुक्ति के संबंध में योगदान आख्यायें प्रस्तुत की जा रही है।

2. उपर्युक्त के संबंध में यह अवगत कराना है कि प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26.6.2000 तथा उसके क्रम में मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका में पारित आदेशों के अनुक्रम में शासन स्तर से प्राथमिकता पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। अतः प्राधिकरण स्तर पर संबंधित कर्मियों द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार की योगदान आख्या से अनावश्यक जटिलतायें एवं भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रकार की कोई योगदान आख्या स्वीकार नहीं की जाये। आप अवगत है कि अवर अभियंता का पद विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा का पद है और सेवा नियमावली की व्यवस्था के अनुसार यह शासन द्वारा नियंत्रित पद है।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय
अरविन्द सोनकर
संयुक्त सचिव

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध
संख्या-1645/9आ-6-2001

प्रेषक,

अरविन्द सोनकर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ: दिनाँक-29 अक्टूबर, 2001

आवास अनुभाग-6

विषय : दैनिक वेतन भोगी कर्मिकों को आवश्यकतानुसार एक प्राधिकरण से अन्य प्राधिकरण में सेवा स्थानान्तरित करने हेतु प्रस्ताव।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि दैनिक वेतन भोगी कार्मिकों को आवश्यकतानुसार अन्य प्राधिकरणों में सेवा स्थानान्तरित करने हेतु जन-प्रतिनिधियों, गणमान्य व्यक्तियों अथवा उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरणों के माध्यम से संस्तुति/प्रस्ताव शासन में विचारार्थ प्राप्त होते है। चुंकि प्राधिकरणों में रिक्तियां उपलब्ध है अथवा नहीं, अथवा स्टाफ सरप्लस है अथवा नहीं इत्यादि सूचना के अभाव में उक्त प्रकरण पर विचार किया जाना सम्भव नही होता है। उक्त के दृष्टिगत समस्त विकास प्राधिकरणों के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें एक जनपद से अन्य जनपद के प्राधिकरण में सेवा स्थानान्तरित करने हेतु एक नीति निर्धारित करने पर विचार किया जा रहा है।

2. अतः अनुरोध है कि कृपया निम्नलिखित सूचना प्राथमिकता के आधार पर शासन को 15 दिन में भेजने का कष्ट करें-

(1) प्राधिकरण के कौन-कौन दैनिक वेतन भोगी कार्मिक क्या वे स्वीकृत पदों के विरूद्ध कार्यरत है अथवा स्वीकृत पदों से अधिक संख्या में कार्यरत है।

(2) विकास प्राधिकरण में वर्तमान में कितने दैनिक वेतन भोगी कार्मिकों की आवश्यकता है।

(3) यदि आवश्यकता से अधिक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत है तो उनमें से जो कनिष्ठतम कर्मचारी जो अपने प्राधिकरण को छोड़कर अन्य प्राधिकरण में जाने के तैयार है तथा उनके विकल्प भी प्राप्त किये जायें।

भवदीय,

अरविन्द सोनकर
संयुक्त सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग-3

संख्या-7113/9-आ-3-2000-1 वि0/90
लखनऊः दिनांकः 8 जून, 2000

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा-51 की उपधारा(1) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए तथा उत्तर प्रदेश कार्य नियमावली, 1975 के नियम के उपबन्धों, सपठित अनुदेश संख्या-14 तथा 15 उत्तर प्रदेश सचिवालय अनुदेश 1982 के अनुसरण में पूर्व में जारी किए गये आदेशों के क्रम में एतद् द्वारा यह आदेश दिये जाते है कि राज्य सरकार की ओर से अग्रिम आदेशों तक पुनरीक्षण से सम्बन्धित मेरठ, बरेली, हरिद्धार, मुजफ्फर नगर एवं झाँसी विकास प्राधिकरणों का कार्य श्री यज्ञवीर सिंह चौहान, विशेष सचिव, आवास द्वारा तथा सहारनपुर, कानपुर, अयोध्या फैजाबाद, उन्नाव शुक्लागंज, एंव रायबरेली विकास प्राधिकरणों का पुनरीक्षण कार्य-श्री दीन दयाल संयुक्त सचिव, आवास विभाग द्वारा अपने पूर्व आवंटित कार्य के अतिरिक्त अन्तिम आदेश पारित करने सहित देखा जायेगा।

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या-7113 (1)/9-आ-3-2000 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. निजी सचिव, सचिव, आवास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. सम्बन्धित अधिकारीगण।
3. अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण।
4. अध्यक्ष,/सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र/समस्त नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र।

आज्ञा से,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग-6

संख्या-45/9-आ-6-2001-E/2001
लखनऊ : दिनांक : 12 जनवरी, 2001

कार्यालय-ज्ञाप

समस्त पूर्व आदेशों को अतिक्रमित करते हुये श्रीराज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-4(3) (क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास विभाग को जनहित में अध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण कानपुर के कर्तव्य एवं दायित्वों के सम्यक निर्वहन हेतु तात्कालिक प्रभाव से शासन के अग्रिम आदेशों तक एतद् द्वारा अध्यक्ष नामित करते है।

पी0एल0 पुनिया
आवास एवं नगर विकास आयुक्त एवं
प्रमुख सचिव, आवास, नगर विकास एवं
नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- 45(1)/9-आ-6-2001 तद्दिनांक।

1. प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
2. सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास विभाग।
3. आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर।
4. उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण कानपुर।
5. जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
6. स्टाफ अफसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
दीन दयाल
संयुक्त सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

आवास अनुभाग - 3

संख्या 198/9-आ-3-2001 आर0ए0/2000

लखनऊ : दिनांक 22 जनवरी, 2001

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम, 1958 की धारा 15 ए (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय अधिनियम की धारा - 15ए (1) में राज्य सरकार को प्रदत्त पुनरीक्षण वादों की सुनवाई का अधिकार संबंधित विनियममित क्षेत्र के मण्डलायुक्त को प्रतिनिधायित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या - 198(1)/9-आ-3-2000 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. नियम प्राधिकरण, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
4. आवास विभाग के समस्त अधिकारी एवं अनुभाग।
5. आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव

संख्या-304/9-आ-3-2001-3आर0ए0/2001

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश,
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश,

3. नियम प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश

लखनऊः दिनाँक-31 जनवरी, 2001

आवास अनुभाग-3

विषय : विनियमित क्षेत्रों के पुनरीक्षण वादों की सुनवाई का अधिकारी मण्डलायुक्तों को दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन की अधिसूचना संख्या-198/9-आ-3-2001-3आर. ए./2000, दिनांक 22 जनवरी, 2001 द्वारा उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम, 1958 की धारा-15-ए (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुनरीक्षण वादों की सुनवाई का अधिकार राज्य सरकार की बजाय विनियमित क्षेत्र के संबंधित मण्डलायुक्तों को प्रतिनिधानित कर दिया गया है।

2. मण्डलायुक्तों के समक्ष नियंत्रक प्राधिकारी के रूप में विचारार्थ लम्बित अपीलों के समस्त प्रकरण तात्कालिक प्रभाव से अग्रेतर सुनवाई हेतु संबंधित जिलाधिकारियों को स्थानान्तरित कर दिया जाय।

4. शासन स्तर पर मण्डलायुक्तों द्वारा नियंत्रक प्राधिकारी के रूप में निर्णीत किये गये मामलों में शासन के समक्ष लम्बित पुनरीक्षण वादों की सुनवाई शासन स्तर पर ही की जायेगी।

5. मण्डलायुक्तों द्वारा इस आदेश की प्राप्ति के पूर्व जिन प्रकरणों में नियंत्रक प्राधिकारी के रूप में अपील निर्णीत की गई उनके विरूद्ध पुनरीक्षण वाद शासन में प्रस्तुत किया जा सकेगा।

6. शासन में विचाराधीन ऐसे पुनरीक्षण वाद जिन्हें जिलाधिकारी द्वारा नियंत्रक प्राधिकारी की हैसियत से निर्णीत किया गया है एवं पुनरीक्षण शासन स्तर पर लम्बित है ऐसी समस्त पत्रावलियां अग्रेतर सुनवाई हेतु संबंधित मण्डलायुक्तों को स्थानान्तरित कर दी जायेगी।

7. जिलाधिकारी द्वारा नियंत्रक प्राधिकारी के रूप में निर्णीत प्रकरणों के विरूद्ध शासन में लम्बित पुनरीक्षण वादों, जिनमें सुनवाई पूर्ण हो चुकी है, एवं आदेश होने है, ऐसी पत्रावलियों में यथाशीघ्र अन्तिम आदेश पारित कर संबंधित विनियमित क्षेत्रों को पत्रावलियों वापस की जायेगी।

उपर्युक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से प्रभावी होंगे। कृपया इन आदेशों के कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या-304 (1)/9-आ-3-2001-3 आर0ए0/2000 तद्दिनांक।

उपरोक्त की प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाथ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. आवास विभाग के समस्त अधिकारी एवं अनुभाग।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

जावेद एहतेशाम
उप सचिव

संख्या-3772/9-आ-5-2000

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

2. **अध्यक्ष,**
   समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग - 5

लखनऊः दिनाँक-10 अप्रैल, 2000

विषय : विकास प्राधिकरण/विशेष-क्षेत्र विकास प्राधिकरण कार्मिकों के सेवा संबंधी मामलों में प्रस्ताव/प्रत्यावेदन भेजने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों के अपरिपक्व प्रस्ताव प्राधिकरण द्वारा शासन में विचारार्थ भेजे जाते है। जिससे शासन का श्रम एवं समय आवश्यक रूप से नष्ट होता है। ऐसे ही मामले भविष्य में मा0 उच्च न्यायालय/लोक सेवा अधिकरण में कार्मिकों द्वारा रिट याचिका/निर्देश याचिका योजित किए जाने के कारण बनते है। उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा के अधिकारियों /कर्मचारियों के सम्बन्ध में सेवा नियमावली उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा नियमावली, 1985 प्रख्यापित है। अतः कृपया सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुकूल ही शासन में विचारार्थ प्रस्ताव भेजने का कष्ट करें। इस संबंध में अपने विकास प्राधिकरण में अधिष्ठान कार्य देखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को उपरोक्त आशय के निर्देश भी देने का कष्ट करें। नियमों की व्यवस्था के विपरीत दिये गये प्रत्यावेदनों को प्राधि0 स्तर पर ही निरस्त किया जाये, शासन को न भेजा जाए अन्यथा भेजने वाला अधिकारी उत्तरदायी होगा।

भवदीय
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग - 6
संख्या 918/9आ-6-2001-129यू0सी0/2001
लखनऊ : दिनांक 12 जून, 2001

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियम) अधिनियम-1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974) द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) की धारा-5(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय उक्त अधिनियम अन्तर्गत गठित विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों को यह अधिकार दिया जाता है कि धारा-5(1) के अन्तर्गत शासन द्वारा सचिव एवं मुख्य लेखाधिकारी नियुक्त न किये जाने की स्थिति में किसी उपयुक्त अधिकारी को अपने अन्य मौलिक उत्तरदायित्व के साथ इन पदों का दायित्व अतिरिक्त कार्यभार के रूप में निर्वहन करने के लिए नियुक्त कर सकते है।

आज्ञा से,
अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या-918(1)/9आ-6-2001

प्रतिलिपि में उपरोक्त की प्रति सहित संयुक्त अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे कृपया इसे दिनांक 12 जून, 2001 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड-'ख' में प्रकाशित करायें तथा मुद्रित अधिसूचना की 200 प्रतियाँ शासन को शीघ्र भेजें तथा नीचे पृष्ठांकित अधिकारियों को उनके सम्मुख उल्लिखित 5-5 प्रतियां अपने स्तर से सीधे उन्हें भेजने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
दीन दयाल
संयुक्त सचिव

संख्या 918 (2)/9आ-6-2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. जिलाधिकारी, फिरोजाबाद। (5 प्रतियाँ)
3. आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा। (5 प्रतियाँ)
4. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। (5 प्रतियाँ)
5. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। (5 प्रतियाँ)
6. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन उत्तर प्रदेश, लखनऊ। (5 प्रतियाँ)
7. मुख्य नगर अधिकारी, फिरोजाबाद। (5 प्रतियाँ)
8. प्रबन्ध निदेशक, जल निगम, उत्तर प्रदेश। (5 प्रतियाँ)
9. सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। (5 प्रतियाँ)
10. आवास एवं नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग। (5 प्रतियाँ)

आज्ञा से,
दीन दयाल
संयुक्त सचिव

संख्या-932/9-आ-5-54 विविध/2001

प्रेषक,

श्री दीन दयाल
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
2. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश

आवास अनुभाग-15

लखनऊ : दिनाँक-15 जून, 2001

विषय :कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/जिलाधिकारी द्वारा सीधे मा0 मंत्रीगण को पत्र सम्बोधित न करने के संबंध में।

महोदय,

उर्पयुक्त विषयक शासनादेश सं0 980/43-2-2001-14/21281/2000, दिनांक 16 मार्च, 2001 का मय संलग्न की प्रति, संलग्न का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से यह व्यवस्था की गयी है कि कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष अथवा अन्य अधिकारियों द्वारा सीधे मा0 मंत्रीगण से पत्र व्यवहार न किया जाये। यदि किसी प्रकरण पर कार्यालयाध्यक्ष/विभागध्यक्ष का अन्य अधिकारी द्वारा वस्तुस्थिति/कृतकार्यवाही से मा0 मंत्री जी को अवगत कराने की अपेक्षा हो तो उक्त से संबंधित अधिकारी द्वारा अपने विभागीय सचिव/संबंधित विभाग से सचिव के माध्यम से पत्र द्वारा अवगत कराया जाये। तदोपरान्त आवश्यकतानुसार संबंधित विभाग, पत्रावली के माध्यम से मा0 मंत्री जी को स्थिति से अवगत करायेंगे।

2. उक्त प्रसंग में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि यदि मा0 मंत्रीगण को किसी प्रसंग में वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाना अपेक्षित हो तो संबंधित अधिकारी द्वारा अपने विभागीय सचिव/संबंधित विभाग के सचिव को भेजे गये पत्र की प्रतिलिपि संबंधित मा0 मंत्री जी के निजी सचिव को पृष्ठांकित की जा सकती है।

उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 04 जुलाई, 2000 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार (चार पृष्ठ)

भवदीय,
दीन दयाल
संयुक्त सचिव

संख्या-980/43-2-2001-14/21281/2000

प्रेषक,

भोलानाथ तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश।

2 समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

3 समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनाँक-16 मार्च, 2001

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2

विषय : कार्यालयाध्यक्ष/विभागध्यक्ष/जिलाधिकारी द्वारा सीधे मा0 मंत्रीगण को पत्र सम्बोधित न करने के निर्देश।

महोदय,

उर्पयुक्त विषयक शासनादेश सं0 1727/43-2-2000-14/21281/2000, दिनांक 04 जुलाई, 2000 का संदर्भ ग्रहण करें । जिसके माध्यम से यह व्यवस्था की गयी है कि कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष अथवा अन्य अधिकारियों द्वारा सीधे मा0 मंत्रीगण से पत्र व्यवहार न किया जाये। यदि किसी प्रकरण पर कार्यालयाध्यक्ष/विभागध्यक्ष का अन्य अधिकारी द्वारा वस्तुस्थिति/कृतकार्यवाही से मा0 मंत्री जी को अवगत कराने की अपेक्षा हो तो उक्त से संबंधित अधिकारी द्वारा अपने विभागीय सचिव/संबंधित विभाग से सचिव के माध्यम से पत्र द्वारा अवगत कराया जाये। तदोपरान्त आवश्यकतानुसार संबंधित विभाग, पत्रावली के माध्यम से मा0 मंत्री जी को स्थिति से अवगत करायेंगे।

2. उक्त प्रसंग में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि यदि मा0 मंत्रीगण को किसी प्रसंग में वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाना अपेक्षित हो तो संबंधित अधिकारी द्वारा अपने विभागीय सचिव/संबंधित विभाग के सचिव को भेजे गये पत्र की प्रतिलिपि संबंधित मा0 मंत्री जी के निजी सचिव को पृष्ठांकित की जा सकती है।

उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 04 जुलाई, 2000 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,
भोला नाथ तिवारी
मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

1. उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव. उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

आज्ञा से
सुनन्दा प्रसाद
सचिव

गोपनीय

संख्या-1727/43-2-2001-14/2(28)/2000

प्रेषक,

योगेन्द्र नारायण,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त**
उत्तर प्रदेश।

2 **समस्त जिलाधिकारी**
उत्तर प्रदेश।

3 **समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष**
उत्तर प्रदेश।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2

लखनऊ : दिनाँक-04 जुलाई, 2000

विषय : कार्यालयाध्यक्ष/विभागध्यक्ष/जिलाधिकारी द्वारा सीधे मा0 मंत्रीगण को पत्र सम्बोधित न करने के निर्देश।

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि प्रायः कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/जिलाधिकारी द्वारा मा0 मंत्रीगण को सीधे पत्र सम्बोधित कर दिया जाता है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष तथा अन्य अधिकारियों द्वारा मा0 मंत्रीगण को सीधे सीधे पत्र देने की परम्परा को उचित नही ठहराया जा सकता है।

2. इस प्रसंग में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष अथवा अन्य अधिकारियों द्वारा मा0 मंत्रीगण से पत्र व्यवहार न किया जाये। यदि किसी प्रकरण पर कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष या अन्य अधिकारी द्वारा वस्तुस्थिति/कृतकार्यवाही से मा0 मंत्री जी को अवगत कराने की अपेक्षा हो तो उक्त से संबंधित अधिकारी द्वारा अपने विभागीय सचिव/संबंधित विभाग के सचिव के माध्यम से पत्र द्वारा अवगत कराया जाये। तदुपरान्त आवश्यकतानुसार संबंधित विभाग पत्रावली के माध्यम से संबंधित मा0 मंत्री जी को स्थिति से अवगत करायें।

3. कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। भविष्य में इस संबंध में किसी प्रकार की शिथिलता यदि संज्ञान में आती हैं तो उसे गम्भीरता से लिया जायेगा।

भवदीय,
योगेन्द्र नारायण
मुख्य सचिव

संख्या- 1727(1)/43-2-2000 तद्दिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

आज्ञा से
एच0 एल0 बिरदी
सचिव

13

विविध

संख्या-2731/9-आ-3-99-23 विविध-99

प्रेषक,

यज्ञवीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
   समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
2. अध्यक्ष,
   समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
3. आवास आयुक्त,
   उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद।
4. अध्यक्ष,
   समस्त नियंत्रक प्राधिकारी,
   विनियमित क्षेत्र, उ0प्र0।

लखनऊः दिनाँक- 09 जुलाई, 1999

आवास अनुभाग - 3

विषय : शहरी क्षेत्र में हरित पट्टी विकसित करने के सम्बन्ध में राज्य वन नीति 1998।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या-2085/9-आ-3-99-23 विविध/99, दिनांक 28-5-1999 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद एवं विकास प्राधिकरणों द्वारा प्रारम्भ की जाने वाली विभिन्न आवासीय योजनाओं में कुल अमुमानित व्यय का कम से कम 1% (एक प्रतिशत) वृक्षारोपण/हरित पट्टिका विकसित करने हेतु व्यय किया जायेगा। यह व्यय परियोजना पर किया गया व्यय माना जायेगा। इसे बाह्य विकास या आंतरिक विकास जैसी भी स्थिति हो, मानते हुये परियोजना लागत का भाग होने के कारण सृजित की जा रही सम्पत्तियों के मूल्यांकन में सम्मिलित किया जायेगा। यदि किसी हरित पट्टिका/वृक्षारोपण का लाभ पूरी योजना को मिलता है तो उसे ट्रंक बाह्य विकास मानते हुये भूमि दर हेतु सम्मिलित किया जायेगा। यदि लाभ एक क्षेत्र/सेक्टर विशेष में सीमित है तो उस क्षेत्र की सम्पत्तियों के मूल्य में सम्मिलित किया जायेगा।

2- कृपया तद्नुसार उक्त उल्लिखित शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाये एवं इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। अब प्रारम्भ की जाने वाली किसी भी योजना/भवन निर्माण योजना/भूखण्ड विकास योजना में तद्नुसार प्राविधान सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय
यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव

संख्या - 2731(1)/9-आ-3-99 तद्दिनाँक।

1. प्रतिलिपि :-
2. प्रमुख सचिव, वन, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, नगर विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. समस्त नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, उ0प्र0।
6. अतिरिक्त निदेशक, आवास बन्धु, विकास भवन, लखनऊ।
   निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश

आज्ञा से
जावेद एहतेशाम
अनु सचिव

संख्या-3175/9-आ-3-2001-23 विविध/99

प्रेषक,

श्री पी0 एल0 पुनिया,
आयुक्त एवं प्रमुख सचिव,
आवास एवं नगर विकास,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
2. **अध्यक्ष,**
   समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
3. **आवास आयुक्त,**
   उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
4. **अध्यक्ष,**
   समस्त नियंत्रक प्राधिकारी,
   विनियमित क्षेत्र, उ0प्र0।

आवास अनुभाग - 3

लखनऊः दिनाँक-18 जुलाई, 2001

विषय : प्रदेश के नगरों को प्रदूषण मुक्त करने, पर्यावरण सुधार एवं नगरों को हरित एवं सुन्दर बनाने के उद्देश्य से सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं हरित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए ''आपरेशन ग्रीन'' अभियान चलाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश में पारिस्थितिकीय सन्तुलन बनाये रखने, वातावरण को दूषित होने से बचाने, मृदा एवं जल संरक्षण सुनिश्चित करने तथा वृक्षों एवं वनों से लाभ प्राप्त करने के लिए व्यापक वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में कुल भौगोलिक क्षेत्र का एक तिहाई भाग वनाच्छादित होना आवश्यक बताया गया है, तद्नुसार प्रदेश सरकार का यह दृढ़ संकल्प है कि प्रदेश के 33 प्रतिशत भूभाग को वनाच्छादित किया जाये। उत्तरांचल राज्य के निर्माण के पश्चात वर्तमान में प्रदेश में मात्र 7.04 भू-भाग ही वन क्षेत्र है एवं इस पर वृक्षारोपण मात्र 4.46 प्रतिशत ही है। इस अत्यधिक न्यून वनावरण को 33 प्रतिशर्त तक बढ़ाये जाने हेतु उपलब्ध भूमि पर बड़े पैमाने पर सघन वृक्षारोपण करने हेतु ''आपरेशन ग्रीन'' अभियान चलाने का निर्णय प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है। प्रथम चरण में यह अभियान जिलाधिकारी के नेतृत्व में समस्त जनपदों में 01 जुलाई, 2001 से 31 अगस्त, 2001 तक की अवधि के लिए चलाया जा रहा है। जुलाई माह में ही किन्हीं दो दिवसों को चिन्हित कर वृक्षारोपण किया जाना है।

पूर्व में शहरी क्षेत्र में हरित पट्टी विकसित करने के लिए विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषद की भूमि में वृक्षारोपण किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-2085/9-आ-3-99-23 विविध/99, दिनांक 28 मई, 1999 एवं शासनादेश संख्या-2721/9-आ-3-99-23 विविध/99 दिनांक 9 जुलाई, 1999 द्वारा मानक निर्धारित करते हुये समस्त विकास प्राधिकरणों एवं आवास विकास परिषद को वृक्षारोपण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। इसी अनुक्रम में हरित पट्टी उत्तर प्रदेश बनाने विषयक परती भूमि विकास अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन के समस्त जिलाधिकारियों को सम्बोधित नवीनतम शासनादेश संख्या-973/14-प0भू0वि0/2001 दिनांक 8 जून, 2001 (प्रति संलग्न) के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हरित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए ''आपरेशन ग्रीन'' अभियान के अन्तर्गत वृक्षारोपण किये जाने हेतु निम्न बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(1) समस्त अभिकरण, वृहद वृक्षारोपण की एक योजना बनायेंगे उक्त कार्य में निजी प्रतिष्ठानों, स्वयंसेवी संगठनों, विभिन्न क्लबों, आदि का भी इस पुनीत कार्य में सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाये।

(2) प्रत्येक अभिकरण यथासंभव अपने द्वारा संचालित/पोषित पार्कों में से एक पार्क को "स्मृति पार्क" के रूप में परिवर्तित करें तथा स्थानीय नागरिकों को प्रोत्साहित करें कि इस प्रकार के पार्क में वह अपने प्रियजनों को यादगार बनाये रखने के उद्देश्य से वृक्षों की स्थापना/पोषण करेंगे।

(3) प्रत्येक अभिकरण उपलब्ध भूमि से किसी उपयुक्त भूखण्ड पर एक नगरीय वन भी विकसित करेंगे।

(4) प्रत्येक अभिकरण अपने वार्षिक बजट में एक निश्चित प्रतिशत वृक्षारोपण, वन संरक्षण की मद में प्राविधानित करेंगे।

(5) इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु वन विभाग से संबंधित अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करके कार्यवाही करेंगे।

(6) वृक्षारोपण के लिए आवश्यक पौधों की उपलब्धता वन विभाग की पौधशालाओं से सुनिश्चित की जाये। इस संबंध में संबंधित जिलाधिकारी का भी सहयोग एवं मार्गदर्शन प्राप्त किया जाये।

(7) पर्यावरण संरक्षण एवं नगरीय वनीकरण हेतु नियमों/अधिनियमों में जिन-जिन संशोधनों की आवश्यकता प्रतीत हो रही है, उनके संबंध में आवश्यक प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किये जाये।

(8) वृक्षारोपण के पश्चात उसके रख-रखाव, सिंचाई आदि के दायित्व सम्यक रूप से निर्धारित कर दिया जाये तथा इसका नियमित अनुश्रवण किया जाये।

(9) अभिकरणों की अतिक्रमित भूमि/भूखण्ड से अवैध कब्जे हटाकर आवश्यकतानुसार वृक्षारोपण का कार्य कराया जाये।

(10) भविष्य की दूरगामी योजनाओं की दृष्टिगत रखते हुए वृक्षारोपण इस तरह किया जाये कि आने वाले दशकों में यह अभिकरण के लिए आय का एक साधन भी बन सके।

(11) पर्यावरण संरक्षण/संवर्धन की दृष्टि से वृक्षारोपण के महत्व को स्थापित करने के लिए जन चेतना बनाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जाये।

3. उपरोक्त कार्यवाही के प्ररिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा प्रदेश में स्थित समस्त विकास प्राधिकरणों एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा सघन वृक्षारोपण अभियान हेतु लक्ष्य निम्नवत् निर्धारित किये गये है :-

क्र0सं0	अभिकरण का नाम	वृक्षारोपण हेतु निर्धारित लक्ष्य
1	2	3
1.	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	5 लाख
2.	कानपुर विकास प्राधिकरण	1 लाख 35 हजार
3.	लखनऊ विकास प्राधिकरण	तदैव
4.	इलाहाबाद विकास प्राधिकरण	तदैव
5.	मेरठ विकास प्राधिकरण	1 लाख 35 हजार
6.	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	तदैव
7.	वाराणसी विकास प्राधिकरण	1 लाख 25 हजार
8.	गोरखपुर विकास प्राधिकरण	तदैव
9.	बरेली विकास प्राधिकरण	तदैव
10.	मुरादाबाद विकास प्राधिकरण	तदैव
11.	आगरा विकास प्राधिकरण	तदैव
12.	सहारनपुर विकास प्राधिकरण	1 लाख

1	2	3
13.	अलीगढ़ विकास प्राधिकरण	तदैव
14.	झांसी विकास प्राधिकरण	60 हजार
15.	मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण	तदैव
16.	बांदा विकास प्राधिकरण	तदैव
17.	अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण	35 हजार
18.	बुलन्दशहर-खुर्जा विकास प्राधिकरण	तदैव
19.	उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण	तदैव
20.	फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण	तदैव
21.	रायबरेली विकास प्राधिकरण	तदैव
22.	हापुड़-पिलखुआ विकास प्राधिकरण	तदैव
23.	मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण	तदैव
24.	मिर्जापुर - विन्ध्याचल विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	तदैव
25.	चित्रकुट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	तदैव

कृपया उपरोक्तानसुार निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सघन अभियान चलाकर वृक्षारोपण किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें। शासन द्वारा पैरा-2 में निर्धारित सामान्य मार्गदर्शक बिन्दुओं के अतिरिक्त प्रत्येक अभिकरण अपनी स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप मार्गदर्शक सिद्धान्त स्वयं निर्मित कर कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है परन्तु मूल उद्देश्य यह होना चाहिए कि शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को सघन वृक्षारोपण अभियान चलाकर पूर्ण किया जाये। शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के अनुपालन हेतु समस्त अभिकरणों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य के अनुश्रवण के लिए शासन स्तर से भी अधिकारियों एवं विशेषज्ञों की टीम को क्षेत्रीय भ्रमण एवं तद्विषयक निरीक्षण के लिए अलग से नामित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करें एवं कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत करायें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय,
पी0 एल0 पुनिया
आयुक्त एवं प्रमुख सचिव

संख्या - 3175/9-आ-3-2001-23 विविध/99 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया विभागीय अधिकारियों को इस बृहद वृक्षारोपण अभियान में यथोचित सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें
2. मा0 मंत्री जी/मा0 राज्य मंत्री जी, आवास विभाग के निजी सचिव।
3. आवास विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।

आज्ञा से
अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या-2085/9-आ-3-99-23 विविध-99

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष
   समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
2. अध्यक्ष
   समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
3. आवास आयुक्त
   उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
4. अध्यक्ष,
   समस्त नियंत्रक प्राधिकारी,
   विनियमित क्षेत्र, उ0प्र0।

लखनऊः दिनाँक-20 मई, 1999

आवास अनुभाग - 3

विषय :शहरी क्षेत्र में हरित पट्टी विकसित करने के सम्बन्ध में राज्य वन नीति 1998

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा घोषित राज्य वन नीति 1998 के परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया गया है कि शहरी क्षेत्र में हरित पट्टिका विकसित करने के लिए स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषद, निजी क्षेत्र के बिल्डरों तथा औद्योगिक ले-आउट तथा इकाइयों आदि की भूमि में 20 प्रतिशत हरित पट्टिका विकसित करने हेतु उनके द्वारा विकसित कालोनियों में निम्न कार्यवाही की जायेगी :-

(क) मार्गों के साथ-साथ 9-0 मीटर तथा इसे अधिक परन्तु 12-00 मीटर से कम चौड़ी सड़के के एक ओर तथा 12-00 मीटर या इससे अधिक चौड़ी सड़क के दोनों ओर वृक्षारोपण किया जाना होगा जो कि सड़क के प्रति 10 मीटर लम्बाई में न्यूनतम एक पेड़ से कम नहीं होगा अर्थात पेड़ों के मध्य दूरी 10 मीटर से अधिक नहीं होगी। अधिक चौड़ाई की सड़कों में डिवाइडर, फुटपाथ एवं ''ब्लैक टॉप'' के अलावा खाली छोड़ी जा रही समस्त भूमि पर भी वृक्षारोपण सुनिश्चित किया जाये। बाद में सड़क चौड़ी किये जाने की स्थिति में आवश्यकतानुसार चौड़ा किये जाने पर प्रतिबन्ध नहीं होगा।

(ख) आवासीय भूखण्डों में 1- (I) 200 वर्ग मी0 से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड में एक पेड़।
(II) 200 से 300 वर्ग मी0 क्षेत्रफल के भूखण्ड में दो पेड़।
(III) 300 से 500 वर्ग मी0 क्षेत्रफल के भूखण्ड में चार पेड़।

2- समूह आवासीय योजना में प्रति हेक्टेयर 50 पेड़ के दर से पेड़ लगाये जायेंगे। भवन मानचित्र के साथ लैण्ड स्केपिंग प्रस्ताव का अनुमोदन भी आवश्यक होगा।

3- आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग, मलिन बस्ती सुधार आदि योजना में प्रति 50 परिवार पर न्यूनतम 100 वर्ग0मी0 क्षेत्रफल के स्थल पर समूह के रूप में पेड़ लगाये जायेंगे।

(ग)	औद्योगिक	(I)	प्रति 80 वर्ग मी0 भूखण्ड क्षेत्रफल पर एक पेड़ के दर से पेड़ लगाये जायेंगे।
		(II)	औद्योगिक विकास योजना में कुल अनुमन्य खुले स्थल का 20 प्रतिशत भाग में प्रति हेक्टेयर 125 पेड़ के दर से पेड़ लगाये जायेंगे।
		(III)	बड़े प्रदूषणकारी उद्योग को आवासीय क्षेत्र में सघन ग्रीन बेल्ट द्वारा पृथक किया जाना होगा जो औद्योगिक क्षेत्रफल का 15 प्रतिशत होगा।
		(IV)	औद्योगिक विन्यास मानचित्र के साथ लैण्ड स्केप प्रस्ताव का अनुमोदन आवश्यक होगा।
(घ)	व्यवसायिक	(I)	प्रति 100 वर्ग मी0 भूखण्ड क्षेत्रफल पर एक पेड़।
		(II)	वाणिज्यिक योजना में कुल अनुमन्य खुले स्थल का न्यूनतम 20 प्रतिशत पर ग्रीनरी होगा, जहाँ प्रति हेक्टेयर न्यूनतम 50 पेड़ के दर से पेड़ लगाये जायेंगे।
(च)	संस्थागत/सामुदायिक सुविधायें		कुल क्षेत्रफल का न्यूनतम 20 प्रतिशत भाग ग्रीनरी जहाँ प्रति हेक्टर 125 पेड़ की दर से पेड़ लगाये जायेंगे।
(छ)	कीड़ास्थल/खुले क्षेत्र		ऐसे सभी स्थलों का न्यूनतम 20 प्रतिशत भाग ग्रीनरी होगा जहाँ प्रति हेक्टेयर न्यूनतम 125 पेड़ की दर से पेड़ लगाये जायेंगे।
(ज)	पार्क		प्रति हेक्टेयर न्यूनतम 125 पेड़ की दर से पेड़ लगाये जायेंगे।

सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की विकास योजनाओं में वृक्षारोपण अनिवार्य किये जाने के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए सभी सक्षम प्राधिकारी मानचित्र स्वीकृति से पूर्व उपरोक्त प्राविधानों को सुनिश्चित करेंगे तथा पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने से पूर्व वृक्षारोपण भी सुनिश्चित करेंगे।

कृपया इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या - 2085(1)/9-आ-3-99 तद्दिनाँक।
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, वन उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, उ0प्र0।
5. अतिरिक्त निदेशक, आवास बन्धु, विकास भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से
जावेद एहतेशाम
अनु सचिव

सर्वोच्च प्राथमिका

संख्या-973/14-प0भू0वि0/2001

प्रेषक,

भोला नाथ तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनाँक-08 जून, 2001

परती भूमि विकास अनुभाग

विषय :हरित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए ''आपरेशन ग्रीन'' अभियान चलाया जाना।

महोदय,

आप भली भांति अवगत है कि प्रदेश में पारिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखने, वातावरण को दूषित होने से बचाने, मृदा एवं जल संरक्षण सुनिश्चित करने तथा वृक्षों एवं वनों से लाभ प्राप्त करने के लिए वृक्षाच्छादन किया जाना आवश्यक है। आप इस बात से भी अवगत है कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 में यह परिकल्पित है कि भौगोलिक क्षेत्र का एक तिहाई भाग वनाच्छादित/वृक्षाच्छादित होना चाहिए जिससे वनोधारित प्रत्यक्ष एवं परोक्ष लाभ सतत् रूप से प्राप्त होते रहें। इस सिद्धान्त को शत-प्रतिशत राज्य वननीति 1998 में अंगीकृत किया गया है। अर्थात् प्रदेश सरकार का यह दृढ़ संकल्प है कि प्रदेश के 33 प्रतिशत भूभाग को वनाच्छादित/वृक्षाच्छादित किया जाना है। यह लक्ष्य प्रदेश के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि पुर्नगठन के पश्चात वर्तमान में प्रदेश में मात्र 7.04 प्रतिशत भूभाग ही वन क्षेत्र है एवं इस पर वृक्षावरण मात्र 4.46 प्रतिशत ही है। इस अत्याधिक न्यनू वनावरण को 33 प्रतिशत तक बढ़ाये जाने में आप सबका योगदान अति आवश्यक है। इसके लिए वन भूमि के बाहर हर प्रकार की उपलब्ध कृष्य/अकृष्ण भूमि यथा परती भूमि, ऊसर, बीहड़, खादर तथा अन्य प्रकार की परती भूमि, विभिन्न राजकीय एवं गैर राजकीय संस्थानों के परिसर में उपलब्ध भूमि पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाये। यह भी आवश्यक है कि जब तक वृक्षारोपण को समस्त राजकीय विभागों, गैर सरकारी संस्थाओं, विद्यालयों, भवनालय, औद्यागिक प्रतिष्ठानों आदि द्वारा अभियान के रूप में न लिया जाये तब तक इस लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं है।

(अ) **रणनीति**

उपरोक्त परिदृश्य में शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिस प्रकार पोलियो उन्मूलन के लिए प्रदेश स्तर पर सघन पल्स पोलिया महाअभियान चलाये जा रहे है उसी प्रकार ''आपरेशन ग्रीन'' अभियान चलाकर वर्ष 2001 वर्षाकाल में अधिक से अधिक वृक्षारोपण कार्य किया जाये तथा इसके प्रति जनता में व्यापक जागरूकता उत्पन्न की जाये इस कार्यक्रम को अब प्रति वर्ष महाअभियान के रूप में चलाया जायेगा।

(ब) **प्रारम्भिक तैयारी**

1. **पौधों की व्यवस्था** -

''आपरेशन ग्रीन'' के अन्तर्गत वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए जनपद में पौध व्यवस्था हेतु विभिन्न पौधशालाओं को चिन्हित कर लिया जाये एवं इनमें (जैसे वन विभाग, उद्यान विभाग, भूमि संरक्षण विभाग, प्राईवेट नर्सरियों आदि) उपलब्ध पौधों की सूचना प्रजातिवार एकत्र कर ली जाये।

2. **कार्यकारी विभाग/संस्थायें** -

ऐसे समस्त विभागों एवं संस्थाओं को चिन्हित कर लिया जाये जिनसे वृक्षारोपण में सक्रिय योगदान लिया जा सकता हो। निम्न उद्धरित संस्थाओं के अतिरिक्त यदि कोई और संस्थान जनपद में स्थित हो तो उनका भी योगदान प्राप्त किया जाये।

I राज्य सरकार के विभाग/उपक्रम/अर्द्ध सरकारी

उद्यान विभाग, जिला विकास विभाग, शिक्षा विभाग, उद्योग विभाग, पुलिस विभाग, चिकित्सा विभाग, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, पशुपालन विभाग, जिला बचत विभाग, विकास प्राधिकरण विभाग, भूमि संरक्षण विभाग, जिला पंचायती राज्य विभाग, जिला परिषद।

II केन्द्रीय सरकार के विभाग/उपक्रम/अर्द्धसरकारी

पुरातत्व विभाग, राष्ट्रीयकृत बैंक, रक्षा विभाग, बीमा क्षेत्रीय कम्पनियां, आयकर विभाग, सीमा उत्पाद विभाग, रेलवे।

III स्वयं सेवी संस्थायें, शिक्षण संस्थान

विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, लायन्स क्लब, रोटरी क्लब, नेहरू युवक केन्द्र एन0सी0सी0, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, आई0टी0आई0, पालीटेकनिक।

IV अन्य तीर्थ स्थल, मंदिर, धार्मिक परिसर आदि।

3. लक्ष्य आवंटन -

विगत वर्षों में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम चलने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित वृहद वृक्षारोपण समिति द्वारा जनपद के विभिन्न विभागों को लक्ष्य आवंटित किए जाते रहे है। इस वर्ष ''आपरेशन ग्रीन'' के अन्तर्गत गैर सरकारी एवं निजी संस्थाओं को भी लक्ष्य आवंटित किये जाये।

4. संसाधन व्यवस्था -

वृक्षारोपण कार्यक्रम में प्रयुक्तत की जाने वाले संसाधनों यथा-ट्रैक्टर, ट्राली, मेटाडोर, ट्रक, कैम्पलारी आदि की व्यवस्था पूर्व में ही सुनिश्चित कर ली जाये।

5. स्थल चिन्हीकरण -

जनपद में वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध भूमि (विभिन्न कार्यालयों एवं संस्थानों के परिसर जैसे कलेक्ट्रेट, न्यायालय, तहसील, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, थाना, अस्पताल, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कालंज, मेडिकल कालेज, कैट वाली उपयुक्त प्रजातियों का भी चयन कर लिया जाये।

6. नगर वनीकरण -

प्रदेश के बड़े औद्योगिक शहरों यथा कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, मुरादाबाद, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा आदि में औद्योगिक इकाइयां राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों तथा आवासीय कालोनियों के अंदर तथा बाहर उपलब्ध भूमि का चयन कर प्रभावशाली रूप से वृक्षारोपण किया जाये। ऐसी इकाइयाँ जहाँ प्रदूषण की संभावना अधिक हो वहाँ वृक्षारोपण पर विशेष बल दिया जाये इस क्रम में उल्लेखनीय है कि औद्योगिक क्षेत्रों में हरित पट्टिका विकसित किए जाने के संबंध में औद्योगिक विकास विभाग के शासनादेश सं0 3094 (2)-4-99-547 भा/99 दिनांक 19-01-1999 द्वारा सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरण एवं राज्य औद्योगिक विकास निगम औद्योगिक भूखंड विकसित करते समय विकसित भूखण्ड का 20 प्रतिशत भाग वृक्षारोपण/हरित पट्टिका के लिए आरक्षित रखने की व्यवस्था की गई हैं। आवास विभाग द्वारा भी शासनादेश सं0 2085/9-अ-3-99-23 वि/99 दिनांक 20-05-99 द्वारा शहरी क्षेत्र में हरित पट्टी विकसित करने के लिए स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, निजी क्षेत्र के बिल्डरों तथा औद्योगिक से ले-आउट तथा ईकाइयों आदि की भूमि में 20 प्रतिशत हरित पट्टिका विकसित करने के निर्दश दिये गये है। राजस्व विभाग द्वारा भी वृक्षारोपण पट्टे द्वारा हरियाली कार्यक्रम का क्रियान्वयन के संबंध में शासनादेश सं0 793/1-2-99-0-3 (आठ)/99 दिनांक 19-07-1999 द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है।

7. जनप्रतिनिधियों की सहभागिता -

वृक्षारोपण का शुभारंभ एक महोत्सव के रूप में माननीय जनप्रतिनिधियों से कराया जाए। इस अवसर पर मा0 मंत्री,

मा0 जिला प्रभारी मंत्री, मा0 जिला पंचायत अध्यक्ष, मा0 सांसद, मा0 विधायक, मा0 नगर पंचायत अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष को अवश्य आमंत्रित किया जाये। जनपद के प्रभारी मंत्री से विशेष रूप से अनुरोध कर लिया जाये कि ''आपरेशन ग्रीन'' अभियान दिवस'' पर वे जनपद में उपस्थित रह कर अपना अमूल्य निदेशन देने की कृपा करें।

8. **प्रचार प्रसार** -

वृक्षारोपण अभियान का वृहत प्रचार प्रसार विभिन्न माध्यमों जैसे डुग्गी, मुनादी कराकर, गोष्ठियों द्वारा तथा पैम्पलेट्स बंटवाकर, समाचार पत्र, रेडियो, टी0वी0, दीवार लेखन आदि की सहायता से किया जाये।

9. **नोडल अधिकारी** -

व्यापक स्तर पर इस अभियान के सफल आयोजन हेतु जनपद के प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक को नोडल अधिकारी नामित कर दिया जाये जिस जनपद में एक से अधिक प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक तैनात है वहाँ वरिष्ठ वनाधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाये।

10. **उपरोक्त समस्त तैयारियाँ 15 जून तक पूरी कर ली जाये।**

(स) **आपरेश ग्रीन**

1. **अभियान अवधि/दिवस**

वृक्षारोपण कार्यक्रम का यह अभियान 01 जुलाई से 31 अगस्त, तक की अवधि के लिए होगा। सर्वप्रथम कार्यक्रम प्रारम्भ किये जाने हेतु 01 जुलाई से 15 जुलाई के मध्य किन्ही दो दिवस को अभियान दिवस के रूप में चिन्हित कर लिया जाए। यदि किन्ही कारण से (जैसे बरसात आदि समय से न हो) किसी जनपद में यह दिवस उक्त अवधि में चिन्हित करना सम्भव न हो तो ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी अपने विवेकानुसार अन्य दो दिवस चिन्हित कर सकते है।

2. **रैली/संगोष्ठी**

जनपद स्तर पर अभियान दिवस के एक दिन पूर्व पर्यावरण रैली का आयोजन प्रातः काल किया जाये एवं इसका समापन गोष्ठी का समापन वृक्षारोपण से किया जाये।

3. **मृदा कार्य एवं पौध ढलान**

अभियान दिवस के ठीक पूर्व वृक्षारोपण क्षेत्रों में गड्ढा खुदान कर लिया जाये तथा इंगित नर्सरियों से पौधों का ढुलान भी सुरक्षित एवं छायादार स्थान पर कर लिया जाये।

4. **आमंत्रण/सूचना**

अभियान दिवस के पूर्व संबंधित जनप्रतिनिधियों को आमंत्रण/सूचना अवश्य दे दी जाये।

5. **पौधारोपण**

प्रथम पौध जनप्रतिनिधियों द्वारा लगाकर पौधारोपण का कार्य प्रारम्भ कराया जाये। शेष पौधे अभियान में शामिल स्थानीय नागरिकों स्कूल के छात्रों, कार्यालय कर्मचारियों, कैडेट्स स्काऊट एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से लगाये जायें

6. **अनुश्रवण**

अभियान के सफल आयोजन को सूचना जिलाधिकारी द्वारा नोडल अधिकारी से प्राप्त कर अगले दिन सचिव वन को दिया जायेगा।

7. **अनुरक्षण**

वृक्षारोपण के उपरांत इसका अनुरक्षण एवं सुरक्षा का दायित्व सम्बन्धित भू-स्वामी/विभाग/संस्था का होगा। अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहन दिया जायेगा।

(द) अभियान हेतु वित्तीय संसाधन

भूमि उपयोग करने वाले सम्बन्धित विभाग यथा वन, कृषि, पशुपालन, सिंचाई, लोक निर्माण, ऊर्जा, सिंचाई, खनन, उद्यान, मत्सय पालन, आवास विभाग तथा भूमि संरक्षण अपने-अपने विभागीय बजट से अभियान को सफल बनायेंगे। इस क्रम में विभिन्न विभागों द्वारा निम्न शासनादेश भी निर्गत किये जा चुके है जिसमें उनके आयोजनागत बजट से कम से कम एक प्रतिशत धनराशि भूमि एवं जन संरक्षण, वाटरशेड डेवलेपमेन्ट एवं वृक्षारोपण कार्य हेतु लगाये जाने का प्राविधान राज्य वन नीति 1998 के अनुरूप किया गया है।

I	लोकनिर्माण	2212/23-2-98-8/99 दिनांक 22-07-1999
II	सिंचाई	897(एवी)/99-27-सि0-9-10-एस0ए0बी0 दिनांक 22-07-1999
III	औद्योगिक विकास	3094/77-4-99-8-547 भा/99 दिनांक 19-07-1999
IV	आवास	2731/9-आ-3-99-25 विविध/99 दिनांक 09-07-1999
V	ऊर्जा	1809 बी 1/99-24-39-पी/99 दिनांक 11-06-1999
VI	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण	1380/58-2-99-80/99 दिनांक 15-06-1999
V	कृषि	3079/12-3-99-71/99 दिनांक 31-08-1999

तद्नुसार ही ''आपरेशन ग्रीन'' को सफल बनाये जाने के लिए वित्तीय संसाधन का उपयोग किया जाये।

इस अभियान हेतु संसाधन व्यवस्था में सांसद/विधायक निधि से भी धनराशि प्राप्त करने हेतु माननीय सांसदों एवं विधायकों से अनुरोध किया जाये। ग्राम प्रधान एवं क्षेत्र प्रमुख को यह दायित्व दिया जाये कि विभिन्न श्रोतों से प्राप्त होने वाली धनराशि का उपयोग वे भी अपने-अपने ग्राम पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत की सीमा में वृक्षारोपण के लिए करें। पर्यावरण विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष जिला येाजना के अन्तर्गत पर्यावरण जागरूकता हेतु उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशि का उपयोग इस कार्यक्रम हेतु भी किया जाये।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके नेतृत्व में यह अभियान पूर्ण रूप से सफल होगा।

भवदीय,
भोला नाथ तिवारी
मुख्य सचिव

संख्या - 975/14-प0भू0वि0/2001 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त क्षेत्रीय, मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त वन संरक्षक, उत्तर प्रदेशं।
4. समस्त प्रभागीय वनाधिकारियों/निदेशक, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे जिलाधिकारी को हर प्रकार से सहयोग प्रदान करेंगे। विभागीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये सशुल्क पौध भी विभिन्न यावक श्रोतों को उपलब्ध करायेंगे।

भवदीय,
भोला नाथ तिवारी
मुख्य सचिव

संख्या-5206/9-आ-1-2000-339डीए/83

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
आगरा मण्डल,
आगरा।

लखनऊः दिनाँक-04 दिसम्बर, 2000

आवास अनुभाग-1

विषय : आगरा स्थित ऐतिहासिक स्मारकों के भ्रमणार्थियों से धारा 39-क अन्तर्गत वसूले जाने वाले पथकर के उपयोग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध मं मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पथकर निधि का उपयोग भ्रमणार्थियों की सुख-सुविधा के लिए तथा उस हेतु आवश्यक अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं सुनिश्चित करने की दृष्टि से शासन ने सम्यक विचारोपरान्त मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित करने तथा इस निधि से कार्यों की स्वीकृति हेतु गठित सलाहकार समिति को पुर्नगठित करने का निर्णय लिया है :-

(अ) **सलाहकार समिति** :- पथकर निधि से विभिन्न परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु सहायता एवं सलाह देने हेतु मण्डलायुक्त, आगरा की अध्यक्षता में निम्नलिखित समिति पुर्नगठित की जाती है :-

1.	आयुक्त, मण्डलायुक्त, आगरा	-	अध्यक्ष
2.	महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अथवा उनका नामित प्रतिनिधि	-	सदस्य
3.	महानिदेशक, पर्यटन, उत्तर प्रदेश	-	सदस्य
4.	जिलाधिकारी, आगरा	-	सदस्य
5.	मुख्य नगर अधिकारी, आगरा	-	सदस्य
6.	इन्टेक के प्रतिनिधि	-	सदस्यगण
7 व 8	आगरा में पर्यटन, होटल उद्योग से सम्बन्धित दो व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा नामित किये जायेंगे	-	
9.	उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा	-	सदस्य संयोजक

(ब) **कार्यों के चयन हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्त** :- पथकर निधि का व्यय केवल निम्नलिखित मदों में किया जा सकेगा :-

I(क) वसूली से सम्बन्धित व्यवस्था एवं कर्मचारियों पर व्यय — 2 प्रतिशक तक

(ख) भारित व्यय जिनमें न्यायालय के आदेशों अथवा पथकर सम्बन्धी न्यायिक वादों पर होने वाला आवश्यक व्यय सम्मिलित होगा। — भारित व्यय किया जायेगा।

II उपरोक्त व्यय के उपरान्त अवशेष धनराशि को निम्नलिखित मदों में निर्धारित अनुपात में व्यय किया जायेगा।

क- पर्यावरण सुधार सम्बन्धी कार्य, यथा सफाई, सेनिटेशन, हरियाली, स्लम सुधार एवं पुर्नवास — 20 प्रतिशत

ख-	भ्रमणार्थियों की सुख-सुविधाएं	15 प्रतिशत
ग-	पर्यटकों के उपयोग में आने वाला नगरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर यथा मार्ग प्रकाश, ड्रेनेज इत्यादि	40 प्रतिशत
घ-	पर्यटन इन्फ्रास्ट्रक्चर सम्बन्धी	15 प्रतिशत
ङ-	टूरिस्ट पुलिस एवं पर्यटक सुरक्षा सम्बन्धी	10 प्रतिशत

क्रियान्वित किये जाने वाले पत्येक कार्य/परियोजना पर अधिकतम 10 प्रतिशत सेन्टेज चार्ज सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को दिया जायेगा। प्रत्येक चयनित कार्य का आंगणन का परीक्षण समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जायेगा।

III लेखों का रख-रखाव तथा वार्षिक रिपोर्ट

क- पथकर निधि से किए जाने वाले कार्य स्थल पर नगरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर टास्क फोर्स का बोर्ड लगेगा जिसमें कार्य इत्यादि का पूरा ब्यौरा उल्लिखित होगा।

ख- प्रत्येक 31 मार्च तथा 30 सितम्बर को उस वित्तीय वर्ष में प्राप्तियों की स्थिति तथा किये गये कार्यों व व्यय की स्थिति की रिपोर्ट तैयार की जायेगी जो शासन, प्रत्येक सदस्य तथा प्रेस को उपलब्ध कराई जायेगी। मांगे जाने पर अन्य को भी उपलब्ध करायी जा सकती है।

ग- पथकर निधि के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लेखों का आडिट चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा आगामी 30 जून तक अवश्य करा लिया जायेगा तथा आडिट रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के उपरान्त 30 सितम्बर तक शासन को भी प्रस्तुत की जायेगी। इससे पूर्व प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष भी इसे प्रस्तुत किया जायेगा।

घ- चार्टेड एकाउन्टेन्ट की नियुक्ति शासन द्वारा की जायेगी यह चार्टेड एकाउन्टेन्ट ''कान्करेन्ट'' आडिट भी करेंगे तथा सलाहकार समिति की प्रत्येक बैठक में भी उपस्थित रहकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करेंगे।

ड़- प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में पथकर निधि के अन्तिम लेखें तैयार किये जायेंगे तथा प्रत्येक वर्ष के अन्त में आय-व्यय विवरणी एवं बैलेन्स शीट भी बनाई जायेगी।

च- चार्टेड एकाउन्टेन्ट पर होने वाला व्यय इसी निधि द्वारा भारित व्यय के रूप में व्यय किया जायेगा।

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या - 5206(1)/9-आ-1-2000-339 डीए/83 दिनांक 04 दिसम्बर, 2001

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण।
2. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
3. महानिदेशक, पर्यटन।
4. जिलाधिकारी, आगरा।
5. मुख्य नगर अधिकारी, आगरा।
6. इन्टेक, लखनऊ।

आज्ञा से
आनन्द कुमार
अनु सचिव

क्रम-संख्या-613(ग)

रजि0 नं0 एल. डब्लू./एन.पी. 890
लाइसेन्स नं0 डब्लू0 पी0-41
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 4 दिसम्बर, 2000

अग्रहायण 13, 1922 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

आवास अनुभाग-1

संख्या 5191/आ-1-2000-339 डीए-83

लखनऊ 4 दिसम्बर, 2000

अधिसूचना

प0आ0-1460

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियम) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974) द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) की धारा 39-क और धारा-55 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, आगरा विकास प्राधिकरण पथकर (निर्धारण और संग्रह) नियमावली, 1999 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है :-

आगरा विकास प्राधिकरण पथकर (निर्धारण और संग्रह) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2000

1-(1)-यह नियमावली आगरा विकास प्राधिकरण पथकर (निर्धारण और संग्रह) (प्रथम संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ संशोधन) नियमावली, 2000 कही जायगी।

(2)- यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2- आगरा विकास प्राधिकरण पथकर (निर्धारण और संग्रह) नियमावली, 1999 में, नियम 4 का संशोधन में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जाएगा, अर्थात :-

स्तम्भ-1
वर्तमान उपनियम

(1) लोकप्रिय समागम के किसी स्थान के लिए प्रत्येक परिदर्शक से नीचे अनुसूची के स्तम्भ (4) में विर्निदिष्ट दरों से पथकर लिया जायेगा :-

अनुसूची

परिदर्शकों की श्रेणी	लोकप्रिय समागम के नाम	अवधि जिसके लिए पथकर लिया जायगा	पथकर की दर (रुपये में)
1	2	3	4
1. विदेशी	ताजमहल और अन्य लोकप्रिय समागन के स्थान	पूरा दिन (रात्रि को छोड़कर)	500
''	ताजमहल और अन्य लोकप्रिय समागम के स्थान	रात्रि 7.30 सायं से 6.00 प्रात: तक	1000
''	किला	पूरे दिन	50
''	ताजमहल/किला को छोड़कर अन्य स्मारक	पूरे दिन	10
2. भारतीय	ताजमहल और अन्य लोकप्रिय स्मारक समागम के स्थान	6.00 प्रात: से 8.00 या 4.30 सांय से 7.30 सांय तक	100
''	ताजमहल	8.00 प्रात: से 4.30 सांय तक	10
''	ताजमहल और अन्य लोकप्रिय समागम के स्थान	रात्रि 7.30 सायं से 6.00 प्रात: तक	200
''	ताजमहल/किला को छोड़कर अन्य स्मारक	पूरे दिन	10

स्तम्भ-2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम

(1) लोकप्रिय समागम के किसी स्थान के लिए प्रत्येक परिदर्शक से नीचे अनुसूची के स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट दरों से पथकर लिया जायेगा, अर्थात् :-

अनुसूची

परिदर्शकों की श्रेणी	लोकप्रिय समागम के नाम	अवधि जिसके लिए पथकर लिया जायगा	पथकर की दर (रुपये में)
1	2	3	4
1. विदेशी	ताजमहल और अन्य लोकप्रिय समागन के स्थान	पूरा दिन (रात्रि को छोड़कर)	500
''	ताजमहल और अन्य लोकप्रिय समागम के स्थान	पूरी रात (सायं 7.30 बजे से प्रात: 6.00 तक)	1000
''	आगरा का किला	पूरा दिन	50
''	ताजमहल/आगरा का किला को छोड़कर अन्य स्मारक	पूरा दिन	10
2. भारतीय	ताजमहल।	पूरा दिन (प्रात: 6.00 बजे से सायं 7.30 बजे तक)	10
''	आगरा का किला।	तदैव	10
''	फतेहपुर सीकरी।	तदैव	10
''	सिकन्दरा।	तदैव	5
''	एत्मादउद्दौला	तदैव	5

आज्ञा से,
अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 5191/Aa-1-2000-339DA/83 dated December-4,2000

No. 5191/Aa-1-2000-339DA/83

Dated:Lucknow December 4,2000

IN exercise of the powers under section 39-A and section 55 of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 (President's Act No. 11 of 1973) as re-encacted with modification by the Uttar Pradesh President's Acts (Re-enactment with Modifications) Act, 1974 (U.P. Act No. 30 of 1974) read with section 21 fo the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904), The Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Ara Development Authority (Assessment and Collection of Toll) Rules, 1999.

THE AGRA DEVELOPMENT AUTHORITY (ASSESSMENT AND COLLECTION OF TOLL) (FIRST AMENDMENT) RULES, 2000

Short title and Commencement

1. (1) — These rules amy be called the agra Development Authority (Assessment and Collection of Toll) (First Amendment) Rules, 2000

2. They shall come into force at once.

Amendment of rule 4

2. In the Area Development Authority (Assessment and Collection of Toll) Rules, 199, in rule 4, for sub-rule (1) set out in column-1 below, the sub-rule as set out in column-2 shall be *substituted,* namely :-

Column-1

Existing sub-rule

1. Toll shall be charged from every visitor to any place of popular resort at the specified in column (G) of the Schedule below rates :-

SCHEDULE

Category of visitor	Name of Popular resore	Period for which toll shall be chared	Rate of Toll (in Rs.)
1	2	3	4
1. Foreigners	Taj Mahal and other place of Popular resort	Whole day, except right	500
-Do-	Taj Mahal and other place of popular resort	Night (From 7.30 p.m. to 6.00 a.m.)	1000
-Do-	Fort	Whole day	50
-Do-	Other than Taj/Fort	Whole day	10
1. Indians	Taj Mahal and other place of popular resort.	From 6.00 a.m. to 8.00 a.m. or 4.30 p.m. to 7.30 p.m.	100
-Do-	Taj Mahal	From 8 a.m. to 4.30 p.m.	10
-Do-	Taj Mahal and other places of popular resort.	Night from 7.30 p.m. to 6.00 a.m.	200
-Do-	Other than Taj	Whole day	10

Column-2

Sub rule as herby substituted

1. Toll shall be charged from every visitor to any place of popular resort at the specified in column (4) of the Schedule below namely :_

SCHEDULE

Category of visitor	Name of Popular resort	Period for which toll shall be chared	Rate of Toll (in Rs.)
1	2	3	4
1. Foreigners	Taj Mahal and other place of popular resort	Whole day, except night	500
-Do-	Taj Mahal and other place of popular resort	Night (From 7.30 p.m. to 6.00 a.m.)	1000
-Do-	Agra Fort	Whole day	50
-Do-	Other than Taj Mahal/Agra Fort	Whole day	10
1. Indians	Taj Mahal	Whole day (From 6.00) a.m. to 7.30 p.m.)	10
-Do-	Agra Fort	-Do-	10
-Do-	Fatehpur Sikri	-Do-	10
-Do-	Sikandra	-Do-	5
-Do-	Etmadduddaula	-Do-	5

By order

ATUL KUMAR GUPTA,

Sachiv.

शीर्ष प्राथमिकता

उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग - 1
संख्या-3397(1)/9-आ-1-01-31 विविध 2001
लखनऊ : दिनांक 2 जुलाई, 2001

कार्यालय-ज्ञाप

टी0टी0जेड0 क्षेत्र में ए0डी0बी0 से वाह्य सहायता प्राप्त करने हेतु आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा **स्मूथ ट्रैफिक फ्लो एट आगरा** नामक परियोजना प्रस्तुत की गई है। इस परियोजना के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण को एतद्द्वारा नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

2. कृपया समय-समय पर ए0डी0बी0 मिशन के भ्रमण के दौरान परियोजना के संबंध में समस्त वांछित सूचनाएं मिशन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त भविष्य में ए0डी0बी0 वित्त पोषित परियोजनाओं के सम्बन्ध में आयोजित होने वाली बैठकों में भी भाग लेने का कष्ट करें।

अमिताभ त्रिपाठी
अनु सचिव

संख्या - 3397(1)/9-आ-1-01, तद्दिनाँक ।

1.
2. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण।
3. प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
   सचिव, वाह्य सहायतित परियोजना विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

अमिताभ त्रिपाठी
अनु सचिव

शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-3397/9-आ-1-01-31विविध/2001

प्रेषक,

अमिताभ त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

आवास अनुभाग-1

लखनऊः दिनाँक-2 जुलाई, 2001

विषय : आगरा विकास प्राधिकरण की ए0डी0बी0 वित्त पोषित ट्रैफिक मैनेजमेंट की परियोजना के संबंध में।

महोदय,

आगरा विकास प्राधिकरण की ए0डी0बी0 द्वारा वित्त पोषित **इम्प्रूवमेंट वर्क्स फार स्मूथ ट्रैफिक फ्लो एट आगरा** की एक संशोधित योजना आपके पत्र संख्या-3071/डी/ईई/2001, दिनांक-11.06.2001 द्वारा उपलब्ध कराई गई है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ए0डी0बी0 द्वारा वित्त पोषण हेतु प्रस्तुत परियोजनाओं के सामाजिक विश्लेषण हेतु कतिपय सूचनाओं की निर्धारित प्रारूपों पर उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है। निर्धारित प्रारूपों की एक छायाप्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए अपेक्षा की जाती है कि वांछित सूचनाएं **ए0डी0बी0 के कन्सलटेशन मिशन के दिनांक-4 व 5 जुलाई, 2001 को आगरा भ्रमण के दौरान उपलब्ध कराने का कष्ट करें।** इसके अतिरिक्त यदि मिशन द्वारा परियोजना के संबंध में अन्य सूचनाओं की अपेक्षा की जाती है तो कृपया उन्हें भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

अमिताभ त्रिपाठी
अनुसचिव

Environmental Improvement Project/Agra/Mathura/Firozabad Trapezium

Data Requirements for Social Analysis

Data and information to be collected from Agra Development Authority/Chief Engineer Jal Nigam/ Municipalities of Agra, Firozabad, Mathura and Vrindavan Jal Nigam and Superintending and Executive Engineers (construction).

(i) General Data

Below Poverty Line Census prepared by Rural Development Ministry of Go UP in 1998/99 will be referred to estimate the % of poor households. Population and household records that are maintained Nagar Palika Nigam will be used to estimate population and households and their income levels (poor/non-poor).

Please provide a copy of 'Below Poverty Line Census 98/99 from Rural Development and Urban Development Departments for the three districts-Agra,Mathura and Firozabad.

City Population

Zone/Ward	No of Households	Population		% of Households	%of Poor Households	%Poor HH connected	
		Men	Women				

Commercial Establishments in the City

Zone/Ward	No of Commercial Establishments	No of Employees		Whether all connected	If not, how may connected	Other sources of water if not connected
		Male	Female			

Industrial Establishments in the City

Zone/Ward	No of commercial establishments Including cottage industries	No of Employees		Connected to water supply		Number Paying Water taxes	If not connected, water sources
		Male	Female	No Connected	No not connected		

Summary of Water Supply in the City

Zone/Ward	Overhead thank/ Ground-level tank	Capacity of the tank	Electric Pump, No of pumps and H/P	Own-well pumping	Water requirement per day	No of person use water
Hotel						
Restaurant						
Household						
School						
College						
Govt Offices						
Private Offices						
Laundry						

Existing Water Supply Connections in the city

Zone/Ward	No of Households connected to water Supply Scheme	Number of Poor households connected to Water Supply Scheme	
		Standing Pipes	Public Wells

Proposed Water Supply Connections

Zone/Ward	No of Households Planned to be	Number of Poor households Planned

	Connected	to be connected

Proposed Water Supply Connections

Zone/Ward	No of Industrial Units and Commercial Untis Planned to be connected	
	Industries	Commercial Units

(ii) Detailed Data

Existing Water Supply Scheme

1. What is the average per capita LPD supply for each category-households, commercial establishments, hospital, hotels, government offices, industries ?
2. Current water supply as a % of the required supply of each above category.
3. What is the municipal requirements for horticulture, parks, amousement parks, flushing drains, hydrants?

Visitor/Migrant Population

1. What is the average number of visitors to the city ?

A day _____
A week_____
A month_____
A year _____

2. How much is allocated for their use ?
3. Who pays for such allocation?
3. Do such allocation affect the efficient water supply to those who are connected to the scheme?
4. What action are being taken or proposed to be taken to address the water demands of floating/visiting/migratory individuals in the city?
5. Any document pertaining to this issue?
6. If yes, please provide a copy of the document.

Proposed Augmentation of Water Supply in Existing Wards/zone

1. Will the proposed augmentation programme connect all households, commercial establishments, indsutries, hotels and hospital to the mains?
2. What is the expected increase in LPD per capita for each of the above categories?
3. Is there a special programme to provide water to the poor who live in slums and in the city fringe? Details of such plans and proposals.
4. What is the total number of such households that will be targeted by the programme in each ward/zone?
5. Will these households be given special prgramme with subsidised connecting fee and water rates?
6. Will there be a community monitoring system to review quality and quantity of water supply on daily basis? Explain pl.
8. In the new scheme, is there a provision to resort to new technology assuring water supply (quality and quantity) to each committed entitity?

Household
Commercial units
Government agencies
Industries

Proposed New Connections in New Zones

1. Are there any wards or zones that do not get water from the water supply scheme? What are they?
2. How many households/commercial establishments/hospitals/hotels/government establishments/industries are there in each of these wards/zones?
3. What are their sources of obtaining water?
4. Estimate at least the percentage of households/commercial establishments/hospitals/hotels/government establishments/industries by their main source of water.
5. With the proposed water supply project, how many of wards which do not get any water will get water?
6. Is this supply for all household and other units?
7. If not, what is the proposed distribution range? How many more houses, commercial units?
8. Do you have any priority list in connecting new units to water supply system?
9. If yes, please provide a copy of the policy and strategy.

Land Requirements in Firozabad for Water Supply Project

Project Component	Land Area to be Acquired	Remarks
Water Treatment Plant	4 ha	This land is once a year cultivated land belonging to villagers of Pempura. There is a labour colony close to the proposed Treatment Plant. No houses need to be demolished
Overhead Tanks/reservoirs	1 ha x 8 = 8 ha	5 overhead tanks (O.H.Ts) already exist. 4 new O.H. Ts. are proposed.
Staff Quarters	1 ha x 8 = 8 ha	Adjncent to O.H. Ts.
Clear water reservoir	?	
Chlorinating Plant	4 ha ?	
4 pumping plants	8 ha ?	
Distribution pipes	Road reservation land strips-100km	Temporary disturbances;PWD lands to be acquired temporarily
Total	35 ha?	Jal Nigam expects to negotiate land values and purchase instead of acquiring land. 5 existing O.H. Ts can largely be augmented in already acquired land.

The Jal Nigam of Firozabad expects to negotiate with land owners and purchase the required land for the project at the market price. This would avoid protracted legal process of land acquisition under the Land Acquisition Act. Estimated cost of land acquisition Rs 20,000,000

उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग - 1
संख्या 1031/9-आ-1-2001
लखनऊ : दिनांक 26 फरवरी, 2001

कार्यालय-ज्ञाप

गाजियाबाद इन्ट्रा सिटी रोड परियोजना का अध्ययन तथा उसे निजी क्षेत्र के माध्यम से कार्यरूप देने से सम्बन्धित कार्यों की समीक्षा एवं इससे सम्बन्धित विभागों में आपसी सामंजस्य स्थापित करवाने हेतु राज्यपाल महोदय, आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, आवास एवं नगर विकास की अध्यक्षता में निम्न अधिकारियों की एक समिति गठित करने के निर्देश देते है :-

(i)	प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग अथवा उनके द्वारा नामित सचिव।	सदस्य
(ii)	सचिव, आवास उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
(iii)	सचिव, नगर विकास उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
(iv)	उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।	सदस्य
(v)	प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम लि0।	सदस्य संयोजक

उक्त समिति के संयोजक, प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम होंगे।

समिति का विषय क्षेत्र निम्न होगा :-

1. नगर की वर्तमान ट्रैफिक व्यवस्था का सर्वेक्षण करवाना तथा सर्वेक्षण के आधार पर समस्याओं का चिन्हीकरण।
2. बिन्दु-1 में चिंहित समस्याओं में सुधार लाने हेतु प्रस्ताव।
3. बिन्दु-2 में प्रस्तावित सुधारों के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय आंकलन तथा उसे निजी क्षेत्र के द्वारा क्रियान्वित कराने हेतु योजना तैयार करवाना।
4. योजना के क्रियान्वयन में शासन के विभिन्न विभागों में आपसी सामंजस्य स्थापित करवाना।

भवदीय
अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या - 1031(1)/9-आ-1-2001, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समिति के समस्त सदस्य
2. आवास एवं नगर विकास, विभाग के सभी अनुभाग
3. अपर निदेशक आवास बन्धु, उ0प्र0

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग - 1
संख्या 1032/9-आ-1-2001
लखनऊ : दिनांक 26 फरवरी, 2001

कार्यालय-आदेश

शासन स्तर पर गाजियाबाद इन्ट्रा सिटी रोड परियोजना का अध्ययन तथा उसे निजी क्षेत्र के माध्यम से कार्यरूप देने से सम्बन्धित कार्यों की समीक्षा तथा इससे सम्बन्धित विभिन्न विभागों में आपसी सामन्जस्य स्थापित करवाते हुए कार्यालय ज्ञाप संख्या 1031/9-आ-1-2001 दिनांक 26/2/2001 के द्वारा गठित समिति की सहायता के लिए श्री राज्यपाल, नगर स्तर पर निम्न अधिकारियों की एक समिति गठित करने के निर्देश देते है।

1. उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण गाजियाबाद — अध्यक्ष
2. जिलाधिकारी, गाजियाबाद — सदस्य
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद — सदस्य
4. पुलिस अधीक्षक, ट्रैफिक गाजियाबाद — सदस्य
5. मुख्य नगर अधिकारी, गाजियाबाद — सदस्य
6. रीजनल ट्रान्सपोर्ट आफिसर, गाजियाबाद — सदस्य
7. उप महाप्रबन्धक, पावर कारपोरेशन, गाजियाबाद — सदस्य
8. अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग गाजियाबाद — सदस्य
9. अधिशाषी अभियन्ता, नेशनल हाई-वे डिवीज़न, गाज़ियाबाद — सदस्य
10. चीफ कोआर्डिनेटर प्लानर, एन.सी.आर. उ0प्र0 — सदस्य
11. रीजनल मैनेजर, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, गाजियाबाद — सदस्य संयोजक

उक्त समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण तथा संयोजक, रीजनल मैनेजर उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम गाजियाबाद होंगे।

समिति का कार्यक्षेत्र निम्न होगा :-

1. नगर की वर्तमान ट्रैफिक व्यवस्था का सर्वेक्षण करवाना तथा सर्वेक्षण के आधार पर समस्याओं का चिन्हीकरण।
2. बिन्दु-1 में चिन्हित समस्याओं में सुधार लाने हेतु प्रस्ताव।
3. बिन्दु-2 में प्रस्तावित सुधारों के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय आंकलन तथा उसे निजी क्षेत्र के द्वारा क्रियान्वित करने हेतु विस्तृत योजना तैयार करवाना।
4. अन्य प्रदेशों में क्रियान्वित की गई इसी प्रकार की योजना के लिए अपनायी गयी नीतियों का अध्ययन।
5. योजना को लागू करने के लिए विशेषज्ञों से सुझाव एवं प्रस्ताव प्राप्त करना।
6. नगर स्तर पर उक्त योजना को लागू करने के लिए शासन के विभिन्न विभागों में आपसी सामन्जस्य।
7. शासन स्तर पर कार्यालय ज्ञाप संख्या : 1031/9-आ-1-2001 दिनांक फरवरी, 2001 के द्वारा गठित समिति के द्वारा दिये गए निर्देशों का अनुपालन।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या - 1032(1)/9-आ-1-2001 तद्दिनाँक।

1. प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, आवास एवं नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रबन्ध निदेशक, राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश।
5. सचिव, नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
6. समिति के समस्त सदस्य।

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग - 3
संख्या-408/9-आ-3-2001-74 एल.ए./96 टी.सी.
लखनऊ : दिनांक 7 मार्च, 2001

कार्यालय-ज्ञाप

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश के मुख्यालय पर शासनादेश संख्या-यूओ0-235/37-ओ0पी0-1/12 बजट/84 दिनाँक 26-12-1988 द्वारा यातायात एवं परिवहन प्रकोष्ठ का सृजन किया गया है। इस प्रकोष्ठ के क्रियाकलापों में मुख्यतः प्रदेश के बड़े नगरों में मुख्य यातायात समस्याओं जैसे यातायात सघनता, मिश्रित यातायात, परिवहन सुविधाओं का अभाव, उच्च दुर्घटना दर, मार्गों के किनारे का आच्छादन, मार्गों की चौड़ाई, चौराहों का अनियोजित स्वरूप, आदि का गहन अध्ययन कर नियोजन एवं तकनीकी सुझावों के साथ-साथ परियोजना प्रतिवेदन तैयार किये जाते है। पूर्व में आगरा, वाराणसी, तथा अर्ध कुम्भ मेला हरिद्धार 1992 के संबंध में यातायात एवं परिवहन अध्ययन तथा लखनऊ नगर में स्थित आई0टी0, बेगम हजरत महल पार्क, टेढ़ी पुलिया, वायरलेस, आलमबाग, तथा शारदा नगर स्थित चौराहों के संबंध में इण्टर स्पेशल इम्प्रूवमेन्ट प्लान के कार्य इस प्रकोष्ठ द्वारा किये गये है।

2- वर्तमान में इस प्रकोष्ठ के द्वारा प्रथमतः लखनऊ नगर की यातायात एवं परिवहन समस्याओं पर गहन अध्ययन करकं नियोजन एवं तकनीकी सुझावों को सम्मिलित कर परियोजनायें वरीयता प्रदान करते हुए तैयार की जायेगी जिसका समन्वय श्री जी0पी0 श्रीवास्तव, मुख्य वास्तुविद नियोजक (प्राधिकरण सेवा) करेंगे। इसके साथ ही आवश्यकतानुसार अन्य बड़े नगरों के सम्बंध में भी इन परियोजनाओं को तैयार करने का कार्य इस प्रकोष्ठ द्वारा किया जायेगा।

3- चूंकि ट्रैफिक प्लान का अनुमोदन करने के लिए उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 में कोई स्पष्ट प्राविधान नहीं है। अतः यह भी निर्णय लिया गया है कि तैयार किये गये ट्रैफिक प्लान का अनुमोदन मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित अधिकारी समिति के सदस्य होंगे :-

1- निदेशक, यातायात।
2- जिलाधिकारी।
3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक।
4- मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम।
5- उपाध्यक्ष, संबंधित विकास प्राधिकरण।
6- लोक निर्माण विभाग के प्रतिनिधि।
7- रेलवे विभाग के प्रतिनिधि।

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या एवं दिनाँक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य नगर अधिकारी, समस्त नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
5. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
6. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. मण्डल रेल प्रबन्धक, उत्तर रेवले एवं पूर्वोत्तर रेलवे।

आज्ञा से,
यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग - 6
संख्या 4067/9-आ-3-2001-74 एल0ए0/96 टी0 सी0
लखनऊ : दिनांक 15 नवम्बर, 2001

कार्यालय-ज्ञाप

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, के मुख्यालय पर शासन द्वारा यातायात एवं परिवहन प्रकोष्ठ का सृजन किया गया है। इस प्रकोष्ठ के द्वारा प्रदेश के बड़े नगरों में मुख्य यातायात समस्याओं जैसे-यातायात सघनता, मिश्रित यातायात, परिवहन सुविधाओं का अभाव, उच्च दुर्घटना दर, मार्गों के किनारों का आच्छादन, मार्गों की चौड़ाई, चौराहों का अनियोजित स्वरूप, आदि का गहन अध्ययन कर नियोजन एवं तकनीकी सुझावों का साथ-साथ परियोजना प्रतिवेदन तैयार किये जाते है।

2. वर्तमान में लखनऊ के साथ-साथ आगरा, मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर एवं मुरादाबाद की यातायात/परिवहन योजना तैयार किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। प्रथम चक्र में सभी प्राधिकरण वाले नगरों के ट्रैफिक प्लान बनाये जाने का लक्ष्य रखा गया है और कार्य की विस्तीर्णता को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि फिलहाल लखनऊ के अतिरिक्त एक अथवा यथासम्भव अन्य नगरों का चयन कर उसका ट्रैफिक प्लान नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा तैयार कराए जाए। शेष नगरों के लिए बाहरी एजेन्सी तय कर उनसे ट्रैफिक प्लान बनवाया जाए।

3. अतः इन बाहरी एजेन्सी के चयन व उनसे कराये जाने वाले कार्यों की रूपरेखा आदि तैयार कराने व तदुपरान्त उनके कार्यों की समीक्षा किए जाने के लिए प्रदेश स्तर पर प्रमुख सचिव/सचिव, आवास विभाग, की अध्यक्षता में एक कोर ग्रुप का गठन निम्न प्रकार किया जाता है।

(1)	प्रमुख सचिव/सचिव, आवास विभाग	- अध्यक्ष
(2)	सचिव, नगर विकास	- सदस्य
(3)	निदेशक, यातायात, उ0प्र0	- सदस्य
(4)	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	- सदस्य सचिव
(5)	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के मुख्यालय पर पूर्वी तथा पश्चिमी उ0प्र0 के नगरों के ट्रैफिक प्लान के प्रभारी (वरिष्ठ नगर नियोजक/नगर नियोजक)	- सदस्य
(6)	लखनऊ विकास प्राधिकरण के मुख्य नगर नियोजक (यातायात)/नगर नियोजक (यातायात) यदि कोई हों।	

ट्रैफिक प्लान बनाते समय निम्न प्रकार के सुझाव अलग-अलग प्रस्तुत किये जायेंगे :-

(अ) अल्पकालीन ट्रैफिक योजना, जिसमें मार्ग सुधार/विस्तार चौराहा सुधार, एक मार्गीय व्यवस्था, आइलैण्ड तथा अलग पैदल मार्ग की व्यवस्था आदि से सम्बन्धित सुझाव।

(ब) दीर्घकालीन योजना जिसमें फ्लाई ओवर, ओवर ब्रिज बाई पास आदि ऐसे सुझाव सम्मिलित किए जायें जो निर्माण अवधि तथा पूंजी निवेश के दृष्टिगत वृहत योजनाएं हों।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आवास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. सचिव, नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
3. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, यातायात, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग मुख्यालय के इस समिति में नामित सदस्यगण।
7. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश/अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
8. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
9. मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

भवदीय,

यज्ञवीर सिंह चौहान

विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग - 1
पत्र संख्या 3120/9-आ-1-1999
लखनऊ : दिनांक 02 जुलाई, 1999

कार्यालय-ज्ञाप

योजना आयोग नई दिल्ली, के पत्र संख्या **PC/WS/10(S)8/98** दिनांक 10 जून, 1999 के माध्यम से जल संरक्षण हेतु कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए है। प्राधिकरणों एवं आवास एवं विकास परिषद द्वारा विकसित की जा रही कालोनियों में पेयजल की कमी को दृष्टिगत रखते हुए जल संरक्षण हेतु कार्य-योजना निर्धारित की जा रही है।

1. प्रस्तावित योजना स्थल पर यदि प्राकृतिक तालाब, बड़े गड्ढे अथवा गहरी खाईयाँ है तो उनका स्वरूप यथावत बनाए रखा जाए एवं ले-आउट डिजाईन में यह सुनिश्चित किए जाए कि सड़कों इत्यादि का ढाल तालाब की ओर हो ताकि वारिश के पानी का भराव एवं संरक्षण इन गड्ढों में हो सके जिससे अण्डर ग्राउण्ड वाटर स्ट्रेटा की रिचार्जिंग होती रहे परन्तु यह अवश्य सुनिश्चित किया जाए कि सीवर अथवा अन्य प्रकार का गन्दा पानी ऐसे गड्ढों में जमा न होने पाए ताकि-भू-जल के प्रदूषण एवं संक्रामक रोगों से सुरक्षा हो सके।

2. विकसित की जा रही कालोनियों में कुछ-कुछ सेक्टरों में छोटे-छोटे सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट बनाए जाए एवं उनका ट्रीटेड वाटर घरेलू लान, पार्कों, सड़क के किनारे वृक्षों की सिंचाई के उपयोग में लाया जाय जिससे उपरोक्त कार्यों में उपयुक्त किए जा रहे स्वच्छ पेय जल पर अनावश्यक भार न पड़े। इस व्यवस्था से मेन ट्रंक सीवर लाईन एवं बड़े ट्रीटमेंन्ट प्लान्ट के निर्माण लागत में भी कमी लाई जा सकती है।

3. विकसित की जा रही कालोनियों में सीवर ट्रीटमेंट प्लान्ट के त्वरित निर्माण पर अत्यधिक बल दिया जाना चाहिए ताकि सीवेज वाटर से नदियों का प्रदूषण रोका जा सके।

इस संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्य-योजना का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या - 3120(1)/9-आ-1-1999 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. आवास आयुक्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
3. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग - 1
संख्या - 665/9-आ-1-2000
लखनऊ : दिनांक 15 फरवरी, 2000

कार्यालय-ज्ञाप

प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा आवास संघ द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भूखण्डों/भवनों को विकसित करने तथा अवस्थापना सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण लिया जाता है। इन वित्तीय संस्थाओं में हडको एक प्रमुख वित्तीय संस्था है, जिसके द्वारा उपरोक्त कार्यदायी संस्थाओं को पर्याप्त मात्रा में ऋण की धनराशि दी गई है, परन्तु इन कार्यदायी संस्थाओं द्वारा वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण हडको से प्राप्त ऋण तथा उस पर देय ब्याज के भुगतान में असमर्थता व्यक्त की जा रही है, जिसके फलस्वरूप उपरोक्त कार्यदायी संस्थायें हडको के ऋणों तथा देय ब्याज के भुगतानों में वितिथि (डिफाल्टर) हो गयी है। चूंकि उपरोक्त ऋणों के लिए शासन द्वारा गारण्टी दी गई है। इस कारण हडको द्वारा कार्यदायी संस्थाओं से समय से ऋण तथा उस पर देय ब्याज का भुगतान के न होने के कारण शासन द्वारा दी गई गारण्टी को (इनवोक) करने की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। समस्या के निराकरण के लिए शासन द्वारा उपरोक्त कार्यदायी संस्थाओं को समय-समय पर यह निर्देश भी दिए गये है कि समस्त वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों के प्रतिदान के सम्बन्ध में विकास प्राधिकरण/उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा "एकमुश्त समाधान योजना" के अन्तर्गत पैकेज किया जाए। इस परिप्रेक्ष्य में इलाहाबाद विकास प्राधिकरण तथा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा प्रयास किया गया है, जिसका उन्हें पर्याप्त लाभ भी मिला है। इस परिप्रेक्ष्य में कार्यदायी संस्थाओं द्वारा हडको को भी प्रस्ताव भेजे गये है, परन्तु हडको द्वारा प्रस्ताव के पक्ष में सार्थक सहमति नहीं दी जा रही है, जिसके कारण हडको के ऋणों के भुगतान के सम्बन्ध में डिफाल्ट की स्थिति बनी हुई है।

अतएव् शासन ने विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि जिस प्रकार से कुछ अन्य वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों द्वारा "एकमुश्त समाधान योजना" में छूट प्रदान की गई है, उसी प्रकार की छूट हडको द्वारा भी कार्यदायी संस्थाओं को दी जाये। इस समस्या के निराकरण तथा सुझाव हेतु निम्न प्रकार से वर्किंग ग्रुप गठित किया जाता है :-

1.	सचिव, आवास, उत्तर प्रदेश शासन	-	संयोजक
2.	प्रमुख सचिव, वित्त के प्रतिनिधि/सचिव, वित्त	-	सदस्य
3.	श्री पंकज अग्रवाल, सचिव (बैंकिंग), उ0प्र0 शासन	-	सदस्य
4.	हडको के निदेशक/कार्यकारी स्तर के अधिकारी	-	सदस्य

उपरोक्त वर्किंग ग्रुप हडको के साथ किए जाने वाले वन टाइम सेटेलमेंट पुनर्वास पैकेज के सम्बन्ध में विस्तृत सुझाव देगा कि किस प्रकार इसका समाधान किया जाये। इसके साथ-साथ उक्त समिति प्राधिकरणों की ओर से देयकों का भुगतान किए जाने के सम्बन्ध में भी उपयुक्त एवं स्वस्थ वित्तीय व्यवस्था लागू किए जाने के सम्बन्ध में भी सुझाव देगी। समिति से यह भी अपेक्षा की जाती है कि उक्त समिति यथाशीघ्र अपना सुझाव शासन को प्रस्तुत करे।

योगेन्द्र नारायण
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

संख्या - 665(1)/9-आ-1-2000 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. श्री पंकज अग्रवाल, सचिव (बैंकिंग), उत्तर प्रदेश शासन।
3. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, हडको।
4. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
5. आवास आयुक्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश आवास संघ।

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या-321/आ0ब0/नि0स0-सेनेटरी मार्ट/2000-01

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनाँक- 7 जुलाई 2000

आवास बन्धु

विषय : आश्रय योजना तथा भाऊराव देवरस योजना के अन्तर्गत निर्मित होने वाले भवनों में सेनेटरी मार्ट द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली सामग्री का उपयोग।

महोदय,

प्रदेश में मैल ढोने जैसे अमानवीय पेशे का प्रचलन अभी भी है अतः इससे सम्बन्धित स्वच्छकारों की विमुक्ति एवं पुनर्वास हेतु भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार प्रदेश में सेनेटरी मार्टस योजना (विवरण संलग्न) चलायी जानी प्रस्तावित है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके प्राधिकरण में आश्रय योजना के अन्तर्गत जो भी भवन निर्मित किये जाये, उनमें शौचालय के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री उक्त सेनेटरी मार्ट से ही क्रय की जाये।

उपरोक्त आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या - (1)/आ0बा0/नि0स0-सेनेटरी मार्ट/2000-01 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सूचनार्थ प्रेषित :-

आज्ञा से,
आनन्द कुमार
अनु सचिव

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम

सेनेटरी मार्ट योजना

सेनेटरी मार्ट योजना

प्रदेश में अभी भी मैला ढोने जैसे अमानवीय पेशे का प्रचलन है। इस अमानवीय पेशे से सम्बन्धित स्वच्छकारों की विमुक्ति एवं पुनर्वासन हेतु प्रदेश में संचालित योजनाओं में अभी तक सीमित सफलता प्राप्त हो सकी है। इसी सामाजिक कलंक को समाप्त करने के लिए **मा0 प्रधानमंत्री जी ने दिसम्बर, 1999 में घोषणा की कि स्वच्छकारों का पुनर्वासन राष्ट्रीय लक्ष्य है।** पिछले अनुभवों से स्पष्ट है कि शुष्क शौचालयों के रहते स्वच्छकारों की विमुक्ति सम्भव नही है। सुलभ इन्टरनेशनल से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के नगरीय क्षेत्र में शुष्क शौचालयों की अनुमानित संख्या 19,94,520 है और 20,54,960 आवास शौचालयविहीन है।

वर्ष 1992-93 में निगम द्वारा कराये गये सर्वेक्षण के अनुसार भारत सरकार द्वारा परिभाषित मैला तथा गन्दगी के सफाई में पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से पेशे में लगे स्वच्छकारों तथा उनके पात्र आश्रितों की संख्या 2,46,916 पायी गई थी। वर्ष 1996-97 तक इनमें से 1,29,920 व्यक्तियों को निगम द्वारा स्वरोजगार हेतु वित्त-पोषित किया गया। वर्ष 1996-97 में भारत सरकार की नयी परिभाषा के अनुसार केवल व्यक्तियों को निगम द्वारा स्वरोजगार हेतु वित्त-पोषित किया गया। वर्ष 1996-97 में भारत सरकार की नयी परिभाषा के अनुसार केवल शुष्क शौचालयों में कार्यरत स्वच्छकार एवं उनके पात्र आश्रितों का पुर्नसर्वेक्षण कराया गया। इसमें कुल 46,588 पात्र व्यक्ति चिन्हित किये गये। निगम द्वारा वर्ष 1999-2000 तक इनमें से 41,484 व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु वित्त-पोषित किया जा चुका है। इस प्रकार अब मात्र 7,104 पात्र व्यक्ति वित्त-पोषण हेतु अवशेष है, परन्तु, फरवरी-मार्च,2000 में कराये गये त्वरित सर्वेक्षण के आधार पर अभी भी अनुमानित तौर पर 1,49,202 व्यक्ति मैला ढोने जैसे अमानवीय पेशे से सम्बद्ध है। इस आंकड़े की पुष्टि वास्तविक सर्वेक्षण के आधार पर कराया जाना आवश्यक है। इसी पृष्ठभूमि में भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार प्रदेश में सेनेटरी मार्ट्स योजना के माध्यम से स्वच्छकारों की विमुक्ति एवं पुनर्वासन किया जाना प्रस्तावित है।

योजना का लक्ष्य

1. ऐसे स्वच्छकार जो मैला ढोने के अमानवीय पेशे में कार्यरत है, को उक्त पेशे से पूर्ण रूप से मुक्त कराया जाना।
2. ऐसे उपलब्ध स्वच्छकारों तथा उनके पात्र आश्रितों को स्वरोजगार का स्थाई अवसर उपलब्ध कराया जाना।
3. ऐसा वातावरण तथा स्थिति तैयार करना, जिससे इस अमानवीय पेशे की आवश्यकता ही न रह जाये एवं समाज में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा हो।

योजना का स्वरूप

सेनेटरी मार्ट्स एक ऐसा बाजार है, जहाँ सामान्य व्यक्तियों की स्वच्छता सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। यह उत्पादन केन्द्र दुकान एवं सेवा केन्द्र तीनों रूप में कार्य करता है। उत्पादक के रूप में सेनेटरी मार्ट शौचालयों के निर्माण में उपयोग होने वाली सामग्रियों तथा स्वच्छता सम्बन्धी सामग्रियों जैसे-पैन, टैप, फुटरेस्ट, फिनायल, ब्रश आदि का उत्पादन करता है। दुकान के रूप में यह स्वच्छता सम्बन्धी सामग्रियों का विक्रय करता है, जिनमें शौचालयों के निर्माण में प्रयोग होने वाली आवश्यक समस्त सामग्रियों यथा-सेनेटरी पैन, स्ट्रैप, पिट कवर्स तथा स्वच्छता सम्बन्धी अन्य सामग्रियाँ यथा-साबुन, टायलेट ब्रश, ब्लीचिंग पाउडर, फिनायल इत्यादि सम्मिलित है। सेवा केन्द्र के रूप में शौचालयों के निर्माण तथा तत्सम्बन्धी आवश्यक जानकारी तथा सलाह देने का कार्य सेनेटरी मार्ट द्वारा किया जाता है। अत: सेनेटरी मार्ट की अवधारणा उत्पादन, विपणन तथा सेवा सम्बन्धी कार्यों के माध्यम से वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने पर आधारित है।

गठन एवं वित्त पोषण

सेनेटरी मार्ट के संचालन हेतु 20 से 30 ऐसे व्यक्तियों की समिति बनाया जाना प्रस्तावित है, जो मैला ढोने के काम में लगे हुए है। तत्पश्चात् सेनेटरी मार्ट्स के संचालन के लिए प्रोजेक्ट बनाया जायेगा जिसमें मसूह को इस प्रकार सब्सिडी एवं मार्जिन मनी की सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेगी, जैसी अभी तक स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत थी। उदाहरणार्थ 25 व्यक्तियों की समिति में प्रत्येक व्यक्ति को 20 हजार रूपये की प्रोजेक्ट धनराशि के सापेक्ष मार्ट की परियोजना की कुल लागत रु0 5 लाख होगी, जिसमें से रु0 10 हजार प्रत्येक व्यक्ति को सब्सिडी अर्थात रु0 2.5 लाख सब्सिडी एवं रू0 3 हजार प्रत्येक व्यक्ति अर्थात रू0 75 हजार कुल 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर मार्जिन मनी एवं शेष रू0 1.75 लाख समिति को बैंक से ऋण प्राप्त कराया जायेगा। उपरोक्तानुसार 20 व्यक्तियों की समिति के लिए कुल परियोजना लागत रू0 6 लाख होगी। बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सम्भावित

कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से धनराशि प्राप्त कर बैक ऋण से स्थान पर सीधे धनराशि देने का विकल्प विचाराधीन है।

इस प्रकार उपरोक्त गठित एवं स्थापित सेनेटरी मार्ट्स द्वारा स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से जहाँ एक ओर शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तित करने के लिए सूचना शिक्षा एवं प्रसार वृहद अभियान चलाया जायेगा, वही इस मार्ट द्वारा किये जा रहे व्यवसाय से अर्जित लाभ से इस समिति में लगे व्यक्तियों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।

अद्यतन कृत कार्यवाही

प्रदेश में इस योजना के संचालन हेतु निम्न कार्यवाहियाँ कर ली गयी है :

1. प्रदेश में त्वरित सर्वेक्षण के आधार पर अनुमानित 1,49,202 स्वच्छकार एवं उनके आश्रित अभी भी मैला ढोने जैसे अमानवीय पेशे से सम्बद्ध पाये गये है। इन आंकड़ों की पुष्टि हेतु वास्तविक सर्वेक्षण कराया जाना आवश्यक है।

2. प्रदेश में सेनेटरी मार्ट के माध्यम से स्वच्छकारों एवं उनके आश्रितों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने हेतु समस्त जिलाधिकारियों एवं मण्लायुक्तों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये जा चुके है।

3. जनपद-बरेली, बदायूँ तथा मुरादाबाद में 15 सेनेटरी मार्ट समितियों का गठन कर लिया गया है, जिनके पंजीयन की कार्यवाही चल रही है। जनपद-लखनऊ में यह कार्य प्रगति पर है।

4. सेनेटरी मार्ट समितियों के बाई-लाज तथ वित्त पोषण हेतु परियोजना तैयार करा लिया गया है।

योजना की सफलता के लिए क्रिटिकल बिन्दु

1. शुष्क शौचालयों का जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तन किया जाना।

2. मार्ट में लगे व्यक्तियों का प्रशिक्षण।

3. मार्ट के प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उत्पादित शौचालयों निर्माण सम्बन्धी सामग्री के विक्रय हेतु मांग।

4. मार्ट के प्रशिक्षित स्वरोजगारियों के द्वारा शौचालय निर्माण हेतु माँग।

5. मार्ट के दुकान में उपलब्ध स्वच्छता सामग्रियों के विक्रय हेतु माँग।

अस्तु, जहाँ एक तरफ सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) के माध्यम से जनता में उक्त कार्यों के लिए मांग पैदा की जानी होगी, वही सेनेटरी मार्ट योजना की सफलता के लिए प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा उक्त मार्ट के माध्यम से सृजित किये जा रहे सेवा, उत्पादन एवं विपणन क्षमता का उपयोग किया जाना भी आवश्यक होगा।

ज्ञातव्य है कि प्रदेश में नगर विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग, राजस्व विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, आवास विभाग तथा पंचायती राज विभाग में शौचालयों में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियाँ तथ स्वच्छता सम्बन्धी सामग्रियों का उपयोग किया जाता है सेनेटरी मार्टों के माध्यम से उल्लिखित विभागों में वर्णित सामग्रियों की आपूर्ति जहां कही सम्भव हो वहां किये जाने से जहां एक ओर सामग्रियों की गुणवत्ता का स्तर बनाये रखा जा सकता है, वही दूसरी ओर सामाजिक रूप से पिछड़े एवं अमानवीय पेशे में गे स्वच्छकारों का वैकल्पिक रोजगार आर्थिक रूप से परिपुष्ट होगा।

योजना की आर्थिक परिपुष्टता हेतु अपेक्षित अन्तर्विभागीय सहयोग

वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत सेनेटरी मार्ट्स योजना की सफलता एवं उसके आर्थिक दृष्टि से परिपुष्टता के लिए निम्न कार्यवाहियाँ प्रस्तावित है :-

1. **नगर विकास विभाग** के माध्यम से नगर निगमों तथा नगर निकायों को यह निर्देश जारी किये जायें कि सेनेटरी मार्ट के निर्माण हेतु आवश्यकतानुसार भूखण्ड व्यवसायिक स्थलों पर लीज पर उपलब्ध करा दे।

2. **नगर विकास विभाग** के माध्यम से यह व्यवस्था की जाये कि समस्त नगर निगमों एवं नगर निकायों में स्वच्छता सम्बन्धी सामग्रियों का क्रय यथासम्भव सेनेटरी मार्ट से किये जाने की व्यवस्था की जाये।

4. **नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग** के माध्यम से यह व्यवस्था की जाये कि शुष्क शौचालयों को जल-प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तित करने के कार्य में यथासम्भव सेनेटरी मार्ट का उपयोग किया जाये। साथ ही शौचालयों के निर्माण में उपयोग होने वाली सामग्री तथा स्वच्छता सम्बन्धी सामग्रियों की आपूर्ति यथासम्भव सेनेटरी मार्ट के मध्यम से करायी जाये।

5. **राजस्व विभाग** के माध्यम से व्यवस्था कराई जाये कि कलेक्ट्रेट एवं राजस्व कार्यालयों में सवच्छता सम्बन्धी सामग्रियों की आपूर्ति यथासम्भव सेनेटरी मार्ट के माध्यम से करायी जाये।

6. **ग्राम्य विकास विभाग** के माध्यम से व्यवस्था कराई जाये कि ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत शौचालयों के निर्माण में उपयोग होने वाली सामग्रियों की आूपर्ति यथासम्भव सेनेटरी मार्ट के माध्यम से कराई जाये।

7. **शासकीय निर्माण विभागों** जैसे-लोक निर्माण विभाग, आवास-विकास परिषद, पुलिस आवास निगम आदि के माध्यम से यह व्यवस्था कराई जाये कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक भवनों में शौचालयों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री तथा स्वच्छता सम्बन्धी सामग्रियों की आपूर्ति यथासम्भव सेनेटरी मार्ट के माध्यम से कराई जाये।

8. **आवास विभाग** के माध्यम से यह व्यवस्था कराई जाये कि भाऊरावदेवरस योजनान्तर्गत निम्नतम आय वर्ग के लिए निर्मित होने वाले भवनों के शौचालयों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों की आपूर्ति यथासम्भव सेनेटरी मार्ट के माध्यम से कराई जाये।

9. **पंचायती राज विभाग** के माध्यम से यह व्यवस्था कराई जाये कि ग्राम प्रधानों, ब्लाक प्रमुखों आदि माननीय जनप्रतिनिधियों, जिनके भवनों में शुष्क शौचालय है अथवा शौचालयों की व्यवस्था नहीं है, उनके भवनों में शौचालयों के निर्माण सेनेटरी मार्ट के माध्यम से कराये जाएं ताकि समाज के अन्य व्यक्ति भी उनका अनुसरण करें। पंचायती राज विभाग पूर्व से ही ग्रामीण सेनेटरी मार्ट योजना का संचालन कर रहा है, इसलिए समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित सेनेटरी मार्ट योजना में पंचायती राज विभाग की सम्बद्धता सम्भव है। यह विभाग यथासम्भव सेनेटरी मार्ट की सामान का प्रयोग समीपवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के स्वच्छता कार्यक्रम में कर सकता है।

10. **मण्लायुक्तों/जिलाधिकारियों** को निर्देश दिया जाय कि वे अपने मण्डल/जनपद को मैला ढोने के पेशे से मुक्त करने हेतु अंतर्विभागीय समन्वय तथा सहयोग से सघन प्रयास करें। वे स्वयं कार्य योजना एवं रणनीति तैयार करके निश्चित अवधि के अन्तर्गत अपने मण्डल/जनपद को उक्त पेशे से पूर्णतया मुक्त जनपद घोषित करायें। इस कार्य में सफलता हासिल करने वाले मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी को शासन स्तर से प्रशस्ति-पत्र जारी किया जाये।

उपरोक्त के अतिरिक्त इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय सफाई मजदूर वित्त एवं विकास निगम से ऋण प्राप्त करने हेतु वित्त विभाग से 5 करोड़ रूपये की शासकीय गारण्टी अपेक्षित है।

प्रेषक,

टी. जार्ज जोसेफ,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
आवास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-5

लखनऊ : दिनाँक : 22 जनवरी, 2001

विषय : **जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सम्पत्तियों के न्यूनतम बाजार मूल्य व विकास प्राधिकरणों/उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् द्वारा निर्धारित मूल्यों में एकरूपता लाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

इस विभाग द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण व जिलाधिकारी लखनऊ से सम्पत्तियों की मूल्य दरें प्राप्त करके उनके तुलनात्मक अध्ययन किया गया है, जिससे यह पता चला है कि जहां जिलाधिकारी द्वारा आवासीय व व्यावसायिक भूमि व भवनों की दरें अलग-अलग निर्धारित की गई है। वही विकास प्राधिकरण द्वारा एक ही प्रकार की दरें निर्धारित की गई है। कई मामलों में कलेक्टर द्वारा निर्धारित आवासीय दरें विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दरों से कम है किन्तु व्यावसायिक दरें अधिक है। इस विभाग को यह आशंका है कि अन्य विकास प्राधिकरणों में भी इसी प्रकार की स्थिति होगी और उत्तर प्रदेश आवस एवं विकास परिषद द्वारा निर्धारित दरें भी कई स्थानों पर जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम बाजार मूल्य से कम होंगी। जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दरें प्रत्येक दो वर्ष बाद आमतौर पर पुनरीक्षित की जाती है और आवश्यकतानुसार इस अवधि के बीच में भी उन्हें पुनरीक्षित किया जा सकता है किन्तु विकास प्राधिकरणों व उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् द्वारा निर्धारित दरें प्रत्येक दो वर्ष में सामान्यत: पुनरीक्षित नही होती है।

2. उपरोक्त स्थिति को देखते हुए इस विभाग का प्रस्ताव है कि आवास विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् व समस्त विकास प्राधिकरणों की निर्देश दे दिये जाय कि जहाँ भी उनके द्वारा निर्धारित सम्पत्तियों की दरें जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम बाजार मूल्य से कम हों, वहां वे अपनी दरें बढ़ाकर न्यूनतम बाजार मूल्य के अनुरूप दरें निर्धारित करें, ताकि कम दरों के कारण उन्हें वित्तीय हानि न हो और न ही स्टाम्प शुल्क के रूप में प्राप्त होने वाली राजस्व की हानि सरकार की हो। दरें सुव्यवस्थित होने पर इन संस्थाओं के प्लाट व भवन प्राप्त करने की आपाधापी व उसमें सन्निहित भ्रष्टाचार में भी कमी आयेगी। इसी के साथ कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि यह संस्थायें अपनी मूल्य दरें सामान्याता प्रत्येक दो वर्ष में पुनरीक्षित किया करें ताकि आगे भी जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम बाजार मूल्यों से उनकी एकरूपता बनी रहे।

3. जिन क्षेत्रों में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम बाजार मूल्य की दरें विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद् द्वारा निर्धारित मूल्य की दरों से कम हों, वहाँ अपनी दरें पुनरीक्षित करने के निर्देश इस विभाग द्वारा जिलाधिकारियों को दिये जा रहे है।

भवदीय,
टी0 जार्ज जोसेफ
प्रमुख सचिव

संख्या-क0नि0-5-515 (1)/11-2001-500 (35)/2000 तद्दिनांक

प्रतिलिपि :

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे अपने जनपदों में जिन क्षेत्रों की सम्पत्तियों की न्यूनतम बाजार मूल्य की दरे संबंधित विकास प्राधिकरण/उ0प्र0 आवास विकास परिषद्, की मूल्य की दरों से कम हों, उनमें शीघ्र दरों को पुनरीक्षित कराने की कार्यवाही करते हुए दरों में एकरूपता स्थापित करने का प्रयत्न करें और कृत कार्यवाही से शासन को भी सूचित करें।
2. स्टाम्प आयुक्त व अपर सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद को सूचनाथ प्रेषित।

आज्ञा से,
टी0 जार्ज जोसेफ
प्रमुख सचिव

संख्या-455/9-आ-62001-1019यू0सी0/2001

प्रेषक,

दीन दयाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त,
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. निदेशक,
नगर भूमि सीमारोपण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3. मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक,
नगर एंव ग्राम्य नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

5. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र,
विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।

लखनऊः दिनाँक- 7 अप्रैल, 2001

आवास अनुभाग-6

विषय : माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 26.12.2002 को योजना भवन में प्रमुख सचिव/सचिवों की हुई बैठक में लिये गये निर्णय का क्रियान्वयन।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 26.12.2000 को योजना भवन में प्रमुख सचिवों/सचिवों की एक बैठक सम्पन्न हुई जिसमें शासन एवं प्रशासन पर जनता की आस्था और विश्वास को सुदृढ़ करने के लिये पूरी लगन, निष्ठा एवं सवेंदना के साथ जन समस्याओं के त्वरित एवं अन्तिम निस्तारण के लिये प्रत्येक स्तर पर एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के साथ मनुष्य की मान-सम्मान और स्वाभिमान की बलवती भावना के प्रति सजग रहने पर विचार विमर्श किया गया। इस मूल उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु बैठक में विचार विमर्श के उपरान्त निम्नांकित निर्णय लिये गये :-

1. शासन एवं प्रशासन के अधिकारी एवं कर्मचारीगण जन सामान्य जन प्रतिनिधियों के साथ सदव्यवहार एवं शिष्ठाचार को अपनी कार्यशौली को बनायें तथा दूसरों में दोष देखने के स्थान पर आत्मनिरीक्षण द्वारा सदैव स्वयं को बेहतर बनायें। वरिष्ठ अधिकारीगण इस दिशा में एक आदर्श प्रस्तुत करके अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये एक दृष्टान्त प्रस्तुत करें।

2. कार्यो का निस्तारण पूर्ण ईमानदारी एवं दक्षता के साथ त्वरित गति से किया जाना चाहिए तथा जो भी कार्यक्रम बनायें जाये वे पूर्ण रूप से नियोजित एवं समयबद्ध हों।

3. उल्लेखनीय एवं श्रेष्ठ कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की जानी चाहिये, किन्तु कर्तव्यों के उपेक्षा करने वाले अधिकारी की सार्वजनिक निन्दा न करके उनमें सुधार लाने की दृष्टि से उनके वरिष्ठ अधिकारियों को उन्हें अकेले में समझाना चाहिये। यदि तब भी सुधार न हो तो नियमों के अनुसार दोषपूर्ण कार्य करने वाले अधिकारियों को आवश्यक दण्ड प्रदान किया जाय।

4. प्रशासन को ''प्रीडिक्टिव एण्ड प्रिवेन्टिव'' होना चाहिये न कि रिएक्टिव''। प्रशासनिक अधिकारियों से यह अपेक्षा

है कि वे अपने पद के दायित्वों को समझें तथा इन्हें पूर्ण करने के मार्ग में आने वाली चुनौतियों को दूर करने की कार्ययोजना पहले से तैयार रखें।

5. ऐसी नीति बनायी जाय जो अधिकारियों में निहित स्वप्रेरणाशक्ति को विकसित एंव मुखरित होने का अवसर दें।

6. वरिष्ठ अधिकारी विभागीय प्राथमिकताएं तथा लक्ष्य निर्धारित करें तथा इन लक्ष्यों की प्राप्ति उपलब्ध मानव एवं भौतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग करते हुये सुनिश्चित करें।

7. भ्रमण कार्यक्रमों को आउट-पुट की दृष्टि से सार्थक बनाया जाय। अनावश्यक रूप से दिल्ली एंव अन्य स्थानों की यात्रायें न की जाय। मुख्यालय से बाहर की बैठकों में निर्णय लेने के लिये सक्षम स्तर के अधिकारी स्वयं पूरी तैयारी के साथ भाग ले, तथा अपने साथ बड़ी संख्या में सहयोगियों को न ले जायं।

8. वरिष्ठ अधिकारियों के परिवारजनों द्वारा एन0जी0ओ0 चलाकर या अन्यथा उनके पद का अनुचित लाभ लेने की शिकायतें बढ़ रही है अत: इस पर तत्काल प्रभावी नियंत्रण लगाया जाय।

9. मीडिया को सूचना देने हेतु शासन द्वारा एक प्रक्रिया निर्धारित है तथा इस प्रक्रिया का उल्लघंन करके सस्ती लोकप्रियता एवं प्रचार के लिये मीडिया से सम्पर्क न किया जाये और ऐसा करने वाले के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाय।

10. प्राथमिकताओं का पुर्ननिर्धारण कर योजनाओं की संख्या में कमी की जाये ताकि महत्वपूर्ण योजनाओं हेतु धन व ध्यान दिया जा सके। अगला वर्ष नवीन पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष है इसीलिए जीरो वेस बजटिंग के आधार पर विचार किया जाये और वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि के साथ-साथ गुणात्मक उपलब्धि हेतु भी प्रभावी व्यवस्था की जाय।

11. एकाउण्टेबिलिटी निर्धारण के लिये वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के प्रारूप को अर्थपूर्ण बनाया जाये ताकि प्रत्येक कर्मचारी अपनी दक्षता का अपेक्षित स्तर बनाये रखने के लिये प्रेरित रहे।

12. अधिकारियों द्वारा शिलान्यास, उद्घाटन न करने हेतु समय-समय पर शासनादेश जारी किये गये है। किन्तु इसका सम्यक अनुपालन नही हो रहा है अत: तद्विधेयक शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

13. न्यायिक प्रकरणों में शासकीय हितों की सुरक्षा के लिये सभी स्थायी अधिवक्ताओं के साथ विभागों का तालमेल बेहतर बनाया जाय तथा जिन मामलों में आवश्यक हो वहां निधारित दरों पर अलग से भी विशेष अधिवक्ता की तैनाती के लिये व्यवस्था की जाय।

14. प्रदेश पुर्नगठन के परिणामस्वरूप सृजित नये राज्य उत्तरांचल से सम्बन्धित विषयों को प्रत्येक विभाग में प्राथमिकता के आधार पर देखा जाय तथा निर्णय लिया जाय।

15. सोमवार का दिन मुख्यालय दिवस रहेगा तथा इस दिवस पर कोई बैठक न आयोजित की जाय। सभी स्तर के अधिकारी इस दिन मुख्यालय पर उपलब्ध रहेंगे ताकि जनता उनसे मिल सके।

16. विभागीय देयों, औद्योगिक ऋण एवं सहकारी ऋण आदि की वसूली के लिये विशेष प्रयास किये जायें एवं आवश्यकता हो तो एक वसूली अभियान भी आयोजित की जाय।

17. जन सामान्य के शिकायती पत्रों का समयबद्ध एवं सम्यक निस्तारण किया जाय तथा कृत कार्यवाही से शिकायत कर्ता को भी सूचित किया जाय।

कृपया उपर्युक्त निर्णयों का अपने-अपने विभागों में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये कृत कार्यवाही से शासन को दो सप्ताह के अन्दर अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
दीन दयाल
संयुक्त सचिव

संख्या 455 (2)/9आ-6-2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को उनके अर्द्ध शा0 पत्रांक 687/43-2-2001-14/2-(59)/2000 दिनांक 3.3.2001 के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

आज्ञा से,
दीन दयाल
अनु सचिव

संख्या-1872/9-आ-1-32 विविध/2001

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनाँक-21 अप्रैल, 2001

आवास अनुभाग - 1

विषय :प्राधिकरण द्वारा आवासीय योजनाएं वर्ष 2001-2002 हेतु विकास योजना।

महोदय,

विकास प्राधिकरण द्वारा नगरीय विकास के लिए विभिन्न कार्य एवं कार्यक्रम निष्पादित किए जाते है। परन्तु विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकलाप, जो आय के मुख्य श्रोत है और जिनसे प्राधिकरण के अधिकांश व्यय वित्त पोषित होते है, आवासीय योजनाएं ही है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्राधिकरण आवासीय योजनाओं की प्रगति और उनकी ''पाईप-लाईन'' पर गहराई से ध्यान दे, आवश्यक है कि इस हेतु एक वार्षिक योजना बनाई जाये और तद्नुसार वित्तीय व अन्य संसाधनों का प्रबन्ध किया जाय तथा कार्य सम्पादित किए जायें।

इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं की विकास योजना 2001-2002, निम्न बिन्दुओं का समावेश करते हुए तैयार की जाय :

1. **भू-अर्जन** : प्रश्नगत वर्ष में कितनी भूमि के सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की जायेगी, अर्थात् कितनी भूमि की धारा-4, धारा-6 की अधिसूचना कराई जायेगी व कितनी भूमि का कब्जा प्राप्त किया जायेगा। इस मद में धनराशि की क्या आवश्यकता होगी।
2. **मुख्य एवं वाह्य विकास कार्य** : विभिन्न आवासीय योजनाओं में कौन-कौन से ट्रंक/वाह्य विकास कार्य किए जायेंगे व उनके लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी।
3. **आन्तरिक विकास कार्य** : वर्ष में कितने क्षेत्रफल पर आंतरिक विकास कार्य किए जायेंगे और उसके लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी।
4. **निर्माण कार्य** : वर्ष में कितने भवन किस-किस श्रेणी के बनाये जायेंगे और उनके लिए कितनी धनराशि आवश्यक होगी।
5. **इन्फास्ट्रक्चर की कमियाँ** : विभिन्न आवासीय योजनाओं में अवस्थापनाओं की ऐसी कमियाँ जिनसे योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, को पूर्ण करने का प्रयास किया जाये। इस प्रकार के कौन-कौन से कार्य लिए जायेंगे व उनके लिए धनराशि की क्या आवश्यकता होगी।

उपरोक्त पाँचों बिन्दुओं पर कार्य योजना बनाई जानी अपेक्षित है। आवश्यक धनराशि का आंकलन करते हुये यह भी विचार करना होगा कि इनका वित्त पोषण किस प्रकार संभव हो सकता है ताकि तत्काल तद्नुसार वित्तीय संसाधन प्राप्त करने के लिए प्रयास प्रारम्भ कर दिये जायें।

कृपया उपरोक्तानुसार विचार करते हुए सुविचारित कार्य योजना 05 मई, 2001 तक तैयार कर लें तथा उनका सारांश संलग्न प्रारूप पर प्रत्येक दशा में 07 मई, 2001 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या - 1872(1)/9-आ-1-2001, तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि समस्त अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कि उपरोक्तानुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

.....विकास प्राधिकरण

आवासीय योजना के विकास की कार्य योजना 2001–2002

क्रमांक		कार्य योजना लक्ष्य				वित्तीय आवश्यकता (रु0 लाख)	
		इकाई	भौतिक लक्ष्य	कुल	वर्ष में	स्त्रोत अपने/ऋण/अनुदान	व्यवस्थित धनराशि
3	आंतरिक विकास						
	क्षेत्रफल (चालू से पूर्ण)	एकड़					
	क्षेत्रफल (नये)	एकड़					
	विकसित भूखंड नये	संख्या					
			योग				
4.	निर्माण कार्य						
	आश्रय	संख्या					
	भाउराव देवरस	संख्या					
	अन्य स्वयंवित्त पोषित	संख्या					
			योग				
5	अवस्थापना "गैप"						
			योग				
			महायोग				

.....विकास प्राधिकरण

आवासीय योजना के विकास की कार्य योजना 2001–2002

क्रमांक		कार्य योजना लक्ष्य		वित्तीय आवश्यकता (रु0 लाख)			
		इकाई	भौतिक लक्ष्य	कुल	वर्ष में	स्त्रोत अपने/ऋण/अनुदान	व्यवस्थित धनराशि
1	भूमि अर्जन						
	(क) नई धारा 4 अधिसूचनाऐं	एकड़					
	(ख) नई धारा 6 अधिसूचनाऐं	एकड़					
	(ग) नये कब्जे	एकड़					
			योग				
2.	ट्रंक/वाह्य विकास कार्य (चालू + नये)						
	(क) नाले	कि0मी					
	(ख) सीवर लाइन	कि0मी					
	(ग) जलापूर्ति						
	नलकूप	संख्या					
	जलाशय	संख्या					
	राइज़िंग मेन	कि0मी0					
	(घ) विद्युत						
	सब स्टेशन	संख्या					
	हाई टेंशन लाइन	कि0मी0					
	(च) सड़क						
	मुख्य मार्ग	कि0मी0					
	पुल	संख्या					
			योग				

संख्या-ए-1-1173/दस-2001-10 (55)/2000

प्रेषक,

वी0 के0 शर्मा,
सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनाँक- 27 अप्रैल, 2001

वित्त लेखा अनुभाग-1

विषय :टेण्डर प्रक्रिया एवं क्रय में पारदर्शिता।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड - 5, भाग - 1 के परिशिष्ट - XVIII में दिये गये ''भण्डार क्रय नियमों'' तथा परिशिष्ट - XIX में शासन की ओर से ''संविदा'' अथवा ''अनुबंध'' किये जाने हेतु अपनाये जाने वाले सामान्य सिद्धान्तों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ हे कि शासकीय कार्यों के सम्पादन में पारदर्शिता लाये जाने की शासन की नीति के अन्तर्गत टेण्डर प्रक्रिया एवं क्रय के सम्बन्ध में निम्नांकित बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाये :-

(क) टेण्डर सूचना का प्रकाशन तथा टेण्डर डाकूमेंट्स का उपलब्ध कराया जाना -

टेण्डर प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाये जाने की दृष्टि से आई0टी0 एवं इलैक्ट्रानिक अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या : 1794/70-आई0टी0-2000, दिनांक : 08 नवम्बर, 2000 के बिन्दु संख्या : 17 के अनुसार शासन के विभागों द्वारा जारी टेण्डरों की सूचना तथा टेण्डर फार्म की प्रति **www.up info-org** की साइट पर उपलब्ध करायी जायेगी।

(ख) टेण्डरों को फाइनल किया जाना -

(1) निर्माण कार्यों के कान्ट्रेक्ट तथा सामग्री की खरीद आदि के सम्बन्ध में क्रय अनुबन्ध में क्रय अनुबन्ध किये जाने हेतु प्राप्त टेण्डरों के निविदादाताओं से बातचीत (निगोशियेशन) सामान्यतः न की जाये। यदि निगोशियेशन द्वारा निविदा प्रकरण में संविदा निष्पादित किया जाना अनिवार्य हो तो सभी निविदादाताओं (जो अर्हता क्षेत्र में आते है) से बातचीत (निगोशियेशन) की जाये।

(2) जिन मामालों में ''टेक्निकल बिड'' तथा ''फाइनेंशियल बिड'' दी जानी होती है, उनमें ''टेक्निकल बिड'' के मूल्यांकन के निष्पक्ष मापदण्ड (आब्जेक्टिव क्राइटेरियन) होने चाहिए। इस सम्बन्ध में विभागों द्वारा मात्रात्मक मूल्यांकन (**Quantitative Evaluation**) हेतु मानक मापदण्ड निर्धारित किए जायें। मानक मापदण्डों का उल्लेख टेण्डर डाक्यूमेण्ट में भी किया जाये। टेक्निकल बिड के मूल्यांकन में किसी ऐसे बिन्दु या मापदण्ड पर विचार नहीं किया जायेगा जिसका उल्लेख टेण्डर डाक्यूमेन्ट में न किया गया हो।

(3) टेक्निकल बिड/प्री क्वालीफिकेशन बिड की कण्डीशंस अथवा बिड्स के मूल्यांकन के मापदण्ड शिथिल नहीं किये जायें। इनमें कोई परिवर्तन भी अनुमन्य नहीं होगा, इस आशय का उल्लेख टेण्डर नोटिस (एन0आई0टी0) में ही कर दिया जाये।

संख्या-ए-1-1173/दस-2001-10 (55)/2000

प्रेषक,

वी0 के0 शर्मा,
सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ: दिनाँक- 27 अप्रैल, 2001

वित्त लेखा अनुभाग-1

विषय :टेण्डर प्रक्रिया एवं क्रय में पारदर्शिता।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड - 5, भाग - 1 के परिशिष्ट - XVIII में दिये गये ''भण्डार क्रय नियमों'' तथा परिशिष्ट - XIX में शासन की ओर से ''संविदा'' अथवा ''अनुबंध'' किये जाने हेतु अपनाये जाने वाले सामान्य सिद्धान्तों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ हे कि शासकीय कार्यों के सम्पादन में पारदर्शिता लाये जाने की शासन की नीति के अन्तर्गत टेण्डर प्रक्रिया एवं क्रय के सम्बन्ध में निम्नांकित बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाये :-

(क) टेण्डर सूचना का प्रकाशन तथा टेण्डर डाकूमेंट्स का उपलब्ध कराया जाना -

टेण्डर प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाये जाने की दृष्टि से आई0टी0 एवं इलैक्ट्रानिक अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या : 1794/70-आई0टी0-2000, दिनांक : 08 नवम्बर, 2000 के बिन्दु संख्या : 17 के अनुसार शासन के विभागों द्वारा जारी टेण्डरों की सूचना तथा टेण्डर फार्म की प्रति **www.up info-org** की साइट पर उपलब्ध करायी जायेगी।

(ख) टेण्डरों को फाइनल किया जाना -

(1) निर्माण कार्यों के कान्ट्रेक्ट तथा सामग्री की खरीद आदि के सम्बन्ध में क्रय अनुबन्ध में क्रय अनुबन्ध किये जाने हेतु प्राप्त टेण्डरों के निविदादाताओं से बातचीत (निगोशियेशन) सामान्यत: न की जाये। यदि निगोशियेशन द्वारा निविदा प्रकरण में संविदा निष्पादित किया जाना अनिवार्य हो तो सभी निविदादाताओं (जो अर्हता क्षेत्र में आते है) से बातचीत (निगोशियेशन) की जाये।

(2) जिन मामालों में ''टेक्निकल बिड'' तथा ''फाइनेंशियल बिड'' दी जानी होती है, उनमें ''टेक्निकल बिड'' के मूल्यांकन के निष्पक्ष मापदण्ड (आब्जेक्टिव क्राइटेरियन) होने चाहिए। इस सम्बन्ध में विभागों द्वारा मात्रात्मक मूल्यांकन (**Quantitative Evaluation**) हेतु मानक मापदण्ड निर्धारित किए जायें। मानक मापदण्डों का उल्लेख टेण्डर डाक्यूमेण्ट में भी किया जाये। टेक्निकल बिड के मूल्यांकन में किसी ऐसे बिन्दु या मापदण्ड पर विचार नही किया जायेगा जिसका उल्लेख टेण्डर डाक्यूमेन्ट में न किया गया हो।

(3) टेक्निकल बिड/प्री क्वालीफिकेशन बिड की कण्डीशंस अथवा बिड्स के मूल्यांकन के मापदण्ड शिथिल नहीं किये जायें। इनमें कोई परिवर्तन भी अनुमन्य नही होगा, इस आशय का उल्लेख टेण्डर नोटिस (एन0आई0टी0) में ही कर दिया जाये।

(4) टेक्निकल बिड्स/प्री क्वालीफिकेशन बिड्स में किसी टेण्डरदाता द्वारा शर्तों की पूर्ति न होने अथवा आब्जेक्टिव मूल्यांकन के आधार पर न्यूनतम मानक तक न पाये जाने की दशा में फाइनेंसियल बिड्स पर विचार न किया जाये। टेक्निकल बिड/प्री क्वालीफिकेशन बिड के विषय में अन्तिम निर्णय हुये बगैर फाइनेंसियल बिड को किसी भी दशा में खोला नही जायेगा।

(5) सामग्री/भण्डार के क्रय के सम्बन्ध में तथा निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में प्राप्त टेण्डर के मूल्यांकन की व्यवस्था प्री क्वालीफिकेशन/टेक्निकल बिड के माध्यम से करते हुए न्यूनतम टेण्डर की दर को स्वीकार करते समय टेण्डर समिति/स्वीकर्ता अधिकारी पूर्व अनुभव तथा प्रचलित बाजार मूल्यों को भी यथा सम्भव ध्यान में रखेंगे।

(6) प्राप्त निविदाओं को ''फाइनल'' करने में नियमों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में अनुमन्य सीमा से अधिक ''विचलन'' कदापि न किया जाये। पूर्व के किसी अवसर पर प्राप्त टेण्डर के आधार पर पुनः नये कार्यों के लिए आदेश अथवा चालू कार्यों के लिए ''रिपीट आर्डर'' नहीं दिये जायें। इस सम्बन्ध में स्वीकृत कार्यों को यथा संभव टुकड़ों में न बांटा जाये। यदि ऐसा किया जाये तो उसका कारण उल्लिखित किया जाये।

2. इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्तर-1 में वर्णित बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही में सम्बन्धित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इस शासनादेश के द्वारा सम्बन्धित नियमों एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, अपितु टेण्डर प्रक्रिया एवं क्रय में पारदर्शिता लाये जाने के उद्देश्य से बिन्दुओं का निर्धारण किया गया है।

भवदीय,
वी0 के0 वर्मा
सचिव, वित्त

संख्या - ए-1-1173(1)/दस-2001-10(55)/2000, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3. सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, सचिवालय, उत्तर प्रदेश।
4. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
5. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
6. निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,
आर0 के0 वर्मा
संयुक्त सचिव

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 18 सा0 वित्त-11-5-2001-(262)-10,000-(आफसेट)।

उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग - 1
संख्या-312/9-आ-1-2001-
लखनऊ : दिनांक 10 जुलाई, 2001

कार्यालय-ज्ञाप

नगरों की अवस्थापना सुविधा के नियोजन एवं विकास कार्यों की समीक्षा हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या 3668/9-आ-1-2000 दिनांक 28.8.2000 के द्वारा गठित समिति को सम्यक विचारोपरान्त निम्न प्रकार पुनर्गठित किये जाने हेतु महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निर्देश देते है।

		अध्यक्ष
1.	मुख्य सचिव	
2.	आवास एवं नगर विकास आयुक्त, एवं प्रमुख सचिव, आवास, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन	उपाध्यक्ष
3.	अध्यक्ष, जल निगम,	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव, वित्त	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव, नियोजन	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव/सचिव, उर्जा	सदस्य
8.	प्रमुख सचिव, आवास	सदस्य
9.	प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यावरण	सदस्य
10.	सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन	सदस्य
11.	सचिव, नगर विकास	सदस्य
12.	आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्	सदस्य
13.	उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	सदस्य
14.	मुख्य नगर अधिकारी, वाराणसी नगर निगम	सदस्य सचिव
15.	विशेष सचिव, आवास	

अतः कार्यालय ज्ञाप संख्या 3668/9-आ-1-2000 दिनांक 28.8.2000 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।

अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या - 312/9-आ-1-2001, तद्दिनाँक 10, जुलाई

1.
2. समिति के समस्त सदस्य।
   मण्डलायुक्त, लखनऊ/कानपुर/इलाहाबाद/फैजाबाद/वाराणसी/गोरखपुर।
3. मेरठ/आगरा/बरेली/मुरादाबाद/सहारनपुर/झांसी/चित्रकूट।
4. आवास विभाग के समस्त अनुभाग।
   आवास बन्धु के गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

टी0पी0 पाठक
विशेष सचिव

संख्या-2495/9आ-6-2001-30 (विविध)/01

प्रेषक,

अरविन्द सोनकर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।
2. **आयुक्त,**
   उ0प्र0 आवास एवं विभाग परिषद,
   लखनऊ।

आवास अनुभाग-6

लखनऊः दिनाँक- 5 दिसम्बर, 2001

विषय : पति की मृत्यु के उपरान्त महिलाओं के संबंध में असम्मानजनक सूचक शब्दों का प्रयोग न किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महिला एंव बाल विकास अनुभाग-2 के पत्रांक भा0स0-21/60-1-2001-1/13(87)/2001 दिनांक 31.7.2001 की छाया प्रति संलग्न करते हुए मुझसे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में अपेक्षित/आवश्यक कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

अरविन्द सोनकर
संयुक्त सचिव

संख्या-भा.स.-21/60-1-2001-1/13(87)/2001

प्रेषक,

भोलानाथ तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनाँक- 31 जुलाई, 2001

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1

विषय : **पति की मृत्यु के उपरान्त महिलाओं के संबंध में विधवा आदि असम्मानजनक सूचक शब्दों का प्रयोग न किया जाना।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली ने यह निर्णय लिया है कि पति की मृत्यु के उपरान्त महिलाओं के लिए ''विडो'' ''विधवा'' ''बेवा'' ''रांड'' शब्दों का प्रयोग विभिन्न अभिलेखों, जैसे राजस्व, शिक्षा, सेवायोजन व अन्य क्षेत्रों में किया जाना असम्मानजनक एवं दुभाग्यपूर्ण है तथा ये शब्द उनपर मनोवैज्ञानिक असर डालते है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उक्त शब्दों के स्थान पर ''पत्नी स्वर्गीय ''जौजे मरहूम'' ''शर्मपत्नी स्वर्गीय'' एवं ''वाइफ आफ लेट'' आदि शब्दों का प्रयोग करने की संस्तुति की है।

2. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री राज्यपाल निर्देश देते है कि शासकीय अभिलेखों एवं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ''विडो'' ''विधवा'' ''बेवा'' एवं ''रांड'' शब्दों का प्रयोग न किया जाय और उनके स्थान पर उपयुक्त सम्मानजनक शब्द अथवा ''पत्नी स्वर्गीय'' ''जौजे मरहूम'', 'धर्मपत्नी स्वर्गीय'' एवं ''वाइफ आफ लेट'' आदि शब्दों का प्रयोग किया जाय। अनुरोध है कि कृपया सभी सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को तद्नुसार आवश्यक निर्देश दे दें।

3. मुझे यह भी कहना है कि यदि उक्त प्रक्रिया में ऐसी सांविधिक व्यवस्था में परिवर्तन/संशोधन किया जाना अपेक्षित हो तो विहित विधायी प्रक्रिया का अनुसरण करके अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

भवदीय,
भोलानाथि तिवारी
मुख्य सचिव

संख्याः भा0स0-21(1)/60-1-2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निबंधक, मा0 उच्चन्यायालय, इलाहाबाद।
2. सचिव, उ0प्र0 विधानसभा, लखनऊ।
3. सचिव, उ0प्र0 विधान परिषद, लखनऊ।
4. सचिव, राजस्व परिषद् उ0प्र0 लखनऊ/इलाहाबाद।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0, इलाहाबाद।
6. सूचना निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8. प्रमुख सचिव, श्री कुलाधिपति, राजभवन, लखनऊ।
9. महानिदेशक, सार्वजनिक उधम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण एवं राज्य मंत्रीगण।

आज्ञा से,
जोहरा चटर्जी
सचिव

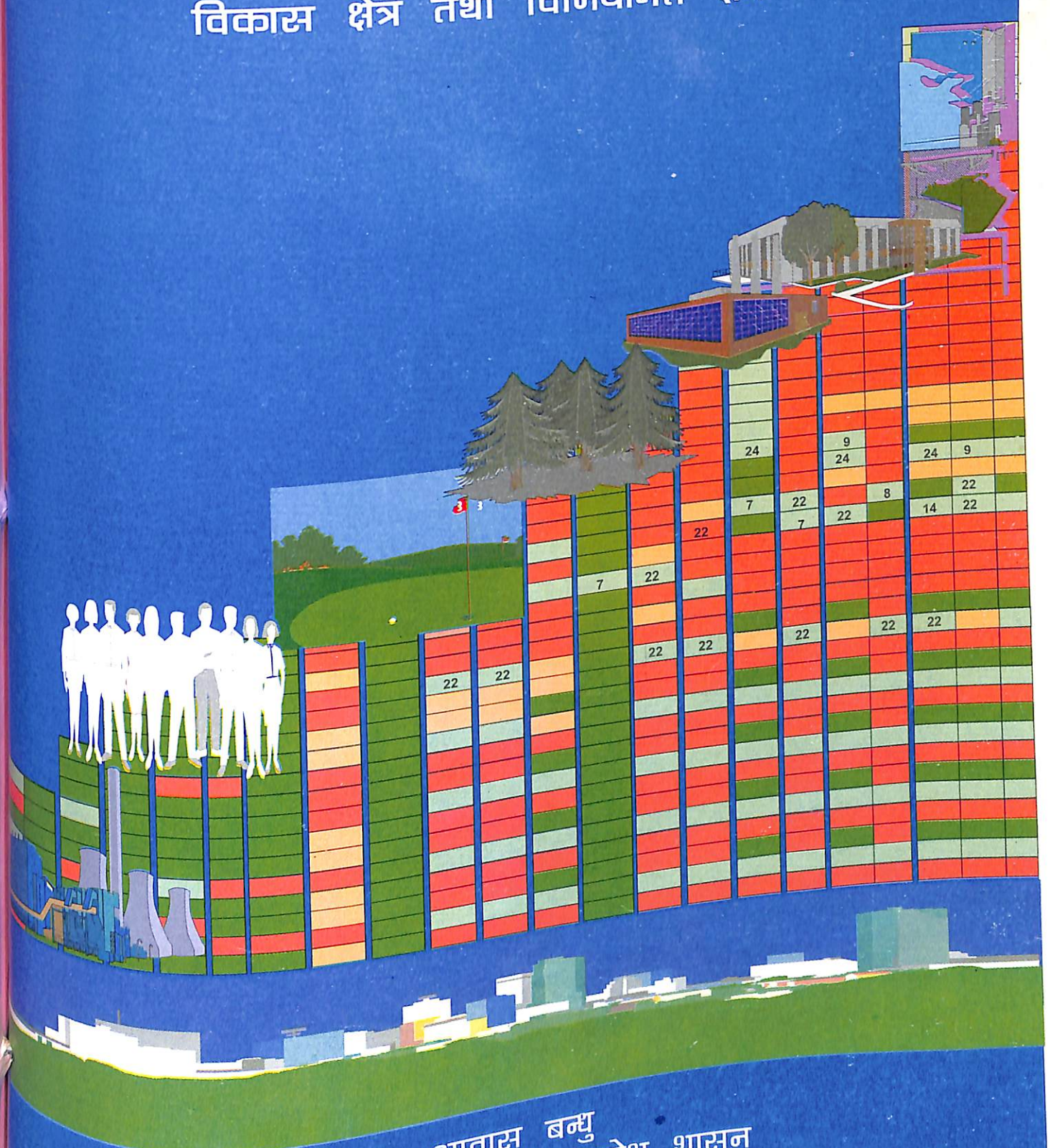
अनुलग्नक

आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स (जनवरी, 2002)

नागरिक अधिकार पत्र

आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स

विकास क्षेत्र तथा विनियमित क्षेत्र



आवास बन्धु

आवास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन

जनवरी, 2002

विकास क्षेत्र, विशेष विकास क्षेत्र तथा विनियमित क्षेत्र
के लिए

आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स



आवास बन्धु
आवास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
जनवरी, 2002

विषय-सूची

1-	परिचय	1
1.1	जोनिंग के उद्देश्य	1
1.2	आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स की मुख्य विशेषताएं	1
1.3	विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुज्ञा श्रेणियाँ	2
1.4	फ्लोटिंग उपयोग	2
1.5	विशिष्ट क्षेत्र/हेरिटेज़ जोन	3
1.6	रेन वाटर हार्वेस्टिंग	3
1.7	प्रभाव शुल्क	3
1.8	अनुज्ञा की प्रकिया	4
1.9	अन्य अपेक्षाएं	4
1.10	परिभाषाएं	5
2.	भू-उपयोग/परिसरों की परिभाषाएं	6
3.	प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में सशर्त अनुमन्य कियाओं (Activities) / उपयोगों हेतु अनिवार्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध	16
4.	विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु अपेक्षाएं	17
5.	प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न कियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता (ग्राफिक प्रस्तुतीकरण)	19
6.	प्रमुख भू-उपयोग जोन्स का निम्न से उच्च कम एवं प्रभाव शुल्क (Impact Fee) का निर्धारण	22
	अनुलग्नक :	23
	1. दैनिक उपयोग की दुकानों की सूची	24
	2. मिश्रित आवासीय क्षेत्र में अनुमन्य सेवा उद्योगों की सूची	25
	3. व्यवसायिक क्षेत्र में अनुमन्य प्रदूषणमुक्त लघु उद्योगों की सूची	27
	4. प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता ज्ञात करने हेतु ग्राफिक प्रस्तुतिकरण (Matrix) के उपयोग की विधि	

आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स

1. परिचय

1.1 जोनिंग के उद्देश्य

महायोजना में सामान्यत: प्रमुख भू-उपयोगों यथा आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, कार्यालय, सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएं, पार्क एवं खुले स्थल, कृषि, आदि को ही दर्शाया जाता है। प्रमुख भू-उपयोगों के अन्तर्गत अनुमन्य अनुशांगिक क्रियाएं (Activities) जिन्हें महायोजना मानचित्र पर अलग से दर्शाया जाना सम्भव नही है, की अनुज्ञा जोनिंग रेगुलेशन्स के आधार पर प्रदान की जाती है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा नई योजनाओं में भी विविध अनुषांगिक (Ancillary/Incidental) क्रियाओं/उपयोगों का प्राविधान जोनिंग रेगुलेशन्स तथा प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ताकि जन-स्वास्थ्य, कल्याण एवं सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

1.2 आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स की मुख्य विशेषताएं

नगरो के परिवर्तनशील भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिवेश मे विभिन्न क्रियाओं/उपयोगो का विकास एक सतत् प्रक्रिया है। प्रस्तुत जोनिंग रेगुलेशन्स मे प्रमुख भू-उपयोग जोन्स के अन्तर्गत विभिन्न क्रियाओं/उपयोगो की अनुमन्यता को समय के परिपेक्ष्य मे अनुक्रियाशील (Responsive) बनाने तथा अनुज्ञा की प्रक्रिया को सरलीकृत किए जाने के उद्देश्य से समुचित प्राविधान किए गए है। आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स की मुख्य विशेषताएं (Salient features) निम्न प्रकार है :-

(i) परम्परागत जोनिंग रेगुलेशन्स मे व्याप्त जटिलताओं को समाप्त कर सरल बनाया गया है। इस हेतु प्रमुख भू-उपयोग जोन्स मे विभिन्न क्रियाओं की अनुमन्यता को ग्राफिक प्रस्तुतीकरण (Matrix) के माध्यम से सर्वग्राही एवं User-friendly बनाया गया है।

(ii) विद्यमान महायोजनाओं मे अपनाई गई परम्परागत "Regimented" भू-उपयोग पद्धति के स्थान पर "Flexible" एवं "मिश्रित भू-उपयोग" कान्सेप्ट को अपनाया गया है जो नगरों के गतिशील विकास मे प्रोत्साहनस्वरूप होगा।

(iii) मिश्रित भू-उपयोगों की अनुमन्यता उनकी अनुषांगिकता तथा कार्यपूर्ति मापदण्डों पर आधारित की गई है ताकि परस्पर आश्रित भू-उपयोगों की आपरेशनल एवं आर्थिक कार्य-क्षमता मे वृद्धि हो और किसी भी प्रमुख भू-उपयोग जोन का मूल स्वरूप विकृत न होने पाए।

(iv) जोनिंग रेगुलेशन्स के आधार पर अनुमन्य क्रियाओं हेतु प्रभाव शुल्क लिए जाने की व्यवस्था की गई है जिसके फलस्वरूप प्राधिकरण/परिषद को अवस्थापना विकास कार्यो हेतु अतिरिक्त संसाधन प्राप्त होंगे।

(v) नियोजित कालोनियों मे अविवेकपूर्ण भू-उपयोग परिवर्तन को नियन्त्रित रखने हेतु "शुद्ध आवासीय" तथा "मिश्रित आवासीय" जोन्स के चिन्हीकरण की व्यवस्था की गई है, जिन्हे प्राधिकरण द्वारा आवश्यकतानुसार महायोजना/जोनल प्लान/सेक्टर प्लान/ ले-आउट प्लान मे चिन्हित किया जा सकता है।

(vi) जोनिंग रेगुलेशन्स में "फ्लोटिंग" भू-उपयोग कान्सेप्ट अपनाया गया है जिसके अनुसार ऐसी क्रियाएं जो महायोजना/जोनल प्लान मे परिकल्पित नही हैं, को भविष्य मे गुण-अवगुण के आधार पर सम्बन्धित भू-उपयोग जोन में अनुमन्य किया जा सकेगा।

(vii) प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुज्ञा प्रदान करने हेतु पारदर्शी प्रक्रिया निर्धारित की गई है तथा विशेष अनुमति से अनुमन्य किए जाने वाले उपयोगो के परीक्षण एवं विकास प्राधिकरण बोर्ड को संस्तुति करने के लिए एक समिति के गठन की व्यवस्था की गई है ।

1.3 विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुज्ञा श्रेणियाँ

महायोजना में प्रस्तावित प्रमुख भू-उपयोग जोन्स के अन्तर्गत विभिन्न क्रियाओं/उपयोगो की निम्न **अनुज्ञा श्रेणियाँ** होंगी:-

(क) अनुमन्य उपयोग

वह क्रियाएं/उपयोग जो सम्बन्धित प्रमुख भू-उपयोगो के अनुषांगिक होंगे तथा सामान्यत: अनुमन्य होंगे।

(ख) सशर्त अनुमन्य उपयोग

वह क्रियाएं/उपयोग जो कार्यपूर्ति के आधार पर सम्बन्धित प्रमुख भू-उपयोगो में अनिवार्य शर्तो एवं प्रतिबन्धो के साथ अनुमन्य होंगे। अनिवार्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध भाग-3 में दिए गए है।

(ग) सक्षम प्राधिकारी की विशेष अनुमति से अनुमन्य उपयोग

वह क्रियाएं/उपयोग जो आवेदन किए जाने पर निर्माण के प्रकार के संदर्भ में अवस्थापनाओं की संरचना तथा आस-पास के क्षेत्र पर पड़ने वाले पर्यावरण प्रभाव, आदि अर्थात् गुण-दोष को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से अनुमन्य होंगे। विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं हेतु अपेक्षाएं भाग-4 में दी गई है।

(घ) निशिद्ध उपयोग

वह क्रियाएं/उपयोग जो सम्बन्धित प्रमुख भू-उपयोग जोन में अनुमन्य नही होंगे। निषिद्ध क्रियाओं के अन्तर्गत सूचीबद्ध क्रियाओं के अतिरिक्त ऐसी सभी क्रियाएं तथा विकास/निर्माण कार्य जो प्रमुख उपयोग के अनुषांगिक नही है अथवा उपरोक्त (क), (ख) अथवा (ग) श्रेणी के अनुमन्य क्रियाओं की सूची में शामिल नही है, की अनुमति नही दी जाएगी।

1.4 फ्लोटिंग उपयोग

महायोजना लागू होने के उपरान्त प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में कतिपय क्रियाएं/उपयोग नगरों के परिवर्तनशील भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक तथा राजनैतिक परिवेश में आवश्यकतानुसार प्रस्तावित किए जाते है जो समय की माँग के अनुसार व्यवहारिक होते है, परन्तु महायोजना अथवा जोनिंग रेगुलेशन्स में परिकल्पित नही हैं। इस प्रकार के उपयोगों में बस/ट्रक/रेल/हवाई टरमिनल, थोक मार्केट काम्पलेक्स, सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सेवाएं यथा विद्युत् सब-स्टेशन, ट्रीटमेंट प्लान्ट्स, इत्यादि शामिल हो सकते है। ऐसी क्रियाओं को अनुमन्य किए जाने हेतु कई बार अधिनियम के अन्तर्गत भू-प्रयोग परिवर्तन की प्रक्रिया अपनाया जाना अपरिहार्य हो जाता है जो अन्यथा प्रत्येक मामले में औचित्यपूर्ण न हो। अत: आवश्यकतानुसार ऐसी क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता हेतु **''फ्लोटिंग उपयोग'' (Floating Use)** कान्सेप्ट अपनाया गया है।

''फ्लोटिंग उपयोग''/क्रियाओं की जानकारी विकासकर्ता/निर्माणकर्ता द्वारा अनुज्ञा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर ही हो सकेगी और उस उपयोग की प्रकृति तथा उसके कार्यपूर्ति मापदण्ड (Performance Standard) से ही तय हो सकेगा कि उसे किस भू-उपयोग जोन में अनुमन्य किया जाए। ''फ्लोटिंग उपयोग'' कान्सेप्ट अपनाए जाने के फलस्वरूप जोनिंग प्रणाली में Flexibility रहेगी। इसका यह भी लाभ होगा कि किसी एक भू-उपयोग जोन में नॉन- कान्फार्मिंग उपयोगों का केन्द्रीयकरण नही हो सकेगा। इसके अतिरिक्त ''फ्लोटिंग'' उपयोग के फलस्वरूप किसी भू-उपयोग जोन की प्रधान प्रकृति (Dominant Character) पर पड़ने वाले कु-प्रभाव अथवा होने वाले ह्रास पर अंकुश लगाने तथा सम्बन्धित क्षेत्र में अवस्थापनाओं पर अनावश्यक दबाव को नियन्त्रित रखने हेतु यह प्राविधान किया गया है कि फ्लोटिंग उपयोग यदि उस जोन में सामान्यत: अनुमन्य नही है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष अनुमति से गुण-अवगुण के आधार पर अनुमन्यता के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाएगा।

1.5 विशिष्ट क्षेत्र/हेरिटेज़ जोन

जोनिंग रेगुलेशन्स के अन्तर्गत सूचीबद्ध विभिन्न भू-उपयोग जोन्स के अतिरिक्त नगर विशेष की स्थानीय परिस्थितियों के दृष्टिगत सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशिष्ट क्षेत्र/हेरिटेज़ जोन निर्धारित किए जा सकते है। इनके अन्तर्गत ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्मारक एवं वास्तुकलात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण इमारतें शामिल हो सकती है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक दृष्टि से संरक्षित किए जाने वाले क्षेत्र (यथा कुम्भ मेला, आदि) अथवा पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र भी शामिल हो सकते है जिनके स्वरूप को विकृत होने से बचाया जाना आवश्यक है। ऐसे क्षेत्र चूँकि समस्त नगरों में विद्यमान नही है, अत: जोनिंग रेगुलेशन्स के अन्तर्गत विशिष्ट क्षेत्रों/हेरिटेज़ जोन हेतु अलग से भू-उपयोग जोन की श्रेणी निर्धारित नही की गई है। वर्णित स्थिति में यह आवश्यक है कि नगर विशेष की महायोजना के अन्तर्गत ऐसे क्षेत्रों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सावधानीपूर्वक चिन्हित किया जाए और उनके अन्तर्गत अनुमन्य उपयोगों/क्रियाओं की अनुज्ञा हेतु उस भू-उपयोग के स्वरूप तथा आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए प्राविधान किए जाएं। यदि ऐसे क्षेत्र महायोजना में पहले से ही चिन्हित है, तो उनके प्रस्तावों को इन जोनिंग रेगुलेशन्स में यथावत् समायोजित किया जा सकता है।

1.6 रेन वाटर हार्वेस्टिंग

ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिचार्जिंग हेतु नगरीय क्षेत्रों की महायोजनाओं/जोनल डेवलपमेंट प्लान्स में प्रस्तावित किसी भू-उपयोग जोन के अन्तर्गत एक एकड़ एवं उसे अधिक क्षेत्रफल के प्राकृतिक जलाशय, तालाब व झील, आदि का वर्तमान वास्तविक उपयोग यथावत अथवा उसके अनुषांगिक रहेगा भले ही महायोजना में उन स्थलों का प्रमुख भू-उपयोग अन्यथा दर्शाया गया हो। ऐसे समस्त जलाशयों, तालाबों, झीलों, आदि को उनकी स्थिति एवं क्षेत्रफल के विवरण सहित सूचीबद्ध कर महायोजना/जोनल प्लान/ले-आउट प्लान में उनके संरक्षण हेतु समुचित प्राविधान किए जाने अनिवार्य होंगे।

1.7 प्रभाव शुल्क (Impact Fee)

विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित योजनाओं/नियोजित रूप से विकसित क्षेत्रों में जहाँ नियोजन मानकों के अनुसार अनुषांगिक क्रियाओं का प्राविधान किया जा चुका है, के अन्तर्गत वर्तमान अथवा भविष्य में कतिपय अन्य क्रियाओं/उपयोगों की अनुज्ञा हेतु आवेदन प्राप्त हो सकते है/होंगे। ऐसे आवेदनों पर जोनिंग रेगुलेशन्स में निहित प्राविधानों के अधीन ही विचार किया जाएगा। यदि निम्न भू-उपयोग जोन में उच्च उपयोग की अनुज्ञा प्रदान की जाती है तो इसके फलस्वरूप सम्बन्धित क्षेत्र में यातायात, अवस्थापनाओं तथा पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा, अत: ऐसी अनुज्ञा के समय आवेदक द्वारा **"प्रभाव शुल्क" (Impact Fee)** देय होगा, जिसका 90 प्रतिशत अंश विकास प्राधिकरण/आवास एंव विकास परिषद के अवस्थापना विकास फण्ड में जमा किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन प्रकरणों में उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अधीन भू-उपयोग परिवर्तन निहित हो, में भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क देय होगा जबकि जोनिंग रेगुलेशन्स के आधार पर अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु केवल प्रभाव शुल्क देय होगा।

प्रभाव शुल्क महायोजना में निम्न भू-उपयोग से उच्च उपयोग में परिवर्तन शुल्क से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 3712/9-आ-3-2000-26 एल.यू.सी./91 दिनांक 21.8.2001 एवं तत्सम्बन्धित प्रभावी अन्य शासनादेशों में निहित व्यवस्था को आधार मानकर वसूल किया जाएगा। प्रभाव शुल्क की राशि सामान्यत: अनुमन्य एवं सशर्त अनुमन्य क्रियाओं हेतु उक्त शासनादेश में निर्धारित शुल्क की 25 प्रतिशत तथा विशेष

1.5 विशिष्ट क्षेत्र/हेरिटेज़ जोन

जोनिंग रेगुलेशन्स के अन्तर्गत सूचीबद्ध विभिन्न भू-उपयोग जोन्स के अतिरिक्त नगर विशेष की स्थानीय परिस्थितियों के दृष्टिगत सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशिष्ट क्षेत्र/हेरिटेज़ जोन निर्धारित किए जा सकते हैं। इनके अन्तर्गत ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्मारक एवं वास्तुकलात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण इमारतें शामिल हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक दृष्टि से संरक्षित किए जाने वाले क्षेत्र (यथा कुम्भ मेला, आदि) अथवा पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र भी शामिल हो सकते हैं जिनके स्वरूप को विकृत होने से बचाया जाना आवश्यक है। ऐसे क्षेत्र चूँकि समस्त नगरों में विद्यमान नही हैं, अत: जोनिंग रेगुलेशन्स के अन्तर्गत विशिष्ट क्षेत्रों/हेरिटेज़ जोन हेतु अलग से भू-उपयोग जोन की श्रेणी निर्धारित नही की गई है। वर्णित स्थिति में यह आवश्यक है कि नगर विशेष की महायोजना के अन्तर्गत ऐसे क्षेत्रों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सावधानीपूर्वक चिन्हित किया जाए और उनके अन्तर्गत अनुमन्य उपयोगों/क्रियाओं की अनुज्ञा हेतु उस भू-उपयोग के स्वरूप तथा आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए प्राविधान किए जाएं। यदि ऐसे क्षेत्र महायोजना में पहले से ही चिन्हित हैं, तो उनके प्रस्तावों को इन जोनिंग रेगुलेशन्स में यथावत् समायोजित किया जा सकता है।

1.6 रेन वाटर हार्वेस्टिंग

ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिचार्जिंग हेतु नगरीय क्षेत्रों की महायोजनाओं/जोनल डेवलपमेंट प्लान्स में प्रस्तावित किसी भू-उपयोग जोन के अन्तर्गत एक एकड़ एवं उसे अधिक क्षेत्रफल के प्राकृतिक जलाशय, तालाब व झील, आदि का वर्तमान वास्तविक उपयोग यथावत अथवा उसके अनुषांगिक रहेगा भले ही महायोजना में उन स्थलों का प्रमुख भू-उपयोग अन्यथा दर्शाया गया हो। ऐसे समस्त जलाशयों, तालाबों, झीलों, आदि को उनकी स्थिति एवं क्षेत्रफल के विवरण सहित सूचीबद्ध कर महायोजना/जोनल प्लान/ले-आउट प्लान में उनके संरक्षण हेतु समुचित प्राविधान किए जाने अनिवार्य होंगे।

1.7 प्रभाव शुल्क (Impact Fee)

विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित योजनाओं/नियोजित रूप से विकसित क्षेत्रों में जहाँ नियोजन मानकों के अनुसार अनुषांगिक कियाओं का प्राविधान किया जा चुका है, के अन्तर्गत वर्तमान अथवा भविष्य में कतिपय अन्य क्रियाओं/उपयोगों की अनुज्ञा हेतु आवेदन प्राप्त हो सकते हैं/होंगे। ऐसे आवेदनों पर जोनिंग रेगुलेशन्स में निहित प्राविधानों के अधीन ही विचार किया जाएगा। यदि निम्न भू-उपयोग जोन में उच्च उपयोग की अनुज्ञा प्रदान की जाती है तो इसके फलस्वरूप सम्बन्धित क्षेत्र में यातायात, अवस्थापनाओं तथा पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा, अत: ऐसी अनुज्ञा के समय आवेदक द्वारा **"प्रभाव शुल्क" (Impact Fee)** देय होगा, जिसका 90 प्रतिशत अंश विकास प्राधिकरण/आवास एंव विकास परिषद के अवस्थापना विकास फण्ड में जमा किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन प्रकरणों में उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अधीन भू-उपयोग परिवर्तन निहित हो, में भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क देय होगा जबकि जोनिंग रेगुलेशन्स के आधार पर अनुमन्य कियाओं/उपयोगों हेतु केवल प्रभाव शुल्क देय होगा।

प्रभाव शुल्क महायोजना में निम्न भू-उपयोग से उच्च उपयोग में परिवर्तन शुल्क से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 3712/9-आ-3-2000-26 एल.यू.सी./91 दिनांक 21.8.2001 एवं तत्सम्बन्धित प्रभावी अन्य शासनादेशों में निहित व्यवस्था को आधार मानकर वसूल किया जाएगा। प्रभाव शुल्क की राशि सामान्यत: अनुमन्य एवं सशर्त अनुमन्य क्रियाओं हेतु उक्त शासनादेश में निर्धारित शुल्क की 25 प्रतिशत तथा विशेष

अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं हेतु 50 प्रतिशत होगी। प्रभाव शुल्क का आंकलन विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद की वर्तमान सेक्टर (आवासीय) दर, प्राधिकरण/परिषद की दर न होने की दशा में भूमि के विद्यमान भू-उपयोग के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर किया जाएगा। विभिन्न भू-उपयोग जोन्स का निम्न से उच्च क्रम एवं प्रभाव शुल्क के निर्धारण की पद्धति जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग-6 में दी गई है।

प्रभाव शुल्क निम्न परिस्थितियों में देय नही होगा :-

(i) निर्मित क्षेत्र में ''सामान्यतः अनुमन्य'' एवं ''सशर्त अनुमन्य'' अथवा ''विशेष अनुमति से अनुमन्य'' क्रियाओं/उपयोगों हेतु,

(ii) शुद्ध/मिश्रित आवासीय भू-उपयोग जोन में शासकीय एवं अर्द्ध-शासकीय अभिकरणों तथा चैरिटेबल संस्थाओं द्वारा विकसित की जाने वांली सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाओं/ क्रियाओं हेतु,

(iii) विभिन्न प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में अस्थायी रूप से अनुमन्य की जाने वाली क्रियाओं/ उपयोगों हेतु,

(iv) राज्य सरकार द्वारा घोषित विभिन्न नीतियों-पर्यटन नीति, सूचना प्रौद्योगिकी नीति, फिल्म नीति, आदि के अधीन जिन क्रियाओं/उपयोगों को शासकीय आदेशों के अनुसार कतिपय भू-उपयोग जोन्स में अनुमन्य किया गया है, हेतु प्रभाव शुल्क देय नही होगा यथा आवासीय क्षेत्र में मल्टीप्लेक्स, तीन स्टार तक के होटल तथा पाँच के.वी.ए. क्षमता तक की सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयाँ/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क।

1.8 अनुज्ञा की प्रकिया

1.8.1 प्रमुख भू-उपयोग जोन के अन्तर्गत पूर्व विकसित योजनाओं/क्षेत्रों में मूल उपयोग से इतर क्रिया/उपयोग (भले ही जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार ऐसी क्रिया/उपयोग सामान्यतः अनुमन्य/सशर्त अनुमन्य/विशेष अनुमति से अनुमन्य हो) अनुमन्य किए जाने हेतु न्यूनतम एक माह की समयावधि प्रदान करते हुए जनता से आपत्ति/सुझाव, उचित माध्यमों से आमंत्रित किये जायेंगे एवं इन आपत्तियों/सुझावों के निस्तारण के उपरांत ही स्वीकृति/अस्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी। अनुज्ञा से सम्बन्धित आवेदन-पत्र का निस्तारण प्राप्ति के दिनांक से अधिकतम 60 दिन में सुनिश्चित किया जाएगा।

1.8.2 विकास क्षेत्र/विशेष विकास क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी प्रमुख भू-उपयोग जोन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्य क्रियाओं की विशेष अनुमति दिये जाने से पूर्व ऐसे प्रत्येक मामले में एक समिति द्वारा परीक्षण किया जाएगा तथा समिति की संस्तुति प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। उक्त समिति में निम्न सदस्य होंगे :-

(i) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश अथवा उनके प्रतिनिधि,

(ii) विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी,

(iii) अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा नामित प्राधिकरण बोर्ड के एक गैर-सरकारी सदस्य।

1.8.3 विनियमित क्षेत्र में विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों के सम्बन्ध में नियन्त्रक प्राधिकारिणी द्वारा स्वयं निर्णय लिया जाएगा।

1.8.4 जोनिंग रेगुलेशन्स के अधीन आवेदक द्वारा किसी क्रिया अथवा उपयोग की अनुज्ञा अधिकार स्वरूप प्राप्त नही की जा सकेगी।

1.9 अन्य अपेक्षाएं

1.9.1 महायोजना में चिन्हित प्रमुख भू-उपयोग जोन्स के अन्तर्गत किसी क्रिया या विशिष्ट उपयोग हेतु प्रस्तावित स्थल पर विकास/निर्माण, उस क्रिया या विशिष्ट उपयोग की अनुषांगिकता के अनुसार ही अनुमन्य होगा। उदाहरणार्थ, सामुदायिक सुविधाओं में अस्पताल उपयोग के अन्तर्गत केवल अस्पताल तथा उसकी अनुषांगिक क्रियाएं ही अनुमन्य होंगी।

1.9.2 महायोजना में प्रस्तावित किसी भू-उपयोग जोन के अन्तर्गत वर्तमान वन क्षेत्र या सार्वजनिक सुविधाओं एवं उपयोगिताओं से सम्बन्धित स्थल, जैसे पार्क, क्रीड़ा-स्थल तथा सड़क आदि का वर्तमान वास्तविक उपयोग वही रहेगा भले ही महायेाजना में उन स्थलों का प्रमुख भू-उपयोग अन्यथा दर्शाया गया हो।

1.9.3 यदि अधिनियम के अन्तर्गत किसी परिक्षेत्र (जोन) की परिक्षेत्रीय विकास योजना या किसी स्थल का ले-आउट प्लान सक्षम स्तर से अनुमोदित है तो ऐसी स्थिति में उक्त स्थल/भूखण्ड का अनुमन्य भू-उपयोग परिक्षेत्रीय विकास योजना या विन्यास मानचित्र में निर्दिष्ट उपयोग के अनुसार ही होगा।

1.9.4 प्रस्तावित जोनिंग रेगुलेशन्स के अन्तर्गत सभी भू-उपयोग श्रेणियों (अनुमन्य, सशर्त अनुमन्य, विशेष अनुमति से अनुमन्य) में विकास एवं निर्माण कार्य भवन उपविधि के अनुसार ही स्वीकृत किया जाना अपेक्षित है।

1.10 परिभाषाएं

1.10.1 ''मिश्रित आवासीय'' तथा ''शुद्ध आवासीय'' का तात्पर्य महायोजना/जोनल प्लान/ सेक्टर प्लान/ले-आउट प्लान में उक्त प्रयोजन हेतु दर्शित आवासीय भू-उपयोग से है। इन रेगुलेशन्स के प्रयोजनार्थ विद्यमान महायोजनाओं के अन्तर्गत शुद्ध आवासीय तथा मिश्रित आवासीय क्षेत्र का चिन्हीकरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने स्तर से किया जायेगा।

1.10.2 इन रेगुलेशन्स हेतु **''सक्षम प्राधिकारी''** का तात्पर्य उ. प्र. नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत घोषित विकास क्षेत्र की स्थिति में विकास प्राधिकरण बोर्ड, उ. प्र. विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत घोषित विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण बोर्ड तथा उ. प्र0. (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत घोषित विनियमित क्षेत्र की स्थिति में नियन्त्रक प्राधिकारिणी से है।

1.10.3 **'निर्मित क्षेत्र'** का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो महायोजना में इस रूप में परिभाषित किया गया है। जिन नगरों की महायोजनाएं नही बनी है अथवा 'निर्मित क्षेत्र' परिभाषित नही है, विकास प्राधिकरण बोर्ड स्तर पर इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय लेकर व्यवस्था की जाएगी। इसके निमित्त विकास क्षेत्र में स्थित ऐसे सघन आबादी क्षेत्र को 'निर्मित क्षेत्र' परिभाषित किया जाएगा जिसके अधिकतर भाग का विकास व्यवसायिक, औद्योगिक अथवा निवास क्षेत्र के रूप में किया गया हो और जिसमें आवश्यक सुविधाओं यथा- सड़कों, जल-सम्भरण, मल-प्रवाहण, विद्युत-आपूर्ति आदि की व्यवस्था की गई हो।

1.10.4 **''विकासशील/अविकसित क्षेत्र''** का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो निर्मित क्षेत्र के बाहर, परन्तु विकास क्षेत्र के अन्तर्गत है।

2. भू-उपयोग परिसरों/क्रियाओं की परिभाषाएं

2.1 आवासीय

2.1.1 शुद्ध आवासीय क्षेत्र — महायोजना/जोनल प्लान/सेक्टर प्लान/ले-आउट प्लान में निर्धारित/सक्षम प्राधिकारी द्वारा चिन्हित ऐसे आवासीय क्षेत्र जहॉ सामान्यत: अनुमन्य तथा सशर्त अनुमन्य क्रियाओं के अतिरिक्त कोई अन्य क्रिया अनुमन्य न हो।

2.1.2 मिश्रित आवासीय क्षेत्र — महायोजना/जोनल प्लान/सेक्टर प्लान/ले-आउट प्लान में चिन्हित ऐसे आवासीय क्षेत्र जहाँ आवासीय क्रियाओं के अतिरिक्त जोनिंग रेगुलेशन्स के प्राविधानों के अधीन अन्य क्रियाओं की भी अनुमन्यता हो।

2.1.3 एकल आवास — वह परिसर, जिसमे स्वतंत्र आवासीय इकाईयाँ (भूखण्डीय आवास) हो।

2.1.4 समूह आवास (ग्रुप हाऊसिंग) — वह परिसर, जिसमें दो या इससे अधिक मंजिल का भवन होगा एवं प्रत्येक तल पर स्वतंत्र आवासीय इकाईयाँ होंगी तथा जिसमें भूमि एवं सेवाओं, खुले स्थलों व आवागमन के रास्ते की भागीदारी एवं सह-स्वामित्व होगा।

2.1.5 आनुशांगिक कर्मचारी आवास — वह परिसर जिसमें किसी प्रमुख उपयोग में कार्यरत कर्मचारियों हेतु उसी उपयोग में आवासीय ईकाईयों का प्राविधान एकक अथवा समूह आवास के रूप में किया गया हो।

2.1.6 चौकीदार/संतरी आवास — वह परिसर, जिसमें उस उपयोग की सुरक्षा एवं रख-रखाव से सम्बद्ध व्यक्तियों हेतु आवासीय व्यवस्था की गई हो।

2.2 व्यवसायिक

2.2.1 फुटकर दुकानें — वह परिसर जहाँ आवश्यक वस्तुओं की बिक्री सीधे उपभोक्ता को की जाती हो।

2.2.2 शो-रूम — वह परिसर जहाँ वस्तुओं की बिक्री एवं उनका संग्रह, उपभोक्ताओं को प्रदर्शित करने की व्यवस्था के साथ की जाती है।

2.2.3 आटा चक्की — वह परिसर जहॉ गेहूँ, मसालों, इत्यादि सूखे भोजन पदार्थो को पीस कर दैनिक प्रयोग हेतु तैयार किया जाता हो।

2.2.4 थोक मण्डी/व्यापार — वह परिसर जहाँ माल और वस्तुएं थोक व्यापारियों को बेची और सुपुर्द की जाती है। परिसर में भण्डारण व गोदाम और माल चढ़ाने एवं उतारने की सुविधाएं भी शामिल है।

2.2.5 कोल्ड स्टोरेज (शीतगृह) — वह परिसर जहाँ आवश्यक तापमान आदि बनाए रखने के लिए यान्त्रिक और विद्युत साधनों का प्रयोग करके आवृत्त स्थान में नाशवान वस्तुओं का भण्डारण किया जाता हो।

2.2.6 होटल — वह परिसर जिसका उपयोग ठहरने के लिए खाने सहित या खाने रहित अदायगी करने पर किया जाता है।

2.2.7 मैंटल — वह परिसर, मुख्य मार्ग के किनारे स्थित हो और जहाँ यात्रियों की सुविधाओं के लिए ठहरने सहित खान-पान का प्रबन्ध तथा वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था हो।

2.2.8 कैन्टीन	वह परिसर जिसे संस्था के कर्मचारियों के लिए कुकिंग सुविधाओं सहित खाद्य पदार्थो की व्यवस्था करने के लिए उपयोग किया जाता हो। इसमें बैठने का स्थान हो सकता है।
2.2.9 भोजनालय, जलपान गृह/ रेस्टोरेन्ट	वह परिसर जिसे कुकिंग सुविधाओं सहित व्यवसायिक आधार पर खाद्य पदार्थो की व्यवस्था करने के लिए उपयोग किया जाता हो। इसमें बैठने का स्थान आवृत्त या खुला अथवा दोनों प्रकार का हो सकता है।
2.2.10 सिनेमा	वह परिसर जिसमें दर्शकों के बैठने के लिए आवृत्त स्थान सहित चलचित्र के प्रदर्शन सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.2.11 मल्टीप्लेक्स (बहुसामुच्य)	वह परिसर जिसमें फिल्म प्रदर्शन की नवीनतम तकनीकी सहित अन्य मनोरंजन सुविधाओं तथा अनुषांगिक व्यवसायिक क्रियाओं की व्यवस्था एक काम्पलेक्स में हो।
2.2.12 पी.सी.ओ./ सेल्यूलर मोबाइल सर्विस	वह परिसर जहॉ से स्थानीय, अन्तर्राज्य, देश-विदेश, इत्यादि में दूरभाष अथवा सेल्यूलर पर शुल्क अदा करके बातचीत किए जाने की व्यवस्था हो।
2.2.13 पेट्रोल/डीजल फिलिंग स्टेशन	उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम उत्पाद बेचने का परिसर जिसमें ओटोमोबाइल्स की सर्विसिंग भी शामिल हो सकती है।
2.2.14 गैस गोदाम/अधिष्ठान	वह परिसर जहाँ कुकिंग गैस या गैस सिलिन्डरों का भण्डारण किया जाता हो।
2.2.15 जंकयार्ड/ कबाड़खाना	वह परिसर जहाँ निष्प्रयोज्य माल, वस्तुओं और सामग्री की बिक्री और खरीद सहित आवृत्त अथवा, अर्द्ध-आवृत्त अथवा खुला भण्डारण किया जाता हो।
2.2.16 भण्डारण गोदाम, वेयर-हाउसिंग	वह परिसर जिसे सम्बन्धित वस्तुओं की आवश्यकता के अनुसार माल और वस्तुओं के केवल भण्डारण के लिए उपयोग किया जाता हो। ऐसे परिसर में सड़क परिवहन या रेल परिवहन, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा माल चढ़ाने और उतारने की सुविधाएं शामिल है।
2.3 औद्योगिक	
2.3.1 खनन सम्बन्धी उद्योग	वह परिसर जिसमें पत्थर एवं अन्य भूमिगत सामग्रियों को खोद कर निकालने एवं प्रोसेसिंग का कार्य किया जाता हो।
2.3.2 साफ्टवेयर/सूचना प्रौद्योगिकी पाक	वह परिसर जहाँ सूचना प्रौद्योगिकी में प्रयोग होने वाले कम्प्यूटर साफ्टवेयर, इस क्षेत्र के अद्यतन प्रौद्योगिकी के अन्य साफ्टवेयर इत्यादि का निर्माण किया जाता हो।
2.3.3 तेल डिपो	वह परिसर जहाँ सभी सम्बन्धित सुविधाओं सहित पेट्रोलियम उत्पाद का भण्डारण किया जाता हो।
2.4 कार्यालय	
2.4.1 राजकीय कार्यालय	वह परिसर, जिसका उपयोग केन्द्रीय/राज्य सरकार के कार्यालयों के लिए किया जाता हो।
2.4.2 स्थानीय निकाय कार्यालय	वह परिसर जिसका उपयोग स्थानीय निकायों के कार्यालयों के लिए किया जाता हो।

2.4.3	अर्द्ध-राजकीय कार्यालय	वह परिसर जिसका उपयोग किसी अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित अभिकरण, निकाय, परिषद, आदि के कार्यालयों के लिए किया जाता हो।
2.4.4	निजी कार्यालय	वह परिसर जिसमें किसी एक या छोटे ग्रुप द्वारा व्यवसायिक कार्यों हेतु कन्सल्टेन्सी/सर्विसिंग प्रदान की जाती हो जैसे चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट, अधिवक्ता, चिकित्सक, वास्तुविद, डिजाईनर, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, टूर एवं ट्रेवेल एजेन्ट, इत्यादि।
2.4.5	बैंक	वह परिसर जिसमें बैंकों के कार्य और प्रचालन को पूरा करने के लिए व्यवस्था हो।
2.4.6	वाणिज्यिक/ व्यवसायिक कार्यालय	वह परिसर जो व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के कार्यालयों के लिए उपयोग किया जाता हो।
2.4.7	श्रमिक कल्याण केन्द्र	वह परिसर जहाँ श्रमिकों के कल्याण और विकास को बढ़ावा देने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.4.8	अनुसंधान एवं विकास केन्द्र/शोध केन्द्र	वह परिसर जहाँ सामान्य जनता एवं श्रेणी विशेष के लिए अनुसंधान एवं विकास के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.4.9	मौसम अनुसंन्धान केन्द्र	वह परिसर जहाँ मौसम और उससे सम्बन्धित आँकड़ों के अध्ययन/अनुसंधान और विकास के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.4.10	माईक्रोवेव तथा वायरलेस केन्द	वह परिसर जिसका उपयोग संचार उद्देश्यों के लिए किया जाता हो, जिसमें टावर भी सम्मिलित है।

2.5 सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएं

2.5.1	अतिथिगृह/निरीक्षणगृह	वह परिसर, जहाँ सरकारी/अर्द्ध-सरकारी उपक्रम, कम्पनी के स्टाफ तथा अन्य व्यक्तियों को लघु अवधि के लिए ठहराया जाता है।
2.5.2	धर्मशाला	वह परिसर, जिसमें लाभरहित आधार पर लघु अवधि के अस्थायी आवास की व्यवस्था होती है।
2.5.3	बोर्डिंग/लॉजिंग हाऊस	वह परिसर, जिसके कमरे आवासीय सुविधा हेतु दीर्घावधि हेतु किराए पर दिए जाते है।
2.5.4	अनाथालय	वह परिसर, जहाँ अनाथ बच्चों के रहने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो। इसमें शैक्षिक सुविधाओं की भी व्यवस्था हो सकती है।
2.5.5	रैन-बसेरा	वह परिसर जिसमें बिना शुल्क या नाम मात्र के शुल्क से रात्रि के समय रहने की व्यवस्था होती है।
2.5.6	सुधारालय	वह परिसर जहाँ अपराधियों को रखने और उनका सुधार करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.7	हैण्डीकैप्ड चिल्ड्रन हाउस	वह परिसर जहाँ अपाहिज तथा मानसिक रूप से अशक्त बच्चो के सुधार तथा चिकित्सा की सुविधाओ की व्यवस्था हो। इसका प्रबन्ध व्यवसायिक अथवा गैर-व्यवसायिक आधार पर किसी एक व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जा सकता है।
2.5.8	शिशु गृह एवं दिवस देखभाल केंद्र (Day Care Centre)	वह परिसर जहाँ दिन के समय शिशुओं के लिए नर्सरी सुविधाओं की व्यवस्था हो। केन्द्र का प्रबन्ध व्यवसायिक आधार पर किसी एक व्यक्ति या किसी संस्था द्वारा किया जा सकता है।

2.5.9 वृद्धावस्था देखभाल केन्द्र (Old Age Home)	वह परिसर जहाँ पर सामान्यत: वृद्ध अवस्था के व्यक्तियों के लिए लघु अथवा दीर्घकालिक रहने की व्यवसायिक अथवा गैर-व्यवसायिक व्यवस्था हो। इसमें वृद्धों के मनोरंजन, सामान्य स्वास्थ्य, खान-पान इत्यादि की भी व्यवस्था हो सकती है जिसका प्रबन्ध किसी एक व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जा सकता है।
2.5.10 उच्च माध्यमिक/ इण्टर विद्यालय	वह परिसर जहाँ 10वी/12वी कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षण एवं खेल-कूद सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.11 महाविद्यालय	वह परिसर जहाँ किसी विश्वविद्यालय के अन्तर्गत स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण एवं खेल-कूद तथा अन्य सम्बन्धित सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.12 पॉलीटेक्निक	वह परिसर जहाँ तकनीकी क्षेत्र में डिप्लोमा स्तर तक पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था हो। इसमें तकनीकी स्कूल, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शामिल होंगे।
2.5.13 मेडिकल/डेन्टल कालेज	वह परिसर जहाँ मानव विज्ञान के अन्तर्गत रोगों के उपचार हेतु शिक्षण, डेन्टल, आपरेशन, इत्यादि तथा उपचार एवं शोध कार्य किया जाता हो।
2.5.14 उच्च तकनीकी संस्थान	वह परिसर जहाँ तकनीकी क्षेत्र में स्नातक या स्नातकोत्तर तक की शिक्षा तथा प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.15 कुटीर उद्योग प्रशिक्षण	वह परिसर जहाँ घरेलू/लघु/सेवा उद्योग जैसे सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, पेण्टिंग, कम्प्यूटर, टूर एवं ट्रेवेल्स, इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाता हो।
2.5.16 प्रबन्धन संस्थान	वह परिसर जहाँ प्रबन्धन क्षेत्र में शिक्षण/प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.17 सामान्य शैक्षिक संस्थान	वह परिसर जहाँ गैर-तकनीकी शिक्षा दी जाती हो।
2.5.18 डाकघर	वह परिसर जहाँ जनता के उपयोगार्थ डाक प्रेषण के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.19 डाक एवं तारघर	वह परिसर जहाँ जनता के उपयोगार्थ डाक एवं दूरसंचार सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.20 टेलीफोन कार्यालय/ केन्द्र	वह परिसर, जहाँ सम्बन्धित क्षेत्र के लिए टेलीफोन पद्धति के केन्द्रीय प्रचालन के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.21 रेडियो व टेलीविजन केन्द्र	वह परिसर जहाँ सम्बन्धित माध्यम द्वारा खबरें और अन्य कार्यक्रम रिकार्ड करने तथा प्रसारित करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.22 कारागार	वह परिसर जहाँ विधि के अन्तर्गत अपराधियों को नजरबन्द करने, कैद करने और उन्हें सुधारने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.23 पुलिस स्टेशन	वह परिसर जहाँ स्थानीय पुलिस कार्यालय के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.24 नर्सिंग होम	वह परिसर जहाँ 30 शैय्याओं तक अन्तरंग और बहिरंग रोगियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था हो तथा इसका प्रबन्धन व्यवसायिक आधार पर किया जाता हो।
2.5.25 अस्पताल	वह परिसर जहाँ अन्तरंग और बहिरंग रोगियों की चिकित्सा के लिए सामान्य या विशेषीकृत प्रकार की चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था हो।

2.5.26 क्लीनिक/ पॉलीक्लीनिक	वह परिसर जहाँ बहिरंग रोगियों के इलाज के लिए सुविधाओं की व्यवस्था किसी डाक्टर/डाक्टरों के समूह द्वारा की जाती हो।
2.5.27 स्वास्थ्य केन्द्र/परिवार कल्याण केन्द्र/हेल्थ सेन्टर	वह परिसर जहाँ 30 शैय्याओं तक अन्तरंग और बहिरंग रोगियों की चिकित्सा के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो। स्वास्थ्य केन्द्र का प्रबन्ध गैर-व्यवसायिक आधार पर सार्वजनिक या धर्मार्थ या अन्य संस्था द्वारा किया जा सकता है। इसमें परिवार कल्याण केन्द्र शामिल है।
2.5.28 डिस्पेन्सरी	वह परिसर जहाँ चिकित्सा परामर्श की सुविधाओं और दवाईयों की व्यवस्था हो और जिसका प्रबन्ध सार्वजनिक या धर्मार्थ या अन्य संस्थाओं द्वारा किया जाता हो।
2.5.29 पैथोलॉजीकल प्रयोगशाला	वह परिसर जहाँ बीमारी के लक्षणों का पता लगाने के लिए विभिन्न प्रकार की जॉच करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.30 सभा भवन, सामुदायिक भवन	वह परिसर जहॉ सभा, समाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए व्यवस्था हो।
2.5.31 योग, मनन, अध्यात्मिक, धार्मिक प्रवचन केन्द्र/ सत्संग भवन	वह परिसर जहाँ स्वयं सिद्धि, बुद्धि और शरीर के उच्च गुणों की उपलब्धि, अध्यात्मिक और धार्मिक प्रवचन आदि से सम्बन्धित सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.32 धार्मिक भवन	वह परिसर जिसका उपयोग उपासना तथा अन्य धार्मिक कार्यक्रमो के लिए किया जाता हो।
2.5.33 सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान/भवन	वह परिसर जहाँ मुख्य रूप से गैर-व्यवसायिक आधार पर जनता या स्वैच्छिक रूप से किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा सामजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.34 सांस्कृतिक केन्द्र	वह परिसर जहाँ किसी संस्था, राज्य और देश के लिए सांस्कृतिक सेवाओं हेतु सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.35 बारातघर/बंक्वेट हाल	वह परिसर जिसका उपयोग वैवाहिक कार्यक्रमों तथा अन्य सामाजिक समारोहों के लिए किया जाता है।
2.5.36 ऑडिटोरियम	वह परिसर जहाँ संगीत सभा, नाटक, संगीत प्रस्तुतीकरण, समारोह आदि जैसे विभिन्न प्रर्दशनो के लिए मंच और दर्शको के बैठने की व्यवस्था हो।
2.5.37 खुली नाट्यशाला	वह परिसर जहाँ खुले मे दर्शको के बैठने और प्रदर्शन के लिए मंच की सुविधाओं, आदि की व्यवस्था हो।
2.5.38 थिएटर/नाट्यशाला	वह परिसर जहाँ दर्शको के बैठने और प्रदर्शन के लिए सुविधाओ की व्यवस्था हो।
2.5.39 म्यूजियम/ अजायबघर	वह परिसर जहाँ पुरावशेषो, प्राकृतिक इतिहास, कला, आदि के उदाहरण देने के लिए वस्तुओ का संग्रह एवं प्रदर्शन करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.40 आर्ट गैलरी/ प्रदर्शनी केन्द्र	वह परिसर जहॉ चित्रकारी, फोटोग्राफी, मूर्तिकला, भित्ति चित्रों, हस्तशिल्प या किसी विशेष वर्ग के उत्पादों की प्रदर्शनी और सजावट के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.41 संगीत/नृत्य,नाट्य प्रशिक्षण/कला केन्द	वह परिसर जहाँ संगीत, नृत्य तथा नाट्य कला का प्रशिक्षण देने और सिखाने की व्यवस्था हो।

2.5.42 पुस्तकालय/ लाइब्रेरी	वह परिसर जहाँ सामान्य जनता या श्रेणी विशेष के लिए पढ़ने और संदर्भ के लिए पुस्तकों के संग्रहण की व्यवस्था हो।
2.5.43 वाचनालय	वह परिसर जहाँ सामान्य जनता या श्रेणी विशेष के लिए समाचार पत्र, पत्रिकाएं, आदि पढ़ने की व्यवस्था हो।
2.5.44 सूचना केन्द्र	वह परिसर जहाँ राज्य तथा देश की विभिन्न गतिविधियों की सूचनाओं के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.45 अग्निशमन केन्द्र	वह परिसर जहाँ उससे सम्बद्ध क्षेत्र के लिए आग बुझाने की सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.46 समाज कल्याण केन्द्र	वह परिसर जहाँ समाज के कल्याण और विकास को बढ़ावा देने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो तथा यह सार्वजनिक या धमार्थ या अन्य संस्था द्वारा चलाया जाता हो।
2.5.47 विद्युत शवदाह गृह	वह परिसर जहाँ शवों को विद्युत दाहक द्वारा जलाने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.48 शमशान	वह परिसर जहाँ शवों को जलाकर अन्तिम धार्मिक कृत्य को पूरा करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.49 कब्रिस्तान	वह परिसर जहाँ शवों को दफनाने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.50 मेला स्थल	वह परिसर जहाँ सहभागियों के समूह के लिए प्रदर्शनी और सजावट तथा अन्य सांस्कृतिक/धार्मिक गतिविधियों हेतु सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.51 धोबी घाट	वह परिसर जिसका उपयोग धोबियों द्वारा कपड़े धोने और सुखाने हेतु किया जाता हो।

2.6 सार्वजनिक उपयोगिताएं

2.6.1 डम्पिंग ग्राउण्ड	वह परिसर जहाँ नगर के विभिन्न क्षेत्रों से कूड़ा (सालिड वेस्ट) इकट्ठा करके अन्तिम उपचार होने तक जमा किया जाता हो।
2.6.2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट	वह परिसर जहाँ ठोस एवं तरल अपशिष्ठों को तकनीकी रसायनिक किया द्वारा हानि रहित बनाया जाता हो।
2.6.3 सार्वजनिक उपयोगिताओं एवं सेवाओं से सम्बन्धित भवन/प्रतिष्ठान	वह परिसर जहाँ सार्वजनिक उपयोग के लिए जल भण्डारण तथा उसकी आपूर्ति हेतु ओवरहेड/भूमिगत टैक, पम्प-हाउस, आदि, सीवरेज से सम्बन्धित आक्सीकरण तालाब, सेप्टिक टैक, सीवरेज पम्पिंग स्टेशन, आदि हों। इसमें सार्वजनिक शौचालय, मूत्रालय व कूड़ादान भी शामिल है।
2.6.4 कम्पोस्ट प्लान्ट	वह परिसर जहाँ नगर के विभिन्न क्षेत्रों से ठोस कूड़े एवं अपशिष्ठ पदार्थो को मैकेनिकल क्रिया द्वारा उपचार के उपरान्त उर्वरक में परिवर्तित किया जाता हो।
2.6.5 विद्युत् केन्द्र/ सब-स्टेशन	वह परिसर जहाँ बिजली के वितरण के लिए विद्युत संस्थापन, आदि लगे हो।

2.7 यातायात एवं परिवहन

2.7.1 पार्किंग स्थल	वह परिसर जिसका उपयोग गाड़ियों की पार्किंग के लिए किया जाता हो।
2.7.2 बस स्टैण्ड	वह परिसर जिसका उपयोग जनसुविधा एवं सेवा के लिए लघु अवधि हेतु

बसें खड़ी करने के लिए सार्वजनिक परिवहन एजेन्सी अथवा किसी संस्था द्वारा किया जाता हो।

2.7.3 **मैंटर गैराज/सर्विस गैराजं तथा वर्कशाप** — वह परिसर जिसमें आटोमोबाइल्स की सर्विसिंग और मरम्मत की जाती हो।

2.7.4 **टैक्सी/टैम्पो/ रिक्शा स्टैण्ड** — वह परिसर जिसका उपयोग व्यवसायिक/गैर व्यवसायिक आधार पर चलने वाली मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन गाड़ियों की पार्किंग के लिए किया जाता हो।

2.7.5 **मैंटर ड्राइविंग प्रशिक्षण केन्द्र** — वह परिसर जहाँ आटोमोबाइल्स ड्राइविंग के प्रशिक्षण के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।

2.7.6 **ट्रान्सपोर्ट नगर** — वह परिसर जिसका उपयोग ट्रकों के लिए लघु अथवा दीर्घावधि हेतु खड़ी करने के लिए किया जाता हो। इसमें ट्रक एजेन्सी के कार्यालय, गाड़ियों की मरम्मत एवं सर्विसिंग, ढाबे, स्पेयर पार्ट शॉपस तथा गोदाम, पेट्रोल पम्प आदि भी हो सकते हैं।

2.7.7 **धर्मकॉटा** — वह परिसर जहॉ भरे हुए अथवा खाली ट्रकों का वजन किया जाता हो।

2.7.8 **बस डिपो** — वह परिसर जिसका उपयोग बसों की पार्किंग, रख-रखाव और मरम्मत के लिए सार्वजनिक परिवहन एजेन्सी या इसी प्रकार किसी अन्य एजेन्सी द्वारा किया जाता हो। इसमें वर्कशाप भी हो सकता है।

2.8 पार्क, खुले स्थल, हरित पट्टी एवं क्रीड़ा-स्थल

2.8.1 **पार्क** — वह परिसर जिसमें मनोरंजनात्मक गतिविधियों के लिए लान, खुला स्थल, हरियाली आदि समानार्थी व्यवस्थाएं हों। इसमें भू-दृश्य, पार्किंग सुविधा, सार्वजनिक शौचालय, फेन्सिंग, आदि सम्बन्धित आवश्यकताओं की व्यवस्था हो सकती है।

2.8.2 **क्लब** — सभी सम्बन्धित सुविधाओं सहित वह परिसर जिसका उपयोग सामाजिक और मनोरंजनात्मक उद्देश्यों के लिए लोगों के समूह द्वारा किया जाता हो।

2.8.3 **क्रीड़ा-स्थल/ खेल का मैदान** — आउटडोर खेलों के लिए उपयोग किया जाने वाला परिसर जिसमें पार्किंग सुविधा, सार्वजनिक शौचालय, आदि की व्यवस्था हो ।

2.8.4 **मनोरंजन पार्क (Amusement Park)** — वह परिसर जहाँ मनोरंजनात्मक उद्देश्यों के पार्क, तथा मनोरंजन से सम्बन्धित अन्य सुविधाओं के लिए पार्क या मैदान हों।

2.8.5 **स्टेडियम** — वह परिसर जिसमें खिलाड़ियों के लिए सम्बन्धित सुविधाओं सहित दर्शकों के बैठने के स्थान के लिए मण्डप भवन और स्टेडियम की व्यवस्था हो।

2.8.6 **ट्रैफिक पार्क** — पार्क के रूप में वह परिसर जहाँ यातायात और संकेतन के सम्बन्ध में बच्चों को जानकारी और शिक्षा देने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।

2.8.7 **स्वीमिंग पूल (तरण-ताल)** — वह परिसर जिसमें तैरने, दर्शकों के बैठने तथा अनुषांगिक सुविधाओं जैसे ड्रेसिंग-रूम, शौचालय, आदि की व्यवस्था हो।

2.8.8 **पिकनिक स्थल/ शिविर स्थल** — पर्यटक और/या मनोरंजनात्मक केन्द्र के अन्दर स्थित परिसर जिसका उपयोग मनोरंजनात्मक या अवकाश उद्देश्य के लिए थोड़ी अवधि तक ठहरने के लिया किया जाता हो।

2.8.9	फ्लाइंग क्लब	वह परिसर जिसका उपयोग ग्लाइडरों और अन्य छोटे वायुयानों पर प्रशिक्षण प्राप्त करने और फन-राइडिंग के लिए किया जाता हो।
2.8.10	शूटिंग रेन्ज	वह परिसर जो विभिन्न प्रकार की पिस्टल्स/बन्दूकों को चलाने, निशाना साधने, इत्यादि के प्रशिक्षण/प्रेक्टिस के प्रयोग में लाया जाता हो।
2.9	कृषि	
2.9.1	नर्सरी/पौधशाला	वह परिसर जहाँ छोटे पौधों को उगाने और बिक्री के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.9.2	दुग्धशाला/डेयरी फार्म	वह परिसर जहाँ डेयरी-उत्पाद बनाने और तैयार करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो। इसमें पशुओं के शेड्स (Sheds) के लिए अस्थायी ढाँचा हो सकता है।
2.9.3	कुक्कुटशाला (पोल्ट्री फार्म)	वह परिसर जहाँ मुर्गी, बतख आदि पक्षियों के अण्डे, मांस, आदि उत्पादों के व्यवसाय के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो। इसमे पक्षियों के शेड्स (Sheds) हो सकते हैं।
2.9.4	फार्म हाउस	वह परिसर जहाँ फार्म के स्वामी के उपयोग हेतु उसी कृषि भूमि पर आवासीय भवन हो।
2.9.5	उद्यान	वह परिसर जिसे फूलों/फलों के प्रयोजनार्थ पेड़-पौधे लगाने हेतु उपयोग किया जाता हो।
2.9.6	दुग्ध संग्रह केन्द्र	वह परिसर जहाँ सम्बद्ध क्षेत्र से किसी डेयरी हेतु दूध का संग्रहण किया जाता हो।
2.9.7	कृषि उपकरणों की मरम्मत एवं सर्विसिंग	वह परिसर जहाँ कृषि में प्रयोग होने वाले मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल उपकरण जैसे ट्रैक्टर, ट्रॉली, हारवेस्टर, इत्यादि की सर्विसिंग की जाती हो।
2.10	अन्य परिसर	
2.10.1	वन	वह परिसर जिसमें प्राकृतिक अथवा मनुष्य द्वारा लगाए गए, पेड़-पौधे हों। इसमें नगर वन भी शामिल होंगे।
2.10.2	स्मारक	दर्शकों के लिए सभी सुविधाओं सहित वह परिसर जहाँ भूतकाल से सम्बन्धित संरचनाएं या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की याद में मकबरा, समाधि या स्मारक बना हुआ हो।
2.10.3	चिड़ियाघर/ जल-जीवशाला	वह परिसर जिसका उपयोग सभी सम्बन्धित सुविधाओं सहित प्रदर्शनी तथा अध्ययन के लिए जानवरों, जीव-जन्तुओं और पक्षियों के समूह सहित उद्यान/पार्क/जल-जीवशाला के रूप में किया जाता हो।
2.10.4	पक्षी शरण स्थल	सभी सम्बन्धित सुविधाओं सहित पक्षियों के परिरक्षण और पालन-पोषण के लिए विस्तृत पार्क या वन के रूप में परिसर।

✡✡✡

3. प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में सशर्त अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु अनिवार्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध

जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग-5 के अन्तर्गत प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं की अनुमन्यता से सम्बन्धित ग्राफिक प्रस्तुतीकरण (Matrix) में सशर्त अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु कोड संख्या अंकित की गई है। विभिन्न भू-उपयोग जोन्स में अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों की अनुज्ञा हेतु कोड संख्या के अनुसर निर्धारित अनिवार्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध निम्न प्रकार हैं :

कोड सं.	अनुमन्यता की अनिवार्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध
1	भूतल पर चौकीदार/संतरी आवास
2	भूतल छोड़कर ऊपरी तलों पर आवास
3	योजना के कुल क्षेत्रफल के 5 प्रतिशत तक
4	योजना के कुल क्षेत्रफल का अधिकतम 0.4 हेक्टेयर अथवा कुल क्षेत्रफल का 5 प्रतिशत, दोनों में जो भी कम हो।
5	भूतल को छोड़कर अनुवर्ती तलों के तल क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत अथवा भू–विन्यास मानचित्र का 10 प्रतिशत केवल सम्बन्धित कर्मचारियों हेतु
6	न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्ग पर *
7	न्यूनतम 18 मीटर चौड़े मार्ग पर
8	न्यूनतम 24 मीटर चौड़े मार्ग पर
9	न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्ग पर अधिकतम 20 शैय्याओं तक
10	न्यूनतम 18 मीटर चौड़े मार्ग पर अधिकतम 50 शैय्याओं तक
11	केवल महायोजना में चिन्हित थोक वाणिज्यिक केन्द्र/स्थलों के अन्तर्गत
12	केवल दुर्बल/अल्प आय वर्ग की योजनाओं में (अनुलग्नक–2 के अनुसार)
13	ज्वलनशील, नाशवान एवं आपात् वस्तुओं को छोड़कर अन्य वस्तुओं का भण्डारण
14	केवल शहर की विकसित आबादी के बाहर
15	5 हार्स पावर तक (अनुलग्नक–2 के अनुसार)
16	राईट–ऑफ–वे के बाहर
17	न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्ग पर अधिकतम 5 हार्स पावर तक
18	ग्रामीण आबादी के अन्तर्गत
19	अनुमन्य एफ.ए.आर. का 25 प्रतिशत अथवा 100 वर्ग मीटर दोनों में जो भी कम हो
20	केवल अनुषंगिक उपयोग हेतु
21	केवल खुले रूप में एवं अस्थायी
22	केवल संक्रामक रोगों से सम्बन्धित
23	न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्ग पर, केवल तीन स्टार तक
24	न्यूनतम 30 मीटर चौड़े मार्ग पर
25	10 हार्स पावर तक (अनुलग्नक–3 के अनुसार)

* निर्मित क्षेत्रों में व्यवसायिक क्रियाओं/उपयोगों की अनुमति आस–पास के विद्यमान प्रधान–भू–उपयोग के दृष्टिगत प्रदान की जाएगी।

4. विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं (Activities) हेतु अपेक्षाएं

प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं (Activities) /उपयोगों की अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्न परिस्थितियों तथा शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन दी जाएगी :-

(1) **विकास क्षेत्र/विशेष विकास क्षेत्र** के अन्तर्गत किसी भी प्रमुख भू-उपयोग जोन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष परिस्थितियों में अन्य क्रियाओं की अनुमति दिये जाने से पूर्व ऐसे प्रत्येक मामले में निम्न **समिति** द्वारा परीक्षण किया जाएगा जिसकी संस्तुति प्राधिकरण बोर्ड के सक्षम प्रस्तुत की जाएगी और बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त ही अनुज्ञा प्रदान की जाएगी :

- विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी,
- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश अथवा उनके प्रतिनिधि,
- अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा नामित प्राधिकरण बोर्ड के एक गैर-सरकारी सदस्य।

विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं हेतु प्रत्येक प्रकरण में गुण-अवगुण के आधार पर उपरोक्त समिति द्वारा निम्न व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी :-

(i) प्रमुख भू-उपयोग जोन की आधारभूत अवस्थापनाओं यथा जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युत-आपूर्ति, खुले स्थल तथा यातायात, पार्किंग इत्यादि पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

(ii) प्रस्तावित क्रिया के कारण अगल-बगल के भूखण्डों/भवनों के निजी परिसरों में प्रकाश एवं संवातन तथा प्राईवेसी भंग न हो।

(iii) प्रस्तावित क्रिया के कारण प्रमुख भू-उपयोग जोन में किसी प्रकार की ध्वनि/धुँआ/दुर्गन्ध इत्यादि के प्रदूषण की सम्भावना न हो।

(iv) प्रस्तावित क्रिया यथासम्भव मुख्य भू-उपयोग के बाहरी क्षेत्र/किनारों पर मुख्य मार्ग पर अथवा पृथकीकृत रूप में स्थित हो।

(v) प्रस्तावित क्रिया की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाएगी कि भवन का अधिकतम एफ.ए.आर. एवं ऊँचाई प्रमुख भू-उपयोग के प्राविधानों के अन्तर्गत है।

विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं के सम्बन्ध में उपरोक्त बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए नियन्त्रक प्राधिकारिणी द्वारा प्रत्येक प्रकरण में गुण-अवगुण के आधार पर स्वयं निर्णय लिया जायेगा।

(2) किसी भी प्रमुख भू-उपयोग जोन में विशेष अनुमति से किसी क्रिया को अनुमन्य किये जाने की दशा में पार्किंग/सेट बैक इत्यादि में दर्शायी गई भूमि भविष्य में मार्ग विस्तार/सार्वजनिक पार्किंग, इत्यादि हेतु आवश्यकता पड़ने पर आवेदक द्वारा प्राधिकरण को निःशुल्क हस्तान्तरित करनी होगी।

(3) महायोजना में अथवा प्राधिकरण द्वारा चिन्हित **हैरिटेज जोन** में खान-पान से सम्बन्धित दुकानें, रेस्टोरेन्ट्स, फोटोग्राफर, रेल/वायु/टैक्सी, इत्यादि के बुकिंग ऑफिस, गाईड कार्यालय, पर्यटन से सम्बन्धित कार्यालय, तथा अन्य आवश्यक क्रियाओं यथा अस्थायी मेला/प्रदर्शनी स्थल, इत्यादि की अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रभावी भवन उपविधियों के अधीन प्रदान की जायेगी।

(4) जोनिंग रेगुलेशन्स में दर्शायी गई क्रियाओं के अतिरिक्त प्रमुख भू-उपयोग के अनुषांगिक (Compatible) अन्य क्रियाएं जिनका उल्लेख नहीं है, भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष अनुमति से गुण-अवगुण के आधार पर अनुमन्य की जा सकेगी।

टिप्पणी :

(i) जोनिंग रेगुलेशन्स में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमन्य किए जाने की दशा में समस्त क्रियाओं/उपयोगों के मानचित्र, प्रभारी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार ही स्वीकृत किये जायेंगे। जिन क्रियाओं/उपयोगों हेतु भवन उपविधि में भू-आच्छादन, एफ.ए.आर., सेट-बैक, पार्किंग, आदि के बारे में प्राविधान नहीं है, के सम्बन्ध में क्रिया विशेष की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए उक्त समिति द्वारा प्राधिकरण बोर्ड को संस्तुति प्रस्तुत की जाएगी।

(ii) विशेष अनुमति से किसी उपयोग/क्रिया की अनुमन्यता हेतु सक्षम प्राधिकारी बाध्य नही होंगे तथा आवेदक अधिकार के रूप में इसकी मांग नही कर सकेगा।

5- प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं (Activities) की अनुमन्यता

संकेताक्षर		
☆ शु. आ. : शुद्ध आवासीय	☆ व्यय. : व्यवसायिक	☆ पार्क : पार्क, खुले स्थल, एवं क्रीड़ा स्थल
☆ मि. आ : मिश्रित आवासीय	☆ कार्या. : कार्यालय	☆ हरित प. : हरित पट्टी (ग्रीन बर्ज)
☆ ल. उ. : लघु उद्योग	☆ सुवि. : सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाएं	☆ ग्राआ.ब. : ग्रामीण आबादी
☆ वृ. उ. : वृहद उद्योग	☆ या.परि : यातायात एवं परिवहन	

संकेत	
अनुमन्य उपयोग	
सशर्त अनुमन्य उपयोग	
विशेष अनुमति से अनुमन्य उपयोग	
निषिद्ध उपयोग	

क्रियाएं (Activities) / उपयोग	निर्मित क्षेत्र	भू–उपयोग जोन्स: विकासशील / अविकसित क्षेत्र											
		शु.आ.	मि.आ.	व्यय.	ल. उ.	वृ. उ.	कार्या.	सुवि.	या.परि	पार्क	हरित प.	ग्रा.आबा.	कृषि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. आवासीय													
1.1 एकल आवास					3								
1.2 समूह आवास (ग्रुप हाऊसिंग)	6			2	3		5					6	
1.3 सम्बन्धित कर्मचारी / चौकीदार / संतरी आवास				1	4	4	3	4	1				20
2. व्यवसायिक													
2.1 फुटकर दुकानें (अनुलग्नक–1 के अनुसार)			6										
2.2 शोरूम	6												
2.3 साप्ताहिक बाजार			7									6	
2.4 थोक मण्डी / थोक व्यापार				11									
2.5 नीलामी बाजार				7									
2.6 बेकरी एवं कन्फेक्शनरी, आटा चक्की (10 हार्स पावर तक)			6										
2.7 कोयला तथा लकड़ी के टाल	6		7	7	7							6	
2.8 कृषि उपजों के विक्रय केन्द्र				11									
2.9 शीतगृह				11									
2.10 रिसॉर्ट													
2.11 होटल	23		23										
2.12 मोटल, वे–साइड रेस्तरां (ढाबा)					8	8			8				
2.13 भोजनालय, जलपान गृह, रेस्टोरेन्ट कैन्टीन			6										
2.14 सिनेमा, मल्टीप्लेक्स			8										
2.15 अस्थाई सिनेमा, सर्कस, प्रदर्शनी, मेला स्थल	7		8	8	8	8		8					

टिप्पणी : 1. इस की व्याख्या (Interpretation) हेतु अनुलग्नक –4 का संदर्भ लें।

2. सर्शत अनुमन्य उपयोगों की अनुमन्यता हेतु निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के लिए भाग–3 का संदर्भ लें।

क्रियाएं (Activities) / उपयोग	भू–उपयोग जोन्स												
	निर्मित क्षेत्र	विकासशील / अविकसित क्षेत्र											
		शु.आ.	मि.आ.	व्यय.	ल. उ.	वृ. उ.	कार्या.	सुवि.	या.परि	पार्क	हरित प.	ग्रा.आवा.	कृषि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.16 पी.सी.ओ. / सेल्युलर मोबाइल सर्विस		6											
2.17 पेट्रोल / डीजल फिलिंग स्टेशन	7		8		7		8	7				7	
2.18 गैस गोदाम / गैस अधिष्ठान													
2.19 भंडारण, गोदाम, वेयरहाऊस, संग्रहण केन्द्र, जंकयार्ड / कबाड़खाना				13	13				13				
3. औद्योगिक													
3.1 सेवा / कुटीर उद्योग	15		12										
3.2 सूचना प्रौद्योगिकी / साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क	17		17	17			17						
3.3 लघु उद्योग				25									
3.4 वृहद उद्योग, शुगर मिल, राइस शेलर, फ्लोर मिल													
3.5 संकटपूर्ण / खतरनाक / प्रदूषणकारक उद्योग													
3.6 खनन, ईंट / चूने का भट्ठा, क्रेशर													
3.7 तेल डिपो / एल.पी.जी. रिफिलिंग प्लांट													
3.8 पाश्चराइजिंग प्लान्ट / दुग्ध संग्रहण केन्द्र													
3.9 विद्युत उत्पादन संयन्त्र / केन्द्र													
4. कार्यालय													
4.1 राजकीय, अर्द्ध–राजकीय, स्थानीय निकाय कार्यालय	6		7	20	20		20	20					
4.2 निजी कार्यालय, एजेण्ट कार्यालय, इत्यादि			19					20	20				
4.3 बैंक	6												
4.4 वाणिज्यिक / व्यापारिक कार्यालय	6												
4.5 श्रमिक कल्याण केन्द्र													
4.6 पी.ए.सी. / पुलिस लाइन्स													
4.7 मौसम अनुसंधान केन्द्र / वायरलेस केन्द्र / वेधशाला													
5. सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधा													
5.1 अतिथि गृह, निरीक्षण गृह												6	
5.2 धर्मशाला, रैन–बसेरा, लाजिंग / बोर्डिंग हाउस	6		6									6	
5.3 छात्रावास	6		6									6	
5.4 अनाथालय, सुधारालय													
5.5 कारागार													

टिप्पणी : 1. इस Matrix की व्याख्या (Interpretation) हेतु अनुलग्नक–4 का संदर्भ लें।
2. सशर्त अनुमन्य उपयोगों की अनुमन्यता हेतु निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के लिए भाग–3 का संदर्भ लें।

क्रियाएं (Activities)/उपयोग	भू–उपयोग जोन्स											
	निर्मित क्षेत्र	विकासशील/अविकसित क्षेत्र										
		शु.आ.	मि.आ.	व्यय.	ल. उ.	वृ. उ.	कार्या.	सुवि.	या.परि	पार्क	हरित प.	ग्रा.आवा.	कृषि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.6 हैण्डीकैप्ड चिल्ड्रेन हाउस	6		6									6	
5.7 शिशुगृह एवं दिवस देखबाल केन्द्र		6					19						
5.8 वृद्धावस्था देखभाल केन्द्र													
5.9 प्राथमिक शैक्षिक संस्थान	6		6										
5.10 उच्च माध्यमिक, इण्टर/महा विद्यालय	6		7									7	
5.11 विश्वविद्यालय													
5.12 पालीटेक्निक, इजीनियरिंग, मेडिकल/डेन्टल कालेज													
5.13 प्रबन्धन संस्थान/विशिष्ट शैक्षिक संस्थान													
5.14 डाकघर, तारघर		7	6										
5.15 पुलिस स्टेशन/चौकी, अग्निशमन केन्द्र			7										
5.16 पुस्तकालय/वाचनालय			6										
5.17 स्वास्थ्य केन्द्र, परिवार कल्याण केन्द्र, डिस्पेन्सी	9												
5.18 अस्पताल	10				10	10	10					10	22
5.19 नर्सिंग होम	9		9		10	10	10					9	
5.20 नैदानिक प्रयोगशाला													22
5.21 हेल्थ क्लब/जिमनेजियम													
5.22 विद्युत शवदाह गृह, शमशान, कब्रिस्तान								14					
5.23 संगीत/नृत्य एवं नाट्य प्रशिक्षण केन्द्र, कला केन्द्र	6		6									6	
5.24 सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, पेंटिंग, कम्प्यूटर प्रशिक्षण इत्यादि			19										
5.25 आडिटोरियम, नाट्यशाला, थिएटर			7		8					21			21
5.26 योग, मनन, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन केन्द्र/सत्संग भवन	6		7							21	21		21
5.27 धार्मिक भवन	6											6	
5.28 सामुदायिक केन्द्र, सांस्कृतिक केन्द्र	6		7	6					7			6	
5.29 बारातघर, बैक्वेट हाल				7									
5.30 कान्फ्रेंस/मीटिंग हाल	6												
5.31 अजायबघर													
5.32 आर्ट गैलरी, प्रदर्शनी केन्द्र	21		7		21				21	21	21		21
5.33 टेलीफोन, रेडियो व टेलीविजन कार्यालय/केन्द्र													
5.34 अनुसंधान एवं विकास केन्द्र शोध केन्द्र					20								
5.35 समाज कल्याण केन्द्र													

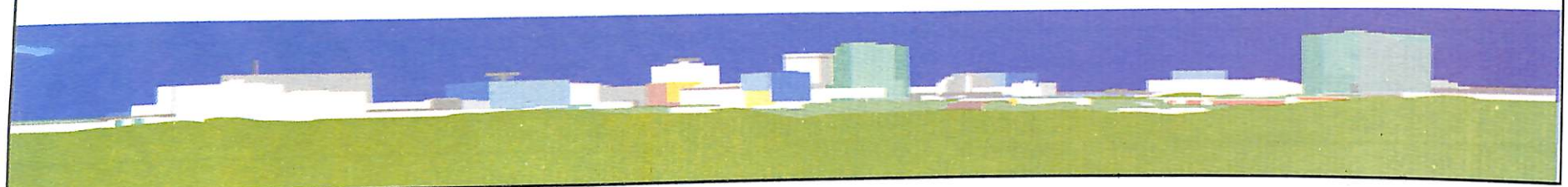
टिप्पणी : 1. इस Matrix की व्याख्या (Interpretation) हेतु अनुलग्नक–4 का संदर्भ लें।
2. सर्शत अनुमन्य उपयोगों की अनुमन्यता हेतु निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के लिए भाग–3 का संदर्भ लें।

क्रियाएं (Activities)/उपयोग	भू–उपयोग जोन्स											
	निर्मित क्षेत्र	विकासशील/अविकसित क्षेत्र										
		शु.आ.	मि.आ.	व्यय.	ल. उ.	वृ. उ.	कार्या.	सुवि.	या.परि	पार्क	हरित प.	ग्रा.आबा.	कृषि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6. सार्वजनिक उपयोगिताएं													
6.1 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, कूडा डम्पिंग ग्राउण्ड, इत्यादि					14	14		14					
6.2 ट्यूब–वैल, ओवर हेड रिजर्वायर, विद्युत केन्द्र/सब–स्टेश													
6.3 वाटर वर्क्स													
6.4 माइक्रोवेव केन्द्र													
6.5 कम्पोस्ट प्लान्ट													
6.6 पशुवधशाला													
6.7 सेल्युलर/मोबाइलटावर								14			14		14
7. यातायात एवं परिवहन													
7.1 पार्किंग स्थल									16	21			
7.2 टैक्सी, टैम्पो, रिक्शा आदि के स्टैण्ड/बस स्टाप									16				
7.3 ट्रान्सपोर्ट नगर, बस डिपो													
7.4 बस स्टैण्ड	7		7	7	7			7	16			7	
7.5 बस टरमिनल			24										
7.6 मोटर गैराज, सर्विस गैराज तथा वर्कशाप	7											6	
7.7 मोटर चालन प्रशिक्षण केन्द्र													
7.8 लोडिंग–अनलोडिंग प्लेटफार्म	7										21	6	
7.9 रेलवे गोदाम, रेलवे यार्ड/साइडिंग/टरमिनल													
7.10 धर्मकाँटा	7		11	7								6	
7.11 एयरपोर्ट													
8. पार्क, क्रीड़ा/खुले स्थल													
8.1 पार्क, क्रीड़ा स्थल/खेल का मैदान													
8.2 बहुउद्देशीय खुले स्थल	7		7									7	
8.3 गोल्फ/रेसकोर्स													
8.4 स्टेडियम/खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र													
8.5 कारवाँ पार्क, पिकनिक स्थल, शिविर स्थल										21			21

टिप्पणी : 1. इस Matrix की व्याख्या (Interpretation) हेतु अनुलग्नक–4 का संदर्भ लें।

2. सशर्त अनुमन्य उपयोगों की अनुमन्यता हेतु निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के लिए भाग–3 का संदर्भ लें।

क्रियाएं (Activities)/उपयोग	भू–उपयोग जोन्स												
	निर्मित क्षेत्र	विकासशील/अविकसित क्षेत्र											
		शु.आ.	मि.आ.	व्यय.	ल. उ.	वृ. उ.	कार्या.	सुवि.	या.परि	पार्क	हरित प.	ग्रा.आबा.	कृषि
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.6 ट्रैफिक पार्क													
8.7 मनोरंजन पार्क	6									21		6	
8.8 क्लब, स्वीमिंग पुल	6		6									6	
8.9 चिड़ियाघर, जल जीवशाला, वन्य जीव/पक्षी शरण स्थल													
8.10 फ्लाइंग क्लब/हैलीपेड								21					
8.11 शूटिंग रेन्ज													
9. कृषि													
9.1 बागवानी, पौधशाला, उद्यान, वन, बॉटनीकल गार्डन													
9.2 फार्म हाउस													
9.3 चरागाह, दुग्धशाला (डेरी फार्म)													
9.4 धोबी घाट													
9.5 सुअर/मतस्य/कुक्कुट/मधुमक्खी पालन, पशु संवर्धन एवं प्रजनन केन्द्र													
9.6 कृषि उपकरणों की मरम्मत/सर्विसिंग वर्कशाप													
10. फलोटिंग उपयोग													
10.1 सार्वजनिक सुविधाएं एवं उपयोगिताएं													
10.2 थोक व्यवसायिक				11									
10.3 यातायात एवं परिवहन													
10.4 सेवा/कुटीर उद्योग				12									
10.5 विशेष उद्योग (संकटपूर्ण/खतरनाक/प्रदूषणकारक)													



टिप्पणी : 1. इस Matrix की व्याख्या (Interpretation) हेतु अनुलग्नक–4 का संदर्भ लें।
2. सर्शत अनुमन्य उपयोगों की अनुमन्यता हेतु निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के लिए भाग–3 का संदर्भ लें।

6- भू–उपयोग जोन्स का निम्न से उच्च क्रम एव प्रभाव शुल्क (Impact Fee) का निर्धारण

प्रभाव शुल्क से छूट	
गैर व्यवसायिक एवं चैरिटेबल क्रियाएं/उपयोग	1
सेवा एवं कुटीर उद्योग	2
सम्बन्धित उपयोग के प्रयोजनार्थ समूह आवास	3

संकेत	
प्रभाव शुल्क लागू नहीं	
प्रभाव शुल्क देय नहीं	
प्रभाव शुल्क देय	

क्रियाएं (Activities)/उपयोग श्रेणी (निम्न से उच्च क्रम में)		निर्मित क्षेत्र	भू–उपयोग जोन्स: विकासशील/अविकसित क्षेत्र (निम्न से उच्च क्रम में)						
			कृषि ह.पट्टी पार्क, क्रीड़ास्थल	सार्वजनिक सुविधाएं	यातायात एवं परिवहन	औद्योगिक	आवासीय (ग्रामीण आबादी सहित)	कार्यालय	व्यवसायिक
			1	2	3	4	5	6	7
1	कृषि, हरित पट्टी (ग्रीन वर्ज) पार्क क्रीडास्थल								
2	सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाएं		0.25 (1)				0.25 (1)		
3	यातायात एवं परिवहन		0.30	0.10					
4	औद्योगिक		0.40 (2)	0.25 (2)	0.25 (2)				
5	आवासीय		0.50	0.40	0.40	0.25 (3)			
6	कार्यालय		1.00	0.75	0.75	0.75	0.50		
7	व्यवसायिक		1.50	1.25	1.25	1.00	1.00	0.50	

टिप्पणी :

1. विभिन्न भू– उपयोग जोन्स में अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु निर्धारित "प्रभाव शुल्क गुणांक" की वैल्यू उन प्रकोष्ठो में दी गई है जहाँ प्रभाव शुल्क देय है।
2. सामान्यतः अनुमन्य एवं सशर्त अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु प्रभाव शुल्क 25 प्रतिशत तथा विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु 50 प्रतिशत देय होगा तथा प्रभाव शुल्क का आंकलन सम्बन्धित भू–उपयोग जोन हेतु निर्धारित "प्रभाव शुल्क गुणांक" की वैल्यू के आधार पर निम्न फार्मूला के अनुसार किया जाएगाः–
   - 2.1 सामान्यतः अनुमन्य एवं सशर्त अनुमन्य क्रियाओं हेतु– भूखण्ड का क्षेत्रफल x सर्किल रेट x "प्रभाव शुल्क गुणांक" x 0.25
   - 2.2 विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं हेतु : भूखण्ड का क्षेत्रफल x सर्किल रेट x "प्रभाव शुल्क गुणांक" x 0.50
3. प्रभाव शुल्क का आंकलन विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद की वर्तमान सेक्टर (आवासीय) दर, एवं प्राधिकरण/परिषद की दर न होने की दशा में भूमि के विद्यमान भू–उपयोग के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर किया जायेगा।

प्रभाव शुल्क के आगणन हेतु उदाहरण

उदाहरण–1
मिश्रित आवासीय क्षेत्रा में नर्सिंग होम की अनुज्ञा हेतुः
भूखण्ड का क्षेत्रफल = 350 वर्ग मीटर
प्राधिकरण की वर्तमान आवासीय दर = रु० 2000 प्रति वर्ग मीटर
देय प्रभाव शुल्क = भूखण्ड का क्षेत्रफल सेक्टर रेट x "प्रभाव शुल्क गुणांक" x 0.25
अर्थात् 350 x 2000 x 0.25 x 0.25 = रु० 43,750/2

उदाहरण–2
कृषि भू–उपयोग जोन में विशेष अनुमति से पेट्रोल पम्प की अनुज्ञा हेतु :
भूखण्ड का क्षेत्रफल = 500 वर्ग मीटर
कृषि भूमि का सर्किल रेट = रु० 200 प्रति वर्ग मीटर
देय प्रभाव शुल्क = 500 x 200 x 1.5 x (1.5) = रु० 75000/-

दैनिक उपयोग की अनुमन्य दुकानों की सूची

1. जनरल प्राविजन स्टोर
2. दैनिक उपयोग की वस्तुएं यथा दूध, ब्रेड, मक्खन, अण्डा आदि
3. सब्जी एवं फल
4. फलों के जूस
5. मिठाई एवं पेय पदार्थ
6. पान, बीड़ी, सिगरेट
7. मेडिकल स्टोर/क्लीनिक
8. स्टेशनरी
9. टाइपिंग, फोटोस्टेट, फैक्स, आदि
10. किताबें/मैगजीन/अखबार, इत्यादि
11. खेल का सामान
12. टेलीफोन बूथ, पी सी ओ
13. रेडीमेड गारमेंट
14. ब्यूटी पार्लर
15. सौन्दर्य प्रसाधन
16. हेयर ड्रेसिंग
17. टेलरिंग
18. घड़ी मरम्मत
19. कढ़ाई-बुनाई एवं पेन्टिंग
20. केबल टी.वी. संचालन, वीडियो पार्लर
21. प्लम्बर शाप
22. विद्युत उपकरण
23. हार्डवेयर
24. टायर पंचर की दुकानें
25. कपड़े इस्त्री करना
26. समरूप दैनिक उपयोगिताओं की अन्य दुकानें

अनुलग्नक –2

निर्मित/मिश्रित आवासीय क्षेत्र में अनुमन्य सेवा उद्योगों की सूची

1. लाण्ड्री, ड्राई-क्लीनिंग
2. टी.वी., रेडियो, आदि की सर्विसिंग तथा मरम्मत
3. दुग्ध उत्पाद, घी, मक्खन बनाना
4. मोटर कार, मोटर-साइकिल, स्कूटर, साइकिल आदि की सर्विसिंग एवं मरम्मत
5. प्रिन्टिंग प्रेस तथा बुक बाइण्डिंग
6. सोना तथा चाँदी का कार्य
7. कढ़ाई एवं बुनाई
8. जूते का फीता तैयार करना
9. टेलरिंग व बुटीक
10. बढ़ई कार्य, लोहार कार्य
11. घड़ी, पेन, चश्में की मरम्मत
12. साइन बोर्ड बनाना (लोहे के बोर्ड को छोड़कर)
13. फोटो फ्रेमिंग
14. जूता मरम्मत
15. विद्युत उपकरणों की मरम्मत
16. बेकरी, कन्फेक्शनरी
17. आटा चक्की (10 अश्व शक्ति तक)
18. फर्नीचर
19. समरूप सेवा उद्योग

व्यवसायिक क्षेत्र में अनुमन्य प्रदूषणमुक्त लघु उद्योगों की सूची (10 ह्यार्स पावर तक)

1. आटा चक्की
2. मूँगफली सुखाना
3. चिलिंग
4. सिलाई
5. सूती एवं ऊनी बुने वस्त्र
6. सिले वस्त्रों का उद्योग
7. हथकरघा
8. जूते का फीता तैयार करना
9. सोना तथा चाँदी/तार एवं जरी का काम
10. चमड़े के जूते तथा अन्य चर्म उत्पाद जिसमें चर्म शोधन सम्मिलित न हो
11. शीशे की शीट से दर्पण तथा फोटो तैयार करना
12. संगीत वाद्य यन्त्र तैयार करना
13. खेलों का सामान
14. बांस एवं बेंत उत्पाद
15. कार्ड बोर्ड एवं कागज उत्पाद
16. इन्सुलेशन एवं अन्य कोटेड पेपर
17. विज्ञान एवं गणित से सम्बन्धित यंत्र
18. स्टील एवं लकड़ी के साज-सज्जा सामान
19. घरेलू विद्युत उपकरणों को तैयार करना
20. रेडियो, टी0वी0 बनाना
21. पेन, घड़ी, चश्में की मरम्मत

22. सर्जिकल पट्टियाँ

23. सूत कताई व बुनाई

24. रस्सियाँ बनाना

25. दरियाँ बनाना

26. कूलर तैयार करना

27. साइकिल एवं अन्य बिना इंजन चालित वाहनों की एसेम्बलिंग

28. वाहनों की सर्विसिंग एवं मरम्मत

29. इलैक्ट्रॉनिक्स उपकरण तैयार करना

30. खिलौने बनाना

31. मोमबत्ती बनाना

32. आरा मशीन के अतिरिक्त बढ़ई का कार्य

33. तेल निकालने का कार्य (शोधन को छोड़कर)

34. आइसक्रीम बनाना

35. मिनरल वाटर

36. जाबिंग एवं मशीनिंग

37. लोहे के संदूक तथा सूटकेस

38. पेपर पिन तथा यू-क्लिप

39. छपाई हेतु ब्लॉक तैयार करना

40. चश्मे के फ्रेम

41. समरूप प्रदूषणरहित उद्योग

प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता ज्ञात करने हेतु ग्राफिक प्रस्तुतीकरण (Matrix) के उपयोग की विधि

महायोजना में प्रस्तावित प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं (Activities)/उपयोगों की अनुमन्यता जोनिंग रेगुलेशन्स के माध्यम से निर्धारित की जाती है। यदि आवेदक द्वारा किसी भू–उपयोग जोन के अन्तर्गत क्रिया विशेष की निर्माण अनुज्ञा से सम्बन्धित मानचित्र विकास प्राधिकरण में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाता है, तो जोनिंग रेगुलेशन्स के आधार पर ही यह तय किया जा सकेगा कि प्रश्नगत निर्माण उस भू–उपयोग जोन में अनुमन्य है अथवा नही। महायोजना के प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता से सम्बन्धित विवरण जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग–5 में मैट्रिक्स (Matrix) के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसमें क्षैतिज रेखा (X-Axis) पर कालम–2 से 14 में महायोजना के प्रमुख भू–उपयोग जोन्स दर्शाए गए हैं जबकि इन जोन्स के अन्तर्गत अनुमन्य क्रियाएं/उपयोग ऊर्ध्वाधर रेखा (Y-Axis) पर दर्शाए गए हैं। किसी प्रमुख भू–उपयोग जोन में किसी क्रिया/उपयोग की अनुमन्यता ज्ञात करने के लिए क्षैतिज रेखा (X-Axis) पर दर्शायी गई उस क्रिया के सम्मुख ऊर्ध्वाधर रेखा (Y-Axis) पर दर्शाए गए भू–उपयोग जोन्स के कालम में दिए गए संकेत के आधार पर अनुमन्यता ज्ञात की जा सकती है। ग्राफिक प्रस्तुतीकरण (Matrix) जो (Coloured) तथा (Black & White) दोनों प्रकार से दर्शाया गया है, में निम्न चार संकेतों का प्रयोग किया गया है :–

(i)		**अनुमन्य उपयोग** : जो सामान्यतः अनुमन्य हैं।
(ii)		**सशर्त अनुमन्य उपयोग** : जो जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग–3 में कोड संख्या–1 से 25 तक निर्दिष्ट शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ अनुमन्य हैं।
(iii)		**विशेष अनुमति से अनुमन्य उपयोग** : जो जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग–4 में निर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष परिस्थितियों में अनुमन्य हैं। ''सक्षम प्राधिकारी'' की परिभाषा जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग–1 में क्रमांक–1.10 पर दी गई है।
(iv)		**निषिद्ध उपयोग** : जो अनुमन्य नहीं हैं।

उपरोक्त चारों संकेतों के आधार पर महायोजना के प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता से सम्बन्धित उदाहरण निम्न प्रकार हैं :–

उदाहरण –1 : कोई व्यक्ति यह ज्ञात करना चाहता है कि ''नर्सिंग होम'' व्यवसायिक भू–उपयोग जोन में अनुमन्य है अथवा नहीं ?

जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग–5 में ग्राफिक प्रस्तुतीकरण (Matrix) के अन्तर्गत Y-Axis पर क्रियाएं के नीचे क्रमांक–5.19 पर नर्सिंग होम के सम्मुख X-Axis पर व्यवसायिक भू–उपयोग जोन के कालम–5 में संकेत  (अनुमन्य) दिया गया है, जिसका अर्थ है कि व्यवसायिक भू–उपयोग जोन में नर्सिंग होम अनुमन्य है।

उदाहरण –2 : निर्मित क्षेत्र में ''शोरूम'' अनुमन्य है अथवा नहीं ?

जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग–5 में ग्राफिक प्रस्तुतीकरण (Matrix) के अन्तर्गत Y-Axis पर क्रियाएं के नीचे क्रमांक 2.2 पर शोरूम के सम्मुख X-Axis पर ''निर्मित क्षेत्र'' के कालम–2 में संकेत 6 (सशर्त अनुमन्य) दिया गया है, अर्थात् जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग–3 में निर्दिष्ट कोड संख्या–6 के अनुसार निर्मित क्षेत्र में शोरूम न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्ग पर अनुमन्य है।

उदाहरण –3 : कृषि भू–उपयोग जोन में रिजॉर्ट अनुमन्य है अथवा नहीं ?

जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग–5 में ग्राफिक प्रस्तुतीकरण (Matrix) के अन्तर्गत Y-Axis पर क्रियाएं के नीचे क्रमांक 2.10 पर रिजॉर्ट के सम्मुख X-Axis पर ''कृषि के कालम–14 में संकेत (विशेष अनुमति से अनुमन्य) दिया गया है, अर्थात् कृषि भू–उपयोग जोन में रिजॉर्ट सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष अनुमति से अनुमन्य है।

उदाहरण –4 : ग्रीनबेल्ट जोन में ''बारातघर'' अनुमन्य है अथवा नहीं ?

जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग–5 में ग्राफिक प्रस्तुतीकरण (Matrix) के अन्तर्गत Y-Axis पर क्रियाएं के नीचे क्रमांक 5.29 पर बारातघर के सम्मुख X-Axis पर ''ग्रीन बेल्ट'' के कालम–12 में संकेत (निषिद्ध) दिया गया है, अर्थात् ग्रीन बेल्ट में बारातघर अनुमन्य नहीं है।

टिप्पणी :

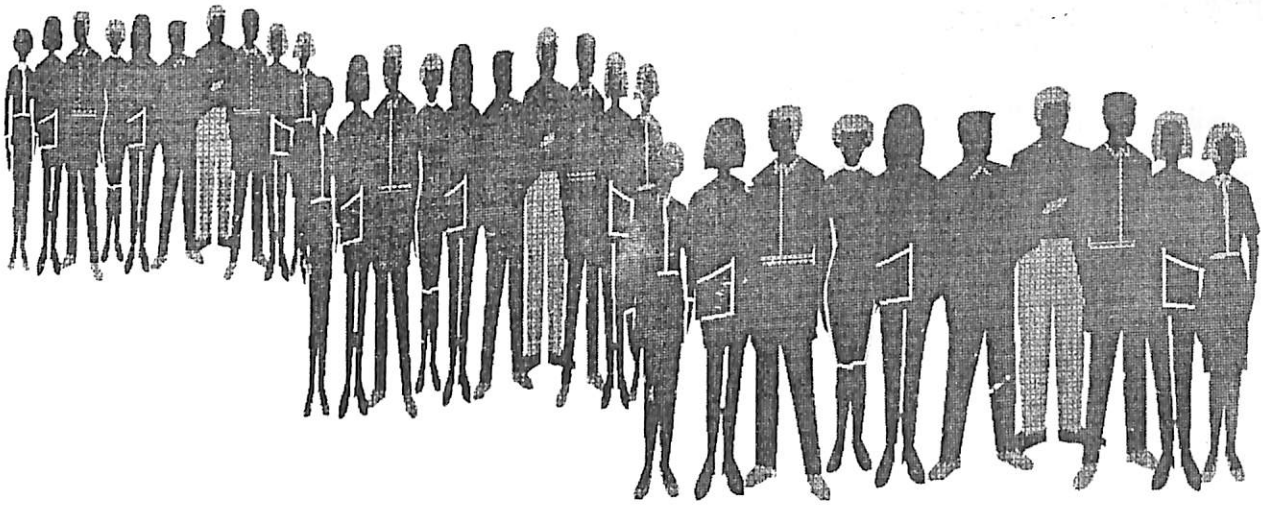
1. विभिन्न क्रियाओं/उपयोग परिसरों की परिभाषायें जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग–2 में दी गई हैं।

विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद



नागरिक अधिकार पत्र





आवास बन्धु
आवास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
अप्रैल, 2001



हमारी प्रतिबद्धताएं

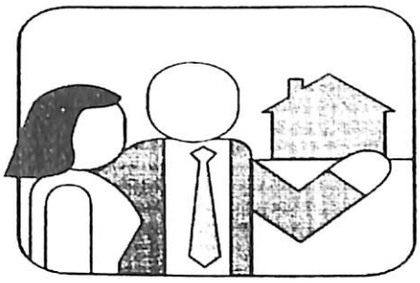
विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद अपने उपभोक्ता, आवंटी/केता को निम्नलिखित आश्वासन देता है:–

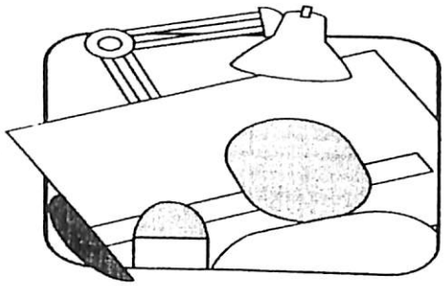
- सत्य निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ निष्पक्ष त्वरित एवं सौजन्यपूर्ण सेवा,
- उचित मूल्य पर उच्च कोटि का विकास एवं निर्माण कार्य,
- सभी लेन–देन में पारदर्शिता एवं समयबद्धता,
- सभी सेवाओं/शिकायती–पत्रों का समयबद्ध समाधान,
- विभिन्न संचालित कार्यो के समयबद्ध निस्तारण के सम्बन्ध में सूचना सामग्री स्वागत कक्ष में उपलब्ध कराना,
- लम्बित मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु नियमित रूप से लोक शिविर आयोजित करना ।

विभिन्न कार्यों के समयबद्ध निष्पादन तथा लोक शिकायतों के समाधान हेतु समय–सीमा एवं उत्तरदायित्व निर्धारण

नागरिक अधिकार पत्र की अपेक्षाएं

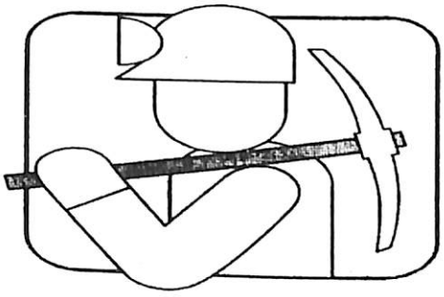
1. भूखण्ड/भवन आवंटन विषयक

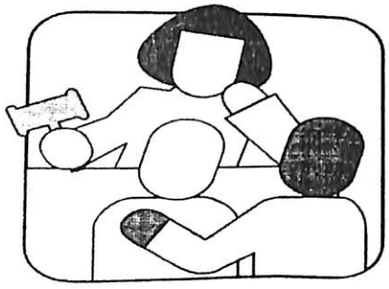




2. मानचित्र स्वीकृति विषयक

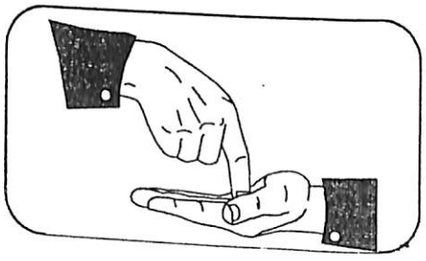
3. भू–अर्जन, विकास कार्यों एवं जन–सेवाओं के अनुरक्षण विषयक

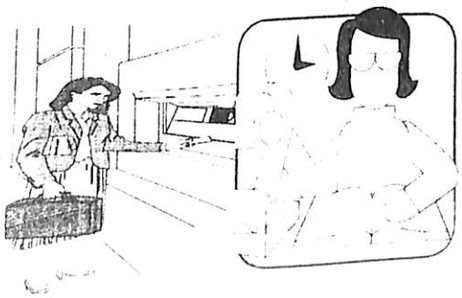




4. लोक शिकायतों के समाधान हेतु व्यवस्था

5. उपभोक्ता के दायित्व





6. शिकायत दर्ज कराने हेतु प्रकिया

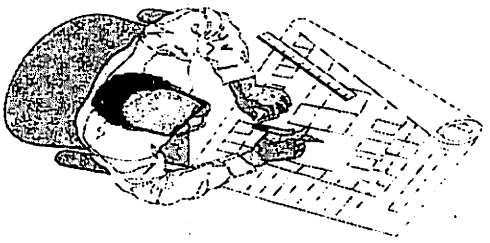
1- भूखण्ड/भवन आवंटन विषयक सम्पत्ति अनुभाग



क्र. सं.	प्रयोजन/जिज्ञासाएं	निस्तारण समय–सीमा	उत्तरदायी अधिकारी
1.	विभिन्न योजनाओं में भूखण्डों/भवनों की उपलब्धता ज्ञात करना	1 दिन	सम्पत्ति अधिकारी
2.	प्राधिकरण/परिषद द्वारा संचालित नयी योजनाओं की जानकारी करना	1 दिन	सम्पत्ति अधिकारी
3.	भूखण्ड/भवन के पंजीकरण हेतु आवेदन–पत्र जमा करना	2 दिन	सम्पत्ति अधिकारी
4.	भूखण्ड/भवन के आवंटन की प्रगति ज्ञात करना	3 दिन	सम्पत्ति अधिकारी
5.	भूखण्ड/भवन की कास्टिंग कराना	5 दिन	लेखाधिकारी
6.	आवंटन पत्र प्राप्त करना	2 दिन	सम्पत्ति अधिकारी
7.	आवंटित भूखण्ड/भवन की किश्तों की गणना से सम्बन्धित विवरण प्राप्त करना	7 दिन	सम्पत्ति अधिकारी
8.	ब्याज एवं दण्ड ब्याज आगणन के सम्बन्ध में विवरण प्राप्त करना	10 दिन	सम्पत्ति अधिकारी
9.	किश्तों का पुर्ननिर्धारण कराना	15 दिन	मुख्य लेखाधिकारी
10.	जमा धनराशि की विसंगति का समाधान कराना	10 दिन	सम्पत्ति अधिकारी
11.	पत्रावली के डाक्यूमेन्टेशन की पुष्टि कराना	10 दिन	सम्पत्ति अधिकारी
12.	निरस्तीकरण के ३० दिन के अन्दर आवेदन करने पर भूखण्ड/भवन आवंटन को पुनर्वहाल कराना	3 दिन	सम्पत्ति अधिकारी
13.	पूर्ण भुगतान के लिए गणना कराना	10 दिन	सम्पत्ति अधिकारी

क्र. सं.	प्रयोजन/जिज्ञासाएं	निस्तारण समय–सीमा	उत्तरदायी अधिकारी
14.	भूखण्ड/भवन का नामान्तरण या प्रत्यावर्तन	45 दिन	सम्पत्ति अधिकारी
15.	भूखण्ड/भवन का म्यूटेशन कराना	60 दिन	सम्पत्ति अधिकारी
16.	पत्रावली का निरीक्षण/नकल प्राप्त करना	5 दिन	सचिव
17.	अनुबन्ध/विक्रय विलेख का निष्पादन	15 दिन	सम्पत्ति अधिकारी
18.	पट्टे की भूमि का फ्री–होल्ड कराना	15 दिन	सम्पत्ति अधिकारी
19.	विक्रय–विलेख निबन्धन के उपरान्त भूखण्ड/ भवन का कब्जा पत्र प्राप्त करना	5 दिन	सम्पत्ति अधिकारी
20.	लाटरी के उपरांत असफल आवेदकों को पंजीकरण/ अन्य देय धनराशि की वापसी	10 दिन	सम्पत्ति अधिकारी
21.	पूर्व में जमा प्रार्थना–पत्र की प्रगति ज्ञात करना	5 दिन	सम्पत्ति अधिकारी
22.	सम्पत्तियों के सम्बन्ध में विविध जानकारी प्राप्त करना	15 दिन	सम्पत्ति अधिकारी

2- मानचित्र स्वीकृति विषयक भवन अनुभाग

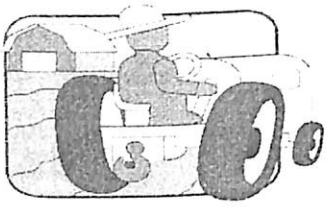


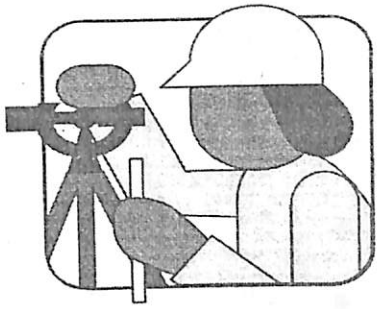
क्र. सं.	प्रयोजन/जिज्ञासाएं	निस्तारण समय–सीमा	उत्तरदायी अधिकारी
1.	मानचित्र स्वीकृत की औपचारिकताओं की काउण्टर पर जानकारी करना	तत्काल	प्रभारी,भवन अनुभाग
2.	मानचित्र जमा करने हेतु निर्धारित प्रपत्र काउण्टर पर प्राप्त करना	तत्काल	प्रभारी,भवन अनुभाग
3.	मानचित्र शुल्क एवं अन्य देय शुल्कों की काउण्टर पर जानकारी करना	तत्काल	प्रभारी,भवन अनुभाग
4.	300 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड का मानचित्र जमा करना	तत्काल	प्रभारी,भवन अनुभाग
5.	300 वर्ग मीटर से बड़े एकल भूखण्ड की मानचित्र स्वीकृति	30 दिन	प्रभारी,भवन अनुभाग
6.	ग्रुप हाउसिंग/व्यवसायिक भवन मानचित्र की स्वीकृति	90 दिन	प्रभारी,भवन अनुभाग
7.	सब–डिवीजन/ले–आउट प्लान हेतु देय शुल्कों की जानकारी (सम्बन्धित विभागों से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना भी सम्मिलित है)	45 दिन	प्रभारी,भवन अनुभाग
8.	सब–डिवीजन/ले–आउट प्लान की स्वीकृति	45 दिन	प्रभारी,भवन अनुभाग
9.	क्रय–योग्य एफ.ए.आर. हेतु मानचित्र स्वीकृति	30 दिन	प्रभारी,भवन अनुभाग
10.	क्म्पनसेटरी एफ.ए.आर हेतु नीतिगत निर्णय के उपरान्त मानचित्र स्वीकृति	30 दिन	प्रभारी,भवन अनुभाग
11.	मानचित्र नवीनीकरण	15 दिन	प्रभारी,भवन अनुभाग
12.	शमन उपविधि के बारे में काउण्टर पर जानकारी	तत्काल	प्रभारी,भवन अनुभाग

स.	प्रयोजन / जिज्ञासाएं	निस्तारण समय–सीमा	उत्तरदायी अधिकारी
13.	कम्पाउण्डिंग मानचित्र की स्वीकृति	90 दिन	प्रभारी,भवन अनुभाग
14.	अतिक्रमण / अवैध निर्माण के विरूद्ध प्राप्त नोटिस की सुनवाई	2 दिन	प्रभारी,भवन अनुभाग
15.	अतिक्रमण / अवैध निर्माण के विरूद्ध कार्यवाही	7 दिन	प्रभारी, इनफोर्समेन्ट
16.	स्वीकृत मानचित्र की नकल प्राप्त करना	7 दिन	प्रभारी,भवन अनुभाग
17.	महायोजना के अनुसार भू–उपयोग की जानकारी प्राप्त करना	7 दिन	प्रभारी नियोजन
18.	भू–प्रयोग परिवर्तन प्रार्थना–पत्र का निस्तारण	90 दिन	प्रभारी नियोजन
19.	वाद के सम्बन्ध में सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी से तिथि की जानकारी करना	तत्काल	प्रभारी,भवन अनुभाग
20.	पूर्णता प्रमाण–पत्र का निर्गमन	30 दिन	प्रभारी,भवन अनुभाग

क्र. सं.	प्रयोजन/जिज्ञासाएं	निस्तारण समय–सीमा	उत्तरदायी अधिकारी
13.	कम्पाउण्डिंग मानचित्र की स्वीकृति	90 दिन	प्रभारी,भवन अनुभाग
14.	अतिक्रमण/अवैध निर्माण के विरूद्ध प्राप्त नोटिस की सुनवाई	2 दिन	प्रभारी,भवन अनुभाग
15.	अतिक्रमण/अवैध निर्माण के विरूद्ध कार्यवाही	7 दिन	प्रभारी, इनफोर्समेन्ट
16.	स्वीकृत मानचित्र की नकल प्राप्त करना	7 दिन	प्रभारी,भवन अनुभाग
17.	महायोजना के अनुसार भू–उपयोग की जानकारी प्राप्त करना	7 दिन	प्रभारी नियोजन
18.	भू–प्रयोग परिवर्तन प्रार्थना–पत्र का निस्तारण	90 दिन	प्रभारी नियोजन
19.	वाद के सम्बन्ध में सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी से तिथि की जानकारी करना	तत्काल	प्रभारी,भवन अनुभाग
20.	पूर्णता प्रमाण–पत्र का निर्गमन	30 दिन	प्रभारी,भवन अनुभाग

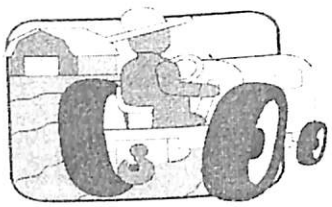
3- भू–अर्जन, विकास कार्यो एवं जन–सेवाओं के अनुरक्षण विषयक अभियन्त्रण अनुभाग

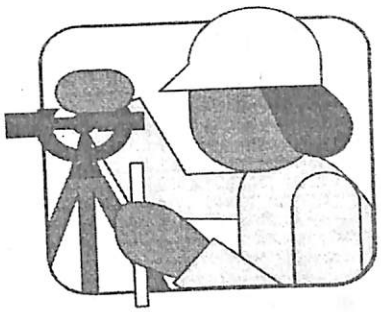




क्र. सं.	प्रयोजन / जिज्ञासाएं	निस्तारण समय–सीमा	उत्तरदायी अधिकारी
1.	अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि की सीमाओं की स्थिति ज्ञात करना	5 दिन	अभियन्ता अर्जन
2.	प्राधिकरण योजना में भूमि के पुर्नसमायोजन से सम्बन्धित प्रार्थना–पत्र का निस्तारण	90 दिन	प्रभारी नियोजन
3.	प्राधिकरण योजना से निजी भूमि को एप्रोच प्राप्त करना	90 दिन	प्रभारी नियोजन
4.	प्राधिकरण की कालोनियों मे नाली, पार्क व सड़क, आदि की मरम्मत प्रारम्भ कराना	30 दिन	प्रभारी अभियंता
5.	प्राधिकरण की कालोनी में स्ट्रीट लाईट की मरम्मत कराना	7 दिन	प्रभारी अभियंता
6.	प्राधिकरण की कालोनी में समुचित जलापूर्ति वहाल करना	1 दिन	प्रभारी अभियंता
7.	बड़े विकास एवं निर्माण कार्यो (अधूरे) को पूर्ण कराना	45 दिन	प्रभारी अभियंता
8.	छोटे विकास एवं निर्माण कार्यो (अधूरे) को पूर्ण कराना	30 दिन	प्रभारी अभियंता
9.	भूखण्ड का भौतिक कब्जा प्राप्त करना	7 दिन	प्रभारी अभियंता
10.	भवन का भौतिक कब्जा प्राप्त करना	15 दिन	प्रभारी अभियंता

3- भू–अर्जन, विकास कार्यो एवं जन–सेवाओं के अनुरक्षण विषयक अभियन्त्रण अनुभाग





क्र. सं.	प्रयोजन / जिज्ञासाएं	निस्तारण समय–सीमा	उत्तरदायी अधिकारी
1.	अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि की सीमाओं की स्थिति ज्ञात करना	5 दिन	अभियन्ता अर्जन
2.	प्राधिकरण योजना में भूमि के पुर्नसमायोजन से सम्बन्धित प्रार्थना–पत्र का निस्तारण	90 दिन	प्रभारी नियोजन
3.	प्राधिकरण योजना से निजी भूमि को एप्रोच प्राप्त करना	90 दिन	प्रभारी नियोजन
4.	प्राधिकरण की कालोनियों मे नाली, पार्क व सड़क, आदि की मरम्मत प्रारम्भ कराना	30 दिन	प्रभारी अभियंता
5.	प्राधिकरण की कालोनी में स्ट्रीट लाईट की मरम्मत कराना	7 दिन	प्रभारी अभियंता
6.	प्राधिकरण की कालोनी में समुचित जलापूर्ति वहाल करना	1 दिन	प्रभारी अभियंता
7.	बड़े विकास एवं निर्माण कार्यो (अधूरे) को पूर्ण कराना	45 दिन	प्रभारी अभियंता
8.	छोटे विकास एवं निर्माण कार्यो (अधूरे) को पूर्ण कराना	30 दिन	प्रभारी अभियंता
9.	भूखण्ड का भौतिक कब्जा प्राप्त करना	7 दिन	प्रभारी अभियंता
10.	भवन का भौतिक कब्जा प्राप्त करना	15 दिन	प्रभारी अभियंता

4- लोक शिकायतों के समाधान हेतु व्यवस्था

स्वतन्त्र संस्था के माध्यम से त्वरित सेवा



- शिकायतों के पंजीकरण हेतु स्वतन्त्र संस्था लगाई जाएगी।
- समस्त शिकायतें उपरोक्त संस्था के माध्यम से दर्ज कराई जाएंगी।
- शिकायतकर्ता निर्धारित प्रपत्र पर प्राधिकरण के काउन्टर पर शिकायत प्रस्तुत करेगा।
- काउन्टर पर शिकायत दर्ज कराने हेतु आवेदन–पत्र के साथ निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।
- संस्था द्वारा शिकायतकर्ता को कम्पलेंट नम्बर दिया जाएगा और पुनः सम्पर्क करने हेतु तिथि दी जाएगी।
- प्रतिदिन जो भी शिकायतें प्राप्त होंगी, संस्था द्वारा प्राधिकरण के सचिव को उसी दिन प्रस्तुत की जाएंगी।

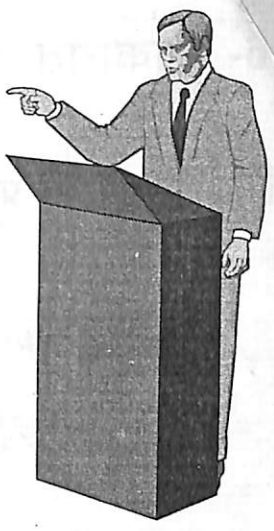


➢ प्राधिकरण द्वारा प्राप्त समस्त शिकायतों की चार या पांच दिन में प्रोसेसिंग कर संस्था को Action Taken Report (ATR) उपलब्ध करायी जाएगी ताकि उपभोक्ता को अन्तरिम उत्तर दिया जा सके।



➢ संस्था द्वारा ATR की सूचना शिकायतकर्ता को दी गयी तिथि पर उपलब्ध कराई जाएगी। जिन शिकायतों का निर्धारित समय सीमा के अन्दर समाधान सुनिश्चित नहीं होगा, की Monitoring by exception शासन द्वारा की जाएगी, और उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

5- उपभोक्ता का दायित्व



1- ऐसे भूखण्ड/भवन क्रय न करें जिनका स्वामित्व स्पष्ट न हो,

2- केवल ऐसी योजना में भूखण्ड/भवन क्रय करें जिसका ले–आउट प्लान सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत हो,

3- अविकसित भूमि अथवा अनधिकृत रूप से निर्मित कालोनी में भूखण्ड/भवन का क्रय न करें,

4- अवैध रूप से निर्मित भवन क्रय न करें,

5- मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी समस्त औपचारिकताओं का अनुपालन करें तथा देय सभी शुल्कों का भुगतान करें।

6- भवन का निर्माण मानचित्र स्वीकृति के उपरान्त करें और निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही करें,

7- मानचित्र स्वीकृति की वैधता अवधि के अन्दर ही निर्माण कार्य पूर्ण करें,

8- भूमि/भूखण्ड का उपयोग महायोजना में निर्धारित उपयोग के अनुसार ही करें,

9- सार्वजनिक भूमि, सड़क, नाली, पार्क, आदि पर अतिक्रमण न करें,

10- अपने भूखण्ड/भवन के सामने सड़क/फुटपाथ पर मिट्टी डालकर नाली अवरूद्ध न करें,

11- किसी अन्य की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा न करें,

12- निजी भूमि/भूखण्ड पर अवैध निर्माण न करें,

13- निर्माण कार्य सीलबन्द होने की स्थिति में आगे निर्माण न करें,

14- विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद द्वारा आवंटित भूखण्ड/भवन की किश्तों का भुगतान समयबद्ध करें,

15- जन–सुविधाओं हेतु देय अनुरक्षण शुल्कों का नियमित एवं समयबद्ध भुगतान करें,

16- जनसुविधाओं के अनुरक्षण एवं रख–रखाव में पूर्ण सहयोग प्रदान करें,

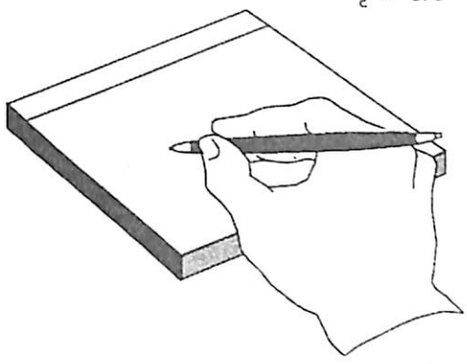
17- पानी की सप्लाई लाइन पर सीधे मोटर पम्प न लगाएं,

18- बिचौलियों/दलालों के माध्यम से भूखण्ड/भवन क्रय न करें, न ही कोई कार्य करवाएं,

19- प्राधिकरण/परिषद के फील्ड स्टाफ को उनके दायित्व निर्वहन में पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

उपभोक्ताओं द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों पर उसी दशा में त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी यदि उनके स्तर पर दायित्वों का उल्लंघन न पाया जाए।

6- शिकायत दर्ज कराने हेतु प्रक्रिया



शिकायतें निम्न प्रकृति की हो सकती हैं:–

- अतिक्रमण/अवैध निर्माण के विरूद्ध शिकायत
- भूमि/भवन के अवैध उपयोग के विरूद्ध शिकायत
- भूमि/भवन के अनधिकृत कब्जे के विरूद्ध शिकायत
- विभिन्न कार्यों हेतु निर्धारित समय सीमा के अन्दर निस्तारण न होने के विरूद्ध शिकायत
- जन–सुविधाओं यथा जलापूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज, विद्युत– आपूर्ति, आदि के अनुरक्षण/मरम्मत के सम्बन्ध में शिकायत
- भूमि अर्जन के प्रतिकर भुगतान के सम्बन्ध में शिकायत
- अन्य शिकायत

यदि किसी उपभोक्ता को प्राधिकरण/परिषद अथवा उनके अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध अथवा निर्धारित समयावधि में कार्य निस्तारण न होने की दशा में कोई शिकायत हो, तो उसके समाधान हेतु नीचे दिये गये प्रपत्र को भरकर प्राधिकरण/परिषद के शिकायत काउन्टर पर जमा कर सकते हैं।

शिकायत दर्ज कराने हेतु प्रपत्र

1. शिकायतकर्ता का नाम .....
2. पता .....
3. दूरभाष संख्या .....
4. शिकायत का दिनांक .....
5. शिकायत का विषय .....
6. विभाग/अनुभाग/अधिकारी, जिसके विरूद्ध शिकायत की गयी .....
7. शिकायत का माध्यमः ✓ का चिन्ह लगाएं:
   - 7.1 लिखित ☐
   - 7.2 व्यक्तिगत ☐
   - 7.3 दूरभाष पर ☐
   - 7.4 फैक्स द्वारा ☐
   - 7.5 ई–मेल ☐
8. पहली बार दर्ज शिकायत का नम्बर .....
9. कार्रवाई की प्रगति :

प्रगति की स्थिति	अधिकारी का नाम एवं पदनाम जिससे शिकायत प्रस्तुत की गई	शिकायत की तिथि
1.		
2.		
3.		